दश माला, खंड 31, अंक 3

बुधवार, 19 फरवरी, 2003
30 माघ, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

PARLIAMENT LIBRARY
No.
Date

बारहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No.
Date

(खंड 31 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द्र मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

विजय कुमार कौशिक
सहायक सम्पाक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 31, बारहवां सत्र, 2003/1924 (शक)]

अंक 3, बुधवार, 19 फरवरी, 2003/30 माघ, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 23	1–28
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 24 से 40	28–64
अतारांकित प्रश्न संख्या 153 से 375	64–405
सभा पटल पर रखे गए पत्र	405–408
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति	
(एक) बासठवां प्रतिवेदन	408
(दो) साक्ष्य	409
कार्य मंत्रणा समिति	
छियालीसवां प्रतिवेदन	431
नियम 377 के अधीन मामले	432–436
(एक) राजस्थान में अजमेर में एक हवाई अड्डे का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
प्रो. रासासिंह रावत	432
(दो) बिहार में अरेराज से होकर हाजीपुर और सुगोली के बीच रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता	
श्री राधा मोहन सिंह	432–433
(तीन) केबल आपरेटरों द्वारा वसूल किए जाने वाले प्रभार में अत्यधिक वृद्धि पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता	
श्री किरीट सोमैया	433
(चार) सैनिक डेयरी फार्म और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की डेयरी में नवजात पशुओं की बेहतर देख-रेख सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जयश्री बैनर्जी	433–434

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(पांच) महाराष्ट्र में बल्हारशाह रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस तथा चन्द्रपुर रेलवे स्टेशन पर अन्य नॉन-सुपरफास्ट रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता	
श्री नरेश पुगलिया	434
(छह) उड़ीसा में तालचेर-बिमलगढ़ रेललाइन का निर्माण कार्य शुरू किए जाने तथा वर्ष 2003-2004 के बजट में इस रेल लाइन के निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री त्रिलोचन कानूनगो	434
(सात) यमुना-सतलुज सम्पर्क नहर परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
डा. सुशील कुमार इन्दौरा	435
(आठ) दक्षिण-पूर्व रेलवे में खड़गपुर और पंसकुरा के बीच तीसरी रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रबोध पण्डा	435
(नौ) महाराष्ट्र में बिजली की भारी कमी को पूरा करने के लिए राज्य में और अधिक विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री हरीभाऊ शंकर महाले	435-436
(दस) हरियाणा के महेन्द्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल खोले जाने की आवश्यकता	
डा. (श्रीमती) सुधा यादव	436
नियम 193 के अधीन चर्चा	
संयुक्त राज्य अमरीका और इराक के बीच बढ़ते तनाव के कारण अन्तर्राष्ट्रीय शांति को खतरा	436-500, 501-506
श्री रामजीलाल सुमन	437-442
डा. विजय कुमार मल्होत्रा	442-444
श्री मणिशंकर अय्यर	444-454
श्री रूपचन्द पाल	454-460
डा. बी.बी. रमैया	460-461
श्री राशिद अलवी	461-465
प्रो. रासासिंह रावत	465-470
श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा	470-477
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	477-480
श्री ब्रह्मानन्द मंडल	480-482
श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम	482-483
श्री पी.एच. पांडियन	483-485

विषय	कॉलम

श्री भर्तृहरि महताब 486–487

श्री अजय चक्रवर्ती 488–489

श्रीमती कृष्णा बोस 489–491

श्री जी.एम. बनातवाला 491–493

श्री जोवाकिम बखला 494–495

श्री लक्ष्मण सिंह 495–496

श्री जसवंत सिंह 497–500

श्रीमती सुषमा स्वराज 505–506

निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक—*पारित*

विचार करने के लिए प्रस्ताव 500–501, 507–528

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 507–509

श्री वरकला राधाकृष्णन 510–511

श्री आदि शंकर 511–513

कुंवर अखिलेश सिंह 513–515

श्री प्रभुनाथ सिंह 515–517

श्री पी.एच. पांडियन 518–519

सरदार सिमरनजीत सिंह मान 519–521

श्री अरुण जेटली 521–526

खंड 2 से 5 और 1 526–527

पारित करने के लिए प्रस्ताव 528

लोक सभा

बुधवार, 19 फरवरी, 2003/30 माघ, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे श्री सुबोध राय से स्थगन प्रस्ताव की केवल एक सूचना प्राप्त हुई है जिसे मैंने अपने चैम्बर में पहले ही अस्वीकृत कर दिया है।

अब हम प्रश्न काल आरम्भ करेंगे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

भारतीय राजनयिकों का उत्पीड़न

+

*21. **डा अशोक पटेल:**
कुंवर अखिलेश सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान द्वारा भारतीय राजनयिकों के उत्पीड़न और निष्कासन किए जाने की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान आज की तारीख तक ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ग) क्या अन्य देशों में भी भारतीय अधिकारियों के साथ इस तरह का उत्पीड़न हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा द्विपक्षीय आचार संहिता का इस तरह से उल्लंघन और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ङ) एक विवरण सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) सरकार को पाकिस्तान में भारतीय राजनयिकों के उत्पीड़न और निष्कासन की घटनाओं की जानकारी है। वर्ष के दौरान पाकिस्तान द्वारा भारतीय कार्यदूत सहित भारतीय कार्मिकों के उत्पीड़न की 11 वारदातें और निष्कासन के 9 मामले हैं।

सरकार की जानकारी में अन्य देशों में भारतीय अधिकारियों के उत्पीड़न के कोई ऐसे मामले नहीं आए हैं।

राजनयिक संबंधों से संबद्ध वियना अभिसमय, 1961 तथा दोनों देशों द्वारा 1992 में संपन्न भारत और पाकिस्तान में राजनयिक/कौंसली कार्मिकों के व्यवहार से संबद्ध द्विपक्षीय आचरण संहिता के तहत हाई कमीशन के कार्मिकों की सुरक्षा और रक्षा का दायित्व मेजबान सरकार का है। भारत सरकार ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय हाई कमीशन के अधिकारियों के उत्पीड़न के सभी मामलों के विरुद्ध पाकिस्तान की सरकार के समक्ष कड़े विरोध दर्ज कराए हैं तथा उन्हें वियना अभिसमय और द्विपक्षीय आचरण संहिता के तहत उनके दायित्वों की याद दिलाई है। सरकार विदेश स्थित भारतीय मिशनों में कार्मिकों की सुरक्षा और रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए कटिबद्ध है।

डा. अशोक पटेल: माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में उल्लेख किया है कि वर्ष के दौरान पाकिस्तान द्वारा भारतीय कार्यदूत सहित भारतीय कार्मिकों के उत्पीड़न की 11 वारदातें और निष्कासन के 9 मामले सामने आये हैं। हमने पाकिस्तान के साथ इन घटनाओं का कड़ा विरोध किया है। इस तरह की प्रत्येक घटना के बाद विरोध पत्र अक्सर पाकिस्तान को दिये जाते रहे हैं। परंतु पाकिस्तान हमेशा उनकी उपेक्षा करता आया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान को विरोध पत्र दिये जाने के बावजूद, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या सरकार द्वारा कोई विशेष कदम उठाने का विचार है।

श्री दिग्विजय सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, यह पूरा काम जो वियना कंवैन्शन हुआ था, उसके मुताबिक किया जाता है। वियना कंवैन्शन में कोई इस तरह की बात नहीं कही गई है कि जो राष्ट्र इसके खिलाफ काम करता हो, उसके बारे में कौन सा कदम उठाया जा सकता है। इसके दो ही तरीके होते हैं। एक तरीका यह है कि उस राष्ट्र से हम अपना विरोध जताते हैं और उस राष्ट्र के हमारे यहां जो हाई कमीशन या एम्बैसी होती हैं, उनके राजनयिकों को विदेश मंत्रालय में बुलाकर हम अपना विरोध जताते हैं। ये ही दो तरीके हैं और इन दोनों तरीकों को हमेशा पाकिस्तान के संदर्भ में अपनाया जाता रहा है।

डा. अशोक पटेल: अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान द्वारा अपने यहां स्थित भारतीय राजनयिकों के उत्पीड़न की हाल ही में घटी यह पहली घटना नहीं है, इससे पूर्व भी पाकिस्तान अनेक बार भारतीय राजनयिकों का उत्पीड़न कर चुका है। यहां तक कि हाल की उत्पीड़न की घटना से क्षुब्ध होकर माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हाल ही में पाकिस्तान स्थित भारतीय राजनयिक के उत्पीड़न की घटना की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित कराया गया था, यदि हां, तो इस घटना के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की क्या प्रतिक्रिया रही है।

श्री दिग्विजय सिंह: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, उसके बारे में मेरा कहना है कि सारी दुनिया की निगाह इन घटनाओं पर रहती है और जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वयं इस बारे में अपनी बात कही थी तो दुनिया ने उसे बहुत गंभीरता से सुना और देखा था। जहां तक हमारा सवाल है, भारत अपने पक्ष को दुनिया के तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर या किसी देश से द्विपक्षीय वार्ता के दौरान रखता रहता है।

कुंवर अखिलेश सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश के विभाजन के पश्चात् अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी बार राजनयिक संबंध बिगड़े हैं और कितनी बार इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई है। पूर्व में जब इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई थी तो हमने क्या कदम उठाये थे और अब फिर से जब इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है तो क्या सरकार इन घटनाओं पर मूकदर्शक बनकर बैठी रहेगी। यह मेरा पहला प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है...

अध्यक्ष महोदय: आप दूसरा प्रश्न नहीं पूछ सकते, आप प्रश्न का दूसरा हिस्सा पूछ सकते हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह: मेरे अनुपूरक प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि क्या यह हमारी विदेश नीति की विफलता नहीं है, जिसके कारण आज हमें इस शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आज जो स्थिति है, निश्चित तौर पर उससे भारत का प्रत्येक राष्ट्र-प्रेमी व्यक्ति दुखी है। पाकिस्तान लगातार आतंकवाद के माध्यम से हमारे देश की सीमाओं के अंदर घुसपैठ करके हमारे सम्मान और स्वाभिमान को ललकार रहा है और अब इस हद तक जा चुका है कि वह हमारे राजनयिकों का लगातार उत्पीड़न कर रहा है। इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या आपके पास कोई कार्य योजना है।

श्री दिग्विजय सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य के पार्ट 'बी' का उत्तर मैं पहले दे देता हूं क्योंकि पहले भाग की बड़ी लंबी लिस्ट और अगर माननीय सदस्य अलग से चाहेंगे तो भेज देंगे।

जो वियना कनवैन्शन है, उसमें यह जिम्मेदारी उस देश की थी जिस देश के अंदर हमारे देश के राजनयिक रहते हैं, चाहे वे दुनिया के किसी भी देश में हों। जिस देश में राजनयिक रहते हैं, उस देश की जिम्मेदारी है कि उनकी सुरक्षा करे। पाकिस्तान ऐसा करके दुनिया में स्वयं को बदनाम कर रहा है। इसलिए हमें जितना करने की जरूरत है, उससे ज्यादा पाकिस्तान अपनी बुराई अपने कदम से कर लेता है।

दूसरी बात यह है कि राजनयिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए जो कदम भारत को उठाना पड़ता है, और जो कदम हम उठा सकते हैं, वे कदम हमेशा उठाए जाते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इन घटनाओं पर जो कदम उठाने के तरीके हैं, उसमें एक कदम यह होता है कि हम वहां अपना प्रोटैस्ट जाहिर करते हैं और यहां उनके दूतावास के लोगों को बुलाकर अपना विरोध जाहिर करते हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में आपकी आज्ञा से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि पाकिस्तान अपने इस कृत्य से दुनिया में बदनाम हो रहा है। दुनिया की जो वर्तमान महाशक्ति है, उसका आज पाकिस्तान को खुला संरक्षण प्राप्त हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उस बदनामी का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ा?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती कृष्णा बोस।

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस: अध्यक्ष महोदय, हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे राजनयिकों को पाकिस्तान में हर समय कैसे परेशान किया जाता है, जबकि भारत में हम बहुत उदार हैं और हम पाकिस्तान सहित सभी विदेशी राजयनिकों को खुले तौर पर स्वीकार करते हैं। हम उनसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। इसके बारे में पूरा विश्व जानता है। अब इस निष्कासन और प्रति निष्कासन के परिणामस्वरूप दोनों देशों के मिशन में बहुत कम लोग बचे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि विदेशों में हमारे मिशनों का अन्य कार्यों के साथ-साथ यह कर्तव्य है कि वह हमें वहां होने वाली घटनाओं के बारे में सूचित करते रहें। स्थिति ऐसी है कि उन्हें रोका जा सकता है। पाकिस्तान पर दबाव डालते हुए और हमारे राजनयिकों

पर हो रहे अत्याचारों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए क्या आपने इस बारे में सोचा है कि हम किस तरह से किसी चैनल को खुला रखें ताकि हमें कूटनीतिक सूचना इत्यादि प्राप्त होती रहे।

इस संबंध में एक अन्य बात है जो इससे संबंधित है जिसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। क्या अब आपकी रेल, बस और वायु सेवा पुन: आरम्भ करने की कोई योजना है? मैं उत्तर जानती हूं और मैं देख रही हूं कि यहां सभी सदस्य 'नहीं' में अपना सिर हिला रहे हैं। लेकिन यदि दो पड़ोसी देशों के बीच संबंध पूर्णत: टूट जाते हैं तो यह हमारे शत्रुओं के लिए भी उपयुक्त है। अत: आम व्यक्तियों के बारे में सोचते हुए क्या आप इस संबंध में भी विचार करेंगे? ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि विभाजित परिवार सीमा के दोनों ओर हैं। आपको इसके मानवीय पहलू के बारे में भी सोचना चाहिये।

श्री दिग्विजय सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है और प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर भी दे दिया है। जहां तक कि प्रश्न के पहले भाग का संबंध है मैं आपको निश्चित रूप से यह सूचित करना चाहूंगा कि केवल कल ही भारतीय और पाकिस्तानी दोनों पक्षों से प्रभारी राजदूतों को वीजा दिया गया है। वे आपसी सहमति से निश्चित तारीख से कार्य करना आरंभ कर देंगे।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान और भारत के संबंध पहले बहुत अच्छे थे मगर 1971 में, जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, उसके बाद संबंध बिगड़े। मेरा कहना है कि 13 दिसम्बर की घटना को 14 महीने बीत चुके हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान की इस तरह की जो गतिविधियां चलती रही हैं, उसके बावजूद भी हम पाकिस्तान के साथ आर-पार की लड़ाई करने के बारे में कुछ तैयारी नहीं कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि राम का वनवास तो चौदह साल का था मगर हमारा वनवास कितने साल का है, अभी तक 30 साल से ऊपर हो चुके हैं।

मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप एक मजबूत प्रधान मंत्री हैं। लालकिले पर भी हमला हुआ, संसद पर भी हमला हुआ। इसलिए हमारा कहना है कि अगर पाकिस्तान सीधे बोलने से ठीक काम नहीं करता है तो पाकिस्तान के साथ युद्ध करने की आवश्यकता है। अमेरिका और इराक का युद्ध होता है या नहीं होता है लेकिन अपना युद्ध होना चाहिए। इस बारे में भारत सरकार की भूमिका मैं जानना चाहता हूं कि आप क्यों ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं।

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): युद्ध कहीं भी नहीं होना चाहिए। न अमेरिका और इराक में, और न ही भारत और पाकिस्तान में युद्ध होना चाहिए।

अनिवासी भारतीयों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का खोला जाना

***22. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) की स्थापना हेतु अनिवासी भारतीयों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

जी, नहीं। अनिवासी भारतीयों की ओर से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) की स्थापना के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले अनिवासी भारतीयों से एक संकल्पना दस्तावेज प्राप्त हुआ है, जिसमें देश में स्वास्थ्य देखरेख के सामान्य विकास संबंधी सुझाव दिए गए हैं। उस दस्तावेज में सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक 10,000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए, जिसमें दो चिकित्सक होने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार गुजरात राज्य बलसाड़ जिले में किन-किन ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रही है और कितने ऐसे केन्द्र बनाना चाहती है?

[अनुवाद]

श्री ए. राजा: महोदय जहां तक कि गुजरात राज्य का संबंध है हमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। जवाब में मैं इस सभा के समक्ष कह सकता हूं कि चूंकि संविधान के अन्तर्गत स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए पीएचसी और सीएचसी स्थापित करना राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है।

जहां तक कि उप केन्द्रों का संबंध है, देश में सभी 1,37,000 उप केन्द्र भारत सरकार द्वारा पूर्णत: वित्त पोषित किए जा रहे हैं। जहां तक गुजरात का संबंध है, वहां उप केन्द्रों की संख्या आवश्यकता से अधिक है।

[हिन्दी]

श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी: अनिवासी भारतीयों द्वारा जो योजना तैयार की गई है, उसकी रूपरेखा क्या है और कितनी लागत से केन्द्र द्वारा उसे बनाए जाने की योजना है?

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, एन.आर.आई. योजना से कोई योजना तैयार नहीं की गई है। मूल प्रश्न के उत्तर में यह बात बताई गई है। किसी तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया। केवल एक चिट्ठी आई थी, कनसैप्ट पेपर था जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 हजार लोगों पर एक प्राइमरी हैल्थ सेन्टर होना चाहिए। इसलिए कोई योजना का प्रारूप तैयार नहीं किया गया। जैसा मेरे सहयोगी मंत्री ने बताया, प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स की स्थापना केन्द्र सरकार नहीं करती, राज्य सरकारें करती हैं। हम केवल सब-सेन्टर्स की स्थापना करते हैं, उनका भी संचालन राज्य सरकारें करती हैं।

[अनुवाद]

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: महोदय, राज्य सरकारों को निधि से वंचित रखा जाता है। वह स्वास्थ्य कार्यक्रम आरम्भ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह केन्द्र की धनराशि पर निर्भर करते हैं।

फिर भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राज्य सरकारों की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि से स्थापित किए जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सक कार्य नहीं करते हैं। वह केवल शहरी क्षेत्रों में जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कोई चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं जैसा कि मूल योजना में प्रतिपादित है। कोई शल्य चिकित्सा केन्द्र अथवा प्रसूति केन्द्र और अन्य चीजें नहीं हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को नया रूप देने पर विचार कर रही है। ताकि समूचे भारत में ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य का उचित तरीके से ध्यान रखा जा सके।

श्री ए. राजा: महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं भारत सरकार राज्य सरकारों का सीएचसी अथवा पीएचसी अथवा किसी अन्य संस्थान के माध्यम से वित्त पोषण कर रही है जो कि मलेरिया, कुष्ठ रोग, एड्स, टी.बी., कैंसर इत्यादि जैसी बीमारियों के लिए राज्य सरकारों के पास धनराशि देती है। इसके अलावा भी हमारे पास कोई विशेष निधि नहीं है और प्रशासन राज्य सरकारों के हाथ में है।

जहां तक कि चिकित्सकों का संबंध है, इस सभा के समक्ष यह मान लेना चाहिए कि चिकित्सक अपनी सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में करने के प्रति बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हैं। यह इस सभा और न्यायालय के समक्ष कानून का प्रश्न है। जब भी न्यायालयों के समक्ष इस तरह के प्रश्न आते हैं तो यह देखा गया है कि यदि एक चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्र में जाने का इच्छुक नहीं है, तो भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के उस चिकित्सक को ग्रामीण क्षेत्र में भेजने के लिये नहीं कह सकते हैं।

भारतीय चिकित्सा परिषद संसद के एक अधिनियम के द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है। हमने परिषद को निदेश दिए हैं, कि चूंकि वे चिकित्सकों को उपचार और पंजीकरण के लिए प्रमाण-पत्र दे रहे हैं, तथा भारतीय चिकित्सा परिषद को, एक प्रणाली बनानी चाहिए जिसमें डाक्टरों के लिए सरकारी सेवा में प्रवेश हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करना अनिवार्य कर दिया जाए।

जहां तक कि अन्य बातों का संबंध है यह सरकार के विचाराधीन है।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया। मंत्री महोदय पहले ही इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राज्य का विषय है। लेकिन इसके साथ ही साथ कतिपय मदों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि दी जाती है। अत: मेरा प्रश्न यह है कि क्या भारत सरकार इस तथ्य से अवगत है कि अनेक राज्य सरकारें वास्तव में स्वास्थ्य क्षेत्र से पीछे हट रही हैं। केरल सहित कुछ राज्य धीरे-धीरे स्वास्थ्य क्षेत्र से पीछे हटे रहे हैं और इससे वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए काफी कठिनाईयों और समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

श्री ए. राजा: जहां तक कि केन्द्र सरकार का संबंध है हमें इस बात का पता नहीं चला है कि राज्य सरकारें स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रही हैं। दूसरी ओर मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि जहां तक विश्व बैंक और अन्य विश्व स्वास्थ्य संगठनों इत्यादि से बाह्य सहायता के रूप में प्राप्त 2500 करोड़ रुपये का संबंध है,

वह विभिन्न राज्यों के लिए इस देश को दिए गए हैं। केरल सरकार ने विश्व बैंक को राज्य में 810 करोड़ रुपये के बराबर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अन्य केन्द्रों का उन्नयन करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसके लिए भारत सरकार और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय यह सहायता प्रदान करने का माध्यम है। हमने इस परियोजना की सिफारिश विश्व बैंक को की है। यह विश्व बैंक के विचाराधीन है। मैं यह आशा करता हूं कि यह परियोजना राज्य सरकार को दे दी जाएगी। माननीय सदस्य योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार की निगरानी कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 23, डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति।

...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस: महोदय, मेरा प्रश्न माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से उत्पन्न हुआ है। अत: कृपया मुझे एक अवसर दें।

केरल सरकार ने 810 करोड़ की एक योजना प्रस्तुत की है और भारत सरकार द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। यह योजना आयोग के पास लम्बित है। योजना आयोग कह रहा है कि केरल सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं में काफी विकास किया गया है। अत: यह फार्मूला योजना आयोग के पास लंबित है। क्या केन्द्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करेगा और तत्काल फाइल को स्वीकृति प्रदान करवाएगा?...*(व्यवधान)* इस फाइल को योजना आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस: महोदय, मेरा प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। यह माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर से उत्पन्न हुआ है...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू: महोदय, कृपया मुझे एक अवसर दें। माननीय मंत्री महोदय एक साथ दोनों प्रश्नों का उत्तर दे सकते है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदय, माननीय सदस्य इस बात को हमारे ध्यान में लाए हैं। हम इस पर विचार करेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू: महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे देश के सत्तर प्रतिशत लोग गांवों में रह रहे हैं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार निर्धन लोगों के कल्याण के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। हम भी एक-एक व्यक्ति को डाक्टर बनाने पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। तथापि, अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद वे विदेशों में जा रहे हैं अथवा वह शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों का क्या होगा?

अत: इसी कारण क्या सरकार वर्तमान सत्र में विधान लायेगी? हम इसे पारित करने के लिए तैयार हैं। चूंकि हम इन डाक्टरों पर इतनी अधिक धनराशि खर्च कर रहे हैं इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करनी चाहिए...*(व्यवधान)* क्या सरकार आगामी सत्र में विधान लायेगी?

श्रीमती रेणूका चौधरी: आंध्र प्रदेश जैसी राज्य सरकारें धनराशि का विपथन कर रही हैं और उसकी जवाबदेही नहीं है। सामाजिक लेखा परीक्षा की जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी जो उत्तर दिया है कि वे डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, इससे देश में एक गलत मैसेज जाएगा और कोई भी डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा नहीं करेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का उत्तर मंत्री महोदय को नहीं देना चाहिए। इस प्रकार का मैसेज मंत्री महोदय की ओर से नहीं जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति कृपया आप अपना प्रश्न पूछें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह अहम् सवाल है। इस पर आधे घंटे की चर्चा कराई जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, इस सदन में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: महोदय, वहां पानी एवं बिजली नहीं है। दवा का इंतजाम नहीं है तथा बच्चों के लिए पढ़ने का प्रबंध नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपकी बात ठीक है। इस पर आप चर्चा के लिए कह सकते हैं। यह प्रश्न अलग है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। यह प्रश्न पूछने का तरीका नहीं है। कुंवर अखिलेश सिंह, कृपया बैठ जाइए। आप बैठ जाइए।

यह प्रश्न अलग है। प्रश्न है क्या अनिवासी भारतीयों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उत्तर दिया गया है कि किसी अनिवासी भारतीय की ओर से कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। प्रश्न यहीं समाप्त हो जाता है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह कोई सामान्य चर्चा नही है। कृपया बैठ जाइए। अब अगले प्रश्न संख्या 23 पर चर्चा करते हैं।

सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों का विनिवेश

*23. +श्री एम.वी.वी.एस. मूर्तिः
श्री के. मुरलीधरन:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) एवं सरकारी तेल क्षेत्र के अन्य सरकारी उपक्रमों का विनिवेश करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या प्रशासनिक मंत्रालय ने कोई आपत्ति उठाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका औचित्य क्या है;

(घ) ओ.एन.जी.सी. सहित सरकारी क्षेत्र के अन्य तेल उपक्रमों को बोली में भाग लेने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. के विनिवेश के संबंध में भारत के महाधिवक्ता की राय मांगी है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में महाधिवक्ता की क्या राय है;

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. की वित्तीय स्थिति (लाभ/हानि) क्या है;

(ज) क्या सरकार ने एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. आदि के विनिवेश हेतु कोई सलाहकार नियुक्त किया है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्री शिवराज वि. पाटील: सरकार का उत्तर संबंधी विवरण आज हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है। हमें तो यही दिया गया है और विवरण नहीं दिया गया है।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): यदि आप चाहते हैं तो मैं इसे पढ़ सकता हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील: इससे हमें सहायता मिलेगी।

श्री ए.सी. जोस: उत्तर संबंधी विवरण हमें उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यह क्या है?

श्री अरुण शौरी: मैं अभी इसे पढ़ता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह उत्तर संबंधी विवरण पढ़ दें क्योंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: मुझे उत्तर संबंधी विवरण प्राप्त हुआ है।

अध्यक्ष महोदय: चूंकि मैंने मंत्री जी से उत्तर संबंधी विवरण पढ़ने के लिए कहा है कृपया आप बैठ जाइए।

श्री अरुण शौरी: (क) जी, हां। सरकार ने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) में 34.01 प्रतिशत इक्विटी का अनुकूल बिक्री के माध्यम से और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) में 35.20 प्रतिशत इक्विटी को घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में सार्वजनिक पेशकश करने के माध्यम से विनिवेश करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त दोनों कम्पनियों के कर्मचारियों को, कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना के माध्यम से दोनों कम्पनियों के 5 प्रतिशत इक्विटी शेयरों की पेशकश करने का भी निर्णय लिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग सहित तेल क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एच.पी.सी.एल. की बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए बोली लगाने की अनुमति न देना सरकार की एक आम नीति है। इसके पीछे मुख्य तर्काधार यह है कि विनिवेश का उद्देश्य, राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों को ईष्टतम उपयोग में लगाना और सार्वजनिक क्षेत्र में अन्तर्निहित उत्पादक सम्भाव्यता का अधिकाधिक उपयोग करना है और एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का स्वामित्व दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम के पास चले जाने से यह उद्देश्य विफल हो जाता है।

(ङ) जी, हां।

(च) महान्यायवादी ने मत व्यक्त किया है कि एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. में विनिवेश के नीतिगत निर्णय का ''सिद्धान्त रूप में'' सम्पादन करने के लिए कोई संसदीय कानून अथवा संसदीय स्वीकृति अथवा अनुमोदन आवश्यक नहीं है और यह कि भारत सरकार उक्त निर्णय तक पहुंचने और उसे क्रियान्वित करने के लिए अपने कार्यपालिका के अधिकार का वास्तविक उपयोग करने में स्वतंत्र है।

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. की वित्तीय स्थिति (निवल लाभ) इस प्रकार है:-

निवल लाभ (करोड़ रुपए में)

	2001-02	2000-01	1999-2000
बीपीसीएल	849.8	832.7	701.6
एचपीसीएल	788.0	1088.0	1057.4

(ज) एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. में विनिवेश के लिए अभी तक कोई परामर्शदाता नियुक्त नहीं किए गए हैं। तथापि, एच.पी.सी.एल. के लिए सार्वभौमिक सलाहकार और बी.पी.सी.एल. के लिए सार्वभौमिक समन्वयकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रगति पर है।

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: इसमें रिलायंस का क्या योगदान है। क्या रिलायंस के दबाव में आकर आपको ऐसा काम करना पड़ा है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रघुनाथ जी, कृपा कर आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है। श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: मैं इन अधिक लाभ कमाने वाली सरकारी क्षेत्र ने उपक्रमों के विनिवेश जो ऊर्जा के महत्वपूर्ण क्षेत्र में आते हैं के संबंध में माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझ सकता हूं।

सर्वप्रथम यह स्पष्ट नहीं है कि किस सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पहले विनिवेश किया जाएगा सम्बंधी अंतर्मंत्रालयी खींचतान समाप्त हो गई है अथवा नहीं। इस खींचातानी के बारे में हमें प्रेस के द्वारा मालूम पड़ा कि फलां-फलां मंत्रालय विनिवेश के इच्छुक नहीं है विशेषकर पेट्रोलियम मंत्रालय विनिवेश का इच्छुक नहीं है।

अन्य गैर वरीयता वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए वरीयता निर्धारित की जाए जिनका विनिवेश किया जाना है। यदि यह स्पष्ट है तो संदर्भित मानदण्ड क्या है जिसे विनिवेश सम्बन्धी केबिनेट समिति (सीसीडी) द्वारा अनुमोदित किया गया है? क्या उन्होंने इन चीजों के विनिवेश के लिए कोई बेंचमार्क मानदण्ड निर्धारित किया है चूंकि इस क्षेत्र के लिए विश्वव्यापी निविदाएं के मांगने का निर्णय किया गया है?

तीसरा, क्या यह सच है कि विनिवेश के पश्चात दोनों कम्पनियों का सरकार के साथ शेयरों का निर्धारित प्रतिशत होगा? ऐसा प्रतीत होता है कि एचपीसीएल में सरकार का हिस्सा मात्र 12 प्रतिशत होगा जबकि बीपीसीएल में यह 26 प्रतिशत ही रहेगा। क्या यह आवश्यक नहीं है कि सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए दोनों कम्पनियों में कम से कम 26 प्रतिशत हिस्सा रखना चाहिये, आखिर यह ऊर्जा क्षेत्र है। गरीब लोगों को प्रभावित भी होना चाहिए। अभी तो ठीक है लेकिन कुछ समय के पश्चात आप इंडियन आयल कारपोरेशन का भी विनिवेश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: कृपया स्पष्ट प्रश्न पूछिए।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: विनिवेश के लिए निर्धारित किए गए बेंचमार्क मानदण्ड क्या हैं? कितने प्रतिशत शेयरों को अपने पास रखने का निर्णय किया गया है।

श्री अरुण शौरी: ये अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस सम्बन्ध में गलतफहमी है। जैसाकि आपको भली-भांति मालूम है कि सीसीडी ने इस सम्बन्ध में निर्णय काफी व्यापक चर्चा करने के बाद में ही लिये हैं। इस विशेष मामले में, पेट्रोलियम मंत्रालय के मंत्री सीसीडी के स्थायी सदस्य हैं। इस मामले में और प्रत्येक मामले में जब कभी भी केबिनेट समिति द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर विनिवेश के सम्बंध में विचार किया जाता है तो बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं और जिस मंत्रालय में वह सरकारी क्षेत्र के उपक्रम आते है के प्रशासनिक प्रभारी मंत्री जी, भले ही वह सीसीडी का सदस्य न हो, तो भी वह चर्चा में भाग लेते हैं इससे पहले भी दो चरण होते हैं।

पहले अन्तर-मंत्रालयी अधिकारी समूह होता है और उसके पश्चात् सचिवों की समिति होती है जिसकी अध्यक्षता केबिनेट सचिव करते है। प्रत्येक मामले में और मूल्यांकन करते हुए प्रशासनिक मंत्रालयों के प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं। मैं कह सकता हूं कि इसमें पूरी तरह गलतफहमी है। हम सभी ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। जैसाकि आप जानते हैं कि सीसीडी के सक्रिय सदस्य होने के नाते चर्चा में विनिवेश विभाग के विचारों में प्राय: संशोधन किया जाता है और उन्हें नकारा जाता है और अन्य मत स्वीकार किये जाते हैं। प्रस्तावों को सुधारा जाता है। कई बार दिये गए प्रस्तावों में अधिक सुधारात्मक प्रस्तावों को स्वीकार किया जाता है क्योंकि वित्त मंत्रालय और अन्य दूसरे तरीके से तर्क देते हैं। इस मामले में, एक वर्ष तक व्यापक चर्चा करने के पश्चात ही सर्वसम्मति से निर्णय लिये गए हैं।

श्री चन्द्रकांत खैरे: पेट्रोलियम मंत्री इसमे सम्मिलित थे?

श्री अरुण शौरी: निसन्देह, पेट्रोलियम मंत्री ही नहीं उनके सुझावों पर भी सक्रिय रूप से विचार किया गया था। बैठक फरवरी 2002 को हुई थी जिसमें इसका निर्णय किया गया था। निर्णय को जनवरी 2003 में अन्तिम रूप दिया गया था। अर्थात् यह ग्यारह माह के अन्तराल के पश्चात् हुआ। दूसरी बात जिसे डा. मूर्ति ने उठाया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: जब मंत्री जी लेखक थे तो इतने विचारोत्तेजक लेख लिखा करते थे और मंत्री बनकर कैसा काम कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बीच में क्यों खड़े हो जाते हैं, बैठिये। मैं आपको प्रश्न पूछने का मौका देने वाला हूं। मैं आपको इजाजत दूंगा, तब आप प्रश्न पूछिएगा।

कुंवर अखिलेश सिंह: शौरी जी, जरा अपने लेखों को पढ़िये और मंत्री के रूप में आप जो काम कर रहे हैं, उसे देखिये। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले: जो कम्पनी प्रोफिट में चल रही है, उसे मत बेचिये।

[अनुवाद]

श्री अरुण शौरी: दूसरी बात जिसे डा. मूर्ति ने उठाया वह मानदण्डों और मानकों के बारे में है। इन मानदण्डों पर पिछले 2 वर्षों से संसद में ही 14 बार वाद-विवाद हो चुका है और 900 से अधिक प्रश्नों के जबाव दिये जा चुके हैं। जहां तक सीसीडी का सम्बन्ध है सामान्य नीति बनाई गई है इसे प्रकाशित किया गया है और माननीय सदस्यों को वितरित किया गया है। मार्गनिर्देश बनाए गए हैं कि किसे सम्मिलित किया जाएगा और किसे सम्मिलित नहीं किया जाएगा। नियमों को कानूनी रूप दिया गया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम कब भाग ले सकते हैं और कब वह भाग नहीं ले सकते। अत: प्रत्येक मानदण्ड निर्धारित किया गया है।

तीसरी बात सुरक्षोपाय के बारे में है यह 26 प्रतिशत और 12 प्रतिशत के बारे में है। शेयरधारक के समझौते में जहां नहीं भी सरकारी नियंत्रण की आवश्यकता है, हमने अत्यन्त कठोर सुरक्षोपाय किये है, यहां मैं एक उदाहरण दूंगा।

आपको याद होगा कि वीएसएनएल के निजीकरण के सम्बन्ध में सुरक्षा सम्बंधी चिन्ता व्यक्त की गई थी। यह कोई छिपी बात नहीं है कि हमारी सुरक्षा एजेन्सियों को विदेश को की जाने वाली कॉलों की निगरानी करनी पड़ती है। प्रश्न यह था कि जब वीएसएनएल का विनिवेश होगा तो क्या निजी बोलीकर्त्ता ऐसी सुविधाएं देंगे अथवा नहीं। हमने शेयरधारकों और शेयर खरीद समझौते में इस बारे में कठोर खण्डों से जोड़ा। हमारी सुरक्षा एजेन्सियों के लिए ऐसी सुविधाएं देने के बारे में मैंने स्वयं रॉ के और आईबी के निदेशकों से व्यक्तिगत अनुरोध किया कि वह हमारे पास आएं और जैसा वह चाहें जिस किसी भी खण्ड को अन्तिम रूप देना चाहें दें। इसलिए उस खण्ड को सम्मिलित किया गया था।

इस मामले में भी आवश्यक खण्डों को सम्मिलित किया जाएगा। महोदय, यदि आप मुझे दो मिनट का समय दें तो मैं इसे स्पष्ट करूंगा। प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम में भी आपने सरकार को ऐसी कठोर शक्तियां प्रदान की हैं कि यदि बोलीकर्त्ता अथवा किसी

कम्पनी द्वारा जरा सा भी उल्लंघन किया जाता है जोकि गैर-प्रतिस्पर्द्धी हैं तो वह हमेशा हस्तक्षेप कर सकती है।

दूसरा इस सदन के समक्ष अब पेट्रोलियम विनियामक विधेयक है और जैसे ही आप इसे पारित कर देते हैं वो यहां अधिनियमित हो जाएगा। जब तक यह विधेयक पारित नहीं हो जाता ये सभी शक्तियां मंत्रालय के पास हैं। बोर्ड के पास विपणन विनियमित करने, मूल्यों की निगरानी करने, सुधारात्मक कदम उठाने, अधिक लाभ कमाने को रोकने और क्षेत्रों के समान वितरण सुनिश्चित करने की सभी शक्तियां हैं। वह लाभ कमाने, विपणन, सेवा देयताओं में से किसी के भी बारे में प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही कर सकता है। यह किसी भी "एन्टिटी उदाहरणार्थ नए बोलीकर्त्ता के प्राधिकार को रोक सकते है अथवा रद्द कर सकते हैं? यह पेट्रोलियम उत्पादों को शुद्ध करने, संसाधित करने, भण्डारण करने, लदान करने और वितरण करने के लिए निर्देश दे सकते हैं और भारत की संप्रभुता और अखण्डता के हित में बोर्ड को निदेश दे सकती है। यदि आवश्यक हो तो वह पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण को सुनिश्चित करने, रखरखाव अथवा आपूर्ति को बढ़ाने अथवा दोनों के लिए निदेश दे सकती है।...*(व्यवधान)*

धारा 35 में कहा गया है कि आप कम्पनी का लाइसेंस रद्द कर सकते हैं। आप इससे अधिक क्या सुरक्षोपाय चाहते हैं? अतः हमने पर्याप्त सुरक्षोपाय किये हैं और इन सब बातों के लिए पर्याप्त कानून भी बनाए हैं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्तिः महोदय मेरे प्रश्न का पूरी तरह जवाब नहीं दिया गया है। मैंने पूछा है कि एक कम्पनी में 12 प्रतिशत और दूसरी कम्पनी में 26 प्रतिशत धारण रखने के पीछे क्या औचित्य है। बीपीसीएल में सरकार 26 प्रतिशत रखने के बारे में सोच रही है जबकि एचपीसीएल में वे मात्र 12 प्रतिशत ही रखने पर विचार कर रही है। वह दोनों कम्पनियों में समान प्रतिशत क्यों नहीं रख रही हैं?

श्री अरुण शौरीः महोदय, वह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का मूल, आरम्भिक बिन्दु अलग है।...*(व्यवधान)*

आरम्भिक मुद्दा यह है कि एचपीसीएल के मामले में पूर्व की सरकारें पहले ही 49 प्रतिशत विनिवेश कर चुकी थीं। इसलिए सरकार की इक्विटी सिर्फ 51 प्रतिशत है। बीपीसीएल के मामले में पूर्व की सरकारें पहले ही 33 प्रतिशत विनिवेश कर चुकी थीं। इसलिए सरकार के पास सिर्फ 66 प्रतिशत था। अब एक अनुकूल साझीदार को कुछ देने का सवाल था। इसलिए, यह महसूस किया गया कि चूंकि बीपीसीएल बाजार में आ रहा है, आप बाजार में इस तरह से शेयरों को प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि बाद में होने वाले किसी भी अधिग्रहण को रोका जा सके, जैसा कि अन्य कंपनियों में हुआ है। आज, सरकार एल एण्ड टी जैसे विषय में उलझी हुई है। अधिग्रहण को रोकने के लिए, इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि सरकार को 26 प्रतिशत अपने हाथ में रखना चाहिए ताकि इसे कोई अन्य न ले सके।

एचपीसीएल के मामले में सरकार का पहले से ही निर्णय है कि एक समान उद्देश्य वाला साझीदार होना चाहिए। अब, यदि ऐसी स्थिति हो जिसमें समान उद्देश्यों वाला साझीदार को कंपनी के प्रबन्धन पर पर्याप्त नियंत्रण न मिले तो वह नहीं आएगा इसी कारण से वहां यह अंतर था। आरम्भिक बिन्दु अलग है। भविष्य में आने वाली समस्याओं की प्रकृति अलग है। सिर्फ इसी सुविचारित कारण से ये अंतर आए हैं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्तिः मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है शायद बोली लगाने वाले चाहते थे कि एचपीसीएल में अधिक प्रतिशत का विनिवेश किया जाए।

अध्यक्ष महोदयः यह आपका पहला पूरक प्रश्न है।

श्री अरुण शौरीः महोदय, एक बात है जिसका उल्लेख करना मैं भूल गया।

यह सेबी नियमों के अंतर्गत है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंहः महोदय, हम लोगों की बात भी सुनिए सिर्फ इन्हीं की बात मत सुनिए। ये जो कुछ पढ़ रहे हैं, उसे देश रहा है, दुनिया देख रही है। इसलिए आप हम लोगों का सवाल सुनिए, इनका भाषण तो हम रोज सुनते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मैं मंत्री जी से संक्षिप्त उत्तर देने का आग्रह करता हूं। मंत्री जी, आप यथासंभव संक्षिप्त उत्तर दें।

श्री अरुण शौरीः मैं सिर्फ और बात रखूंगा। सेबी नियमों के अंतर्गत यदि समान उद्देश्यों वाला साझीदार कतिपय प्रतिशत से अधिक अधिग्रहण करता है, उसे '20 प्रतिशत खुला प्रस्ताव' भी देना होगा। उस कारण से भी, इस मामले में यह अंतर है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्तिः मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि सरकार ने महान्यायवादी श्री सोली सोराबजी की राय मांगी जिन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र का कोई भी उपक्रम जो कि संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ है—यह सार्वजनिक राय अथवा कानूनविदों की राय है—को विनिवेश हेतु इस तरह के अधिनियम

के निरसन के लिए पुनः संसद में जाना चाहिए। यह फैसला किया गया है। अन्यथा, इस विशेष मामले में महान्यायवादी की राय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले भी 1993 में, तत्कालीन महान्यायवादी, श्री मिलन बनर्जी से इफ्को के विनिवेश के बारे में परामर्श लिया गया था। उन्होंने कहा कि यह संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था; विनिवेश के लिए इस अधिनियम के निरसन के लिए संसद से पुनः सहमति लेने की आवश्यकता थी श्री मिलन बजर्नी ने यह राय दी थी। अब श्री सोली सोराबजी ने अलग राय दी है। क्या महान्यायवादी की राय अंतिम है? क्या हमें इसे अनुमति देनी चाहिए अथवा हमें इस विषय पर न्यायालय फैसला लेना चाहिए? यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि अन्यथा कल यह मामला कानूनी दांव-पेंच में उलझ जाएगा। हम इस संबंध में सटीक उत्तर चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप अपना प्रश्न कर चुके हैं। आप और अधिक समय क्यों लेना चाहते हैं? यदि आप ऐसा करेंगे तो मंत्री जी को भी समय लगेगा।

श्री अरुण शौरी: महान्यायवादी की राय इसलिए ली गई थी कि इसकी मांग थी। मैं दूसरी सभा के सदस्यों का नाम नहीं लेना चाहता हूं। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि हमें महान्यायवादी की राय लेनी चाहिए।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्तिः अब, दो प्रकार के विचार हैं।

श्री अरुण शौरी: मैं आपकी जानकारी में सुधार करता हूं।

राय मांगी गई थी; यह अत्यन्त ही व्यापक राय है। जहां तक श्री मिलन बनर्जी के राय का संबंध है- मैं रायों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि चाहे जो हो वह अत्यन्त ही विशिष्ट महान्यायवादी हैं— जब आप उनकी राय पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्तिः मैं इसे पढ़ता हूं।

श्री अरुण शौरी: यह सिर्फ ब्रिटिश टेलीकॉम अधिनियम के उपबंधों का अनुसरण करता है। हमारा अपना अधिनियम है। हमारे पास इन दो विशेष कंपनियों के अधिग्रहण का अधिनियम है। महान्यायवादी की राय में जो विरोधाभास है वह यह है। कोयला राष्ट्रीयकरण अधिनियम में संसद ने अपने विवेक से यह उपबंध किया कि सरकार के अलावा कोई भी इस क्षेत्र में नहीं आ सकता है। इसलिए, यदि आप कोयला क्षेत्र में विनिवेश चाहते हैं तो आपको पुनः संसद में आना होगा। बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम में, संसद ने प्रावधान किया कि बैंकों में सदैव ही सरकार के पास उसका 51 प्रतिशत इक्विटी होगा। यदि आप 51 प्रतिशत से कम करना चाहते हैं तो आपको संसद में वापस आना होगा। इन दो अधिनियमों में, काल्टेक्स और एस्सो बर्मा शेल में प्रत्यक्ष तौर पर कोई पाबंदी नहीं है। एक मुद्दा यह है। अधिग्रहण अधिनियम के पश्चात् जो हुआ वह यह था कि इनकी स्थापना कंपनियों के रूप में हुई और ये सदैव ही कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती रहीं। उनके संकल्प, बोर्ड की बैठकें, उनके विलय, उस पर आधारित को इसलिए, उदाहरण के लिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड ने विलय का निर्णय किया। आपमें से कई को याद होगा कि उस समय वास्तव में एचपीसीएल, बिना संसद में आए बाद में विलय के लिए गया था। इसी प्रकार, वे अपना काम बंद भी कर सकते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड को संसद में आए बिना ही कंपनी का कामकाज बंद करने का अधिकार है। इसलिए उन्होंने विशेष रूप से इन अधिनियमों के प्रावधानों का अनुसरण किया जो मारुति संबंधी अधिनियम के समान ही है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या पार्लियामैंट का कोई मतलब नहीं है? क्या सरकार कुछ भी बेचने के लिए सक्षम है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: इसी से आप सहमत हो गए। ...*(व्यवधान)* अटार्नी जनरल को यहां बुलवाया जाए।...*(व्यवधान)* पार्लियामैंट को इग्नोर करके क्या सरकार को देश बेचने का अधिकार है?...*(व्यवधान)* गवर्नमैंट पार्लियामैंट के प्रति एकाउंटेबल है या नहीं? क्या हाउस में इस तरह जवाब होगा?...*(व्यवधान)* पार्लियामैंट की घोर अवमानना हो रही है।...*(व्यवधान)* क्या इस तरह का जवाब होता है? महोदय, आपको अधिकार है, हाउस में अटार्नी जनरल आएं।...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: अटार्नी जनरल के बारे में जो कहा गया है, वह रिकार्ड में नहीं जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं रिकार्डों की जांच करूंगा।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या सरकार को इस तरह देश को बेचने का अधिकार मिल गया?...*(व्यवधान)* इस तरह से देश को बेचने का सरकार को अधिकार नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: अध्यक्ष जी, अटार्नी जनरल के बारे में इस प्रकार से आब्जर्वेशन नहीं करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सब लोग बैठिए।

...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, अटार्नी जनरल को हाउस में बुलवाया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: हमारी मांग है कि महान्यायवादी को सभा में बुलाया जाए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप सब लोग बैठिए। आप यदि चाहते हो कि अटार्नी जनरल को हाउस में बुलाने की जरूरत है तो यह मांग आप जरूर कर सकते हैं लेकिन आप उसी समय यह मांग कर सकते हैं कि जब मैं आपको प्रश्न पूछने का मौका दूंगा। मौका नहीं दूंगा तो आप कैसे बोलेंगे और मौका देने के लिए मिनिस्टर का उत्तर भी पूरा होना चाहिए। अभी यहां जो दूसरा प्रश्न है, उस प्रश्न में, दूसरे माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है और वह मुरलीधरन जी हैं। वह भी यह प्रश्न पूछ सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री के. मुरलीधरन: महोदय, मेरा पूरक प्रश्न यह है कि मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों ने लाभ अर्जित कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के संबंध में सरकार द्वारा अनुसरण की जा रही नीति पर सार्वजनिक रूप से अपना असंतोष जताया था। महोदय, असंतोष समाप्त करने के लिए उपाय खोजने हेतु गंभीर विचार-विमर्श हुआ था। पूरे मुद्दे की मध्यावधिक समीक्षा की मांग की गई थी। हमने समाचार-पत्रों में यह पढ़ा है। मध्यावधिक समीक्षा यदि की गई तो उस की क्या स्थिति है, और इस तरह की समीक्षा का क्या परिणाम निकला है?

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि क्या अर्जित आय का प्रयोग राजस्व व्यय अथवा आधारभूत संरचना में पूंजी निवेश को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से निश्चित उत्तर चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया मंत्री जी की बात सुनिए।

श्री अरुण शौरी: सबसे पहले, मैं जो पहले कह रहा था उसे पूरा कर लूं, महान्यायवादी की राय के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय में हमारे निर्णय को चुनौती दी गयी। दिल्ली उच्च न्यायालय में इस प्रश्न की वैद्यता के विषय पर सुनवाई हुई और इस याचिका को वापस ले ली गई मानकर नामंजूर कर दिया गया। इसलिए, इस विषय पर न्यायालय का एक आदेश भी आया है। दूसरे, जहां तक...*(व्यवधान)*

सभी विचारों में सामंजस्य किया गया रक्षा मंत्री सहित सभी व्यक्तियों जिन्होंने मध्यावधिक समीक्षा की मांग की थी, ने इस समीक्षा में भाग लिया। जो निर्णय मेरे द्वारा लिए गए थे उन्हें मैंने आपकी अनुमति से दिसम्बर में इस सभा में और दूसरी सभा में पढ़कर सुनाया था। वह वक्तव्य उपलब्ध है और इसे सभी सदस्यों को बांटा गया था और सभा पटल पर भी रखा गया था।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: सर, मैं भी प्रश्न पूछना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जरूर पूछ सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री अरुण शौरी: तीसरे, जहां विनिवेश से आय का संबंध है उस निर्णय में एक घटक यह था कि विनिवेश कोष का सृजन किया जाएगा और उस विनिवेश कोष के माध्यम से इस आय को अधिसूचित उद्देश्य के लिए खर्च किया जाएगा। हम सभी इस कोष के स्थापना की प्रतीक्षा में हैं। मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री स्वयं बजट तैयार करने के दौरान अथवा बाद में जब वह सुविधाजनक समझते हों इस पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य कृपया मेरी बात सुनिए। कई सदस्य हैं जो इस मुद्दे पर प्रश्न करना चाहते हैं। कार्य मंत्रणा समिति में भी यह मांग की गई थी कि सभा में किसी नियम के अंतर्गत इस मुद्दे पर वाद-विवाद होना चाहिए। इस विषय पर

विशेष चर्चा कराने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सभा उस पर चर्चा कर सकती थी किंतु मैं इस प्रश्न के लिए पहले ही 20 मिनट दे चुका हूं। अन्य प्रश्न भी लिए जाने हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं मानता हूं कि इस मुद्दे पर कोई वाद-विवाद आवश्यक नहीं होगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: चूंकि सदस्य इस विषय पर पूरी तरह से वाद-विवाद नहीं चाहते हैं, मैं इस प्रश्न को जारी रखने को तैयार हूं। अगले 15 मिनट तक हम इस प्रश्न को जारी रखेंगे।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, हम आपके आभारी हैं कि आप इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की अनुमति देने जा रहे हैं। हमें अत्यन्त प्रसन्नता है कि सदस्यों द्वारा व्यक्त किए जा रहे विचारों को सुनने के लिए इस सभा में माननीय प्रधानमंत्री भी उपस्थित हैं? यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय है। सटीक प्रश्नों और सटीक उत्तरों के माध्यम से समुचित तरीके से इससे निपटना चाहिए। वाद-विवाद में भी उत्तर दिया जा सकता है। इस आपके प्रति, मंत्री जी के प्रति और सरकार के प्रति यह सुविधा देने के लिए आभारी हैं।

हमारे मन में गंभीर आशंकाएं हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी आशंकाओं पर अपना विचार प्रकट करे और हमें आश्वस्त करे कि वह समुचित निर्णय ले रही है। सबसे महत्वपूर्ण एक बात यह है कि यदि आप समान उद्देश्यों वाले खरीददार को सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बेचते हैं और विनिवेश करते हैं, तो आप निजी एकाधिकार का सृजन कर रहे हैं। इससे देश का हित कैसे होगा? हम आपसे यह जानना चाहते हैं।

जहां तक महान्यायवादी द्वारा दी गई राय का प्रश्न है, उस संबंध में डा. रघुवंश प्रसाद सिंह सहित अनेक माननीय सदस्यों ने अत्यंत ठीक ही कहा है कि वे चाहते हैं कि वे उनकी राय के समर्थन में सभा में महान्यायवादी के विचार सुनना चाहेंगे। इससे हमें उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर और स्पष्टीकरण जानने का अवसर मिलेगा। यह विचार वर्तमान महान्यायवादी द्वारा व्यक्त किया गया है जो एक अच्छे वकील भी हैं। हमें उनके कानून अध्ययन और राय देने की क्षमता पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अन्य अच्छे वकीलों ने भी सभा में अपने विचार व्यक्त किए हैं। दूसरी सभा में श्री नरीमन के कहा है कि कानून द्वारा गठित सरकारी क्षेत्र उपक्रम का विनिवेश भी कानून के द्वारा ही किया जाना चाहिए। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। लेकिन सामान्य सिद्धान्त है कि सरकार कानून के माध्यम से कुछ करती है तो उसको समाप्त भी कानून के द्वारा ही किया जाए। यदि आपने कोई कार्रवाई कार्यकारी आदेश के माध्यम से की है तो आपको उसे कार्यकारी आदेश के माध्यम से ही समाप्त करने का अधिकार है। लेकिन यदि कानून ने ही आपको अधिकार दिया है तो यह कानून में ही निहित होना चाहिए कि इसके अतिरिक्त कुछ और किया जाना चाहिए। सामान्य सिद्धान्त यही है। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। मैं कानूनी दृष्टिकोण की बात नहीं कर रहा हूं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस संबंध में बहुत स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। कानून के विशेषज्ञ ही ऐसा करने में सक्षम होंगे।

एक दूसरा प्रश्न भी है। हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार महान्यायवादी को उनके विचारों की पुष्टि के लिए सभा में बुलाने हेतु अनुरोध करने को तैयार है। वाद-विवाद में एक बात उठाई गई थी कि हम नहीं चाहते कि जनता के लिए उपलब्ध निधियों का उपयोग ही न किया जा सके। इसलिए, हम सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को इन वस्तुओं की बोली लगाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। महोदय, यह ज्ञात तथ्य है और यह बात किसी से छुपी नहीं है कि निजी क्षेत्र की कोई भी इकाई वित्तीय संस्थानों से ली गई निधियों से चलाई जा रही हैं।

ये निधियां किसी व्यक्ति की निजी नहीं होती हैं। हम यह बात समझनी चाहिए। यदि आप इस समय तक उपयोग की गई निधियों की जांच करें तो...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: हमें भी कानून की जानकारी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पाटील, कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैंने पाटील साहब को कहा है कि वह ब्रीफली प्रश्न पूछें। आप कृपया बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं असंगत प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। आप भी पूछ सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: हमें भी कानून आता है और हम भी उत्तर दे सकते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पाटील मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप सीधे प्रश्न ही पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, यदि धनराशि वित्तीय संस्थानों से आती है तो सरकार ने यह निष्कर्ष कैसे निकाला कि इस उद्देश्य के लिए निजी व्यक्तियों के निजी धन का प्रयोग किया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय: श्री पाटील, कृपया स्पष्ट प्रश्न पूछें।

श्री शिवराज वि. पाटील: इसके अतिरिक्त युद्ध के बाद इन तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उनका रणनीतिक महत्व है। हमारे मन में यह आशंका है कि इनके निजीकरण से हमारे सुरक्षा संबंधी कार्य प्रभावित होंगे। यदि संभव हुआ तो आज या वाद-विवाद के दौरान हम माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण मांगना चाहेंगे कि क्या आप हमें अनुमति देंगे जिससे इस मामले पर...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: वाद-विवाद कितना भी लम्बा चले, मुझे इसका उत्तर देने में अत्यंत प्रसन्नता होगी। इसी विषय पर राज्य सभा में पहले से ही वाद-विवाद चल रहा है और मुझे आज दोपहर 12 बजे इस बहस का उत्तर देना है। श्री पाटील की बात एकदम सही है कि यह अत्यंत चिन्ता की बात है और लोगों के मन में गंभीर संदेह पैदा कर दिए गए हैं।

श्री पाटील ने श्री नरीमन का नाम लिया है। महान्यायवादी द्वारा अपनी राय व्यक्त करने के बाद, अब हम श्री नरीमन की राय पर भी विचार करेंगे।

जहां तक युद्ध से संबंधित प्रश्न की बात है, तो श्री पाटील अत्यंत वरिष्ठ सदस्य हैं और उन्हें तथ्यों की जांच करनी चाहिए। आपको याद होगा कि युद्ध दिसम्बर 1971 में हुआ था और तब से 1974 और 1976 तक चार से पांच वर्षों तक आपकी सरकार ने इन कंपनियों को अधिगृहीत करने की प्रतीक्षा क्यों की?

श्री सोमनाथ चटर्जी: तो, इसमें क्या बात है?

श्री अरुण शौरी: नहीं। कुछ और हो रहा था। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। ठीक ही कहा गया है कि हमें व्यक्तिगत एकाधिकार, सुरक्षा और हर मामलों की जांच करनी चाहिए, हमें उसके हर पहलू पर विचार-विमर्श करना चाहिए। मैं वही करूंगा जो आप लोग चाहेंगे। सरकार इस बात के लिए तैयार है और आप जब चाहें चर्चा कर सकते हैं।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: महोदय, मैंने आपसे इस बात पर बोलने का एक अवसर देने का अनुरोध किया है।

अध्यक्ष महोदय: अवसर की मांग करने वाले आप पहले व्यक्ति नहीं हैं। अन्य सदस्यों ने भी अवसर मांगा है। यदि उन्हें अवसर दिया जाएगा तो निश्चय ही मैं आप को भी अनुमति दूंगा।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: महोदय, आप महाराष्ट्र के सदस्यों को अनुमति दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया इस प्रकार का आरोप मत लगाइए। यह अत्यंत दुखद है। मैंने ऐसा कभी नहीं किया।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: अध्यक्ष जी, बीपीसीएल और एचपीसीएल के विनिवेश का प्रस्ताव मंत्री जी ने किया है। ये दोनों कंपनियां विनिवेश के लिए हैं। मेरा कहना है कि इन दोनों कंपनियों को बेचने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र और मराठी लोगों का होने वाला है क्योंकि इन दोनों कंपनियों में ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी मराठी हैं। सेंटूर होटल को बेचते समय भी हमने पूछा था कि वहां के साढ़े पांच सौ कर्मचारियों का क्या होगा?...*(व्यवधान)* आज भी सेंटूर होटल के कर्मचारियों की हालत खराब है। उनको बाहर भेजा गया। मैंने उस समय भी कहा था कि आप लाभ कमाने वाली कंपनियों को क्यों बेचना चाहते हैं और तब माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि वे लाभ वाली कंपनियों को बेचने वाले नहीं हैं। तीन साल का पूरा रिकार्ड मेरे पास है। जब 1057 करोड़ रुपये एचपीसीएल में और 701 करोड़ रुपये बीपीसीएल में लाभ हो रहा है तो आप इन कंपनियों को क्यों बेचना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* शिवसेना का इस विषय में पूरा विरोध है और हम इसे नहीं मानेंगे।...*(व्यवधान)* हम माननीय मंत्री जी से विस्तार में जानना चाहते हैं कि इतने मुनाफे के बावजूद इन कंपनियों को वे क्यों बेचना चाहते हैं।...*(व्यवधान)* इनके बेचने से महाराष्ट्र और मराठी लोगों को नुकसान होने वाला है। हम जानना चाहते हैं कि उनमें काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आपने क्या व्यवस्था की है।

श्री सुन्दर लाल तिवारी: आप केवल दिखावे के लिए विरोध कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* आप अंदर से मिले हुए हैं।

श्री चन्द्रकांत खैरे: शिवसेना सीधा विरोध करती है। हम पीछे से विरोध नहीं करते हैं। हमारे माननीय बाला साहेब सीधा बात बोलते हैं, उल्टा-पुल्टा नहीं बोलते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश रामराव जाधव: हम इसके विरोध में हैं।

अध्यक्ष महोदय: जाधव जी, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अरुण शौरी: सरकार की नजर में सभी श्रमिक महत्वपूर्ण हैं। केवल मराठी या गैर-मराठी श्रमिक नहीं; सभी महत्वपूर्ण हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: महोदय, मैक्सिमम महाराष्ट्र राज्य के उसमें मराठी एम्पलाइज हैं। उस क्षेत्र से जहां राम बाबू नाईक जी रहते हैं। इसके लिए उनका पूरा विरोध है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या राम बाबू नाईक जी का इसमें सपोर्ट है?...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: बिल्कुल है।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे: बिल्कुल नहीं है। राम बाबू नाईक जी का बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। आप हमारे महाराष्ट्र के एम्पलाइज के लिए क्या करने वाले हैं? जैसा आपने सेंटूर होटल के मामले में किया, ऐसा यहां नहीं होना चाहिए। यह आपका उत्तरदायित्व है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया, मुझे जवाब चाहिए।...*(व्यवधान)* जिस प्रकार सेन्टूर होटल में मराठी एम्पलाइज बाहर हुए, उसी प्रकार यहां भी होने वाला है।...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको प्रश्नों के उत्तर चाहिए या नहीं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डिसइन्वैस्टमेंट का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंत्री जी उत्तर देने के लिए तैयार हैं। आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन आप उत्तर ही नहीं सुनना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, आप प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री जनार्दन रेड्डी जी, आप प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी जगहों पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

आंख की रोशनी जाना

***24. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:**
श्री वी. वेत्रिसेलवन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में निजी संगठनों द्वारा आयोजित किए जा रहे निःशुल्क नेत्र शिविरों में किए जा रहे मोतियाबिन्द के आपरेशन के कारण देश के विभिन्न भागों से आंख की रोशनी चले जाने के समाचार लगातार मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान सरकार के ध्यान में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को इस संबंध में कोई निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ङ) यह सत्य नहीं है

कि निःशुल्क नेत्र शिविरों में किए जाने वाले मोतियाबिन्द के आपरेशनों के कारण अक्सर आंखों को रोशनी समाप्त हो जाने की घटनाएं हो रही हैं। जनवरी, 2002 से अब तक ऐसी तीन घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है। ये घटनाएं जिला भुज (गुजरात) (मई, 2002), लुधियाना (पंजाब) (नवम्बर, 2002) और थेनी (तमिलनाडु) (जनवरी, 2003) में हुई हैं। वर्ष 2001-02 के दौरान देश में 37 लाख से अधिक मोतियाबिन्द के आपरेशन किए गए जिनमें से 71 लोगों के आंखों की रोशनी मोतियाबिन्द के आपरेशन के बाद समाप्त होने की सूचना मिली है। इस वर्ष ऐसे 40 लाख आपरेशन करने के लक्ष्य हैं जिनमें से दिसम्बर, 2002 तक 24 लाख आपरेशन किए जा चुके हैं।

सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में नियत सुविधाओं के अनुसार मोतियाबिन्द के आपरेशनों को बढ़ावा दिया जाता है। इसके लिए सरकारी क्षेत्रों में 300 से अधिक स्थानों और 34 से अधिक गैर-सरकारी संगठनों को नेत्र वार्डों के निर्माण और समर्पित नेत्र आपरेशन कक्षों के लिए सहयोग दिया गया है। अब 90% से अधिक आपरेशन अस्पतालों में किए जाते हैं जहां आधुनिक इन्ट्रा-ओक्युलर लेंसों का प्रत्यारोपण भी किया जा सकता है।

जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटियों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूली इमारतों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक इमारतों और खुले परिसरों में आयोजित नेत्र शिविरों में मोतियाबिन्द के आपरेशन न करने संबंधी विशेष निर्देश जारी कर दिए गए हैं। केवल विशेष परिस्थितियों में जहां आपरेशन कक्ष सहित आधारभूत ढांचा उपलब्ध नहीं है वहां यदि चिकित्सा अधिकारी विसंक्रमण, अनुवर्ती कार्रवाई आदि के बारे में आश्वस्त हो जाता है, तो अस्पतालों के बाहर नेत्र शिविरों में आपरेशन करने की अनुमति दी जाती है। आपरेशन की उच्च्व गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार द्वारा आपरेशन के बाद संक्रमण से सुरक्षा हेतु मोतियाबिन्द के आपरेशन में गुणवत्ता आश्वासन संबंधी क्लीनिकल प्रैक्टिस माड्यूल्स और सामान्य सावधानियों संबंधी निर्देशिका जारी की गई है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का धीमी गति से क्रियान्वयन

***25. श्री के.ई. कृष्णमूर्तिः क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रायः सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित बड़े बजट वाली योजनाओं का धीमी गति से क्रियान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का केन्द्रीय योजनाओं/धनराशि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु निजी व्यवसायियों को शामिल करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का मिलाजुला अनुभव रहा है।

(ख) कमजोर प्रशासन एवं कार्यान्वयन क्षमता के तथा राज्यों में प्रतिरूप निधियों की कमी खराब निष्पादन के मुख्य कारण हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नए शुल्क

***26. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसीः**
श्री सुरेश रामराव जाधवः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय टेलीफोन नियामक प्राधिकरण (टी.आर.ए.आई.) ने तार बिछाकर दिए गए (लैंड लाइन) टेलीफोनों की काल संख्या और शुल्क में कुछ परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं और इसका क्या औचित्य है;

(ग) क्या सरकार को टी.आर.ए.आई. के इन प्रस्तावों के विरुद्ध जनता और अन्यों से बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार टी.आर.ए.आई. के इन प्रस्तावों में संशोधन करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) जी, हां। दूरसंचार सेवाओं के लिए शुल्क निर्धारण का अधिकार केवल भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को सौंपा गया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अपने परामर्श दस्तावेजों और खुली चर्चा के जरिए विस्तृत विचार-विमर्श करने के बाद इस शुल्क को संशोधित किया है। ट्राई ने दूरसंचार शुल्क आदेश (टीटीओ) 1999 में चौबीसवें संशोधन द्वारा बुनियादी टेलीफोन के लिए किराये, कॉल प्रभार और पल्स अवधि के शुल्क में कुछ संशोधन किया है जो 1 अप्रैल 2003 से लागू होगा। शुल्क की प्रमुख मदों में परिवर्तन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन्हें उपयुक्त कार्रवाई के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को भेज दिया गया है।

(ङ) से (छ) जी, नहीं। वर्ष 2000 में यथा संशोधित ट्राई अधिनियम, 1997 के उप खंड 11(2) के अनुसार, दूरसंचार सेवाओं के लिए शुल्क निर्धारण का अधिकार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को सौंपा गया है जो अब इस शक्ति को प्रयोग करने के लिए एकमात्र प्राधिकरण है। तथापि, सेवा प्रदाताओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित) को ट्राई द्वारा निर्धारित अधिकतम/न्यूनतम सीमाओं के भीतर अपना शुल्क पैकेज रखने की छूट दी है।

विवरण

(क) ग्रामीण मासिक किराया (रुपये में)

स्थानीय एक्सचेंज की क्षमता (लाइनों की संख्या)	ट्राई द्वारा निर्धारित मौजूदा अधिकतम सीमा	ट्राई द्वारा प्रस्तावित	
		वरिष्ठ नागरिक	अन्य
999 तक	70	70	70
1000-29, 999	120	120	120
30,000-99,999	180	180	200
1 लाख और अधिक	250	250	280

(ख) शहरी मासिक किराया (रुपये में)

स्थानीय एक्सचेंज की क्षमता (लाइनों की संख्या)	ट्राई द्वारा निर्धारित मौजूदा अधिकतम सीमा	ट्राई द्वारा प्रस्तावित	
		वरिष्ठ नागरिक	आवासीय उपभोक्ता
999 तक	120	120	120
30,000-99,999	180	180	200
1 लाख और अधिक	250	250	280

(ग) नि:शुल्क कॉलों की संख्या (प्रतिमाह)

	ट्राई द्वारा निर्धारित मौजूदा अधिकतम सीमा	ट्राई द्वारा प्रस्तावित
ग्रामीण	75	50
शहरी	60	30

(घ) कॉल प्रभार (रु. में प्रति मीटर्ड कॉल)

ट्राई द्वारा निर्धारित मौजूदा स्लैब		ट्राई द्वारा प्रस्तावित	
ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
0-75 नि:शुल्क	0-60 नि:शुल्क	0-50 नि:शुल्क	0-30 नि:शुल्क
76-500 0.80 की दर से	61-500 .80 की दर से	51-300 .80 की दर से	31-300 1.00 की दर से
> 500 1.20 की दर से	>500 1.20 की दर से	>300 1.20 की दर से	>300 1.20 की दर से

(ङ) पल्स दर (सेकेंड में)

मौजूदा		ट्राई द्वारा प्रस्तावित	
सभी नेटवर्कों में कॉल	180	बुनियादी सेवा नेटवर्क में कॉल	120
		सेल्यूलर (मेट्रो क्षेत्र) में कॉल	90
		सेल्यूलर (सर्किल क्षेत्र) में कॉल	60

परमाणु ऊर्जा का उत्पादन

***27. श्री गंता श्रीनिवास राव:**
श्री बी.के. पार्थसारथी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुल विद्युत का बहुत कम भाग ही परमाणु ऊर्जा से उत्पादित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में अन्य देशों की तुलना में भारत की तुलनात्मक स्थिति क्या है;

(ग) क्या देश में परमाणु विद्युत संयंत्रों की कार्यकुशलता कम है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) देश में मौजूदा परमाणु विद्युत क्षमता 2720 मेगावाट है, जोकि देश में सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली कुल स्थापित क्षमता का 2.6 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान, परमाणु बिजलीघरों से उत्पादित बिजली लगभग 19400 मिलियन यूनिट (एम यूज) थी जोकि देश में उत्पादित कुल विद्युत का लगभग 3.7 प्रतिशत है।

(ख) पूर्ण निवल विद्युत उत्पादन के रूप में, भारत में कैलेण्डर वर्ष 2001 में परमाणु बिजलीघरों से 19200 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया। उसी अवधि के दौरान, जिन देशों ने 10,000 से 20,000 मिलियन यूनिट के बीच उत्पादन किया था, वे थे, ब्राजील, बुल्गारिया, चीन, चैक गणराज्य, हंगरी, स्लोवाकिया और दक्षिण अफ्रीका। इसके अतिरिक्त, अर्जेन्टीना, अर्मेनिया, मैक्सिको, नीदरलैंड्स, पाकिस्तान, रोमानिया तथा स्लोवेनिया जैसे देशों ने उसी अवधि के दौरान, परमाणु विद्युत से 10,000 मिलियन यूनिट से कम बिजली का उत्पादन किया। कुछ विकसित देशों ने काफी अधिक परमाणु विद्युत उत्पादन किया है और उनका परमाणु विद्युत उत्पाद का अंश अपेक्षाकृत अधिक है (अर्थात् फ्रांस 77%, जापान 34%, रूस 15%, इंग्लैंड 22% तथा संयुक्त राज्य अमरीका 20%)। विश्व में औसत परमाणु विद्युत उत्पादन का अंश लगभग 16 प्रतिशत है।

(ग) देश में परमाणु बिजलीघर बहुत दक्षतापूर्वक काम कर रहे हैं। यद्यपि स्थापित क्षमता के रूप में परमाणु विद्युत का अंश 2.6% है, उत्पादन का अंश 3.7% है। ऐसा, "राष्ट्रीय संयंत्र भार गुणक से अधिक (पीएलएफ)" की वजह से है जिस पर परमाणु बिजलीघरों का परिचालन किया जाता है। वर्ष 2001-2002 के दौरान, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के परमाणु बिजलीघरों ने लगभग 85% संयंत्र भार गुणक दर्ज किया था जबकि इसकी तुलना में राष्ट्रीय औसत लगभग 70% थी। 01.04.2002 से 31.01.2003 की अवधि के दौरान भी, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संयंत्रों का औसत संयंत्र भार गुणक लगभग 89% रहा है। यह लगभग 86.1% विश्व माध्य के काफी करीब है।

(घ) ऊपर (ग) के मद्देनजर यह प्रश्न ही नहीं उठता।

माफिया सरगना का प्रत्यर्पण

***28. श्री सुरेश कुरूप:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.) के अधिकारियों ने माफिया सरगना अनीस इब्राहीम को पकड़ा था, जो बाद में पाकिस्तान भाग गया;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात से उसके प्रत्यर्पण के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो, विशेष कार्य बल, नई दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार अनीस इब्राहीम कस्कर दिसम्बर, 2002 में इण्टरपोल, अबू धाबी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। संयुक्त अरब अमीरात से उसके भाग निकलने के संबंध में भारतीय प्राधिकारियों को संयुक्त अरब अमीरात के प्राधिकारियों से कोई आधिकाधिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत सरकार ने उपर्युक्त भगोड़ों के प्रत्यर्पण के लिए दिसम्बर 2002 के महीने में संयुक्त अरब अमीरात की सरकार को प्रत्यर्पण अनुरोध किया है।

आर.सी.एच. कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि का आबंटन

***29. श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री दानवे रावसाहेब पाटील:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2000-2001, 2001-2002 और चालू वित्त वर्ष के दौरान आज तक प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.सी.एच.) के अंतर्गत कुल कितनी राशि प्रदान की गई और प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि का उपयोग किया गया;

(ख) क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय की गई राशि पर किसी केन्द्रीय एजेंसी द्वारा निगरानी रखी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ राज्यों में उक्त अवधि के दौरान मातृ-शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) वर्ष 2000-01, 2001-02 और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्य के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को प्रदान की गई और उसके द्वारा उपयोग की गई निधियों के राज्य-वार ब्यौरे से संबंधित विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) परिवार कल्याण विभाग राज्यों से प्राप्त आवधिक रिपोर्टों और समुपयोजन प्रमाण-पत्रों के माध्यम से व्यय की मॉनीटरिंग कर रहा है। राज्यों से भी यह अपेक्षा है कि वे प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम का लेखापरीक्षित लेखा भेजें। इसके अतिरिक्त मंत्रालय के अधिकारी और परामर्शदाता भी राज्यों के दौरे के समय राज्यों द्वारा किए गए खर्च की मॉनीटरिंग करते हैं।

(घ) और (ङ) भारत के महारजिस्ट्रार से प्राप्त नवीनतम अनुमान वर्ष 1998 के हैं जिनके अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर मातृ मृत्यु दर 407 है। इसी प्रकार भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार वर्ष 2000 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 68 है। पिछले कुछ वर्षों में मातृ और बाल मृत्यु दर में लगातार कमी आई है। तथापि, वर्ष 2000-01 और 2001-02 में शिशु मृत्यु की अनुमानित दर अभी तक उपलब्ध नहीं है।

(च) वर्ष 1997 में पूरे देश में शुरू किए गए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलाप किए जा रहे हैं जो निम्नलिखित हैं:

माताओं के लिए:

1. अनिवार्य और आपाती प्रसूति परिचर्या
2. गर्भवती महिलाओं के लिए रेफरल परिवहन। इसको शुरू में आठ पिछड़े राज्यों में कार्यान्वित किया गया और अब इसे सभी राज्यों में कार्यान्वित किया गया है।
3. संवेदनाहारकों, स्त्री रोग विज्ञानियों, सुरक्षित मातृत्व परामर्शदाताओं और प्रयोगशाला तकनीशियन, जन स्वास्थ्य नर्सों आदि जैसे तकनीकी स्टाफ की संविदात्मक या अंशकालिक नियुक्ति का प्रावधान।
4. उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्रथम रेफरल एककों में मातृ स्वास्थ्य के लिए औषधियों और उपकरण की व्यवस्था।
5. राष्ट्रीय प्रसूति लाभ योजना।
6. दाइयों का प्रशिक्षण।
7. पिछड़े जिलों के लिए अतिरिक्त सहायक नर्स धात्री।
8. सुरक्षित गर्भपात के लिए गर्भ के चिकित्सीय समापन हेतु सुविधाएं एवं प्रशिक्षण।
9. जहां पर्याप्त मात्रा में सरकारी सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं वहां लोगों को जागरूक करने और सेवा प्रदान करने में गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता।

बच्चों के लिए:

1. वैक्सीन से रोके जा सकने वाले छह रोगों के लिए टीकाकरण।
2. अतिसार रोगों के कारण होने वाली मौतों पर नियंत्रण।
3. तीव्र श्वसनीय संक्रमणों के कारण होने वाली मौतों पर नियंत्रण।
4. पोलियो का उन्मूलन।
5. विटामिन-ए की कमी के कारण होने वाली दृष्टिहीनता के लिए रोग निरोधक।
6. नवजात शिशु परिचर्या।

इसके अलावा 178 जिलों में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य शिविर लगाकर दूर-दराज के क्षेत्रों एवं अल्पसेवित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु राज्यों को निधियां प्रदान की जा रही हैं। उपक्रेन्द्र एवं ग्राम स्तर पर आउटरीच सत्रों के दौरान मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए 151 जिलों को भी निधियां प्रदान की जा रही हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान 15 शहरों में हेपेटाइटिस-बी टीकाकरण पर एक प्रायोजित परियोजना भी शुरू की गई है।

विवरण

प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम
जारी की गई निधियां और सूचित व्यय के ब्यौरे

लाख रुपए में

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	2000-01		2001-02		2002-03	
		जारी	व्यय	जारी	व्यय	जारी	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1662.15	1462.92	2021.72	1670.25	834.25	193.37
2.	अरुणाचल प्रदेश	175.72	144.81	135.26	168.92	46.08	1.67
3.	असम	474.86	415.52	1244.53	865.09	321.31	800.42
4.	बिहार	2711.64	1868.03	1676.45	628.69	3356.15	38.48
5.	झारखण्ड	37.00	0.00	449.35	0.00	379.08	0.00
6.	गोवा	13.40	33.10	22.08	17.36	12.93	16.68
7.	गुजरात	983.39	923.20	7612.26	549.89	696.75	114.69
8.	हरियाणा	1664.30	1131.50	1224.25	953.61	537.65	320.04
9.	हिमाचल प्रदेश	427.02	470.83	276.80	241.33	327.71	23.70
10.	जम्मू-कश्मीर	555.39	202.47	341.30	551.36	342.54	6.50
11.	कर्नाटक	1671.15	1033.75	1187.66	1574.95	658.66	360.05
12.	केरल	1165.32	738.34	768.03	961.70	394.76	389.74
13.	मध्य प्रदेश	3553.34	2105.91	1317.96	1148.90	907.14	550.11
14.	छत्तीसगढ़	314.10	0.00	844.07	0.00	244.03	18.94
15.	महाराष्ट्र	1256.71	1104.23	1926.91	25.47	1067.61	130.37
16.	मणिपुर	421.71	265.70	660.86	106.28	64.03	128.65
17.	मेघालय	65.64	73.69	128.28	129.11	68.77	28.43
18.	मिजोरम	729.58	638.15	727.70	703.69	106.50	221.67
19.	नागालैंड	146.96	97.57	116.51	172.48	104.72	10.58
20.	उड़ीसा	1524.79	601.80	1864.77	292.43	438.51	488.05
21.	पंजाब	686.25	547.96	616.63	446.36	256.96	64.76
22.	राजस्थान	2313.58	1391.97	2958.59	1438.54	770.76	347.76

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	सिक्किम	43.07	33.51	57.30	32.46	68.90	11.16
24.	तमिलनाडु	2373.39	894.20	541.25	532.14	865.48	465.40
25.	त्रिपुरा	166.18	333.60	446.87	139.92	121.80	4.09
26.	उत्तर प्रदेश	4654.45	5446.34	6970.00	5114.32	6187.29	1530.49
27.	उत्तरांचल	236.11	0.00	434.98	137.78	138.01	90.73
28.	पश्चिम बंगाल	2073.46	1317.01	1931.32	1301.79	770.81	322.84
29.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	31.04	9.07	35.26	38.34	12.03	3.68
30.	चण्डीगढ़	117.61	19.69	23.20	18.23	11.94	11,95
31.	दादर और नगर हवेली	3.88	14.33	14.02	6.69	6.96	4.23
32.	दमण व दीव	4.87	1.88	8.66	5.06	5.41	1.63
33.	दिल्ली	311.22	290.35	297.60	315.57	342.37	73.88
34.	लक्षद्वीप	22.44	18.60	11.42	7.07	5.87	5.60
35.	पांडिचेरी	21.79	28.51	21.58	39.34	12.04	3.41
	कुल	32613.50	23658.52	38915.43	20335.11	20485.81	6783.74

यदि किसी वर्ष में व्यय जारी धनराशि से अधिक है तो इसका अर्थ यह है कि पिछले वर्ष की अग्रेनीत शेष राशि जिस वर्ष में खर्च की गई है जहां व्यय अधिक हुआ है।

वर्ष 2002-03 से संबंधित उपर्युक्त व्यय राज्यों से प्राप्त नवीनतम रिपोर्टों पर आधारित है।

ई-क्राइम से निपटने हेतु उठाए जाने वाले कदम

***30. श्री कोडीकुनील सुरेश:**
डा. मन्दा जगन्नाथ:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 जनवरी, 2003 के ''इंडियन एक्सप्रेस'' में ''टू क्रैकडाउन आन ई-क्राइम, गवर्नमेंट प्लान्स साइबरपैट्रोल'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार को 'साइबर सीनीक' की शरारतों और उसकी नुकसानदेह गतिविधियों से निपटने में परेशानी हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सरकार ने व्यापक दृष्टि से इन मुद्दों का समाधान करने के लिए उपाय शुरू किए हैं, जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा पर पांच अंतर्मंत्रालय कार्यकारी दलों का गठन और भारतीय कम्प्यूटर आपदा प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-आईएन) और एक सूचना सुरक्षा प्रौद्योगिकी विकास परिषद (आईएसटीडीसी) की स्थापना शामिल है। सरकार सभी संभावित धमकियों और चुनौतियों का सामना करने के लिए साधन जुटा रही है।

दोहरी नागरिकता

***31. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:**
श्री अनन्त नायक:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) और भारतीय मूल के लोगों (पी.आई.ओ.) को दोहरी नागरिकता प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और इस संबंध में श्री एल.एम. सिंघवी के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कतिपय देशों में रह रहे अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों के साथ कोई भेदभाव किया गया था/किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार कारण क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ङ) भारतीय डायस्पोरा पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर सरकार ने कुछ देशों की नागरिकता हासिल करने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत दोहरी नागरिकता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में ब्यौरे और अन्य पद्धतियों का निर्धारण किया जा रहा है।

लघु उद्योगों का कार्यनिष्पादन

***32. डा. जसवंत सिंह यादव:** क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में लघु उद्योगों की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा लघु उद्योगों के कार्यनिष्पादन को सुधारने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में कवर की गई पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों प्रकार की लघु उद्योग इकाईयों की अनुमानित संख्या, उनका उत्पादन, नियोजन तथा निर्यातों संबंधी, विवरण निम्नोक्त है:-

वर्ष	ल.उ. इकाईयों की संख्या (लाखों में)	चालू मूल्य पर कुल उत्पादन (करोड़ रुपये में)	नियोजन (लाखों में)	निर्यात (करोड़ रुपये में)
1999-2000	32.12	572887	178.50	54200
2000-2001	33.12	639024	185.64	69797
2001-2002	34.42	690316	192.23	71244

तथापि, राज्य-वार सूचना का अनुरक्षण केन्द्रीय तौर पर केवल पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाईयों के संबंध में किया जाता है जोकि वर्ष 2001-2002 के लिए विवरण-I में दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक जोकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्तपोषित की जाने वाली रुग्ण लघु उद्योगों से संबंधित डाटा का संकलन करता है, के अनुसार मार्च 2002 के अन्त तक देश में रुग्ण लघु उद्योग इकाईयों की संख्या 1,77,336 थी। राज्य-वार रुग्ण ल.उ. इकाईयों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ख) जबकि लघु उद्योगों का विकास करना राज्य/संघ शासित सरकारों की मुख्य जिम्मेदारी है, केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न स्कीमों जैसे कि एकीकृत बुनियादी संरचना विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, मार्किटिंग, तथा उद्यमिता विकास इत्यादि के कार्यान्वयन द्वारा उनके कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इसके अलावा 30 अगस्त, 2000 को लघु उद्योग सेक्टर के संवर्धन और विकास के लिए एक व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की ताकि दोनों घरेलू तथा विश्वव्यापी तौर पर इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिल सके। नीति पैकेज में बढ़ी हुई वित्तीय तथा क्रेडिट सहायता, बेहतर बुनियादी संरचना तथा विपणन सुविधाएं और प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु प्रोत्साहित शामिल हैं।

विवरण-I

मार्च, 2002 के अन्त तक स्थायी रूप से पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों की अखिल भारतीय क्यूमूलेटिव संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	इकाईयों की क्यूमूलेटिव संख्या
1	2	3
1.	अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1284
2.	आन्ध्र प्रदेश	131685

1	2	3
3.	अरुणाचल प्रदेश	653
4.	असम	26358
5.	बिहार	92095
6.	चण्डीगढ़	3102
7.	छत्तीसगढ़	72883
8.	दादरा एंड नागर हवेली	1317
9.	दमण और दीव	1874
10.	दिल्ली	19804
11.	गोवा	6389
12.	गुजरात	194435
13.	हरियाणा	55409
14.	हिमाचल प्रदेश	17740
15.	जम्मू - कश्मीर	32245
16.	झारखण्ड	41089
17.	कर्नाटक	178330
18.	केरल	238431
19.	लक्षद्वीप	• 82
20.	मध्य प्रदेश	220100
21.	महाराष्ट्र	150996
22.	मणिपुर	5975
23.	मेघालय	3029
24.	मिजोरम	4911
25.	नागालैंड	1643
26.	उड़ीसा	23264
27.	पांडिचेरी	5152
28.	पंजाब	155197
29.	राजस्थान	90366
30.	सिक्किम	342
31.	तमिलनाडु	375262
32.	त्रिपुरा	2127
33.	उत्तर प्रदेश	389013
34.	उत्तरांचल	34920
35.	पश्चिमी बंगाल	153670
	अखिल भारतीय योग	27,31,172

विवरण-II

रुग्ण लघु उद्योगों की संख्या (राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	इकाईयों की क्यूमूलेटिव संख्या
1	2	3
1.	अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह	13
2.	आन्ध्र प्रदेश	9324
3.	अरुणाचल प्रदेश	12
4.	असम	5530
5.	बिहार	17286
6.	चण्डीगढ़	145
7.	दादरा एंड नागर हवेली	12
8.	दमण और दीव	4
9.	दिल्ली	1892
10.	गोवा	149
11.	गुजरात	6679
12.	हरियाणा	889
13.	हिमाचल प्रदेश	394
14.	जम्मू-कश्मीर	2438
15.	कर्नाटक	4254

1	2	3
16.	केरल	13825
17.	लक्षद्वीप	0
18.	मध्य प्रदेश	7028
19.	महाराष्ट्र	7270
20.	मणिपुर	1060
21.	मेघालय	281
22.	मिजोरम	25
23.	नागालैंड	130
24.	उड़ीसा	5334
25.	पांडिचेरी	161
26.	पंजाब	1902
27.	राजस्थान	3792
28.	सिक्किम	56
29.	तमिलनाडु	11513
30.	त्रिपुरा	1945
31.	उत्तर प्रदेश	20036
32.	पश्चिमी बंगाल	53957
	योग	177336

छोटे परिवार हेतु मानदंड

***33. श्री पवन कुमार बंसल:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने हेतु छोटे परिवार के मानदंडों विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के संबंध में, को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करने संबंधी किसी पैकेज की घोषणा करने की है जैसा कि 8 दिसम्बर, 2002 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय होगा; और

(ग) इसको अंतिम रूप कब दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) संसद द्वारा यथाअनुमोदित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 का उद्देश्य जनसंख्या संबंधी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर 2045 तक स्थिर जनसंख्या का लक्ष्य हासिल करना है। इस नीति के अनुसार, उन्नत सेवाओं पर पहुंच को बेहतर बनाने तथा लोगों की सक्रिय भागीदारी तथा सहभागिता पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। सामान्तया ऐसा विश्वास किया जाता है कि सामाजिक सहमति पर आधारित ऐसा दृष्टिकोण अधिक दीर्घकालिक होता है। वैसे, छोटे परिवार के मानदण्ड को बढ़ावा देने के लिए हतोत्साहनों के बारे में अपेक्षाकृत अधिक राष्ट्रीय सहमति की जरूरत होगी।

अधिकांश गरीब लोग भुगतान करने की असमर्थता के कारण समय पर स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी सेवाओं तक नहीं पहुंच पाते। इसके अतिरिक्त, छोटे परिवार के मानदण्ड अपनाने का एक महत्वपूर्ण निर्धारक महिलाओं तथा बच्चों का स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा है। इन दो विषयों पर ध्यान देने के लिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में गरीबी रेखा के नीचे के वैसे दम्पत्तियों, जिनके दो से अधिक जीवित बच्चे नहीं हैं, को अस्पताली उपचार, जो 5,000 रुपए से अधिक नहीं है, के लिए कवर करने हेतु एक परिवार कल्याण से जुड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना तैयार करने पर विचार किया गया है। अब इस योजना के ब्यौरे विशेषज्ञों तथा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके तैयार किए जा रहे हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजन के लिए 250.00 करोड़ रुपए की राशि नियत की गई है।

सेल्यूलर आपरेटरों का उत्पीड़न

***34. श्री भास्करराव पाटील:**
डा. चरणदास महंत:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टी.आर.ए.आई. (ट्राई) ने हाल ही में दिल्ली में सेल्यूलर सेवा बाधित करने के लिए एम.टी.एन.एल. से कोई स्पष्टीकरण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या एम.टी.एन.एल. द्वारा निजी सेल्यूलर आपरेटरों और उनके ग्राहकों को जानबूझकर परेशान किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि ऐसी समस्याएं पुन: उत्पन्न नहीं होंगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) ट्राई (टीआरएआई) ने दिनांक 20.1.2003 तक एमटीएनएल से इस संबंध में सूचना मांगी थी कि सेवा में व्यवधान क्यों और किस हद तक रहा क्योंकि ट्राई की जानकारी में यह बात आई थी कि एमटीएनएल और निजी सेल्यूलर सेवा प्रचालकों के उपभोक्ताओं को पिछले तीन-चार दिनों से एक-दूसरे से संपर्क करने में कठिनाई आ रही थी। एमटीएनएल ने ट्राई को अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत कर दी थी।

(ख) और (ग) प्रचालकों के बीच इंटरकनेक्शन की कुछ शर्तों पर मतभेद के कारण नेटवर्क में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो गई थीं। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए ताकि सभी इंटर कनेक्शन लिंक ठीक तरह से काम करें और सेवाएं सामान्य हों।

(घ) ट्राई अधिनियम के तहत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को ऐसी स्थितियों और विशेषकर सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) पर निगरानी रखने का अधिकार है। ट्राई ने बुनियादी और सेल्युलर दोनों प्रकार के प्रचालकों के लिए क्यूओएस विनियमन जारी किए हैं जिनकी समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निगरानी की जाती है।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री की ग्रामीण संचार योजना

***35. श्री रामजीलाल सुमन:**
श्री नवल किशोर राय:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गांवों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए "प्रधान मंत्री की ग्रामीण संचार योजना" के अंतर्गत कोई समयबद्ध योजना क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है;

(ग) देश के सभी गांवों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) उन गांवों की राज्य-वार संख्या कितनी है जहां दिसम्बर, 2002 तक टेलीफोन सेवा पहले ही शुरू की जा चुकी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) जी, नहीं। "प्रधान मंत्री की ग्रामीण संचार योजना" जैसी कोई योजना नहीं है।

(ग) और (घ) नई दूरसंचार नीति-1999 के लक्ष्यों में से एक लक्ष्य 1991 की जनगणना के अनुसार सभी राजस्व गावों को 2002 तक दूरसंचार सुविधा प्रदान करना था। किन्तु पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर राज्य में सुरक्षा संबंधी कारणों तथा उपग्रह आधारित टेलीफोनों के वित्तपोषण सम्बन्धी समस्याओं व निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों के खराब कार्य-निष्पादन के कारण यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। जिन गांवों को उपग्रह के माध्यम से यह सुविधा दी जानी है उन्हें छोड़कर, शेष सभी गांवों को 2003 के अंत तक उक्त सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है। जिन गांवों में, दिसम्बर, 2002 तक उक्त सेवा शुरू की जा चुकी है, उनका राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I तथा II में दिया गया है।

विवरण-I

31.12.2002 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की राज्यवार स्थिति (बीएसएनएल)

क्र. सं.	राज्य	गांवों की कुल सं.	31.12.2002 की स्थिति के अनुसार प्रदान किये गये ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की कुल सं.
1	2	3	4
1.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	201	197
2.	आंध्र प्रदेश	29460	23419
3.	असम	24685	17691
4.	बिहार	41077	38370
5.	झारखण्ड	31703	26270
6.	गुजरात	18125	11214
7.	हरियाणा	6850	6811

1	2	3	4
8.	हिमाचल प्रदेश	16925	16585
9.	जम्मू-कश्मीर	6764	4094
10.	कर्नाटक	27066	27060
11.	केरल	1468	1468
12.	मध्य प्रदेश	51806	37597
13.	छत्तीसगढ़	19720	14633
14.	महाराष्ट्र	42467	31541
15.	पूर्वोत्तर-I		
	मेघालय	5555	1633
	मिजोरम	708	603
	त्रिपुरा	862	748
16.	पूर्वोत्तर-II		
	अरुणाचल प्रदेश	3389	711
	मणिपुर	2439	751
	नागालैंड	1192	803
17	उड़ीसा	46989	40314
18.	पंजाब	12687	12687
19.	राजस्थान	39483	23858
20.	तमिलनाडु	17899	17899
21.	उत्तर प्रदेश	103396	97123
22.	उत्तरांचल	15610	11596
23.	पश्चिमी बंगाल	38347	37369
24.	सिक्किम	427	374
25.	दिल्ली	191	191
	योग	607491	503610

*हरियाणा में 39 गांव आबादी रहित हैं।

विवरण-II

31.12.2002 की स्थिति के अनुसार निजी लाइसेंसधारक द्वारा प्रदान किए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी)

लाइसेंसधारक तथा लाइसेंसशुदा सर्किल/राज्य	31.12.2002 की स्थिति के अनुसार प्रदान किए गए कुल वीपीटी
मैं. टाटा टेलीसर्विसेज (आंध्र प्रदेश)	1314
मैं. रिलायन्स टेलीकॉम (गुजरात)	2894
मै. एचएफसीएल इन्फोटेल लि. (पंजाब)	734*
मैं स्यूजेज़ टेलीकॉम (इंडिया) लि. (महाराष्ट्र)	1140
मैं. भारती टेलीनेट लि. (मध्य प्रदेश)	348
मैं. श्याम टेलीलिंक लि. (राजस्थान)	693
कुल	7123

*पंजाब के सभी गांवों को यह सुविधा प्रतिस्थापन सुविधा के रूप में उपलब्ध करायी गयी है।

[अनुवाद]

भारतीयों को चेतावनी

***36. श्री एन.एन. कृष्णदास:**
श्री जी.एम. बनातवाला:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने भारतीयों को अप्रैल, 2003 तक देश छोड़कर चले जाने की चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो इस आदेश से कुल कितने व्यक्ति प्रभावित होंगे;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों से बात की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु कोई कल्याण कोष बनाया है; और

(च) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (च) संयुक्त अरब अमीरात की सरकार द्वारा प्रवासियों को अप्रैल, 2003 तक देश छोड़ने के लिए कोई अल्टिमेटम जारी नहीं किया गया है। तथापि, संयुक्त अरब अमीरात की सरकार द्वारा उन प्रवासियों के लिए जो संयुक्त अरब अमीरात में अवैध रूप से रह रहे हैं, 30 अप्रैल, 2003 तक देश छोड़ने के लिए एक सामान्य सर्वक्षमा योजना की घोषणा की है।

इस आदेश से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या अधिक होने की उम्मीद नहीं है।

भारत का राजदूतावास इस सर्वक्षमा योजना की पद्धतियों और कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क बनाए हुए है।

सरकार ने प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए कोई कल्याण निधि नहीं बनाई है।

[अनुवाद]

बिना टेलीफोन वाले गांवों की संख्या

*37. **श्री नरेश पुगलिया:**
श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अभी भी अनेक गांवों में टेलीफोन सुविधा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गांवों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने देश में सभी गांवों को सार्वजनिक टेलीफोन से जोड़ने हेतु योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) जी, हां। 1991 की जनगणना के अनुसार 31.1.2003 तक 96363 ऐसे राजस्व गांव हैं जिन्हें अभी ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी है। भारत संचार निगम लिमिटेड तथा निजी लाइसेंसधारकों द्वारा प्रदान किए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) नई दूरसंचार नीति-99 के लक्ष्यों में से एक लक्ष्य वर्ष 2002 तक सभी गांवों को दूरसंचार सुविधा प्रदान करना था। किन्तु पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर राज्य में सुरक्षा संबंधी कारणों तथा उपग्रह आधारित टेलीफोनों की वित्तपोषण संबंधी समस्या व निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों के खराब कार्य-निष्पादन के कारण यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। जिन गांवों को उपग्रह के माध्यम से उक्त सुविधा प्रदान की जानी है उन्हें छोड़कर भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में उल्लिखित सभी राजस्व गांवों को 2003 के अंत तक यह सुविधा उपलब्ध हो जाने की संभावना है।

विवरण

31.1.2003 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की राज्यवार स्थिति

क्र. सं.	राज्य	गांवों की कुल सं.	31.1.2003 की स्थिति के अनुसार भारत संचार निगम लि. द्वारा प्रदान किए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की कुल सं.	31.1.2003 की स्थिति अनुसार निजी लाइसेंसधारक द्वारा प्रदान किए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की कुल सं.	31.1.2003 की स्थिति के अनुसार सुविधा रहित गांवों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	201	197		4
2.	आंध्र प्रदेश	29460	23419	1314	4727
3.	असम	24685	17984		6701

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	41077	38370		2701
5.	झारखण्ड	31703	26270		5433
6.	गुजरात	18125	11214	3564	3347
7.	हरियाणा	#6850	6811		0
8.	हिमाचल प्रदेश	16925	16585		340
9.	जम्मू-कश्मीर	6764	4096		2668
10.	कर्नाटक	27066	27065		1
11.	केरल	1468	1468		0
12.	मध्य प्रदेश	51806	37597	348	13861
13.	छत्तीसगढ़	19720	14633		5087
14.	महाराष्ट्र	42467	31541	1127	9799
15.	पूर्वोत्तर-I				
	मेघालय	5555	1642		3913
	मिजोरम	708	603		105
	त्रिपुरा	862	748		114
16.	पूर्वोत्तर-II				
	अरुणाचल प्रदेश	3389	711		2678
	मणिपुर	2439	766		1673
	नागालैंड	1192	808		384
17	उड़ीसा	46989	40342		6647
18.	पंजाब	12687	12687	830*	0
19.	राजस्थान	39483	23858	721	14904
20.	तमिलनाडु	17899	17899		0
21.	उत्तर प्रदेश	103396	97170		6226
22.	उत्तरांचल	15610	11597		4013
23.	पश्चिम बंगाल	38347	37369		978
24.	सिक्किम	427	374		53
25.	दिल्ली	191	191		0
	योग	607491	504015	7074	96363

*पंजाब में उक्त सभी गांवों को जो सुविधा दी गई है वह केवल प्रतिस्थापित सुविधाएं हैं।

#हरियाणा में 39 गांव, आबादी रहित हैं।

[अनुवाद]

एड्स से होने वाली मौतें

***38. श्री प्रबोध पण्डा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान 'एड्स' के कारण राज्य-वार कितनी मौतें हुई हैं; और

(ख) एड्स के फैलने को रोकने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन को देश में एड्स से 2159 मौतें होने की सूचना मिली है।

पिछले चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार और वर्षवार मौतों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण उपाबंधित है।

भारत सरकार राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और नगरीय स्तरों पर स्वायत्तशासी एड्स नियंत्रण सोसायटियों के जरिए एक राष्ट्रव्यापी व्यापक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इस कार्यक्रम के मुख्य घटक इस प्रकार हैं:-

(1) (क) यौन कर्मियों, परिवहन कर्मियों, इंजेक्शन द्वारा नशीली औषधों का इस्तेमाल करने वालों, पुरुषों के साथ यौन क्रिया करने वाले पुरुषों, प्रवासी कार्यकर्त्ताओं, एच.आई.वी. संक्रमण के प्रति अतिसंवेदनशील औद्योगिक कार्यकर्त्ताओं, आवारा बच्चों और मलिन बस्तियों की जनसंख्या जैसे एच.आई.वी. संक्रमण और संचरण के उच्चतम खतरे वाले समाज के उपेक्षित वर्गों के बीच लक्षित कार्यकलाप चलाकर; (ख) परिधीय जन स्वास्थ्य संस्थाओं में लाक्षणिक उपचार के जरिए और आउटरीच सेवाओं के जरिए यौन संचारित रोगों को नियंत्रित करके; और (ग) एच.आई.वी. के यौन संबंधी संचरण को रोकने के लिए कंडोम को बढ़ावा देकर एच.आई.वी. संचरण को कम करके; समुदाय के संक्रमण के उच्च खतरे वाले गरीब और उपेक्षित वर्गों के बीच एच.आई.वी. संक्रमण को कम करना;

(2) सामान्य जनसंख्या जिसे निम्नतर खतरे वाला समझा जाता है के बीच- (क) एच.आई.वी., हैपेटाइटिस 'बी', और 'सी', मलेरिया तथा सिफिलिस के लिए अनिवार्य जांच सुनिश्चित करके और तकनीकी कार्मिक शक्ति विकसित करके रक्त की अधिक उपलब्धता और उसके विवेकपूर्ण इस्तेमाल के लिए देश में रक्ताधान सेवाओं का आधुनिकीकरण करके रक्त आधारित संचरण में कमी करके; (ख) जागरूकता स्तरों में वृद्धि करने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियान चलाकर; और (ग) एच.आई.वी. के लिए स्वैच्छिक परामर्श और जांच को बढ़ावा देकर एच.आई.वी. के फैलने को कम करना;

(3) (क) प्रमाण आधारित नियोजन अनुक्रिया में मदद करने के लिए देश के सभी भागों में एच.आई.वी., यौन संचारित संक्रमणों, व्यवहार स्वरूपों और सामाजिक निर्धारकों संबंधी निगरानी पद्धतियों की मात्रा, गुणवत्ता और सामयिकता में वृद्धि करके; (ख) कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों की तकनीकी तथा प्रबंधकीय क्षमताओं में सुधार लाकर; (ग) एच.आई.वी./एड्स रोगियों के उपचार में चिकित्सा तथा पराचिकित्सा कार्मिकों को प्रशिक्षित करके; तथा (घ) हमउम्र व्यक्ति द्वारा पुनरीक्षित उच्च स्तरीय प्रतियोगी तथा युक्तिसंगत अनुसंधान एवं विकास में सहायता करके कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना;

(4) (क) क्षयरोग सहित बीच-बीच में होने वाले संक्रमणों के उपचार के लिए औषधें प्रदान करके; (ख) एच.आई.वी./एड्स रोगियों का उपचार करते समय एच.आई.वी./एड्स से आकस्मिक अरक्षितता की स्थिति में चिकित्सा तथा परा-चिकित्साकर्मियों के लिए अरक्षितता पश्चात् रेट्रोवाइरलरोधी रोगनिरोधन द्वारा; (ग) छह उच्च व्याप्तता वाले राज्यों नामत: तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर तथा नागालैंड में प्रसवपूर्व (एंटीनेटल) क्लिनिकों में आने वाली एच.आई.वी. पोजिटिव गर्भवती महिलाओं तथा उनके बच्चों को नेविरेपीन की एकल खुराक देकर; (घ) एच.आई.वी./एड्स से ग्रस्त लोगों को उनके नेटवर्क/स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रोत्साहित करके, जिससे कि एच.आई.वी./एड्स से ग्रस्त लोगों के लिए परिचर्या तथा सहायता सुलभ हो सके; एच.आई.वी./एड्स से ग्रस्त लोगों के लिए समुदाय आधारित कम लागत वाली परिचर्या की प्रदानगी;

(5) महामारी के प्रति व्यापक आधारित अनुक्रिया हेतु सार्वजनिक, निजी तथा स्वैच्छिक क्षेत्रों के साथ बहुक्षेत्रीय सहयोग सुनिश्चित करना। इस समय, देश में 700 से

अधिक लक्षित नैदानिक परियोजनाएं गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, गैर सरकारी संगठनों को सामुदायिक परिचर्या केन्द्र तथा स्कूल एड्स शिक्षा कार्यक्रम चलाने में शामिल किया जा रहा है।

रक्षा, रेल, श्रम, इस्पात, खेल और युवा मामले, महिला तथा बाल विकास तथा सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता जैसे विभिन्न मंत्रालय/विभाग राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की वित्तीय तथा तकनीकी सहायता से अपने-अपने क्षेत्रों में एच.आई.वी./एड्स निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम चला रहे हैं।

विवरण

पिछले चार वर्षों के दौरान एड्स से हुई मौतों की राज्यवार सूचित संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	1999	2000	2001	2002
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	53	36
2.	असम	—	1	—	2
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
4.	अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह	—	7	2	7
5.	बिहार	5	7	1	—
6.	चण्डीगढ़	—	13	29	22
7.	पंजाब	—	—	—	2
8.	दिल्ली	—	24	27	17
9.	दमण एवं दीव	—	—	—	—
10.	दादरा एवं नागर हवेली	2	—	—	—
11.	गोवा	—	3	15	8
12.	गुजरात	12	—	20	46
13.	हरियाणा	—	5	—	—
14.	हिमाचल प्रदेश	6	—	—	1
15.	जम्मू-कश्मीर	—	—	—	—
16.	कर्नाटक	20	19	27	37
17.	केरल	13	—	—	—
18.	लक्षद्वीप	4	—	—	—
19.	मध्य प्रदेश	—	50	5	7
20.	महाराष्ट्र	80	77	176	271
21.	मणिपुर	2	17	50	24
22.	मिजोरम	—	7	—	5

1	2	3	4	5	6
23.	मेघालय	1	—	—	—
24.	नागालैंड	12	25	28	35
25.	उड़ीसा	—	—	—	—
26.	पांडिचेरी	71	—	—	—
27.	राजस्थान	—	—	—	—
28.	सिक्किम	1	—	—	—
29.	तमिलनाडु	—	119	249	146
30.	त्रिपुरा	—	—	—	—
31.	उत्तर प्रदेश	—	4	15	3
32.	पश्चिम बंगाल	—	—	68	—
33.	अहमदाबाद नगर निगम	—	—	—	2
34.	मुम्बई नगर निगम	—	—	—	116
	कुल	229	378	765	787

स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का पूरा किया जाना

*39. **श्री रामशेठ ठाकुरः** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 जनवरी, 2003 के 'दि हिन्दू' के ''गोल्डन क्वाड्रिलैटेरल प्रोजेक्ट मे मिस डेडलाइन'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) जी हां।

(ख) से (घ) ब्यौरे इस विवरण के अनुबंध में दिए गए हैं।

विवरण

क्र. सं.	रिपोर्ट मामले के तथ्य	सरकार की प्रतिक्रिया
1	2	3
1.	सीआरआईएस-आईएनएफएसी रिपोर्ट के अनुसार, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना को दिसम्बर, 2004 तक पूरा करने के लक्ष्य में एक वर्ष तक का विलंब होने की	स्वर्णिम चतुर्भुज को पूरा करने का लक्ष्य दिसम्बर, 2004 है। यद्यपि, लगभग 40 प्रतिशत ठेके जुलाई, 2001 के बाद सौंपे गए हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज पर अधिकांश परियोजनाओं के दिसम्बर, 2004

1	2	3
	संभावना है क्योंकि 40 प्रतिशत से अधिक ठेके जुलाई, 2001 के बाद ही सौंपे गए हैं।	तक पूरे हो जाने की संभावना है। इनमें से अनेक परियोजनाओं के इस तारीख से पहले पूरे हो जाने की उम्मीद है। तथापि, कुछ परियोजनाएं जैसे रा.रा.-8 पर हिम्मतनगर-चिलोड़ा और रा.रा.-2 पर इलाहाबाद बाइपास इस तारीख तक पूरे नहीं किए जा सकेंगे क्योंकि मुकदमे की समस्याओं और विदेशी ऋणदाता एजेंसियों की प्रक्रियागत अपेक्षाओं के कारण इन परियोजनाओं के ठेके नहीं सौंपे जा सके।
2.	इसी प्रकार, रिपोर्ट के अनुसार उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग राजमार्ग परियोजना जिसकी वित्तपोषण योजना को मंत्रिमंडल समिति द्वारा अभी अनुमोदित किया जाना है, में भी 2007 तक पूरा करने की नियत तारीख से आगे समय लग सकता है।	उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्गों को पूरा करने का मूल लक्ष्य दिसम्बर, 2000 था जिसे कम करके दिसम्बर, 2007 कर दिया गया है। इसके कार्यान्वयन और इसे दिसम्बर, 2007 तक पूरा करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है।
3.	रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना योजनाओं को कुशलता पूर्वक कार्यान्वित कर रहा है और "कार्य के वृहदाकार को देखते हुए कुछ सीमा तक विलंब उचित है," इससे ऋणों की अदायगी की इसकी क्षमता बढ़ेगी तथा ठेकेदारों और वार्षिकी आधारित परियोजनाओं के लिए भुगतान की इसकी संविदात्मक बाध्यता आसान होगी।	कोई टिप्पणी नहीं।
4.	सीआरआईएस-आईएनएफएसी रिपोर्ट में कहा गया है कि सड़क नेटवर्क कार्यक्रम से प्रवासी कार्यबल को पर्याप्त रोजगार मिला है तथा निर्माण क्षेत्र और अन्य उद्योगों को बढ़ावा मिला है।	अनुमान के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण-1 से 18 करोड़ श्रम दिवस के बराबर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यह भी अनुमान है कि 2001-2004 की अवधि में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के निर्माण के कारण सीमेंट और इस्पात की औसत वार्षिक आवश्यकता क्रमशः 3-4 मिलियन मिट्रिक टन और 0.3 मिलियन मिट्रिक टन होगी। उपस्कर विनिर्माण उद्योग और वाहन विनिर्माण उद्योग में भी इसका प्रभाव महसूस किया जा रहा है।
5.	निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने तथा व्यापक भागीदार सुनिश्चित करने के लिए प्राप्य लाभों की संविक्षा करके एक सक्रिय अनुपूरक बाजार तैयार करने की आवश्यकता है।	मुख्यतः सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी प्राप्त कर ली गई है।

[हिन्दी]

डाक वितरण

*40. **श्री हरिभाई चौधरी:**
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को डाक घरों द्वारा लोगों को डाक विलंब से वितरित किए जाने/न किए जाने/गलत डाक वितरित करने संबंधी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) यदा-कदा विलंब, वितरण न होने और गलत वितरण की शिकायतें मिलती हैं पर निपटाई गई डाक की कुल मात्रा की तुलना में यह कम हैं। वर्ष 2001-2002 के दौरान विलंब से वितरण और गलत वितरण से संबंधित 71,038 शिकायतें प्राप्त हुई जबकि विभाग ने कुल 1114.40 करोड़ डाक मदों का निपटान किया। इस प्रकार कुल परियात की तुलना में शिकायतों का प्रतिशत 0.0006 था।

डाक के विलंब से वितरण के लिए उत्तरदायी कारणों में से अनेक विभाग के नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे डाक ले जाने वाले विमानों, ट्रेनों और बसों का रद्द होना या विलंब से चलना, प्राकृतिक आपदाएं, बंद जैसे नागरिक उपद्रव। इसी प्रकार, डाक का वितरण न होने गलत वितरण के लिए अधूरे/गलत पते, पिन कोड न लिखा जाना आदि कारण भी जिम्मेवार होते हैं। कभी-कभी विभागीय कर्मचारियों की ओर से हुई मानवीय भूल के मामले भी ध्यान में आते हैं, जिन पर विभाग द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है।

डाक वितरण सेवा में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। इस दिशा में विभाग द्वारा विशेष रूप से उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) डाक की भारी मात्रा की तेजी से प्रोसेसिंग करने के लिए मुंबई और चेन्नई में आटोमैटिक मेल प्रोसेसिंग केंद्रों की स्थापना;

(2) प्रमुख डाक केंद्रों पर पंजीकरण छंटाई कार्य का कंप्यूटरीकरण;

(3) ट्रांजिट मेल कार्यालयों का चरणबद्ध रूप में कंप्यूटरीकरण;

(4) शीघ्रता से पृथक्कीकरण, ट्रांसमिशन और त्वरित वितरण करने के लिए डाक का विभिन्न चैनलों जैसे ग्रीन चैनल, मैट्रो चैनल, राजधानी चैनल, बिजनेस चैनल, पत्रिका चैनल आदि में विभाजन;

(5) जांच-पत्र और परीक्षण-पत्र भेजकर मेल रूटिंग और वितरण की नियमित मॉनीटरिंग;

(6) विकासशील शहरी बस्तियों में पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती के उद्देश्य से वितरण-प्रणाली को पुनर्गठित करना/युक्तिसंगत बनाना;

(7) पर्यवेक्षी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा डाक वितरण की आकस्मिक जांच;

(8) कमजोर संपर्कों की पहचान करने तथा डाक ट्रांसमिशन-वितरण प्रणाली में सुधार के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर लाइव मेल सर्वे;

(9) डाक ट्रांसमिशन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एयरलाइन्स, रेलवे और राज्य सड़क परिवहन प्राधिकरणों के साथ नियमित समन्वय बैठकें;

(10) थोक मात्रा में डाक भेजने वालों को पूर्व-छंटाई के लिए प्रेरित करना;

(11) ग्राहकों को बहुमंजिला भवनों के भूतल पर मेल बाक्स लगाने के बारे में बताना;

(12) थोक मात्रा में भेजने वालों के लिए गंतव्य डाक कार्यालयों में पंजीकरण सूची की तीन प्रतियां तैयार करना ताकि वितरण डाकघर पर बोझ कम पड़े और ऐसी डाक का वितरण भी तेजी से हो सके;

(13) 230 कंप्यूटरीकृत ग्राहक सेवा केंद्रों की स्थापना और जनशिकायतों के तेजी से निपटारे के लिए अपनी वेबसाइट के माध्यम से जन-शिकायतों की आन-लाइन प्रोसेसिंग;

(14) ग्राहकों की बेहतर सेवा के लिए वचनबद्धताओं, कर्तव्यों और सेवा मानकों की जानकारी से युक्त नागरिक घोषणा-पत्र जारी करना तथा कर्मचारियों को इन मानकों से अवगत करना;

(15) प्रौद्योगिकी की शुरुआत और शिकायतों के निपटान की संशोधित प्रक्रिया से शिकायतें निपटाने की समय सीमा में कमी लाना;

(16) पंजीकृत वस्तुओं के वितरण प्रबंधन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाना।

सी.टी. स्कैन मशीनों की संस्थापना

153. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा मेडिकल कालेज और अस्पताल, चंडीगढ़ में सी.टी. स्कैन मशीनों की संस्थापना हेतु धनराशि के आवंटन के बावजूद सी.टी. स्कैन मशीनें अभी तक संस्थापित नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वहां सी.टी. स्कैन मशीनें कब तक संस्थापित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) सरकारी मेडिकल कालेज और अस्पताल, चंडीगढ़, के अनुसार सी.टी. स्कैन मशीन लगाने के लिए भारत सरकार से ऐसी कोई निधियां प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, चंडीगढ़ प्रशासन ने सी.टी. स्कैन मशीन लगाने के लिए निधियों की व्यवस्था की है। कालेज में सी.टी. स्कैन मशीन का लगाया जाना टेंडर और उसके बाद आवश्यक स्वीकृति मिलने पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

विदेशों में भारतीय मिशनों के वाणिज्यिक स्कंध

154. **श्री जे.एस. बराड़:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में भारतीय मिशनों में वाणिज्यिक स्कंध हैं;

(ख) यदि हां, तो इन वाणिज्यिक स्कंधों की स्थापना करने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं और उन्हें क्या कार्य सौंपे गए हैं;

(ग) क्या भारतीय उद्योगों को इससे कोई लाभ हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार उनमें कर्मचारी पैटर्न की समीक्षा करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) जी, हां।

(ख) किसी विशिष्ट देश के साथ व्यापार और अन्य आर्थिक संबंधों में वृद्धि संबंधी क्षमता को देखते हुए वाणिज्यिक स्कंध स्थापित किए गए हैं। बाजार सूचना तथा नीति निर्माण में अन्य सामग्री तथा विभिन्न निर्यात और निवेश संवर्धन गतिविधियों के लिए समर्थन प्रदान करते हुए, भारत के व्यापारिक और आर्थिक संबंध संवर्धित करने के लिए विदेशों में ये मूल संस्थागत रूपरेखा बन गए हैं।

(ग) और (घ) चूंकि व्यापार संवर्धन अनेक घटकों पर निर्भर करता है, लाभों की मात्रा को बताना कठिन है जो प्रत्यक्ष रूप से वाणिज्यक स्कंधों से प्राप्त होती है। तथापि, भारतीय मिशनों तथा केन्द्रों ने वस्तुओं तथा सेवाओं के भारत के निर्यातों में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण रूप से योगदान किया है। भारतीय उद्योगों को निर्यात संवर्धन तथा निवेश गतिविधियों के संबंध में सूचना के प्रसार, बाजार सूचना, आने वाले व्यवसायियों तथा शिष्टमंडलों के व्यापारिक सरलीकरण तथा व्यापारिक विवाद समाधान में सहायता के जरिए सहित अनेक तरीकों से वाणिज्यिक स्कंधों की गतिविधि से लाभ हुआ है।

(ङ) और (च) विदेश स्थित भारतीय मिशनों और केन्द्रों के वाणिज्यिक स्कंधों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन और समीक्षा नियमित रूप से की जाती है।

[हिन्दी]

पी.जी.आई. चंडीगढ़ को धनराशि का आवंटन

155. **श्री रतन लाल कटारिया:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पी.जी.आई., चंडीगढ़ को कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) गरीब रोगियों को मुफ्त दवाएं हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने रोगी लाभान्वित हुए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ को पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना और गैर-योजना के अन्तर्गत प्रदान किए गए सहायता अनुदान की राशि निम्नलिखित हैं:-

(रुपए लाख में)

वर्ष	योजना	गैर-योजना
1999-2000	2500.00	9606.00
2000-2001	2200.00	9120.00
2001-2002	2900.00	9460.00

(ख) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान ने निर्धन रोगियों को निःशुल्क औषधियां देने के लिए अलग से निधियां निर्धारित नहीं की हैं। तथापि, यह संस्थान आपाती/आईसीयू/ सामान्य वार्ड में भर्ती हुए अंतरंग और बाह्य रूप से ईलाज कराने वाले निर्धन रोगियों को औषधियां प्रदान करता है। वास्तव में जरूरतमंद और निर्धन रोगी और अस्पताल को देय राशि जमा करने में असमर्थ रोगियों को भर्ती के समय ही निर्धन घोषित कर दिया

जाता है। इमरजेंसी में रोगी अस्पताल में पहले 48 घंटों में किए गए किसी भी जांच/उपचार के लिए भुगतान नहीं करता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 1,53,000 बाह्य रोगी और 1,23,651 अंतरंग रोगी लाभान्वित हुए।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में डब्ल्यूएलएल आधारित टेलीफोन

156. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्र में अब तक कितने डब्ल्यूएलएल टेलीफोन मंजूर किए गए हैं;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या सरकार की डब्ल्यूएलएल टेलीफोन के उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या को देखते हुए सुन्दरबन क्षेत्र में डब्ल्यूएलएल आधारित टेलीफोन केन्द्र की स्थापना करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो नए टेलीफोन केन्द्र के कब तक काम करना शुरू करने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हेपेटाइटिस-'बी' टीके का मूल्य

157. श्री किरीट सोमैया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हेपेटाइटिस-'बी' टीके के मूल्यों में कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो हेपेटाइटिस-'बी' प्रायोगिक परियोजना के लिए किस दर पर हेपेटाइटिस-'बी' के टीके प्राप्त किए गए हैं;

(ग) क्या 'यूनिसेफ' भी उपर्युक्त टीके प्राप्त करने जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन टीकों का मूल्य क्या है और इसमें कितना अनुदान अथवा आसान शर्तों पर ऋण शामिल है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) संयुक्त राष्ट्र अन्तरराष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनिसेफ) के माध्यम से ग्लोबल एलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाईजेशन (जी.ए.वी.आई.) से हेपेटाइटिस-'बी' वैक्सीन प्राप्त किया जा रहा है और 15.36 रुपए प्रति खुराक (0.32 अमरीकी डालर) की दर से इसकी खरीद की जा रही है। इन वैक्सीनों की आपूर्ति ग्लोबल एलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाईजेशन (जी.ए.वी.आई.) द्वारा सामग्रीगत सहायता के रूप में की जा रही है। यूनिसेफ केवल अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली स्तर पर इस वैक्सीन की खरीद (प्रोक्यूरमेंट) में सहायता कर रहा है।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंड

158. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में सभी अस्पताल उक्त मानदंडों का अनुपालन करते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए मानक निर्धारित किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खासकर वैक्सीन, औषध आदि सरीखे फार्मासियुटिकल उत्पादों के लिए मानक निर्धारित किए हैं। तथापि, अस्पताल प्रबन्धन अथवा प्रशासन हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन मानक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन कनेक्शन

159. श्री हरिभाई चौधरी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 फरवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में टेलीफोन कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची में जिले-वार कुल कितने व्यक्ति हैं; और

(ख) इन लोगों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कराए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) 1.2.2003 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में 171559 आवेदकों के नाम दर्ज हैं। जिलेवार ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को मार्च 2004 तक उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने की संभावना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों और नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलना वित्तीय रूप से व्यवहार्य हो।

विवरण

1.2.2003 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में प्रतीक्षा सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	1 फरवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
1	2	3	4
1.	बांकुरा	बांकुरी	9209
2.	बीरभूम	सूरी	8612
3.	बर्दवान	आसनसोल	22380
4.	कूचबिहार	कूचबिहार	3127
5.	दार्जिलिंग	सिलीगुड़ी	6695
6.	दिनाजपुर (उ.)	रायगंज	1086
7.	दिनाजपुर (द.)	रायगंज	1204
8.	हुगली	कोलकाता	13259
9.	हावड़ा	कोलकाता	12564
10.	जलपाईगुड़ी	जलपाईगुड़ी	4288
11.	कोलकाता	कोलकाता दूरसंचार जिला	0
12.	मालदा	मालदा	5442
13.	मिदनापुर	खड़गपुर	27243
14.	मुर्शिदाबाद	बेरहामपुर	10186
15.	नादिया	कृष्णानगर	13500
16.	नार्थ 24 परगना	कोलकाता	15182
17.	पुरूलिया	पुरूलिया	2620
18.	साउथ 24 परगना	कोलकाता	14962
		कुल	171559

भारत और श्रीलंका के मध्य पुल

160. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और श्रीलंका के प्रधान मंत्री ने तमिलनाडु में रामेश्वरम और श्रीलंका में तलाईमनार को जोड़ने वाले बीस कि.मी. लंबे पुल के निर्माण का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पुल के तकनीकी और वित्तीय पहलुओं का ब्योरा क्या है;

(ग) इस पुल के निर्माण के बाद इस पुल के स्वामित्व का ब्योरा क्या है; और

(घ) इस पुल के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी]: (क) भारत और श्रीलंका, दोनों देशों के बीच भूमि पुल के संबंध में साध्यता अध्ययन शुरू करने पर सहमत हो गए हैं।

(ख) से (घ) यह प्रस्ताव अभी अवधारणा के स्तर पर है और इसलिए इसके बारे में अभी कोई ब्योरे नहीं दिए जा सकते।

जड़ी-बूटियों का निर्यात

161. श्री सुन्दर लाल तिवारी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न देशों से जड़ी-बूटियों के अमेरिकी आयात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा विदेशों को जड़ी-बूटियों के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाने और देश में जड़ी-बूटियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) वर्ष 2001 के दौरान विभिन्न देशों से जड़ी-बूटियों के अमेरिकी आयात में भारत की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत है।

(ख) भारत सरकार ने औषधीय पादपों की व्यापक पैमाने पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और उनके विकास तथा धारणीय उपयोग से संबंधित सभी मुद्दों का समन्वय करने हेतु औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की है। इन उद्देश्यों के अनुसरण में, देश में घरेलू और निर्यात बाजारों के लिए जड़ी-बूटियों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु बोर्ड ने प्रोत्साहन और वाणिज्य योजनाएं शुरू की हैं।

सुरक्षा नंबर प्लेट

162. **श्री जय प्रकाश: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1 मार्च, 2003 से सभी वाहनों में नए प्रकार की सुरक्षा नंबर प्लेटों का इस्तेमाल करने के लिए सरकार के निर्णय के बारे में सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस तारीख को बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक घोषणा किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी]: (क) से (घ) नए मोटर वाहनों के लिए उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट के कार्यान्वयन की तारीख आगे बढ़ाकर 1 जनवरी, 2004 तक दी गई है क्योंकि अभी हाल में परिवहन विकास परिषद की बैठक में अधिकांश राज्यों ने कहा कि उन्हें इस स्कीम के कार्यान्वयन की तैयारी के लिए समय चाहिए। इस आशय की राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ. 59(अ) दिनांक 21.1.2003 को जारी कर दी गई है।

डाकखानों का आधुनिकीकरण/उन्नयन

163. **श्री शिवाजी माने:**
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा महाराष्ट्र में डाकखानों के आधुनिकीकरण/उन्नयन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) राज्य में पिछले एक वर्ष के दौरान कितने डाकखानों (स्थान-वार और श्रेणी-वार) का आधुनिकीकरण/उन्नयन किया गया है; और

(ग) महाराष्ट्र में शेष डाकखानों का आधुनिकीकरण करने/उन्नयन करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र में डाकघरों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये उनके आधुनिकीकरण/उन्नयन पर लगभग 1.83 करोड़ रु. खर्च किए गए।

(ख) पिछले एक वर्ष अर्थात् 2001-2002 के दौरान पांच डाकघरों का आधुनिकीकरण/उन्नयन किया गया। इनका विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	डाकघर	जिला
1.	कल्याण शहर मुख्य डाकघर	थाणे
2.	इच्छालकरंजी	कोल्हापुर
3.	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर
4.	नासिक रोड	नासिक
5.	शिवाजी नगर	. पुणे

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में 130 और डाकघरों का आधुनिकीकरण किया जाना है। हालांकि, यह आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा होने तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

वाहनों का नवीकरण

164. **श्री वाई.वी. राव: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पंद्रह वर्ष के बाद वाहनों के नवीकरण पर भारी कर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे पुराने वाहनों का उपयोग किस सीमा तक रोकने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी]: (क) से (ग) मोटरयानों का कराधान संबंधित राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आता है। प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए पुराने वाहनों पर अधिक दर पर कराधान से पुराने वाहनों को हटाने के लिए भारत सरकार द्वारा 16.1.2003 को आयोजित परिवहन विकास परिषद की 30वीं बैठक के लिए कार्यसूची की मद के रूप में प्रस्ताव किया गया था। राज्यों के प्रतिनिधि कर्नाटक सरकार द्वारा लगाए गए "ग्रीन सैस" की पद्धति पर कर लगाने के सुझाव पर बैठक में सहमत थे जिसमें 15 वर्ष की अवधि से अधिक पुराने सभी किस्म के मोटर वाहनों पर अधिक दर पर सड़क कर लगाने का प्रस्ताव है। इस संबंध में आगे कार्रवाई राज्यों द्वारा की जानी है। यह पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है कि इससे किस हद तक पुराने वाहनों का प्रयोग नियंत्रित होगा।

उड़ीसा में केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन

165. **श्री परसुराम माझी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में कालाहांडी-बोलनगीर-कोरापुट जिलों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के धीमे कार्यान्वयन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन जिलों में धनराशि के योजना-वार उपयोग का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की सूचना जिला-वार आधार पर नहीं रखी जाती है। तथापि, अविभाजित कालाहांडी-बोलनगीर-कोरापुट जिलों के विकास में राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करने के उद्देश्य से, सूखा बचाव, जीविका सहायता, सुविधाहीन दलों, स्वास्थ्य सेवाओं, आकस्मिक आपूर्ति इत्यादि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए योजना आयोग अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रहा है। विगत तीन वर्षों में आबंटित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित है:

वर्ष	राशि (करोड़ रु.)
1999-2000	57.60
2000-2001	40.35
2001-2002	100.00
कुल	197.95

इस राशि की तुलना में नवंबर, 2002 तक राज्य सरकारों ने 172.56 करोड़ रुपए के व्यय की सूचना दी है।

[हिन्दी]

दूरसंचार रैकेट

166. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कुछ व्यक्ति जाली दस्तावेज के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन लेते हैं और उनका उपयोग लोगों को एस.टी.डी./आई.एस.डी. सेवा प्रदान करने के लिए करते हैं और लाखों रुपए का बिल हो जाने पर टेलीफोन बंद कर देते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक पता लगाए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) उनसे अब तक कितनी धनराशि वसूल की गई है और उन पर कितनी धनराशि बकाया है;

(घ) क्या उन्हें ऐसे कनेक्शन देने में कोई विभागीय अधिकारी/कर्मचारी संलिप्त पाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) सरकार द्वारा ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बाल्मर लॉरी और कंपनी का विनिवेश

167. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बाल्मर लॉरी और कंपनी का विनिवेश करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितने बोलीदाताओं ने इसका निरीक्षण किया है अथवा इस संबंध में बोलियां दी हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) सरकार ने, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड द्वारा धारित बामर लॉरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड के 61.8 प्रतिशत इक्विटी शेयरों के विनिवेश को मंजूरी दे दी है।

(ग) बामर लॉरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड के विनिवेश सौदे के हित में इस चरण पर न तो उन बोलीदाताओं की संख्या का संकेत देना, जिन्होंने अपनी हित की अभिव्यक्तियां प्रस्तुत की हैं अथवा न ही इस बारे में उन बोलीदाताओं की संख्या बताना सम्भव है, जिन्होंने बामर लॉरी एण्ड कम्पनी का निरीक्षण किया है।

[अनुवाद]

चिकित्सीय प्रतिपूर्ति

168. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मान्यताप्राप्त गैर-सरकारी अस्पतालों में बाइपास हृदय रोग शल्य चिकित्सा, हृदयाघात, वृक्क प्रत्यारोपण आदि जैसे रोग के उपचार पर सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को पूर्ण चिकित्सा प्रतिपूर्ति नहीं दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/सरकारी अस्पताल के विशेषज्ञ/औषधालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी से उपचार के बारे में संस्तुति प्राप्त करने के पश्चात और सेवारत कर्मचारियों के मामले में संबंधित कार्यालय/विभाग और पेंशनभोगी लाभार्थियों के मामले में के.स.स्वा. योजना के औषधालयों के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी की पूर्वानुमति से के.स.स्वा. योजना के लाभार्थियों (सेवारत और पेंशनभोगी दोनों) के पास के.स.स्वा. योजना के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न शहरों में के.स.स्वा. योजना के अन्तर्गत मान्यता-प्राप्त निजी अस्पतालों/ नैदानिक केन्द्रों में सामान्य/विशेषज्ञतापूर्ण उपचार और नैदानिक क्रियाविधि का लाभ उठाने का विकल्प है।

दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, कानपुर, मेरठ, मुम्बई, त्रिवेन्द्रम, पटना, रांची, लखनऊ और पुणे के लिए के.स.स्वा. योजना के अन्तर्गत निदेशक, के.स.स्वा. योजना के प्रत्येक मान्यताप्राप्त निजी अस्पताल के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह सहमति ज्ञापन के.स.स्वा. योजना के लाभार्थियों (सेवारत और पेंशनभोगी दोनों) से के.स.स्वा. योजना के अंतर्गत विभिन्न चिकित्सीय क्रियाविधियों/परीक्षणों/जांचों के लिए नियत की गई दरों से अधिक दरें न लेने के लिए बाध्य करता है। तथापि, पेसमेकर इत्यादि जैसे कतिपय उपकरण/यन्त्रों की प्रतिपूर्ति सीमित दरों तक सीमित है।

सर्वाधिक कृपापात्र राष्ट्र का दर्जा

169. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत को सर्वाधिक कृपापात्र राष्ट्र के दर्जे को नकार दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपनी ओर से पाकिस्तान को सर्वाधिक कृपापात्र राष्ट्र का दर्जा दिया था और बदले में इस्लामाबाद से ऐसा करने के लिए कहा था; और

(घ) यदि हां, तो भारत के अपनी ओर से पाकिस्तान को सर्वाधिक कृपापात्र राष्ट्र का दर्जा देने के पीछे क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) और (ख) विश्व व्यापार संगठन सहित अन्य संस्थाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के विपरीत पाकिस्तान ने भारत को अनुकूलतम राष्ट्र का दर्जा नहीं देने के पीछे अन्य बातों के साथ-साथ बाहरी सुरक्षा, राजनैतिक और आर्थिक कारण बताए हैं।

(ग) और (घ) भारत ने अपने सामान्य दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हुए पाकिस्तान को अनुकूलतम राष्ट्र का दर्जा प्रदान कर दिया है। सरकार ने भारत को अनुकूलतम राष्ट्र का दर्जा प्रदान करने के लिए पाकिस्तान को उसकी जिम्मेदारियों के लिए स्मरण कराया है और इसके लिए यदि वह द्विपक्षीय सम्बंधों और क्षेत्रीय सहयोग को बेहतर बनाने के लिए वचनबद्ध है तो इसे पाकिस्तान द्वारा भारत के साथ सामान्य व्यापार और आर्थिक सहयोग बहाल करने का सूचक माना जाएगा।

[हिन्दी]

बांग्लादेश द्वारा भारतीय पोत की बिक्री

170. **श्री सुबोध राय:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 जनवरी, 2003 के 'राष्ट्रीय सहारा' में ''बांग्लादेश द्वारा बेचा गया भारतीय पोत पकड़ा गया'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) जी हां।

(ख) तथ्यात्मक स्थिति यह है कि एससीआई का एक जलयान अर्थात् एमवी विश्व कौमुदी 13 मार्च, 1999 को बांग्लादेश में रोका गया था।

एमवी विश्व कौमुदी जलयान 8325 टन मानक उबले हुए धान का लदान करने हेतु हल्दिया से मोंगला तक 25/30 दिन की यात्रा के लिए मैसर्स आर प्यारेलाल इंटरनेशनल लि., कोलकाता के पास टाइम चार्टर पर था। यह जलयान मोंगला में 13.3.1999 को पहुंचा और कार्गो के कुछ बोरे उतारने के बाद यह जलयान चार्टरकर्ता मैसर्स प्यारेलाल द्वारा यह बहाना बनाकर किराए से हटा लिया गया कि पोत की चूक के कारण कार्गो को नुकसान पहुंचा है जबकि परेषितियों ने कार्गो को स्वीकार नहीं किया क्योंकि कार्गो तथाकथित रूप से विशिष्टियों के अनुरूप नहीं था जिसके लिए एससीआई जिम्मेदार नहीं था। परेषितियों के साथ न्यायालय से बाहर आपसी वार्ता द्वारा मामले का निपटारा करने के एससीआई के अथक प्रयास निष्फल सिद्ध हुए और इसलिए कानूनी कार्रवाई की गई तथा बांग्लादेश उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय प्रभाग में एक रिट याचिका दायर की गई। रिट याचिका का निपटारा एससीआई के पक्ष में हुआ। तथापि, परेषिती अर्थात् खाद्य मंत्रालय, बांग्लादेश सरकार ने अपील की और लगभग 11 करोड़ टके के तथाकथित कार्गो दावे के लिए बांग्लादेशे उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय प्रभाग के नौ-अधिकरण पक्ष में एक नौ-अधिकरण मुकदमा भी दायर कर दिया तथा न्यायालय के आदेश द्वारा जलयान को रुकवा दिया।

एससीआई ने भी 27.76 करोड़ टके के लिए खाद्य मंत्रालय के विरुद्ध प्रतिदावा दायर कर दिया और नौ-अधिकरण न्यायालय में मामले का बचाव किया। बांग्लादेश के नौ-अधिकरण न्यायालय में न्यायालय की कार्रवाई अभी चल रही है हालांकि बहस लगभग पूरी हो चुकी है और अगली सुनवाई 1 मार्च, 2003 को होनी निर्धारित है।

इसी बीच चूंकि जलयान खतरनाक स्थिति में था और पिछले तीन वर्षों से किसी प्रकार की मरम्मत अथवा निर्जल गोदी के बिना किसी भी समय डूब जाने की हालत में था, इसलिए एससीआई ने नीलामी के जरिए जलयान को बेच देने और इस राशि को न्यायालय के पास जमा कराने की उसे अनुमति देने के लिए न्यायालय को आवेदन किया ताकि जलयान के संभावित रूप से डूब जाने से उत्पन्न होने वाली भंयकर स्थिति से बचा जा सके और इसके अतिरिक्त पत्तन देय राशि और अन्य व्यय के जरिए जलयान पर बढ़ रही लागत से बचा जा सके। न्यायालय ने जलयान की नीलामी करने की अनुमति दे दी। उसके बाद जलयान की 4 करोड़ बांग्लादेश टके के मूल्य पर नीलामी कर दी गई।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जलयान को एससीआई के अनुरोध पर न्यायालय द्वारा बेच गया है न कि बांग्लादेश प्राधिकारियों द्वारा बेचा गया है जैसाकि रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

(ग) यह एक व्यापारिक विवाद है जिसमें भारत सरकार नियमत: हस्तक्षेप नहीं करती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अधिकृत चिकित्सकीय परिचारक/अस्पताल

171. **कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैशाली, इंद्रापुरम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा इत्यादि जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रह रहे सरकारी कर्मचारी अधिकृत चिकित्सकीय परिचारकों/मान्यताप्राप्त अस्पतालों के माध्यम से एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होमियोपैथी चिकित्सा पद्धति में उपचार करा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे मान्यताप्राप्त अस्पतालों, अधिकृत चिकित्सकीय परिचारकों इत्यादि की पृथकत: सूची क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे क्षेत्रों में इस उद्देश्य हेतु कुछ और अस्पतालों/औषधालयों को मान्यता प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के उपबन्ध के अनुसार अधिकृत चिकित्सा परिचर (ए.एम.ए.)/मान्यता प्राप्त अस्पतालों के माध्यम से एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होमियोपैथी चिकित्सा पद्धति में इलाज करा सकते हैं। केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ क्षेत्र सेवा के अन्तर्गत सभी चिकित्सा अधिकारी अधिकृत चिकित्सा परिचर के रूप में नामित हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार के विभिन्न विभाग उस विभाग के अन्तर्गत कार्य करने वाले और के.स.स्वा.यो. के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारियों के लिए अधिकृत चिकित्सा परिचर के रूप में निजी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों को भी नियुक्त कर सकते हैं जैसा कि केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमों (नियम 2 के अन्तर्गत भारत सरकार का निर्णय) में दिए गए दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है। विभिन्न विभागों द्वारा ऐसे नियुक्त किए गए अधिकृत चिकित्सा परिचरों की कोई वृहद सूची नहीं रखी जाती है। तथापि, केन्द्रीय सेवा (चि.परि.) नियम, 1944 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मान्यताप्राप्त अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों के नाम संलग्न विवरण में दिए जाते हैं।

(ग) से (ङ) निजी अस्पतालों को मान्यता देने का कार्य के.से. (चि.परि.) नियम, 1944 के नियम 2(घ) के अन्तर्गत एक सतत प्रक्रिया है। आवेदक अस्पतालों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

विवरण

केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निजी अस्पतालों की सूची

1. बतरा अस्पताल एवं चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, एम.बी. रोड, नई दिल्ली
2. एस्कोर्टस अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, फरीदाबाद (हरियाणा)
3. डा. आनन्द अल्ट्रासाउंड एवं सी.टी. स्कैन, प्रीत बिहार, दिल्ली-92
4. आनन्द अस्पताल, 21 सामुदायिक केन्द्र, प्रीत बिहार, दिल्ली-92
5. आर्थोनोवा, मदनगीर, नई दिल्ली-62
6. मूलचंद खैरातीराम अस्पताल, लाजपत नगर-3
7. सर्वोदय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, पीतमपुरा, दिल्ली-34
8. नार्थ प्वाइन्ट हास्पिटल प्रा. लि. जंगपुरा, नई दिल्ली
9. आर.जी. स्टोर यूरोलॉजिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली-65
10. कैलाश हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, नोएडा-201301 (उ.प्र.)
11. जीएमआर. इन्स्टीट्यूट आफ इमेजिंग, रिसर्च सेंटर, पूसा रोड, नई दिल्ली
12. मेडिकल लेबोरेटरी सर्विसेज, साकेत, नई दिल्ली-17
13. साउथ दिल्ली अल्ट्रासाउंड एंड एक्स-रे क्लिनिक, हौज खास, नई दिल्ली-16
14. जी.एम. मोदी हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-17
15. जयपुर गोल्डन हास्पिटल, रोहिणी, नई दिल्ली-85
16. इन्द्रप्रस्थ अपोलो हास्पिटल, सरिता विहार, दिल्ली-मथुरा रोड, नई दिल्ली-44
17. दिल्ली सी.टी. एंड एमआरआई सेंटर, अन्शलोक हास्पिटल, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-29
18. धर्मशिला कैंसर हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, वसुंधरा एन्क्लेव, दिल्ली-96
19. डा. हांडा एक्स-रे एवं नैदानिक केन्द्र, डिफैंस कालोनी, नई दिल्ली-49
20. सेंट स्टीफेन्स हास्पिटल, तीस हजारी, दिल्ली-54
21. एस्कोर्टस हार्ट इन्स्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, ओखला, नई दिल्ली
22. नेशनल हार्ट इन्स्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, सपना कामर्शियल काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-65
23. बादशाह खान हास्पिटल, फरीदाबाद
24. नरेन्द्र मोहन हास्पिटल, गाजियाबाद
25. नोएडा मेडिकल सेंटर लि., सै. 30, नोएडा (उ.प्र.)

कैंसर के लिए दर्दरहित तकनीक

172. श्री अमर राय प्रधानः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अब कैंसर का उपचार दर्दरहित तकनीक से हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीका में इस तकनीक का विकास 15 वर्ष पूर्व हो गया था और यह भारत में मात्र कुछ वर्ष पहले आया है और कैंसर के चिकित्सकों के बीच इसे अभी लोकप्रिय बनाया जाना शेष है;

(घ) क्या विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ-साथ राजधानी में विभिन्न सरकारी अस्पतालों के माध्यम से इन तकनीकों का अभी तक पर्याप्त प्रचार नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे राजधानी/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ङ) कैंसर का उपचार शल्य-चिकित्सा, विकिरण चिकित्सा और रसाय-चिकित्सा से किया जाता है। टेलिथिरेपी (कोबाल्ड मशीन अथवा लीनियर एक्सेलिरेटर से बाह्य किरणपुंज द्वारा विकिरण चिकित्सा) की तकनीक एक दर्दरहित क्रियाविधि है और सरकारी तथा निजी क्षेत्र के अस्पतालों दोनों में भारत में व्यापक रूप से उपयोग में लाई जाती है।

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार गैर-सरकारी संगठनों को 1.00 करोड़ रुपए और राज्य सरकार की संस्थाओं को 1.50 करोड़ रुपए एकमुश्त सहायतानुदान देकर सरकारी और निजी क्षेत्र के अस्पतालों दोनों में कोबाल्ट मशीनों और लीनियर एक्सेलिरेटरों को लगाने के लिए सहायता दे रही है।

एमआरआई मशीन हेतु धनराशि

173. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुवाहाटी चिकित्सा महाविद्यालय से एमआरआई मशीन, अन्य उपस्करों की खरीद और जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय सहायता का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) एमआरआई मशीन, अन्य उपकरणों की खरीद और मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु गुवाहाटी चिकित्सा महाविद्यालय से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, गुवाहाटी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का उन्नयन करके एक आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार से लगभग 100 करोड़ रुपए की सहायता के वास्ते हाल ही में असम सरकार से एक परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(ग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का उन्नयन करके आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना हेतु सहायता करने संबंधी कोई योजना नहीं है।

कैंसर की औषधियों का विकास

174. श्री अधीर चौधरी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार जितने अस्पतालों में कैंसर रोगियों का उपचार हो रहा है;

(ख) कैंसर के उन्मूलन में अब तक कितनी प्रगति हासिल हुई है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वाराणसी स्थित डी.एस. अनुसंधान केन्द्र के कुछ वैज्ञानिकों ने पोषण ऊर्जा विज्ञान पर आधारित एक नई 'सर्वपिश्ती' औषधि विकसित की है और हजारों कैंसर रोगियों की जान बचायी है; और

(घ) यदि हां, तो इस केन्द्र के दावे को सत्यापित करने और सभी कैंसर अस्पतालों में ऐसी जीवन रक्षक औषधियों को उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए यह सूचना केन्द्र द्वारा न ही एकत्र की जाती है और न ही रखी जाती है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य उपचार सुविधाओं को बढ़ाना और उनका उन्नयन करना, जागरूकता उत्पन्न करना और उपचार सुविधाओं में भौगोलिक दूरियों को दूर करना है।

(ग) और (घ) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार औषधि 'सर्वपिश्ती' को डी.एस. अनुसंधान केन्द्र, कोलकाता द्वारा तैयार किए जाने का दावा किया गया है, वह प्राचीन आयुर्वेद/सिद्ध औषध नहीं है। तथापि, इस केन्द्र द्वारा किए गए दावे की जांच करने के लिए इस परिषद ने उनको और ब्यौरे भेजने का अनुरोध किया है।

कैंसर के उपचार हेतु पुष्टिकर ऊर्जा

175. **डा. रमेश चंद तोमर:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 अक्तूबर, 2001 के 'दी इकॉनामिक टाइम्स' में "कैंसर क्योर इमर्ज्स इन ऑवर ओन बैक्यार्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कैंसर के रोगियों के उपचार हेतु पुष्टिकर ऊर्जा के प्रयोग का पता लगाने हेतु कोई प्रयास किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी (आईएसएम एण्ड एच) के अधीन केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उस समाचार में उल्लिखित 'सर्वापिस्ती' नामक दवा वर्गीकृत आयुर्वेदिक तथा सिद्ध दवाई नहीं है। इस परिषद ने इस दवाई के विकास का दावा करने वाले डी.एस. अनुसंधान केन्द्र से उसके पर्याप्त ब्यौरे देने का अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

पुरानी टेलीफोन लाइनों का खराब होना

176. **श्रीमती जयश्री बैनर्जी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आप्टिकल फाइबर केबल लाइनों के प्रयोग के कारण पुराने टेलीफोन लाइनें खराब हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किये गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) देश में दूरसंचार नेटवर्क में आप्टिकल फाइबर केबल का प्रयोग शुरू कर दिए जाने पर भी स्थानीय नेटवर्क में पुराने टेलीफोन लाइनों का कार्यकरण अप्रभावित रहा है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आरोग्य-2002 स्वास्थ्य मेला

177. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आरोग्य-2002 स्वास्थ्य मेला आयोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह मेले का आयोजन किन-किन स्थानों पर किया गया था और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) जनसाधारण पर इस मेले का क्या प्रभव पड़ा;

(घ) क्या ऐसे मेले को पूरे देश में आयोजित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) भारतीय चिकित्सा पद्धति की प्रासंगिकता के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु क्या क्रियाविधि अपनाई जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) भा.चि.प. एवं हो. विभाग द्वारा आई.टी.पी.ओ. के सहयोग से प्रगति मैदान, नई दिल्ली में, 11 से 15 सितम्बर तक आरोग्य-2002 स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य भा.चि.प. एवं हो. का प्रचार-प्रसार करना है। भ.चि.प. एवं हो. विभाग और इसके संघटकों, परिवार कल्याण विभाग, भा.चि.प. एवं हो. निदेशालय, दिल्ली सरकार सहित 75 सगंठनों ने मेले में भाग लिया। विभाग और इसके संघटकों द्वारा मेले पर व्यय की गई रकम लगभग 50.00 लाख रुपये बैठती है।

(ग) मेले की अनुक्रिया से प्रोत्साहित होकर अधिकतर प्रतिभागियों ने प्रतिभागिता दोहराने की अपनी तत्परता व्यक्त की है।

(घ) इस समय पूरे देश में इस प्रकार के मेलों को आयोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) भा.चि.प. एवं हो. की प्रासंगिकता के बारे में जनजागरूकता बढ़ाने हेतु अपनाए जा रहे उपायों में शामिल हैं:-

(1) भा.चि.प. एवं हो. के ब्लॉक स्तर पर संवर्धन और प्रचार के लिए गैर-सरकारी संगठनों की सेवाएं लेना।

(2) आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी आदि में घरेलू उपचार सामग्रियों पर लघु पुस्तिकाओं जैसी प्रचार सामग्री तैयार करके वितरित करना।

(3) विविध सरकारी अभिकरणों/जाने-माने संगठनों द्वारा आयोजित किए जा रहे मेलों, प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, आदि में भाग लेना।

खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम में संशोधन

178. **श्री रामजी मांझी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम में संशोधन का मामला सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें कब तक संशोधन किये जाने की संभावना है और इस अधिनियम में संशोधन करने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां।

(ख) संशोधनों पर विचार किया जा रहा है और अभी तक इनको अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) अधिनियम में संशोधन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नए कानून के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। विभिन्न संगठनों और समितियों से प्राप्त अभ्यावेदनों/सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम में आवश्यक संशोधनों पर विचार करने के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की समीक्षा करने के वास्ते कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या

179. **श्री प्रकाश वी. पाटील:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं;

(ख) क्या ये राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य के सभी जिलों से होकर नहीं गुजरते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार राज्य के शेष जिलों को शामिल करने हेतु कोई कार्य-योजना तैयार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी]: (क) कुल 14 राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र राज्य से गुजरते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) 6 जिलों अर्थात् लातूर, परभनी, नांदेड़, हिंगोली, वशीम और चंद्रपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरते हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में सी.एस.एस. का क्रियान्वयन

180. **श्री राजो सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बिहार में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के धीमे क्रियान्वयन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य को आवंटित धनराशि के उपयोग का योजनावार ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

जवाहर लाल नेहरू पत्तन

181. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी तट पर जवाहर लाल नेहरू पत्तन को सभी पोत परिवहन गतिविधियों के लिए एक केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी योजना को अंतिम रूप दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्रियान्वयन की लागत कितनी है; और

(ङ) इससे भारतीय पोत परिवहन उद्योग को किस प्रकार लाभ मिलने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) से (ङ) जवाहर लाल नेहरू पत्तन को भारत के पश्चिमी तट पर एक केन्द्रीय पत्तन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है जो निर्यात कंटेनरों को उनके गंतव्य स्थानों तक सीधे नौचालन की सुविधा के लिए बड़े आकार के जलयानों को स्थान दिए जाने या भारत के लिए नियत आयात कंटेनरों को बिना किसी विदेशी पत्तन पर यानान्तरण के सीधे भारत में प्रवेश करवाने के लिए सक्षम होगा। जवाहर लाल नेहरू पत्तन केन्द्रीय पतन की विभिन्न अपेक्षताओं को पूरा करता है जैसे कि यातायात का केन्द्रीयकरण, अंतर्राष्ट्रीय मार्गों तथा बाजारों की निकटता, लम्बी जलाग्र भूमि, बेहतर सड़क/रेल संपर्क, दीर्घ प्रश्च क्षेत्र तथा सहायक भीतरी प्रदेश। कतिपय सीमा शुल्क प्रक्रियाओं, जो यानान्तरण में रुकावट समझी गई, का भी सरलीकरण किया गया है।

पत्तन का विकास जिसमें केन्द्रीय पत्तन के रूप में इसका रख-रखाव शामिल है, एक सतत् प्रक्रिया है। जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास ने इस संबंध में निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं का पता लगाया है:-

(1) विद्यमान बल्क टर्मिनल का कंटेनर टर्मिनल के रूप में पुनर्विकास जिसमें बनाओ, चलाओं तथा अंतरण (बीओटी) आधार पर लगभग 900 करोड़ रु. का निवेश शामिल है जिससे लगभग 14 मिलियन टन प्रतिवर्ष की अतिरिक्त कंटेनर हैंडलिंग क्षमता प्राप्त होने की संभावना है।

(2) 700 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से पत्तन के लिए एप्रोच चैनल को गहरा तथा चौड़ा करना ताकि डुबाव क्षेत्र को और गहरा करना ताकि-14 मीटर के लदान डुबाव तक पोतों को हैंडल किया जा सके तथा आस-पास के प्रवेश चैनल को चौड़ा किया जा सके।

पत्तन का एक केन्द्रीय पत्तन के रूप में विकास होने से कंटेनर युक्त कार्गो की यानान्तरण लागतों में बचत होने की संभावना है जिनका इस समय मुख्य रूप से भारतीय व्यापारी समुदाय को अधिक लागत पर पड़ौसी देशों में केन्द्रीय पत्तनों के जरिए यानान्तरण करना पड़ता है, उन लाभों के अतिरिक्त जो बड़े आकार के जलयान की मितव्ययता के फलस्वरूप प्राप्त हो सकते हैं, जहाज प्रतीक्षा लागत में बचत तथा विदेश व्यापार में वृद्धि होती है।

गुजरात में पीसीओ

182. श्री सवशीभाई मकवाना: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में पीसीओ (स्थानीय काल केन्द्र) की संख्या में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में अब तक जिले-वार कितने पीसीओ कार्यरत हैं; और

(ग) सरकार का विचार राज्य में पीसीओ की संख्या में और वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाने का है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी हां।

(ख) 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार गुजरात में 80,598 पीसीओ कार्य कर रहे हैं।

(ग) पीसीओ की संख्या में वृद्धि करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

1. 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी आवेदकों को आवेदन करने के तुरंत बाद पीसीओ का आवंटन उदारतापूर्वक किया जाता है तथा शैक्षिक योग्यता, दो पीसीओ के बीच न्यूनतम दूरी, पीसीओ चलाने के लिए स्थान संबंधी अपेक्षा आदि प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। गुजरात में पीसीओ की कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है।
2. फैक्स मशीन पर लाइसेंस शुल्क हटा दिया गया है।
3. एसटीडी पीसीओ पर कन्फ्रेंसिंग की सुविधा की अनुमति दी गई है।
4. पीसीओ फ्रैंचाईजियों द्वारा की गई सुरक्षा जमा राशि पर ब्याज अनुमेय है।
5. यदि फ्रैंचाइजी की इच्छा हो तो एक ही परिसर में अतिरिक्त पीसीओ की अनुमति दी जाती है।
6. यदि फ्रैंचाइजी की इच्छा हो तो उसे सिक्का इकट्ठा करने वाले बक्से (सीसीबी) पर टर्मिनेट होने वाला स्थानीय पीसीओ भी आवंटित किया जाता है।
7. चेक द्वारा पीसीओ बिलों के भुगतान की अनुमति दी गई है जिससे डिमांड ड्राफ्ट लेने पर होने वाले व्यय

की बचत हो और नकदी लाने ले जाने में जोखिम भी कम हो।

8. पीसीओ फ्रैंचाइजियों को डाक टिकटों और लेखन सामग्री की बिक्री करने की अनुमति दी गई है।

9. पीसीओ फ्रैंचाइजियों को 5% कमीशन पर आईटीसी कार्ड बेचने की अनुमति दी गई है।

10. बकाया देय राशि के भुगतान के बाद 24 घंटे के भीतर पीसीओ का कनेक्शन पुनः चालू कर दिया जाता है।

11. पीसीओ बिल को बिलों के विस्तृत विवरण सहित जारी किया जाता है।

12. पीसीओ की सुरक्षित अभिरक्षा की अनुमति दी गई है।

13. बीएसएनएल की सेल्यूलर सेवा के प्री-पेड कार्डों की 25% खुदरा बिक्री का आवंटन एसटीडी पीसीओ धारकों को किया जाता है।

[हिन्दी]

कालोनियों में अवैध निर्माण और कमरों को किराए पर देना

183. **श्री सईदुज्जमाः** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगभ लिमिटेड और डाक तथा तार विभाग के बीच समन्वय की कमी के कारण आवंटितियों ने दिल्ली स्थित विभागों की विभिन्न कालोनियों में अवैध निर्माण किया है और कमरों को किराए पर दिया है जिसके कारण कालोनियों की स्वच्छता की स्थिति खराब हो रही है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों और विभाग के संपदा अधिकारियों द्वारा किराएदारों से इन कमरों को खाली कराने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न निगमों और विभागों की एक जांच समिति गठित कर विभिन्न कालोनियों में आवासों को कब तक खाली करा लिये जाने की संभावना है अथवा आवंटितियों के विरुद्ध कब तक उचित कार्रवाई किये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल), और डाक विभाग (डीओपी) के पास अपने विभागीय आवास हैं। इस समय, दिल्ली में अवैध निर्माण और किराये पर दिए गए कमरों से संबंधित कोई शिकायत लंबित नहीं है।

(ख) जब भी ऐसी शिकायतें मिलती हैं अथवा निरीक्षण के दौरान ऐसे मामले सामने आते हैं तो उनकी सर्वोच्च स्तर पर छानबीन की जाती है। समय-समय पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। अलग-अलग स्थितियों में अलग-अलग कार्रवाई की जाती है। उनतीस मामलों में, अवैध निर्माण गिरवाए गए हैं और उन साठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जिन्होंने अपने आवास किराए पर दिए हुए थे।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बीएसएनएल की सीलोन सेवा

184. **श्री ब्रजमोहन रामः** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रिलायंस कंपनी को मोबाइल सेवा की तुलना में झारखण्ड और बिहार परिमंडल में भारत संचार निगम लिमिटेड की सीलोन मोबाइल सेवाओं द्वारा की जा रही खराब सेवा के क्या कारण हैं;

(ख) पोस्ट-पेड और प्री-पेड सर्विसेस सहित सीलोन मोबाइल सेवाओं की सिम कार्डों को सक्रिय करने में अधिक समय लेने के क्या कारण हैं; और

(ग) गत एक वर्ष के दौरान पोस्ट-पेड और प्री-पेड सर्विसेस सहित कितने सिम कार्ड झारखण्ड परिमंडल में बेचे गए हैं उनमें से डिविजन-वार कितने सिम कार्ड सक्रिय हुये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) झारखंड सहित बिहार के लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र में भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) की सेलवन सेवाओं इस क्षेत्र में अन्य निजी प्रचालक द्वारा दी जा रही सेवाओं से तुलनीय हैं। तथापि कुछेक शहरों में कतिपय बाधाएं आ रही हैं जिनमें एक पाइलट परियोजना के अंतर्गत स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए प्रायोगिक आधार पर सेवाएं शुरू की गई थीं। बिहार के पूरे लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र में एक-समान सुविधाएं प्रदान करने के लिए मौजूदा उपस्कर का उन्नयन करने हेतु अव्यस्त समय के दौरान सतत प्रयास किया जा रहा है, जिससे कई बार सेवाओं में अवश्य ही थोड़ी-बहुत बाधा आ जाती है।

(ख) "प्री-पेड" सेवाओं के लिए सिम कार्ड "प्री-एक्टीवेटेड" होते हैं। तथापि, इस सेवा की शुरुआत के दौरान उपभोक्ताओं तथा

क्रेडिट सत्यापन प्रक्रिया, प्रारंभिक मांग तथा कर्मचारियों द्वारा प्रचालन प्रक्रिया से परिचित होने में लगे समय के कारण, "पोस्ट-पेड" सेवाओं में कुछ विलंब हुआ था।

(ग) मांगा गया ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

जनवरी, 2003 के दौरान बेचे गए मोबाइल कनैक्शन तथा एक्टिवेट किए गए सिम कार्ड

डिविजन	प्री-पेड		पोस्ट-पेड	
	वितरित	एक्टिवेटेड	वितरित	एक्टिवेटेड
रांची	498	498	726	726
जमशेदपुर	32	32	167	167
धनबाद	602	602	200	200
हजारीबाद	430	430	705	705
डालटेनगंज	250	250	167	167
दुमका	320	320	650	650
जोड़	2132	2132	2615	2615

हिंदी में नंबर प्लेट

185. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
श्री मान सिंह पटेल:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाहनों के नंबर प्लेटों पर हिंदी में नंबर लिखना गैर-कानूनी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार का विचार वाहनों के नंबर प्लेटों को हिंदी में लिखने की अनुमति प्रदान करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी]: (क) से (घ) केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में यह प्रावधान है कि पंजीकरण चिह्न के अक्षर अंग्रेजी में और अंक अरबी में होंगे। अतिरिक्त पंजीकरण प्लेट पर संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा के प्रयोग की अनुमति है।

पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम

186. **श्री मान सिंह पटेल:**
श्री लक्ष्मण गिलुवा:
श्री चन्द्र भूषण सिंह:
श्री एन.एन. कृष्णदास:
श्री एस. अजय कुमार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ समय पूर्व पोलियो के उन्मूलन हेतु राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया था;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और कितनी सफलता हासिल हुई है;

(ग) क्या कुल राज्यों में पोलियो के मामले में वृद्धि का रुख देखने में आ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे नियंत्रित करने हेतु किन-किन उपायों पर विचार किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां। देश से पोलियो का उन्मूलन करने के लिए वर्ष 1995-96 में गहन पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया गया।

(ख) पिछले वर्षों में राज्य-वार और वर्ष-वार निर्धारित और हासिल लक्ष्य से संबंधित आंकड़ा विवरण-I में है।

(ग) और (घ) वर्ष 2002 के दौरान विभिन्न राज्यों में पोलियो के रोगियों की संख्या की हुई वृद्धि का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

सन् 2005 तक देश से पोलियो का उन्मूलन करने और अन्तर्राष्ट्रीय पोलियो मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने का राष्ट्रीय लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के दल की सलाह के आधार पर वार्षिक कार्यनीतियां तैयार और कार्यान्वित की गई हैं। 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों

को पोलियो की खुराक देने के लिए देश भर में दो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यों/उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में उप-राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस भी आयोजित किए जाते हैं। जहां नए रोगियों का पता चलता है, उन जिलों में और उनके आसपास के क्षेत्रों में माप-अप टीकाकरण दौर भी आयोजित किए जाते हैं।

विवरण-I

वर्ष 1999-2000 में लक्ष्य और उपलब्धि

क्र. सं.	राज्य	अक्तूबर 1999			नवम्बर 1999			दिसम्बर 1999			जनवरी 2000			फरवरी 2000			मार्च 2000		
		लक्ष्य 0-5	कुल कार्य निष्पादन	%	लक्ष्य 0-5	कुल कार्य निष्पादन	%	लक्ष्य 0-5	कुल कार्य निष्पादन	%	लक्ष्य 0-5	कुल कार्य निष्पादन	%	लक्ष्य 0-5	कुल कार्य निष्पादन	%	लक्ष्य 0-5	कुल कार्य निष्पादन	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	41332	40095	97.01	41332	40128	97.08	41332	40084	96.79	41332	40253	97.39	–	–	–	–	–	–
2.	आंध्र प्रदेश	8572920	9848606	114.88	8562213	10446287	122.00	8517592	10343361	121.44	8581866	1025017	119.44	–	–	–	–	–	–
3.	अरुणाचल प्रदेश	190042	191835	100.94	191504	197863	103.32	192977	197187	102.18	193636	202667	104.66	–	–	–	–	–	–
4.	असम	3820582	4221984	110.51	3955781	4267636	107.88	3899208	4423809	113.45	3883182	4397860	113.25	3898753	4492851	115.23	3899198	4553661	116.78
5.	बिहार	16578107	19301316	116.43	16044757	18269368	113.87	18617130	19815850	106.44	18345334	19057161	103.88	17105400	21209779	123.99	17699066	19919187	112.54
6.	चंडीगढ़	103000	104773	101.72	103008	110063	106.85	103000	113480	110.17	103000	115230	111.87	–	–	–	–	–	–
7.	दादरा व नगर हवेली	28173	29250	103.82	281.73	29289	103.96	28173	30900	109.68	28173	31692	112.49	–	–	–	–	–	–
8.	दमन व दीव	15567	16492	105.94	15667	17238	109.98	15773	17993	114.07	15773	18606	117.96	–	–	–	–	–	–
9.	दिल्ली	2189121	1943749	88.79	2189121	2015191	92.05	2015191	2118412	105.12	2015191	2269537	112.62	–	–	–	2015191	1930688	95.81
10.	गोवा	117000	119941	102.52	117000	1227999	104.96	118000	124562	105.56	118300	128113	108.30	–	–	–	–	–	–
11.	गुजरात	5438202	6160034	113.27	5438200	5900755	108.51	5438200	6383787	117.39	5438200	660364	121.42	5438200	6622070	121.77	5438200	6686777	122.96
12.	हरियाणा	2803103	3185589	113.65	2803102	335029	118.98	2803102	3456469	123.31	2803102	3543661	126.42	–	–	–	–	–	–
13.	हिमाचल प्रदेश	718055	669587	93.25	670130	674656	100.68	670371	681151	101.61	670130	688383	102.72	–	–	–	–	–	–
14.	जम्मू-कश्मीर	1397706	1499222	107.26	1387590	1536400	110.72	1387590	1447142	104.29	1387590	1587416	114.40	–	–	–	–	–	–
15.	कर्नाटक	6205000	6382044	102.85	6955120	7094088	102.00	7000440	7077449	101.10	6211497	6861814	110.47	–	–	–	–	–	–
16.	केरल	2846485	2856848	100.36	2845485	2868981	100.83	2846131	287508	101.04	2845485	2886227	101.43	–	–	–	–	–	–
17.	लक्षद्वीप	633	6572	103.77	0	0	#Div/0!	0	0	#####	6716	6725	100.13	–	–	–	–	–	–
18.	मध्य प्रदेश	10321856	12136544	117.58	10352304	12348675	119.28	10451371	1251535	119.71	11656985	13769457	118.12	11393410	13479433	118.31	11406707	13415383	117.61
19.	महाराष्ट्र	9118930	8686384	95.26	9061566	8783592	96.32	9062659	8893023	98.13	11394366	11476742	100.72	–	–	–	–	–	–
20.	मणिपुर	227460	223888	98.43	331869	323692	97.54	331869	331232	99.81	331365	312380	100.33	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21.	मेघालय	383239	429890	112.17	383239	421849	110.07	383249	418940	109.31	38239	426330	111.24	–	–	–	–	–	–
22.	मिजोरम	106144	109087	102.77	108180	118395	102.05	108198	107780	99.61	108198	110920	102.52	–	–	–	–	–	–
23.	नागालैंड	222735	227333	102.06	222729	232755	104.50	222729	229348	102.97	222729	237296	106.54	–	–	–	–	–	–
24.	उड़ीसा	4114634	4031529	97.98	2471991	2532943	102.47	4521525	4568137	101.03	4519027	4601990	101.84	4539474	4639264	102.20	4535653	6298698	138.87
25.	पांडिचेरी	89443	95349	106.60	107836	102089	94.67	92561	102389	110.62	93468	103934	111.20	–	–	–	–	–	–
26.	पंजाब	3227095	3374277	104.56	3251851	3410874	104.89	3264808	3504395	107.34	3251851	349168	107.37	–	–	–	–	–	–
27.	राजस्थान	7361424	9636232	130.90	7408627	9850831	132.96	7408597	9795060	132.21	7408579	9010618	121.62	7408597	9864273	133.15	7408597	1028476	135.36
28.	सिक्किम	70453	72630	103.09	74295	74685	100.52	72924	73236	100.43	73244	74265	101.39	–	–	–	–	–	–
29.	तमिलनाडु	6701898	6888523	102.78	6679357	7048429	105.41	6701897	7212537	107.62	6731898	7290497	108.30	–	–	–	–	–	–
30.	त्रिपुरा	377731	386684	102.37	382424	387972	101.45	378048	39269	103.95	377377	405540	107.46	–	–	–	–	–	–
31.	उत्तर प्रदेश	25708245	29782249	115.85	29729637	30763296	103.48	30505368	31567427	103.48	29982374	31468584	104.96	30084005	3196325	106.27	30455272	32226846	105.81
32.	पश्चिम बंगाल	9040590	882934	97.67	9173886	9008168	98.19	9045696	8173979	90.36	9040500	9167293	101.40	9440500	9210050	101.88	9040500	9117830	100.86
	कुल	128142515	141488170	110.41	131087974	142378381	108.57	136245709	147029251	107.91	138243707	15063230	108.96	8890339	101486845	114.15	91898384	102195293	111.20

वर्ष 2000-2001 में लक्ष्य और उपलब्धि

क्रं. सं.	राज्य	सितम्बर 2000			नवम्बर 2000			दिसम्बर 2000			जनवरी 2001		
		लक्ष्य 0-5	कुल कार्य निष्पादन	%	लक्ष्य 0-5	कुल कार्य निष्पादन	%	लक्ष्य 0-5	कुल कार्य निष्पादन	%	लक्ष्य 0-5	कुल कार्य निष्पादन	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	–	–	–	40253	39150	97.26	50949	49404	96.97
2.	आंध्र प्रदेश	–	–	–	–	–	–	10250000	10592242	103.34	10250000	1066012	104.0
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	188721	160265	84.92	189184	172843	91.36
4.	असम	–	–	–	4398530	4505206	102.43	4398530	4548935	103.42	4398530	4528733	102.96
5.	बिहार	18595320	20035015	107.74	19264592	20587370	106.87	19753124	21219453	107.42	20028983	21259668	106.14
6.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	115230	98426	85.04	115230	115912	100.59
7.	दादरा व नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	31582	32397	102.58	31582	32665	103.43
8.	दमन व दीव	–	–	–	–	–	–	17576	17685	10-0.45	17576	18755	106.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	दिल्ली	2000000	2313104	115.66	2274803	2316187	101.82	2274803	2321917	102.07	2274803	2383461	104.78
10.	गोवा	—	—	—	—	—	—	122325	123630	101.07	124219	127335	102.51
11.	गुजरात	—	—	—	6603064	7058640	106.90	6603064	7119245	107.82	6603064	7227050	109.45
12.	हरियाणा	—	—	3191685	3090685	3493866	109.47	3191685	3619264	113.40	3191685	3750177	117.50
13.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	688598	669455	97.22	688598	688618	100.00
14.	जम्मू-कश्मीर	—	—	—	—	—	—	1509983	1559857	103.30	1510000	1575451	104.33
15.	कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	6509709	6721983	103.26	6591955	6991685	106.06
16.	केरल	—	—	—	—	—	—	2886227	2890252	100.14	2886227	2932313	101.60
17.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	6471	6595	101.92	6721	6814	101.38
18.	मध्य प्रदेश	—	—	—	11738090	13235768	112.76	9562354	10638458	111.25	11774228	13400520	113.81
19.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—	11459052	10937442	95.45	11522725	11898695	103.26
20.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	333237	296781	89.06	325237	305605	93.96
21.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	389011	346869	89.17	388770	357155	91.87
22.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	110807	103499	93.40	110807	104915	94.68
23.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	223591	213105	95.31	223180	209106	93.69
24.	उड़ीसा	—	—	—	4604985	4578117	99.42	4599665	4601351	100.04	4603987	4617921	100.30
25.	पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	97425	103593	106.33	97413	105175	107.97
26.	पंजाब	—	—	—	3414669	3561609	104.30	3414669	3587792	105.07	3414669	3619246	105.99
27.	राजस्थान	—	—	—	9010619	10460850	116.09	9010619	10733032	119.12	9010619	10910844	121.09
28.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	74022	70068	94.66	76275	71190	93.33
29.	तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—	6983084	7209197	103.24	7027042	7390587	105.17
30.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	401819	386280	96.13	401819	399927	99.53
31.	उत्तर प्रदेश	31044330	31957229	102.94	32801308	33633787	102.54	32802550	34086747	103.91	32798311	34570056	105.40
32.	पश्चिम बंगाल	7654383	7023754	91.76	9139400	9100826	99.58	9139400	9152659	100.15	9139400	9311549	101.88
	कुल	59294033	61329102	103.43	106441745	112532026	105.72	147189186	154207594	104.77	149873788	159793487	106.62

वर्ष 2001-2002 में लक्ष्य और उपलब्धि

क्रं. सं.	राज्य	अक्तूबर 2001			दिसम्बर 2001			जनवरी 2002		
		लक्ष्य 0-5	कुल कार्य निष्पादन	%	लक्ष्य 0-5	कुल कार्य निष्पादन	%	लक्ष्य 0-5	कुल कार्य निष्पादन	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	40253	37661	93.56	40253	39271	97.56
2.	आंध्र प्रदेश	—	—	—	9891002	10568299	106.85	9891000	10660742	107.78
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	196402	171368	87.25	196402	168970	86.03
4.	असम	—	—	—	0	0	#DIV/0!	4581222	3373915	73.65
5.	बिहार	17748487	18159257	102.31	17748487	18438438	103.89	17748487	18700614	105.36
6.	चंडीगढ़	—	—	—	115230	116081	100.74	115230	122796	106.57
7.	छत्तीसगढ़	—	—	—	3201454	3195600	99.82	3201454	3259345	101.81
8.	दादरा एवं नगर हवेली	—	—	—	31761	32445	102.15	31761	33550	105.63
9.	दमन व दीव	—	—	—	16002	17892	111.81	17847	19359	108.47
10.	दिल्ली	2274803	2496245	109.73	2274803	2569126	112.94	2274803	2630643	115.64
11.	गोवा	—	—	—	123630	124143	100.41	125716	126644	100.74
12.	गुजरात	2667039	268821	100.79	7219409	7207865	99.84	7219409	7345087	101.74
13.	हरियाणा	—	—	—	3301540	3670284	111.17	3387824	3798927	11.2.13
14.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	698771	688915	98.59	698771	697513	99.82
15.	जम्मू-कश्मीर	—	—	—	1545530	1595267	103.22	1544622	1661204	107.55
16.	झारखण्ड	947843	1011380	106.70	4629078	4823376	104.20	2951439	4908411	166.31
17.	कर्नाटक	1820437	2325829	127.76	7064845	7148442	101.18	7106773	7148859	100.59
18.	केरल	—	—	—	2932313	2902281	98.98	2932943	2935426	100.08
19.	लक्षद्वीप	—	—	—	6465	6529	100.99	6853	6853	100.00
20.	मध्य प्रदेश	—	—	—	9386567	10152826	108.16	9374095	10246803	109.31
21.	महाराष्ट्र	446138	4343170	97.34	12028322	11801047	98.11	12028322	11974303	99.55
22.	मणिपुर	—	—	—	332940	327250	98.29	332940	336072	100.94
23.	मेघालय	—	—	—	388386	345428	88.94	388386	369128	95.04
24.	मिजोरम	—	—	—	110818	112177	101.23	112187	113970	101.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	नागालैंड	—	—	—	237298	230128	96.98	237298	228912	96.47
26.	उड़ीसा	—	—	—	4695239	4655168	99.15	4695459	4729842	100.73
27.	पांडिचेरी	—	—	—	94142	101152	107.45	94142	103921	110.39
28.	पंजाब	—	—	—	3587792	3595094	100.20	3587792	3639390	101.44
29.	राजस्थान	—	—	—	10733032	10857035	101.16	10733032	11148849	103.87
30.	सिक्किम	—	—	—	71190	72401	101.70	71190	70250	98.50
31.	तमिलनाडु	—	—	—	7204242	7304335	101.39	7204242	7545105	104.73
32.	त्रिपुरा	—	—	—	405500	398164	98.19	405440	411895	101.59
33.	उत्तरांचल	—	—	—	1325264	1331919	100.50	1327507	1350523	101.73
34.	उत्तर प्रदेश	32986683	33918056	102.82	32986483	34394247	104.27	32986483	33948374	102.92
35.	पश्चिम बंगाल	9277354	9103866	98.13	9277354	9158595	98.72	9277354	9395182	101.27
	कुल	72184284	74046024	102.58	153901544	158150978	102.76	156928678	163250648	104.03

विवरण-II

वर्ष 2000 में राज्यवार पोलियो रोगी

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	उग्र पोलियो वायरस
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	0
2.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0
4.	असम	0
5.	बिहार	120
6.	चंडीगढ़	1
7.	छत्तीसगढ़	1
8.	दादरा एवं नगर हवेली	0
9.	दमन व दीव	0
10.	दिल्ली	25
11.	गोवा	0
12.	गुजरात	24
13.	हरियाणा	36
14.	हिमाचल प्रदेश	0
15.	जम्मू-कश्मीर	1
16.	झारखण्ड	12
17.	कर्नाटक	0
18.	केरल	0
19.	लक्षद्वीप	0
20.	मध्य प्रदेश	20
21.	महाराष्ट्र	6
22.	मणिपुर	0

1	2	3
23.	मेघालय	0
24.	मिजोरम	0
25.	नागालैंड	0
26.	उड़ीसा	4
27.	पांडिचेरी	0
28.	पंजाब	2
29.	राजस्थान	36
30.	सिक्किम	0
31.	तमिलनाडु	0
32.	त्रिपुरा	0
33.	उत्तरांचल	14
34.	उत्तर प्रदेश	1232
35.	पश्चिम बंगाल	48
	कुल	1582

[अनुवाद]

समझौता एक्सप्रेस का ठहराव

187. श्री रामजीवन सिंह:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में दोनों देशों के बीच एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संपर्क समझौता एक्सप्रेस की सेवा को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) से (ग) 13 दिसम्बर, 2001 को भारतीय संसद पर हुए आतंकवादी हमलों के पश्चात और सीमा-पार घुसपैठ और आतंकवाद समाप्त करने के लिए पाकिस्तान द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये जाने के कारण भारत सरकार ने 1 जनवरी, 2002 से समझौता एक्सप्रेस की सेवाएं समाप्त कर दी थी।

[हिन्दी]

सीआरआईबीआर को धनराशि की सहायता बंद करना

188. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कोलकत्ता स्थित भारत-बंगलादेश संबंध अनुसंधान केन्द्र (सीआरआईबीआर) को अनुदान देना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस समय सरकार द्वारा ऐसे अन्य किन-किन संगठनों का वित्त पोषण किया जा रहा है और गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितना अनुदान प्रदान किया गया है; और

(घ) जिन उद्देश्यों के लिए इसकी स्थापना की गई है, उन्हें प्राप्त करने में कितनी सफलता हासिल हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। सरकार, इस केन्द्र को दिए जाने वाले अनुदान का समय-समय पर मूल्यांकन करती है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया था कि अनुदान को चरणबद्ध रूप से घटाते हुए अंततः समाप्त कर दिया जाए।

(ग) और (घ):

(1) पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, यू एस ए के भारत उन्नत अध्ययन केन्द्र (सी ए एस आई) की स्थापना 1992-93 में अन्तर्निहित वैज्ञानिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकीय एवं राजनैतिक सहयोग के लिए अमेरिका और भारतीय शिक्षाविदों, पेशेवरों और नीतिनिर्माताओं को सूत्रबद्ध करने की दृष्टि से की गई थी। इस केन्द्र को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष का आवर्ती अनुदान दिया जा रहा है। यह अनुदान, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के बारे में बेहतर जागरूकता पैदा करने की दिशा में इस केन्द्र के योगदान के लिए हमारे आभार के प्रतीक स्वरूप दिया जाता है।

(2) सितम्बर, 2000 में भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद नई दिल्ली के अधिगृहण के बाद से ही भारत सरकार इस संख्या का वित्तपोषण कर रही है। पिछले दो वर्षों

के दौरान भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद नई दिल्ली को किए गए अनुदान संवितरण का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	राशि
2000-2001	80,00,000 रुपए
2001-2002	1,34,36,000 रुपए
2002-2003 (14.02.03 तक)	90,00,000 रुपए

भा.सां.सं.प. के परिसरों का प्रयोग हमारी विदेश नीति के प्रति हितकारी और संगत विषयों पर महत्वपूर्ण संगोष्ठियां और सम्मेलन आयोजित करने के लिए किया जाता है। भा.सां.सं.प. का पुस्तकालय अब पूरी तरह काम करने लगा है और इसकी सदस्यता बढ़ी है। नई पुस्तकें खरीदी गई हैं और पुरानी पुस्तकों एवं पत्रिकाओं की बाइंडिंग कराई गई है। परिषद् ने इंडिया क्वार्टरली एवं 'फॉरिन अफेयर्स रिपोर्ट्स' नामक प्रकाशन पुनः निकालने शुरू कर दिए हैं।

(3) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विधि सोसाइटी (आईएसआईएल) को आईएसआईएल भवन, 9, भगवान दास रोड, नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय द्वारा उपयोग में लाए जा रहे क्षेत्र के रख-रखाव के उद्देश्य हेतु 5 लाख रुपए का आवर्ती वार्षिक अनुरक्षण अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

मियाद समाप्त/खराब हो चुकी दवाइयों के लिए निर्देश

189. श्रीमती प्रभा राव:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औषधि विनिर्माता संघ (आईडीएमए) ने मियाद समाप्त और खराब हो चुकी दवाइयों के निपटान के लिए दिशानिर्देशों को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस तरह के दिशानिर्देशों के न बनाये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन दिशानिर्देशों के कब तक तैयार किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारतीय औषध निर्माता संघ, मुम्बई से उपलब्ध सूचना के अनुसार इस संघ ने 21 दिसम्बर, 2002 को उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा और अनैतिक तत्वों द्वारा बार-बार उपयोग करने पर रोक लगाने के लिए "व्यपगत तारीख वाली/क्षतिग्रस्त/अस्वीकृत औषधों के निपटान के बारे में दिशानिर्देश" तैयार और प्रकाशित किए हैं। इस संघ ने तीन पृथक स्थानों पर ऐसी प्रथाओं की रोकथाम और नियंत्रण में सहायता करने के लिए एक तीन श्रेणीय योजना तैयार की है जिसमें निर्माण स्थान, वितरण/विक्रय स्थान और उपभोक्ता का स्तर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इन दिशानिर्देशों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रबंध मंडल के किसी नामित उत्तरदायी व्यक्ति की निगरानी में व्यपगत तारीख वाली/क्षतिग्रस्त/अस्वीकृत औषधों को समाप्त करने के लिए उपयुक्त मानक प्रचालन क्रियाविधियों का अनुपालन किया जाएगा। नामित व्यक्ति आगे सभी ब्यौरों को रिकार्ड करेगा और ऐसी दवाईयों को नष्ट करने संबंधी कार्य को प्रमाणित करेगा।

[अनुवाद]

सुरक्षा परिषद के लिए भारत की दावेदारी

190. डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:
डा. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री श्रीनिवास पाटील:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ऐसे कौन-कौन से स्थायी सदस्य हैं जिन्होंने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया है और वे कौन-कौन से देश हैं जिन्होंने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त नहीं किये हैं;

(ख) क्या भारत ने इन देशों से उनके समर्थन का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता हेतु भारत की दावेदारी के समर्थन में गति आती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्यों सहित अनेक विकसित एवं विकासशील देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता हेतु भारत की दावेदारी के समर्थन का संकेत दिया है। संयुक्त राष्ट्र

सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता हेतु भारत की दावेदारी के लिए समर्थन का मुद्दा, सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्यों सहित सभी देशों के साथ, हमारी द्विपक्षीय बातचीत में उठाया जाता है।

[हिन्दी]

बीएसएनएल के बुनियादी फोनों को लौटाना

191. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के बुनियादी फोनों के अधिकांश उपभोक्ताओं ने 2001-02 और 2002-03 के दौरान अपने फोन लौटा दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस स्थिति से उबारने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप किस सीमा तक राजस्व घाटा हुआ है, राज्य-वार विवरण दें?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी, हां। टेलीफोन वापिस करने संबंधी राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। वापिस करने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:-

(1) लैंड लाइन टेलीफोन के स्थान पर सेल्यूलर और डब्ल्यूएलएल फोन लेना। शायद उपभोक्ता हाल ही में शुरू की गई इन सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं क्योंकि इनमें अतिरिक्त विशेषताएं/सुविधाएं हैं।

(2) फोनों की सुधरी हुई विश्वसनीयता के कारण अतिरिक्त टेलीफोन वापिस करना।

(3) अर्थव्यवस्था में गिरावट।

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए बीएसएनएल अब अतिरिक्त फोन प्लस सुविधाएं नि:शुल्क प्रदान कर रहा है। साथ ही अन्य कुछ सुविधाएं जो अब सेल्यूलर फोनों पर उपलब्ध हैं उन्हें लैंड लाइन उपभोक्ताओं को भी मुहैया कराने की योजना बनाई जा रही है।

(घ) टेलीफोनों की वापसी के बावजूद बीएसएनएल का उपभोक्ता आधार 2001-02 में 53 लाख तक बढ़ा है और अब तक यह आधार 29.25 लाख हो गया है। सरैण्डर किए फोनों के कारण जो लैंड लाइनें फालतू हुई हैं उनका उपयोग प्रतीक्षा-सूची में दर्ज अन्य आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन देने में किया जा रहा है। अत: सही मायने में कोई राजस्व हानि नहीं हुई है।

विवरण

काटे गए टेलीफोनों का राज्य वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्यों के नाम	*वर्ष 2001-02 के दौरान काटी गई सीधी एक्सचेंज लाइनें (डीईएलएस)	*1.4.2002 से 31.1.2003 के दौरान काटी गई सीधी एक्सचेंज लाइनें (डीईएलएस)
1	2	3	4
1.	अण्डमान एवं निकोबार	1381	1115
2.	आंध्र प्रदेश	289154	252376
3.	असम	6112	7652
4.	बिहार	38176	12148
5.	छत्तीसगढ़	13933	14359
6.	गुजरात	136512	145697
7.	हरियाणा	15788	25711
8.	हिमाचल प्रदेश	3184	4949
9.	जम्मू और कश्मीर	2946	6755
10.	झारखंड	5009	14256
11.	कर्नाटक	216753	151399
12.	केरल	43778	45278
13.	मध्य प्रदेश	56374	45417
14.	महाराष्ट्र	132722	205800
15.	गोवा	3208	5607
	महाराष्ट्र सर्किल के लिए कुल	135930	211407
16.	मेघालय	1822	1294
17.	मिजोरम	226	772
18.	त्रिपुरा	730	2242
	पूर्वोत्तर-1 सर्किल के लिए कुल	2778	4308

1	2	3	4
19.	अरुणाचल प्रदेश	6066	2890
20.	मणिपुर	4245	2022
21.	नागालैंड	4854	2312
	पूर्वोत्तर-2 सर्किल के लिए कुल	15165	7224
22.	उड़ीसा	15536	36648
23.	पंजाब	23310	45956
24.	राजस्थान	42681	49708
	तमिलनाडु सर्किल	139981	201072
25.	चेन्नई दूरसंचार	33860	58709
	तमिलनाडु के लिए कुल	173841	259781
26.	उत्तरांचल	9472	10093
	उत्तर प्रदेश (पूर्व) सर्किल	28261	66403
27.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) सर्किल	37088	29937
	उत्तर प्रदेश के लिए कुल	65349	96340
	पश्चिम बंगाल सर्किल	8658	8999
28.	कोलकाता दूरसंचार	31558	81474
	पश्चिम बंगाल के लिए कुल	40216	90473
29.	सिक्किम	34	11
	बीएसएनएल	1353412	1539061

टिप्पणी:- *काटी गई सीधी एक्सचेंज लाइनों (डीएलएस) में उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं वापस किए गए टेलीफोनों एवं भुगतान न करने के कारण विभाग द्वारा काटे गए टेलीफोनों के आंकड़े शामिल हैं।

[अनुवाद]

कोझीकोड मेडिकल कालेज में संघात केन्द्र

192. श्री रमेश चेन्नितला: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोझीकोड मेडिकल कालेज में अभिघात केन्द्र की स्थापना के संबंध में वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु जनवरी 2002 में केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) इस संबंध में निर्णय में देरी यदि कोई हो तो उसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) मेडिकल कालेज, कोझीकोड में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के संबंध में केरल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा 142 लाख रुपये केरल सरकार को पहले ही 11.2.2003 को मंजूर किए गए हैं।

एच.आई.वी. के रोगियों के लिए होम्योपैथी उपचार

193. श्री एस. मुरुगेसन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने यह दावा किया है कि एच.आई.वी. ग्रस्त मानवों पर हुए परीक्षणों के परिणामों में सुधार दिखाई दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएच) 1989 से अपने मुंबई, चेन्नई और नई दिल्ली स्थित एककों में एच.आई.वी. के नैदानिक प्रबंधन में होम्योपैथी की भूमिका का अध्ययन कर रही है। यद्यपि इस अध्ययन से रोगियों को समग्र लाभ मिलने के आसार हैं, तथापि, इसके परिणाम अभी तक अनिर्णीत हैं।

संचार अवसंरचना का विकास

194. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने म्यांमार के साथ संचार अवसंरचना विकसित करने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या लाभ मिलने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) और (ख) म्यामां के साथ बेहतर सम्पर्क विकसित करने के लिए भारत ने कई पारस्परिक लाभकारी सीमापार परियोजनाएं प्रारम्भ की हैं। भारत ने मणिपुर से आगे 160 कि.मी. लम्बी तमू-क्लेम्यो-कलेवा सड़क में भी सुधार किया है। भारत सरकार ने 6 वर्ष की अवधि के लिए सड़क के रख-रखाव का उत्तरदायित्व भी लिया है। हम म्यामां के अनुरोध पर मिजोरम के पार रिह-टिडिम और रिह-फालम सड़क खण्डों को निर्मित करने के लिए भी सहमत हैं। मिजोरम में कालेत्वां से भारत-म्यामां सीमा तक एक राजमार्ग के विकास से सम्बद्ध एक बहु-रूपी परिवहन परियोजना और म्यामां में सित्तवे बन्दरगाह को उन्नत करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

दूर-संचार के क्षेत्र में, भारत और म्यामां में सीमा क्षेत्रों के दोनों किनारों के बीच एच हाटलाइन स्थापित करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। टेलीफोन सम्पर्क की स्थापना से एल/सी व्यापार के परिचालन में सहायता मिलेगी और व्यापारिक लेन-देन सुचारू होगा। 'इसरो' ने दूर-संवेगी अनुप्रयोगों के लिए म्यामां में एक डाटा प्रोसेसिंग सेन्टर की स्थापना के लिए म्यामां की सहायता की है और दो वर्ष के लिए नि:शुल्क उपग्रह डाटा देने के लिए सहमत हो गया है।

(ग) ये आधारभूत परियोजनाएं हमारे पूर्वोत्तर राज्यों और म्यामां के बीच दीर्घकालिक सम्पर्क बनाने में सहायक सिद्ध होंगी और व्यापार, यात्रा तथा जनता से जनता बीच सम्पर्कों को बढ़ाएंगी।

[हिन्दी]

बिहार के अस्पतालों में चिकित्सा संबंधी सुविधायें

195. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार को ऐसा प्रस्ताव भेजा है जिसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान के समान सुविधायें बिहार राज्य के मेडीकल कालेजों में भी उपलब्ध करायी जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) हालांकि बिहार सरकार से राज्य के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं, प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन बिहार सरकार से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की एक शाखा के रूप में नेफरोलॉजी और कार्डियोलाजी के लिए अति-विशेषज्ञतापूर्ण अस्पताल बनाने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मामला विचाराधीन है।

[हिन्दी]

हृदय रोग संबंधी शल्य चिकित्सा

196. श्रीमती रेनु कुमारी:
श्री रामचन्द्र पासवान:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हृदय रोग संबंधी शल्य चिकित्सा संबंधी इलाज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तुलना में सफदरजंग अस्पताल में सस्ता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सफदरजंग अस्पताल और जी.बी.पंत अस्पताल के हृदय रोग संबंधी शल्य चिकित्सा के मामलों की सफलता का प्रतिशत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तुलना में काफी कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा सफदरजंग अस्पताल में हृदय रोग संबंधी शल्य चिकित्सा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस अस्पताल में हृदय शल्य चिकित्सकों की क्षमतावान टीम की नियुक्ति के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ङ) सफदरजंग अस्पताल में हृदय का आपरेशन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की अपेक्षा सस्ता है क्योंकि कतिपय औषधियों तथा निपटान योग्य मदों सहित चिकित्सा स्वास्थ्य परिचर्या के कई संघटक वहां रोगियों को मुफ्त प्रदान किए जाते हैं। सफदरजंग अस्पताल में हृदय के आपरेशन की सफलता दर, 'एम्स' सहित देश के किसी भी अन्य बेहतरीन हृदय रोग केन्द्र की तरह ही अच्छी है। जहां तक जी.बी. पन्त अस्पताल का संबंध है, यह सूचित किया गया है कि

वहां विभिन्न ह्रदय रोग आपरेशनों में मृत्यु दर 3 से 10 प्रतिशत के बीच है।

[अनुवाद]

ई-गवर्नेन्स पर कार्यकारी समूह की रिपोर्ट

197. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने योजना आयोग के ई-गवर्नेन्स और अभिसारिता पर कार्यकारी समूह द्वारा दी गई रिपोर्ट की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार द्वारा की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही क्या है;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव स्मार्ट गवर्नेन्स पर राष्ट्रीय संस्था स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) इस रिपोर्ट में सरकारी हस्तक्षेप और लोक निधि से वित्तपोषण के संबंध में सिफारिशें की गई हैं। इनमें ये हैं:

* सरकार को सुविधा प्रदानकर्ता और अभिसारी अनुप्रयोगों की वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं का सृजन करने और इलेक्ट्रानिकी तथा सूचना-विज्ञान अनुप्रयोगों के जरिए बेहतर प्रशासन के लिए कार्य करना चाहिए।
* प्रौद्योगिकी का विकास, एकमात्र पिछड़े क्षेत्रों अथवा जहां बाहर से प्रौद्योगिकी अर्जित करने की लागत असामान्य रूप से बहुत अधिक है, वहीं पर सार्वजनिक रूप में व्यय किया जाएगा।
* सरकार को बहुत अधिक बैंडविड्थ को लेकर सुदृढ़ बैकबोन के प्रतिष्ठापन को संवर्धित करना चाहिए जो सूचना सामग्री प्रदानकर्ताओं/वितरणकर्ताओं और नेटवर्क सेवा प्रदानकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा।
* सरकार को अनुप्रयोगों के परीक्षण विशेषकर सरकारी सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिकी के रूप में सूचना प्रदायगी के क्षेत्र में 'परिक्षण' परियोजनाओं का वित्तपोषण करना चाहिए।
* चूंकि, अभिसरण का ई-सरकार का प्रभाव पड़ता है, अत: सार्वजनिक स्रोतों से वित्तपोषित परियोजनाएं इस प्रकार की होनी चाहिए जो 'अंकीय अवरोध' को दूर करने और जनसामान्य तक सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों को पहुंचाने में सहायक हों।
* शुरू की गई परियोजनाओं का लक्ष्य ज्ञान आधारित समाज का निर्माण और बौद्धिकता का सृजन तथा सांस्कृतिक समृद्धता पर होना चाहिए।

(ग) कार्यकारी दल द्वारा प्रस्तुत दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) में अभिसरण एवं ई-सरकार पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर ई-शासन सहित सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने में समुचित ध्यान दिया गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करते समय, राष्ट्रीय विकास परिषद ने 4 सशक्त उप समितियों को गठित करने का निर्देश दिया है। इनमें से एक समिति ई-शासन सहित शासन सुधार पर निर्दिष्ट की गई है।

(घ) से (च) राष्ट्रीय स्मार्ट सरकार संस्थान (एनआईएसजी) को भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत धारा 25 (अलाभकारी) के अधीन निगमित किया गया है। यह सरकार, नैस्कॉम (राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर सेवा कम्पनी संघ) और निजी क्षेत्र का संयुक्त प्रयास है। एनआईएसजी से निजी क्षेत्र के संसाधनों और सक्षमताओं को राष्ट्रीय ई-शासन प्रयासों की दिशा में अभिमुख करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आशा है।

दवाइयों के लिए नए सूत्र को अंतिम रूप देना

198. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों और अन्य सरकारी क्षेत्रों अर्थात् केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, इत्यादि को दवाइयों की आवश्यक मात्रा में आपूर्ति वर्ष 1998 के बाद से दवाइयों के लिए नए सूत्र को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से प्रभावित हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) फार्मूलरी को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और अन्य इन्डेन्टकर्ताओं को दवाओं की आपूर्ति में कुछ कमी आई है।

(ख) इस कमी को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों को दवाओं की आपूर्ति के वास्ते अधिकृत स्थानीय केमिस्टों की नियुक्ति की गई है। के.स.स्वा. योजना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की फार्मूलरी में उपलब्ध 138 सामान्य (जेनेरिक) दवाओं के अतिरिक्त सामान्य रूप से इन्डेन्ट कराई जाने वाली 65 दवाओं की सूची भी तैयार की है। के.स.स्वा. योजना द्वारा तैयार की गई 203 प्रकार की औषधों वाली सूची के अनुसार सरकार ने भारत सरकार के उपक्रम, हास्पिटल सर्विसेज कन्सन्टेंसी कारपोरेशन के माध्यम से दवाओं की खरीद करने का निर्णय किया। सरकार ने चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन द्वारा औषधों की खरीद के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के लिए सामान्य (जेनेरिक) औषधों हेतु फार्मूलरी भी अनुमोदित की है।

बंदरगाहों को गहरा करना

199. श्री पी. मोहन: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव व्यापारिक और यात्री जहाजों की जोखिम रहित पहुंच बनाने के लिए मुख्य बंदरगाहों को गहरा करने का कार्य शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बंदरगाह-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत और श्रीलंका के बीच भविष्य में समुद्री नौकायन शुरू करने की दृष्टि से विकास के लिए नये बंदरगाहों की पहचान कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) और (ख) सरकार का यह प्रयास रहता है कि संसाधनों की उपलब्धता और यातायात को ध्यान में रखते हुए बड़े आकार के पोतों के आने के उद्देश्य से महापत्तनों में डुबाव में सुधार लाया जाए। महापत्तनों में कैपिटल निकर्षण की निम्नलिखित स्कीमों को पत्तन क्षेत्र की दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) में शामिल किया गया है:-

(1) कोलकाता पत्तन न्यास-हुगली मुहाने में डुबाव सुधारने के लिए नदी नियामक स्कीम।

(2) मुंबई पत्तन न्यास- पत्तन क्षेत्र के भीतर नियोजित अपतटीय कंटेनर बर्थों तक एप्रोच चैनल को गहरा करना।

(3) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास- मुख्य बंदरगाह और जवाहर लाल नेहरू पत्तन चैनल को गहरा और चौड़ा करना।

(4) चैन्नै पत्तन न्यास- डा. अम्बेडकर गोदी को गहरा करना।

(5) कोचीन पत्तन न्यास- कंटेनर टर्मिनल बर्थ के सामने एप्रोच चैनल को गहरा करना।

(6) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास- (क) पत्तन जलमार्गों को गहरा करना और (ख) बंदरगाह बेसिन और प्रवेश चैनल के निकर्षण सहित आंतरिक बंदरगाह का निकर्षण।

(7) कांडला पत्तन न्यास- (क) सोगल चैनल को गहरा और चौड़ा करना (ख) सोगल चैनल के पहुंच मार्गों को गहरा करना (ग) कांडला क्रीक के उत्तर भाग में नौचालनात्मक चैनल को गहरा करना (घ) समीप की कार्गों जेट्टियों को गहरा करना, और (ङ) कांडला क्रीक के दक्षिणी भाग में नौचालनात्मक चैनल को गहरा करना।

(8) मुरगांव पत्तन न्यास- एप्रोच चैनल, बर्थ सं. 8 (तेल बर्थ) और बर्थ सं. 9 (लौह अयस्क बर्थ) को गहरा करना।

(9) पारादीप पत्तन न्यास- एप्रोच चैनल को गहरा करना।

(10) नव मंगलूर पत्तन न्यास- (क) चैनल और लैगून को गहरा करना, तथा (ख) सामान्य कार्गों बर्थों का सुधार करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और गहरा करना।

(11) तूतीकोरिन पत्तन न्यास- (क) कार्गों बर्थ सं. 8 के सामने निकर्षण करना और (ख) आंतरिक बंदरगाह का इष्टतम उपयोग करने के लिए 12.80 मीटर डुबाव वाले जलयानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बेसिन का निकर्षण करना।

(12) इन्नौर पत्तन लि.- एप्रोच चैनल और पत्तन बेसिन को गहरा करना।

(ग) और (घ) विकास के लिए किसी नए महापत्तन की पहचान नहीं की गई है।

जैव चिकित्सीय अवशिष्टों का निपटारा

200. श्री अम्बरीश:
श्री अकबर अली खांदोकर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महानगरों विशेषकर दिल्ली और कोलकाता में बहुत से नर्सिंग होम, निजी तथा सरकारी अस्पताल जैव चिकित्सा अवशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, 2001 के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास ऐसे साधन हैं जिनसे इस संबंध में तय नियमों का कड़ाई से पालन कराया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोषी अस्पतालों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण ये मामले सम्बन्धित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन एवं कार्यकरण (हैंडलिंग) नियम, 1998 के कार्यान्वयन के लिए सम्बन्धित राज्य प्रदूषण नियंत्रण समितियां निर्धारित प्राधिकरण हैं जहां तक केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों का सम्बन्ध है, ये अस्पताल इन नियमों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

अंतरिक्ष समझौते

201. **श्री चाडा सुरेश रेड्डी:**
डा. (श्रीमती) सुधा यादव:
श्री वाई.जी. महाजन:
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:
श्री वाई.वी. राव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इसरो ने उपग्रह छोड़ने के लिए सिंगापुर, इजरायल और अन्य देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समझौतों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इन देशों के साथ लम्बी अवधि वाले संयुक्त अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसरो द्वारा आज तक छोड़े गये उपग्रहों की संख्या कितनी है और उनसे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) अन्तरिक्ष विभाग की विपणन इकाई, एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड ने माइक्रो सैटेलाइट के प्रमोचन के लिए ननयांग टेक्नोलोजिकल यूनिवर्सिटी (एन.टी.यू.) सिंगापुर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) ननयांग टेक्नोलोजिकल यूनिवर्सिटी सैटेलाइट, एक्स-सैट, भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी.) द्वारा 2005-06 के दौरान प्रमोचित किया जाने वाला 100 कि.ग्राम वर्ग का एक लघु उपग्रह है। इस समझौते में एक्स-सैट उपग्रह के लिए जांच सहायता और पी.एस.एल.वी. द्वारा प्रमोचन किये जाने व्यवस्था की गई है।

(ग) प्रमोचन सेवाओं के लिए एन.टी.यू., सिंगापुर के साथ समझौता किया गया है। इसरो ने इजरायल सहित 23 देशों के साथ दीर्घकालीन सहकारी समझौते किए हैं। ये संयुक्त, दीर्घकालीन, अनुसंधान कार्यक्रम बाह्य अन्तरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए अभिप्रेत हैं।

(घ) इसरो ने अभी तक 35 भारतीय उपग्रहों और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए 4 लघु उपग्रहों को प्रमोचित किया है। इन चार लघु उपग्रहों के प्रमोचन से प्राप्त कुल विदेशी मुद्रा लगभग 10 करोड़ रुपये है।

मार्जिनल नियत लाइसेंस शुल्क

202. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मार्जिनल नियत लाइसेंस शुल्क के दायरे में असीमित मोबाइल कम्पनियों को अनुमति देने के बारे में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से राय मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हाल ही में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से इस विषय पर अपनी सिफारिशें देने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सिफारिशें प्रस्तुत कर दी गयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) नई दूरसंचार नीति, 1999 के अनुसार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लिए अतिरिक्त लाइसेंस प्रदान करने हेतु

अपनी सिफारिशें देने का अनुरोध किया गया है। उक्त नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह विनिर्धारित किया गया है कि एक सेवा क्षेत्र में ज्यादा प्रचालकों का प्रवेश ट्राई की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा, जो आवश्यकता होने पर तथा दो वर्ष में कम-से-कम एक बार इसकी पुनरीक्षा करेगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग ''ग'' के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मुंबई बम विस्फोट के अभियुक्त का प्रत्यर्पण

203. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मुंबई बम विस्फोट के मुख्य अभियुक्त के भारत प्रत्यर्पण के लिए बारंबार प्रयास किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में यह मामला किस स्थिति में है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): यह प्रश्न केन्द्रीय जांच ब्यूरो से संबंधित है। हालांकि, सूचना निम्नानुसार है:

(क) जी, हां।

(ख) मुम्बई बम विस्फोट के मुख्य आरोपी के प्रत्यर्पण/निर्वासन हेतु अनुरोध वर्ष 1994 में संयुक्त अरब अमीरात के प्राधिकारियों को सौंपा गया था।

(ग) संयुक्त अरब अमीरात प्राधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी/पकड़े जाने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

लम्बित चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति

204. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अभी ही हाल में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार उन सभी रोगियों के लम्बित बिलों की प्रतिपूर्ति कर दी है जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अंतर्गत आते हैं और जिन्होंने हड़ताल के दौरान डिस्पेंसरियों में दवायें न होने के कारण औषधियां बाजार से खरीदी थी;

(ख) यदि हां, देरी से क्या कारण हैं;

(ग) किस समय तक इन बिलों का भुगतान कर दिये जाने की संभावना है; और

(घ) दिसम्बर 2002 और जनवरी 2003 के माह के कुल कितने बिल अभी लम्बित पड़े हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत पेंशन भोगियों के प्रतिपूर्ति बिल निरंतर प्राप्त होते रहते हैं और लाभभोगियों/औषधालयों से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय) में बिल अभी भी प्राप्त हो रहे हैं। अब तक वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत पेंशन भोगियों के कुल 4.50 करोड़ रुपये के 80,012 चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को स्वीकृत किया गया है और इस प्रकार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों को मंजूर करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

(घ) लाभभोगियों से दिसम्बर, 2003 और जनवरी, 2003 के प्राप्त बिल केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा निपटा दिए गए हैं।

टेलीफोनों की नयी प्रौद्योगिकी

205. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण टेलीफोन व्यवस्था में सुधार के लिए नयी प्रौद्योगिकी प्रारम्भ कर दी है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र में विशेषकर पुणे जिले के कितने गांवों में नयी प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई है;

(ग) महाराष्ट्र में दिसम्बर, 2002 तक कितने गांवों में नयी प्रौद्योगिकी वाले टेलीफोन लगा दिये गए हैं; और

(घ) किस समय तक यह प्रौद्योगिकी शेष गांवों में आरम्भ कर दी जायेगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने और नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए डब्ल्यूएलएल प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) 22 एसडीसीए (अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों) में डब्ल्यूएलएल प्रणालियां पहले से ही उपयोग में लाई जा रही हैं। शेष एसडीसीए को 2003-04 के दौरान उत्तरोत्तर रूप से सुविधा प्रदान कर दी जाएगी बशर्ते कि निधि उपलब्ध हो।

विनिवेश के लिए दिशानिर्देश

206. **श्री बीर सिंह महतो:**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विनिवेश के उद्देश्य, नीति संबंधी दिशानिर्देशों तथा निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ख) विनिवेश हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पहचान के क्या मापदण्ड हैं;

(ग) अब तक कितने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश किया गया है और किन उद्देश्यों व प्रक्रियाओं के लिए यह प्रयोग किये गये हैं;

(घ) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वास्तविक मूल्य के उचित मूल्यांकन और अच्छी निविदाओं को आकर्षित करने और इन उपक्रमों को बाजार में बेचने के लिए उचित प्रयास नहीं किये गये;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का प्रस्ताव वर्तमान विनिवेश की प्रक्रिया को आधुनिक करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) विनिवेश के उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वास्तविक उत्पादक संभाव्यता को खोलना, निजी पूंजी और प्रबंधन के प्रवेश के माध्यम से उनके संचालनों की क्षमता में सुधार लाना, उनकी परिसंपत्तियों के उत्पादक उपयोग में वृद्धि करना, नई परिसम्पत्तियों का सृजन करना, रोजगार जुटाना, कंपनी के स्वामित्व से जुड़े वाणिज्यिक और व्यावसायिक जोखिम से सरकारी वित्त-पोषण को सुरक्षित रखना, सरकार के नियामक कार्यों और सेवाओं तथा उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति के बीच विभाजन की शुरूआत करना और सार्वजनिक ऋण से मुक्ति पाने और अन्य प्रयोजनों के लिए सरकार के लिए अतिरिक्त संसाधनों को काम में लाना है।

विनिवेश संबंधी नीति कुछ समय से विकसित हुई है। विनिवेश के लिए अपनाई जाने वाली क्रियाविधि (अप्रैल, 2001), सलाहकारों की नियुक्ति (जुलाई, 2001), बोलीदाताओं की पात्रता (जुलाई, 2001) और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुकूल बिक्री के लिए मूल्य निर्धारण (अगस्त, 2002) के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं और ये दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट <डाइवेस्ट@नि.इन> पर उपलब्ध हैं। प्राकृतिक परिसम्पत्ति की कंपनियों के विनिवेश के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए जा रहे हैं। 16 मार्च, 1999 को सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को "महत्वपूर्ण" तथा "गैर-महत्वपूर्ण" श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। गैर-महत्वपूर्ण उद्योग मामला-दर-माला आधार पर 26 प्रतिशत अथवा यदि आवश्यक हो, इसके निचले स्तर तक विनिवेशित किए जा सकते हैं। सरकार, विनिवेश के अन्य विकल्पों के बजाय प्रायः अनुकूल बिक्री का समर्थन करती है क्योंकि यह पद्धति विनिवेशित किए जा रहे शेयरों के लिए उच्चतम मूल्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करती है और इसने निजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्य कुशलता में सुधार लाने के सन्दर्भ में अच्छे परिणाम दिखाए हैं।

सौदे की प्रकृति, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की वित्तीय स्थिति, बाजार परिस्थितियों और निवेशक की रुचि पर निर्भर करते हुए, विनिवेश के प्रत्येक मामले की शर्तें भिन्न-भिन्न होती हैं। तथापि, अनुकूल बिक्री के मामले में सरकार, अनुकूल क्रेता को प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण कर देती है परन्तु कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए और परिसंपत्तियों के उत्पादक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए निश्चित अवधि के लिए वह कुछ विनिर्दिष्ट अवशिष्ट अधिकार अपने पास रखती है।

(ख) ओएनजीसी, आईओसी तथा गेल, जिनमें 51 प्रतिशत से अधिक का विनिवेश न करने का विशिष्ट निर्णय लिया गया है और आयल इण्डिया लि. जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को छोड़कर सभी "गैर-महत्वपूर्ण" सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 26 प्रतिशत अथवा यदि आवश्यक हो, उसके निचले स्तर तक विनिवेशित किया जा सकता है। विनिवेश करने का निर्णय, विनिवेश आयोग की सिफारिशों के आधार पर तथा अन्तर्मंत्रालय परामर्शों के बाद विनिवेश मंत्रालय द्वारा लिया जाता है।

(ग) अब तक विनिवेशित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और प्रत्येक सौदे से जुटाई गई राशि का ब्यौरा विवरण-I तथा II में दिया गया है। विनिवेश से प्राप्त अर्थागम को भारत के संचित कोष

में जमा कराया जाता है। विशेष रूप से यह विनिर्दिष्ट करना सम्भव नहीं है कि इन निधियों का उपयोग कहां किया गया है। सरकार ने 9 दिसम्बर, 2002 को संसद के दोनों सदनों में यह घोषणा की थी कि सामाजिक और आधारभूत संरचना के क्षेत्रों के लिए विनिवेश अर्थागम के उपयोग की सरकार की निरन्तर वचनबद्धता को पूर्णतः दृष्यता प्रदान करने के उद्देश्य से वह विनिवेश अर्थागम कोष की स्थापना करेगी। इस कोष का उपयोग नए रोजगार के अवसरों तथा निवेश के वित्त पोषण सार्वजनिक ऋण से बोझ से मुक्ति पाने के लिए किया जाएगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) विनिवेश की प्रक्रिया कुछ अरसे से विकसित हुई है और प्राप्त अनुभव के आधार पर इसकी निरन्तर समीक्षा की जाती है और इसको अद्यतन तथा परिष्कृत किया जाता है। विनिवेश से संबंधित अनेक मामलों के परिप्रेक्ष्य में इसे न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ा है और ऐसे सभी मामलों में अपनाई गई इस क्रियाविधि को वैध ठहराया गया है।

(च) और (छ) विनिवेश की क्रियाविधि का विकास, पारदर्शिता, सम्मिलित तौर पर निर्णय लेना, न्यायोचित आचरण, प्रशासनिक सरलता और सामंजस्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, यदि आवश्यक हो, संशोधन किए जाते हैं।

विवरण I

1991-92 से 1998-99 तक विनिवेश और बाजार में अल्पांश शेयरों की बिक्री के माध्यम से जुटाई गई राशि का ब्यौरा

क्र. स.	कम्पनी का नाम	1991-92	1992-93	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	एण्ड्रयू यूल	—	—	—	—	—	—	—
2.	भारत अर्थ मुवर्स लिमिटेड	—	—	48.270	—	—	—	—
3.	भारत इलेक्ट्रानिक लिमिटेड	—	—	47.169	—	—	—	—
4.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	—	8.21	301.336	—	—	—	—
5.	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	—	331.18	—	—	—	—	—
6.	बोंगाई गांव रिफा. एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि.	—	45.40	—	—	—	—	—
7.	सी एम सी लिमिटेड	—	—	—	—	—	—	—
8.	कोचीन रिफाईनरीज लिमिटेड	—	—	—	—	—	—	—
9.	ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड	—	—	—	—	—	—	—
10.	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमि. (ट्रावनकोर) लि.	—	1.30	—	—	—	—	—
11.	एच एम टी लिमिटेड	—	23.38	—	—	—	—	—
12.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	—	—	—	—	—	—	—
13.	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	—	8.07	—	—	—	—	—
14.	हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	—	—	—	—	—	—	—
15.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड	—	331.85	563.111	—	—	—	—
16.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म निर्माण कापो. लि.	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	—	81.55	—	—	—	—	—
18.	इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लि.	—	—	—	—	—	—	—
19.	इण्डियन रेलवे कॉट कम्पनी लिमिटेड	—	—	—	—	—	—	—
20.	इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	—	15.63	—	—	—	—	—
21.	मद्रास रिफाईनरीज लिमिटेड (चेन्नई पेट्रोकेमिकल्स कार्पो. लि.)	—	—	—	—	—	—	—
22.	महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड	—	—	1322.16	135.899	—	902.00	—
23.	मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कार्पो. लि.	—	—	—	—	—	—	—
24.	नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड	—	244.20	0.096	—	—	—	—
25.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	—	0.72	0.283	—	—	—	—
26.	नेशनल मिनरल डवलपमेंट कार्पो. लिमिटेड	—	17.88	—	—	—	—	—
27.	नेवेली लिग्नाइट लिमिटेड	—	70.43	—	—	—	—	—
28.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	—	30.36	—	—	—	—	—
29.	शिपिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड	—	—	28.076	—	—	—	—
30.	राज्य व्यापार निगम	—	2.25	—	—	—	—	—
31.	स्टील आथोरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड	—	700.10	22.661	13.303	—	—	—
32.	विदेश संचार निगम लिमिटेड	—	—	—	—	379.67	—	783.68
33.	कन्टेनर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड	—	—	99.714	14.118	—	—	221.65
34.	इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड	—	—	1033.64	—	—	—	1208.96
35.	आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन	—	—	1051.51	5.156	—	—	2484.96
36.	इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड	—	—	67.52	—	—	—	—
37.	गैस आथोरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड	—	—	194.120	—	—	—	671.86
38.	इण्डियन टूरिज्म डवलपमेंट कार्पोरेशन	—	—	51.965	—	—	—	—
39.	कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड	—	—	11.399	—	—	—	—
40.	मार्डर्न फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	—	—	—	—	—	—	—
41.	बाल्को (वित्तीय पुनर्संरचना)/विनिवेश	—	—	—	—	—	—	—
	कुल	3038.00	1912.51	4843.07	168.476	379.67	902.00	5371.11

चूंकि 1991-92 में शेयरों को इकट्ठा बेचा गया, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमवार जुटाई गई राशि उपलब्ध नहीं है। 1993-94 के लिए आंकड़े शून्य हैं।

विवरण-II

1999-2000 से आज की तारीख तक विनिवेश तथा अनुकूल बिक्री और संबंधित सौदों के माध्यम से जुटाई गई राशि का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	नाम	जुटाई गई धनराशि
1	2	3
1क.	एम एफ आई एल	105
1ख.	एम एफ आई एल-चरण-2	44
2.	बाल्को	826.5^
3.	सीएमसी	152
4.	एचटीएल	55
5.	एलजेएमसी	2.53
	आईटीडीसी—19 होटल:	
6.	आगरा	3.61
7.	बोधगया	1.81
8.	हसन	2.27
9.	मामल्लापुरम	6.13
10.	मुदुरै	4.97
11.	बंगलौर अशोक*	39.41 (अग्रिम शुल्क); (4.11-एमजीएपी)
12.	कुतुब	34.46
13.	लोधी	71.93
14.	एल वी पी एच - उदयपुर	6.77
15.	मनाली	3.65
16.	कोवलम	40.39
17.	औरंगाबाद	16.50
18.	एयरपोर्ट, कोलकाता	19.39
19.	खजुराहो	2.19
20.	वाराणसी	8.38
21.	कनिष्क	92.37
22.	इन्द्रप्रस्थ (ए वाई एन)	43.39
23.	चण्डीगढ़ परियोजना	17.27
24.	रणजीत	29.20
	उप-योग	444.09
	एच सी आई - 3 होटल:	
25.	जुहू - बाम्बे	153
26.	राजगीर	6.51
27.	एयरपोर्ट, मुम्बई	83
	उप-योग	242.51
28.	आई बी पी	1153.68
29.	वी एस एन एल	3689^
30.	एस टी सी	40 ^^^
31.	एम एम टी सी	60 ^^^
32.	पी पी एल	151.70
33.	जैसप	18.18**
34क.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	445
34ख.	हिन्दुस्तान जिंक लि.@	6.18
35.	मारुति उद्योग	2424^^ **
36.	आई पी सी एल	1490.84
	कुल योग	11350.21

* न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक भुगतान पर भावी अर्जन के एनपीवी और पट्टा किराया सहित।

** संभावित ^लाभांश और लाभांश कर सहित ^^तीन दौरों में प्राप्त होने वाली न्यूनतम राशि; 3158 करोड़ रुपए तक जा सकती है

क्रम सं. 5, 23, 25, 26, 27 और 33 पर दी गई कंपनियां सहायक कंपनियां है। क्रम सं. 33 पर दी कंपनी की बिक्री की अनुमति सरकार/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड द्वारा की जानी है।

^^^ यह प्राप्ति नकदी अधिशेष के अन्तरण के कारण हुई

@ कर्मचारियों के पक्ष में विनिवेश।

गुजरात में डब्ल्यूएलएल सिस्टम

207. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात के कच्छ/सौराष्ट्र के मरुभूमि क्षेत्र में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार के लिए डब्ल्यूएलएल सिस्टम मुहैया करने का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को यह डब्ल्यूएलएल सिस्टम कब तक मुहैया कराए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) (1) भुज के 7 तालुकों में 3500 डब्ल्यूएलएल लाइनें पहले ही कार्यरत हैं। इस नेटवर्क में 3000 लाइनों की बढ़ोतरी करने की योजना है। भुज के अन्य सभी तालुकों में 9000 अतिरिक्त लाइनों की भी योजना है।

(2) सौराष्ट्र में, डब्ल्यूएलएल की योजना निम्नानुसार है:-

एसएसए	कार्यरत	विस्तार	अतिरिक्त लाइनें
जामनगर	500	500	7750
जूनागढ़	—	—	14250
राजकोट	1000	—	19000

(ग) उपभोक्ताओं को डब्ल्यूएलएल प्रणाली वर्ष 2003-2004 में उपलब्ध कराए जाने की संभावना है बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।

गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

208. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी निभाने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भी अधिसंख्य गैर-सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा और उनकी संख्या क्या है; और

(घ) उन गैर-सरकारी संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्होंने उक्त योजनावधि के दौरान अनुदान सहायता का उपभोग किया?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) जी हां। परिवार कल्याण विभाग, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करता है। गैर-सरकारी संगठनों को गैर-सरकारी संगठन योजना, लिंग विषयों के लिए सहायता, नई योजना, बेबी फ्रेन्डली होस्पीटल इनिशिएटिव स्कीम आदि जैसे विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत परियोजना आधार पर निधियां जारी की जाती हैं। इन सभी योजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को सीधे ही परिवार कल्याण विभाग द्वारा सहायता प्रदान की गई है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को वितरित निधियों और उनके द्वारा उपयोग में लाई गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

मदर गैर-सरकारी संगठन योजना

क्र. सं.	मदर गैर सरकारी संगठन का नाम	राज्य	राशि (रुपयों में) 1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	एकलव्य मेमोरियल ली, प्रकाशम	आंध्र प्रदेश	—	—	1,000,000	800,000	1,000,00
2.	राहुल चिकित्सा व स्वा.सेवा समिति, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	—	1,000,000	960,000	1,960,000	4,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	सोसायटी फार नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू रूरल डिव., प्रकाशम	आंध्र प्रदेश	—	1,000,000	960,000	1,961,000	2,234,000
4.	सेंट पीटर्स मल्टी. हैल्थ वर्कर्स गुण्टूर	आंध्र प्रदेश	—	—	1,960,000	960,000	—
5.	हैड्स, अनन्तपुर	आंध्र प्रदेश	—	1,000,000	925,000	1,795,000	750,000
6.	सोशल एक्शन फार सोशल डिव., हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	—	1,000,000	960,000	1,760,000	1,500,000
7.	नेशनल एज्यू. माइनोरिटीज सोसायटी, गुंटूर	आंध्र प्रदेश	—	—	800,000	—	—
8.	अरुणाचल प्रदेश वी.एच.ए.	अरुणाचल	—	—	—	1,000,000	—
9.	रूरल वूमैन अपलिफ्टमैंट एसोशिएशन आफ असम	असम	—	1,000,000	—	—	1,600,000
10.	वी.एच.ए. असम, गुवाहाटी	असम	—	—	1,000,000	1,893,938	—
11.	देशबंधु क्लब, कछार	आंध्र प्रदेश	—	—	1,200,000	1,200,000	1,855,000
12.	बिहार वी.एच.ए.	बिहार	—	1,000,000	960,000	1,960,00	—
13.	साइंटिफिक एज्यू. प्रमो. एवं. मेडि. एंड फाउण्डेशन, पटना	बिहार	—	1,000,00	960,000	1,960,000	1,600,000
14.	मिल्लत एज्यू. सोसायटी, समस्तीपुर	बिहार	—	1,000,000	600,000	—	—
15.	महिला बाल उत्थान केन्द्र, समस्तीपुर	बिहार	—	1,000,000	—	—	—
16.	आदर्श महिला शिल्पकला केन्द्र, पटना	बिहार	—	—	—	1,600,000	—
17.	अदिति, पटना	बिहार	—	—	—	180,000	—
18.	भगवान बुद्ध विकास सेवा समिति, पटना	बिहार	—	—	—	—	400,000
19.	आर्थिक आत्मनिर्भरता सामाजिक विकास अभिकरण, पटना	बिहार	—	—	—	—	400,000
20.	दाउद नगर ग्रामीण विकास संगठन, औरंगाबाद	बिहार	—	—	—	—	1,200,000
21.	राजेन्द्र इंस्टीट्यूट आफ एजु. एंड वेलफेयर	बिहार	—	—	—	—	1,200,000
22.	सेंटर फार लेबर एजु. एंड सोशल रिसर्च	छत्तीसगढ़	—	1,500,000	2,500,000	—	2,500,000
23.	उत्थान सी एस डी एंड पी ए, इलाहाबाद	छत्तीसगढ़, एम पी एंड यूपी	—	2,000,000	1,960,000	2,500,000	2,500,000

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	इंडकेअर चेरी. ट्रस्ट	दिल्ली	—	—	1,500,000	—	1,013,890
25	एस ओ एस वी ए, नार्थ	दिल्ली, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	3,625,000
26.	गुजरात वालं. हे. एसो. अहमदाबाद	गुजरात	—	—	2,000,000	—	—
27.	चेतना.	गुजरात	—	—	2,000,000	1,000,000	876,997
28.	एफ पी ए आई, अहमदाबाद	गुजरात	—	—	—	—	1,200,000
29.	समग्र विकास ट्रस्ट, अमरेली	गुजरात	—	—	—	—	1,000,000
30.	एच पी वी एच ए	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	2,000,000	—
31.	सूत्र	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	1,200,000	—
32.	निश्चल फाउंडेशन (एस एन एस)	हिमाचल प्रदेश	—	1,000,000	—	1,600,000	1,600,000
33.	स्वाच फाउंडेशन पंचकुला	हरियाणा	—	2,500,000	2,500,000	—	2,489,464
34.	हरियाणा-नवयुवक संगठन	हरियाणा	—	—	—	400,000	—
35.	वौली वीमेंस वेलफेयर सोसायटी, श्रीनगर	जम्मू-कश्मीर	—	—	—	800,000	—
36.	जे एंड के एक्स सर्विस लीग, जम्मू	जम्मू-कश्मीर	—	1,000,000	—	1,000,000	1,000,000
37.	कलमकारी सेंटर पोलुरा, जम्मू	जम्मू-कश्मीर	—	1,500,000	—	1,405,509	—
38.	कृषि ग्राम विकास केन्द्र	झारखण्ड	—	—	—	1600,000	—
39.	ग्राम निर्माण मंडल, नवादा	झारखण्ड	—	—	—	1,200,000	1,600,000
40.	वीमेंस इन सोशल एक्शन मिदनापुर	झारखण्ड	—	1,000,000	—	1,600,000	—
41.	फूलीन महिला चेतना विकास केन्द्र, देवधर	झारखण्ड	—	—	—	—	400,000
42.	शांतिदूत, नालंदा	झारखण्ड	—	—	—	—	400,000
43.	कर्नाटक वालं. हे. एसो.	कर्नाटक	—	—	2,500,000	—	—
44.	एस ओ एस वी ए, कर्नाटक	कर्नाटक	—	2,500,000	2,500,000	2,500,000	—
45.	सेंट जॉन मेडि. कालेज, बंगलौर	कर्नाटक	—	1,000,000	—	1,200,000	—

1	2	3	4	5	6	7	8
46.	रेवीसिद्धेश्वर प्रसन्न मेडि. सोसायटी	कर्नाटक	—	400,000	—	—	—
47.	भा.प.नि. संघ, तिरुवनंतपुरम	केरल	—	—	1,500,000	—	1,500,000
48.	केरल वालंटरी हेल्थ एसो., कोट्टायम	केरल	—	1,000,000	—	1000,000	2,000,000
49.	क्लीयर, बिलासपुर	मध्य प्रदेश	—	1,500,000	2,500,000	—	—
50.	सम्भव, ग्वालियर	मध्य प्रदेश	—	1,500,000	1,500,000	499,000	—
51.	सार्वजनिक प.क. एवं सेवा समिति, ग्वालियर	मध्य प्रदेश	—	1,500,000	2,500,000	2,500,000	3,000,000
52.	संस्कार शिक्षा समिति	मध्य प्रदेश	—	1,500,000	1,500,000	—	1,200,000
53.	मध्य प्रदेश वी एच ए, इंदौर	मध्य प्रदेश	—	—	2,000,000	500,000	1,900,000
54.	एफ पी ए आई, मुम्बई	मध्य प्रदेश	2,500,000	2,500,000	2,468,000	—	2,500,000
55.	मेडि. काउं. सेंटर, भोपाल	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	1,200,000
56.	श्री पार्श्वनाथ वाल मंदिर समिति, इंदौर	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	1,200,000
57.	सेवाधाम ट्रस्ट, पुणे	महाराष्ट्र	—	2,000,000	2,500,000	2,000,000	—
58.	एस ओ एस वी ए, पुणे	महाराष्ट्र	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,900,000
59.	प्रवर मेडिकल ट्रस्ट, अहमदाबाद	महाराष्ट्र	—	1,500,000	1,500,000	1,406,474	1,624,000
60.	गोदावरी फाउंडेशन, जलगांव	महाराष्ट्र	—	1,0000,000	—	1,000,000	1,000,000
61.	लामडिंग चेरपुर होमि. एवं. यूनानी एसो. वांगजिंग	मणिपुर	—	—	1,200,000	1,600,000	—
62.	एफ पी ए आई, इम्फाल	मणिपुर	—	—	1,200,000	1,894,052	—
63.	नागालैंड वी एच ए	नागालैंड	—	—	—	1,500,000	—
64.	उड़ीसा वी एच ए, भुवनेश्वर	उड़ीसा	—	2,000,000	2,500,000	1,000,000	3,000,000
65.	माई हार्ट, भुवनेश्वर	उड़ीसा	—	1,000,000	1,000,000	1,000,000	—
66.	आर्गनाइजेशन फार सोशल चेंज एंड रूरल डेव., भुवनेश्वर	उड़ीसा	—	—	1,200,000	—	1,200,000
67.	आई एस डब्लू ए आर	उड़ीसा	—	—	—	400,000	—
68.	ए एस आर ए	उड़ीसा	—	—	—	800,000	800,000
69.	एनीमल वेल्फेयर	उड़ीसा	—	—	—	800,000	—
70.	नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान	उड़ीसा	—	—	—	400,000	—

1	2	3	4	5	6	7	8
71.	प्रकल्प	उड़ीसा	—	—	—	400,000	
72.	आंचलिक कुंजेश्वरी संस्कृतिका पुरी	उड़ीसा	—	1,000,000	—	960,000	1,000,000
73.	एन आई एच आर डी, कलकत्ता	उड़ीसा	—	—	—	—	800,000
74.	भोरूका चेरीटेबल ट्रस्ट, जयपुर	राजस्थान	—	2,000,000	1,500,000	—	1,700,000
75.	यू आर एम यू एल रूरल हेल्थ रिसर्च, बीकानेर	राजस्थान	—	—	2,000,000	—	1,000,000
76.	राजस्थान वालेंटरी हेल्थ एसो.	राजस्थान	—	2,000,000	—	—	—
77.	चेतना	राजस्थान	—	—	—	—	1,000,000
78.	सिक्किम वी एच ए	सिक्किम	—	—	—	1,000,000	1,000,000
79.	रूरल एजू. एंड डेव. सोसायटी शिवगंगे	तमिलनाडु	—	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
80.	तमिलनाडु वा. हे.एसो., चेन्नई	तमिलनाडु	—	2,500,000	2,500,000	2,500,000	—
81.	गांधीग्राम ग्रामीण स्व. प.क. संस्थान-न्यास, डिंडिगुल	तमिलनाडु	—	2,500,000	2,500,000	1,779,810	3,500,000
82.	दीपक एजू. सो. फार हेल्थ, चेन्नई	तमिलनाडु	—	—	1,000,000	—	800,000
83.	एफ पी ए आई, मुदरई	तमिलनाडु	—	1,000,000	965,660	200,000	2,345,652
84.	वी एच ए त्रिपुरा, अगरतला	त्रिपुरा	—	1,000,000	1,000,000	1,500,000	1,500,000
85.	सी ए आर टी ई, गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश	—	—	—	1,600,000	—
86.	इंडि. इनस्टि. फार डेव. स्टडीज एवं रिसर्च, इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	—	2,000,000	2,500,000	2,65,803	3,600,000
87.	यू पब्लिक स्कूल समिति, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	—	—	2,500,000	—	2,000,000
88.	नौझिल इंटी. रूरल प्रोजे. फार हेल्थ एवं डेवलपमेंट	उत्तर प्रदेश	—	—	2,500,000	—	2,400,000
89.	वर्ल्ड वेल्फे. एंड रिसर्च सेंटर गौंडा	उत्तर प्रदेश	—	—	1,500,000	—	2,000,000
90.	एफ पी ए आई, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	—	—	—	2,500,000	3,600,000
91.	यू पी वी एच ए	उत्तर प्रदेश	—	—	—	1,600,000	—
92.	हिमालय इनस्टि. हास्पि. ट्रस्ट, देहरादून	उत्तर प्रदेश	—	—	2,500,000	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
93.	सी आई एन आई, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	—
94.	गण उन्नयन परिषद, कोलकाता	—	—	1,500,000	1,500,000	1,000,000	1,500,000
95.	प. बंगाल वी एच ए, कोलकाता	—	—	2,000,000	2,500,000	2;500,000	—

(2) नई योजनाएं

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	राज्य	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5	6	7
1.	रूरल वूमेंन अपलिफ्टमेंट	असम	—	—	—	115000
2.	जन स्वास्थ्य सहयोग	छत्तीसगढ़	—	2764000	1440538	—
3.	प्रयास	दिल्ली	—	—	—	869500
4.	वी एच ए आई, नई दिल्ली	दिल्ली	—	—	—	700000
5.	महिला सेवा ट्रस्ट, अहमदाबाद	गुजरात	—	13412670	शून्य	11210526
6.	एस एन एस फाउंडेशन, गुडगांव	हरियाणा	—	—	—	1456000
7.	एस एन एस फाउंडेशन, गुडगांव	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	244125
8.	शातिगिरी आश्रम	केरल	—	—	2457872	—
9.	एफ पी ए आई, मुम्बई	महाराष्ट्र	—	—	—	700000
10.	फैमिली प्लानिंग एंड मेडि. एंड ट्रस्ट	महाराष्ट्र	700000	—	—	—
11.	युवक प्रतिष्ठान	महाराष्ट्र	—	—	2000000	—
12.	एस ओ एस वी ए, पुणे	महाराष्ट्र	—	—	1332922	3000000
13.	वी एच ए आई, दिल्ली	मध्य प्रदेश	—	—	—	874073
14.	डा. पाठक चाइल्ड एंड मदर वेल्फे. सोसाइटी	मध्य प्रदेश	502000	251000	251000	—
15.	डा. पाठक चाइल्ड एंड मदर वेल्फे. सोसाइटी	मध्य प्रदेश	—	800000	242000	—
16.	पापुलेशन फाउंडेशन आफ इंडिया	नई दिल्ली	1211100	816164	633120	802762
17.	वी एच ए आई	नई दिल्ली	—	—	623500	—
18.	वी एच ए आई	उड़ीसा	—	—	—	1700000

1	2	3	4	5	6	7
19.	जन चेतना परिषद	उड़ीसा	—	—	—	1000000
20.	अरसेन रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	तमिलनाडु	—	—	—	206775
21.	गांधीग्राम डिंडीगुल (आर आर सी)	तमिलनाडु	—	—	—	700000
22.	टेगोर सोसाइटी फार रूरल डेवलपमेंट	पश्चिम बंगाल	—	1491940	2187940	—
23.	सी आर आर आई डी	पश्चिम बंगाल	1285397	806303	1211670	—
24.	वूमेंन इन सोशल एक्शन	पश्चिम बंगाल	—	—	421100	—
25.	सी आई एन आई, कोलकाता (आर आर सी)	पश्चिम बंगाल	—	—	—	700000
26.	सम्भव सोशल सर्विस आर्गनाइजेशन	मध्य प्रदेश	—	—	499000	—

लिंग विषयक स्कीम के लिए सहायता

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम	राज्य/संघ क्षेत्र	वर्ष 1999-2000 के दौरान रिलीज की गई निधियां	वर्ष 2000-01 के दौरान रिलीज की गई निधियां	वर्ष 2001-02 के दौरान रिलीज की गई निधियां
1	2	3	4	5	6
1.	ममता हेल्थ इंस्टी. फार मदर एंड चाइल्ड, नई दिल्ली	दिल्ली	2624160	—	489866
2.	वी एच ए आई, दिल्ली	दिल्ली	—	800000	—
3.	मोवाइल क्रेचेज, नई दिल्ली	दिल्ली	1316102	—	1287634
4.	इंस्टि. फार डेवलमेंट एंड कम्यूनिकेशन, चंडीगढ़	चंडीगढ़	1444800	—	—
5.	सेंटर डाइरेक्ट, पटना	बिहार	818160	—	—
6.	ओ एस ई आर डी, पटना	बिहार	439530	—	247968
7.	दौदागर डेवलपमेंट संस्थान, दौदागर	बिहार	2153550	—	783300
8.	विशाखा जिला नव निर्माण समिति, विशाखापटनम	आंध्र प्रदेश	808920	—	808920
9.	राष्ट्रीय सेवा समिति, तिरूपति	आंध्र प्रदेश	1230600	—	669600
10.	स्वसहयोग संस्था, चक्षू	राजस्थान	405379	—	325474

1	2	3	4	5	6
11.	इंडियन इंस्टिट्यूट फार रूरल डेवलपमेंट, जयपुर	राजस्थान	320198	320198	148471
12.	लुपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन	राजस्थान	—	787500	—
13.	कनसर्न्ड सीटिजन	राजस्थान	—	745640	—
14.	गिल्ड आफ सर्विसेज (सेंटल) चेन्नई	तमिलनाडु	130536	—	—
15.	रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी वांगजिंग	मणिपुर	725828	—	832928
16.	कम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सेंटर, थोबल	मणिपुर	2190240	—	—
17.	खुरई यंग वीमेंस सोसि. कल्चरल आर्गनाइजेशन	मणिपुर	—	747600	—
18.	एस ई वी ए एन ए, त्रिवेन्द्रम	केरल	174825	—	139860
19.	अन्वेषी वीमेंस काउंसलिंग सेंटर, कोझीकोड	केरल	867384	—	—
20.	डेवलपमेंट एक्शन थ्रू सेल्फ हेल्थ नेटवर्क	केरल	—	297020	—
21.	जननिति	केरल	—	279524	—
22.	दीपक चेरी. ट्रस्ट, वडोदरा	गुजरात	600000	790980	1574034
23.	पर्वतीय पर्यावरण संरक्षण समिति, पिथौरागढ	उत्तर प्रदेश	495206	—	921361
24.	प. बं. वोलटंरी हेल्थ एसो.	पश्चिम बंगाल	—	942900	—
25.	यूथ एसो. फार रूरल, रिकांस्ट्रक्शन	उड़ीसा	—	680400	—
26.	केरल राज्य बाल कल्याण परिषद	केरल	—	1000000	—
27.	कम्यूनिटी एक्शन फार सोशल ट्रासफार्मेशन, तिरुरविरथापुल्ली	तमिलनाडु	—	—	1211700
28.	शक्ति धाम, मैसूर	कर्नाटक	—	—	—

बी.एफ.एच.आई. योजना

क्र.सं.	संगठन का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1.	एस डब्ल्यू ए सी एच, हरियाणा	584160	584160	500000	663680
2.	एस ओ एस वी ए, चंडीगढ़	—	215550	—	—

परिवार कल्याण विभाग—नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान रिलीज की गई निधियां

राज्य/संगठन का नाम	स्कीम	रिलीज किया गया अनुदान		
		1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
विजय इंटीग्रेटेड डेव. सोसाइटी, गंटूर	एसएम एंड एसएस	105235	0	0
ज.ब.अ. संगम, कुडप्पा	ईआईपी	517980	0	0
सेवा भारती, चित्तूर	एसएम एंड एसएस	103138	0	0
ग्राम स. संज्ञम, चित्तूर	एसएम एंड एसएस	173875	0	0
दी. अ.से. मण्डल	एसएम एंड एसएस	473335	0	0
ज्यो. एजू. सो., अनन्तपुर	एसएम एंड एसएस	76885	0	0
सर्वो. वेल्फे.सो., तिरूपति	एसएम एंड एसएस	62735	0	0
वि व. समाज, विशाखापटनम	एसएम एंड एसएस	144880	0	0
अन्नापूर्णा महिला मण्डली, अनन्तपुरम	एसएम एंड एसएस	38542	0	0
चै. एज्यू. एंड रूरल डे. सो., कुडप्पा	एसएम एंड एसएस	141530	0	0
विशाखा सेवा समिति, विशाखापटनम	एसएम एंड एसएस	206175	0	0
नेहरू युवजन सेवा संगम, चित्तूर	एसएम एंड एसएस	141530	0	0
श्रावणी चेरी आर्ग., विशाखापटनम	एसएम एंड एसएस	123705	0	0
श्री पद महिला मण्डली, चित्तूर	एसएम एंड एसएस	109230	0	0
दि चित्तूर जिला शा.अ. व्यक्ति, कल्याण	एसएम एंड एसएस	141530	0	0
सो. अप. रूरल यू. एंड सो. स्टा. आंध्र प्रदेश	एसएम एंड एसएस	76885	0	0
रूरल लेप रेहव एंड सो. वेल्फे. एसो., चित्तूर	एसएम एंड एसएस	44585	0	0
अल्प अमीन सोसाइटी, कुडप्पा	छह पलंग	128700	0	0
पावर	एसएम एंड एसएस	141530	0	0
अरुणाचल प्रदेश				
रामाकृष्णा मिशन हास्पिटल, ईटानगर	—	102700	0	0
असम				
रूरल वीमेन अफलिफ्टमेंट एसो.	मदर यूनिट	710000	0	0

1	2	3	4	5
बिहार				
हरिजन आदिवासी सेवा संस्थान	एसएम एंड एसएस	44585	0	0
प्रगति फाउंडेशन, मुजफ्फरपुर	एसएम एंड एसएस	173875	0	0
सिद्धार्थ ज्ञान केन्द्र, समस्तीपुर	एसएम एंड एसएस	191880	0	0
सिद्धार्थ ज्ञान केन्द्र	एसएम एंड एसएस	191880	0	0
हरिजन सेवक संघ, माधोपुर	एसएम एंड एसएस	46585	0	0
डा. देव सेवाआश्रम, मुजफ्फरपुर	एसएम एंड एसएस	191880	0	0
जयसिला विकास संस्थान	एसएम एंड एसएस	76885	0	0
ज्योति सेवा सदन, ईस्ट चम्पारन	एसएम एंड एसएस	76885	0	0
आत्मा सेवा संस्थान	एसएम एंड एसएस	44585	0	0
महिला बाल उत्थान केन्द्र, मुजफ्फरपुर	एसएम एंड एसएस	206775	0	0
लॉर्ड बुद्ध मिशन	एसएम एंड एसएस	206175	0	0
भारतीय जन मण्डल, वैशाली	एसएम एंड एसएस	206175	0	0
लोक चेतना फाउंडेशन, वैशाली	एसएम एंड एसएस	44585	0	0
विद्यापति सामाजिक एवं शिक्षण संस्थान	एसएम एंड एसएस	216750	0	0
जैनेन्ड फाउंडेशन, वैशाली	एसएम एंड एसएस	76885	0	0
लोक रंग पटना	एसएम एंड एसएस	76885	0	0
सो. एज्यू. प्रमो. फाउंडेशन	ईआईपी	675000	0	0
पुस्तकालय सेवा संस्थान, छपरा	एसएम एंड एसएस	206175	0	0
जन चेतना फाउंडेशन, माधोपुर	एसएम एंड एसएस	76885	0	0
बाजीकांचल विकास, वैशाली	एसएम एंड एसएस	38442	0	0
कला बिहार, वैशाली	एसएम एंड एसएस	76885	0	0
शाश्वत सेवा संस्थान, बेगूसराय	एसएम एंड एसएस	62135	0	0
वैशाली कला कूंज, वैशाली	एसएम एंड एसएस	141530	0	0
डा. देव सेवाआश्रम, मुजफ्फरपुर	एसएम एंड एसएस	191880	0	0
देवनन्दम सेवा सदन, वैशाली	एसएम एंड एसएस	109230	0	0
बेरोजगार संघ, वाल्मिकीनगर	एसएम एंड एसएस	44585	0	0
ग्रामीण समाज सेवा संस्था, मधुबनी	एसएम एंड एसएस	46586	0	0

1	2	3	4	5
मनोरमा महिला सेवा संस्थान, वैशाली	एसएम एंड एसएस	141530	0	0
अल्प संख्यक महिला प्रशिक्षण संस्थान, पटना	एसएम एंड एसएस	206175	0	0
हेलपिंग इण्डिया, वैशाली	एसएम एंड एसएस	44585	0	0
दिव्य कला निकेतन, वैशाली	एसएम एंड एसएस	76885	0	0
चंडीगढ़				
सेंटर फार रिसर्च इन रूरल इंड इंस्टि. डवलप., चंडीगढ़	अभिनव	140700	0	0
सेंटर फार रिसर्च इन रूरल एंड इंस्टि. डवलप., चंडीगढ़	अभिनव	455534	0	0
सेंटर फार रिसर्च इन रूरल एंड इंस्टि. डवलप.	ईआईपी	486916	0	0
सेंटर फार रिसर्च इन रूरल एंड इंस्टि. डवलप.	अभिनव	681625	0	0
सेंटर फार रिसर्च इन रूरल एंड इंस्टि. डवलप., चंडीगढ़	अभिनव	486916	0	0
सेंटर फार रिसर्च इन रूरल एंड इंस्टि. डवलप.	ईआईपी	588098	0	0
सेंटर फार रिसर्च इन रूरल एंड इंस्टि. डवलप.	ईआईपी	38400	0	0
दादरा और नगर हवेली				
इण्डियन रेड क्रास सोसायटी, सिल्वासा	छह पलंग	34637	0	0
इण्डियन रेड क्रास सोसायटी, सिल्वासा	छह पलंग	101700	0	0
दिल्ली				
डा. ए.वी. बालीगा मीमोरीयल ट्रस्ट	एसएम एंड एसएस	62135	0	0
सेंटर फार लेबर एजुकेशन एंड सोसल रिसर्च, कालकाजी	मदर यूनिट	300335	0	0
जीवन चेरीटेबल हास्पिटल, जीवन नगर	छह पलंग	155700	0	0
एस ओ एस वी ए, नई दिल्ली	मदर यूनिट	2500000	0	0
वॉलंट्री हेल्थ एसो., मालवीय नगर	एसएम एंड एसएस	64135	0	0
सेंटर फार रिसर्च, प्लानिंग एंड एक्शन, दिल्ली	मदर यूनिट	116392	0	0
सोशल एक्शन फार वेलफेयर एज्यूकेशन एंड रूरल	एसएम एंड एसएस	105235	0	0
सेंटर फार रिसर्च प्लानिंग एंड एक्शन	मदर यूनिट	1194660	0	0
सेंटर फार रिसर्च प्लानिंग एंड एक्शन, दिल्ली	मदर यूनिट	116392	0	0
भारतीय परिर्वधन संस्थान, नन्द नगरी, दिल्ली	एसएम एंड एसएस	191880	0	0
दि राजस्थान रुझान ग्रामीण उत्थान संस्थान, दिल्ली	एसएम एंड एसएस	44585	0	0

1	2	3	4	5
हरियाणा				
हरि चेतना संगठन, सोनीपत	एसएम एंड एसएस	191480	0	0
जम्मू और कश्मीर				
हिलाल इन्सट्रिट्यूट, अनन्तनाग	ईआईपी	341793	0	0
कलमकारी सेंटर वाकेशनल ओरिंटिड वूमेन पॉलयटीच, जम्मू	मदर यूनिट	79200	0	0
कलमकारी सेंटर वाकेशनल ओरिंटिड वूमेन पॉलयटीच, जम्मू	मदर यूनिट	55620	0	0
कलमकारी सेंटर वाकेशनल ओरिंटिड वूमेन पॉलयटीच, जम्मू	मदर यूनिट	79200	0	0
जे एंड के एक्स सर्विस, जम्मू	मदर यूनिट	312950	0	0
जे एंड के एक्स सर्विस, जम्मू	मदर यूनिट	50000	0	0
कर्नाटक				
प्रजा प्रगति संस्था, राबर्टसोनपेट	एसएम एंड एसएस	105235	0	0
श्री एस एस ए एस, चित्रदुर्ग	एसएम एंड एसएस	199480	0	0
श्री वै. वि. स., चित्रदुर्ग	एसएम एंड एसएस	80885	0	0
के एस वी वि एस, चित्रदुर्ग	एसएम एंड एसएस	109235	0	0
रूरल डेब. एंड ट्रेनिंग सोसाइटी	एसएम एंड एसएस	64135	0	0
श्री एस एंड एजू. ए मल्टी डे. सो.	एसएम एंड एसएस	105235	0	0
प्रगति इन्टी. रूरल डे. सो., चित्रदुर्ग	एसएम एंड एसएस	76885	0	0
राजाजी यश. महिला मंडल, बंगलौर	छह पलंग	128700	0	0
श्री जी वी एस, विजापुर	एसएम एंड एसएस	64135	0	0
एस ओ एस वी ए, कर्नाटक	मदर यूनिट	2500000	0	0
धवलेश्वरी एस सी विडग समस्थी, चित्रदुर्ग	एसएम एंड एसएस	109235	0	0
साधना रूरल डेव. ट्रस्ट, कोलार	एसएम एंड एसएस	6688	0	0
रेणुका महिला समाज, चित्रदुर्ग	एसएम एंड एसएस	105235	0	0
महाराष्ट्र				
एस ओ एस वी ए, पुणे	मदर यूनिट	299000	0	0
एस ओ एस वी ए, पुणे	मदर यूनिट	598000	0	0
फैमिली प्लानिंग एसो., मुम्बई	मदर यूनिट	560040	0	0
एस ओ एस वी ए, पुणे	मदर यूनिट	426050	0	0

1	2	3	4	5
वाई एस एस पी मंडल, नांदड़े	एसएम एंड एसएस	46585	0	0
एस ओ एस वी ए, पुणे	मदर यूनिट	323750	0	0
एस ओ एस वी ए, पुणे	मदर यूनिट	299000	0	0
एस ओ एस वी ए, पुणे	रोलिंग फंड	133200	0	0
एस ओ एस वी ए, पुणे	मदर यूनिट	2500000	0	0
एस ओ एस वी ए, पुणे	मदर यूनिट	3850000	0	0
एस ओ एस वी ए, पुणे	रोलिंग फंड	133200	0	0
बी.आर. श्री. प. मण्डल, नांदड़े	एसएम एंड एसएस	31068	0	0
एस ओ एस वी ए, पुणे	मदर यूनिट	234000	0	0
ए बी एम एस पी, संस्था	एसएम एंड एसएस	133585	0	0
एफ पी ए आई, मुम्बई	मदर यूनिट	2500000	0	0
एस ओ एस वी ए, पुणे	मदर यूनिट	545200	0	0
बी आर एस पी एम, नांदेड़	एसएम एंड एसएस	31067	0	0
एस ओ एस वी ए, पुणे	मदर यूनिट	234000	0	0
एफ पी ए आई, मुम्बई	मदर यूनिट	2224646	0	0
वी एस पी एम, नांदेड़	एसएम एंड एसएस	52617	0	0
एस ओ एस वी ए, पुणे	रौलिंग फण्ड	3348224	0	0
एस ओ एस वी ए, पुणे	मदर यूनिट	258489	0	0
मणिपुर				
रूरल डवल. सोसायटी, वांजिंग	छह पलंग	101700	0	0
एम आर एच आर सेंटर, चूरचन्द्रपुर	छह पलंग	101700	0	0
रूरल इंडस्ट्रीज डवल. एसोसि.	एसएम एंड एसएस	62135	0	0
आर डी ओ (डब्ल्यू. 11036/4/93)	एसएम एंड एसएस	506700	0	0
आर टी डब्ल्यू एस, इम्फाल	एसएम एंड एसएस	45585	0	0
मध्य प्रदेश				
सोसायटी फॉर सोशल डवल., ग्वालियर	एसएम एंड एसएस	206775	0	0
श्री राम किशोरी महिला विकास एवं समाज कल्याण मण्डल	एसएम एंड एसएस	206175	0	0
हेल्थ एंड सोशल डवल. सोसायटी, ग्वालियर	एसएम एंड एसएस	137875	0	0

1	2	3	4	5
सुमन शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, ग्वालियर	एसएम एंड एसएस	148380	0	0
अराधना ग्रामीण सेवा समिति, मुरैना	एसएम एंड एसएस	206775	0	0
शकुनता प्रभा बाल एवं महिला सेवा केन्द्र	एसएम एंड एसएस	76885	0	0
डा. पाठक चाइल्ड एंड मदर वेलफेयर सोसायटी, ग्वालियर	ईआईपी	237342	0	0
स्व. श्री गेंदालाल समाज कल्याण संस्थान, मुरैना	एसएम एंड एसएस	109235	0	0
श्री वल्लभ शिक्षा प्रचार समिति, मुरैना	एसएम एंड एसएस	103387	0	0
डा. पाठक चाइल्ड एंड मदर वेलफेयर सोसायटी, ग्वालियर	ईआईपी	118671	0	0
शान्ति ग्रामीण सेवा एवं कल्याण समिति, दतिया	एसएम एंड एसएस	46585	0	0
उत्थानम समिति	एसएम एंड एसएस	103088	0	0
उड़ीसा				
चेतना, धेनकनाल	एसएम एंड एसएस	44585	0	0
इंस्टी. आफ सो. वर्क एंड एक्शन रिसर्च, धेनकनाल	एसएम एंड एसएस	210575	0	0
सुरख्या, धेनकनाल	एसएम एंड एसएस	76885	0	0
गानिया उन्नयन न्यायगढ़	एसएम एंड एसएस	46585	0	0
सोशल वेल्फेयर क्लब, गंजम	एसएम एंड एसएस	206575	0	0
दि सीटिजन, कटक	एसएम एंड एसएस	22290	0	0
उड़ीसा इंस्टि. आफ एजू. एंड सोसा. डे., जैपोर	एसएम एंड एसएस	46585	0	0
नेशनल यूथ सर्विसेज एक्शन एंडसोश. डे.	एसएम एंड एसएस	76885	0	0
स्वामी विवेकानन्द स्वजन सेवा संघ, कटक	एसएम एंड एसएस	54475	0	0
ह्यूमन रिसोर्स. डे. एक्शन रिसर्च, धेनकनाल	एसएम एंड एसएस	34742	0	0
पीरू क्लब, कटक	एसएम एंड एसएस	80885	0	0
उत्कलिक युवक संघ, धेनकनाल	एसएम एंड एसएस	76885	0	0
जव ज्योति क्लब, खुर्दा	एसएम एंड एसएस	70765	0	0
पल्ली विकास केन्द्र, धेनकनाल	एसएम एंड एसएस	53115	0	0
वालं. एसो. आफ रूरल रिकन. एंड सोसा., भद्रक	एसएम एंड एसएस	46585	0	0
इंस्टि. आफ सोश. वर्क एंड एक्श. रिसर्च, धेनकनाल	एसएम एंड एसएस	141930	0	0
एनीमल वेल्फेयर सोसा. आफ उड़ीसा, भुवनेश्वर	एसएम एंड एसएस	103087	0	0

1	2	3	4	5
राजस्थान				
ग्रामीण विकास संस्थान, भरतपुर	मदर यूनिट	1216605	0	0
इंडियन रेड क्रास सोसायटी, जयपुर	स्वास्थ्य मेला	69797	0	0
तमिलनाडु				
शिवगंगे रूरल वूमेन डेव. सोसायटी पी एम टी	एसएम एंड एसएस	206775	0	0
गांधीग्राम इन्स्टीट्यूट आफ रूरल हेल्थ एंड परिवार कल्याण ट्रस्ट डंडीगुल	एसएम एंड एसएस	3300	0	0
वर्किंग वूमेन्स फार्म, मलियापुर	यू एन एफ पी ए	276672	0	0
सोशल वेलफेयर सोसायटी, चेन्नई	एसएम एंड एसएस	46585	0	0
गांधीग्राम इन्स्टीट्यूट आफ रूरल हेल्थ एंड परिवार कल्याण ट्रस्ट, डंडीगुल	एसएम एंड एसएस	3300	0	0
आर डी डब्ल्यू ए, सम्वुवरयार	एसएम एंड एसएस	76885	0	0
अमरिकन एसो. आफ फरोम इंडियन, तंजावूर	एसएम एंड एसएस	200039	0	0
एस ए वी ई पी एन टी	एसएम एंड एसएस	206775	0	0
अरम्बुगल ट्रस्ट, पलायकोट्टे	एसएम एंड एसएस	46585	0	0
के पी एच डब्ल्यू एस, त्रिची	एसएम एंड एसएस	53662	0	0
वूमेन एक्शन फार रूरल डपल., मदुरई	एसएम एंड एसएस	138850	0	0
अन्ना वेद हेंडलूम टेक्सटाइल प्रोडयू.	एसएम एंड एसएस	206175	0	0
ग्राम मक्कल मन्दरम पी एम	एसएम एंड एसएस	52617	0	0
सेंट पाल एजू. सोसा. कट्टावोम्मन	एसएम एंड एसएस	53115	0	0
एच ई डी सी ओ, मदुरई	एसएम एंड एसएस	44685	0	0
उत्तर प्रदेश				
समता समविदा केन्द्र, लखनऊ	ई एंड पी	45000	0	0
शिव ग्रोद्योग शिवा संस्थान, बुलन्दशहर	एसएम एंड एसएस	76885	0	0
वूमेन एंड चाइल्ड केरी चेरिटेबल सोसायटी नेनी, इलाहाबाद	ईआईपी	415845	0	0
राजश्री सिंह जन कल्याण समिति, लखनऊ	स्वास्थ्य मेला	56680	0	0
मानव कल्याण सेवा समिति, इलाहाबाद	एसएम एंड एसएस	105235	0	0
भागीरथी ग्रामीन विकास केन्द्र, बुलन्दशहर	एसएम एंड एसएस	46585	0	0

1	2	3	4	5
जन जागृति सेवा समिति, रायबरेली	एसएम एंड एसएस	46585	0	0
अलोक कल्याण संस्थान, इलाहाबाद	एसएम एंड एसएस	46585	0	0
ग्राम विकास सेवा संस्थान गोला, गोरखपुर	एसएम एंड एसएस	46585	0	0
मानव सेवा संस्थान, गोरखपुर	एसएम एंड एसएस	46585	0	0
स्वामी संत दास मानव कल्याण समिति, फतहपुर	परि.कल्या. म.	216750	0	0
जागृतिराय बरेली	एसएम एंड एसएस	46585	0	0
ग्रामीण विकास संस्थान, गोरखपुर	एसएम एंड एसएस	80885	0	0
कल्याण समिति, इलाहाबाद	एसएम एंड एसएस	277725	0	0
आदर्श समाज कल्याण एंड खादी ग्रामोद्योग, इलाहाबाद	एसएम एंड एसएस	173875	0	0
गणेश सेवा समिति, बुलन्दशहर	एसएम एंड एसएस	46585	0	0
ए एस एस कला केन्द्र, उन्नाव	एसएम एंड एसएस	206175	0	0
डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फार चाइल्ड कल्याण रायबरेली	एसएम एंड एसएस	206175	0	0
अखिल खादी एंड ग्राम इंडीस्ट्र. इन्स्ट्री., रायबरेली	एसएम एंड एसएस	86940	0	0
सेवा संस्थान, इलाहाबाद	एसएम एंड एसएस	141530	0	0
समता संविदा केन्द्र, लखनऊ	ईआईपी	45000	0	0
ग्रामीण विकास संस्थान, गोरखपुर	एसएम एंड एसएस	80885	0	0
हिमालय इन्ट्री. हास्पिटल ट्रस्ट, देहरादून	ईआईपी	370269	0	0
एस पी वी एस, चित्रदुर्ग	एसएम एंड एसएस	80885	0	0
सरस्वती ग्रामय विकास शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	एसएम एंड एसएस	109230	0	0
श्रमिक विकास सेवा आश्रम, इलाहाबाद	एसएम एंड एसएस	103088	0	0
श्रीराम ग्रामोद्योग सेवा संस्थान फर्रुखाबाद	एसएम एंड एसएस	46585	0	0
गणेश शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद	एसएम एंड एसएस	46585	0	0
इण्डियन इन्ट्री. फार डवल. स्टर्डि एंड रिसर्च, इलाहाबाद	मदर यूनिट	138360	0	0
रूबी ग्राम उद्योग संस्थान, शाहजहांपुर	एसएम एंड एसएस	206175	0	0
श्री शिक्षा संस्थान, वाराणसी	एसएम एंड एसएस	44585	0	0
इण्डियन इन्ट्री. फार डवल. स्टर्डि एंड रिसर्च, इलाहाबाद	मदर यूनिट	1463995	0	0
आर एल पी संस्थान, लखनऊ	एसएम एंड एसएस	44585	0	0
हिमालयन इन्ट्री. हास्पिटल ट्रस्ट, देहरादून	ईआईपी	2360276	0	0

1	2	3	4	5
प्रसिद्ध नारायन महिला कल्याण समिति, गोरखपुर	एसएम एंड एसएस	46585	0	0
श्री कृष्णा सेवा आश्रम, इलाहाबाद	एसएम एंड एसएस	76885	0	0
महिला मंगल एंड समग्र ग्राम विकास संस्थान, भदोई	एसएम एंड एसएस	76885	0	0
सर्वोदय शिक्षण सदन, इलाहाबाद	एसएम एंड एसएस	141530	0	0
भारतीय हस्तशिल्प खादी ग्राम विकास समिति, लखनऊ	एसएम एंड एसएस	44585	0	0
पर्वतीय नव जागरन समिति, अलमोडा	पोलीपैथी	137500	0	0
हसरत मोहनी चेरीटेबल सोसायटी, कानपुर	छह पलंग	155700	0	0
सर्वजन कल्याण समिति, इलाहाबाद	एसएम एंड एसएस	289725	0	0
मोलाना अबुल कलाम अजाद सेवा संस्थान, लखनऊ	एसएम एंड एसएस	76885	0	0
मलिन बस्ती कल्याण एवं विकास समिति, इलाहाबाद	एसएम एंड एसएस	105235	0	0
भारतीय सर्वोदय संस्थान, रायबरेली	एसएम एंड एसएस	141530	0	0
राम चन्द्र ग्रामोद्योग समिति, उन्नाव	एसएम एंड एसएस	46585	0	0
रतन ग्राम विकास समिति, रामपुर	एसएम एंड एसएस	46585	0	0
चेरीटेबल कल्याण सोसायटी, अलीगढ़	एसएम एंड एसएस	557450	0	0
वूमेन एंड चाइल्ड केरी चेरीटेबल सोसायटी, इलाहाबाद	ईआईपी	290745	0	0
कल्याण मिशन, रायबरेली	एसएम एंड एसएस	105235	0	0
आई आई डी एस आर, इलाहाबाद	मदर यूनिट	138360	0	0
पश्चिम बंगाल				
रामकृष्णा मिशन सेवा प्रतिष्ठान	ईआईपी	605345	0	0
सिद्ध कानू ग्राम उन्नयानी समिति, वर्धमान	एसएम एंड एसएस	54765	0	0
कल्याणपुर युवा संघ, मिदनापोर	परि.क.मंत्रा.	29850	0	0
अखिल भारतीय वूमेन कानफ्रेंस, मिदनापोर	छह पलंग	150000	0	0
करीमपुर सोशल कल्याण सोसायटी, नादिया	छह पलंग	128700	0	0
चाइल्ड इन नीड इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता	मदर यूनिट	2500000	0	0
चाइल्ड इन नीड इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता	मदर यूनिट	141492	0	0
वेस्ट बंगाल वोलंट्री हेल्थ एसो., कलकत्ता	मदर यूनिट	439432	0	0
रामकृष्णा मिशन सेवा प्रतिष्ठान, कलकत्ता	ईआईपी	652655	0	0

परिवार कल्याण विभाग—नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान रिलीज की गई निधियां

राज्य एवं संगठन का नाम	स्कीम	रिलीज किया गया अनुदान		
		1997-98	1998-99	1999-200
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
आर पी पी डब्ल्यू, अनन्तपुर	एसएम एंड एसएस	0	173875	0
पी पी एस एस, चित्तूर	एसएम एंड एसएस	0	0	103088
वी वी ओ, महबूबनगर	एसएम एंड एसएस	0	0	128700
पी ए एस एस, चित्तूर	छह पलंग	0	0	19305
आर ओ एस ई, चित्तूर	एसएम एंड एसएस	0	206175	0
वी वी ओ, महबूबनगर	छह पलंग	0	20	386100
एच आर डी ए, चित्तूर	एसएम एंड एसएस	0	0	103100
आर डब्ल्यू एसो.	एसएम एंड एसएस	0	108488	0
आर डी एस, अनन्तपुरम	एसएम एंड एसएस	0	173875	0
एस आई आर आई, चित्तूर	एसएम एंड एसएस	0	44585	0
डब्ल्यू ए डी ए, चित्तूर	एसएम एंड एसएस	0	0	141530
आई ई एफ आर मिशन, अनन्तपुर	एसएम एंड एसएस	0	173875	0
एन एस एस, महबूबनगर	एसएम एंड एसएस	0	109230	0
वी वी ओ, महबूबनगर	छह पलंग	0	128700	0
एस एस स्वामी, चित्तूर	एसएम एंड एसएस	0	76885	0
आर एस डब्ल्यू ए, महबूबनगर	एसएम एंड एसएस	0	44585	0
आर डब्ल्यू ए, चित्तूर	एसएम एंड एसएस	0	97687	0
एस वी वाई ए, अनन्तपुर	एसएम एंड एसएस	0	109230	0
सी आर डी एसो.	एसएम एंड एसएस	0	206175	0
एकलव्य मेमो. लीग, चिराला	एसएम एंड एसएस	0	0	173875
पी ए एस एस, तिरूपति	—	0	0	257400
एस ए एस डी, हैदराबाद	एसएम एंड एसएस	0	206175	0
अल अमी सोसाइटी, कुडप्पा	—	0	0	622800
असम				
यूनिमल सोसायटी	छह पलंग	0	311400	0
यूनिमल सोसायटी	एसएम एंड एसएस	0	0	311400

1	2	3	4	5
बिहार				
ग्रामीण समग्र सेवा संस्था, मधुबनी	एसएम एंड एसएस	0	44585	0
संथाल परगना विकास एवं सेवा संस्थान देवघर	एम एफ डब्ल्यू एस	0	0	29850
विकास समिति, जुमई	पीएलएमपी	0	57500	0
पाटलीपुत्र विकास परिषद, अररिया	एसएम एंड एसएस	0	0	141530
विशाल कला निकेतन, छपरा	एसएम एंड एसएस	0	76885	0
शाहपुर विकास समिति, छपरा	एसएम एंड एसएस	0	76885	0
मगध रिहैबलीटेशन एंड वेलफेयर सोसायटी, पटना	एसएम एंड एसएस	0	76886	0
तिरयानी सेवायतन, सीतामढ़ी	पी एल एम पी	0	27500	0
तिरयानी सेवायतन, सीतामढ़ी	एम एफ डब्ल्यू एस	0	24033	
नव जीवन विकास संस्थान, मधुबनी	एसएम एंड एसएस	0	76885	0
बिहार, वैशाली	एसएम एंड एसएस	0	44585	0
चंडीगढ़				
सेंटर फार रिसर्च इन रूरल एंड इन्ड. डवलपमेंट	ईआईपी	0	0	736700
एस ओ एस डब्ल्यू ए, चण्डीगढ़	बीएफएचआई	0	0	215500
सेंटर फार रिसर्च इन रूरल एंड इन्ड. डवलपमेंट	ईआईपी	0	607897	0
सेंटर फार रिसर्च इन रूरल एंड इन्ड. डवलपमेंट	ईआईपी	0	677500	0
दादरा एंड नगर हवेली				
इण्डियन रेड क्रास सोसायटी, सिलवासा	छह पलंग	0	0	101700
इण्डियन रेड क्रास सोसायटी	छह पलंग	0	101700	0
दिल्ली				
इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन नई दिल्ली	ईआईपी	0	1542000	0
समर्थ दि प्रोफिशनल, नई दिल्ली	एसएम एंड एसएस	0	105235	0
पोपूलेशन फाउंडेशन आफ इंडिया	ईआईपी	0	0	632000
अलमद हरिनगर, नई दिल्ली	एसएम एंड एसएस	0	31067	0
इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन	ईआईपी	0	0	514000
इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, नई दिल्ली	ईआईपी	0	1027400	0
नारी उत्थान समिति मौजपुर, दिल्ली	एसएम एंड एसएस	0	62135	0

1	2	3	4	5
वालंट्री हेल्थ एसोसिएशन, नई दिल्ली	एसएम एंड एसएस	0	29067	0
जन उत्थान, नई दिल्ली	एसएम एंड एसएस	0	0	62135
जीवन चेरीटेबल हास्पिटल	—	0	0	311400
वालंट्री हेल्थ एसोसिएशन आफ इंडिया, नई दिल्ली	पीएनडीटी	0	0	1200000
हरियाणा				
आदर्श सरस्वती शिक्षा समिति सोनीपत	एसएम एंड एसएस	0	109230	0
जम्मू व कश्मीर				
हिलाल इंस्टीट्यूट, अनन्तनाग	ईआईपी	0	0	114906
कर्नाटक				
के जी वी, चित्रदुर्ग	एसएम एंड एसएस	0	105235	0
एस ओ एस वी ए	—	0	447000	0
एस एस एम, चित्रदुर्ग	एसएम एंड एसएस	0	76885	0
पी वी एस, चित्रदुर्ग	एसएम एंड एसएस	0	76885	0
वी आर डी टी एस, कोलार	एसएम एंड एसएस	0	62135	0
जे जी वी सांस्कृतिक	एसएम एंड एसएस	0	0	31067
एस एम डब्ल्यू एस, चित्रदुर्ग	एसएम एंड एसएस	0	105235	0
केरल				
सानथीगीरी आश्रम, तिरुवन्तपुरम	ईआईपी	0	0	1154776
मध्य प्रदेश				
प्रगति महिला मंडल, मोरीना	एसएम एंड एसएस	0	206175	0
ग्राम्य विकास एवं जन कल्याण संस्था, ग्वालियर	एसएम एंड एसएस	0	0	105235
सोसायटी फार रूरल डवलपमेंट ग्वालियर	एसएम एंड एसएस	0	191480	0
सायम शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान, भिण्ड	एसएम एंड एसएस	0	141530	0
स्व. श्री जीनदालाल समाज कल्याण संस्थान, मोरीना	एसएम एंड एसएस	0	0	105235
सनदीपानी महिला एवं बाल कल्याण समिति, मोरीना	एसएम एंड एसएस	0	105235	0
सुनीता बाल विद्या समिति, इंदौर	एसएम एंड एसएस	0	44685	0
महाराष्ट्र				
सोसायटी फार सर्विस एजेंसिज	यूएनआफपीए	0	2890833	0

1	2	3	4	5
फेमली प्लानिंग एसोसिएशन आफ इण्डिया मुम्बई	मदर यूनिट	0	967137	0
परिवार मंगल ट्रस्ट, पुणे	ईआईपी	0	575684	0
एस ओ एस वी ए, पुणे	मदर यूनिट	0	428911	0
सोसायटी फार सर्विस टू वालंट्री एजेंसिज, पुणे	मदर यूनिट	0	1426326	0
सुविधा फाउंडेशन अकोला	—	0	150000	0
मणिपुर				
सोसियो इको डेव. आर्ग. थोवल	एसएम एंड एसएस	0	62135	0
उड़ीसा				
वी वाई एस, धेनकनाल	एसएम एंड एसएस	0	76885	0
एस बी मन्दिर, जाजपुर	एसएम एंड एसएस	0	38442	0
पी आर सी, भुवनेश्वर	एसएम एंड एसएस	0	3300	0
एस ओ वी ए, धेनकनाल	एसएम एंड एसएस	0	44585	0
वर्षा, भद्रक	एसएम एंड एसएस	0	44585	0
एन आई सी सी डी, कटक	एसएम एंड एसएस	0	76885	0
एन आई आर डी, धेनकनाल	एसएम एंड एसएस	0	0	44585
ये के, भुवनेश्वर	एसएम एंड एसएस	0	44585	0
एन आई सी एंड चाइल्ड डेव.	एसएम एंड एसएस	0	0	76885
ओ वी एच एसो.	पीएनडीटी	0	0	360000
आई एस डब्ल्यू ए आर, धेनकनाल	एसएम एंड एसएस	0	0	141930
डी जे पी, उड़ीसा	एसएम एंड एसएस	0	0	22293
जी यू सी, नयागढ़	एसएम एंड एसएस	0	0	44585
पी वाई सी, कटक	एसएम एंड एसएस	0	76885	0
यू एस एस, कटक	एसएम एंड एसएस	0	0	173375
जी यू सी, नयागढ़	एसएम एंड एसएस	0	44585	0
ए वी पी, धेनकनाल	एसएम एंड एसएस	0	105230	0
के एम एस, धेनकनाल	एसएम एंड एसएस	0	141530	0
पी डब्ल्यू एस, धेनकनाल	एसएम एंड एसएस	0	141530	0
आई एस डब्ल्यू ओ, धेनकनाल	एसएम एंड एसएस	0	206175	0

1	2	3	4	5
के एम एस, बरीपाडा	एसएम एंड एसएस	0	109240	0
पी ए वाई एंड एल, धेनकनाल	एसएम एंड एसएस	0	105235	0
मा तरनी रूरल डेव. एजेंसी, जाजपुर	एसएम एंड एसएस	0	77085	0
आर डी ए सी, मयूरभंज	एसएम एंड एसएस	0	44585	0
जे जे एस, कटक	ईआईपी	0	77404	0
जे जे एस, कटक	एसएम एंड एसएस	0	44585	0
तमिलनाडु				
डब्ल्यू सी डी एस, कोटाबोमन	एसएम एंड एसएस	0	141530	0
अर्मगल ट्रस्ट, तिरुपति	एसएम एंड एसएस	0	22290	0
जी एस एस एस एस, सिडुनगलूर	एसएम एंड एसएस	0	206175	0
सी ओ डब्ल्यु, मदुरई	एसएम एंड एसएस	0	0	44585
के के एस एन, कोटाबोमन	एसएम एंड एसएस	0	76885	0
तमिलनाडु साइंस फोरम, चेन्नई	ईआईपी	0	305000	0
उत्तर प्रदेश				
बाल सदन एवं बालवानी केन्द्र, मिर्जापुर	एसएम एंड एसएस	0	76885	0
पर्वतीय न्यू जागरण समिति, अलमोड़ा	पालीपैथी	0	131500	0
सी एस एच आर डी आर	एसएम एंड एसएस	0	77085	0
नागरिक सेवा समिति, बदायूं	एसएम एंड एसएस	0	141530	0
गणेश सेवा समिति, बुलन्दशहर	एसएम एंड एसएस	0	0	44585
मार्डन कन्या जूनियर हाई स्कूल, फर्रुखाबाद	एसएम एंड एसएस	0	76885	0
पूर्वांचल सेवा संस्थान, आजमगढ़	एसएम एंड एसएस	0	76885	0
सहयोग सर्वोदय मण्डल, सहारनपुर	एसएम एंड एसएस	0	141530	0
हिमालयन इंस्टी. हास्पिटल ट्रस्ट, देहरादून	ईआईपी	0	1969019	0
जागृति ग्रामोद्योग भवन, रायबरेली	एसएम एंड एसएस	0	44585	0
न्यू पब्लिक स्कूल समिति, लखनऊ	एसएम एंड एसएस	0	0	206175
पिपुल्स वेलफेयर सोसायटी, इलाहाबाद	एसएम एंड एसएस	0	76885	0
पर्वतीय न्यू जागरन समिति, अलमोड़ा	—	0	0	137500

1	2	3	4	5
इंडियन एसोसिएशन आफ चाइल्ड एंड वूमेन रिलीफ राजाजीपुरम	आरएफएस	0	1179750	0
आदिवासी समाज उत्थान एंड कल्याण समिति, इलाहाबाद	एसएम एंड एसएस	0	0	141530
जनहित सेवा संस्थान, इलाहाबाद	एसएम एंड एसएस	0	0	38443
हिमालय इंस्टी. हास्पिटल ट्रस्ट, देहरादून	ईआईपी	0	0	242173
गणेश बाल विद्या मंदिर समिति	एसएम एंड एसएस	0	0	77326
रामचन्द्र ग्रामोद्योग समिति, उन्नाव	एसएम एंड एसएस	0	0	44585
ग्रामीण विकास संस्थान, गोरखपुर	एसएम एंड एसएस	0	0	76885
आदर्श वेकलपिक एवं पर्यावरण सूद संस्थान, इलाहाबाद	एसएम एंड एसएस	0	0	26885
श्याम बाल निकेतन श्याम नगर, नरोरा	एसएम एंड एसएस	0	191680	0
न्यू जागरन समिति, आजमगढ़	एसएम एंड एसएस	0	76885	0
पर्वतीय न्यू जागरन समिति, अलमोड़ा	—	0	143500	0
डा. अम्बेडकर शिक्षा प्रसार एवं सेवा समिति	एसएम एंड एसएस	0	76885	0
इन्स्टी. आफ डवलप. रिसर्च एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन	एसएम एंड एसएस	0	191480	0
जयकरण विंद ग्राम संस्थान	एसएम एंड एसएस	0	38443	0
खुशहाली, लखनऊ	एमएफडब्ल्यूएस	0	29850	0
शान्ति निकेतन बालिका जू. हाई स्कूल समिति, फर्रुखाबाद	एसएम एंड एसएस	0	141530	0
आई आई डी एस आर, इलाहाबाद	आरएफएस	0	2925986	0
श्री लाल बहादुर शास्त्री स्मार्क ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, इलाहाबाद	एसएम एंड एसएस	0	209475	0
पं. छदमी लाल ममोरियल कल्याण समिति, फर्रुखाबाद	एसएम एंड एसएस	0	44585	0
मानव कल्याण सेवा समिति, इलाहाबाद	एसएम एंड एसएस	0	105235	0
ग्रामीण महिला सिलाई बुनाई केन्द्र, आजमगढ़	एसएम एंड एसएस	0	76885	0
आर एल ई के, देहरादून	ईआईपी	0	550000	0
रतन ग्राम्य विकास समिति, रामपुर	एसएम एंड एसएस	0	44585	0
अरसी ग्रामोद्योग संस्थान, हसनपुर	एसएम एंड एसएस	0	44505	0
सर्वांगनी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, आजमगढ़	एसएम एंड एसएस	0	103088	0
पश्चिम बंगाल				
कल्याणपुर यूवा संघ, मिदनापुर	एमएफडब्ल्यूसी	0	29850	0
कृषनामपुर महिला उन्नयन समिति 24 परगना	एसएम एंड एसएस	0	76885	0

[हिन्दी]

लघु उद्योग में विकास दर

209. डा. (श्रीमती) सुधा यादव: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए लघु उद्योग क्षेत्र में विकास दर का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी प्रतिशत विकास दर हासिल की गयी;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए विकास दर का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त, अर्थात 2001-02 तक 725000 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में लघु उद्योग क्षेत्र में वास्तविक उत्पादन 690316 करोड़ रुपये था। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निरन्तर मूल्यों पर प्राप्त की गई विकास दर नीचे दी गई है:-

वर्ष	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02
विकास दर%	8.43	7.70	8.16	8.23	6.08

(ग) और (घ) जी, हां। दसवीं पंचवर्षीय योजना में 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की विकास दर की परिकल्पना की गई है।

(ङ) हालांकि, लघु उद्योगों का विकास मुख्यत: राज्य/संघ राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है, केन्द्रीय सरकार ने एकीकृत आधारित संरचना विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण, विपणन तथा उद्यमिता विकास आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा उनके निष्पादन में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त प्रधान मंत्री ने 30 अगस्त, 2000 को लघु उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता में घरेलू एवं विश्वव्यापी स्तरों पर वृद्धि के लिए उनके संवर्धन एवं विकास के लिए एक व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की है। नीति पैकेज में बढ़ी हुई वित्तीय तथा क्रेडिट सहायता, बेहतर बुनियादी संरचना तथा विपणन सुविधाएं और प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु प्रोत्साहन सम्मिलित हैं।

एस.टी.डी. की दर

210. श्री रामशकल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोबाइल से मोबाइल एसटीडी दर सस्ती कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ मोबाइल कम्पनियों ने इसके विरोध में अपना असंतोष व्यक्त किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस समय देश में ऐसी कितनी राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं जो मोबाइल सर्विस के क्षेत्र में काम कर रही हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई), देश में दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। इस समय लंबी दूरी की कॉलों के लिए, सेवा प्रदाताओं को ट्राई द्वारा निर्धारित मानक पैकेज के अलावा वैकल्पिक पैकेज की पेशकश करने की अनुमति दी गई है। ट्राई द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार कतिपय प्राइवेट कम्पनियों के सेल्युलर उपभोक्ताओं द्वारा देय एसटीडी दरों को संशोधित करके 50 किमी. से अधिक दूरी के लिए 2.99 रुपए प्रति मिनट कर दिया गया है। इस दर की पेशकश लंबी दूरी के प्राइवेट प्रचालक और सेल्युलर प्रचालकों के बीच करारों के अनुसरण में की गई है।

(ग) और (घ) बुनियादी टेलीफोन प्रचालक संघ (एबीटीओ) ने इस आधार पर इस दर के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है कि कतिपय सेल्युलर आपरेटरों द्वारा प्रस्तावित 2.99 रुपए का टैरिफ, व्यस्त तथा अव्यस्त घंटों के दौरान 50 किमी. से 200 किमी. की दूरी-स्लैब के लिए अनुमोदित टैरिफ से ज्यादा है और साथ ही अव्यस्त घंटों के दौरान 200 से 500 किमी की दूरी-स्लैब के लिए भी अधिक है।

(ङ) सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) के लिए लाइसेंस केवल भारतीय पंजीकृत कम्पनियों को ही दिए जाते हैं, विदेशी कम्पनियों को नहीं। तथापि, कोई भी बहुराष्ट्रीय/विदेशी कम्पनी लाइसेंसशुदा भारतीय कम्पनी की भागीदार हो सकती है। इस समय सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों सहित 25 भारतीय पंजीकृत कम्पनियों को सीएमटीएस के लिए साइसेंस प्रदान कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

सायंकालीन ओपीडी

211. **श्री बी. वेंकटेस्वरलु:**
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वलु:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के कतिपय केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में सायंकालीन ओपीडी सेवा शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे सफल बनाने के लिए इन अस्पतालों के लिए अतिरिक्त राशि, डाक्टरों और कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) देश के अन्य अस्पतालों में उक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ङ) सायंकालीन ओपीडी सेवा प्रदान करने वाले डाक्टरों और कर्मचारियों को कितना प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) दिल्ली में केन्द्र सरकार के चार प्रमुख अस्पतालों अर्थात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं उसके सम्बद्ध अस्पतालों और सफदरजंग अस्पताल में 9.1.2003 से सायंकालीन ओपीडी प्रायोगिक आधार पर शुरू कर दी गई है।

गर्भाशय ग्रीवा, स्तन, सिर और गर्दन तथा मुख विवर के कैंसर समेत सभी प्रकारों के कैंसर का शुरू में ही पता लगाने और उनकी जांच पर बल देने के अतिरिक्त चिकित्सा, शल्य-चिकित्सा, बालरोग चिकित्सा, प्रसूति एवं स्त्री रोग, मनश्चिकित्सा, नेत्र और कान, नाक व गला विभागों में सायंकालीन ओपीडी चलाई जा रही है जिसके लिए इन अस्पतालों के संबंधित विभागों से विद्यमान कर्मचारियों को काम पर लगाया गया है। इसकी सहायता प्रयोगशाला, रेडियो निदान, लघु आपरेशन थियेटर, ड्रेसिंग रूम और फार्मेसी सेवाओं जैसी रोग नैदानिक सेवाओं से भी की जाती है। गर्मियों के दौरान सायंकालीन ओपीडी का समय 5 बजे सायं से 8 बजे और सर्दियों के दौरान सायं 4.30 बजे से 7.30 बजे है। ओपीडी में आने वाली मरीजों की संख्या को देखते हुए इस सुविधा को अन्य केन्द्र सरकार के अस्पतालों तक बढ़ाया जाएगा। तथापि, चूंकि भारत के संविधान के अन्तर्गत स्वास्थ्य राज्य का विषय है। इसलिए अपनी आवश्यकता और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अपने अस्पतालों में सायंकालीन ओपीडी में सुविधाएं प्रदान करना राज्य सरकारों का काम है।

(ङ) सायंकालीन ओपीडी में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों और डाक्टरों को मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।

[हिन्दी]

आधुनिक उपकरणों का लगाया जाना

212. **प्रो. दुखा भगत:**
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रांची के केन्द्रीय मनोरोग चिकित्सालय, कांके में आधुनिक उपकरणों को लगाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उपकरणों का ब्यौरा क्या है जिन्हें लगाए जाने की संभावना है;

(ग) इस अस्पताल में इन उपकरणों को कब तक चालू किए जाने की संभावना है; और

(घ) ऐसे उपकरणों का ब्यौरा क्या है जो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अस्पताल में लगाए गए थे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची का उन्नयन और आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संस्थान के लिए विभिन्न योजना स्कीमों के वास्ते 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संस्थान द्वारा खरीदे गए उपस्कर हैं- ना/के/ लीएनालाइजर, अल्ट्रा लो फ्रीजर, कम्प्यूटराइज्ड ई ई जी मशीन, मेगा बोयल्स एप्रेटस, हार्मोन एनालाइजर, ब्लड केमिस्ट्री एनालाइजर, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, अपग्रेडेशन फार ई ई जी 2100 के मशीन, बायोफीडबैक मशीन, जिओडेसिक इलेक्ट्रानिक कैप, आंटो एनालाइजर तथा संस्थान के आटोमेशन के लिए अन्य उपकरण।

[अनुवाद]

औषधियों की खरीद

213. श्री महबूब जाहेदी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अपने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालयों, अर्द्धसैनिक बलों और यहां तक कि कुछ राज्य सरकारों के लिए भी सभी मानदंडों का उल्लंघन कर अधिक मूल्य पर औषधियों की खरीद से करोड़ों रुपये का भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार औषधियों को खरीद निर्धारित दर से 500 फीसदी अधिक दर पर कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

केरल में माइस (एमआईसीई) की स्थापना

214. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के समक्ष केरल में रीजनल सेन्टर आफ मीडिया लैब एशिया के रूप में एक मीडिया एण्ड इन्फोर्मेशन सेन्टर फार एजूकेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) और (ख) केरल सरकार ने केरल में मीडिया लैब एशिया के क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में शिक्षा हेतु मीडिया और सूचना केन्द्र (एमआईसीई) स्थापित करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मीडिया लैब एशिया इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

मोबाइल टेलीफोन बिल भुगतान योजना

215. श्री रामदास आठवले: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में दिल्ली सहित किन-किन महानगरों में मोबाइल टेलीफोन बिल भुगतान योजना शुरू की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार दिल्ली सहित कुछ अन्य महानगरों में उक्त योजना शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) आज की स्थिति के अनुसार टेलीफोन बिलों का भुगतान प्राप्त करने के लिए मोबाइल वैन सेवा स्कीम दिल्ली में उपलब्ध है किंतु अन्य 3 महानगरों में यह स्कीम उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) सरकार अब टेलीफोन सेवाएं प्रदान नहीं कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) टेलीफोन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। टेलीफोन बिलों का भुगतान विभिन्न केंद्रों पर किया जा सकता है जिनमें राष्ट्रीयकृत बैंक, डाकघरों का विशाल नेटवर्क, ग्राहक सेवा केंद्र, कैश काउंटर, विभागीय तार घर/केन्द्रीय तारघर, स्वैच्छिक जमा योजना और इलेक्ट्रानिक्स क्लियरिंग स्कीम आदि शामिल हैं।

पूर्व में कोलकाता और चेन्नई दोनों महानगरों में मोबाइल वैन स्कीम शुरू की गई थी किंतु जनता से पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त न होने तथा नकदी की सुरक्षा संबंधी तथ्यों को ध्यान में रख कर हाल के वर्षों में इन महानगरों में यह स्कीम समाप्त कर दी गई है।

पंजीकरण और द्विमासिक किराये का निर्धारण

216. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किं:

(क) महानगरों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले टेलीफोन उपभोक्ताओं को टेलीफोन सुविधाएं मुहैया कराने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा पंजीकरण और द्विमासिक किराए के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ख) उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों में पीसीओ आपरेटरों के लिए कमीशन की क्या दरें निर्धारित की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों में कमीशन की वर्तमान दरों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एमटीएनएल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धारित सुविधाएं प्रदान नहीं कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) वर्ष 2000 में यथासंशोधित ट्राई अधिनियम, 1997 के अनुसार दूरसंचार टैरिफ का निर्धारण करने का अधिकार केवल ट्राई को है। टैरिफ संबंधी ट्राई के आदेशों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र की दो इकाइयों, अर्थात् भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) ने अपने टैरिफ निर्धारित किए हैं। बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस समय लागू "पंजीकरण राशि" और "द्विमासिक किराया" संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। शहरी क्षेत्र में महानगरों तथा शहरों में रहने वाले उपभोक्ता शामिल हैं।

(ख) और (ग) शहरी क्षेत्रों में एसटीडी/पीसीओ के फ्रेंचाइजी को काल प्रभारों का 20% की दर से कमीशन दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में एसटीडी/पीसीओ के फ्रेंचाइजी को सकल टर्नओवर का 25% की दर से कमीशन दिया जाता है। स्थानीय पीसीओ/विकलांग पीसीओ के फ्रेंचाइजी को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति काल प्रभार 40 पैसे की दर से कमीशन दिया जाता है। बीएसएनएल द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों के मामले में, जहां प्रतिस्पर्धा में निजी सेल्यूलर पीसीओ भी कार्यरत हैं, एसटीडी पीसीओ फ्रेंचाइजी को देय कमीशन काल प्रभारों का 22% है (मेट्रो जिलों को छोड़कर)। जिन क्षेत्रों में निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है वहां बीएसएनएल के क्षेत्रीय कार्यालयों को भी प्रति यूनिट 30 पैसे तक ऊंचा कमीशन (अर्थात् पीसीओ फ्रेंचाइजी को काल प्रभार का 25%) देने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(घ) और (ङ) एमटीएनएल के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत मुख्यत: दिल्ली और मुम्बई के महानगर शामिल हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को आधुनिकतम प्रौद्योगिकी/सुविधाएं उपलब्ध हैं। ग्रामीण उपभोक्ताओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है।

विवरण

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा निर्धारित पंजीकरण राशि और द्विमासिक किराए संबंधी ब्यौरे

क. पंजीकरण राशि

इकाई	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
बीएसएनएल	2000 रुपए	500 रुपए
एमटीएनएल	शून्य	शून्य

ख. द्विमासिक किराया (रुपयों में)

1. बीएसएनएल

स्थानीय एक्सचेंज की क्षमता (लाइनों की संख्या)	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
999 तक	240	100
1000-29, 999	240	220
30,000-99,999	360	300
1 लाख और अधिक	500	420

2. एमटीएनएल:

500 रुपए द्विमासिक।

[अनुवाद]

एड्स रोगियों के मामले में गोपनीयता बरते जाने हेतु दिशा-निर्देश

217. **श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एड्स पीड़ित रोगियों के मामले में 'गोपनीयता' बरते जाने के लिए अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चंडीगढ़ के पीजीआई ने उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, भारत सरकार ने अप्रैल, 2002 में राष्ट्रीय एड्स निवारण और नियंत्रण नीति की घोषणा की है। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें भी निर्धारित की गई हैं:

(1) किसी भी व्यक्ति का एचआईवी परीक्षण अनिवार्य रूप से नहीं करवाया जाना चाहिए।

(2) रोजगार के लिए अथवा रोजगार के दौरान स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए किसी भी

व्यक्ति के लिए एचआईवी के अनिवार्य परीक्षण को एक पूर्वशर्त के रूप में नहीं बनाया जाना चाहिए। तथापि, सशस्त्र सेना के मामले में रोजगार से पहले जांच-पूर्व और जांच के बाद परामर्श के समय स्वैच्छिक रूप से एचआईवी जांच की जा सकती है और परिणामों को गोपनीय रखा जा सकता है।

(3) पूरे देश में चरणवार ढंग से जांच पूर्व और जांच के बाद परामर्श सहित पर्याप्त स्वैच्छिक परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। देश में उपयुक्त परामर्शी सुविधाओं सहित प्रत्येक जिले में कम से कम एक एचआईवी परीक्षण केन्द्र होना चाहिए।

(4) यदि कोई व्यक्ति परीक्षण के माध्यम से एचआईवी स्तर की जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को सभी आवश्यक सुविधाएं दी जानी चाहिएं और परिणामों को पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाना चाहिए। ऐसे परिणाम उस व्यक्ति को और उसकी सहमति से उसके परिवार के सदस्यों को दिए जाने चाहिए। जांच करने वाले चिकित्सक द्वारा उपयुक्त परामर्श सहित पति-पत्नी अथवा व्यक्ति के यौन सहभागी को एचआईवी होने की बात अवश्य ही बतानी चाहिए तथापि, उस व्यक्ति को उपयुक्त गृह-आधारित परिचर्या और परिवार के सदस्यों से भावनात्मक सहायता प्राप्त करने के लिए परिवार को इसकी जानकारी देने हेतु प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए।

(5) विवाह के मामले में, यदि कोई सहभागी अन्य सहभागी की एचआईवी स्थिति की जांच करने के लिए कहता है तो ऐसे परीक्षण संबंधित व्यक्ति की सन्तुष्टि के लिए संविदीय पक्ष द्वारा किए जाने चाहिए।

(ग) ऐसा कोई उदाहरण राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की जानकारी में नहीं आया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जीवित भेड़ों के मस्तिष्क से निर्मित टीका

218. **श्रीमती मेनका गांधी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जो टीके के लिए जीवित भेड़ों के मस्तिष्क का प्रयोग कर रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि लोग इन टीकों को भारी जोखिम पर लगवाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो टिस्यू कल्चर टीका अपनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है और जीवित भेड़ों के मस्तिष्क से निर्मित टीके को कब तक बंद किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जीवित भेड़ों के मस्तिष्क से निर्मित वैक्सीनों का प्रयोग करने वाला भारत एकमात्र देश नहीं है।

(ख) देश में भेड़ के मस्तिष्क से निर्मित रेबीज रोधी वैक्सीन (एनटीवी) पिछले कई वर्षों से प्रयोग में लाई जा रही है। इस वैक्सीन के कारण न्यूरो-पारालाइटिक प्रतिक्रिया की घटना का अनुपात 1:10,000 है जो बहुत ही कम है।

(ग) एनटीवी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और टिशू कल्चर रेबीज रोधी वैक्सीन के प्रयोग को प्राथमिकता देने संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने टिशू कल्चर रेबीज रोधी वैक्सीन उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए उपाय किए हैं। एन टी वी को पूर्ण रूप से समाप्त करने में कुछ समय लग सकता है।

स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

219. **श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु किसी बाह्य स्रोत से कोई वित्तीय सहायता मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अच्छी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की दिशा में विश्व बैंक, आईएमएफ और एडीबी से कितना वित्तीय योगदान मिला है; और

(घ) देश में स्वीकृत स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं, आवंटित राशि, निर्गत राशि और उपयोग में लाई गई राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा दिए गए आर्थिक अंशदान का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

(हजार रुपए)

क्र. सं.	दाता अभिकरण	क्षेत्र	स्वास्थ्य परियोजनाएं	मुद्रा	करार	ऋण राशि	वितरण		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	फ्रांस सरकार	सिक्किम	नामची अस्पताल आधुनिकीकरण	यूरो	1.07.97	3658.78	0.00	0.00	284.73
			परियोजना (सिक्किम)	फ्रेंक		22103.51	1391.45	93.09	0.00
2.	-वही-	उत्तर प्रदेश	एसजीपीजीआई-आपूर्ति चिकित्सा	यूरो	25.1.98	4604.10	0.00	0.00	309.04
			उपकरण और कार्यान्वयन	फ्रेंक		29521.88	25403.37	1568.80	0.00
3.	नीदरलैंड सरकार	गुजरात	गुजरात स्वास्थ्य परिचर्या परियोजना	नीदरलैंड	27.11.97	59739.06	0.00	0.00	0.00
4.	पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन	कर्नाटक	रायचूर जिला अस्पताल परियोजना	अमरीकी डालर	6.691	9000.00	1929.37	728.87	0.00
5.	-वही-	मध्य प्रदेश	रीवा अस्पताल परियोजना	अमरीकी डालर	8.2.89	10000.00	3851.19	1686.00	0.00
6.	-वही-	उत्तर प्रदेश	बस्ती जिला अस्पताल	अमरीकी डालर	4.5.90	6500.00	510.09	0.00	0.00
7.	आईडीए	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना	विशेष निकासी अधिकार	22.12.94	90700.00	11782.00	11789.90	6179.39
8.	-वही-	केन्द्रीय क्षेत्र	राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल परियोजना	विशेष निकासी अधिकार	24.4.92	59800.00	0.00	0.00	0.00
9.	-वही-	-वही-	दूसरी एकीकृत बाल विकास परियोजना	विशेष निकासी अधिकार	23.3.93	141600.00	35959.30	26138.86	7937.96
10.	-वही-	-वही-	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन परियोजना	विशेष निकासी अधिकार	4.2.94	53593.36	12464.80	0.00	0.00
11.	-वही-	-वही-	मोतिया बिन्द सम्बन्धी दृष्टिहीनता नियंत्रण परियोजना	विशेष निकासी अधिकार	19.5.94	77966.00	7945.39	18747.88	11916.38
12.	-वही-	-वही-	क्षयरोग नियंत्रण परियोजना	विशेष निकासी अधिकार	14.3.97	98400.00	15277.89	8557.55	8891.13
13.	-वही-	-वही-	मलेरिया नियंत्रण परियोजना	विशेष निकासी अधिकार	30.7.97	119200.00	10001.83	11326.63	5126.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	आईडीए	केन्द्रीय क्षेत्र	द्वितीय राष्ट्रीय एचआईवी/एड्स नियंत्रण परियोजना	विशेष निकासी अधिकार	14.9.99	140820.00	28163.21	24841.56	16592.82
15.	-वही-	-वही-	रोग प्रतिरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना	विशेष निकासी अधिकार	19.5.2000	1066500.00	22964.19	19045.95	2461.12
16.	-वही-	-वही-	द्वितीय राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन परियोजना	विशेष निकासी अधिकार	19.7.2001	23300.00	0.00	313744	10121.63
17.	-वही-	-वही-	प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना	विशेष निकासी अधिकार	30.7.97	179500.00	26009.74	54457.08	15172.22
18.	-वही-	-वही-	महिला बाल विकास परियोजना	विशेष निकासी अधिकार	6.7.99	222500.00	19319.90	26582.15	41644.23
19.	-वही-	-वही-	द्वितीय राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	विशेष निकासी अधिकार	18.4.96	235500.00	3946.50	39311.61	32908.56
20.	-वही-	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	विशेष निकासी अधिकार	19.5.2000	82100.00	2254.12	998.07	4957.15
21.	-वही-	उड़ीसा	उड़ीसा स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	विशेष निकासी अधिकार	13.8.98	56800.00	2013.30	4045.75	3536.85
22.	-वही-	तमिलनाडु	द्वितीय तमिलनाडु पोषण परियोजना	विशेष निकासी अधिकार	14.9.90	48189.17	0.00	0.00	0.00
23.	-वही-	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	विशेष निकासी अधिकार	14.1.99	97900.00	946.42	7635.03	8414.63
24.	-वही	तमिलनाडु	महिला विकास परियोजना	विशेष निकासी अधिकार	30.5.89	12931.89	0.00	0.00	0.00
25.	-वही-	कर्नाटक	कर्नाटक द्वितीय स्तरीय अस्पताल विकास परियोजना	यूरो	16.1.97	13804.88	0.00	0.00	2195.42
26.	-वही-	केन्द्रीय क्षेत्र	पोलियो उन्मूलन अनुदान	ग्रेट ब्रिटेन पाउंड	2.1.2002	98000.00	0.00	19795.95	19590.37
27.	-वही-	कर्नाटक	कर्नाटक समन्वित स्वास्थ्य पोषण एवं परिवार कल्याण	अमरीकी डालर	3.1.2002	680.00	0.00	0.00	68.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	-वही-	केन्द्रीय क्षेत्र	अमब्रेला परियोजना	अमरीकी डालर	1.4.97	1.08	0.00	0.00	1.10
29.	-वही-	-वही-	पल्स पोलियो रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम	डचमार्क	5.6.97	50000.00	0.00	0.00	0.00
30.	-वही-	-वही-	पल्स पोलियो रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम-II	डचमार्क	16.11.99	15000.00	0.00	0.00	0.00
31.	-वही-	महाराष्ट्र	बुनियादी स्वास्थ्य कार्यक्रम	डच मार्क	23.7.96	3284.29	296.56	1059.79	0.00
32.	तदैव	पश्चिम बंगाल	बुनियादी स्वास्थ्य कार्यक्रम	डच मार्क	22.6.99	1998.03	0.00	1998.03	0.00
33.	डेनमार्क सरकार	केन्द्रीय क्षेत्र	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम चरण-II	डेनिस क्रानर	17.9.91	70000.00	0.00	0.00	3760.09
34.	तदैव	तदैव	स्वास्थ्य परिचर्या परियोजना चरण-III, तमिलनाडु	डेनिस क्रॉनर	24.12.96	102500.00	24513.84	0.00	16372.08
35.	तदैव	तदैव	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम चरण-III	डेनिस क्रॉनर	7.11.97.	55000.00	6076.69	4120.54	6844.13
36.	तदैव	तदैव	कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम चरण-III के लिए समझौता	डेनिस क्रॉनर	16.11.98	76400.00	5504.11	0.00	0.00
37.	तदैव	तदैव	मध्य प्रदेश बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं	डेनिस क्रॉनर	15.11.99	58400.00	0.00	0.00	8262.78
38.	तदैव	तदैव	छत्तीसगढ़ बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं	डेनिस क्रॉनर	15.11.99	21000.00	0.00	0.00	3875.97
39.	तदैव	कर्नाटक	महिला और युवा प्रशिक्षण विस्तार चरण-II परियोजना	डेनिस क्रॉनर	1.7.89	48500.00	2637.92	0.00	2272.75
40.	ई.ई.सी.	केन्द्रीय क्षेत्र	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र विकास	यूरो	2.9.97	240000.00	0.00	27000.00	31540.00
41.	जर्मनी सरकार	केन्द्रीय क्षेत्र	पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम-III	यूरो	29.10.2001	10225.84	0.00	0.00	8461.19
42.	तदैव	महाराष्ट्र	बुनियादी स्वास्थ्य महाराष्ट्र	यूरो	23.7.96	10225.84	0.00	0.00	1131.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43.	जर्मनी सरकार	पश्चिम बंगाल	बुनियादी स्वास्थ्य कार्यक्रम	यूरो	22.6.99	30677.51	0.00	0.00	438.96
44.	नीदरलैंड सरकार	गुजरात	गुजरात स्वास्थ्य परिचर्या के लिए ओआरईटी परियोजना	यूरो नीदरलैंड गिल्डर	27.11.97	18072.27 79652.07	0.00 9225.90	0.00 4186.53	2093.27 0.00
45.	यूनाइटेड किंगडम सरकार	केन्द्रीय क्षेत्र	भारत का पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम	ग्रेट ब्रिटेन पाउंड	22.10.96	47500.00	0.00	0.00	0.00
46.	तदैव	तदैव	आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक एवं उड़ीसा में यौन स्वास्थ्य हेतु भागीदारी	ग्रेट ब्रिटेन पाउंड	5.10.99	28100.00	0.00	2381.58	1648.47
47.	तदैव	तदैव	पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम 1999	ग्रेट ब्रिटेन	3.2.2000	38813.00	19937.50	0.00	0.00
48.	तदैव	उड़ीसा	उड़ीसा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परियोजना चरण-III	ग्रेट ब्रिटेन	21.8.97	1748.00	413.06	289.38	726.34
49.	तदैव	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता स्लम सुधार परियोजना	ग्रेट ब्रिटेन पाउंड	1.1.91	16944.00	168.73	587.19	0.00
50.	संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार	तदैव	एड्स निवारण और नियंत्रण परियोजना	अमरीकी डालर	30.9.92	11213.00	1419.16	1592.22	912.74
51.	तदैव	तदैव	परिवार नियोजन सेवाओं में नवीकरण	अमरीकी डालर	30.9.92	92418.00	13925.00	8380.00	5783.00
52.	यू.एन.डी.पी.	केन्द्रीय क्षेत्र	गरीबों के लिए समुदाय आधारित पहल	अमरीकी डालर	5.9.97	13500.00	1642.81	1590.94	1747.79
53.	तदैव	तदैव	एचआईवी/एड्स परियोजना की अनुक्रिया के लिए सहायता	अमरीकी डालर	22.3.2001	1500.00	0.00	0.00	208.46
54.	संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यकलाप निधि	केन्द्रीय क्षेत्र	लिंग सुग्राहीकरण भारत की जनगणना, 2001	अमरीकी डालर	13.10.2000	150.00	111.66	0.00	0.00
55.	तदैव	तदैव	नान-स्कलपल वैसक्टामा का विस्तार	अमरीकी डालर	15.5.97	1353.26	283.59	601.45	304.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56.	सयुंक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यकलाप निधि	केन्द्रीय क्षेत्र	प्रजनन स्वास्थ्य परियोजना	अमरीकी डालर	9.8.97	623.56	132.37	0.00	0.00
57.	तदैव	तदैव	जिला प्रजनन स्वास्थ्य परियोजना मालापुरम	अमरीकी डालर	9.8.97	749.57	41.13	265.41	0.00
58	तदैव	तदैव	प्रजनन स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना	अमरीकी डालर	3.8.98	408.09	52.71	109.95	12.77
59.	तदैव	तदैव	केरल में समेकित जनसंख्या और विकास	अमरीकी डालर	7.8.98	4223.90	2.14	599.59	325.28
60.	तदैव	तदैव	स्कूलों में जनसंख्या और विकास शिक्षा (श.शै. अनु.एवं.प्र.प.)	अमरीकी डालर	7.9.98	3660.54	510.03	806.12	0.00
61.	तदैव	तदैव	जिला प्रजनन स्वास्थ्य परियोजना पटना	अमरीकी डालर	9.8.97	655.80	80.09	0.00	0.00
62.	तदैव	तदैव	महाराष्ट्र में महिला अधिकारिता हेतु प्रशिक्षण	अमरीकी डालर	3.10.97	720.40	22.20	69.05	0.00
63.	तदैव	तदैव	समेकित जनसंख्या और विकास-मध्य प्रदेश	अमरीकी डालर	16.8.99	7140.36	132.13	1141.88	287.46
64.	तदैव	तैदव	हमारा शरीर हमारा जीवन	अमरीकी डालर	21.5.99	918.47	91.29	163.70	55.89
65.	तदैव	तदैव	उड़ीसा में समेकित जनसंख्या और विकास	अमरीकी डालर	8.7.99	5962.00	13.64	629.87	108.97
66.	तदैव	तदैव	लिंग सम्बंधी मुद्दों को सहायता	अमरीकी डालर	15.9.99	322.55	0.00	322.55	161.14
67.	तदैव	तदैव	जनसंख्या, प्रजनन स्वास्थ्य में परामर्श	अमरीकी डालर	8.11.99	139.03	28.00	62.28	19.30
68.	तदैव	तदैव	सुरक्षित मातृत्व को एक वास्तविकता बनाना	अमरीकी डालर	1.4.2000	323.51	0.00	282.18	207.06
69.	तदैव	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र में समेकित जनसंख्या विकास	अमरीकी डालर	4.2.99	4595.52	0.00	1751.73	1208.96
70.	यूनिसेफ	केन्द्रीय क्षेत्र	लिंग सुग्राहीकरण भारत जनगणना 2001	अमरीकी डालर	1.11.2000	100.00	72.27	0.00	0.00
71.	सं.रा. महिला विकास निधि	केन्द्रीय क्षेत्र	लिंग सुग्राहीकरण भारत जनगणना 2001	अमरीकी डालर	25.10.2000	55.00	49.09	0.00	0.00
72.	सं.रा. कार्य. निधि	केन्द्रीय क्षेत्र	प्रजनन स्वास्थ्य परियोजना, वर्धा	अमरीकी डालर	19.8.1997	502.64	187.31	0.00	0.00

डाकघर खोलने संबंधी मानदंडों का पुनरीक्षण

220. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और जालोर जिलों के थार मरुभूमि क्षेत्रों में नए डाकघर/उप डाकघर खोलने का कोई कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां तो ऐसे प्रस्तावों की क्या स्थिति है;

(ग) क्या योजना आयोग से नए डाकघर खोलने संबंधी मानदंडों के पुनरीक्षण सहित ग्रामीण डाक सेवा/नेटवर्क के सभी पहलुओं का व्यापक अध्ययन कराए जाने का अनुरोध किया गया था;

(घ) क्या उक्त अध्ययन पूरा कर लिया गया है और पश्चिमी राजस्थान के थार मरुभूमि क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने संबंधी मानदंडों का पुनरीक्षण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार थार मरुभूमि के ग्रामीण क्षेत्रों में कब तक नए डाकघरों को खोलने का है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) और (ख) जी हां। राजस्थान में शाखा डाकघर खोलने के अब तक 16 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें 7 रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए हैं। इनमें क्रमशः बाड़मेर, जोधपुर, चुरू तथा झुंझुनू जिलों में एक-एक तथा नागौर जिले में तीन डाकघर शामिल हैं। इन सातों शाखा डाकघरों को खोल दिया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं। अध्ययन कार्य अभी चल रहा है जो अन्य बातों के साथ-साथ रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी नए डाकघर खोलने संबंधी मानदंडों की पुनरीक्षा करेगा।

(ङ) थार मरुभूमि क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने के प्रस्तावों पर मौजूदा मानदण्डों के आधार पर विचार किया जाता रहेगा।

तमिलनाडु में एसटीडी/आईएसडी सुविधाएं

221. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002-2003 के दौरान तमिलनाडु में विभिन्न ग्राम पंचायतों में दी गई/प्रस्तावित एसटीडी/आईएसडी/इन्टरनेट/फैक्स/ई-मेल आदि की सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन ग्राम पंचायतों में उक्त वर्णित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) 31.1.2003 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु की 17899 ग्राम पंचायतों में से 121 को एसटीडी सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं। ग्राम पंचायतों की मांग पर एसटीडी/आईएसडी/फैक्स सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। जिला मुख्यालयों में स्थित इंटरनेट नोडों के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतें इंटरनेट सुविधा प्राप्त कर सकती हैं। ई-मेल सुविधा इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध है।

[हिन्दी]

मानव संसाधन नीति

222. योगी आदित्यनाथ: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मानव संसाधन नीति बनाने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नीति के मुख्य उद्देश्य और विशेषताएं क्या हैं और इसे कब तक क्रियान्वित किया जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) भारत संचार निगम लिमिटेड ने निम्नांकित मानव संसाधन क्षेत्रों में मानव संसाधन रणनीतियों के विकास और कार्यान्वयन में सहायता देने के लिए एक प्रबंधन परामर्शदाता फर्म, मैसर्स के पीएमजी को नियुक्त किया है:-

(1) कार्मिक नीति

(2) मानवशक्ति आयोजना

(3) स्टाफिंग के मानक

(4) प्रोत्साहन/कार्य-निष्पादन मूल्यांकन

(5) आचरण और अनुशासनिक नियम

(ग) मानव संसाधन नीति का मुख्य उद्देश्य बीएसएनएल में मानव संसाधन कार्यों को सुदृढ़ करना होगा ताकि इसके मानव संसाधन की क्षमता और कुशलता बढ़ायी जा सके और इसे अधिक फायदेमंद बनाया जा सके। परामर्शदाता को जल्द ही अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। रिपोर्ट और इसकी सिफारिशों पर बीएसएनएल प्रबंधन द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अनुसार विचार किया जायेगा और उन्हें कार्यान्वित किया जायेगा।

[अनुवाद]

भारत और कतर के बीच पोत परिवहन सेवाएं

223. श्री एन. जर्नादन रेड्डी: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और कतर के बीच चलने वाली यात्री पोत परिवहन सेवाएं बंद कर दी गई हैं और पश्चिम एशियाई देशों में हजारों भारतीय प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रवासी मजदूरों को निकालने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) और (ख) कतर और भारत के बीच कोई यात्री नौवहन सेवा नहीं है, इसलिए इसको बंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस संबंध में भारत सरकार को कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश में मूल्यवर्धित सेवाएं

224. श्रीमती रीना चौधरी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश दूरसंचार सर्किल में, विशेषकर मोहनलालगंज और लखनऊ में मूल्यवर्धित सेवाएं शुरू करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) इस समय उत्तर प्रदेश में श्रेणी-वार, जिला-वार कितने दूरभाष केन्द्र हैं;

(ग) उत्तर प्रदेश में विभागीय और किराए के मकानों में अलग-अलग कितने दूरभाष केन्द्र कार्यरत हैं; और

(घ) उत्तर प्रदेश दूरसंचार सर्किल में दूरभाष कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा-सूची संबंधी स्थिति क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) इंटेलीजेंट नेटवर्क (आईएन), इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजीटल नेटवर्क (आईएसडीएन), इंटरनेट आदि जैसी मूल्यवर्धित सेवाएं उत्तर प्रदेश दूरसंचार सर्किलों में उपलब्ध हैं जिसमें मोहनलालगंज और लखनऊ शामिल हैं।

(ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उत्तर सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) उत्तर प्रदेश में विभागीय और किराये के भवनों में पृथक-पृथक रूप से कार्य कर रहे टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या निम्नानुसार दी गई हैं:-

(1) विभागीय भवनों में कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या-796

(2) किराये के भवनों में कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या-2314

(घ) उत्तर प्रदेश दूरसंचार सर्किलों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची के सम्बन्ध में स्थिति नीचे दी गई है:-

(1) उत्तर प्रदेश (पूर्व दूरसंचार सर्किल में 31.01.2003 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची-121599

(2) उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार सर्किल में 31.01.2003 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा-सूची 77930

बाह्य अंतरिक्ष के लिए मिशन

225. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बाह्य अंतरिक्ष में मानव मिशन न भेजने का अंतिम रूप से निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चन्द्रमा पर मानवरहित अंतरिक्ष विमान भेजने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) भारत की मानवयुक्त अन्तरिक्ष मिशन भेजने की अभी कोई योजना नहीं है। कक्षा में परिक्रमा करने वाला अन्तरिक्षयान भेजकर चन्द्रमा के मानवरहित खोज अभियान द्वारा चन्द्रमा के बारे में जानकारी बढ़ेगी और इसके परिणामस्वरूप आगामी अन्तरिक्ष कार्यक्रम के लिए प्रौद्योगिकी का संवर्धन भी होगा।

(ग) से (ङ) जी, हां। चन्दमा पर मानवरहित अन्तरिक्षयान मिशन के लिए एक प्रस्ताव का अध्ययन करने हेतु स्थापित राष्ट्रीय कार्य दल ने अभी रिपोर्ट सौंप दी है। यह प्रस्ताव 100 कि.मी. की उंचाई पर चन्द्रमा की कक्षा की परिक्रमा करने हेतु एक मानवरहित अन्तरिक्षयान भेजने के संबंध में है। भारत में निर्मित प्रमोचक राकेट का उपयोग करते हुए इस अन्तरिक्षयान को प्रमोचित किया जाएगा। यह मिशन दृश्य, निकट-अवरक्त, निम्न-ऊर्जा एक्स-किरण और उच्च-ऊर्जा एक्स-किरण स्पेक्ट्रा में चन्द्रमा की सतह का उच्च-विभेदन सुदूर संवेदन करने के वैज्ञानिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्धारित है। इस मिशन को परियोजना को अनुमोदन के 5 वर्षों के पश्चात पूरा किया जा सकता है।

बांग्लादेश द्वारा पारगमन सुविधा

226. **डा. डी.वी.जी. शंकर राव:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांग्लादेश ने भारत को पारगमन सुविधा देने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) से (ग) भारत-बांग्लादेश अंत: स्थलीय जल पारगमन और व्यापार प्रोतोकोल जो 1972 से प्रवृत्त है, के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत को बांग्लादेश से सीमित पारगमन सुविधा प्राप्त है। सरकार ने यात्रियों और माल की आवजाही के लिए स्थलमार्ग पारगमन सुविधाओं के लिए बांग्लादेश की सरकार के समक्ष बार-बार प्रस्ताव रखा है। बंगलादेश ने इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया है। सरकार इस मामले को लगातार उठा रही है।

हेपेटाइटिस-''बी'' टीकाकरण

227. **श्री चन्द्रकांत खैरे:**
श्री किरीट सोमैया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरवरी, 2003 में हेपेटाइटिस-''बी'' की प्रथम प्रयोगिक परियोजना आरंभ हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संबंधित राज्यों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस परियोजना को किस प्रकार से कार्यान्वित किया जाना है;

(च) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में गैर-सरकारी संगठनों की सहायता लिये जाने की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ङ) माननीय प्रधान मंत्री द्वारा हेपेटाइटिस-बी वैक्सीन की प्रयोगिक परियोजना को 10 जून, 2002 को अधिकारिक रूप से आरंभ किया गया था। इस परियोजना को प्रथम चरण में 15 शहरों में और दूसरे चरण में 32 जिलों में कार्यान्वित किया जाना है। इसके ब्यौरे विवरण I और II में दिए गए हैं। कानपुर, लखनऊ और पटना को छोड़कर अधिकांश शहरों में मास्टर्स ट्रेनर्स, चिकित्सा अधिकारियों और वैक्सीन संचालकों का प्रशिक्षण पूरा हो गया है। इन 15 शहरों में दिए गए प्रशिक्षण के ब्यौर् विवरण III में दिए गए हैं।

(च) और (छ) प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत युवक प्रतिष्ठान को परियोजना क्षेत्र मुम्बई में लगभग 1 लाख बच्चों को हेपेटाइटिस ''बी'' का टीका लगाने के लिए कुल 15 लाख रुपए की एक प्रयोगिक परियोजना स्वीकृत की गई थी।

विवरण-I

क्र. सं.	शहर	राज्य
1	2	3
1.	दिल्ली	दिल्ली
2.	लखनऊ	यू.पी.
3.	पुणे	महाराष्ट्र
4.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
5.	चैन्नई	तमिलनाडु

1	2	3
6.	बैंगलौर	कर्नाटक
7.	जयपुर	राजस्थान
8.	अहमदाबाद	गुजरात
9.	बड़ौदा	गुजरात
10.	मुम्बई	महाराष्ट्र
11.	भोपाल	मध्य प्रदेश
12.	इंदौर	मध्य प्रदेश
13.	कोलकता	पश्चिम बंगाल
14.	पटना	बिहार
15.	कानपुर	यू.पी.

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य	जिलों के नाम
1	2	3
1.	तमिलनाडु	मदुरई नीलगिरी विरुद्धनगर रामनाथपुरम
2.	केरल	अलापुझा एर्नाकुलम पथामिथन
3.	कर्नाटक	कोडागु (कुर्ग) शिमोगा मैसूर
4.	आंध्र प्रदेश	चित्तूर विजयनगर
5.	गोवा	गोवा
6.	महाराष्ट्र	रत्नागिरी चन्द्रपुर सतारा
7.	मध्य प्रदेश	बालाघाट
8.	उड़ीसा	सुन्दरगढ़
9.	पंजाब	रोपड़
10.	हरियाणा	पंचकुला अम्बाला
11.	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर सोलन
12.	उत्तरांचल	नैनीताल
13.	पांडिचेरी	पांडिचेरी
14.	लक्ष्यद्वीप	लक्षद्वीप
15.	असम	जोरहाट शिवसागर
16.	जम्मू और कश्मीर	राजौरी उधमपुर
17.	गुजरात	सूरत

विवरण-III

15 शहरों में हेपेटाइटिस बी परियोजना में प्रशिक्षण कार्यक्रम

शहर	चिकित्सा अधिकारी	टीका लगाने वाले
1	2	3
मुम्बई	500	1250
वडोदरा	21	98
भोपाल	100	300
इंदौर	120	125
अहमदाबाद	83	212
पुणे	65	231
कानपुर	90	210
लखनऊ	100	300
दिल्ली	250	300
जयपुर	30	104

1	2	3
चैन्नई	134	696
हैदराबाद	69	300
बैंगलौर	150	500
कोलकता	250	300
पटना	100	300

पटना, कानपुर और लखनऊ में पल्स पोलियों कार्यक्रम में पूर्व व्यस्तता के कारण प्रशिक्षण रोक दिया गया था।

पड़ोसी देशों के साथ संबंध खराब होना

228. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के अपने पड़ोसी देशों जैसे बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ संबंध खराब हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) भारत अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने के प्रति वचनबद्ध है और श्रीलंका, बंगलादेश तथा नेपाल सहित अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाए हुए है। तथापि पाकिस्तान का भारत में बलपूर्वक आक्रमण और सीमापार आतंकवाद प्रायोजित करना जारी है।

(ख) और (ग) भारत शिमला समझौते और लाहौर घोषणा को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के साथ वार्ता करने और मेल-मिलाप करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। भारत ने पाकिस्तान को बार-बार कहा है कि भारत में आतंकवाद को प्रायोजित करना समाप्त करे ताकि द्विपक्षीय वार्ता को पुन: आरम्भ करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सके।

[हिन्दी]

हॉकी को बढ़ावा दिया जाना

229. **श्री रामचन्द्र पासवान:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में हॉकी के खेल को बढ़ावा देने के लिए क्या नए कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इन राज्यों में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए उठाये जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा): (क) और (ख) खेल एक विषय के रूप में संविधान की 'राज्य सूची' में आता है और इसलिए राज्य स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। तथापि, भारत सरकार ''सिंथेटिक सतह बिछाने के लिए अनुदान की योजना'' के अन्तर्गत, कृत्रिम हॉकी सतह बिछाने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अन्तर्गत नौवीं योजनावधि के दौरान इन राज्यों को स्वीकृत की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

उत्तर प्रदेश:

1. ध्यानचन्द स्टेडियम, लखनऊ में हॉकी सतह का प्रतिस्थापन - 80 लाख रुपये
2. झांसी में हॉकी सतह बिछाना - 100 लाख रुपये

मध्य प्रदेश:

1. भारतीय खेल प्राधिकरण खेल केन्द्र, भोपाल में दो हॉकी सतहें बिछाना- 200 लाख रुपये।
2. रेलवे स्टेडियम, ग्वालियर में हॉकी सतह को पुन: बिछाना - 100 लाख रुपये

पंजाब:

1. खेल परिसर, चंडीगढ़ में हॉकी सतह का प्रतिस्थापन- 100 लाख रुपये
2. गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर में हॉकी सतह का प्रतिस्थापन- 100 लाख रुपये।
3. बादल, जिला मुक्तसर में हॉकी सतह बिछाना- 100 लाख रुपये।

उपर्युक्त के अलावा भारतीय खेल प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भारत सरकार सब-जूनियर, जूनियर और सीनियर स्तर पर खेलों में संवर्धन में राज्य सरकार के प्रयासों को भी बढ़ावा देती है। देश में खेलों में संवर्धन और विकास के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है:-

* राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना (एन.एस.टी.सी.)
* सेवा बाल खेल कम्पनी योजना (ए.बी.एस.पी.)
* भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र योजना (एस.टी.सी.)
* विशेष क्षेत्र खेल योजना (एस.ए.जी.)
* उत्कृष्टता केन्द्र योजना (सी.ओ.ई.)

उपर्युक्त योजनाओं के अन्तर्गत एक खेल विधा के रूप में हॉकी का भी संवर्धन किया जा रहा है। उत्कृष्टता केन्द्रों में से एक केन्द्र उत्तर प्रदेश में स्थित है।

[अनुवाद]

आतंकवाद से निपटने के लिए विश्व स्तर पर एक पैनल बनाना

230. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आतंकवाद से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए देशों का विश्व स्तर पर एक पैनल बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संकट से निपटने के लिए क्या तरीके अपनाये जाने का प्रस्ताव है और इसमें कौन-कौन से देश सम्मिलित किये गये हैं;

(ग) क्या आतंकवादी गतिविधियों का केन्द्र बनने वाले पाकिस्तान से निपटने के लिए कोई कार्य योजना भी तैयार की गयी है;

(घ) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) इस कार्य योजना को कब तक अंतिम रूप प्रदान किये जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) और (ख) नहीं।

(ग) से (ङ) अफगानिस्तान से तालिबान के भागने के पश्चात पाकिस्तान को आज अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का केन्द्र माना जाता है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समर्थन और आश्रय प्रदान कर रहा है। आतंकवाद में पाकिस्तान के लिप्त होने से उत्पन्न खतरे को व्यापक तौर पर स्वीकार किया गया है। अनेक देशों ने पाकिस्तान से कहा है कि वह अपने देश में आतंकवाद के ढांचें को ध्वस्त करे। सरकार ने पाकिस्तान द्वारा सीमा-पार घुसपैठ और आतंकवाद के प्रायोजन को पूर्णत: अस्वीकार करने के संकेत देने के लिए अनेक उपाय किये हैं, विशेषकर हमारी संसद पर 13 दिसम्बर को हुए आतंकवादी हमलों के पश्चात। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने 12 जनवरी, 27 मई और 6 जून को विश्व में कहीं भी पाकिस्तानी क्षेत्र का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के नहीं होने देने और पाकिस्तान के किसी भी संगठन को कश्मीर के नाम पर आतंकवाद में लिप्त नहीं होने देने का वायदा किया। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान के साथ तब तक वार्ता बहाल नहीं की जा सकती जब कि कि सीमा-पार घुसपैठ और आतंकवाद समाप्त न हो जाए।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एच.सी.एल.) का विनिवेश

231. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, हैदराबाद कर्मचारी यूनियन से इसके विनिवेश के प्रस्ताव पर कार्रवाई न करने संबंधी कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) कर्मचारी संघ ने एच.सी.एल. को बन्द होने से रोकने और साथ-ही-साथ कम्पनी को भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ विलय करने के लिए अभ्यावेदन दिया है।

(ग) प्रतिकूल उद्योग परिस्थितियों, बोलीदाताओं की रुचि के अभाव और कम्पनी की खराब वित्तीय स्थिति के कारण एच.सी.एल. का विनिवेश पूरा नहीं किया जा सका है। हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का मामला उपयुक्त कार्रवाई के लिए प्रशासनिक मंत्रालय (अर्थात भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय और लोक उद्यम) को लौटा दिया गया है।

लघु उद्योगों का विकास

232. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर विभिन्न पैकेजों की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो पैकेजवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 से जनवरी 2003 तक इन पैकेजों का देश के औद्योगिक विकास पर राज्यवार क्या प्रभाव पड़ा?

लघु उद्योग मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) लघु, अति लघु एवं ग्रामोद्योगों के संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए नीतिगत उपायों की घोषणा 6 अगस्त, 1991 को की गई थी, ताकि लघु उद्योग क्षेत्र विशेष तौर पर उत्पादन, रोजगार एवं निर्यातों की वृद्धि की शर्तों के अनुसार अर्थव्यवस्था को अपना पूर्ण योगदान दे सके जिससे लघु क्षेत्र को और अधिक स्थायित्व एवं वृद्धि-प्रोत्साहन प्राप्त हो सके।

लघु उद्योग क्षेत्र को सुदृढ़ करने तथा घरेलू एवं विश्वव्यापी तौर पर इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए 30 अगस्त, 2000 को लघु उद्योगों एवं अति लघु क्षेत्र के लिए एक व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की गई। पॉलिसी पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ, क्रेडिट तक सरल पहुंच, 25 लाख रुपये तक सम्पार्श्विक मुक्त मिश्रित ऋणों की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण के लिए पूंजी आर्थिक सहायता तथा सुधरी हुई आधारिक संरचना शामिल है।

(ग) इन पैकेजों का प्रभाव सकारात्मक रहा है, जैसा कि इस क्षेत्र की वृद्धि से देखा जा सकता है, जो कि नीचे सूचित किया गया है:

वर्ष	यूनिटों की संख्या (लाख रु.)	उत्पादन (करोड़ रु.)	रोजगार (लाख सं.)	निर्यात (करोड़ रु.)
1999-00	32.12	572887	178.50	54200
2000-01	33.12	639024	185.64	69797
2001-02	34.42	690316	192.23	लागू नहीं

औद्योगिक उत्पादन का लघु उद्योग क्षेत्र को अंशदान के लिए राज्यवार ब्यौरा केन्द्रीय तौर पर नहीं रखा जाता है।

प्रतिबंधित दवाओं के सेवन से संबंधित परीक्षण (डोप टेस्ट)

233. **डा. बी.बी. रमैया:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बुसान एशियाई खेलों में श्रीमती सुनीता रानी के प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के संबंधित परीक्षण की अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक एसोसिएशन में उपेक्षा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उन परिस्थितियों का ब्यौरा क्या है जिनके कारण सुनीता रानी को इस संघात से गुजरना पड़ा; और

(ग) यदि हां, तो बुसान मुद्दे का समाधान करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा): (क) से (ग) सुनीता रानी, एथलीट की डोप जांच सियोल में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा अधिकृत प्रयोगशाला में की गई थी। सुनीता रानी के 'ए' नमूने की सकारात्मक जांच की पुष्टि होने पर एशिया की ओलंपिक परिषद (ओ.सी.ए.) के चिकित्सा आयोग से 'बी' नमूने की जांच के लिए अनुरोध किया गया था।

चूंकि भारतीय एमेच्योर एथलेटिक परिसंघ (ए.ए.एफ.आई.) जांच के परिणामों से संतुष्ट नहीं था अतः इसने श्री एस.डी. सलवान के अंतर्गत, एक सदस्यीय जांच आयोग गठित किया था। एस सदस्यीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 'ए' तथा 'बी' नमूनों में 'नानड्रोलोन' की मात्रा में तथा डोप जांच प्रयोगशाला, सियोल द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं में कुछ विसंगतियों का जिक्र किया था। इस आयोग के निष्कर्षों के आधार पर, भारतीय एमेच्योर एथलेटिक परिसंघ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित प्राधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया था और अन्ततः एशिया की ओलंपिक परिषद ने सुनीता रानी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था तथा बुसान एशियाई खेल, 2002 के दौरान उनके द्वारा जीते गए पदकों को वापस लौटा दिया था।

ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं

234. **श्री बी.के. पार्थसारथी:**
श्री गंता श्रीनिवास राव:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में इंटरनेट, ई-मेल और कम्प्यूटर सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) और (ख) जी, हां।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इस प्रयोजन हेतु निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित किया है:

(1) देश के पूर्वोत्तर तथा सिक्किम क्षेत्र में सामुदायिक सूचना केन्द्र

(2) समाधान केन्द्र

ब्यौरा, विवरण-I में दिया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस दिशा में कई उपाय किए हैं। विवरण विवरण-II में दिया गया है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-I

पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित करने की योजना पर एक संक्षिप्त नोट

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सात पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के 487 ब्लॉक मुख्यालयों में सामुदायिक सूचना केन्द्र (सीआईसी) स्थापित करने की एक योजना को शुरू की है ताकि इस क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को बढ़ावा दिया जा सके। यह योजना अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तथा सिक्किम में कार्यान्वित की जा रही है। अब तक 475 सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

2. यह परियोजना मुख्यत: निम्न स्तर विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जहां राष्ट्रीय विकास के लाभ समुदाय तक नहीं पहुंचे हैं वहां अंकीय अवरोध को पाटने और सम्पर्कता उपलब्ध कराने की दिशा में केन्द्रित है, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के मध्य वांछित सीमा तक, क्योंकि वे अन्य बातों के साथ-ही-साथ अपनी अपेक्षाओं के लिए प्रासंगिक सूचना को प्राप्त करने से वंचित रहे हैं।

3. भारत सरकार की सामुदायिक सूचना केन्द्र नामक अग्रणी योजना का आशय दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, अगम्य और दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित समुदाय की अपेक्षाओं को कम लागत पर पूरा करना है।

4. इस योजना का शुरुआती दौर में कार्यान्वयन प्रायोगिक परियोजना और अंतत: मुख्य परियोजना के रूप में करने की योजना बनाई गई थी। राज्य सरकारों द्वारा ब्लॉक मुख्यालयों में चयनित स्थलों पर 15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत जिसमें पांच वर्षों के लिए प्रचालन और अनुरक्षण लागत भी सम्मिलित है, से 30 सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित करने की प्रायोगिक परियोजना अक्टूबर, 2000 में पूरी हो गई थी।

5. प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत स्थापित सामुदायिक सूचना केन्द्रों का समुदाय द्वारा मुख्यत: इंटरनेट को देखने और ई-मेल सुविधाओं का उपयोग करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थी भी इन सुविधाओं का व्यापक प्रयोग कर रहे हैं। सामुदायिक सूचना केन्द्रों के अन्य महत्वपूर्ण उपयोगों में निम्नलिखित का उल्लेख प्रमुखत: किया जा सकता है:-

(क) नागरिक और सरकार के बीच सम्पर्क।

(ख) निकनेट के जरिए इंटरनेट सम्पर्क, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वेब देखने तथा ई-मेल की सुविधाएं शामिल हैं।

(ग) दूरस्थ अधिगम कार्यक्रम।

(घ) विशेष रूप से स्कूली बच्चों में कम्प्यूटर प्रणालियों के प्रयोग के बारे में जानकारी।

(ङ) ई-वाणिज्य को सुलभ बनाने, कॉल केन्द्रों के प्रचालन, चिकित्सकीय नुस्खों और इसी प्रकार की अन्य सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं।

(च) रोजगार के अवसरों का सृजन।

(छ) जनता से जुड़ी सेवाओं को आसान बनाना।

(झ) योजनागत पहल, राष्ट्रीय कार्यक्रमों, आपदा प्रबंध प्रणाली, जन स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता आदि पर सूचना का प्रचार प्रसार।

6. 30 सामुदायिक सूचना केन्द्रों की कार्यशीलता से प्राप्त अनुभवों के आधार पर 242 करोड़ रुपए (प्रायोगिक परियोजना की लागत 15 करोड़ रुपए, पांच वर्षों के लिए आवर्ती लागत भी सम्मिलि: है) से अनुमानित मुख्य परियोजना शुरू की गई है, जिसमें से सौर ऊर्जा

संसाधनों के लिए 22 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है।

7. प्रत्येक सामुदायिक सूचना केन्द्र में एक पेन्टियम 3 सर्वर, 5 इन्टेल सेलेरॉन क्लाइंट्स, 1 डैक्सजेट प्रिंटर, लो एण्ड लेजर प्रिंटर और अन्य सहायक उपस्कर उपलब्ध कराए गए हैं। प्रत्येक सामुदायिक सूचना केन्द्र को वीसैट के जरिए सम्पर्क उपलब्ध कराया गया है जो अंततः में राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र के हब से जुड़ा है। ये केन्द्र विशेष रूप से प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं जिन्हें राज्य सरकार ने इसी प्रयोजन के लिए चयनित किया है और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के कार्यान्वयन अभिकरण ने प्रशिक्षित किया है।

8. इस परियोजना के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रीमण्डल समिति का अनुमोदन फरवरी, 2003 में ले लिया गया था।

9. इन केन्द्रों का अनुकूलतम उपयोग करने की दृष्टि से राज्य सरकारों के परामर्श से स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक सामग्री का विकास किया जा रहा है।

10. भविष्य में सामुदायिक सूचना केन्द्रों को फ्रेंचाइजी आधार पर संचालित करने का विचार समुचित समय पर किया जाएगा।

11. योजना में जनसामान्य तक सूचना प्रौद्योगिकी ले जाने के वांछित उद्देश्य को हासिल करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के मध्य घनिष्ठ समन्वय और सहयोग की परिकल्पना की गई है।

12. मुख्य परियोजना का कार्यान्वयन करने के लिए निक्सी को 85.35 करोड़ रुपए की धनराशि अब तक जारी की जा चुकी है।

13. माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने 17 अगस्त, 2002 को गुवाहाटी में सम्पन्न एक समारोह में सामुदायिक सूचना केन्द्रों की प्रमुख योजना के अन्तर्गत पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में स्थापित सामुदायिक सूचना केन्द्रों का उद्घाटन किया और पूर्वोत्तर राज्यों की जनता को इन्हें समर्पित किया।

समाधान केन्द्र

ई-अवसंरचना और ई-अधिगम दल की ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के लिए कोई व्यापक योजना नहीं है। तथापि तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में ग्रामीण सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रों (समाधान केन्द्रों) का प्रायोगिक कार्यान्वयन पूरा हो गया है और उज्जैन (मध्य प्रदेश), पश्चिम गोदावरी जिला (आंध्र प्रदेश) और चित्रकूट (मध्य प्रदेश) में तीन अन्य समाधान केन्द्र परियोजनाएं चल रही हैं। इन समाधान केन्द्र परियोजनाओं में से उज्जैन (मध्य प्रदेश) और चित्रकूट (मध्य प्रदेश) का कार्य पूरा कर लिया गया है। ये ग्रामीणों को स्थानीय केन्द्रों के जरिए इंटरनेट सम्पर्क के साथ-साथ ई-मेल तथा कम्प्यूटर सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, इन समाधान केन्द्रों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षित अन्य सभी प्रकार की सूचना सुविधाएं मुहैया की जाती है।

विवरण-II

ग्रामीण विकास मंत्रालय देश में भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण (सीएलआर) की एक केन्द्र से प्रायोजित परियोजना को वर्ष 1988-89 से कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें ग्रामीण और जन-जातीय क्षेत्र भी शामिल हैं। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों/संघशासित प्रदेशों को जिला और तहसील/तालुक केन्द्रों में कम्प्यूटरों के प्रतिष्ठापन के लिए धनराशि उपलब्ध कर रहा है और अब तक देश के 582 जिलों और 2959 तहसीलों/तालुकों/ब्लॉकों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन संबंधित विभागों में मण्डल स्तरीय कार्यालयों तक कम्प्यूटरीकरण के लिए हार्डवेयर की खरीद, कार्यालय स्वचालन पैकेजों, जनशक्ति प्रशिक्षण और अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के विकास के लिए राज्यों और संघशासित प्रदेशों को शत प्रतिशत सहायता उपलब्ध करता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन के अंतर्गत राज्यों और संघशासित प्रदेशों को 8923.73 लाख रुपए (दिनांक 26.7.2002 तक) की कुल केन्द्रीय धनराशि जारी की गई है।

मंत्रालय ने इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध कराने और गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए वेब आधारित सॉफ्टवेयर के लिए 15 जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डीआरडीए) को वी-सैट सम्पर्क उपलब्ध कराने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। यह प्रायोगिक परियोजना 11 राज्यों के 15 जिलों में शुरू की गई है, जिनके नाम हैं: आंध्र प्रदेश में अनंतपुर तथा नालगोंडा तमिलनाडु में तंजावुर तथा पेराम्बलूर, उत्तर प्रदेश में इटावा, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, नरसिंहपुर तथा जयसेन, हिमाचल प्रदेश में सोलन, झारखंड में हजीराबाग, पश्चिम बंगाल में मिदनापुर, मेघालय में शिलौंग, महाराष्ट्र में चन्द्रपुर, राजस्थान में सीकर, उत्तरांचल में अल्मोड़ा। इन परियोजना का प्रयास स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एजीएसवाई), जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

(जेजीएसवाई), रोजगार आश्वासन योजना (ईएएस) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) तथा जल संभर कार्यक्रमों के बारे में सूचना के प्रसार के लिए एक प्रणाली की स्थापना करना है। परियोजना की कुल पूंजीगत लागत 99.00 लाख रुपए है। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है और राज्यों को कोई धनराशि आवंटित/जारी नहीं की गई है।

[हिन्दी]

चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना

235. **श्री महेन्द्र सिंह पाल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चिकित्सा महाविद्यालय खोलने हेतु उत्तरांचल राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) जी, हां। हल्द्वानी में नए मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए उत्तरांचल फारेस्ट हास्पीटल ट्रस्ट, हल्द्वानी, नैनीताल से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव को मूल्यांकन एवं सिफारिश के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को भेजा गया है। इस प्रस्ताव की स्वीकृति भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के मानदंडों को पूरा करने, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता तथा उस पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिशों पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

घटिया औषधियां

236. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 दिसम्बर, 2002 के ''द हिन्दू'' में ''सब स्टैन्डर्ड ड्रग्स क्रिएटिंग हेवोक'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में औषधि विनिर्माताओं को निर्देश देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रेस रिपोर्ट में सामान्य रूप से यह उल्लेख किया गया है कि जिन औषधियों का निर्माण संविदा अथवा ऋण लाइसेंस के आधार पर किया जाता है, वे औषधियां उन निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होती हैं, जिनका औषधियों के लेबर पर प्रधान उत्पादक द्वारा उल्लेख किया जाता है। यह भी कहा गया है कि जहां औषध का विनिर्माण किया जाता है उन परिसरों का सही पता लेबल पर नहीं लिखा होता है। तथापि प्रेस रिपोर्ट में ऋण लाइसेंस के आधार पर विनिर्माण के कारण घटिया गुणवत्ता पाए जाने के किसी मामले का उल्लेख नहीं किया गया है।

औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में ऋण लाइसेंस के आधार पर औषधों के विनिर्माण की अनुमति प्रदान की गई है और लाइसेंस की विनिर्माण लाइसेंस संख्या को औषध के लेबल पर दर्शाया जाना अपेक्षित होता है। लेबल पर जिस विनिर्माता का नाम लिखा होता है वही अपने द्वारा विपणन की गई औषध की गुणवत्ता के लिए जवाबदेह हैं और उनको यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि इस प्रकार विनिर्मित औषध निर्धारित मानकों के अनुरूप है। ऋण लाइसेंस के आधार पर विनिर्मित औषधों की गुणवत्ता के बारे में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आकस्मिकता योजना

237. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार परमाणु हमले सहित किसी भी आकस्मिक दुर्घटना से निपटने हेतु स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक व्यापक आकस्मिकता योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना कब तक तैयार किये जाने की संभावना है; और

(ग) इस योजना को तैयार करने में परमाणु ऊर्जा विभाग, पर्यावरण और वन मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों की भागीदारी सहित उनकी रिपोर्टों के अनुदानों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) गृह मंत्रालय के अनुरोध पर रासायनिक, जैविक और आणविक युद्ध से पैदा होने वाली स्थिति से निबटने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आकस्मिक योजना तैयार की

गई है और सभी संबंधित प्रमुख (नोडल) और सहायक विभागों के समन्वय से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उन्हें भेजा गया है। इस योजना की प्रमुख बातों में एक आपदा प्रबंधन दल का गठन तथा आपदा अवधि के बाद की स्थिति में प्रबंधन के लिए अपेक्षित संभार तंत्र सहायता प्रणाली, जनस्वास्थ्य उपायों के साथ सीमित परिचर्या, एनबीसी उपकरणों, पीड़ित लोगों की देखरेख और उन्हें प्रभावमुक्त करने तथा अनिवार्य औषधियों की सूची बनाने के वास्ते सलाह देने तथा अस्पतालों के चयन के लिए तकनीकी समिति का गठन करना शामिल है।

चंडीगढ़ में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

238. **श्री पवन कुमार बंसल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 27.11.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1355 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चिकित्सा सुविधा के पात्र सरकारी कर्मचारियों विशेषकर इस औषधालय क्षेत्र के बाहर रह रहे सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या अप्रैल और मई 2002 में दो और औषधालय खोले जाने थे; और

(ग) यदि हां, तो इन्हें खोले जाने में विलंब के क्या कारण हैं और इन्हें कब तक आरंभ कर दिये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) इस समय चंडीगढ़ में एक पूर्ण सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी चलाई जा रही है और यहां स्टाफ की संख्या पर्याप्त है। मौजूदा औषधालय के 3 किलोमीटर के अंदर रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी इस औषधालय से चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं।

चंडीगढ़ में उपर्युक्त औषधालय के सीमा क्षेत्र के बाहर रहने वाले केन्द्रीय सरकार कर्मचारी केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे जिसके तहत उनके संबंधित कार्यालय अधिकृत चिकित्सा परिसर (एएमए) नियुक्त कर सकते हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने के.स.स्वा. योजना चंडीगढ़ के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से दो और औषधालय खोलने का प्रस्ताव किया था। तथापि, के.स.स्वा.यो. (एलोपैथिक) औषधालयों के मानदंड अध्ययन पर कर्मचारी निरीक्षण एकक की 2-11-99 और 30-1-03 की रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन नहीं होने के कारण के.स.स्वा.यो. के अंतर्गत नए औषधालय खोलने हेतु पदों के सृजन के संबंध में प्रस्ताव करना सरकार के लिए व्यावहारिक नहीं है। इस प्रकार चंडीगढ़ में फिलहाल और अधिक के.स.स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलना सरकार के लिए संभव नहीं होगा।

मारुति उद्योग का विनिवेश

239. **श्री टी.एम. सेल्वागनपति:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तीन ट्रांसों में मारुति उद्योग लिमिटेड में इक्विटी के विनिवेश के माध्यम से कम से कम 2424 करोड़ रुपए की राशि उगाहने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार गत तीन वर्षों के दौरान विनिवेश के माध्यम से केवल 11,300 करोड़ रुपए की राशि ही उगाह पायी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के साथ सम्पन्न किए गए संशोधित संयुक्त उद्यम करार की शर्तों के अनुसार सरकार ने मारुति उद्योग लिमिटेड में एक भी शेयर बेचे बिना नियंत्रण प्रीमियम के रूप में सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन से एक हजार करोड़ रुपए प्राप्त किए थे। आज की तारीख के अनुसार भारत सरकार के पास 65.80 लाख शेयर हैं जो मारुति उद्योग लिमिटेड की इक्विटी शेयर पूंजी का 45.54 प्रतिशत बनते हैं। सरकार द्वारा सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के साथ सम्पन्न किए गए संशोधित संयुक्त उद्यम करार में, पहले दौर में बिक्री की पेशकश के माध्यम से घरेलू बाजार में सरकार द्वारा धारित 36.12 लाख शेयरों की बिक्री की व्यवस्था है। संशोधित संयुक्त उद्यम करार में भारत सरकार द्वारा सुजकी मोटर कॉर्पोरेशन के लिए 2300 रुपए प्रति शेयर पर विक्रय विकल्प की भी व्यवस्था है। भारत सरकार द्वारा इस विक्रय विकल्प का उपयोग करने की दशा में, जो न्यूनतम राशि जुटाई जाएगी, वह 830.76 करोड़ रुपए होगी। दूसरे दौर के एक भाग के रूप में सरकार के पास शेष शेयरों को घरेलू बाजार में बेचने अथवा सुजुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन को न्यूनतम 2000 रुपए प्रति शेयर की दर से शेयरों को खरीदने के लिए कहने का अधिकार है। यह सरकार को न्यूनतम 593.60 करोड़ रुपए जुटाने का विकल्प प्रदान करता है। हालांकि 65.80 लाख से अधिक शेयरों की बिक्री के कारण जुटाई जाने वाली सम्भावित राशि का आंकलन करना कठिन होगा जो बाजार परिस्थितियों, मारुति उद्योग लिमिटेड के शेयरों में निवेशक की

रुचि, पूंजी बाजार की हालत आदि पर निर्भर करता है, फिर भी सरकार के पास न्यूनतम 2424.36 करोड़ रुपए (1000 करोड़ रुपए के नियंत्रण प्रीमियम सहित) जुटाने का विकल्प है।

(ग) 44,000 करोड़ रुपए (1999-2000 से 2002-2003 तक) के लक्ष्य की तुलना में सरकार ने जनवरी, 2003 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के माध्यम से 12,672.18 करोड़ रुपए की राशि जुटाई थी।

(घ) विनिवेश कार्यक्रम का क्रियान्वयन बाजार परिस्थितियों, उद्योग-वार, कारोबार चक्र में उतार-चढ़ाव, सम्भावित बोलीदाताओं की रुचि, मूल्य बोली की पर्याप्तता आदि सहित अनेक कारकों पर निर्भर करता है। इसको ध्यान में रखते हुए विनिवेश के माध्यम से प्राप्तियों का विशेष तौर पर पूर्वानुमान लगाना सर्वदा सम्भव नहीं होता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-80

240. **श्री सुबोध राय:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-80 को चौड़ा करने और इसके निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि मंजूर कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर जीर्ण-शीर्ण पुलों (चंपानगर और कहालगांव) के निर्माण के लिए धनराशि जारी कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य करने वाली एजेंसी का नाम क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी]: (क) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 की कुल लंबाई 190 कि.मी. है। जनवरी, 1999 में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था। 20 किमी. लंबाई में चौड़ा करने के कार्य को स्वीकृति दी गई है। कुल 18.43 करोड़ रु. की लागत से 68 और कि.मी. में सुधार और दो पुलों के निर्माण के लिए भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

(ख) और (ग) चंपा नाले पर पुल को स्वीकृति नहीं जा सकी क्योंकि चालू वार्षिक योजना 2002-03 में इसके लिए प्रावधान नहीं था। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने अभी हाल में कहालगांव पुल (कोवा पुल) का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

[अनुवाद]

सम्राट होटल का विनिवेश

241. **श्री अनन्त नायक:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव नई दिल्ली स्थित सम्राट होटल का विनिवेश करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस होटल को निजी क्षेत्र को लम्बे समय के लिए पट्टे पर देने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) विनिवेश संरचना में, नई दिल्ली स्थित सम्राट होटल को, प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से दीर्घावधिक पट्टा-सह-प्रबंधन अनुबन्ध के आधार पर सौंपने की व्यवस्था है। इस होटल के लिए रुचि की अभिव्यक्तियां आमंत्रित करने वाला विज्ञापन दिनांक 5/8.2.2001 को जारी किया गया था। सुरक्षा से संबंधित हित-चिन्ताओं के कारण वित्तीय बोलियां आमंत्रित नहीं की थी। मार्च, 2002 में यह निर्णय लिया गया था कि सुरक्षा एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श करके सुरक्षा से संबंधित हित-चिन्ताओं का समाधान करने के बाद इस होटल के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाए। यह प्रक्रिया अभी चल रही है।

डी.एस. रिसर्च सेन्टर

242. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषध नियंत्रण विभाग ने जुलाई, 2002 में डी.एस. रिसर्च सेन्टर, कोलकाता के परिसर में छापा मारा था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) की गयी गिरफ्तारियों का ब्यौरा क्या है और इससे जब्त की गयी आपत्तिजनक सामग्री/औषधियां यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आज की स्थिति के अनुसार इस मामले की स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां। औषध नियंत्रण

निदेशालय तथा कोलकाता पुलिस की प्रवर्तन शाखा ने मिलकर 26 जुलाई, 2002 को मैसर्स डी.एस. रिसर्च सेंटर के परिसर में छापा मारा।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार के औषध नियंत्रण प्रशासन निदेशालय से उपलब्ध जानकारी के अनुसार मैसर्स डी.एस. रिसर्च सेंटर ऐसी कुछ औषधियां खुले तौर पर बेच रहा था जिनसे औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और जादूई चमत्कार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम और नियमों का उल्लंघन होता था।

(ग) संयुक्त रूप से मारे गए छापे के दौरान इस फर्म के साझेदार को गिरफ्तार किया गया और औषधियों की काफी मात्रा जब्त की गई।

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार के औषध नियंत्रण प्रशासन निदेशालय से उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस मामले को उपयुक्त अदालत में प्रस्तुत किया गया है और मामला न्यायाधीन है।

परम्परागत ज्ञान डिजिटल ग्रंथालय

243. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी परम्परागत ज्ञान उपलब्ध कराने हेतु ''परम्परागत ज्ञान डिजिटल ग्रंथालय'' शुरू करने हेतु योजना को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस आंकड़े को नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में औषधि के परम्परागत ज्ञान पर इस ग्रंथालय का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) 35,000 आयुर्वेदिक औषध योगों की परम्परागत ज्ञान डिजिटल ग्रंथालय (टी.के.डी.एल.) स्थापित की जा रही है। प्रलेखन हेतु परम्परागत ज्ञान डिजिटल ग्रंथालय 26.3.2002 को आरंभ किया गया था। अभी तक 13,234 औषध योगों की जांच की गई है और 32,838 औषध योगों का लिप्यंतरण किया गया है। परम्परागत ज्ञान डिजिटल ग्रंथालय (टी.के.डी.एल.) (आयुर्वेद) को 5 भाषाओं जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानी तथा हिंदी में उसकी मौलिकता अक्षुण्ण रखते हुए रूपांतरित किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) प्रथम चरण में 14 आयुर्वेदिक पुस्तकों को शामिल किया गया है। बाद में, अतिरिक्त पुस्तकों को लिया जाएगा। चूंकि परम्परागत ज्ञान डिजिटल ग्रंथालय (टी.के.डी.एल.) (आयुर्वेद) कार्य को अभी तक जन प्रयोगार्थ उद्घाटित नहीं किया गया है, अत: इसके प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

कृत्रिम अंगों हेतु स्वीकृति

244. श्री अमर राय प्रधान: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी, 2002 से 31 जनवरी, 2003 की अवधि के दौरान कृत्रिम अंगों की स्वीकृति हेतु मंत्रालय/सी.जी.एस.एस. में कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) उनमें से ऐसे कितने मामलों में संबंधित विभागों को स्वीकृति भेज दी गई है;

(ग) इस संबंध में सी.जी.एच.एस. में अभी कितने आवेदन लंबित हैं; और

(घ) लंबित पड़े आवेदनों के आवेदकों को कब तक कार्रवाई के बारे में सूचना दिये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) पांच

(ख) तीन

(ग) दो

(घ) एक मामले में, विशेषज्ञ समिति ने लाभभोगी द्वारा आयातित कृत्रिम अंग के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और इसके बजाए भारत में बने कृत्रिम अंग का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। दूसरे मामले में कार्रवाई चल रही है। जैसे, ही इस बारे में कोई निर्णय ले लिया जाएगा उसकी सूचना लाभभोगी को दे दी जाएगी।

राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान

245. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, पुणे ने एच.आई.वी. संक्रमित माताओं से बच्चों में होने वाले संक्रमण में कमी लाने हेतु इलाज संबंधी अध्ययन कराया है; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन में किस हद तक सफलता प्राप्त हुई है और इसका ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान ने एच.आई.वी. संक्रमण के मां से बच्चे को होने वाले संचरण को कम करने हेतु उपचार संबंधी अध्ययन नहीं कराया है। वैसे, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान एच.आई.वी. संक्रमित माता से जन्मे बच्चों में एच.आई.वी. की स्थिति का पता लगाने हेतु उन पर किए जाने वाले पॉलिमरेज चेन रिएक्शन (पी.सी.आर.) जांच करने में संलग्न रहा है। ये जांच राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन रहा है। ये जांच राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा मां से बच्चे को होने वाले संचरण के निवारण पर किए गए व्यवहार्यता अध्ययन के एक भाग के रूप में की गई।

(ख) इस व्यवहार्यता अध्ययन के चरण-I के दौरान, जिडोवुडिन नामक एन्टी-रिट्रोवायरल औषध गर्भवती माताओं को दी गई थी। ऐसा पाया गया कि इस औषध को देने से संचरण का खतरा 30 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत रह गया। माता व बच्चे के लिए नेविरापाइन की एक-एक खुराक का प्रयोग करके इस अध्ययन का चरण-दो भी पूरा कर लिया गया है। अब, इस रिपोर्ट का विश्लेषण किया जा रहा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय रुग्णता कोष

246. श्री राजो सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार हेतु राष्ट्रीय रुग्णता कोष को स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अंतिम किस्त कब जारी की गई थी;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय रोग सहायता निधि के अंतर्गत केन्द्र सरकार इन निधियों की स्थापना करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (विधान सभा वाले) को राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा किए गए अंशदानों के 50% के बराबर सहायता अनुदान प्रदान करती है जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली अधिक जनसंख्या और प्रतिशतता वाले राज्यों के लिए अधिकतम 5 करोड़ रुपए और अन्य राज्यों के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपए होगा। बिहार सरकार ने दिनांक 31.3.2000 को 2.50 करोड़ की प्रारंभिक राशि के साथ बिहार राज्य रोग सहायता सोसायटी की स्थापना की। राज्य रोग सोसायटी को केन्द्र को सरकार का 1.25 करोड़ रुपए का अंशदान जुलाई, 2000 में जारी कर दिया गया था। इसके पश्चात् बिहार सरकार से और अधिक सहायता अनुदान जारी करने का अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

डाक्टर-रोगी अनुपात

247. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कोई डाक्टर-रोगी अनुपात निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में इस अनुपात को लागू किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो डाक्टर-रोगी अनुपात के भारी अंतर को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ङ) क्या दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में डाक्टर-रोगी अनुपात में सुधारने हेतु डाक्टरों की नई भर्ती की योजना बनाई जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (च) अस्पतालों में समान डाक्टर-रोगी अनुपात निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह मामला-दर-मामला भिन्न-भिन्न होता है तो रोग के प्रकार, विशेषज्ञता की प्रकृति, अपेक्षित रोगी परिचर्या की किस्म अर्थात् अंतरंग/बहिरंग जैसे विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है।

जनसंख्या नीति में विषमतायें

248. **श्री गंता श्रीनिवास राव:**
श्री गुनीपाटी रामैया:
श्री बी.के. पार्थसारथी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकार से देश की जनसंख्या नीति में कुछ विषमताओं के संबंध में स्पष्टीकरण देने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम की समीक्षा हेतु क्या कार्रवाई की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नीति की मूल भावना का उल्लंघन न हो?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) जनसंख्या नीति के बारे में महिला विकास अध्ययन केन्द्र द्वारा दायर की गई एक शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से एक नोटिस प्राप्त हुआ था। शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की सही भावना का विभिन्न तरह से उल्लंघन किया जा रहा है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से अनुरोध किया गया है कि वे इस उल्लंघन का संज्ञान लें और राज्यों को अपनी राज्य जनसंख्या नीति के उन उपबंधों, जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं, को हटाने का निर्देश दें।

(ग) परिवार कल्याण विभाग की राय है कि कुछ राज्यीय जनसंख्या नीतियों में प्रस्तावित निरूत्साहनों के लिए अपेक्षाकृत अधिक राष्ट्रीय सहमति की जरूरत है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों को संबोधित अपने दिनांक 2 अगस्त, 2002 के पत्र में राज्यीय जनसंख्या नीतियां और कार्यनीतियां तैयार करते समय एक साझी धारणात्मक रूपरेखा बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। भारत सरकार ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 की भावना के अनुरूप राज्यीय जनसंख्या नीतियों को तैयार करने में राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु अपने दिनांक 8 मार्च, 2000 के आदेश के तहत एक ''राष्ट्रीय स्तरीय संसाधन समिति'' पहले ही गठित कर दी है।

अमरीकी अंतरिक्ष कार्यक्रम में भारतीय वैज्ञानिक

249. **श्री सुरेश कुरूप:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास अमरीका के अंतरिक्ष कार्यक्रम में कार्यरत भारतीय मूल के वैज्ञानिकों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास उन्हें भारतीय प्रतिष्ठानों की ओर आकर्षित करने हेतु कोई ठोस योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, नहीं। इस उद्देश्य के लिए कोई औपचारिक तंत्र विद्यमान नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) भारतीय प्रतिष्ठानों में कार्य करने को इच्छुक भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए, इसरो की वेबसाइट भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम तथा रिक्त-स्थानों से संबंधित अधिसूचनाओं के बारे में सूचना प्रदान करती है, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त किया जाता है और वे इस पर अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करते हैं।

(घ) समुचित आकलन के पश्चात अपेक्षित अर्हता और दक्षता प्राप्त वैज्ञानिकों को नियमित अथवा अतिथि वैज्ञानिक के पद प्रस्तावित किए जाते हैं।

मानव क्लोनिंग

250. **श्री जे.एस. बराड़:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में मानव क्लोनिंग के मुद्दे पर सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या भारत में मानव क्लोनिंग को वैज्ञानिक अनुसंधान माना जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की मानव अनुसंधान संबंधी केन्द्रीय नैतिकता समिति ने नैतिकता दिशा-निर्देशों का एक सैट नामतः ''प्रयोगाधीन व्यक्तियों पर जैव-चिकित्सीय अनुसंधान के लिए नैतिकता दिशा-निर्देश'' तैयार किया है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार मानव क्लोनिंग की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। तथापि, चूंकि इसकी निरापदता, सफलता, उपयोगिता और नैतिक स्वीकार्यता को अभी तक सुनिश्चित नहीं किया गया है, इसलिए मानव का प्रतिरूप तैयार करने के इरादे से क्लोनिंग पर अनुसंधान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन दिशा-निर्देशों को स्वीकार कर लिया गया है और देश में मानवों पर अनुसंधान में लगी सभी विज्ञानीय संस्थाओं को इसके अनुपालन हेतु परिचालित कर दिया गया है।

पाकिस्तानी जेलों में कैद भारतीय कैदी

251. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्तिः
श्रीमती निवेदिता मानेः
श्री वाई.वी. रावः
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिकः
श्री राम मोहन गाड्डेः
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकीः
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्करः
श्री टी.एम. सेल्वागनपतिः
श्री चन्द्रनाथ सिंहः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार पाकिस्तान की जेलों में बंद भारतीय नागरिकों और मछुआरों की संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा उनकी रिहाई के लिये अब तक क्या प्रयास किये गये हैं और इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) प्राप्त सूचना के अनुसार पाकिस्तान की हिरासत में फिलहाल 878 भारतीय सिविलियन और 416 भारतीय मछुआरे कैद हैं।

(ख) सरकार ने राजनयिक माध्यमों से उनकी रिहाई और उनको वापिस भेजने के मामले को लगातार पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है। तथापि, पाकिस्तान सरकार को उसकी हिरासत में बंद भारतीय कैदियों की रिहाई के लिए अभी आवश्यक कदम उठाने हैं।

एम.पी.लैड कोष में अनियमिततायें

252. श्री के.ई. कृष्णमूर्तिः
श्री ब्रजमोहन रामः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एम.पी.एल.ए.डी. कोष को जारी करने में अनियमितताएं पायी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में एम.पी.लैड योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों की आपूर्ति करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जिलाध्यक्षों को, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधियों का अवमोचन सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देशों के पैरा 4.4 में उद्धृत प्रावधानों के अनुसार ही किया जाता है। जिलाध्यक्षों द्वारा कार्यकारी अभिकरणों को अवमोचित निधियों के संबंध में प्राप्त विशिष्ट शिकायतों को राज्य सरकारों/केन्द्र जिलों के समक्ष तत्काल रूप से जांच और उपचारी कार्रवाई के लिए रखा जाता है। राज्य सरकारों/जिलाध्यक्षों को भी, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी कार्यों के कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश समय-समय पर दिए जाते रहे हैं।

(ख) वर्ष 2002 के दौरान शिकायतों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकासयोजना के अंतर्गत कार्यकारी अभिकरणों को निधियों के अवमोचन में अनियमितताओं/विलंब के संबंध में, वर्ष 2002 के दौरान प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा

क्र. सं.	निर्वाचन क्षेत्र/ केंद्रक जिले का नाम	शिकायतों का संक्षिप्त विवरण
1.	गौंडा (उत्तर प्रदेश)	कार्य के समाप्त होने से पूर्व कार्यकारी अभिकरणों को पूरा भुगतान
2.	अर्नाकुलम (केरल)	सेंट अलबर्ट कालेज, अर्नाकुलम में टेनिस कोर्ट के निर्माण के लिए निधियों का अवमोचन न होना।
3.	इटावा (उत्तर प्रदेश)	कार्यकारी अभिकरणों को निधियां अवमोचित करने में विलंब।
4.	कन्नौज (उत्तर प्रदेश)	कार्यकारी अभिकरणों को निधियां अवमोचित करने में विलंब।
5.	सुरेन्द्रनगर (गुजरात)	कार्यों को अनुशंसित करने में विलंब और कार्यकारी अभिकरणों को निधियां अवमोचित करने में विलंब।
6.	बालासोर (उड़ीसा)	महापदा पुल के निर्माण में निधियों का अनियमित अवमोचन

राष्ट्रीय आयुर्वेदिक अस्पतालों का खोला जाना

253. श्री निवेदिता माने:
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आयुर्वेदिक औषधि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक अस्पतालों को खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राज्यवार ऐसे कितने अस्पताल चल रहे हैं;

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार ऐसे कितने अस्पतालों को खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) इस पर कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है;

(च) क्या सरकार को इस संबंध में निजी क्षेत्र की कंपनियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां।

(ख) इसे एक निजी साझीदार के सहयोग से सरिता विहार, नई दिल्ली में 4.5 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा और आयुर्वेदिक औषधियों तथा आयुर्वेदिक प्रक्रियाओं जैसे-पंचकर्म, क्षारसूत्र आदि के जरिए जीर्ण तथा अन्य रोगों के उपचार के लिए अत्याधुनिक सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ग) शून्य

(घ) इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) से (छ) ये प्रश्न नहीं उठते।

प्रवासी भारतीय दिवस समारोह

254. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:
डा. मंदा जगन्नाथ:
श्रीमती रेणुका चौधरी:
श्री रामनायडु दग्गूबाटि:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
श्री सुन्दरलाल तिवारी:
श्री ए.सी. जोस:
श्री जी. गंगा रेड्डी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में कई अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को सम्मानित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

(ग) क्या इस समारोह में खाड़ी देशों के भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व कम था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस सम्मेलन में वास्तव में कितने अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों ने भाग लिया;

(ङ) क्या इस अवसर पर कई मुद्दों पर चर्चा की गई; और

(च) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किये गये विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या रहा और तत्संबंधी निष्कर्ष क्या निकला?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) जी, हां।

(ख) अनिवासी भारतीयों और भारत मूल के उन लोगों को पुरस्कार प्रदान किए गए जिन्होंने भारत और उसकी सभ्यता के प्रति विदेशों में बेहतर समझबूझ को विकसित करने में उत्कृष्ट योगदान दिया है और/अथवा भारत के हितों और चिंता के प्रति अपना समर्थन दिया और उसके हितों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया और/अथवा जिन्होंने भारतीय डायस्पोरा के लिए विशिष्ट योगदान/सेवाएं अर्पित की हैं।

1. परम माननीय सर अनिरूद्ध जगन्नाथ (मारीशस)
2. प्रो. फातिमा मीर, (दक्षिण अफ्रीका)
3. डा. हरी एन हरीलेला (हांगकांग-चीन)
4. श्री कनकसी जी. खमिजी (ओमान)
5. श्री मणिलाल प्रेमचन्द्र चन्दरिया (कीनिया)
6. लार्ड नवनीत ढोलकिया (यू.के.)
7. श्री रजत गुप्ता (यू.एस.ए.)
8. सर एस.एस. रामफल (गयाना-फिलहाल यू.के. के निवास)
9. श्री दतुक सेरी एस सामी वेलु (मलेशिया)
10. श्री उज्जल दोसान्झ (कनाडा)

(ग) और (घ) पंजीकरण ब्यौरे के अनुसार इस समारोह में भाग लेने वाले कुल 1904 अनिवासी भारतीय और भारत मूल के लोगों में से खाड़ी के देशों से भारतीय समुदाय के 209 लोग प्रवासी भारतीय दिवस में उपस्थित थे।

(ङ) जी, हां।

(च) भारत के उप प्रधानमंत्री के साथ विशेष पारस्परिक कार्यकलाप सत्र और विदेश मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री तथा वित्त मंत्री के साथ पूर्ण सत्र हुए। मनोरंजन, नीतिपरक मीडिया और डायस्पोरिक पहचान; संस्कृति, भाषा, साहित्य और डायस्पोरिक पहचान, स्वास्थ्य रक्षा तथा भेषज; स्वैच्छिक क्षेत्र तथा विकास; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; ज्ञान आधारित उद्योग; सत्कार और पर्यटन; शिक्षा; वित्तीय सेवाएं; रक्षा और अन्तरिक्ष सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास में अवसर से सम्बद्ध समानान्तर सत्र हुए। इन विचार विमर्शों के परिणाम स्वरूप भारत और उसके डायस्पोरा के बीच संवर्धित संपर्क हेतु सम्बंधित क्षेत्रों में अनेक सुझाव सामने आए।

[अनुवाद]

राजस्थान में टेलीफोन अदालत

255. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्षों के दौरान राजस्थान में आयोजित टेलीफोन अदालतों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य में कितने मामले निपटाये गये?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) 2000-01 और 2001-02 के दौरान राजस्थान में आयोजित टेलीफोन अदालतों की संख्या क्रमशः 58 और 92 हैं।

(ख) 2000-01 और 2001-02 के दौरान राज्य में क्रमशः 715 और 1183 और मामलों का निपटान किया गया।

ईरान के राष्ट्रपति की यात्रा

256. श्री भास्कर राव पाटील:
श्री नरेश पुगलिया:
श्री सुरेश रामराव जाधव:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री अम्बरीश:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री चिन्मयानंद स्वामी:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री चन्द्रेश पटेल:
श्री रामनायडु दग्गुबाटि:
डा. चरणदास महंत:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईरान के राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, उनके साथ हुये विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी नतीजा क्या निकला;

(ग) क्या इस अवसर पर किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये;

(घ) यदि हां, तो जिन द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये, उनका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ईरान ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में भारत को सहायता देने का प्रस्ताव किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) और (ख) ईरान के राष्ट्रपति महामहिम सैयद मोहम्मद खातमी ने 24 से 28 जनवरी, 2003 तक भारत का दौरा किया। यात्रा के दौरान आपसी हित के द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर व्यापक चर्चा हुई। प्रधान मंत्री और ईरानी राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित नई दिल्ली घोषणा में एक पहले की अपेक्षा अधिक स्थायी, सुरक्षित और समृद्ध तथा बेहतर क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग के लिए भारत और ईरान के बीच सामरिक भागीदारी का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। इसमें सहयोग के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया है।

द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग, हाइड्रोकार्बन विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा और प्रशिक्षण अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के क्षेत्र में सहयोग और अन्य वैश्विक मसले।

(ग) और (घ) नई दिल्ली के अतिरिक्त सामरिक सहयोग के खाके से संबद्ध एक समझौता ज्ञापन भी संपन्न किया गया जिसमें सामरिक भागीदारी के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पांच वर्षों की अवधि में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। छह अन्य दस्तावेज अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिक सहयोग से संबद्ध करार, हाइड्रोकार्बन क्षेत्र, व्यावसायिक प्रशिक्षण और शहरी जल प्रबंधन से संबद्ध समझौता ज्ञापन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (2002-2005) और 200 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला प्रचालित किये जाने से संबद्ध संरचना करार जिसका क्रियान्वयन ईरानी बैंकों के एक समूह द्वारा किया जाएगा, भी संपन्न किये गये।

(ङ) और (च) भारत और ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने के प्रयासों को तेज करने के लिए कहा। वे इस बात पर सहमत थे कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई दोहरे मानदण्डों पर आधारित नहीं होने चाहिए और उन देशों की भी निंदा की जानी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को बढ़ावा देते है, उकसाते हैं तथा समर्थन करते हैं। भारत और ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और मादक द्रव्यों तथा मन प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के मसले पर संयुक्त सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।

[हिन्दी]

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में घरेलू पूंजी निवेश

257. श्री रामजीलाल सुमन:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान देश के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में घरेलू पूंजी निवेश लगातार बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कुल कितना घरेलू पूंजी निवेश हुआ;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष यानि वर्ष 2002-2003 के दौरान इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस क्षेत्र द्वारा कुल कितना लाभ अर्जित किया गया है? .

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) से (ग) इस क्षेत्र में वर्ष 2002-03 सहित पिछले कुछ वर्षों में कोई बड़े अथवा महत्वपूर्ण पूंजीनिवेश नहीं किये गये। सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र (कम्प्यूटर, इलेक्ट्रानिकी डेटा, प्रक्रिया प्रणाली/उत्पादों) द्वारा सामना की जा रही कई बाधाओं और अक्षमता कारकों की दृष्टि से उद्योग का ध्यान पहले से ही किए गए पूंजीनिवेश का बेहतर उपयोग करने पर केन्द्रित है।

सूचना प्रौद्योगिकी पर दसवीं योजना के कार्यकारी दल के प्रतिवेदन के अनुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर क्षेत्र में वर्ष 2002-03 (वास्तविक परिदृश्य में) के लिए 4800 करोड़ रुपए का उत्पादन लक्ष्य है।

(घ) कम्प्यूटर हार्डवेयर विनिर्माण उद्योग ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान में प्रचालन लाभों में कमी का अवलोकन किया है, जो

इस समय 2-4% की श्रेणी में है।

हरियाणा में चार लेन वाली सड़कें

258. **श्री रतन लाल कटारिया:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अम्बाला-हिसार, अम्बाला-यमुना नगर और साहा-पंचकुला सड़क को चार लेन में बदलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना में कितनी धनराशि की जरूरत होती है; और

(ग) इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी]: (क) अम्बाला-हिसार और साहा-पंचकुला सड़कें क्रमशः राष्ट्रीय राजमार्ग 65 और 73 हैं। अम्बाला से यमुना नगर सड़क में अम्बाला से साहा तक राज्यीय सड़क और साहा से यमुना नगर तक रा.रा. 73 शामिल है। राज्यीय सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होती है। जहां तक अम्बाला से हिसार, साहा से पंचकुला और साहा से यमुना नगर तक राष्ट्रीय राजमार्गों का संबंध है, फिलहाल इन्हें चार लेन का बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जनसंख्या नीति पर चर्चा

259. **श्री प्रबोध पण्डा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में जनसंख्या नीति विकास और मानवाधिकार के संबंध में चर्चा के लिये कोई बैठक आयोजित की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या निकला?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां। जनसंख्या नीति पर एक सम्मेलन 9-10 जनवरी, 2003 को हुआ था।

(ख) सम्मेलन में की गई प्रमुख सिफारिशें यह सुनिश्चित करने के लिए थीं कि राज्य विशिष्ट जनसंख्या नीतियां राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 की धारणात्मक रूपरेखा के भीतर तैयार की जाए, समान अवसर पर माहौल प्रदान किया जाए जिसमें महिलाओं को विकल्प चुनने की स्वतंत्रता दी जाए, नीति और कार्यक्रम कार्यान्वयन दोनों स्तरों पर प्रजनन संबंधी अधिकारों की सूझबूझ को आसान बनाया जाए, विवाह और जन्म का अनिवार्यतया पंजीकरण किया जाए, अन्तः क्षेत्रीय समन्वय के जरिए और सही संदर्श में सभ्य समाज की सहभागिता के जरिए जनसंख्या को स्थिर किया जाए, अच्छे गुण स्तर वाली स्वास्थ्य परिचर्या की सुलभता सुनिश्चित की जाए, संसाधनों का समान आवंटन सुनिश्चित किया जाए आदि। इसके अतिरिक्त, एक घोषणा भी जारी की गई जिसमें इस बात पर सहमति हुई कि जनसंख्या नीतियों को समग्र विकास लक्ष्यों के भाग के रूप में मान्यता दी जाए, एक ऐसी नीति अपनाई जाए जो सहभागिता वाली हो और जोर-जबरदस्ती वाली न हो, जिसमें व्यक्तिगत निर्णय लेने को उचित मान दिया जाए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मिलकर कार्य किया जाए और साथ ही उन्हें व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच मुहैया की जाए।

टेलीफोनों को अन्यत्र लगाना

260. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने टेलीफोन को अन्यत्र लगाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत दो वर्षों के दौरान समय-सीमा का उल्लंघन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में कितने अधिकारी दोषी पाये गये हैं; और

(ङ) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथा संशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अनुसार प्राधिकरण (टीआरएआई) द्वारा सेवा मानकों की गुणवत्ता निर्धारित की जाती है और इसकी मानीटरिंग की जाती है। बुनियादी तथा सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में ट्राई के 5 जुलाई 2000 के विनियमन 2000 (2002 का 2) के अनुसार टेलीफोन शिफ्ट करने संबंधी 95% अनुरोधों को 3 दिनों के भीतर

पूरा करना होता है। जहां तक इनके अखिल भारतीय स्थानान्तरण का संबंध है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, अन्तर-शहरी (अखिल भारतीय) शिफ्टिंग के लिए एक महीने का समय लग जाता है।

(ग) सामान्तया निर्धारित सभय के भीतर टेलीफोन शिफ्ट किए जाते हैं। क्षेत्र के तकनीकी रूप से अव्यवहार्य होने और उपभोक्ता कारणों से टेलीफोनों को शिफ्ट करने में कुछ विलम्ब हो जाता है। तथापि, जानबूझकर की गई देरी के कुछ मामले, महानगर टेलीफोन निगम लि., दिल्ली की जानकारी में आये हैं।

(घ) महानगर टेलीफोन निगम लि. दिल्ली में 13 अधिकारियों को अपराधी पाया गया है।

(ङ) इन अधिकारियों के खिलाफ चेतावनी पत्र जारी करने और दीर्घ तथा लघु शास्तियां लगाने की कार्यवाही शुरू करने संबंधी विभागीय कार्रवाई की गई है।

[अनुवाद]

मेहसाणा-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन वाला बनाया जाना

261. श्री हरिभाई चौधरी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मेहसाणा से अहमदाबाद तक राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन वाला बनाए जाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी]: (क) से (ग) मेहसाणा-अहमदाबाद सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। केन्द्र सरकार मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए ही जिम्मेदार है। अन्य सभी सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र जिम्मेदार होते हैं।

[हिन्दी]

यूरोपीय संघ का स्वास्थ्य फार्मूला

262. श्रीमती प्रभा राव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सदस्य देश 31 दिसम्बर, 2002 की निर्धारित तिथि तक व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों एवं लोग स्वास्थ्य के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले रोगों के मुद्दे का समाधान करने में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यूरोपीय संघ ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुझाए गए पंद्रह संचारी महामारियों के लिए एक समझौता फार्मूले का प्रस्ताव किया है;

(ग) क्या अधिकतर देशों द्वारा अभी भी यूरोपीय संघ द्वारा प्रस्तावित फार्मूले के संबंध में अपना रवैया तय किया जाना है;

(घ) यदि हां, तो क्या यूरोपीय संघ दोहा घोषणापत्र में परिकल्पित रोगों को शामिल करने की सीमा को सीमित करता है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या दोहा घोषणापत्र के अन्तर्गत सम्मिलित किए जाने वाले रोगों के बारे में सदस्य देशों के बीच कोई समझौता फार्मूला तैयार कर लिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ङ) ट्रिप्स परिषद के अध्यक्ष ने 16 दिसम्बर, 2002 को दोहा घोषणा के पैरा 6 के अधीन प्रारूप अधित्यजन निर्णय के लिए एक प्रस्ताव दिया। दोहा घोषणा के पैरा 6 के अनुसार ट्रिप्स परिषद को दिसम्बर, 2002 तक फार्मास्युटिकल क्षेत्र में अपर्याप्त अथवा शून्य विनिर्माण क्षमताओं वाले देशों को समस्या का शीघ्र समाधान खोजना पड़ा। तथापि, ट्रिप्स परिषद इस मुद्दे पर सर्वसम्मति पर नहीं पहुंच सकी क्योंकि अमेरिका (यू.एस.) ट्रिप्स परिषद के अध्यक्ष के 16 दिसम्बर, 2002 के प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ।

यूरोपीय संघ ने अध्यक्ष, ट्रिप्स परिषद के 16 दिसम्बर, 2002 के प्रारूप अधित्यजन निर्णय के पैरा 1 (क) के पाद टिप्पण के लिए जनवरी, 2003 में एक प्रस्ताव दिया। भारत और अफ्रीका समूह सहित विकासशील देशों द्वारा यूरोपीय संघ के प्रस्ताव को नहीं माना गया। अध्यक्ष, ट्रिप्स परिषद द्वारा 16 दिसम्बर, 2002 के प्रस्ताव में यह व्यवस्था है कि इस समाधान में जन-स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देने के लिए अपेक्षित फार्मास्यूटिकल उत्पाद शामिल होंगे जैसा कि दोहा घोषणा के पैरा 1 में माना गया है। यूरोपीय संघ का प्रस्ताव दोहा घोषणा के मुकाबले रोग कवरेज और अध्यक्ष, ट्रिप्स परिषद के 16 दिसम्बर, 2002 के प्रस्ताव को सीमित करता है। इस मुद्दे पर अभी तक बातचीत चल रही है।

चिकित्सा महाविद्यालयों को विश्व बैंक की सहायता

263. श्री रमेश चेन्नितला: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता एवं चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों की मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए कई राज्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की अद्यतन स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) जी, हां। विश्व बैंक की सहायता के जरिए सरकारी चिकित्सा कालेजों की भौतिक अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली राज्यों तथा चंडीगढ़ केन्द्र शासित क्षेत्र से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

इन सभी प्रस्तावों की योजना आयोग से परामर्श करके जांच की गई है और योजना आयोग द्वारा की गई टिप्पणियां संबंधित राज्य सरकारों/केन्द्र शासित राज्यों को प्रस्तावों को संशोधित करने हेतु भेजी जा चुकी हैं।

बिहार में दूरसंचार घनत्व

264. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002 के अंत तक बिहार में दूरसंचार घनत्व क्या है;

(ख) राष्ट्रीय दूरसंचार घनत्व कितना है;

(ग) 31 जनवरी, 2002 की तिथि तक मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं वैशाली जिलों में दूरभाष कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची में कितने आवेदनकर्ताओं के नाम सम्मिलित हैं;

(घ) उपरोक्त तीन जिलों में आवेदनों को कब तक दूरभाष कनेक्शन दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) बिहार में दूरसंचार घनत्व को राष्ट्रीय औसत तक लाने के लिए सरकार के पास क्या योजनाएं एवं कार्यक्रम हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) वर्ष 2002 के अंत में बिहार में टेलीघनत्व 1.23 है।

(ख) वर्ष 2002 के अंत में टेलीघनत्व का राष्ट्रीय औसत 4.79 है।

(ग) और (घ) 31.01.2002 की स्थिति के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और वैशाली जिलों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में रखे गए आवेदकों की संख्या निम्नवत है:

क्र. सं.	जिले का नाम	प्रतीक्षा सूची
1.	मुजफ्फरपुर	2403
2.	सीतामढ़ी	3851
3.	वैशाली	5647

प्रतीक्षा सूची में रखे गए आवेदकों को भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा दिसंबर 2003 तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाने की संभावना है।

(ङ) बिहार में टेलीफोन लाइनों की संख्या में बीएसएनएल नेटवर्क की औसत वृद्धि दर से काफी अधिक उच्च दर पर वृद्धि करने की योजना है बशर्ते मांग में वृद्धि हो और संसाधन उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

निजी चिकित्सालयों के कुकृत्य

265. श्री रामजी मांझी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जनवरी, 2003 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में "सेन्टर वेक्स अप टू 'लूट' बाई हास्पिटल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) ऐसे कृत्यों की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

(ङ) क्या सरकार का विचार सरकारी चिकित्सालयों में व्याप्त स्थिति में सुधार लाने हेतु खून जांच, एक्स-रे इत्यादि करने के लिए निजी एजेंसियों को नियुक्त करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, हैदराबाद के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त कुछ निजी अस्पतालों द्वारा बढ़े हुए बिलों की

प्रस्तुति से संबंधित शिकायतों के प्राप्त होने पर सरकार ने डा. टी.के. बनर्जी, अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कोलकाता को इस मामले की जांच करने के लिए भेजा था। जांच रिपोर्ट से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सरकार ने जांच हेतु इस मामले को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास भेजा है। साथ ही, हैदराबाद में स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों की एक विशेष लेखापरीक्षा का आदेश दिया गया है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, हैदराबाद के कुछ अधिकारियों का स्थानान्तरण भी किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, हैदराबाद के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त निजी अस्पतालों द्वारा किए जा रहे व्यय पर नियंत्रण करने के लिए अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, हैदराबाद को पहले ही विस्तृत दिशानिर्देश दिए जा चुके हैं। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, हैदराबाद के अन्तर्गत निजी अस्पतालों को सरकार द्वारा इन निजी अस्पतालों में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं तथा कार्मिक शक्ति इत्यादि के निरीक्षण के लिए भेजी गई विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर पारदर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करके नए सिरे से मान्यता दी गई है तथा सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत ऐसे मान्यता प्राप्त किसी भी निजी अस्पताल के लिए सरकार ने कोई पक्षपात नहीं किया है।

(ङ) और (च) सरकार ने विभिन्न विकिरण विज्ञानी/विकृति जांच कराने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, हैदराबाद के अन्तर्गत 14 नैदानिक केन्द्रों को पहले ही मान्यता दे दी है।

निजी कंपनियों को तकनीकी जानकारी

266. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सराकर का ध्यान दिनांक 15 जनवरी 2003 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में "इसरो वांट्स टू पास ऑन इटस् नौहाऊ टू प्राइवेट प्लेयर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इसरो ने रक्षा एवं प्रक्षेपास्त्र परियोजनाओं पर इसके प्रभावों का अनुमान लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) जी, हां। इसरो अपनी स्थापना के समय से ही, अपने अन्तरिक्ष कार्यक्रम में भारतीय उद्योगों की भागीदारी के लिए प्रयास करता रहा है। इसरो द्वारा विकसित और प्रमोचित किए जाने वाले प्रमोचक राकेटों और उपग्रहों दोनों की संख्या में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि द्वारा अन्तरिक्ष कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण संवर्धन के साथ ही उद्योगों की भागीदारी के प्रयास को बल मिल रहा है। अब इसरो के प्रयासों का उद्देश्य उद्योगों से पुर्जों और उपस्करों की आपूर्ति को क्रमिक रूप में बढ़ाकर इसरो के उपग्रहों और प्रमोचक राकेटों के लिए अपेक्षित प्रमुख प्रणालियों की आपूर्ति करना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

"लैंडलाइन" फोन में बाधा

267. **श्री जी.एम. बनातवाला:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी 2003 में दिल्ली स्थित एमटीएनएल के "लैंडलाइन फोनों एवं अन्य सेल फोनों के बीच संपर्क बाधित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसके बाधित होने की अवधि कितनी थी;

(ग) बाधित होने के कारणों एवं बाधित होने के तरीकों से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(घ) यह अवरोध कब समाप्त हुआ और कब संपर्क बहाल हुआ; और

(ङ) संपर्क के बहाल होने के तथ्यों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 16.1.2003 के अपराह्न से इन्टरकनैक्टिंग लिंकों में व्यवधान देखा गया था और 21.1.2003 तक सामान्य प्रचालन बहाल हो गया था।

(ग) प्रचालकों के बीच इंटरकनेक्शन की कुछ शर्तों पर मतभेद के कारण नेटवर्क में बाधाएं उत्पन्न हो गई थीं। यह सुनिश्चित करने के लिए यथा-समय कदम उठाए गए ताकि सभी इंटर कनेक्शन लिंक ठीक तरह से काम करें और सेवाएं सामान्य हों।

(घ) और (ङ) विभिन्न प्रचालकों के बीच इन्टरकनैक्शन लिंकों की बहाली से 21.1.2003 को सेवाएं सामान्य हो गई।

किडनी घोटाला

268. **श्री बसुदेव आचार्य:**
डा. चरणदास महंत:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 जनवरी, 2003 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में "किडनी स्कैम", शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1984 का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के उपबंधों के अधीन गुर्दे सहित मानव अंगों की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध है। ऐसे कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को दण्ड देने के लिए इस अधिनियम में सख्त प्रावधान हैं। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 13 (2) के अंतर्गत राज्य सरकारों को गुर्दे सहित मानव अंगों की खरीद और बिक्री से संबंधित उपबंधों सहित इस अधिनियम के उपबंधों को तोड़ने की किसी भी शिकायत की जांच करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। पंजाब सरकार सहित कई राज्यों ने इस अधिनियम को अपनाया है।

[अनुवाद]

सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय संबंध

269. **श्री चाडा सुरेश रेड्डी:**
श्री बी.बी. रमैया:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंगापुर के राष्ट्रपति ने हाल में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इस अवसर पर हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सिंगापुर ने आतंकवाद से प्रभावी तरीके से लड़ने के लिए भारत की सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो आतंकवाद के खतरे को कम करने हेतु कौन-कौन सी सुरक्षा सेवाओं का पारस्परिक आदान-प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) जी, हां।

(ख) इस यात्रा के दौरान कोई द्विपक्षी करार संपन्न नहीं हुआ था।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, सिंगापुर और भारत की आतंकवाद की सार्वभौमिक चुनौती का प्रतिकार करने के लिए एक साझी वचनबद्धता है।

भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थलमार्गीय व्यापार

270. **श्री के. येरननायडू:**
डा. डी.वी.जी. शंकर राव:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी, 2003 के प्रथम सप्ताह के दौरान एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई थी जिसमें भारत, ईरान एवं अफगानिस्तान शामिल थे;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान द्वारा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच स्थलमार्गीय व्यापार से इंकार करने के आलोक में अफगानिस्तान के लिए किसी वैकल्पिक परिवहन मार्ग पर विचार किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्तमान में यह मामला किस चरण में है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) से (घ) भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच 4 और 5 जनवरी, 2003 को तेहरान में तीनों देशों के बीच पारगमन और परिवहन के विकास, रूकावटों तथा बाधाओं को हटाने एवं सुरक्षित, निर्विध्न, तीव्र और कम लागत वाली परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने पर विचार करने के लिए एक त्रिपक्षीय बैठक हुई थी।

अफगानिस्तान के मार्ग में सुधार करने और चाह बहार बंदरगाह और संबंधित सड़क क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को उन्नत करने के इरादे से चाहबहा-मिलक-जरंज-देलारम मार्ग को विकसित करने और उस पारगमन और परिवहन आधारभूत संरचना का निर्माण करने के लिए बैठक के अंत में तीनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये।

लाइसेंस शुल्क में कमी

271. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निजी संचालकों द्वारा सरकार को दिए जाने वाले लाइसेंस शुल्क में कमी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कदम के पीछे क्या कारण हैं; विशेषकर इस तथ्य के मद्देनजर कि दूरसंचार सेवाओं के शुल्क में गिरावट आ रही है और वृद्धि दर पर्याप्त रूप से अधिक है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार के अवसर

272. **श्री बीर सिंह महतो:**
डा. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2008 के अंत तक सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 70 लाख रोजगार के अवसरों के सृजित होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 15 फरवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर शाखाओं में कितने लोग कार्यरत हैं;

(घ) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान विदेशों में प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कोई कदम उठाए थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) जी, नहीं। नैस्कॉम अध्ययन (मेकिंजि रिपोर्ट 2002) के अनुसार यह अनुमान है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर और सेवा क्षेत्र में 23.67 लाख व्यक्ति नियोजित होंगे।

(ख) निम्नलिखित के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ

(1) सॉफ्टवेयर उत्पाद : 2 लाख

(2) सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं एवं ई-कारोबार : 5.77 लाख

(3) सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं एवं ई-कारोबार : 15.9 लाख

(ग) नैस्कॉम के अनुमान के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों शाखाओं में दिसम्बर, 2002 तक लगभग 5.2 लाख व्यक्ति नियोजित किए जा चुके हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

विकास सुधार सुविधा कोष से आबंटन

273. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विकास सुधार सुविधा कोष के अन्तर्गत गुजरात के लिए एक विशेष विकास पैकेज को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात को आबंटित विकास सुधार सुविधा कोष की धनराशि कितनी है; और

(ग) अन्य राज्यों को आबंटित विकास सुधार सुविधा कोष की धनराशि कितनी है और विकास सुधार सुविधा कोष के आबंटन हेतु निर्धारित मानदण्ड क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) गुजरात के डेंग्स जिले के लिए 15 करोड़ रुपये का आबंटन किया जा रहा है।

(ग) चालू वर्ष में 12 राज्यों के 25 जिलों को राष्ट्रीय समविकास योजना के पिछड़े जिले पहल संघटक के अन्तर्गत पायलट आधार पर कवर किया जा रहा है। प्रत्येक जिले को 15 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। राज्यों के नाम, कवर किए गए जिलों की संख्या और आबंटित राशि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर एस वी वाई) के पिछड़े जिले पहल संघटक के अन्तर्गत राज्यों के नाम, कवर किए गए जिलों की संख्या और आबंटित राशि को दर्शानेवाला विवरण।

क्र.सं.	राज्य का नाम	कवर किए गए जिलों की संख्या	आबंटित राशि (रुपये करोड़ में)
1.	आंध्र प्रदेश	2	30.00
2.	छत्तीसगढ़	2	30.00
3.	गुजरात	1	15.00
4.	झारखंड	3	45.00
5.	कर्नाटक	1	15.00
6.	केरल	1	15.00
7.	मध्य प्रदेश	3	45.00
8.	महाराष्ट्र	2	30.00
9.	राजस्थान	2	30.00
10.	तमिलनाडु	1	15.00
11.	उत्तर प्रदेश	5	75.00
12.	पश्चिम बंगाल	2	30.00

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सायंकालीन ओपीडी

274. **डा. मन्दा जगन्नाथ:**
डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 जनवरी, 2003 के "दि इंडियन एक्सप्रेस में "एम्स इवनिंग ओ.पी.जी. पेशेन्ट्स टर्न अप, डाक्टर प्ले ट्रायन्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) यह समाचार दिनांक 11 जनवरी, 2003 के इंडियन एक्सप्रेस में "एम्स इवनिंग ओ.पी.डी. पेशेन्ट्स टर्न अप, डाक्टर प्ले ट्रान्ट" शीर्षक से प्रकाशित हुआ। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कायचिकित्सा, शल्य चिकित्सा, बाल रोग चिकित्सा और प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान में सायंकालीन बहिरंग रोगी विभाग दिनांक 9 जनवरी, 2003 से सोमवार से शुक्रवार तक सभी कार्य दिवसों को संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है। प्रारंभ में सायंकालीन बहिरंग रोगी विभाग के कार्यकरण के संबंध में रेजिडेंट डाक्टरों के बीच कुछ शंकाएं थीं। इन मुद्दों को सुलझा लिया गया है और संकाय का स्टाफ जिन्हें सायंकालीन बहिरंग रोगी विभाग की ड्यूटी सौंपी गई है, अब उन्हें दिए गए दिवसों पर बहिरंग रोगी विभाग में कार्य कर रहा है। काफी अधिक संख्या में रोगी सायंकालीन बहिरंग रोगी विभाग में आ रहे हैं। उनमें से अधिकांशतया वे रोगी हैं जो प्रात: कालीन बहिरंग रोगी विभाग की सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं। सायंकालीन बहिरंग रोगी विभाग में किसी भी प्रकार के तीव्र तथा चिरकारी रोगियों को देखा जाता है।

द्विप्रयोज्य प्रौद्योगिकी पर रोक

275. **श्री वाई.वी. राव:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश सचिव ने हाल में अपनी संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका के अधिकारियों के साथ द्विप्रयोज्य प्रौद्योगिकियों के निर्यात संबंधी रोक को हटाने के मुद्दे को उठाया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर संयुक्त राज्य अमरीका प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) जी, हां।

(ख) विदेश सचिव और अमरीकी अंडर सेक्रेटरी आफ कामर्स ने वाशिंगटन डीसी में 5 फरवरी, 2003 को "दोहरे उपयोग" की

सामग्रियों और प्रौद्योगिकी के व्यापार सहित भारत और अमरीका के बीच उच्च प्रौद्योगिकी के वाणिज्य को और संवर्द्धित करने तथा सुविधाजनक बनाने के लिए एक सैद्धांतिक वक्तव्य पर हस्ताक्षर किये।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

276. **कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश के सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या है जिसका विनिवेश किया जाना है;

(ख) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों को कोई मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कोई चर्चा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) सरकार ने आंध्र प्रदेश में स्थित दो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों नामत: स्पॉज आयरन इण्डिया लिमिटेड (एसआईआईएल) और भारत हैवी प्लेटस एण्ड वैसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी), जो भारत यंत्र निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी है, के विनिवेश का निर्णय लिया है। जहां तक हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रश्न है, वहां कोई ऐसा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम स्थित नहीं है, जिसको विनिवेशित किया जा रहा हो।

(ख) और (ग) विनिवेश के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों का मूल्यांकन आमतौर पर अहर्ताप्राप्त इच्छुक पार्टियों से मूल्य बोलियां प्राप्त करने के समय किया जाता है। स्पांज आयरन इण्डिया लिमिटेड और भारत हैवी प्लेटस एण्ड वैसल्स लिमिटेड के विनिवेश के मामलों में अभी इस चरण तक नहीं पहुंचा गया है।

(घ) और (ङ) विनिवेश के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में आवश्यक नहीं है। तथापि, आंध्र प्रदेश सरकार को इन दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के बारे में अवगत करा दिया गया है। स्पांज आयरन इण्डिया लिमिटेड के मामले में इसके आदिवासी क्षेत्र में स्थित होने के कारण राज्य सरकार से परामर्श किया गया था और उन्होंने प्रस्ताव के प्रति अपनी अनापत्ति की सूचना दे दी है।

तटीय पोत परिवहन का विस्तार

277. **श्री वीरेन्द्र कुमार:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास तटीय पोत परिवहन कार्य का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) क्या वर्ष 2003-2004 में तटीय पोत परिवहन के विस्तार हेतु कोई कदम उठाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस हेतु पहचान किए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) इस समय ऐसी कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी हां। सरकार ने परामर्शदाता की नियुक्ति करके तटीय नौवहन और लघुपत्तनों का विकास करने संबंधी अध्ययन करने का निर्णय लिया है।

(घ) अध्ययन के लिए विचारार्थ विषयों में अभिज्ञात किए गए क्षेत्र इस प्रकार हैं:-

(1) ऐसे कार्गों की पहचान करना जिसका परिवहन अन्य साधनों से तटीय नौवहन के द्वारा दिया जा सकता है और ऐसा करने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों का अभिनिर्धारण करना।

(2) अगले दस वर्षों में तटीय आवाजाही के लिए यातायात की भावी संभावनाओं का मूल्यांकन करना जिसके अंतर्गत उसके प्रारंभिक स्थलों-गंतव्य स्थलों सहित कार्गों के स्वरूप और मात्रा तथा वापसी कार्गों की उपलब्धता का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

(3) मौजूदा और भावी मांग को पूरा करने के लिए तटीय मार्गों की उपलब्धता का अध्ययन करना तथा नए मार्गों का विकास करने की संभावनाओं का पता लगाना।

(4) रेल/सड़क संपर्क तथा भीतरी प्रदेश से संपर्क को ध्यान में रखते हुए तटीय नौवहन द्वारा प्रयोग में लाने के लिए

लघु पत्तनों (मौजूदा अथवा स्थापित किए जाने वाले) की पहचान करना और ऐसे पत्तनों पर अपेक्षित अवसंरचना की सिफारिश करना।

(5) तटीय पोतों और अंतर्देशीय जल परिवहन के बीच एक एकीकृत परिवहन प्रणाली स्थापित करने की संभावना की जांच करना और इसके लिए विशिष्ट स्थलों का सुझाव देना।

(6) उपर्युक्त का प्रचालन करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करना और मोटे तौर पर तत्संबंधी लागत अनुमान लगाना।

मलेरिया उन्मूलन

278. **श्री परसुराम माझी:**
श्री ब्रजमोहन राम:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न हिस्सों में मलेरिया के फैलने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो आज तक इससे मरने वाले लोगों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) मलेरिया को फैलने से रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और मलेरिया उन्मूलन हेतु क्या सहायता उपलब्ध कराई गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) वर्ष 2002 में मलेरिया के सूचित रोगियों की कुल संख्या वर्ष 2001 की इसी अवधि में 1.65 मिलियन रोगियों की तुलना में 1.58 मिलियन थी। असम में वर्ष 2002 में मलेरिया फैलने की सूचना मिली थी। वर्ष 2002 में मलेरिया के कारण सूचित मौतों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) मलेरिया के नियंत्रण के लिए कार्यनीतियां, स्वास्थ्य सुविधाओं और सामुदायिक स्वयं-सेवकों के जरिए शीघ्र उपचार के लिए मलेरियारोधी औषधें प्रदान करना और समेकित रोग-वाहक नियंत्रण हैं जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के उच्च खतरे वाले स्थानों में बची-खुची जगहों पर आन्तरिक छिड़काव, शहरी क्षेत्रों में लार्वानाशकों का छिड़काव, कीटनाशक संसाधित मच्छरदानियों, लार्वा खाने वाली मछलियों तथा पर्यावरण उपायों का प्रयोग करना शामिल हैं।

मलेरिया के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता देने हेतु वर्ष 2002-03 में 215 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।

विवरण

2002 के दौरान भारत में सूचित मलेरिया मौतें

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002(पी)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	63
4.	बिहार	2
5.	छत्तीसगढ़	3
6.	गोवा	15
7.	गुजरात	7
8.	हरियाणा	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0
10.	जम्मू व कश्मीर	0
11.	झारखंड	36
12.	कर्नाटक	31
13.	केरल	8
14.	मध्य प्रदेश	17
15.	महाराष्ट्र	31
16.	मणिपुर	2
17.	मेघालय	33
18.	मिजोरम	27
19.	नागालैंड	0
20.	उड़ीसा	362
21.	पंजाब	0
22.	राजस्थान	0
23.	सिक्किम	2

1	2	3
24.	तमिलनाडु	0
25.	त्रिपुरा	5
26.	उत्तरांचल	0
27.	उत्तर प्रदेश	0
28.	पश्चिम बंगाल	121
29.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	0
30.	चण्डीगढ़	0
31.	दादर और नगर हवेली	0
32.	दमन व दीव	0
33.	दिल्ली	0
34.	लक्षद्वीप	0
35.	पांडिचेरी	0
	कुल	765

पी: अनन्तिम

[हिन्दी]

मोबाइल टेलीफोन सेवा

279. **श्री रामशकल:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड ने देश के विभिन्न क्षेत्रों और जिलों में मोबाइल सेवा शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कनेक्शन प्रदान करने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) अक्तूबर, 2002 से आज की तिथि तक कुल कितने कनेक्शन जारी किए गए हैं और इनसे कितना राजस्व एकत्रित किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल सुविधा को सरल बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने जम्मू-कश्मीर, असम और उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर, 325 जिलों सहित लगभग 944 नगरों को कवर करते हुए देश भर के सभी राज्यों में सेल्यूलर सेवाएं शुरू की हैं।

(ग) क्षमता की उपलब्धता के अध्यधीन पहले आओ पहले पाओ आधार पर कनेक्शन दिए जाते हैं।

(घ) अक्तूबर, 2002 से 31.01.2003 तक 1237037 सेल्यूलर मोबाइल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं और राजस्व संग्रहण लगभग 71.64 करोड़ रुपये रहा है।

(ङ) उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल सुविधा को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय निम्नानुसार हैं:

1. सामान्तय: सभी सेवा क्षेत्रों में बहुत से प्रचालक हैं।
2. विनियामक द्वारा सेल्यूलर टैरिफ नहीं लगाया गया है।
3. विनियामक ने विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच इंटरकनेक्शन को सुकर बनाने के लिए इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार निर्धारित किये हैं।

[अनुवाद]

नए मेडिकल कालेजों हेतु दिशा-निर्देश

280. **श्री किरीट सोमैया:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पहाड़ी क्षेत्रों, पिछड़े क्षेत्रों और महानगरों में नए मेडिकल कालेजों के दिशा-निर्देशों की समीक्षा करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विद्यमान दिशा-निर्देशों को कब तैयार किया गया था;

(ङ) इन दिशा-निर्देशों की समीक्षा कब तक किए जाने की संभावना है; और

(च) भारतीय चिकित्सा परिषद की इस संबंध में क्या राय है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (च) भारतीय चिकित्सा

परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1993 के उपबंधों के अनुसरण में, भारतीय चिकित्सा परिषद ने नए मेडिकल कालेजों की स्थापना के लिए विनियमों को 1993 में अधिसूचित किया। समीक्षा करने के पश्चात् इन विनियमों को ''मेडिकल कालेजों की स्थापना विनियम 1999'' द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। भारतीय चिकित्सा परिषद् के विनियमों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। सरकार को इन विनियमों के कतिपय उपबंधों में छूट देने हेतु इसकी समीक्षा पुन: करने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ताकि पिछड़े तथा पहाड़ी क्षेत्रों और महानगरों में नए मेडिकल कालेजों की स्थापना की जा सके। भारतीय चिकित्सा परिषद् का विचार यह है कि विनियमों के उपबंधों को एक समान लागू किया जाना है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण

281. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न राजमार्गों पर निर्मित पुलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यवार कितने पुलों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है और इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी]: (क) ब्योरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) ब्योरे विवरण-II में दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों के लिए आबंटन राज्यवार किया जाता है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा पुल-वार।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्यों का नाम	गत तीन वर्षों के दौरान निर्मित पुल 1999-2002
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	104
2.	असम	2
3.	बिहार	26
4.	छत्तीसगढ़	5
5.	गोवा	3
6.	गुजरात	61
7.	हरियाणा	21
8.	हिमाचल प्रदेश	18
9.	झारखंड	16
10.	कर्नाटक	29
11.	केरल	6
12.	मध्य प्रदेश	39
13.	महाराष्ट्र	129
14.	मेघालय	11
15.	उड़ीसा	144
16.	राजस्थान	16
17.	तमिलनाडु	34
18.	उत्तर प्रदेश	14
19.	पश्चिम बंगाल	35
	जोड़	713

विवरण-II

क्र. सं.	राज्यों का नाम	चालु वर्ष 2002-03 के दौरान पुनर्निर्माण/नवनिर्माण के लिए प्रस्तावित पुलों की संख्या	
		बड़े पुल	छोटे पुल
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	7	6
2.	असम	2	2
3.	बिहार	14	5
4.	चंडीगढ़	0	1
5.	छत्तीसगढ़	2	13

1	2	3	4
6.	गोवा	1	0
7.	हरियाणा	3	1
8.	हिमाचल प्रदेश	7	10
9.	झारखंड	5	6
10.	कर्नाटक	4	8
11.	केरल	2	0
12.	महाराष्ट्र	1	39
13.	मणिपुर	2	6
14.	मेघालय	4	9
15.	मिजोरम	3	1
16.	उड़ीसा	4	11
17.	पांडिचेरी	1	1
18.	पंजाब	1	7
19.	राजस्थान	4	3
20.	तमिलनाडु	2	9
21.	त्रिपुरा	1	0
22.	उत्तरांचल	6	5
23.	उत्तर प्रदेश	7	18
24.	पश्चिम बंगाल	0	5
	जोड़	83	166

उपर्युक्त आंकड़ों में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और पत्तन संपर्क के अंतर्गत 4/6 लेन के बनाए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुल शामिल नहीं हैं क्योंकि 4/6 लेन बनाने की सड़क परियोजना के भाग के तौर पर ही सामान्यत: पुलों का निर्माण किया जा रहा है।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में पशु चिकित्सक

282. **श्रीमती मेनका गांधी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में पशुओं संबंधी अनुसंधान सुविधा 31 अक्टूबर, 2002 से बिना किसी पशु चिकित्सक के कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या बंदरों पर खोज, शल्य चिकित्सा और पराशल्य चिकित्सा को 31 अक्टूबर, 2002 से बिना किसी पशु चिकित्सक की देख-रेख में किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अनुसंधान सुविधा के लिए वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उपचार पर्चों पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है;

(ङ) यदि हां, तो क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि ऐसी पर्चियों पर वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों के स्थान पर तकनीशियनों और वैज्ञानिकों सहित अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जा रहे हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) उक्त चिकित्सालय में पशुचिकित्सक की तैनाती कब तक किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (छ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में पशुचिकित्सक के तीन पद हैं जिसमें से एक पद हाल ही में सृजित किया गया है। एक पशुचिकित्सक 31.10.2002 को सेवा निवृत्त हो गए हैं। इस प्रकार, एक व्यक्ति पदासीन है। बन्दरों पर इनवैसिव, शल्य चिकित्सीय तथा शल्य चिकित्सा के पश्चात् की प्रक्रियाएं विधिवत अर्हताप्राप्त व्यक्तियों द्वारा की जा रही हैं। उपचार/प्रक्रियाएं पशु प्रजनन और उन पर प्रयोग (नियंत्रण और पर्यवेक्षण) नियम, 1998 के नियम 9 (ख) के अनुसार की जा रही है। पशुचिकित्सक के खाली पदों को भरने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

ई-गवर्नेन्स को बढ़ावा देना

283. **श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ई-गवर्नेन्स को बढ़ावा देने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी कार्यालयों में कितने पी.सी. स्थापित और वितरित किए गए हैं और राज्यवार कितने इन्टरनेट कनेक्शन प्रदान किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार के सामने सभी मंत्रालयों और विभागों में ई-गवर्नेन्स के क्रियान्वयन और कम्प्यूटरीकरण में कोई कठिनाई आ रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा देश में ई-गवर्नेन्स और ई-कम्युनिकेशन्स को क्रियान्वित और प्राधिकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने केन्द्र सरकार के विभागों के कम्प्यूटर आधारित (ई-शासन) सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 1975-76 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की स्थापना की थी। सूचना विज्ञान केन्द्र की ई-शासन सहायता का देश के राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासनों और जिला प्रशासनों को वर्ष 1984-85 से विस्तार किया गया।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान - केन्द्र इस समय केन्द्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासनों और देश के लगभग 600 जिलों को नेटवर्क बैकबोन और ई-शासन सहायता प्रदान कर रहा है।

न्यायपालिका, कृषि, ग्रामीण विकास, भू-अभिलेख, यातायात, पासपोर्ट सेवाएं, बिक्री कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, सम्पत्ति पंजीकरण, नागरिक पेंशन/सामाजिक कल्याण पेंशन, लोक शिकायत, लेखाओं आदि के क्षेत्र में कई ई-शासन अनुप्रयोग विकसित और उन्हें क्रियाशील किया गया है।

(ग) से (च) ई-शासन, कम्प्यूटरीकरण और इंटरनेट का प्रावधान करने की प्रक्रिया एक जारी रहने वाला कार्यकलाप है। सरकारी विभागों से अपने बजटीय संसाधनों का उपयोग करते हुए आवश्यक मूलसंरचनात्मक सुविधाएं तैयार करने की अपेक्षा की जाती है।

योजना आयोग के दिशा-निर्देश में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को कम्प्यूटरीकरण/सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए बजटीय प्रावधानों का 2-3% उपयोग करने की अनुज्ञा है।

केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा ई-शासन के लिए कार्यान्वित करने हेतु न्यूनतम कार्यक्रम तैयार किया गया है। विवरण संलग्न है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान-केन्द्र सरकारी क्षेत्र के प्रयोगकर्ताओं को इंटरनेट, ई-मेल, फाइल अंतरण, डेटाबेस अभिगम इत्यादि के लिए नेटवर्क सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। एनआईसी द्वारा केन्द्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों, जिला प्रशासनों और सरकारी निकायों को उपलब्ध कराए गए इंटरनेट सम्पर्कों की संख्या 1 लाख से भी अधिक है।

जहां तक सरकारी कार्यालयों में वैयक्तिक कम्प्यूटरों के प्रतिष्ठापन और संवितरण का संबंध है, सरकारी विभाग अपने बजटीय आबंटन से वैयक्तिक कम्प्यूटर खरीदते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एनआईसी के जरिए सरकारी विभागों और राज्य सरकारों को क्षेत्रवार, विभागवार सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजनाएं तैयार करने में सहायता कर रहा है ताकि "अंकीय अवसर" देश में वृद्धि और विकास करने में सहायक हो सकें।

विवरण

केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में ई-शासन के लिए न्यूनतम कार्यक्रम

1. (क) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा अनुभाग अधिकारी के स्तर तक आवश्यक सॉफ्टवेयर सहित वैयक्तिक कम्प्यूटर अवश्य उपलब्ध कराए जाएं।

   (ख) लैन भी अवश्य स्थापित किए जाए।

2. (क) जिनके पास कम्प्यूटर है और अपने सरकारी काम के लिए कम्प्यूटर प्रयोग करने की आवश्यकता और जिनके लिए अपने कामकाज में कम्प्यूटरों का प्रयोग करना आवश्यक हो। ऐसी सभी कर्मचारियों के लिए शत-प्रतिशत प्रशिक्षण का सुनिश्चिय किया जाए।

   (ख) इस प्रयोजन से सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विकेन्द्रित रूप से कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए उचित सुविधा स्थापित की जाए अथवा अन्य अधिगम केन्द्रों का लाभ उठाया जाए।

3. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित कार्यालय पद्धति स्वचालन सॉफ्टवेयर का प्रयोग प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा आरम्भ किया जिसमें डाक की प्राप्ति, जारी पत्रों तथा विभाग में फाइलों के संचालन के रिकार्ड रखे जा सकें।

4. रोजमर्रा के प्रचालनों में वेतन पत्रक लेखांकन तथा अन्य हाऊस कीपिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाए।

5. (क) अधिकारियों के आंतरिक बैठकों की सूचना ई-मेल द्वारा भेजी जाए।

(ख) इसी प्रकार, छुट्टी तथा दौरे पर जाने के लिए आवेदन भी इलेक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत किए जाएं।

(ग) मंत्रालयों/विभागों द्वारा आन लाइन सूचना पट भी तैयार किए जाएं जिस पर समय-समय पर जारी किए जाने वाले आदेशों, परिपत्रों आदि को उपलब्ध कराया जाए।

6. मंत्रालयों/विभागों को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा विकसित वेब समर्थित शिकायत निवारण सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहिए।

7. प्रत्येक मंत्रालय/विभाग की अपनी वेबसाइट होनी चाहिए।

8. सभी अधिनियमों, नियमों, परिपत्रों को इलेक्ट्रानिक रूप में परिवर्तित करना चाहिए और जनहित में अथवा उनके लिए प्रासंगिक अन्य प्रकाशित सामग्रियों के साथ इन्हें इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जाए और ये सूचना एवं सुविधा पटल से प्राप्त किए जा सकें।

9. (क) मंत्रालयों/विभागों/संगठनों की वेबसाइटों में विशेष रूप से एक ऐसा खण्ड होना चाहिए जिसमें नागरिकों/उपभोक्ताओं के प्रयोग के लिए आवश्यक विभिन्न प्रपत्र उपलब्ध हों।

(ख) इन प्रपत्रों को कम्प्यूटर पर ही भरने और प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए।

10. वेबसाइटों की सूचना सामग्री का हिन्दी रूपातन्रण की यथासंभव साथ-साथ तैयार किया जाना।

11. प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा पैकेजों के विकास की दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे जिससे जनता की सेवाएं इलेक्ट्रानिक रूप में प्रदान करना आरम्भ किया जा सके।

12. प्रत्येक मंत्रालय/विभाग की पांच वर्षों की अवधि के लिए एक समग्र सूचना प्रौद्योगिक अभिदृष्टि अथवा कार्यनीति होनी चाहिए जिसके अंतर्गत वह एक वर्ष के अंतर कार्यान्वित की जाने वाली अपनी विशिष्ट कार्य योजनाओं तथा लक्ष्यों (न्यूनतम कार्यक्रम सहित) का निर्धारण कर सकें।

मेगा परियोजनाएं

284. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 जनवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय द्वारा निगरानी की गई मेगा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं पर कितना समय लगा और लागत आई है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जनवरी, 2003 में 1,000 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली 39 मेगा परियोजनाएं सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के प्रबोधन पर थीं।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) समय और लागत वृद्धि के कारण परियोजना दर-परियोजना भिन्न-भिन्न होते हैं। सामान्यत: इन कारणों में भूमि अधिग्रहण, ठेका प्रदान करने, उपस्कर की आपूर्ति में विलंब अधिसंरचना संबंधी बाधाएं, निधियों की कमी तथा कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याएं शामिल हैं। किसी भी कारण से हुई समय वृद्धि में कीमतों में स्फीतिकारी वृद्धि,- ब्याज की मात्रा तथा निर्माण के दौरान ऊपरी लागत में वृद्धि के कारण लागत वृद्धि निहित होती है। लागत वृद्धि के अन्य कारकों में शामिल हैं - विनिमय दर में भिन्नता, प्रारंभिक न्यून प्राक्कलन और परियोजना के कार्य क्षेत्र में अनुवर्ती परिवर्तन।

(घ) इन परियोजनाओं के अनुमोदित समय और लागत पैरामीटर के अन्तर्गत समापन को, सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) दो चरणों वाली निकासी व्यवस्था को अपनाया जाना और निवेश अनुमोदन से पूर्व परियोजना रिपोर्टों का पूर्ण मूल्यांकन;

(2) निधियों को पूर्णरूप से एकत्रित किए जाने के पश्चात् ही परियोजनाओं का कार्यान्वयन;

(3) सरकार द्वारा परियोजनाओं की मासिक, साथ ही साथ त्रैमासिक आधार पर गहन समीक्षा;

(4) भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याएं, पुनर्वास संबंधी मामले, वन निकासियां, अधिसंरचनात्मक सुविधाओं का प्रावधान और परियोजना कार्य स्थल पर कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने इत्यादि के लिए राज्य सरकारों के साथ अनुवर्तन;

(5) विभाग द्वारा निष्पादित परियोजनाओं की समीक्षा हेतु प्रशासनिक मंत्रालयों में एक-एक शक्ति प्रदत्त समितियों का गठन।

(6) अंतर-मंत्रालयी प्रकृति की समस्याओं के समाधान के लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय;

(7) समय और लागत वृद्धि के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालयों/विभागों में स्थायी समितियों का गठन;

(8) प्रत्येक परियोजना की अवधि के लिए केन्द्रक अधिकारियों की नियुक्ति; और

(9) मानक बोली दस्तावेजों को अपनाने के लिए दिशा-निर्देशों को जारी किया जाना।

विवरण

बड़ी परियोजनाओं में समय वृद्धि एवं लागत वृद्धि का स्तर (जनवरी, 2003 के अनुसार)

इकाई: (लागत/व्यय करोड़ रु. में)

क्र. सं.	परियोजना (जिला) (राज्य)	क्षमता	सरकारी अनु. की तारीख मूल (संशो)	प्रारंभ होने की होने की (डीओसी)		मूल प्रारंभ होने की तिथि पर समय वृद्धि कुल (माह में)	लागत अनु.मूल संशोधित	मूल प्रत्याशित	मूल पर ला. वृद्धि का प्रतिशत (संशो.)	संचयी व्यय
				मूल (संशो)	प्रत्याशी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क्षेत्र: परमाणु ऊर्जा										
एनपीसीआईएल										
1.	तारापुर परमाणु विद्युत एमआईसी विद्युत तारापुर महाराष्ट्र	मेगावाट 2x500	1991/01 1997/12	2006/07	2007/01	6	3447.06 6421.00	6760.00	96 5	2712.00
2.	कैगा 3 और 4 इकाईयां कनूर कर्नाटक		2001/05	2009/10	2007/10	-24	4213.00	3282.00	-22 -22	548.00
3.	परमाणु विद्युत परियोजना कुदन कुलम तमिलनाडु		2001/12	2008/12	2008/12	0	13171.00	13171.00	0	1142.00
4.	आरएपीपी 5 और 6	मेगावाट	2002/04	2008/02	2008/02	0	3072.00	3072.00	0	198.00
राजस्थान		2x220							0	
क्षेत्र: कोयला										
	एनसीएल									
5.	दुधीचुआ ओसी चरण-1 सिद्धी	10.0 एमटीवाई	1992/08 2001/03	1998/03 1998/03 2004/03	2004/03	72	868.93 1281.39	1281.39	47 0	1068.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश										
6.	निगाही विस्तार ओसी सिद्धी मध्य प्रदेश एनएलसी	10 एमटीवाई	1997.07	2004/03	2004/03	0	1846.49 0	1846.49	0 0	1106.74
7.	खान-1 का विस्तार नवेली तमिलनाडू	4.0 एमटीवाई	1992/03 2001/12	1996/10 2003/04	2003/04	78	1336/93 1658.38	1667.76	25 1	14.5348
8.	टीपीएस-1 विस्तार नवेली तमिलनाडू	420 मेगावाट	1996/02 2001/12	1996-10 2003/04	2003/03	24	1590.58 1420.27	1423.47	-11 0	1126.91
9.	खान-1 क नवेली तमिलनाडू	3 एमटीवाई	1998/02	2003/03	2003/03	0	1032.81	1015.74	-2	753.42
क्षेत्र: खान										
नाल्को										
10.	कैप का विस्तार स्मेलटर-सीपीपी अंगुल, उड़ीसा	1150 टीएपी स्मेलर 120 एमडब्ल्यू सीपीपी	1998/02	2002/05	2004/01	20	2061.98	20061.98	0 0	1563.41
क्षेत्र: पेट्रोलियम										
बीपीसीएल										
11.	रिफाइनरी का आधुनिकीकरण मुंबई महाराष्ट्र	एमटीपीए 11	2000/12 2002/04	2003/09	2004/10	13	1592.65 1831.00	1831.00	15 0	329.54
गेल										
12.	एचबीजे पाइपलाइन का उच्चीकरण गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश		2001/12	2004/09	2004/09	0	2936.00	2936.00	0 0	9.53
आईओसीएल										
13.	बरौनी रिफाइनरी विस्तार बरौनी बिहार	एमएमटीपीए 3	1999/02	2002/05	2002/12	7	1803.00	1983.00	10 10	1532.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	इंटीग्रेटेड पैरेक्सलीन पानीपत हरियाणा		1999/06 2001/10	2004/08	2005/07	11	4228.00 5104.00	5104.00	21 0	268.04
15.	पानीपत रिफाइनरी विस्तार पानीपत हरियाणा		1999/08 2002/01	2005/01	2005/01	0	3365.00 4165.00	4165.00	24 0	244.78
16.	लीनीयर अल्कीयल बेनलीन बड़ोदरा गुजरात	एलएसी टीपीए 18.5	2001/05	2004/03	2004/08	5	1248.00	1307.00	5 5	159.20
17.	एमएस क्वालिटी उच्चीकरण मथुरा उत्तर प्रदेश		2001/08	2004/08	2004/11	3	1483.00	1483.00	0 0	80.85
ओएनजीसीएल										
18.	मुंबई हाई नार्थ डिविजन	एमएमटी ओआईएल 24.8 बीसीएम जीएएस 585	2000/12	2005/12	2005/12	0	2929.40	2929.40	0 0	376.58
19.	मुंबई हाई साउथ डिवीजन वै. आफसौर		2001/10	2007/07	2007/07	0	5255.97	5255.97	0 0	129.72
	सीपीसीएल									
20.	रिफाइनरी विस्तार संचयी आधु. मनाली तमिलनाडू	एमएमटीपीए 3	2000/07	2003/07	2003/07	0	2360.38	2360.38	0 0	848.58
क्षेत्र:	विद्युत एमएचपीसी									
21.	दुलहस्ती-एचईपी डोडा	मेगावाट 390	1982/11 1989/07	1990/11 1994/07 2001/03	2003/12	157	183.45 3559.77 3559.77	4227.92	2205 19	3544.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ज. और कश्मीर									
22.	धौलीगंगा एच.ई.पी.आई. पिथौड़ागढ़ उत्तराचंल	मेगावाट 4*70	1991/04 2000/07	1998/10 2005/03	2005/03	77	601.98 1578.31	1578.31	162 0	808.76
23.	कैमरा एच.ई. परियोजना चंम्बा हिमाचल प्रदेश	मेगावाट 300	1999/05	2004/05	2004/05	0	1684.02	1684.02	0 0	1431.57
24.	टीस्टा एचई परियोजना स्टे.5 सिक्किम	मेगावाट 510	2000/02	2007/02	2007/02	0	2198.04	2198.04	0 0	596.97
25.	पार्वती एचईपी हि.प्र.	मेगावाट 800	2002/09	2007/09	2007/09	0	3919.59	3919.59	0	259.97
26.	टिहरी बांध एच.पी.पी. टिहरी उत्तरांचल	मेगावाट 1000	1994/03	1999/03	2003/08	53	2963.66	5209.10	76 76	4744.55
27.	कोटेश्वर एचईपी टिहरी उत्तरांचल	400 मेगावाट	2000/04	2006/03	2006/03	0	1301.56	1301.56	0 0	81.66
	एचजेपीसी									
28.	नाथपा झाकरी एच.ई.पी. किन्नौर हि.प्र.	मेगावाट 1500	1989/04 11998/06	1996/04 1998/12 2002/03	2003/12	92	1678.02 7666.31	9083.30	441 18	6978.54
	एनटीपीसी									
29.	तलचर एस टीपीपी स्टे.-2 उड़ीसा	मेगावाट 4*500	1999/01	2006/02	2006/02	0	6648.83	6652.22	0 0	2835.38
30.	रीहंद एसटीपीपी स्टे.-2 उत्तर प्रदेश	मेगावाट 1000	2001/05	2006/05	2006/05	0	3384.77	3384.77	0 0	420.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	रामागुंडम एसटीपीपी चरण-3 आंध्र प्रदेश	मेगावाट 500	2001/08	2005/08	2005/08	0	1780.99	1780.99	0 0	352.37
32.	कोल डेम एचईपी बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	मेगावाट 850	2002/10	2009/04	2009/04	0	4527.15	4527.15	0 0	152.07
पी. ग्रिड										
33.	तलचर-2 पारेषण पद्धति पूर्वी क्षेत्र		2000/01	2003/01	2003/06	5	3086.73	2998.32	-3 -3	2525.33
क्षेत्र: रेलवे										
बी और एस										
34.	ब्रह्मपुत्र ब्रिज बोगीबिल एवं लिंक एनईएफआर आसाम जीसी	कि.मी. 54.30	1996/04	2008/04	2008/04	0	1000.00	1500.00	50 50	37.71
35.	लूर्माडग सिलचर एनईएफआर आसाम एनएल	कि.मी. 198	1996/04 2002/05	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	648.00 1401.01	1491.00	130 6	136.29
36.	उधमपुर-एस एनजीआर-बारमुला द.रे. **ज. और कश्मीर**	कि.मी. 290	1995/03	2001/03	2007/08	77	2500.00	3244.00	30 30	541.85
37.	कोडरमा उंची (बरकना) रांची द.म.रे. झारखंड	कि.मी. 189	1999/03	2005/07	2006/03	8	491.19	1028.00	109 109	56.31
38.	दीपू. से करोग, द.पू. फ्रंटियर रेल आसाम	कि.मी. 123	1999/08	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	800.00	1600.00	100 100	0.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क्षेत्र: शहरी विकास यू डी										
39.	दिल्ली मैट्रो रैपिड सिस्टम-1 दिल्ली दिल्ली	31.8 लाख यात्री प्रतिदिन	1996/09	2005/03	2005/09	6	4860.00	8800.00	81 81	3086.46

संकेत:

एनपीसीआईएल - न्यूक्लीयर पावर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
एनसीएल - नार्थन कोल फील्ड लिमिटेड
एनएलसी - नवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड
नाल्को - नेशनल एल्मूनियम कंपनी
गेल - गैस एथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड
ओएनजीसी - तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग लिमिटेड
एनएचपीसी - राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड
टीएचडीसीएल - टीहरी जल विकास निगम लिमिटेड
एनटीपीसी - नेशनल थर्मल पावर कॉपरेशन
बी और एस - मूल एवं ढांचा
आरएपीपी - राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
ओसी - ओपन कास्ट
टीपीएस - थर्मल पावर स्टेशन
बीपीसीएल - भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आईडीसीएल - इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड
सीपीसीएल - चर्षी पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
एचईपी - हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर
एनटीपीसी - नाथपा झाकरी पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
पी. ग्रिड - पावर ग्रिड

मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति

285. **श्री शीशराम सिंह रवि:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में कई निजी चिकित्सालयों को भूमि का आबंटन इस शर्त पर बहुत कम मूल्य पर किया गया है कि वे निर्धन रोगियों का नि:शुल्क उपचार और दवाइयां प्रदान करेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी चिकित्सालय अपने वचन का पालन नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे चिकित्सालयों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या किसी उच्च न्यायालय ने सरकार को सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों और उनके आश्रितों के निजी चिकित्सालयों में उपचार की राशि की प्रतिपूर्ति किए जाने का निदेश दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने धर्मार्थ अस्पतालों जिनको दिल्ली में रियायतीं दरों पर जमीन आबंटित की गई थी, की स्थिति की समीक्षा करने के लिए न्यायाधीश ए.एस. कुरैशी की अध्यक्षता में एक उच्च समिति गठित की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 23.5.2001 को प्रस्तुत कर दी थी। सरकार ने न्यायाधीश ए.एस. कुरैशी समिति की सिफारिशें सिद्धांत रूप से स्वीकार कर ली हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा उक्त समिति की सिफारिशों को उचित रूप से लागू करने संबंधी विधियां तैयार की .जा रही हैं।

(ङ) और (च) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों पर निजी अस्पतालों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने वाले समझौते में आवश्यक प्रावधान शामिल कर लिए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये अस्पताल पैकेज दरों से ज्यादा वसूल नहीं करेंगे और अन्य बातों के साथ-साथ वे पूर्व अनुमति के साथ केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कर्मचारियों और केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को उपचार के लिए क्रेडिट सुविधा प्रदान करेंगे। वे मेडिकल इमरजेंसी में कराए गए उपचार के लिए सभी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों को भी वैध केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड प्रस्तुत करने पर क्रेडिट सुविधा प्रदान करेंगे।

उत्तर प्रदेश में नेहरू युवा केन्द्र

286. **श्रीमती रीना चौधरी:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में जिलावार कितने नेहरू युवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या उनके कार्य-कलापों का मूल्यांकन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके उद्देश्य हासिल हो गए हैं;

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में इन नेहरू युवा केन्द्रों पर कितनी राशि व्यय की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा): (क) 55. सूची विवरण-I की गयी है।

(ख) जी, हां। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और यह नेहरू युवा केन्द्र संगठन, चार निर्दिष्ट सूचना विकास एवं संसाधन एजेंसियों (आई.डी.ए.आर.ए.) तथा मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न उठता।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में, इन नेहरू युवा केन्द्रों पर खर्च की गई धनराशि को दर्शाने वाला एक विवरण विवरण-II पर दिया गया है।

विवरण-II

उत्तर प्रदेश में जिला-वार नेहरू युवा केन्द्रों की सूची

1. इलाहाबाद
2. अलीगढ़
3. आगरा
4. अमेठी
5. आजमगढ़
6. बदायूं
7. बांदा
8. बहराइच
9. बरेली
10. बस्ती
11. बाराबंकी
12. बलिया
13. बिजनौर
14. बुलंदशहर
15. देवरिया
16. एटा
17. इटावा
18. फर्रुखाबाद
19. फतेहपुर
20. फैजाबाद
21. फिरोजाबाद
22. गाजीपुर
23. गजियाबाद
24. गोंडा
25. गोरखपुर
26. हमीरपुर
27. हरदोई
28. जौनपुर
29. झांसी
30. जालौन
31. कानपुर
32. लखीमपुर खीरी
33. ललितपुर
34. लखनऊ
35. मैनपुरी
36. मथुरा
37. मेरठ
38. मुजफ्फरनगर
39. मुरादाबाद
40. मिर्जापुर

41. महाराजगंज

42. मऊ

43. प्रतापगढ़

44. पीलीभीत

45. रामपुर

46. रायबरेली

47. सीतापुर

48. सहारनपुर

49. सुल्तानपुर

50. शाहजहांपुर

51. सिद्धार्थनगर

52. सोनभद्र

53. उन्नाव

54. वाराणसी

55. कानपुर नगर

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में नेहरू युवा केन्द्रों पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा

केन्द्र	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4
इलाहाबाद	479484.00	994483.00	1473967.00
अलीगढ़	516723.00	1097738.00	1614461.00
प्रतापगढ़	482516.00	1046909.00	1529425.00
आजमगढ़	555992.00	1025840.00	1581832.00
बदायूं	407453.00	925087.00	1332540.00
बांदा	400406.00	970762.00	1371168.00
बिजनौर	380829.00	959962.00	1340791.00
देवरिया	463333.00	829484.00	1292817.00
फतेहगढ़	395813.00	941705.50	1337518.50
फतेहपुर	438012.00	969603.10	1407615.10
फैजाबाद	470159.00	880778.00	1350937.00
गाजीपुर	428370.00	803179.00	1231549.00
गोरखपुर	389073.00	980333.00	1369406.00
हमीरपुर	379060.00	796147.15	1175207.15
झांसी	368180.00	564715.00	932895.00
लखीमपुर	320150.00	995193.00	1315343.00
मथुरा	532133.00	1105235.75	1637368.75
मेरठ	360871.00	879336.00	1240207.00
मुजफ्फरनगर	443529.00	929699.00	1373228.00
मुरादाबाद	352166.00	923531.50	1275697.50
मिर्जापुर	449520.00	1014871.00	1464391.00
रायबरेली	546896.00	984631.00	1531527.00
रामपुर	355080.00	818054.00	1173134.00
सीतापुर	416340.00	1096161.00	1512501.00
सहारनपुर	448301.00	912179.00	1360480.00
उन्नाव	478727.00	955922.00	1434649.00
वाराणसी	554207.00	1081540.00	1635747.00
सुल्तानपुर	440426.00	881113.00	1321539.00
ललितपुर	466191.00	1340853.00	1807044.00
एटा	521133.00	930471.00	1451604.00
आगरा	435600.00	771432.00	1207032.00
बुलंदशहर	410071.00	895748.00	1305819.00
शाहजहांपुर	444013.00	884939.00	1328952.00
बहराइच	381162.00	888921.00	1270083.00
जौनपुर	498967.00	1081733.00	1580700.00
बरेली	664838.00	1100777.00	1765615.00

1	2	3	4
पीलीभीत	341678.00	615531.00	957209.00
मैनपुरी	299947.00	871288.00	1171235.00
लखनऊ	764169.00	11713627.00	1937796.00
गोंडा	327145.00	951695.00	1278840.00
बाराबंकी	368490.00	824471.50	1192961.50
बलिया	374709.00	822937.00	1197646.00
कानपुर*	320790.00	839350.00	1160140.00
इटावा	336053.00	635296.00	971349.00
जालौन	348231.00	790551.00	1138782.00
गजियाबाद	476373.00	828515.00	1304888.00
हरदोई	284445.00	632874.00	917319.00
बस्ती	279344.00	712357.00	991701.00
सिद्धार्थनगर	392029.00	799932.50	1191961.00
अमेठी	423606.00	877641.00	1301247.00
महाराजगंज	379316.00	876502.00	1255818.00
मऊ	417354.00	892184.00	1309538.00
फिरोजाबाद	449028.00	914872.00	1363900.00
सोनभद्र	371497.00	839506.00	1211003.00
कुल	23029928.00	49158196.00	72188124.00

*कानपुर जिले को, अब दो भागों नामतः- कानपुर ग्रामीण और कानपुर शहरी में बांटा गया है।

स्वास्थ्य हेतु विशेष राष्ट्रीय आयोग

287. **श्री चन्द्र भूषण सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का अधिक प्रभावी ढंग से समाधान करने हेतु नीति तैयार करने के लिए विशेष राष्ट्रीय आयोग का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आयोग द्वारा रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) जी, हां। प्रस्तावित राष्ट्रीय आयोग गठित करने के लिए अनिवार्य औपचारिकताओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

ऑक्जिलियरी नर्सों की आरक्षित रिक्तियां

288. **श्री अधीर चौधरी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित श्रेणी में ऑक्जिलियरी नर्सों की बड़ी संख्या में आरक्षित रिक्तियां खाली पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी नीति के अनुसार ऐसी आरक्षित रिक्तियों को निर्धारित समय में भरा जाना है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में संबंधित अस्पताल चिकित्सालय द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन का संचालन और रखरखाव

289. **श्री वी. वेत्रिसेलवन:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्यमान ग्राम सार्वजनिक टेलीफोनों के संचालन और रखरखाव हेतु निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्यमान कंपनियां देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मांग पर टेलीफोन प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस कार्य में कुछ नई कम्पनियों को लगाए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस समय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों की अनुमानित मांग कितनी है और आज तक कितनी मांग को पूरा किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) मौजूदा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के प्रचालन एवं अनुरक्षण हेतु निविदाएं आमंत्रित करने संबंधी निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) 29 जनवरी, 2003 को जारी की गई थी। निविदा संबंधी दस्तावेजों की बिक्री का कार्य 10 फरवरी, 2003 से शुरू हुआ। निविदा दस्तावेजों की बिक्री की अंतिम तिथि 27 फरवरी, 2003 है और पूर्व-अर्हता तथा प्रथम चरण की वित्तीय बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2003 है। सभी इच्छुक पार्टियों की सूचना के लिए निविदा दस्तावेज दूरसंचार विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट इंडिया.कॉम पर उपलब्ध है। निविदा के इस प्रथम चरण में संबंधित सेवा क्षेत्रों के बुनियादी तथा सेल्यूलर सेवा प्रचालकों से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

(ग) से (ङ) छ: निजी बुनियादी सेवा लाइसेंसधारक अपनी लाइसेंस शर्तों के अनुसार ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान नहीं कर सके। 18 सेवा क्षेत्रों में पच्चीस नए लाइसेंस जारी किए गए हैं जिनको शहरी, अर्द्ध-शहरी तथा एक सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीण अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र को उक्त सुविधा प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है।

(च) 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनैक्शनों और प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की कुल संख्या क्रमश: 1,06,65,581 तथा 16,27,285 है। निजी बुनियादी प्रचालकों ने प्रतीक्षा सूची के बारे में कोई सूचना नहीं दी है।

सबके लिए स्वास्थ्य

290. **श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार वहनीय लागत पर सबके लिए स्वास्थ्य के संबंध में योजना शुरू करने वाली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो वहनीय लागत पर सबके लिए स्वास्थ्य हेतु राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो राज्यों को निजी वित्तीय पैकेज के बिना इस योजना को किस तरह कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (च) सरकार संसाधनों की सीमाओं के भीतर सदैव ही वहनीय लागत पर सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिये प्रयास करती है। स्वास्थ्य राज्यों का विषय है। तथापि, देश की आम जनसंख्या के बीच अच्छे स्वास्थ्य के स्वीकार्य मानक प्राप्त करना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2002 के मुख्य उद्देश्य बने हुए हैं। इस प्रयोजन के लिए देश में ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना का एक व्यापक नेटवर्क बनाया गया है। मलेरिया, क्षय रोग, दृष्टिहीनता, कुष्ठ और एड्स जैसे मुख्य रोगों के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम पूरे देश में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं की व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से कुछ राज्यों में बाह्य सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला अस्पतालों आदि में अवसंरचनात्मक सुविधाओं को भी सुदृढ़ किया जा रहा है।

शुल्क पैकेज

291. श्री के.पी. सिंह देव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एस.टी.डी. क्षेत्र में निजी कंपनियों से आक्रामक शुल्क पैकेज द्वारा बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा से निपटने के लिए किसी नीति पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक प्रभावी बनाए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मिशन टू मून

292. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 फरवरी, 2003 के 'राष्ट्रीय सहारा' में "इंडियाज मिशन टू मून इज लाइकली टूबी

एडवर्सली एफेक्टेड बाई दि रिसेंट कोलंबिया डिसास्टर'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) हाल में हुई कोलंबिया दुर्घटना से भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम प्रभावित नहीं होगा। इस समय, भारत के पास मानवयुक्त अन्तरिक्ष मिशन की कोई योजना नहीं है। चन्द्रमा पर प्रस्तावित भारतीय मिशन पर राष्ट्रीय कार्यदल की रिपोर्ट, जोकि इस समय विचाराधीन है, का उद्देश्य भारत के अपने प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी.) का उपयोग करते हुए 100 कि.मी. की ऊंचाई पर चन्द्रमा की कक्षा का परिक्रमा करने हेतु मानवरहित अन्तरिक्षयान भेजना है। यह मिशन दृश्य, निकट-अवरक्त, निम्न-ऊर्जा एक्स-किरण और उच्च ऊर्जा एक्स-किरण स्पेक्ट्रा में चन्द्रमा की सतह का उच्च विभेदन सुदूर संवेदन करने के वैज्ञानिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रस्तावित है।

(ग) सरकार इन जांच रिपोर्टों का बारीकी से मानीटरन करेगी।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाएं

293. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गांवों में डाक सुविधाएं प्रदान करने में ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में निजी कूरियर सेवाओं को लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) और (ख) मौजूदा योजना के अधीन डाकघर रहित गांवों में बुनियादी डाक सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा अच्छे नैतिक चरित्र वाले और आपराधिक रिकार्ड न रखने वाले 18 से 62 वर्ष के बीच की आयु वाले किसी मैट्रिक पास व्यक्ति को काउंटर सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित मासिक भत्ते, और अन्य अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित कमीशन पर संचार केन्द्र एजेंट के रूप में नियुक्त करने पर विचार किया जा सकता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मेडिकल दावों का निपटान

294. डा. बी.बी. रमैया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के मेडिकल दावों के निपटान में असाधारण विलम्ब/लापरवाही की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2001 से आज तक मंत्रालय/सी.जी.एच.एस. में ऐसे कितने मेडिकल दावे लम्बित हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन दावों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पेंशनभोगी लाभार्थियों के चिकित्सा दावों के निपटान में कोई लापरवाही नहीं बरती जाती। तथापि, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान धन की कमी के कारण चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निपटान में कुछ विलंब हुआ है।

(ग) इस समय केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के पास लगभग 3,000 लाभार्थियों के चिकित्सा दावें लंबित हैं।

(घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के पेंशनभोगी लाभार्थियों के चिकित्सा दावों का निपटान करने के लिए वर्ष 2002-2003 के संशोधित अनुमानों में 24.86 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि आबंटित की गई है।

[हिन्दी]

दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार

295. श्री महेन्द्र सिंह पाल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नवगठित राज्यों में दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार हेतु विशिष्ट कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ इन राज्यों विशेषकर उत्तरांचल हेतु विशेष सहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी, हां। नवसृजित राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल में वर्ष 2002-2003 के लिए विस्तार योजनाएं बनायी गयी हैं जो निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	दूरसंचार पैरामीटर	छत्तीसगढ़	झारखंड	उत्तरांचल
1.	स्विचन-क्षमता (लाइनें)	44950	143000	86350
2.	सीधी एक्सचेंज लाइनें	39500	93200	57000
3.	ओएफसी (रूट कि.मी.)	1600	2000	1100

(ग) और (घ) इन राज्यों के लिए विशेष सहायता प्रदान करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, मांग पर टेलीफोन प्रदान करने और सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को विश्वसनीय माध्यम प्रदान करने के भरपूर प्रयास किये जा रहे हैं, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में उत्तर

(क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नेशनल इनफारमेटिक्स सेन्टर (एनआईसी) के माध्यम से केन्द्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों, जिला प्रशासनों और देश के अन्य सरकारी निकायों को नेटवर्क बैकबोन और ई-गवर्नेंस संबंधी सहायता प्रदान कर रहा है। इसके एक भाग के रूप में, एनआईसी ऐसी ही सहायता नवसृजित राज्यों अर्थात् उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड को पहले ही प्रदान कर रहा है।

एनआईसी द्वारा पहले से किये जा रहे प्रमुख कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:-

उत्तरांचल

राज्य सरकार सचिवालय और 13 जिलों में से 12 जिलों को एनआईसी नेट और इन्टरनेट संयोजकता प्रदान कर दी गयी है। 12 जिलों में राज्य सरकार द्वारा संस्थापित डीएएमए वी-सेट एवं वीसी सुविधा और एनआईसी द्वारा प्रदत्त संयोजकता है। रूद्रप्रयाग नामक जिले में इसे स्थापित करने की कार्रवाई चल रही है। इस राज्य के उच्च न्यायालय को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है।

शुरू की गयी/कार्यान्वित की गयी प्रमुख परियोजनाएं ये हैं- समन्वित वेतन और लेखा कार्यालय, एनआईसी की वन भूमि अंतरण प्रणाली, विधान सभा चुनाव, 2002 और स्थानीय निकाय चुनाव 2003, भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, ग्राम पंचायत सूचना प्रणाली, नेटवर्किंग, वेब-साइट्स विकास और होस्टिंग, सोसाइटी पंजीकरण का कम्प्यूटरीकरण, राज्य बजट, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय इत्यादि।

छत्तीसगढ़

एनआईसी राज्य सरकार के सचिवालय और छत्तीसगढ़ राज्य के 16 जिलों के एनआईसी नेट और इन्टरनेट संयोजकता प्रदान कर रहा है। रायपुर, बिलासपुर और बस्तर जिलों में तीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टूडियो संस्थापित कर दिये गये हैं। उच्च न्यायालय को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है।

प्रमुख परियोजनाओं में जन शिकायत निवारण प्रणाली, भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, कोषागारों (ट्रेजरीज) का कम्प्यूटीकरण मण्डियों का कम्प्यूटरीकरण इत्यादि शामिल हैं।.

झारखंड

एनआईसी ने झारखंड राज्य के जिलों तथा राज्य सरकार के सचिवालय को एनआईसीनेट और इन्टरनेट संयोजकता प्रदान कर दी है। झारखंड के सभी 22 जिलों में राज्य सरकार द्वारा व्यवस्थित वीसी और डाटा संचार के लिए एससीपीसी डीएएमए वी-सैट हैं। उच्च न्यायालय का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है।

कार्यान्वित की जा रही प्रमुख परियोजनाओं में ये शामिल हैं: - भूमि अभिलेख का कम्प्यूटरीकरण, झारखंड सचिवालय में स्थानीय क्षेत्र नेटवर्किंग, जीपीएफ अप्लीकेशन साफ्टवेयर, प्रमुख/संगठनों/ जिलों का वेबसाइट विकास और होस्टिंग, रांची स्थित सभी प्रमुख विभागों के नेटवर्किंग की प्रक्रिया चल रही है, सभी जिला कोषागारों का कम्प्यूटरीकरण, जिलों (डीटीओ कार्यालयों) में भूतल परिवहन के कम्प्यूटरीकरण का कार्य निर्बाध गति से चल रहा है, सभी जिलों में डीआरडीए का कम्प्यूटरीकरण प्रचालन में है, झारखंड

राज्य, उच्च न्यायालय, वाणिज्यिक करों, झारखंड दूरसंचार, केन्द्रीय मनोरोग संस्थान, जिला वेबसाइटों के लिए वेबसाइटों का विकास और अनुरक्षण तथा संसदीय/विधान सभा के चुनावों के दौरान जिला निर्वाचन कार्यालयों को सहायता प्रदान करना।

(ग) और (घ) एनआईसी नवसृजित राज्यों को अपने कार्यकलापों के एक हिस्से के रूप में विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहा है, जैसाकि अन्य राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को प्रदान की गयी हैं।

फिश पेलीकल से कृत्रिम त्वचा

296. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोचीन के वैज्ञानिकों ने फिश पेलीकल से कृत्रिम त्वचा के विकास का दावा किया है और आश्वस्त किया है कि इसका जल जाने के मामलों में घावों के इलाज में और दंत रोगों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस नई खोज पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार, केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, कोचिन ने काइटिन और चिटोसन का कृत्रिम त्वचा के रूप में प्रयोग किए जाने की सूचना दी है। उनका दावा है कि गॉज और फिल्म्स में संसेचित माइक्रोफाइन चिटोसन पाउडर चिरकारी घावों और वाह्य फोडों के उपचार में सहायक हैं और तंत्रिकाशल्य चिकित्सा में रक्तस्राव को न्यूनतम करते हैं। मात्स्यिकी अपशिष्ट से काइटिन फिल्म तैयार की जाती है जो घावों तथा जले अंग पर कृत्रिम त्वचा का काम करती है। दंतचिकित्सा तथा चिकित्सा के क्षेत्र में काइटिन तथा चिटोसन के उपयोगों का पता लगाने के लिए इस क्षेत्र में और अधिक अनुसंधान करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

स्थायी समितियों की बैठकें

297. **श्री पवन कुमार बंसल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ की विभिन्न स्थायी समितियों की हुई बैठकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें कौन-कौन से प्रमुख निर्णय लिए गए;

(ग) क्या उन निर्णयों को लागू किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ की विभिन्न स्थायी समितियों की पिछले दो वर्षों के दौरान हुई बैठकों की तारीखें इस प्रकार हैं:-

क्र.सं	समिति का नाम	बैठक की तारीख
1.	संस्था निकाय	25.07.2001
		27.02.2002
		29.09.2002
		12.12.2002
2.	शासी निकाय	25.07.2001
		27.02.2002
		10.04.2002
		29.09.2002
		12.12.2002
3.	स्थायी वित्त समिति	20.07.2001
		21.12.2001
		11.02.2002
		21.03.2002
		28.09.2002
		18.12.2002
4.	स्थायी संपदा समिति	24.01.2002

(ख) से (घ) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ की विभिन्न स्थायी समितियों की उदत्त बैठकों में छह सौ कार्यसूची मदों पर विचार-विमर्श किया गया था और उन बैठकों में लिए गए निर्णय संस्थान में संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय थे। उन बैठकों में लिए गए निर्णयों को या तो कार्यान्वित कर दिया गया है अथवा उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है। की गई कार्यवाही की सूचना इन समितियों की बैठकों में दी जाती है।

नाभिकीय प्रतिष्ठानों के संबंध में भारत-पाक समझौता

298. **श्री अनन्त नायक:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नाभिकीय प्रतिष्ठानों के संबंध में पाकिस्तान के साथ कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों द्वारा नाभिकीय प्रतिष्ठानों पर आक्रमण निषेध के संबंध में हुए समझौतों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) भारत और पाकिस्तान ने 31.12.1998 को परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले के निषेध से संबद्ध करार संपन्न किया है। इस करार का 27.1.1991 को अनुसमर्थन हुआ था.

(ख) उल्लिखित करार के तहत, दोनों देशों को इस करार के तहत आने वाले परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की प्रत्येक कलैएडर वर्ष की पहली जनवरी को एक दूसरे को सूचना देनी होती है। इस प्रकार की पहली सूची का 1.1.2003 को, इस सूची का बारहवें क्रमिक वर्ष के लिए आदान-प्रदान किया था।

गुड लैबोरेट्री प्रैक्टिसीज स्कीम

299. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय औषधियों का परीक्षण करने हेतु आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए भारतीय चिकित्सा क्षेत्र को उदारतापूर्वक सहायता प्रदान नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो देश में प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जाने की संभावना है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा घोषित "गुड लैबोरेट्री प्रैक्टिसीज स्कीम" का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत अभी तक कितनी प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं; और

(ङ) "गुड लैबोरेट्री प्रैक्टिसीज स्कीम" के वित्तीय प्रभारों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी औषधियों की राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्रति प्रयोगशाला 1 करोड़ रुपये तक की सहायता दी जा रही है। गत 2 वर्षों के दौरान अब तक 16 प्रयोगशालाओं को कुल 11,75,76000/- रुपये की वित्तीय सहायती दी गई है। सरकार प्रत्येक राज्य में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी औषधियों को कम से कम एक सरकारी औषध परीक्षण प्रयोगशाला को सहायता देने पर विचार कर रही है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की अच्छी प्रयोगशाला प्रक्रियाएं प्रयोगशालाओं के लिए मार्गदर्शिका हैं न कि वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाली योजना।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में नेहरू युवक केंद्र

300. **श्री राजो सिंह:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार और झारखंड में नेहरू युवक केंद्र सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन केंद्रों द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में इस वर्ष कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कितने जिलों में इन केंद्रों के कार्यकरण का अन्य जिला केंद्रों के समन्वयकों द्वारा पर्यवेक्षण किया जा रहा है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा): (क) से (ग) जी, हां। बिहार और झारखंड में नेहरू युवा केन्द्र सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। हालांकि, नेहरू युवा केन्द्र पलामू (बिहार) के खिलाफ एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच की जा रही है।

(घ) बिहार और झारखंड के 11 जिलों में, केन्द्रों की कार्यकरण का पर्यवेक्षण अन्य जिला केन्द्रों के समन्वयकों द्वारा किया जा रहा है।

[अनुवाद]

भारतीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन

301. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव देश के सरकारी अस्पतालों में भारतीय चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यूनानी/आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न सरकारी अस्पतालों को किस सीमा तक अतिरिक्त निधियां और सुविधाएं दी जा रही हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) जी हां। यद्यपि स्वास्थ्य मूल रूप से राज्य का विषय है और राज्य सरकार व निजी क्षेत्र के अधीन भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की विशाल अवसंरचना उपलब्ध है, तथापि, विविध केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के कार्यक्षेत्र में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के निम्नलिखित उपचार केंद्र हैं:-

10 राज्यों के 15 नगरों में विस्तीर्ण केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के 81 औषधालय; राष्ट्रीय संस्थानों से संबद्ध अस्पताल, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की केंद्रीय अनुसंधान परिषदों के अंतर्गत 156 औषधालय और रोगी परिचर्या केंद्र; कर्मचारी कल्याण निधि से चलने वाले 162 रेल औषधालय; श्रम मंत्रालय के अधीनस्थ 159 औषधालय और कोयला मंत्रालय के अधीनस्थ 28 औषधालय हैं।

इन सेवाओं को संपूर्ण बनाने के लिए केंद्र जिला अस्पतालों समेत एलोपैथिक अस्पतालों में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी उपचार सुविधाओं की स्थापना के प्रोत्साहन तथा ऐसी सुविधाओं के विस्तार तथा सुदृढ़ीकरणार्थ 10वीं योजना के दौरान क्रमशः 59.00 करोड़ तथा 28.04 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्ययों से दो योजनाएं कार्यान्वित करने का इरादा रखती है।

दिल्ली में पोलियों के मामलों में वृद्धि

302. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2000 की तुलना में 2002 में राजधानी में पोलियों के मामलों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा शुरू किया गया पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम सही दिशा में नहीं चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने दिल्ली और इसके आसपास पोलियो के मामलों में वृद्धि के कारणों का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ङ) दिल्ली में 2000 में तीन रोगियों के मुकाबले 2002 में 25 पोलियो रोगियों का पता लगाया गया था। दिल्ली में अधिक पोलियो रोगी होने का कारण उत्तर प्रदेश से ऐसे रोगियों का आना है।

सरकार द्वारा शुरू किया गया पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम सही दिशा में बढ़ रहा है। पोलियो उन्मूलन के लिए वार्षिक कार्यनीतियां सरकार द्वारा भारतीय विशेषज्ञ सलाहकार समूह, जो राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का एक समूह है, की सिफारिशों के आधार पर तैयार की जाती हैं और कार्यान्वित की जाती हैं। देश में पोलियो वाइरस के तीव्र संचरण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भारतीय विशेषज्ञ सलाहकार समूह द्वारा वर्ष 2003-04 के लिए निम्नलिखित कार्यकलाप संस्तुत किए गए हैं:-

(1) अप्रैल से जून, 2003 की अवधि में उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा के उच्च जोखिम वाले राज्यों और पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड तथा मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उप-राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के दो दौर।

(2) सितम्बर और नवम्बर, 2003 के बीच जानपादिक रोग विज्ञानीय स्थिति द्वारा यथापेक्षित उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और हरियाणा के उच्च जोखिम वाले राज्यों और अन्य राज्यों के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में उप-राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के दो दौर

(3) जनवरी और फरवरी, 2004 में राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के दो दौर।

(4) उच्च जोखिम वाले राज्यों/क्षेत्रों में घर-घर जाने संबंधी घटक कम से कम 5 दिन का होना चाहिए। बूथ और घर-घर जाने संबंधी घटक को राज्य-दर-राज्य लचीले रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि अधिकतम संभावित प्रभाव सुनिश्चित किया जा सके।

(5) फरवरी, 2003 से तीव्र (वाइल्ड) पोलियो वाइरस का पता लगाने के बाद वाइरस का पूरा सफाया करना।

वर्ष 2003-04 के लिए पोलियो उन्मूलन कार्यनीति के संबंध में निर्णय सरकार द्वारा भारतीय विशेषज्ञ सलाहकार समूह की सलाह और देश में व्याप्त जानपदिक रोग विज्ञानीय स्थिति को देखते हुए किया जाएगा।

एक समान सड़क कर ढांचा

303. **श्री के.ई. कृष्णामूर्तिः**
श्री अधीर चौधरीः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव देश में वाहन भार कर प्रणाली के स्थान पर एक नया एक समान सड़क कर ढांचा लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों के विचार मांगे गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी]: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) परिवहन विकास परिषद की 16.1.2003 को आयोजित 30वीं बैठक में कार्यसूची मद के तौर पर मोटर वाहन कराधान को युक्तिसंगत बनाने पर विचार-विमर्श किया गया था। तथापि, बैठक में राजस्व घाटे के आधार पर राज्य करों को युक्तिसंगत बनाने के पक्ष में नहीं थे।

(च) इस मंत्रालय द्वारा किसी समय सीमा के बारे में नहीं बताया जा सकता क्योंकि इस विषय से संबंधित मामले में निर्णय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

अमरीका के साथ आपसी विधिक सहायता संधि

304. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसीः**
श्री बसुदेव आचार्यः
श्री मोइनुल हसनः
श्री के.पी. सिंह देवः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जनवरी, 2003 के 'दि इंडियन एक्सप्रेस' में ''लीगल ट्रिटी यू एस पूटस इंडिया इन ए फिक्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो अमरीका द्वारा निर्धारित शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) जी, हां।

(ख) भारत के साथ परस्पर विधिक सहायता संधि के संबंध में अमरीका द्वारा निर्धारित दो शर्तें निम्नलिखित हैं:

(1) सहायता की सीमाएं- इस संधि के तहत सहायता से इंकार करने संबंधी अमरीका के उस अधिकार के अनुसरण में जो आवश्यक जन भांति अथवा अमरीका के हितों के प्रतिकूल होगा, यदि अमरीका का केन्द्रीय प्राधिकरण (इस संधि के अनुच्छेद 2 (2) में यथा निर्दिष्ट) सभी उपयुक्त आसूचना, स्वापक रोधी तथा विदेश नीति अभिकरणों के पास यह विशिष्ट सूचना है कि अनुरोधकर्त्ता पक्ष का एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी जिसके पास ऐसी सहायता के एक भाग के रूप में प्रदान की जाने वाली सूचना है, अवैध नशीली दवाओं के उत्पादन या वितरण के सरलीकरण सहित किसी महा अपराध में संलिप्त है, के साथ परामर्श करने के पश्चात तो अमरीका ऐसी सहायता के लिए किसी अनुरोध से इंकार करेगा।

(2) संविधान की सर्वोच्चताः इस संधि में अमरीका द्वारा अपेक्षित प्राधिकृत करने अथवा अन्य कार्यवाई करने का कोई प्रावधान नहीं है जो अमरीका द्वारा यथा परिभाषित अमरीका के संविधान द्वारा प्रतिबंधित है।

इसके अतिरिक्त, अमरीकी सीनेट ने एक शर्त रखी है कि जिसे अनुसमर्थन के दस्तावेज में शामिल किया जाएगा:

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के लिए सहायता संबंधी निषेधः अमरीका सहायता का उपयोग सीमित करने संबंधी अपनी अधिकारों का उपयोग करेगा जिसे वह इस संधि के अंतर्गत प्रदान करता है ताकि अमरीका की सरकार द्वारा प्रदत्त कोई सहायता स्थानान्तरित अथवा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की सहायता के लिए अन्यथा उपयोग में नहीं लाई जाए बशर्तें कि न्यायालय स्थापित करने वाली

संधि अमरीका द्वारा प्रभावी बनाई गई है तथा अमरीकी संविधान के अनुच्छेद 2, खण्ड 2 के अनुसार सीनेट की सलाह से, या बशर्तें कि राष्ट्रपति ने लागू अमरीकी विधि के अनुसार ऐसी सहायता के प्रावधान से संबद्ध किसी लागू होने वाले निषेध को छोड़ दिया है।

(ग) भारत सरकार का उत्तर विभिन्न संबंधित सरकारी अभिकरणों के विचाराधीन है तथा हमारे आंतरिक मूल्यांकन समाप्त हो जाने के पश्चात अमरीका को सूचित कर दिया जाएगा।

विदेशी हस्तियों की भारत यात्रा

305. **श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री जी.जे. जावीया:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिसम्बर, 2002 से आज तक किन विदेशी हस्तियों द्वारा भारत की यात्रा की गई हैं;

(ख) प्रत्येक हस्ती के साथ विचार किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) इन चर्चाओं के क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या उनके साथ किसी द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ङ) सूचना विवरण में दी गई हैं।

विवरण

बंगलादेश

(1) विदेश मंत्री के निमंत्रण पर बंगलादेश के विदेश मंत्री जी मोरशेद खान ने 13-16 फरवरी, 2003 तक भारत का दौरा किया। दौरे के दौरान बंगलादेश के विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय वार्ताओं और प्रतिनिधि स्तरीय विचार-विमर्शों के लिए विदेश मंत्री से मुलाकात की और वे प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री से भी मिले। विदेश मंत्री ने अजमेर शरीफ का भी दौरा किया। महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मसलों पर विचार किया गया।

मालदीव

मेजर जनरल अब्दुल सत्तार अनबरी, रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के राज्य मंत्री ने 13-20 दिसम्बर, 2002 तक भारत का दौरा किया। उन्होंने रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्होंने सशस्त्र सेना मेडिकल कालेज, आर्डिनेंस फैक्ट्री, मेंडक का दौरा किया और उन्हें महिन्द्रा और महिन्द्रा द्वारा निर्मित सम्पूर्ण बुलेटप्रूफ गाड़ियों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ।

म्यांमार

(1) यू विन आंग, म्यांमार के विदेश मंत्री ने 19-24 जनवरी, 2003 तक भारत का दौरा किया। 1987 के बाद से म्यांमार के एक विदेश मंत्री का यह पहला द्विपक्षीय दौरा था। द्विपक्षीय विचार-विमर्शों और प्रतिनिधि स्तर वार्ताओं के लिए विदेश मंत्री से मिलने के अलावा, म्यांमार विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास विभाग के अतिरिक्त प्रभार सहित विनिवेश मंत्री और गृह सचिव से मुलाकात की। म्यांमार विदेश मंत्री ने सीआईआई द्वारा आयोजित कार्य दोपहर भोजन पर भारतीय व्यवसायी समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच विदेशी कार्यालय के नियमित विचार-विमर्शों के लिए द्विपक्षीय प्रोतोकाल पर हस्ताक्षर किए गए।

श्रीलंका

(1) श्री अनुरा भंडारनायके, संसद सदस्य, श्रीलंका और श्रीलंका की राष्ट्रपति के भाई ने पीसीबी के का प्रतिनिधित्व कर रहे श्रीलंका फ्रिडम पाटी (एसएनएफसी) के तीन सदस्यीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया और 2-4 दिसम्बर, 2002 तक भारत का दौरा किया और प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री और विदेश सचिव के प्रधान सचिव से मुलाकात की। वे अपने साथ प्रधानमंत्री के नाम श्रीलंका के राष्ट्रपति का एक पत्र भी लाए।

(2) श्री तिलक जनक मारापने, श्रीलंका के रेलवे, रक्षा, राजमार्ग और नागरिक उड्डयन मंत्री ने रेल मंत्री के निमंत्रण पर 15-25 दिसम्बर 2002 तक भारत का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने रेलवे और रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की। श्रीलंका ने उसके इंजन चालकों के प्रशिक्षण के लिए भारत की सहायता, बालास्ट, शयनयानों के लिए क्लिप बनाने के लिए एक मैटल क्रसर की आपूर्ति करने का अनुरोध किया।

(3) श्री मिलिन्द मोरागोडा, श्रीलंका के आर्थिक सुधार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने 10 जनवरी, 2003 को विदेश मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और विदेश सचिव के प्रधान सचिव से मुलाकात की और उन्हें थाइलैंड में हुई शांति वार्ताओं के चौथे दौर के विषय में सूचित किया।

(4) श्री महिन्द्रा राजापाक्से, श्रीलंका के विपक्ष के नेता ने 3-6 फरवरी 2003 तक भारत का दौरा किया और उन्होंने विदेश मंत्री, लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल और विदेश सचिव से मुलाकात की।

(5) श्री लक्ष्मण कादिरगामर, संसद सदस्य, श्रीलंका के भूतपूर्व विदेश मंत्री और पीसीबी के सलाहकार ने शास्त्री स्मारक न्यास के नियंत्रण पर 10वीं लाल बहादुर शास्त्री स्मारक में व्याख्यान देने के लिए 10-11 जनवरी, 2003 तक भारत का दौरा किया। उन्होंने विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने मुलाकात की। वे विदेश सचिव से भी मिले।

भूटान

(क), (ख) और (ग):

(1) महामान्य आशी केसांग चोदेन वांगचुक, भूटान की राजमाता ने भारत सरकार के नियंत्रण पर 11-26 दिसम्बर, 2002 तक भारत का दौरा किया।

(2) दासगो उग्येन तसेरिंग, भूटान के विदेश सचिव ने भूटान की 9वीं पंचवर्षीय योजना को भारतीय सहायता पर विचार-विमर्श के लिए 11-26 दिसम्बर, 2002 तक भारत का दौरा किया।

(3) लियोन्पो खांडू वांगचुक, व्यापार और उद्योग मंत्री ने टाला और कुरिचु जल-विद्युत परियोजना प्राधिकरण की बैठकों के लिए 16-17 जनवरी, 2003 तक भारत का दौरा किया।

(4) दासो उगेन दोर जी, भूटान की नेशनल असेम्बली के अध्यक्ष ने संसद के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के लिए 20-26 जनवरी 2003 तक भारत का दौरा किया।

(5) दासो कुनजांग वांगड़ी, भूटान के महालेखा परीक्षक ने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के नियंत्रण पर 12-27 फरवरी, 2003 तक भारत का दौरा किया।

(घ) भूटान के साथ द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ङ) लागू नहीं।

नेपाल

(क), (ख) और (ग) परम माननीय श्री तारानार्थ रानाबाथ, नेपाल की प्रतिनिधि सभा (निचला दसन) के अध्यक्ष और माननीय श्री राधेश्याम अधिकारी, नेपाल की राष्ट्रीय सभा (ऊपरी सदन) के सदस्य ने भारत सरकार के निमंत्रण पर भारतीय संसद के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर अन्तर संसदीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए 23 से 28 जनवरी 2002 तक भारत का दौरा किया।

(घ) नेपाल के साथ द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ङ) लागू नहीं।

कतर:

(क) 9-12 जनवरी, 2003 तक आयोजित पैट्रोटेक - 2003 में भाग लेने के लिए पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री राम नाईक के निमंत्रण पर कतर के ऊर्जा और उद्योग मंत्री महामान्य श्री अब्दुल्ला बिन हमिद अल-अत्तीयाह के नेतृत्व में एक चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया।

(ख) ऊर्जा और इससे सम्बंधित विषयों पर विचार-विर्मश हुआ।

(ग) दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए दौरा लाभकारी था।

(घ) और (ङ) शून्य

कुवैत:

(क) शेख अहमद अब्दुल्ला अल-अहमद अज-जबेर अल-सबाह, कुवैत के संचार राज्य मंत्री ने 7-12 दिसम्बर 2002 तक भारत का दौरा किया। उनके सथ एक छ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल था। दौरा भारत के संचार मंत्री के निमंत्रण में था।

(ख) दौरा करने वाले मंत्री ने भारत-कुवैत, विशेषकर तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग पर भारतीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया।

(ग) दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए इन विचार-विमर्शों के परिणाम बहुत संतोषजनक रहे।

(घ) और (ङ) शून्य

ईरान

(क) - (ङ) ईरान के राष्ट्रपति महामान्य सैय्यद मोहम्मद खातमी ने 24-28 जनवरी, 2003 तक भारत का दौरा किया। दौरे के दौरान द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और आपसी हितों के वैश्विक मसलों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री और ईरानी राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित नई दिल्ली घोषणा अधिक स्थाई, सुरक्षित और समृद्ध क्षेत्र और क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और ईरान के बीच सामरिक भागीदारी को एक आदर्श प्रस्तुत करता है। इसमें, द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग, हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा और प्रशिक्षण, अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण, अन्तर्राष्ट्रीय और वैश्विक मसलों पर सहयोग के सभी पहलुओं को शामिल किया गया।

नई दिल्ली घोषणा के अलावा सामरिक सहयोग की रूपरेखा, जिसमें सामरिक भागीदारी के लिए पांच वर्ष के लक्ष्य निर्धारित हैं, के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। छ: अन्य दस्तावेजों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पर करार, हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन, व्यावसायिक प्रशिक्षण और शहरी जल प्रबन्धन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (2003-2005) और 200 मिलियन यू एस डालर के भारतीय ऋण की किस्तें जारी करने में संरचना करार पर भी हस्ताक्षर किए गए जिसका क्रियान्वयन ईरानी बैंकों के माध्यम से एक्जिम बैंक द्वारा किया जाएगा।

अफ्रीकी देश

(क) दिसम्बर, 2002 में तन्जानिया और मारिशस से भारत के दो सरकारी दौरे किए गए। तंजानिया के राष्ट्रपति महामहिम श्री बेंजामिन विलियम म्कापा ने 15-20 दिसम्बर तक और मारिशस के प्रधानमंत्री महामान्य अनिरूद्ध जुगनाथ ने 5-11 जनवरी, 2003 तक भारत का दौरा किया।

(ख) इन दौरान दोनों पक्षों के बीच सम्पूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धों और आपसी चिंता के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों जैसे आतंकवाद, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, संयुक्त राष्ट्रपुनर्गठन आदि पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। दौरों से राजनीतिक, आर्थिक और अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों में संबंध सुदृढ़ हुए।

(ग) तन्जानिया के राष्ट्रपति के दौरे का मुख्य परिणाम यह निकला कि तंजानिया ने संयुक्त परिषद में भारत की स्थाई सदस्यता को खुला समर्थन दिया।

जम्मू और कश्मीर और सीमा-पार के आतंकवाद के मसलें पर दोनों देशों ने हमारे दृष्टिकोण का समर्थन किया और समर्थन किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर का मसला शिमला समझौता, 1972 और लाहौर घोषणा, 1999 की कार्ययोजना के अनुसार द्विपक्षीय वार्ता से ही हल किया जाना चाहिए।

(घ) और (ङ) तंजानिया राष्ट्रपति के दौरे के दौरान कृषि और उससे सम्बंधित क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन और स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में सहयोग पर एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। ये करार तंजानिया में भारतीय फार्मास्यूटिकल उत्पादों के पंजीकरण को सुविधाजनक बनाने कृषि, विशेषकर कृषि अनुसंधान और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करते हैं।

दक्षिण पूर्वी एशियाई देश

(1) श्री एम.आर. नाथन, सिंगापुर के राष्ट्रपति - 3-14 जनवरी, 2003

(2) श्री जोश रामोस-होरता, तिमोर लिस्टे के वरिष्ठ मंत्री और विदेशी मामला और सहयोग मंत्री - 23-27 जनवरी, 2003।

(3) डा. सुराकियर्ति साथिस्थाई विदेश मंत्री, थाईलैंड राज्य, 13-17 फरवरी, 2003

(ख) दौरों के दौरान द्विपक्षी, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर विचार-विमर्श किया गया।

(ग) दौरों से भारत और सम्बन्धित राज्यों के बीच द्विपक्षीय सम्बंध और सुदृढ़ हुए।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

लेटिन अमरीकी देश

मैक्सिकों के विदेश मंत्री महामान्य श्री जोर्गे कास्टानोडा ने 29 नवम्बर से 3 दिसम्बर, 2002 तक भारत का दौरा किया और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में आपसी हितों के मसलों पर विचार-विमर्श हुआ। विचार-विमर्श से एक दूसरे की चिंताओं पर बेहतर समझबूझ पैदा हुई।

मिस्र

भारतीय संसद की स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के लिए मिस्र की पिपुल्स असेम्बली के अध्यक्ष, डा. अहमद फाथी सोरोर के नेतृत्व में एक 10 सदस्यीय मिस्र के संसदीय प्रतिनिधिमंडल 20-25 जनवरी, 2003 तक भारत का दौरा किया। डा. सोरोर ने

संसदीय मंत्री, विदेश मामला सम्बन्धी समिति के अध्यक्ष सहित, एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति जी से मुलाकात की। स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होने 70 प्रतिनिधिमंडलों के 70 प्रमुखों में से केवल मिस्र के अध्यक्ष थे, जिन्होंने राष्ट्रपति जी के साथ अकेले में बात की।

सूडान

सूडान की नेशनल असेम्बली के अध्यक्ष श्री अहमद इब्राहिम अल-ताहिर की अध्यक्षता में भारतीय संसद की स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के लिए एक 23 सदस्यीय सूडान के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 22-27 जनवरी, 2002 तक भारत का दौरा किया। श्री अल ताहिर ने प्रधानमंत्री के साथ एक सद्भावना मुलाकात थी। सूडान के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के साथ अकेले में बातचीत करने हेतु स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया।

मोरक्को

मोरक्को के हाउस आफ रिप्रेसेन्टेटिव के प्रेजीडेंट श्री अनदेलवाहिद शादी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल ने भारतीय संसद के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने हेतु 22-26 जनवरी, 2003 को भारत का दौरा किया।

पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के संसदीय शिष्टमंडल

अल्जीरिया के ऊपरी सदन के वाइस-चैयरमैन, श्री ओमार मेहदाद की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय अल्जीरियाई शिष्टमंडल, जार्डन के सहाकास सेनेटर तथा जार्डन की सीनेट जूडीशियरी कमेटी के सदस्य श्री रिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जार्डन के शिष्टमंडल, फिलीस्तीन नेशनल काउसिल के सदस्य ने भारतीय संसद के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने हेतु 20-27 जनवरी का दौरा किया।

मध्य और पूर्वी यूरोपीयन देश

(एक) मेजर जनरल एल.एम. फैजव, तजाकिस्तान के उप रक्षा मंत्री (30 नवम्बर - 7 दिसम्बर, 2002)

(दो) एच.एच. अवसत्तार हाजी दरबेसली, तजाकिस्तान के धार्मिक प्रशासन के अध्यक्ष (13-20 दिसम्बर, 2002)

(तीन) एच.ई. श्री बुलेंट आर्निक, तुर्की ग्रांड नेशनल एसेम्बली के अध्यक्ष (15-20 दिसम्बर, 2002)

(चार) एच.ई. एस.एस. गुलयामी, हाई एण्ड सैकेंडरी स्पैशलाइस्ड एजुकेशन मंत्री, उजबेकिस्तान गणराज्य की सरकार (7-10 जनवरी, 2003)

(पांच) निम्नलिखित मध्य एशियाई देशों के संसदीय शिष्टमंडल ने भारतीय संसद के स्वर्ण जयंती समारोह के संबंध में 20-26 जनवरी को भारत का दौरा किया।

(क) कजाकिस्तान: कजाकिस्तान गणराज्य की सीनेट ऑफ पार्लियामेंट (ऊपरी सदन) के डिप्टी चेयरमैन श्री ओमिरबेक बैगदी ने तथा कजाक संसद की मजलिस के डिप्टी चेयरमैन श्री महामबेट कोणे ने क्रमशः दो कजाक प्रतिनिधिमंडलों की अध्यक्षता की।

(ख) किर्गीस्तान: लैजिस्लेटिव एसेम्बली ऑफ किर्गीस पार्लियामेंट के स्पीकर श्री एरिकबेव ए. तथा एसेम्बली ऑफ पीपुल्स रिप्रजेंटेटिव ऑफ किर्गी पार्लियामेंट के स्पीकर श्री आल्टे बोरूबेव ने क्रमशः दो किर्गी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

(ग) तजाकिस्तान: मजलिसी मिली ऑफ मजलिसी ओली (उपर हाउस) के चेयरमैन श्री मोहम्मद सैद उबैदुल्लीथे ने तजाकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

(घ) तुर्की: तुर्की ग्रांड नेशनल असेम्बली के हिंदी स्पीकर श्री इस्माइल अल्टेकिन ने तुर्की प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता की।

(ङ) उजबेकिस्तान: कमेटी ऑफ इंटरनेशनल अफैयर्स एण्ड इंटर-पार्लियामेंटरी रिलेशन्स के चेयरमैन श्री एर्निक वाहिदोह ने उजबेकी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता की।

(छह) उजबेकिस्तान गणराज्य के विदेश मंत्री एच.ई. श्री ए.एच. कामिलोव (3-4 फरवरी, 2003)

पैरा (ख) (ग) दौरे के दौरान परस्पर हित के मामलों पर चर्चा हुई।

पैरा (घ) जी हां, महोदय

पैरा (ङ) फरवरी, 2003 में दौरे उजबेकिस्तान के विदेश मंत्री के दौरान भारत और उजबेकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने संबंधी संयुक्त कार्यदल गठित करने पर समझौता।

कॉलम शीर्षक

क.1 - दिसम्बर, 2002 से भारत का दौरा करने वाले विदेश उच्च पदाधिकारियों के नाम तथा पद (मंत्री/वक्ता और उससे ऊपर)

क.2 दौरे की आरम्भिक तिथि (डी.डी.-एमएमएम-वाई वाई फारमैट)

क.3 दौरे की समाप्ति तिथि (डी.डी.-एमएमएम-वाई वाई फारमैट)

(ख) और (ग): उन मुद्दों का ब्यौरा जिन पर प्रत्येक उच्च पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श हुआ; की गई चर्चा का परिणाम

(घ) और (ङ): संक्षेप ब्यौरे सहित किए गए द्विपक्षीय समझौते, यदि कोई हुए है।

क.1	क.2	क.3	ख और ग	घ और ङ
1	2	3	4	5
रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर वी. पुतिन	3 दिसम्बर, 02	5 दिसम्बर, 02	दौरे से दो देशों के बीच सौहार्द और मैत्री के परम्परागत संबंध दृढ़ हुए तथा महत्वपूर्ण द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर परस्पर विचार विनिमय हो पाया	भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ के बीच सामरिक साझेदारी को और मजबूत करने संबंधी दिल्ली घोषणापत्र पर भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर वी. पुतिन ने हस्ताक्षर किए। इस दस्तावेज में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय हित के मुद्दों के दोनों पक्षों की स्थिति का उल्लेख है। अक्तूबर, 2000 में रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दौरान दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी संबंधी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस दस्तावेज में दोनों पक्षों ने परस्पर हित और विषय के राजनैतिक मुद्दों पर अपने सहयोग का और अधिक प्रतिपादन किया है। रूस ने व्यापक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत को दृढ़ और उचित उम्मीदवार के रूप में अपना समर्थन देने की पुन: घोषणा की है। दोनों पक्षों ने आतंकवाद अफगानिस्तान, मध्य एशिया, मध्य पूर्व, आदि पर अपने समान दृष्टिकोण की भी रूपरेखा दी। इस दस्तावेज से विभिन्न क्षेत्रों में भारत और रूसी परिसंघ के बीच मौजूदा सहयोग का ढांचा व्यापक और सुदृढ़ होगा और उनकी सामरिक साझेदारी को मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी। 2. भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति व्लादिमीर वी. पुतिन ने भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ

1	2	3	4	5
				के बीच आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग को सुदृढ़ करने और बढ़ाने संबंधी संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस दस्तावेज में दोनों देशों के बीच आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा बढ़ाने हेतु दोनों देशों के विचार प्रस्तुत किए गए हैं। दोनों देशों ने द्विपक्षीय निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने तथा इसके संवर्धन और सुरक्षा, औद्योगिक संगठनों को अपने व्यापार और निवेश विनिमय में वित्तीय संस्थानों का पूरा समर्थन प्राप्त करने में समक्ष बनाने सहित इस दिशा में अनेक उपाय करने का निर्णय लिया है। इसमें रूस में इंडियन कमर्शियल बैंकों की शाखाएं तथा भारत में भी ऐसी शाखाएं खोलने में तेजी लाना शामिल होगा। इस क्षेत्र में सहयोग में मानव संसाधन विकास, दोनों देशों के बीच माल और सेवाओं तथा पर्यटन और यात्रा में निरन्तर हुई वृद्धि का समर्थन करने के उद्देश्य से दोनों देशों के भीतर और बीच परिवहन संपर्क और विभिन्न साधनों में बुनियादी ढांचा सुदृढ़ करना शामिल होगा। नार्थ-साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को क्रियान्वित करने हेतु द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय परामर्श को आगे बढ़ाने के लिए विशेष महत्व दिया जाएगा। विशेष रूप से इलैक्ट्रानिक और दूरसंचार क्षेत्र में प्रभावी संचार सम्पर्क कायम करने, व्यापार वृद्धि सुगम बनाने हेतु सीमाशुल्क व्यवस्था को कारगर बनाने, व्यापार और निवेश से संबंद्ध राष्ट्रीय मानकीकरण तथा प्रमाणीकरण विनियमों में तालमेल करने पर ध्यान दिया जाएगा। दोनों देशों के विनियामक निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाले शक्ति प्राप्त प्रतिनिधिमंडल का आदान-प्रदान शामिल होगा। ऐसे सहयोग से दोनों देशों के बीच व्यापार में तकनीकी बाधाएं हटाने

1	2	3	4	5
				पर, व्यापार विनिमय के लिए प्रभावी वीजा व्यवस्था शामिल करने, दोनों देशों के बीच बीमा क्षेत्रों में सक्रिय तालमेल को प्रोत्साहित करने, नए उद्यम शुरू करने में सहायता प्रदान करने हेतु, संयुक्त उद्यम कोष स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने, द्विपक्षीय समझौते के अनुरूप क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक सामंजस्य प्रोत्साहित करने पर भी ध्यान दिया जाएगा।
				3. विदेश मंत्री श्री जसवंत सिंह और रूस के विदेश मंत्री श्री आइगोर इवानोन द्वारा भारत गणराज्य की सरकार और रूसी परिसंघ की सरकार के बीच आतंकवाद का मुकाबला करने से संबद्ध समझौता ज्ञापन: इस कराक के अंतर्गत दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने से संबद्ध दो संयुक्त कार्यकारी दल गठित करेंगे। यह दोनों पक्षों की ओर से एक अंतर सरकारी समूह होगा और इसका समन्वय उनके विदेश कार्यालयों द्वारा किया जाएगा।
				4. मानव संसाधन विकास मंत्री डा. मुरली मनोहर जोशी और उद्योग एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री इलया क्लेवानोव द्वारा 30 जून, 1994 को भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ के बीच संपन्न करार के लिए भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ के बीच बौद्धिक संपदा के संरक्षण और उपयोग में संबद्ध प्रोतोकोल: 1994 का प्रौद्योगिकी सहयोग, दोनों देशों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त कार्य के परिणामस्वरूप बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के मसले पर निर्णय लेना था। इस प्रकार प्रोतोकोल का उद्देश्य 1994 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करार की रूपरेखा में संयुक्त कार्यवाही की प्रक्रिया में सृजित

1	2	3	4	5
				प्रभावकारी और उचित अधिग्रहण, वितरण संरक्षण बौद्धिक संपत्ति अधिकारों को बांटना अथवा दूसरे को हस्तांतरित करने के मसलों के साथ कार्य करना था।
				5. दूरसंचार के क्षेत्र में भारत गणराज्य के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और रूसी परिसंघ के संचार और सूचना मंत्रालय के बीच संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री प्रमोद महाजन और संचार तथा सूचना मंत्री श्री एल डी रेमान ने सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन; इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दोनों देशों के संचार मंत्रालय टेलकाम नीति और नियामक मसलों पर सूचना विनिमय, टेलकाम क्षेत्र में प्रभावकारिता उपलब्ध करने के लिए तकनीकी हल के लिए खोज विचार और टेलकम क्षेत्र में अग्रिम प्रौद्योगिकी लागू और विशेषज्ञों की अदला बदली और इस क्षेत्र में प्रशिक्षण सुविधाएं बांटेंगे।
				6. भारत गणराज्य के कर्नाटक राज्य की सरकार और रूसी परिसंघ के सामरा क्षेत्रीय प्रशासन के बीच व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग से संबद्ध प्रोतोकोल कर्नाटक के मुख्य मंत्री श्री एसएम कृष्ण और सामरा क्षेत्र के गवर्नर श्री के ए तितोव द्वारा संपन्न; यह प्रोतोकोल जो अक्तूबर 2002 में संपन्न किया गया था भारत के राज्यों और संघीय क्षेत्रों तथा रूस के क्षेत्रों के बीच सहयोग पर सरकार की रूपरेखा के अंतर्गत हस्ताक्षरित/कर्नाटक और सामरा क्षेत्र दोनों देशों के नियमों के अनुसार व्यापार, आर्थिक वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के साथ ही साथ शिक्षा खेलकूद तथा पर्यटन के क्षेत्रों में सहयोग को विकसित करेंगे।

1	2	3	4	5
रोमानिया के विदेश मंत्री श्री मरसिया दान ज्योना	14 जनवरी, 03	17 जनवरी, 03	परस्पर हित के मसलों विशेषरूप से व्यापार और आर्थिक सहयोग पर चर्चा हुई	कोई नहीं।
सेनेट के पोलिश स्पीकर प्रोफेसर लॉजिन पास्तुसियाक पार्लियामेंट	21 जनवरी, 03	26 जनवरी, 03	भारतीय संसद की स्वर्ण जयन्ती के उपलक्ष में अंतर संसदीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए	कोई नहीं।
लात्वियन सेमा (संसद) का चेयरपर्सन (स्पीकर) श्रीमती इंगरिदा उदेर	22 जनवरी, 03	26 जनवरी, 03	भारतीय संसद की स्वर्ण जयंती समारोह के लिए अंतर संसदीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए	कोई नहीं।
चैक रक्षामंत्री श्री जैरोस्लाव त्वरदिक	3 फरवरी, 03	3 फरवरी, 03	बंगलौर में एअरो इंडिया 2003 प्रदर्शनी में चैक भागीदारी का नेतृत्व करने के लिए श्री त्वरदिक ने यात्रा की	कोई नहीं।
चैक उद्योग और व्यापार मंत्री श्री जीरी रसनोक	3 फरवरी, 03	7 फरवरी, 03	इंटरनैशनल इंजीनियरिंग ट्रेड फेयर में सरकार और उद्योग के प्रतिनिधियों के चैक शिष्टमंडल का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री रसनोक की यात्रा	कोई नहीं।
पोलिश प्रधानमंत्री श्री लेसजेक मिलर	15 फरवरी, 03	18 फरवरी, 03	यह मात्रा 19 फरवरी, 2003 तक होगी (जब संसद में प्रश्न उत्तर देने के लिए आएगा)	निम्नलिखित पर करार संपन्न होने की आशा 1. संगठित अपराध और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग 2. प्रत्यर्पण संधि 3. रक्षा सहयोग

देश	दिसंबर, 02 से यात्रा पर आए विदेशी गणमान्य व्यक्ति	चर्चा के विषयों का ब्यौरा और उनका परिणाम	सम्पन्न किए गए द्विपक्षीय करार और उनका ब्यौरा
1	2	3	4
फ्रांस	फ्रांस के सांसद और फ्रांस की नैशनल असेम्बली में भारत-फ्रांस मैत्री दल के अध्यक्ष ने भारत की संसद के स्वर्ण	उन्होंने जम्मू और कश्मीर की यात्रा की और राज्य सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की जिनमें	

1	2	3	4
	जयंती समारोह के लिए 21-23 जनवरी, 2003 को भारत की यात्रा की।	जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री भी थे। नई दिल्ली में वह भारत की संसद में गए और विदेश मामलों से संबंद्ध स्थायी समिति के सदस्यों से बातचीत की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एनएसए से भी मुलाकात की।	
	फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन पियरे रैफ्रीन ने 6-8 फरवरी, 2003 तक भारत की यात्रा की। उनके साथ चार मंत्रिमंडल के मंत्री और एक राज्य मंत्री आर्थिक, वित्त और उद्योग मंत्री, श्री फ्रांसिस मेर, व्यापार मंत्री श्री फ्रांकोईस लूस, उपस्कर परिवहन, गृह, पर्यटन मंत्री श्री जिलेस द रोविन; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री एम एम ई क्लोदी हेगनेरे, विदेश राज्य मंत्री श्री रेनाल्ट मुसेलियर और एक बड़ा व्यापार शिष्टमंडल तथा मीडिया थे।	6 फरवरी, 2003 को प्रधानमंत्री रैफरिन पहले बंगलौर गए जहां वह कर्नाटक के मुख्य मंत्री से मिले और याल्हान्का में एअरो इंडिया शो देखने गए। नई दिल्ली में उन्होंने राष्ट्रपति जी, उप राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री से मुलाकात की। उनके साथ आए मंत्रियों ने भी अपने भारतीय समकक्ष मंत्रियों के साथ उपयोगी वार्ता की।	बंगलौर में 300 मिलियन अमरीकी डालर की लागत के चार करार ए ए एल तथा एस एन ई सी एम फ्रांस एअर क्राफ्ट इंजिन निर्माताओं के बीच संयुक्त उत्पादन निर्माण और इंजिनों तथा मुख्य पुर्जों के रख रखाव के लिए संपन्न किए गए।
		व्यापार शिष्टमंडल ने बंगलौर और नई दिल्ली दोनों में फिक्की तथा भारतीय उद्योग परिसंघ के माध्यम से भारतीय व्यापारियों के साथ व्यापक अन्योन्यक्रिया की। इस यात्रा के दौरान एलायन्स फ्रैन्कोयस की नींव रखी गई।	रोहने एल्पस रिजन के अध्यक्ष श्रीमती एन मेरी कोम्पारिनीं और कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने रोहने एल्पस रीजन और कर्नाटक राज्य के बीच सहयोग का लैटर ऑफ इन्टेंट सम्पन्न किया।
जर्मनी	श्री जोसेफ हाटिग, ब्रिनेन के जर्मन राज्य के अर्थ एवं उट मंत्री (5 जनवरी, 03)	हैदराबाद में सी.आई.आई. पॉटनशिप शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए।	
	डा. बर्नार्ड फोगेल, थूरिंगिया जर्मनी राज्य के मंत्री-राष्ट्रपति (20-24 जनवरी, 03)	डा. फोगेल ने विदेश मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री से मुलाकात की	
	श्री नोरबर्ट लैमर्ट, बुन्देसताग के उपराष्ट्रपति (22-26 जनवरी),	संसद के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के लिए	
इटली	श्री गिउलियानो उरबानी, सांस्कृतिक विरासत और गतिविधि मंत्री (जनवरी 24-30, 2003)	कला संरक्षण और सिनेमा के विशेष संदर्भ में साथ संस्कृति के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार	2003-2005 की अवधि के लिए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर हुए
	श्री एन्टोनियो मार्टिनों, रक्षा (2-5 फरवरी, 2003)	दो देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, खतरों का आभास और हाल के राजनैतिक मुद्दों पर आयोजित चर्चाएं	रक्षा सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर हुए
	सीनेटर, फियोरेलो प्रोबेरा, सीनेट की विदेश कार्य समिति के अध्यक्ष और श्री गुस्तावो	अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए	

1	2	3	4
	सेल्वा, चैम्बर, ऑफ डिप्टीज की विदेश कार्य समिति के अध्यक्ष (22-26, 2003)		
यू.के.	सुश्री क्लेयर शार्ट, अंतर्राष्ट्रीय विकास हेतु राज्य सचिव (3-5 दिसम्बर, 02)	विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री, पं. बंगाल के साथ मुलाकात की।	
	सुश्री पैट्रिशिया हिविट, व्यापार और उद्योग के लिए राज्य सचिव (5-8 जनवरी, 03)	उप प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, नागरिक विमानन मंत्री, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के साथ मुलाकात की।	
	श्री स्टीफन पाउन्ड की अध्यक्षता में लेबर फ्रेन्ड्स आफ इंडिया ग्रुप से संसद सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल (5-14 जनवरी, 03)	उप प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, विपक्ष के नेता और अध्यक्ष, एन.एच. आर.सी. से मुलाकात की।	
	श्री अर्ल एटली, हाउस आफ लाइर्स के कन्जर्वेटिव संसद सदस्य और श्री प्यारा सिंह खाबरा, लेबर संसद सदस्य (22-26 जनवरी, 03)	संसद के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के लिए	
पुर्तगाल	डा. जोआओ बोस्को मोटा अमरल, पुर्तगाली संसद के राष्ट्रपति (21-26 जनवरी, 03)	अंतर्राष्ट्रीय. संसदीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए। पुर्तगाली संसद के राष्ट्रपति और अध्यक्ष के बीच मौजूदा सद्भावना के संवर्द्धन हेतु चर्चाएं।	
स्विटजरलैंड	श्री चार्ल्स क्लाईबर, विज्ञान और शोध हेतु स्विस राज्य सचिव (21-26 जनवरी, 03)	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के साथ चर्चाएं आयोजित की।	
	श्री ब्लेज गोडेट, राजनैतिक निदेशक, स्विटरलैंड के विदेश मंत्री (20-21 जनवरी, 03)	सचिव स्तर पर भारत और स्विटजरलैंड के बीच विदेश कार्यालय परामर्श के दूसरे दौर के लिए द्विपक्षीय संबंधों की गहन समीक्षा और क्षेत्रीय और वैश्विक हित के विषयों के दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान	
आस्ट्रिया	शून्य		
आयरलैंड	डा. रोरी ओ. हेललोन, हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव्स के अध्यक्ष की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल (22-26 जनवरी, 03)	संसद के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के लिए	
नार्वे	श्री युरगेन कास्मो, नारवेजियन स्टारटिंग के राष्ट्रपति (22-26 जनवरी, 03)	संसद के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के लिए	
स्वीडन	श्रीमती केर्सटिन हाइनीमान, स्वीडिश संसद के द्वितीय उपाध्यक्ष (22-26 जनवरी)	संसद के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के लिए	

विदेश मंत्रालय
(पूर्वी एशिया प्रभाग)

विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों की यात्रा

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 305	जापान
(क) विदेशी विशिष्ट व्यक्ति जिन्होंने दिसम्बर 2002 से आज तक भारत की यात्रा की;	7-8 जनवरी, 2003 के बीच जापानी विदेश मंत्री सुश्री योरिको कावागूची।
(ख) उन मुद्दों के ब्यौरे जिन पर प्रत्येक विशिष्ट व्यक्ति के साथ चर्चाएं हुईं;	दिसम्बर 2001 में तोक्यो में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान जारी संयुक्त घोषणा के कार्यान्वयन सहित आपसी हित के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दे।
(ग) आयोजित इन चर्चाओं के परिणाम;	दोनों पक्ष 2003 के दौरान 21वीं शताब्दी के लिए भारत-जापान वैश्विक भागीदारी को ठोस बनाने के लिए सहमत थे।
(घ) क्या उनके साथ किसी द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए; और	(घ) जी, नहीं।
(ङ) यदि हां, तो उसके ब्यौरा क्या है?	(ङ) जी नहीं।

चीन, कोरिया गणराज्य, लोकतांत्रिक जनतांत्रिक कोरिया गणराज्य और मंगोलिया की सूचना शून्य है।

(क) विदेशी विशिष्ट व्यक्ति, जिन्होंने दिसम्बर, 2002 से भारत की यात्रा की

	(क) विदेशी विशिष्ट व्यक्ति जिन्होंने भारत की यात्रा की	(ख) उन मुद्दों के ब्यौरे जिन पर प्रत्येक विशिष्ट व्यक्ति के साथ चर्चा हुई	(ग) आयोजित चर्चाओं के परिणाम	(घ) क्या उनके साथ किसी द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए; और	(ङ) यदि हां, तो उन के ब्यौरे
1	2	3	4	5	6
संयुक्त राज्य अमरीका दिसम्बर 5-6, 2002	श्री स्टीफन हेडले, संयुक्त राज्य उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार	दीर्घअवधि सामरिक सहयोग के निर्माण और वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग हेतु द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हेतु।	द्विपक्षीय संबंधों में सुधार आया और महत्वपूर्ण सामरिक मुद्दों पर दोनों राष्ट्रों का सहयोग सुदृढ़ हुआ।	शून्य	लागू नहीं
दिसम्बर 9-12, 2002	एडमिरल थामस बी. फारगो, यू.एस. पैसिफिक कमाण्ड के कमाण्डर-इन-चीफ	भारत संयुक्त राज्य संबंधों में उच्च स्तरीय आदान-प्रदान और रक्षा सहयोग में और सघनता और विस्तार	द्विपक्षीय संबंधों में सुधार आया और दोनों पक्षों ने आतंकवाद का सामना करने में अपने सतत सहयोग का आश्वासन दिया।	शून्य	लागू नहीं
दिसम्बर 12-14, 2002	श्री सैम ब्राउनबैक, सीनेटर	द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई।	आर्थिक, व्यापारिक और ऊर्जा और जल	शून्य	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6
			क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और सघन करने के लिए सहमत हुए। आतंकवाद सहित वैश्विक मसलों पर बेहतर चर्चा		
जनवरी, 6-7, 2003	डा. रिचर्ड हास, निदेशक (नीति योजना), अमरीकी विदेश मंत्रालय	द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की	दोनों पक्ष द्विपक्षीय मसलों और आतंकवाद और सुरक्षा पर वैश्विक मसलों पर अधिक समझ पैदा करने पर सहमत हुए	शून्य	लागू नहीं
कनाडा					
जनवरी 6-14, 2003	श्री डेविड किलगोर, एमपी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (एशिया-पेसिफिक), विदेश विभाग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कनाडा	द्विपक्षीय संबंध में और सी-2 हैदराबाद में भागीदारी शिखर सम्मेलन	दोनों पक्ष सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने पर राजी हुए	शून्य	लागू नहीं
जनवरी 5-11, 2003	श्री गुलजार चीमा, विधान सभा के सदस्य और ब्रिटिश प्रान्त के सरकार के मानसिक स्वास्थ्य के लिए राज्य॰मंत्री	प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में भागीदारी होगा, बायोटैक्नालाजी क्षेत्र में अपर एण्ड डी सहयोग की संभावनाओं सहित स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत-कनाडा अवधि सहयोग	शून्य	लागू नहीं	
	श्री जेम्स फ्लैटहटी, मंत्री	सामान्य क्षेत्र	बेहतर रूप से प्रोन्नत	शून्य	लागू नहीं
6-14 फरवरी, 2003	प्रोविंस आफ आनर्टेरियो, कनाडा प्रक्रमों अवसर और खोज	द्विपक्षीय व्यापार और निवेश आनटोरियो, कनाडा और भारत के बीच हित	दोनों पक्षों के बीच समझौता		
10-12 फरवरी, 2003	लेन एडवार्डस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कनाडा	व्यापार निवेश सुरक्षा और राजनैतिक मसलों से संबंधित द्विपक्षीय विषय	द्विपक्षीय सहयोग मजबूत किए और दोनों पक्षों के बीच समझौता	शून्य	

नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना

306. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:

श्रीमती रेणुका चौधरी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव मध्य प्रदेश के मंडल जिला सहित देश के विभिन्न भागों में कई नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो स्थापित किए जाने वाले नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है और इसकी समय-सीमा क्या है; और

(ग) इस समय मामला किस अवस्था में है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) इस समय, तारापुर, महाराष्ट्र में 2×540 मेगावाट; कैगा, कर्नाटक में 2×220 मेगावाट कुडनकुलम, तमिलनाडु में 2×1000 मेगावाट और रावतभाटा, राजस्थान में 2×220 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले आठ परमाणु विद्युत रिएक्टरों का निर्माण-कार्य विभिन्न चरणों में चल रहा है। जनवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार, इन परियोजनाओं में क्रमशः 64%, 22%, 10% और 12% वास्तविक संचयी प्रगति हुई है और इनके वर्ष 2006 और 2008 के बीच वाणिज्यिक रूप से उत्तरोत्तर उत्पादन शुरू करने की आशा है।

इसके अतिरिक्त, कलपाक्कम, तमिलनाडु में 500 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पी एफ बी आर) को स्थापित करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और परियोजना संबंधी वित्तीय संस्वीकृति प्रदान करने संबंधी एक प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उन सभी चालू परियोजनाओं, जिनके संबंध में पहले अनुमति प्राप्त कर ली गई है, का कार्य स्थल पर शुरू किया जा चुका है। इस समय, मध्य प्रदेश में कोई परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा गठित की गई स्थल चयन समिति मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य में किसी परमाणु बिजलीघरों की स्थापना के लिए स्थलों का मूल्यांकन भी कर रही है।

इंटरनेट कृमि

307. श्री भास्करराव पाटील:
श्री नरेश पुगलिया:
डा. चरण दास महंत:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जनवरी, 2003 के 'दि हिंदुस्तान टाइम्स' में "वार्म अटैक मेक्स नेट क्रॉल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इंटरनेट स्कंधों में विषाणु ने सरकार को हानि पहुंचाई हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने स्थिति से निपटने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) कम्प्यूटर वायरस और वार्म की समस्या का मुकाबला करने के लिए वाणिज्यक रूप से उपलब्ध अनेक समाधानों/उत्पादों का प्रयोग किया जा रहा है।

(च) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

टेलीफोन उद्योग नेटवर्क

308. श्री रामजीलाल सुमन:
डा. सुशील कुमार इंदौरा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान देश में संचार क्रांति के कारण टेलीफोन उद्योग नेटवर्क में व्यापक विस्तार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान टेलीफोन उपकरण विनिर्माण उद्योग द्वारा कुल कितना व्यापार किया गया;

(ग) उपर्युक्त उल्लिखित वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस व्यवसाय ने कितना निवल लाभार्जन किया; और

(घ) दिसंबर, 2002 के अंत तक इस उद्योग के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) टेलीफोन उपकरण विनिर्माण उद्योग द्वारा किए गए कारोबार का मूल्य, अर्जित लाभ और रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या के संबंध में आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान दूरसंचार उपस्कर उद्योग का कुल उत्पादन निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

	1999-2000	2000-2001	2001-2002
उत्पादन	10,760	12,271	15,437

प्रसार भारती निगम द्वारा ट्रांसपोंडरों का उपयोग

309. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतरिक्ष विभाग ने प्रसार भारती निगम को अपने ट्रांसपोंडरों का प्रयोग करने हेतु 500 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए अथवा ब्लैक आउट का सामना करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) अन्तरिक्ष विभाग ने इन्सैट ट्रांसपोंडर क्षमता के उपयोग के लिए भुगतान करने हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालय से अनुरोध किया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अन्तरिक्ष विभाग को भुगतान की जाने वाली कुल राशि 316.00 करोड़ रुपये थी - 1440.00 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2001-02 के लिए तथा 172.00 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2002-03 के लिए।

(ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अन्तरिक्ष विभाग को सूचित किया है कि अनुदानग्राही संगठन होने के कारण प्रसार भारती ट्रांसपोंडर शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ है।

[हिन्दी]

टेलीफोन सुविधाएं

310. **श्री रतन लाल कटारिया:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज तक राज्य-वार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र-वार कितने लोगों को टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार कितने गांव अभी भी टेलीफोन सुविधाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(ग) इन गांवों को कब तक दूरसंचार सुविधाएं दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) 31.12.02 की स्थिति के अनुसार राज्य वार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र-वार जिन लोगों को टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है, उनकी संख्या संलग्न विवरण में दिए अनुसार है।

(ख) और (ग) 31/12/02 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन सुविधा के लिए प्रतीक्षारत गांवों की संख्या 96758 है और दिसंबर, 2003 के अंत तक इन गांवों को टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य हैं।

विवरण

31.12.02 के अनुसार सर्किल/राज्य-वार टेलीफोन कनेक्शन

क्र.सं.	सर्किल/राज्य	ग्रामीण	शहरी	कुल
1.	अंडमान और निकोबार	18658	16614	35272
2.	आंध्र प्रदेश	1085225	3091205	4176430
3.	असम	112121	400331	512452
4.	बिहार	344071	720343	1064414
5.	छत्तीसगढ़	59870	225624	285494
6.	गुजरात$$	748620	2997336	3745956
7.	हरियाणा	330352	924973	1255325
8.	हिमाचल प्रदेश	291803	210141	501944
9.	जम्मू और कश्मीर	37954	211328	249282
10.	झारखंड	77313	340308	417621
11.	कर्नाटक	821767	2570254	3392021
12.	केरल**	1771795	1637237	3409032
13.	मध्य प्रदेश	243618	1509616	1753234
14.	महाराष्ट्र●	1155920	7619475	8775395
15.	उत्तर पूर्व*	78503	243773	322276
16.	उड़ीसा	261590	524136	785726
17.	पंजाब$	723018	2125392	2848410
18.	राजस्थान	547562	1361708	1909270
19.	तमिलनाडु***	660508	4239217	4899725
20.	उत्तर प्रदेश	722676	2716589	3439265
21.	उत्तरांचल	78611	256877	335488
22.	पश्चिम बंगाल^	494026	2458333	2952359
23.	दिल्ली	0	3864165	3864166
	जोड़	10665581	40264975	50930556

$$ गुजरात में दादर व नगर हवेली और दमन व दीव के संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।

** केरल में लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।

● महाराष्ट्र में गोवा राज्य शामिल है।

* उत्तर पूर्व में मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड राज्य शामिल हैं।

$ पंजाब में चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र शामिल है.

*** तमिलनाडु में पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र शामिल है।

^ पश्चिम बंगाल में सिक्किम राज्य शामिल है।

स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी

311. श्री प्रबोध पण्डा: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कोई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है;

(ख) यदि हां, तो कहां पर स्थित है;

(ग) क्या सरकार की सभी राज्यों में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस संबंध में कोई अनुदान स्वीकृत करती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा): (क) और (ख) जी, नहीं। केवल लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर को समकक्ष विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है और यह युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

अस्पतालों में मेडिकल कालेज

312. श्रीमती प्रभा राव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली में मेडिकल कालेज खोलने के लिए निजी तथा सरकारी अस्पतालों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्राप्त प्रत्येक प्रस्ताव पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) वर्ष 2002-03 के दौरान ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। वैसे, वर्धमान महावीर मेडिकल कालेज को शैक्षिक सत्र 2001-02 के लिए सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली हेतु अनुमोदित किया गया है।

[अनुवाद]

आईसीएमआर इकाई की स्थापना करना

313. श्री रमेश चेन्नितला: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में लेप्टोस्पाईरोसिस एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार को केरल से लेप्टोस्पाइरोसिस में अनुसंधान हेतु आईसीएमआर की एक इकाई स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समय मामला किस अवस्था में है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) राज्य के एक प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी खतरे, लेप्टोस्पाइरोसिस के प्रकोप से निपटने के लिए राज्य की क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु एक फील्ड स्टेशन की स्थापना के लिए केरल सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ। केरल सरकार की पोर्ट ब्लेयर में स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, जो लेप्टोस्पाइरोसिस के राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र के रूप में कार्य करता है, के जरिए क्षमता सुदृढ़ीकरण की संभावना का पता लगाने की सलाह दी गई है।

नेत्र वार्डों के लिए धनराशि

314. श्री रामजी मांझी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आपरेशन थिएटरों और डार्क रूम सुविधाओं से सुसज्जित 10/20 बिस्तर वाले नेत्र वार्डों के निर्माण हेतु राज्यों को धनराशि प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त इकाइयों में कब तक कार्य आरम्भ हो जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) वर्तमान वित्तीय वर्ष में

केन्द्रीय सरकार का आपरेशन थियेटरों तथा डार्क रूप की सुविधाओं वाले 10/20 बिस्तरों वाले नेत्र वार्डों के निर्माण के लिए किसी राज्य को धन देने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

'विजन 2020' रिपोर्ट

315. श्री सुबोध मोहिते: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एस.पी. गुप्ता समिति द्वारा प्रस्तुत 'विजन 2020' रिपोर्ट की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) इसके द्वारा की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) विजन 2020 से संबंधित समिति की रिपोर्ट योजना आयोग में प्राप्त हो गई है और इसे व्यापक बहस और चर्चा हेतु जनता के लिए प्रकाशित कर दिया गया है। रिपोर्ट की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रखी गई हैं।

(ख) रिपोर्ट में वर्ष 2020 के लिए एक अत्यन्त दीर्घावधिक विजन की सजीव कल्पना की गई है। इस विजन की उपलब्धि के लिए अनेक अन्य मुख्य नीति परिवर्तनों सहित इसमें अपनी पुरातन परम्परा को पुनर्जीवित करने के लिए लोगों की इच्छा और दृढ़ निश्चय तथा अन्य देशों का आधुनिकीकरण करने की बजाय उनसे सीख लेने पर बल दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार की मध्यम-अवधि नीति सिफारिशें, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा यथा-अनुमोदित, दसवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में समाविष्ट की गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बी.एस.एन.एल. को वित्तीय सहायता

316. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैर-लाभकारी क्षेत्रों तथा उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान दूरसंचार सेवाओं को सहायता देने के लिए भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों और गैर-लाभकारी क्षेत्रों विशेषत: ग्रामीण क्षेत्र में 2010 तक 4 प्रतिशत के दूरसंचार घनत्व के लक्ष्य को ध्यान में रखकर ऐसी दूरसंचार सेवाओं को बढ़ाने के लिए भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड को कितनी वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) मौजूदा गैर-लाभकारी ग्रामीण दूरसंचार सेवाओं को सहायता देने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता की अनुमानित राशि 4000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष है।

(ख) टेलीघनत्व लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अपने योगदान के अनुरूप ऐसी दूरसंचार सेवाओं का विस्तार करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान (अप्रैल 2002-मार्च 2007) आवश्यक वित्तीय सहायता की अनुमानित राशि 22830 करोड़ रुपए है।

स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करना

317. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जनवरी, 2002 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में, ''लैक आफ एकाउन्टेबिलिटि एण्ड क्वालिटी इन हेल्थ सेक्टर'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) स्वास्थ्य क्षेत्र को और सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार की योजना क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) जी, हां। प्रवासी भारतीय दिवस समारोहों में कुछ भाग लेने वालों ने भारत में स्वास्थ्य परिचर्या की हालत पर चिन्ता व्यक्त की थी। स्वास्थ्य

राज्यों का विषय होने के कारण मूलतया राज्य सरकारें स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के निवारक, सुधारक और उपचारात्मक पहलुओं के लिए जिम्मेवार हैं। तथापि, मलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठ दृष्टिहीनता, एचआईवी/एड्स आदि जैसे प्रमुख रोगों के नियंत्रण तथा प्रजनन और बाल स्वास्थ्य से संबंधित कार्यकलापों के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को धन और तकनीकी सहायता प्रदान करती रही है। केन्द्रीय सरकार ने सात राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में द्वितीयक स्तरीय स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं को सुधारने और उनके उन्नयन के उद्देश्य से विश्व बैंक सहायता के साथ राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजनाएं मंजूर कराने के लिए भी पहलें की हैं। ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं की कार्यात्मक स्थिति को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अधीन धन प्रदान किया जाता है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 में जन स्वास्थ्य निवेश को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मौजूदा 0.9% को वर्ष 2010 तक 2% तक बढ़ाने का प्रतिपादन किया गया है। स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं को सुधारने के उद्देश्य से केन्द्रीय स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए नौवीं योजना के 5118 करोड़ रुपए की तुलना में दसवीं योजना का परिव्यय 9253 करोड़ रुपए निश्चित किया गया है।

पुनर्प्रयोज्य उपग्रह/प्रक्षेपक

318. **श्री वाई.वी. राव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पुनर्प्रयोज्य उपग्रह और प्रक्षेपकों के निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें कुल कितना व्यय आएगा;

(घ) इस संबंध में क्या लक्ष्य रखा गया है; और

(ङ) इस प्रकार के उपग्रहों को कब तक छोड़े जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने पुनर्प्रयोज्य प्रमोचक राकेट के लिए प्रौद्योगिकी निरूपक की संभाव्यता का अध्ययन करने हेतु प्रारंभिक अध्ययन प्रारंभ किए हैं। ये अध्ययन इस उद्देश्य की पूर्ति में शामिल विविध प्रौद्योगिकियों के निर्धारण के लिए अभिप्रेत हैं।

(ग) इन पर आने वाले व्यय एवं समयानुसूची को अध्ययन के भाग के रूप में तैयार किया जाएगा।

(घ) और (ङ) दसवीं योजनावधि के दौरान प्रौद्योगिकी निरूपक के लिए अनुसंधान और विकास कार्य को शुरू करने की योजना है।

विनिवेश के माध्यम से संग्रहीत धनराशि

319. **श्री परशुराम माझी:** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान विनिवेश के माध्यम से कितनी धनराशि संग्रहीत की गयी है;

(ख) इन वर्षों में विनिवेश के लिए क्या लक्ष्य रखा गया;

(ग) क्या यह लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में विनिवेश के लक्ष्य तथा उसके माध्यम से जुटाई गई धनराशि इस प्रकार है:-

वर्ष	लक्ष्य	जुटाई गई राशि (करोड़ रुपए में)
1999-2000	10,000	1,829.14
2000-2001	10,000	1,868.73
2001-2002	12,000	5,632.25#
2002-2003	12,000	3,342.06

#लाभांश, विशेष लाभांश, लाभांश कर, अधिशेष नकदी रिजर्व से अन्तरण और पट्टा किराया आदि सहित।

(ग) और (घ) विनिवेश कार्यक्रम का क्रियान्वयन बाजार परिस्थितियों, उद्योग-वार कारोबार चक्र में उतार-चढ़ाव, सम्भावित बोलीदाताओं की रुचि, मूल्य बोली की पर्याप्तता आदि सहित अनेक कारकों पर निर्भर करता है। इसको ध्यान में रखते हुए वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करना सर्वदा सम्भव नहीं होता है। इसके अलावा, सरकार अपनी इक्विटी धारिता दबाव में नहीं बेचती है। जिन मामलों में भूमि और भवनों का मूल्य महत्वपूर्ण होता है वहां

अक्सर विलम्ब हो जाता है क्योंकि सम्पत्ति के अधिकार अस्पष्ट होते हैं और इन अधिकारों को विधिक तौर पर स्थापित करने में समय लगता है, यद्यपि ऐसा करना प्राप्य मूल्य को अधिकाधिक बनाने के लिए आवश्यक होता है।

डाकघरों का आधुनिकीकरण

320. **श्री किरीट सोमैया:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डाकघर और डाक बचत योजना के आधुनिकीकरण की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार प्रायोगिक परियोजना के रूप में इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर, एटीएम, एनएसओ का डी मैट शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां तो क्या इस प्रकार की प्रायोगिक परियोजना के लिए मुम्बई तथा अन्य बड़े शहरों पर विचार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो एनएसओ डिवीजन, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक से इस संबंध में कोई बातचीत हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) कब तक इन प्रायोगिक परियोजनाओं के शुरू होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) लघु बचत योजना सुविधाओं सहित डाकघरों के आधुनिकीकरण को 8वीं पंचवर्षीय योजना से चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) से (च) हालांकि इलैक्ट्रानिक ट्रांसफर, एटीएम और बचत पत्रों की डीएमटी जैसी सेवाओं की शुरुआत की संभावनाओं पर विचार किया गया है, किन्तु ये अभी अवधारणात्मक स्थिति में हैं। प्रायोगिक परियोजनाएं, उनके कार्यान्वयन संबंधी प्रचालनात्मक और वित्तीय विवरणों को संबंधित विनियामक तथा अन्य प्राधिकरणों के साथ परामर्श करके अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही शुरू की जाएंगी। प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए शहरों का चुनाव नहीं किया गया है। इसलिए इस समय प्रायोगिक परियोजनाओं को शुरू करने की कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

321. **श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, विशेषत: पेट्रोलियम और रसायन, खान, संचार तथा इस्पात के क्षेत्र में विनिवेश के संबंध में विनियमों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विनिवेश प्रक्रिया के संबंध में समस्याओं, मुद्दों, प्राथमिकताओं की सूची क्या है;

(ग) उपर्युक्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कुल कितना विनिवेश किया गया;

(घ) क्या उक्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश की प्रक्रिया रुक गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) लोक उद्यम सर्वेक्षण 2000-01 के अनुसार 31.03.2001 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी पूंजी के जरिए केन्द्र सरकार द्वारा किया गया निवेश नीचे दिया गया है:-

	करोड़ रुपए
पेट्रोलियम क्षेत्र	3002.44
केमिकल्स एण्ड फार्मेस्टिकल्स क्षेत्र	552.44
खनन (खनिज एवं धातु) क्षेत्र	2853.23
दूरसंचार क्षेत्र	505.34
इस्पात क्षेत्र	11573.62

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) उपर्युक्त पैरा (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विनिवेश सूची से कंपनियों को हटाया जाना

322. **श्री जे.एस. बराड़:** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विनिवेश हेतु कंपनियों की सूची में कुछ कंपनियों को हटाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एयर इण्डिया का विनिवेश

323. श्री सुबोध राय: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया के संबंध में विनिवेश आयोग की सिफारिशें लागू की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस इकाई के विनिवेश की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को एयर इण्डिया से कितना लाभ, ब्याज और आयकर प्राप्त हुआ है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) अगस्त, 1998 में विनिवेश आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, एयर इण्डिया लिमिटेड में सरकारी इक्विटी के विनिवेश की प्रक्रिया जून, 1999 में आरम्भ कर दी गई थी और इसमें बहुत कुछ प्रगति भी हुई थी। सभी सम्भावित बोलीदाताओं द्वारा धीरे-धीरे अपने नाम वापस लेने के कारण इस प्रक्रिया को रोक दिया गया। इस प्रक्रिया को फिर से आरम्भ नहीं किया गया है।

(घ) अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है:-

वर्ष	लाभ/हानि (करोड़ रुपए में)	ब्याज*	आय कर
1999-2000	(-)37.63	शून्य	शून्य
2000-2001	(-)44.40	शून्य	शून्य
2001-2002	15.44	शून्य	125.47 लाख*

*कम्पनी को सरकार को देय किसी बकाया ऋण की देनदारी नहीं है।

*एयर इण्डिया लिमिटेड ने स्व-मूल्यांकन के आधार पर राशि का भुगतान कर दिया है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में डाक सेवाओं का आधुनिकीकरण

324. श्री अधीर चौधरी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में, विशेषतः पश्चिम बंगाल में हाल में शुरू हुए ग्रामीण संचार सेवा स्कीम के अंतर्गत डाक संचार सेवा के आधुनिकीकरण के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष में इस उद्देश्य के लिए कोई बजटीय आवंटन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पश्चिम बंगाल में उक्त योजना के अधीन कब तक आधुनिकीकरण कार्य पूरा होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) से (ङ) दूरसंचार विभाग के अधीन भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा अण्डमान व निकोबार, हरियाणा और पंजाब दूरसंचार सर्किलों को छोड़कर देशभर के लगभग 8,000 गांवों में प्रयोगात्मक रूप में शुरू की गई ग्रामीण संचार सेवा योजना का उद्देश्य डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवक वितरण एजेंटों द्वारा, जो भारत संचार निगम के फ्रैंचाइजी के रूप में काम करते हैं, गांवों में घर-घर टेलीफोन सुविधाएं मुहैया कराना है। चूंकि, ग्रामीण डाक संचार सेवक योजना में डाक संचार सेवा में सुधार अभिप्रेत नहीं है, इसलिए इस योजना के अंतर्गत इस प्रयोजन के लिए डाक विभाग द्वारा कोई बजट आवंटित करने का प्रश्न नहीं उठता।

द्विपक्षीय संबंधों में सुधार

325. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अमरीका, चीन और कुछ अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध सुधारने का कोई प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में, विशेषत: अमरीका और चीन के संबंध में कौन से प्रभावी कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अमरीका, चीन तथा साथ ही अन्य देशों के साथ सम्बंधों में सुधार लाना एक सतत् प्रक्रिया है, जो आपसी समझ बढ़ाने के लिए स्थाई वार्ता, मतभेदों को सुलझाने और आपसी लाभकारी द्विपक्षीयक सहयोग को संवर्द्धित करके पूरी की जाती है। सरकार इन लक्ष्यों को, उच्च स्तरीय राजनैतिक और सरकारी दौरों एवं उपयुक्त द्विपक्षीय संस्थागत तंत्रों के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करती है।

बीमारियों का उन्मूलन

326. **श्री प्रकाश वी. पाटील:**
श्री ए. नरेन्द्र:
श्री विकास चौधरी:
श्री लक्ष्मण सेठ:
श्री मोइनुल हसन:
डा. राम चन्द्र डोम:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष यक्षमा, मधुमेह, दमा, हृदय रोग, कैंसर और एचआईवी से पीड़ित लोगों की राज्यवार संख्या कितनी थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक बीमारी से मरने वाले लोगों का राज्यवार प्रतिशत क्या है; और

(ग) इन बीमारियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन जिन रोगियों का पता लगाया गया और उपचार शुरू किया गया उन क्षय रोगियों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण विवरण-I पर संलग्न है। एकत्र किए गए राष्ट्रव्यापी प्रहरी निगरानी डेटा के आधार पर वयस्क जनसंख्या के बीच अनुमानित एच आई वी संक्रमणों की कुल संख्या वर्ष 1999 में 3.71 मिलियन, वर्ष 2000 में 3.86 मिलियन और वर्ष 2001 में 3.97 मिलियन है। मधुमेह, दमा, कैंसर और हृदय रोग अधिकांशत: जीवन शैली पर आधारित रोग हैं और प्रत्येक राज्य में इन रोगों से पीड़ित लोगों की संख्या के बारे में सही आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान एड्स, क्षय रोग और कैंसर से हुई राज्यवार सूचित की गई मौतों की संख्या क्रमश: विवरण-II, III और IV में दी गई है।

(ग) अन्य के साथ-साथ क्षयरोग, एचआईवी/एड्स और कैंसर के निवारण और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं। नैदानिक और उपचार सुविधाएं, आम जनसंख्या के लिए जागरूकता अभियानों क जरिए निवारक कार्यकलाप और गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता इन रोगों तथा अन्य जीवन शैली से संबद्ध रोगों का मुकाबला करने के लिए ही की गई कुछ मुख्य पहलें हैं।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य	पता लगाए गए और उपचार किए गए क्षय रोगियों की संख्या		
		1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एवं निकोबार	649	748	754
2.	आंध्र प्रदेश	82384	87672	95909
3.	अरुणाचल प्रदेश	2891	3525	2730
4.	असम	18832	18845	20022
5.	बिहार	36405	41167	35272
6.	चंडीगढ़	1107	1249	1872
7.	दादरा और नगर हवेली	501	177	—
8.	दिल्ली	27633	24105	26389
9.	गोवा	2591	1858	2623
10.	गुजरात	108433	87561	72683
11.	हरियाणा	23225	24298	28323
12.	हिमाचल प्रदेश	9517	10214	11283
13.	जम्मू और कश्मीर	9299	8127	9472
14.	झारखंड	—	577	44095
15.	कर्नाटक	54129	58640	20203
16.	केरल	22866	21483	85766
17.	मध्य प्रदेश	70184	74970	81672

1	2	3	4	5
18.	महाराष्ट्र	246722	167990	57336
19.	मणिपुर	1603	2234	4527
20.	मेघालय	1995	2017	1263
21.	मिजोरम	1454	1172	1035
22.	नागालैंड	1842	994	6839
23.	उड़ीसा	20016	18871	15847
24.	पांडिचेरी	3276	3224	27248
25.	पंजाब	28348	29829	735
26.	राजस्थान	65924	68057	86197
27.	सिक्किम	1913	1675	30898
28.	तमिलनाडु	74390	74258	48623
29.	त्रिपुरा	2168	1993	178114
30.	उत्तर प्रदेश	253142	225907	45166
31.	पश्चिम बंगाल	62207	82181	73275

विवरण-II

एड्स से हुई मौतों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999	2000	2001
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	53
2.	असम	—	1	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
4.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	—	7	2
5.	बिहार	5	7	1
6.	चंडीगढ़	—	13	29
7.	पंजाब	—	—	—
8.	दिल्ली	—	24	27
9.	दमण और दीव	—	—	—
10.	दादरा और नगर हवेली	2	—	—
11.	गोवा	—	3	15
12.	गुजरात	12	—	20
13.	हरियाणा	—	5	—
14.	हिमाचल प्रदेश	6	—	—
15.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—
16.	कर्नाटक	20	19	27
17.	केरल	13	—	—
18.	लक्षद्वीप	4	—	—
19.	मध्य प्रदेश	—	50	5
20.	महाराष्ट्र	80	77	176
21.	मणिपुर	2	17	50
22.	मेघालय	—	7	—
23.	मिजोरम	1	—	—
24.	नागालैंड	12	25	28
25.	उड़ीसा	—	—	—
26.	पांडिचेरी	71	—	—
27.	राजस्थान	—	—	—
28.	सिक्किम	1	—	—
29.	तमिलनाडु	—	119	249
30.	त्रिपुरा	—	—	—
31.	उत्तर प्रदेश	—	4	15
32.	पश्चिम बंगाल	—	—	68
	कुल	229	378	765

विवरण-III

क्षयरोग से हुई सूचित की गई मौतों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मौतें		
		1999	2000	2001
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	957	1359	1299
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—

1	2	3	4	5
3.	असम	—	—	—
4.	बिहार	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—
6.	गोवा	53	87	67
7.	गुजरात	84	79	54
8.	हरियाणा	267	236	226
9.	हिमाचल प्रदेश	232	211	201
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
11.	झारखंड	—	—	—
12.	कर्नाटक	907	993	163
13.	केरल	194	156	186
14.	मध्य प्रदेश	41	91	79
15.	महाराष्ट्र	716	807	891
16.	मणिपुर	28	21	18
17.	मेघालय	2	52	59
18.	मिजोरम	13	8	27
19.	नागालैंड	0	3	—
20.	उड़ीसा	376	323	222
21.	पंजाब	71	23	115
22.	राजस्थान	287	306	393
23.	सिक्किम	21	47	34
24.	तमिलनाडु	358	200	160
25.	त्रिपुरा	0	0	4
26.	उत्तरांचल	—	—	—
27.	उत्तर प्रदेश	250	168	91
28.	पश्चिम बंगाल	960	1088	1295
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	22	24	22
30.	चंडीगढ़	48	42	45
31.	दादरा और नगर हवेली	1	—	—
32.	दमण व दीव	11	3	—
33.	दिल्ली	688	1048	657
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पांडिचेरी	69	124	106
	कुल	6656	7499	6414

विवरण-IV

विशेषज्ञता प्राप्त कैंसर अस्पतालों द्वारा सूचित की गई कैंसर से हुई मौतों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998	1999	2000
1.	आंध्र प्रदेश	159	142	152
2.	असम	44	36	56
3.	बिहार	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
4.	गुजरात	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
5.	हिमाचल प्रदेश	—	—	4
6.	कर्नाटक	386	384	331
7.	केरल	491	एन.आर.	एन.आर.
8.	मध्य प्रदेश	266	320	194
9.	महाराष्ट्र	494	467	45
10.	उड़ीसा	80	126	एन.आर.
11.	तमिलनाडु	183	114	126
12.	त्रिपुरा	59	54	39
13.	उत्तर प्रदेश	28	15	18
14.	पश्चिम बंगाल	एन.आर.	—	15
15.	दिल्ली	—	—	193
16.	राजस्थान	—	—	71

एन.आर. सूचना प्राप्त नहीं हुई।
सूचित नहीं की गई।

[हिन्दी]

मुद्रित पोस्टकार्डों की कीमत

327. **श्रीमती जयश्री बैनर्जी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार का विचार मुद्रित शोक संदेश पोस्टकार्ड की कीमत को घटाने का है;

(ख) यदि हां तो, मुद्रित शोक संदेश के लिए क्या दर निर्धारित की गई है; और

(ग) कब तक कम मूल्य के शोक संदेश वाले पोस्टकार्ड उपलब्ध हो जाएंगे?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) 50 पैसे में उपलब्ध साधारण पोस्टकार्ड का प्रयोग किसी भी तरह का समाचार भेजने में किया जा सकता है जब तक कि उसकी विषय वस्तु हस्तलिखित अथवा टाइपराइटर से टाइप की गई हो। पोस्टकार्ड सेवा पर काफी अधिक सब्सिडी दी जाती है। इसकी परिचालन लागत इसके लिए वसूल किए जाने वाले राजस्व की तुलना में काफी अधिक है। डाक सेवाओं की दरें तय करते हुए, आम आदमी के हितों तथा समाज के सभी ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में डाक सेवाओं की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा, देशव्यापी डाक नेटवर्क के माध्यम से सहज कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, दर में विभिन्नता को सुस्पष्ट वास्तविक विशेषताओं से जोड़ा जाना होता है, जैसे मुद्रित पोस्टकार्ड के मामले में। पोस्टकार्ड पर लिखे गए संदेश का अभिप्राय दरों के अंतर का आधार नहीं हो सकता।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मिनरल वाटर में कीटनाशी

328. **श्री शीशराम सिंह रवि:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बोतलबंद मिनरल वाटर में कीटनाशी होते हैं जिससे कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बोतलबंद पानी के प्रतिदर्श का विश्लेषण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेल यात्रियों को बड़ी मात्रा में बोतलबंद पानी की आपूर्ति उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन प्राकृतिक खनिज जल हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार, विशिष्ट तरीके के अनुसार जांच जाने पर कृमिनाशी अवशेष ''पहचानी जाने वाली सीमाओं से नीचे'' होने चाहिए जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उनकी निरीक्षण व जांच योजना के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है।

इस तरीके के अनुसार खनिज जल और पैकेजबन्द पेयजल के नमूनों का विश्लेषण करते समय कृमिनाशी अवशेष नहीं पाए गए थे।

तथापि, विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा अलग से किए गए एक अध्ययन में पैकेजबन्द पेयजल के नमूनों में विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र द्वारा अपनाए गए जांच के तरीकों में भिन्नता के कारण कथित रूप से कृमिनाशी अवशेष पाए गए।

(घ) और (ङ) भारतीय मानक ब्यूरो के विश्लेषण के तरीके द्वारा अभिज्ञात सीमा 0.01 मि.ग्रा. प्रति लीटर तक है। वैसे, पैकेजबन्द पेयजल तथा खनिज जल को प्रसंस्कृत करने के तरीके, जिसके द्वारा कृमिनाशी को जल में किसी भी सीमा तक पृथक किया जा सकता है, को देखते हुए अब यह प्रस्ताव किया गया है कि विश्लेषण के तरीके को संशोधित किया जाए और जल में कृमिनाशी की अधिकतम अवशेष सीमाएं निम्नानुसार निर्धारित की जाएं:-

(क)	अलग-अलग कृमिनाशी अवशेषों को ध्यान में रखकर	-	0.0001 मि.ग्रा. प्रति लीटर
(ख)	कुल कृमिनाशी अवशेष	-	0.0005 मि.ग्रा. प्रति लीटर

(यह विश्लेषण अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित जांच के तरीकों का प्रयोग करके दिया जाएगा जिसमें यहां ऊपर बताई गई अवशेष सीमा का पालन किया जाएगा)

इसके अलावा, यह भी निर्धारित किया जा रहा है कि पैकेजबन्द पेयजल और खनिज जल के विनिर्माता भारतीय मानक ब्यूरो और खाद्य अपमिश्रण निवारण प्राधिकारियों से लाइसेंस प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार भूजल प्राधिकरण से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।

राष्ट्रीय युवक पुरस्कार

329. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रतिवर्ष योग्य युवाओं को "राष्ट्रीय युवा पुरस्कार" दिया जाता है;

(ख) यदि हां, गत तीन वर्षों का तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पुरस्कार को देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेताओं की सूची विवरण में दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 1985 में स्थापित किये गये थे और तब से प्रतिवर्ष यह पुरस्कार युवा व्यक्तियों तथा स्वैच्छिक संगठनों को राष्ट्रीय विकास तथा समाज सेवा के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देते हुए प्रदान किये जाते हैं। वर्तमान में, 12 से 16 जनवरी तक आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान, प्रतिवर्ष 12 जनवरी को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय युवा पुरस्कारों के लिए नामांकनों का चयन करने हेतु प्रक्रिया की संहिता के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार 10 नामों तथा प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र 5 नामों की सिफारिश कर सकता है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए राज्य सरकारें, स्वैच्छिक संगठनों के दो नामों तथा संघ शासित क्षेत्र, स्वैच्छिक संगठनों के एक नाम की सिफारिश कर सकते हैं। प्रक्रिया के अनुसार, विश्वविद्यालय/कालेज, स्थानीय सरकारी विभाग, स्वैच्छिक एजेंसियां, निजी निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, नेहरू युवा केन्द्र, राष्ट्रीय सेवा योजना आदि अपनी सिफारिशें प्रतिवर्ष 10 जून तक, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर को, जो जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष होगा, भेजेंगे। जिला स्तरीय प्रतिवर्ष 10 जुलाई तक राज्य सरकारों को सिफारिशें भेजेगी। जिला स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर राज्य के युवा सेवा विभाग के सचिव/आयुक्त की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जाएगा। राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन अपनी सिफारिशों को आगे केन्द्र सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को भेजेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर, एक केन्द्रीय चयन समिति, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की सिफारिशों की जांच-पड़ताल करेगी तथा युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का अंतिम रूप से चयन करेगी। केन्द्रीय चयन समिति अपने विवेकाधिकार से उन अलग-अलग व्यक्तियों अथवा युवा संगठनों पर, जिनकी किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा सिफारिश नहीं की गई है, योग्यता के आधार पर पुरस्कार के लिए विचार कर सकती है।

विवरण

राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता 1999-2000

1. श्री नंदुरी रमेश एस.एस., आंध्र प्रदेश
2. श्री एस. वेणुगोपाल, आंध्र प्रदेश
3. सुश्री भानुमती पाण्डे, आंध्र प्रदेश
4. श्री जी. राजकुमार, आंध्र प्रदेश
5. श्री बी. गंगाधर, आंध्र प्रदेश
6. श्री परागज्योति गोगोई, असम
7. श्री जय प्रकाश मेहेता, बिहार
8. श्री धनश्याम पटेल, गुजरात
9. मो. अशरफ पटेल, गुजरात
10. श्री इंदर जीत, हरियाणा
11. श्री संजीव कुमार, हरियाणा
12. सुश्री शैल सिंह, हरियाणा
13. श्री शक्ति कुमार, जम्मू व कश्मीर
14. श्री खेमराज शर्मा, जम्मू व कश्मीर
15. श्री नागनगोडा सी. पाटिल, कर्नाटक
16. डा. प्रभुलिंग ए. बिरादर, कर्नाटक
17. श्री नबीसब, कर्नाटक
18. श्री जावेद जमेदर, कर्नाटक
19. श्री ब्रह्म नायकम एम., केरल
20. सुश्री मंजु अग्रवाल, मध्य प्रदेश
21. श्री महेन्द्र कुमार दीक्षित, मध्य प्रदेश
22. श्री हनुमत किशोर शुक्ला, मध्य प्रदेश
23. श्री विभांशु जोशी, मध्य प्रदेश
24. श्री हनुमंत राव प्रभाकर, मध्य प्रदेश

25. श्री सुभाष वाई. दलवी, महाराष्ट्र
26. श्री मसूद इशरत मिर्जा, महाराष्ट्र
27. श्री शाहिद शरीफ, महाराष्ट्र
28. सुश्री प्रमिला एम. सिखारे, महाराष्ट्र
29. श्री अमर के. दिनकर, महाराष्ट्र
30. श्री टी. दमलियन वेफई, मणिपुर
31. सुश्री मेमामाचा देवी, मणिपुर
32. श्री अरुण कुमार सतपथी, उड़ीसा
33. श्री दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी, उड़ीसा
34. श्री नसीम अहमद शाह अंसारी, उड़ीसा
35. श्री संजिब कुमार जोशी, उड़ीसा
36. श्री दयाल दास, पंजाब
37. श्री विजय कुमार डबला, राजस्थान
38. सुश्री ज्योति शर्मा, राजस्थान
39. डा. टी. सोमासुंदरम, तमिलनाडु
40. श्री के. विजयराघवन, तमिलनाडु
41. सुश्री मोमिता भट्टा त्रिपुरा
42. श्री रतन अचराजी, त्रिपुरा
43. सुश्री सपना सक्सेना, उत्तर प्रदेश
44. श्री ओम प्रकाश राजपूत, उत्तर प्रदेश
45. सुश्री सुलोचना कोली, प. बंगाल
46. श्री जोयदेव कहार, प. बंगाल
47. श्री हरिन्दर पाल सिंह, चण्डीगढ़
48. श्री प्रशांत पी. बर्डे, दादर व नागर हवेली
49. सुश्री राजबाला, दिल्ली
50. श्री अनूप कुमार, पंजाब
51. श्री विशिष्ट ग्रामोदय स्वयं साधना परिषद, आंध्र प्रदेश (स्वयंसेवी संगठन)
52. इन्द्रिरा सोशल वेलफेयर आर्गेनाइजेशन, उड़ीसा (स्वयंसेवी संगठन)

राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता, 2000-2001

1. सुश्री भारती चक्रवर्ती, त्रिपुरा
2. सुश्री बी. शांतना लक्ष्मी, तमिलनाडु
3. डा. देशमुख किशोर दशरथ, महाराष्ट्र
4. श्री गणेश अनंत बुरमाने, कर्नाटक
5. श्री जी. मानिकयाला राव, आंध्र प्रदेश
6. सुश्री गोपाराजा दीप्ति शर्मा, नई दिल्ली
7. सुश्री गौरी बालापुर, मध्य प्रदेश
8. श्री हनुमान राम चौधरी, राजस्थान
9. श्री जय राम गुप्ता, सिक्किम
10. सुश्री कंचन हाण्डा, हरियाणा
11. श्री कुलविन्दर सिंह, पंजाब
12. श्री मनोज कुमार त्रिपाठी, उड़ीसा
13. डा. मिलिन्द भोई, महाराष्ट्र
14. श्री निरंजन नाथ, त्रिपुरा
15. श्री पर्वत सिंह कुशवाह, मध्य प्रदेश
16. श्री फूल कुमार कादियान, हरियाणा
17. श्री आर. गणेशकरण, तमिलनाडु
18. श्री संजय कुमार, हरियाणा
19. श्री संजीव बैगरा, जम्मू व कश्मीर
20. श्री सरोज कुमार पधे, उड़ीसा
21. सुश्री शोभा एच.जी., कर्नाटक
22. श्री सुशील कुमार शर्मा, उत्तर प्रदेश
23. डा. (सुश्री) सईदा रियाज मोबीन, आंध्र प्रदेश
24. सुश्री राजकुमारी ताकेश्वरी, मणिपुर
25. बहुमुखी कृषि और समाज कल्याण समिति, असम (स्वयंसेवी संगठन)

राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता 2001-2002

1. श्री गुराजदा आनन्द कुमार, आंध्र प्रदेश
2. श्री हेमंत राभा, असम

3. श्री विकास सैनी, दिल्ली
4. सुश्री प्रजापति निमिशाबेन हरमन भाई, गुजरात
5. सुश्री हेतल बरमेडा, गुजरात
6. श्री सुरिन्दर सिंह नैन, हरियाणा
7. श्री सोम महर्षि, हरियाणा
8. श्री इम्तियाज-उल-अबरार, जम्मू व कश्मीर
9. श्री मंगन मुण्डा, झारखण्ड
10. श्री मंजुनाथ आर. नायक, कर्नाटक
11. श्री जे. आर. शदाक्षरा मुनी, कर्नाटक
12. श्री विजू वी. नायर, केरल
13. श्री महेश गुंजेले, मध्य प्रदेश
14. श्री प्रदीप अजबराव अवचर, महाराष्ट्र
15. श्री के. आनन्द, उड़ीसा
16. श्री कमल कुमार तरनेच, पंजाब
17. श्री सतनाम सिंह, पंजाब
18. श्री खेता राम चौधरी, राजस्थान
19. श्री मनोज कुमार भारद्वाज, राजस्थान
20. श्री गोकुल राय, सिक्किम
21. श्री लक्ष्मणन पी.एन., तमिलनाडु
22. श्री जी.एस. ईजुमलाई, तमिलनाडु
23. श्री हरकीरत सिंह, उत्तर प्रदेश
24. सुश्री पूनम विश्नोई, उत्तर प्रदेश
25. श्री स्वप्न कुमार चक्रवर्ती, प. बंगाल
26. सोसायटी फॉर प्रमोशन आफ यूथ एण्ड मासेस (एस.पी.वाई.एम.), नई दिल्ली (स्वयंसेवी संगठन)

[हिन्दी]

डब्ल्यूएलएल कनेक्शन

330. **श्री राजो सिंह:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और बेगुसराय जिलों में कितने लोगों को डब्ल्यूएलएल कनेक्शन दिया गया है;

(ख) क्या वर्तमान में अधिकांश फोन कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार डब्ल्यूएलएल कनेक्शन को बुनियादी कनेक्शन में बदलने का है;

(ङ) यदि हां, तो इन कनेक्शनों को कब तक बुनियादी कनेक्शनों में बदले जाने की संभावना है;

(च) क्या एक डब्ल्यूएलएल कनेक्शन को चालू करने के लिए सात दिन की समय सीमा आवश्यक है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बुनियादी फोन की मांग

331. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान मोबाइल टेलीफोन की संख्या बढ़ने के कारण बुनियादी फोन की मांग घट रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कम मांग रहते हुए भी मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने बुनियादी फोन की कम मांग को देखते हुए एमटीएनएल और बीएसएनएल के प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या बीएसएनएल का विचार छोटे शहरों में जहां निजी कंपनियों ने फोन सेवा शुरू नहीं की है वहां सेलुलर सेवा शुरू करने का है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी, हां। यह सच है कि मोबाइल टेलीफोनों की संख्या बढ़ने के कारण बुनियादी टेलीफोन की मांग घट रही है। गत तीन वर्षों के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) में बुनियादी टेलीफोनों की पंजीकृत मांग निम्नवत है:

बीएसएनएल

क्र.सं.	वर्ष	टेलीफोन की मांग
1.	1999-2000	6129563
2.	2000-2001	4925728
3.	2001-2002	3887029

एमटीएनएल

क्र.सं.	वर्ष	टेलीफोन की मांग
1.	1999-2000	617610
2.	2000-2001	560248
3.	2001-2002	566627

(ग) और (घ) बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा अधिकांश शहरी क्षेत्रों में मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रतीक्षा सूची मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं।

पारंपरिक तार लाइनों से टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराना लागत प्रभावी नहीं है। अत: ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिए बेतार प्रणालियां लगाई जा रही है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए लागू नहीं होता।

(छ) सेल्यूलर सेवाओं के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की चालू योजनाओं में सभी जिला मुख्यालयों और अन्य महत्वपूर्ण शहरों को दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। नेटवर्क में आगे का विस्तार इन क्षेत्रों में प्रत्याशित मांग और निधि की उपलब्धता पर आधारित होगा।

सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी उद्यान

332. **श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री आर.एल. जालप्पा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2002-2003 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कितने सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी उद्यानों की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनकी स्थापना के लिए संस्वीकृत वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए विदेश से कितनी वित्तीय तथा तकनीकी सहायता ली गयी है/ली जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) वर्ष 2002-2003 के दौरान 7 एसटीपीआई केन्द्र अर्थात् त्रिचि, पांडिचेरी, नासिक, कोल्हापुर, त्रिनलवेली, मंगलौर तथा हुबली में स्थापित करने का प्रस्ताव है। त्रिनलवेली और मंगलौर को छोड़कर शेष केन्द्रों के लिए गत वर्षों में धनराशि जारी की गई थी।

(ख) एसटीपीआई केन्द्र स्थापित करने की अनुमानित लागत लगभग 3-4 करोड़ रुपए है। संबंधित राज्य सरकार इसमें से 1 करोड़ रुपए सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराती है और भारत सरकार 50 लाख रुपए का वित्त पोषण करती है। शेष अपेक्षित धनराशि भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक स्वायत्त संस्थान द्वारा दी जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार केन्द्र के लिए आवश्यक भूमि/निर्मित स्थल भी उपलब्ध कराती है। सरकार द्वारा वर्ष 2002-2003 के दौरान मंजूर की गई वित्तीय सहायता का विवरण विवरण-I में दिया गया है।

विवरण

सरकार द्वारा एसटीपीआई केन्द्रों की स्थापना के लिए वर्ष 2002-2003 के दौरान मंजूर की गई वित्तीय सहायता का विवरण

(लाख रुपए)

क्र.सं.	वर्ष	केन्द्र का नाम	राज्य	सू.प्रौ.वि.	सं.सू.प्रौ.मं.
1.	2002-03	तिरुपति	आंध्र प्रदेश	50.00	-
2.	2002-03	वारंगल	आंध्र प्रदेश	50.00	-
3.	2002-03	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	50.00	-
4.	2002-03	गुड़गांव	हरियाणा	50.00	492.50
5.	2002-03	कानपुर	उत्तर प्रदेश	50.00	-
6.	2002-03	मंगलौर	कर्नाटक	50.00	-
7.	2002-03	दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल	50.00	-
8.	2002-03	खड़गपुर	पश्चिम बंगाल	50.00	-
9.	2002-03	गोवा	गोवा	50.00	-
			योग	450.00	492.50

सू.प्रौ.वि. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
सं.सू.प्रौ.मं. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

''एक्सीलरेटर'' चालित प्रणाली का विकास

333. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:
श्रीमती रेणुका चौधरी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन हेतु थोरियम के विशाल भंडार का प्रयोग करने और परमाणु कचरे को कम करने के लिए कोई ''एक्सीलरेटर'' चालित प्रणाली का विकास किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या प्रगति हुई है और विभिन्न राज्यों में थोरियम का कितना भंडार है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) त्वरक चालित प्रणाली को विकसित करने का कार्य हाल ही में शुरू किया गया है और, थोरियम के भंडार का उपयोग करने तथा परमाणु अपशिष्ट पदार्थों को कम से कम करने के लिए इसका उपयोग करने में अभी काफी समय लगेगा।

वीएसएनएल द्वारा निवेश

334. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा 1,200 करोड़ रुपए अन्यत्र हस्तांतरित/निवेश करने का निर्णय विनिवेश की शर्तों के प्रतिकूल है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस पर क्या कार्रवाई की गई;

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) विनिवेश के बाद, विदेश संचार निगम लिमिटेड (वीएसएनएल) के निवेश के निर्णय कंपनी कानून के उपबंधों और शेयरधारकों के करार तथा शेयर की खरीद के करार के उपबंधों द्वारा शासित होंगे। जो निवेश इन विनियमों

के अनुरूप हो और जिससे कंपनी के उद्यम मूल्य में वृद्धि होती हो वह विनिवेश के अभिप्राय और उद्देश्यों के अनुरूप है।

तथापि, वीएसएनएल द्वारा किसी निर्दिष्ट कंपनी में इस प्रकार का विनिवेश किए जाने के निर्णय का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने और उसकी वांछनीयता पर विचार करने के लिए एक उप समिति गठित करने की सहमति दी गई थी। समिति ने यह निर्णय किया कि प्रथम 4 वर्षों में, टाटा टेली सर्विसेज में इक्विटी के जरिए 636.80 करोड़ रुपए की राशि का निवेश किया जाएगा। कार्यक्रम के अनुसार 199.00 करोड़ रुपए का राशि का निवेश करने का विकल्प रखा गया है और निवेश के जरिए के संबंध में वीएसएनएल तथा टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड द्वारा पारस्परिक रूप से निर्णय किया जाना है। यह व्यवस्था संतोषजनक पाई गई है।

[हिन्दी]

क्रिकेट खिलाड़ियों पर शर्तें थोपा जाना

335. **श्रीमती प्रभा राव:**
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने भारतीय खिलाड़ियों के विश्व कप क्रिकेट में हिस्सा लेने के संबंध में अनुचित शर्तें थोपी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के हितों की रक्षा के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा): (क) से (ग) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेजों को उत्कृष्ट केंद्र का दर्जा

336. **श्री रमेश चेन्नितल्ला:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि त्रिवेन्द्रम स्थित सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज आयुर्वेदिक शिक्षा की धूरी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कॉलेज ने केंद्रीय भारतीय औषधि परिषद द्वारा उत्कृष्ट केंद्र का दर्जा देने हेतु निर्धारित सभी शर्तें पूरी कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कॉलेज को उत्कृष्ट केंद्र घोषित करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज, त्रिवेन्द्रम आयुर्वेदिक शिक्षा देने के लिए मान्यता प्राप्त है।

(ख) से (घ) कॉलेज में ''उत्कृष्ट केंद्र का दर्जा प्राप्त करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी संस्था के उन्नयन'' की योजना के अंतर्गत सहायता मांगी है। इस योजना को अभी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

''एक्सेस'' प्रभार हटाया जाना

337. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''सेलुलर आपरेटर'' प्रति तीन मिनट में 1.20 रुपये के ''एक्सेस'' प्रभार को हटाने की मांग करते रहे हैं या यह कि यही प्रभार डब्ल्यूएलएल सेवाओं पर भी लगाया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) देश में दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सेल्यूलर प्रचालकों की ओर से सेल्यूलर आपरेटर्स एसोशिएशन आफ इंडिया (सीओएआई) ने 1.20 रुपये प्रति तीन मिनट की दर पर उनके द्वारा बुनियादी सेवा प्रचालकों को भुगतान किए गए अभिगम्यता प्रभारों से संबंधित मुद्दे के बारे में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। सीओएआई, सहित सभी स्टेकहोल्डरों के विचार को ध्यान में रखने के बाद, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 24.1.2003 को इन्टरकनेक्शन उपयोग विनियम जारी किया है जिसमें इन मुद्दों पर चर्चा की गई है।

नीमुसुलाइड दवा

338. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भारत में नीमुसुलाइड दवा की बिक्री और उत्पादन किया जा रहा है जिस पर लगभग सभी देशों में प्रतिबंध है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी विश्वसनीयता और बच्चों पर इसके दुष्प्रभाव की जानकारी प्राप्त करने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) निमुसुलाइड को प्राय: सभी देशों में प्रतिबंधित नहीं किया गया है। सिर्फ स्पेन, तुर्की तथा फिनलैंड में निमुसुलाइड के प्रयोग को बंद किए जाने की सूचना मिली है। निमुसुलाइड एक गैर-स्टेरायडल शोथ-रोधी औषध है और भारत सहित लगभग 50 देशों में इसके प्रयोग की सूचना मिली है। इसे तीव्र दर्द/शोथ तथा ज्वर के लिए निर्दिष्ट किया जाता है। भारत में इस औषध को वर्ष 1995 में अनुमोदित किया गया था और यह डाक्टर के निर्देशन पर ली जाने वाली औषध है।

(ख) बच्चों में निमुसुलाइड के प्रयोग सहित, इसकी निरापदता से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए औषध तकनीकी सलाहकारी बोर्ड की विशेषज्ञ समिति (उप-समिति) द्वारा एक विस्तृत जांच की गई है। देश भर के 20 से अधिक विशेषज्ञ बाल रोग चिकित्सकों तथा भारतीय बालरोग चिकित्सा अकादमी से परामर्श किया गया। अधिकांश विशेषज्ञों ने निमुसुलाइड की विश्वसनीयता की पुष्टि की है और देश में बच्चों पर किसी गंभीर प्रतिकूल प्रतिक्रिया की सूचना नहीं मिली है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 5क

339. श्री परसुराम माझी: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 5क और उड़ीसा के पारादीप पत्तन के सड़क मार्ग संपर्क में सुधार करने हेतु कोई प्रस्ताव हुआ है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) परियोजना के किस वर्ष तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(घ) इस उद्देश्य हेतु आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी]: (क) जी हां।

(ख) परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। पूर्व-अर्हता प्राप्त सिविल कार्य ठेकेदारों से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। विनिदाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि 21 मार्च, 2003 है।

(ग) इस परियोजना को दिसम्बर, 2005 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

(घ) इस परियोजना को विशेष प्रयोजन तंत्र द्वारा निष्पादित किए जाने का प्रस्ताव है और वित्तीय विश्लेषण के आधार पर धनराशि का निवेश किया जाएगा।

भारत-पाक वार्ता को पुन: शुरू करना

340. श्री अनन्त नायक:
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने हेतु वार्ता शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कतिपय शर्तें लगाई गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) भारत-पाक वार्ता की पुन: शुरूआत की क्या संभावनाएं हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) से (ङ) भारत शिमला समझौता और लाहौर घोषणा को ध्यान में रखते हुए संवाद और मेल-मिलाप का मार्ग अपनाने के प्रति दृढ़ संकल्प है। भारत ने बार-बार पाकिस्तान से भारत के विरुद्ध निदेशित सीमा पार घुसपैठ और आतंकवाद के अपने प्रायोजन को बंद करने की मांग की है ताकि द्विपक्षीय संवाद की बहाली के लिए एक सकारात्मक वातावरण सृजित किया जा सके।

जनरल मुशर्रफ ने 12 जनवरी, 27 मई और 6 जून, 2002 को स्थायी आधार पर सीमा-पार घुसपैठ बंद करने, विश्व में कहीं भी आतंकवादी गतिविधि के लिए पाकिस्तान के प्रदेश का उपयोग किए जाने की अनुमति नहीं देना तथा कश्मीर के नाम पर आतंकवाद

में संलिप्त होने की पाकिस्तान के किसी संगठन को अनुमति नहीं देने का वचन दिया था। चूंकि सीमा-पार घुसपैठ और आतंकवादी हिंसा समाप्त नहीं हुई है, भारत का उत्तर सीमा-पार घुसपैठ तथा आतंकवाद की समाप्ति की पाकिस्तान की वचनबद्धता के क्रियान्वयन पर आधारित होगा।

रक्त कोष

341. **श्री पी.डी. एलानगोवनः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गैर सरकारी संगठनों द्वारा रक्त कोष शुरू करने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्ष के दौरान देश में चल रहे सरकारी/निजी रक्त कोषों की राज्य-वार सूची क्या है;

(ग) देश में रक्त दाताओं से कुल कितने यूनिट रक्त एकत्रित किया गया और उक्त अवधि के दौरान, राज्य-वार, कुल कितने यूनिट रक्त का उपयोग किया गया;

(घ) क्या केन्द्र और राज्य सरकारों को लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक रक्त की यूनिट को एकत्रित करने और भंडारण करने में कठिनाई हो रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकारी क्षेत्र में रक्त कोषों की क्षमता/संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां। सभी रक्त बैंकों, चाहे वे सरकारी, गैर सरकारी संगठन अथवा निजी क्षेत्र में हों, को अपना कार्य शुरू करने से पहले लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है। सभी रक्त बैंकों को लाइसेंस लेने से पहले औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमों में निर्धारित स्थान, उपकरणों और स्टाफ के न्यूनतम मानकों को पूरा करना होता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में चल रहे रक्त बैंकों का एक राज्यवार विवरण-I संलग्न है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान रक्त यूनिटों के एकत्रण से संबंधित एक राज्यवार विवरण-II संलग्न है। केवल वही रक्त यूनिटें, जो औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमों में निर्धारित मानकों/निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं, का उपयोग किया जायेगा।

(घ) और (ङ) सरकारी रक्त बैंक नियमित रूप से रक्त यूनिटों को एकत्रित करते हैं, उनकी जांच करते हैं और फिर उनको रोगियों के उपयोग हेतु भण्डारित करते हैं। कुछ दुर्लभ रक्त यूनिटों की कमी है।

(च) सरकार देश में अनेक रक्त घटक पृथक्करण यूनिटों और रक्त बैंकों के आधुनिकीकरण और स्थापना में सहायता करती रही है देश में विशेषकर अल्प सेवित क्षेत्रों में मॉडल रक्त बैंकों की स्थापना के लिए दस राज्यों की पहचान भी की गई है।

विवरण-I

31 दिसम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार लाइसेंस प्राप्त रक्त बैंकों की स्थिति

क्र. सं.	राज्य	सरकारी	स्वैच्छिक	निजी अस्पताल	निजी व्यावसायिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2	—	—	—	2
2.	आंध्र प्रदेश	63	14	43	48	168
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	1	—	—	3
4	असम	30	3	10	5	48
5.	बिहार	16	5	3	17	41
6.	चंडीगढ़	3	—	—	—	3

1	2	3	4	5	6	7
7.	छत्तीसगढ़	4	1	2	10	17
8.	दमन और दीव	1	—	—	—	1
9.	दिल्ली	17	2	15	8	42
10.	गोवा	4	—	1	2	7
11.	गुजरात	20	60	2	58	140
12.	हरियाणा	17	2	6	10	35
13.	हिमाचल प्रदेश	12	—	—	—	12
14.	जम्मू और कश्मीर	13	—	—	1	14
15.	कर्नाटक	38	12	45	36	131
16.	केरल	31	3	80	9	123
17.	मध्य प्रदेश	44	19	8	33	104
18.	महाराष्ट्र	81	24	55	86	246
19.	मणिपुर	3	—	—	—	3
20.	मेघालय	2	—	2	—	4
21.	मिजोरम	3	—	2	—	5
22.	नागालैंड	3	—	—	—	3
23.	उड़ीसा	9	54	7	2	72
24.	पांडिचेरी	5	—	6	—	11
25.	पंजाब	40	4	23	2	69
26.	राजस्थान	45	1	9	6	61
27.	सिक्किम	3	—	—	—	6
28.	तमिलनाडु	81	8	49	47	185
29.	त्रिपुरा	3	—	3	—	6
30.	उत्तर प्रदेश	71	2	17	40	130
31.	उत्तरांचल	13	—	3	1	17
32.	पश्चिम बंगाल	67	7	19	33	126
	कुल	746	222	410	454	1832

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एकत्रित की गई कुल रक्त यूनिटें 2000	2001	2002
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2550	3273	35433
2.	आंध्र प्रदेश	158743	213968	270331
3.	अरुणाचल प्रदेश	970	0	1140
4	असम	26639	27370	25629
5.	बिहार	57457	85273	38391
6.	चंडीगढ़	48237	43447	47555
7.	छत्तीसगढ़	0	0	7995
8.	दिल्ली	137085	163025	247573
9.	गोवा	7760	8808	8616
10.	गुजरात	290219	441888	484475
11.	हरियाणा	81232	84328	71659
12.	हिमाचल प्रदेश	14539	15837	11696
13.	झारखंड	0	0	2541
14.	जम्मू और कश्मीर	27669	31501	38921
15.	कर्नाटक	249687	264374	264638
16.	केरल	129934	90190	149337
17.	लक्षदीप	0	24	14
18.	मध्य प्रदेश	57125	68103	79221
19.	महाराष्ट्र	326497	333025	340890
20.	मणिपुर	14762	10687	9893
21.	मेघालय	1729	1822	2605
22.	मिजोरम	8630	7657	9124
23.	नागालैंड	1126	1444	1819
24.	उड़ीसा	107005	65081	82192
25.	पांडिचेरी	5093	12592	13568
26.	पंजाब	88930	89063	106972
27.	राजस्थान	115124	144695	148113
28.	सिक्किम	999	768	954
29.	तमिलनाडु	304097	297452	269176
30.	त्रिपुरा	10638	11796	12219
31.	उत्तर प्रदेश	156643	179237	211726
32.	उत्तरांचल	0	9295	13859
33.	पश्चिम बंगाल	73569	324271	268701
	कुल	2504688	3030294	3245086

टी.आर.ए.आई. (ट्राई)

342. **श्री के.पी. सिंह देव:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ''ट्राई'' किस सीमा तक स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है;

(ख) क्या यह इस उद्योग की सभी कंपनियों को कार्य करने का उचित समान अवसर प्रदान कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो विकसित देशों के विनियामकों की तुलना में ट्राई किस प्रकार कार्य कर रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को भारतीय स्थितियों में यथा उपयुक्त समझे जाने वाले कार्यों को करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं। सम्पूर्ण विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2000 में ट्राई अधिनियम में संशोधन किया गया। ट्राई, ट्राई अधिनियम के अंतर्गत इसे सौंपे गए कार्यों का स्वतंत्र रूप से निष्पादन करता है। ट्राई ने सूचित किया है कि उसने अपने विनियम बना लिए हैं तथा अभेदकारी और समान अवसर के सिद्धान्तों पर अपने निदेश और आदेश जारी कर दिए हैं; इसके अलावा, सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सभी अंशधारियों को साथ लेकर खुली परामर्श प्रक्रिया के जरिए निर्णय किये जाते हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना

343. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सेवा योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा और उद्देश्य क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत, राज्यवार, कितने विश्वविद्यालयों को सम्मिलित किया गया है;

(घ) क्या वर्ष 2003-2004 में सरकार का विचार इसमें और विश्वविद्यालयों को सम्मिलित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए कितनी निधि आवंटित किए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य 'सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्र स्वयंसेवकों के व्यक्तित्व का विकास करना'' और उनकी ऊर्जा को एकीकृत राष्ट्रीय विकास के लिए रचनात्मक तरीके से मार्गीकृत करना है।

एन.एस.एस. कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय छात्र स्वयंसेवकों के वर्षानुवर्ष आबंटन के आधार पर केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच वहन किया जाता है। उत्तर-पूर्वी राज्यों और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों के मामले में खर्च वहन करने का पैटर्न 3:1 है और अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 7:5 है। जम्मू व कश्मीर तथा विधान सभा विहीन संघ शासित क्षेत्रों में, सम्पूर्ण व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, योजना के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) नए शैक्षिक संस्थानों जैसे +2 विद्यालयों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में एन.एस.एस. के विस्तार का निर्णय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उन संस्थाओं को प्रतिवर्ष आवंटित कुल स्वयंसेवकों के आधार पर किया जाता है। सामान्यत: राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रतिवर्ष स्वयंसेवकों की संख्या में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की पेशकश की जाती है बशर्ते कि वे इसे स्वीकार करने के इच्छुक हो। इस योजना के तहत वर्ष 2003-2004 के लिए 26.00 करोड़ रुपये (योजनागत) और 4.94 करोड़ रुपए (योजनेत्तर) का बजट अनुमान है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत आने वाले विश्वविद्यालयों की (राज्य वार) संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1999-2000	2000-2001	2001-2001
1.	गुजरात	12	12	12
2.	कर्नाटक	10	10	10
3.	मध्य प्रदेश	7	7	7
4.	छत्तीसगढ़	2	2	2
5.	उड़ीसा	7	7	7
6.	प. बंगाल	9	9	9
7.	पंजाब	5	5	5
8.	हिमाचल प्रदेश	3	3	3
9.	जम्मू व कश्मीर	3	3	3
10.	तमिलनाडु	14	14	14
11.	दिल्ली	5	5	5
12.	हरियाणा	4	4	4
13.	असम	5	5	5
14.	मणिपुर	1	1	1
15.	मेघालय	1	1	1
16.	आंध्र प्रदेश	12	12	12
17.	राजस्थान	5	5	5
18.	उत्तर प्रदेश	20	20	20
19.	बिहार	7	7	7
20.	झारखंड	4	4	4
21.	महाराष्ट्र और गोवा	16	16	16
22.	केरल	8	8	8

[हिन्दी]

बिहार और झारखंड में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा

344. **श्री राजो सिंह:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार और झारखंड में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2003-2004 के दौरान कितनी धनराशि की मंजूरी देने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (टीआईटी) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के जरिए केन्द्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों और देश के जिला प्रशासन को नेटवर्क बैकबोन ई-शासन सहायता प्रदान कर रहा है। एनआईसी इस कार्यकलाप के एक भाग के रूप में बिहार और झारखण्ड के लगभग सभी जिलों को निकनेट सम्पर्क उपलब्ध करा चुका है। एनआईसी ने इन राज्यों के लिए कई सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाएं विकसित और कार्यान्वित की हैं। (इनका ब्यौरा विवरण में दिया गया है)। तथापि, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पास निधियों को राज्यवार आवंटित/मंजूर करने संबंधी योजनागत प्रावधान नहीं है।

(ग) से (च) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को बिहार सरकार और झारखण्ड सरकार से सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के बारे में अनुरोध प्राप्त हुए हैं। ऐसे केन्द्रों को स्थापित करने के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित राज्यों को भूमि और सहायता अनुदान के बावत कुछ प्रावधान संबंधी वायदे करना अपेक्षित होता है। उनसे इन वायदों को पूरा करने की प्रतीक्षा है।

विवरण

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा बिहार और झारखण्ड राज्य में विकसित और कार्यान्वित की गयी सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाएं

बिहार

- विचाराधीन व्यक्तियों हेतु वीडियो सम्मेलन आधारित लोक न्याय
- बिहार सरकारी बेवसाइट को शुरू करना
- बिहार में भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए भू-अभिलेख
- बिहार पर्यटन विकास निगम, बीएसईबी की बेवसाइट
- वाणिज्यिक करों 'स्टेमिना' और 'टेकिस' सॉफ्टवेयरों को क्रियाशील बनाना
- बीएसईबी कम्प्यूटरीकरण
- राज्यव्यापी जिला यातायात कम्प्यूटरीकरण
- राज्यव्यापी अवर न्यायालय कम्प्यूटरीकरण
- राज्यव्यापी जिला कोषागार कम्प्यूटरीकरण
- राज्यव्यापी सामान्य भविष्य निधि कम्प्यूटरीकरण
- वाणिज्यिक करों, चुनावों, बजट का कम्प्यूटरीकरण

झारखण्ड

- झारखण्ड के सभी जिलों की वीडियो सम्मेलन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।
- झारखण्ड सचिवालय और राज्य की राजधानी के अन्य प्रमुख भवनों में व्यापक पैमाने पर स्थानीय क्षेत्र नेटवर्किंग शुरू कर दिया गया है।
- प्रमुख विभागों/संगठनों के साथ ही साथ विभिन्न जिलों के बेव पेज का विकास और प्रदर्शन।
- दो जिलों में भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण सफलतापूर्वक शुरू किया गया।
- सामान्य भविष्य निधि अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर को विभिन्न जिलों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया।

[अनुवाद]

अप्रवासी भारतीय और भारतीय मूल के लोगों द्वारा निवेश के संबंध में नीतिगत उपाय

345. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अप्रवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों द्वारा निवेश को आकर्षक बनाने हुत अनेक योजनायें बनाने पर विचार कर रही है जैसा कि 7 जनवरी, 2003 के द इंडियन एक्सप्रेस में 'पालिसी सून टू अट्रक्ट एन आर आई एंड पी आई ओ इनवेस्टमेंट' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित हुआ हैं;

(ख) यदि हां, तो इन नीतिगत उपायों की कब तक घोषणा किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सितम्बर, 2000 में डा. एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति की सभी सिफारिशों को लागू कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन्हें कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) और (ख) सरकार आर्थिक सुधार प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, अनुकूल निवेश वातावरण बनाने की दृष्टि से नीतियों की बराबर पुनरीक्षा कर रही है, जो निवेश के लिए अनिवासी भारतीयों और भारत मूल के लोगों की सक्रिय भूमिका को सुविधाजनक बनाएगी। इस संबंध में प्रवासी भारतीय दिवस समारोहों के दौरान, 10 जनवरी, 2003 को कुछ नीतिपरक उपायों की घोषणा की गई थी।

(ग) से (ङ) भारतीय डायस्पोरा पर उच्च स्तरीय समिति ने कई सिफारिशें की जो विभिन्न मंत्रियों, राज्य सरकारों और अन्य अभिकरणों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं। सरकार का यह प्रयत्न है कि जहां तक संभव हो सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाए। भारतीय मूल के लोगों के संशोधित कार्ड, प्रवासी भारतीय दिवस और प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार जैसी कुछ सिफारिशों को पहले ही क्रियान्वित कर दिया गया है। अन्य सिफारिशों को क्रियान्वयन से सम्बद्ध निर्णयों की जांच के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज दिया था। सिफारिशों के व्यापक स्वरूप के कारण उनके कार्यान्वयन के लिए समय सीमा बताना संभव नहीं है।

आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध

346. श्री पवन कुमार बंसल:
श्री जे.एस. बराड़:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ समय पहले अमरीका के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध की शुरुआत की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें भारत के विरुद्ध सीमा पार आतंकवाद को सम्मिलित नहीं किया गया है बल्कि अमरीका ने इसमें मौन सहमति रखी है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) जी, हां।

(ख) अक्तूबर, 2001 से, संयुक्त राज्य ने अनेक अवसरों पर कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध अभियान भारत में आतंकवाद सहित सभी जगह आतंकवाद के विरुद्ध निदेशित एक व्यापक अभियान है। अमरीका ने पाकिस्तान से भारत के विरुद्ध सीमा-पार आतंकवाद को बंद करने के लिए बार-बार कहा है तथा जून, 2002 में इस संबंध में राष्ट्रपति मुशर्रफ से प्राप्त हुई उस वचनबद्धता के बारे में सरकार को सूचित किया था।

(ग) सीमा-पार आतंकवाद और इसके लिए पाकिस्तान का समर्थन जारी है। सरकार का मानना है कि अमरीका सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उस वचनबद्धता की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिएं जो राष्ट्रपति मुशर्रफ से प्राप्त हुई है।

सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की अपर्याप्त सुविधा

347. श्रीमती प्रभा राव:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 दिसम्बर, 2002 के 'नवभारत टाइम्स' में 'इनेडक्वेकेट फैसिल्टीज आफ डायलिसिस इन गवर्नमेंट हास्पीटल्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले का ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) इस समाचार रिपोर्ट में मुख्तया देश में वृक्क प्रतिरोपणों के लिए सुविधाओं के अभाव/उपलब्ध अपर्याप्त सुविधाओं तथा सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता का प्रमुख रूप से उल्लेख किया गया है।

चूंकि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है, इसलिए आवश्यकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अपने-अपने राज्य में आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। वृक्कीय रोगों के उपचार सहित बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या हेतु केन्द्र सरकार के विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सीय सुविधाओं के स्तर में सुधार लाना तथा इसका उन्नयन करना केन्द्र सरकार का प्रयास रहा है।

समापन प्रभार

348. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डब्ल्यूएलएल और बुनियादी टेलीफोन के उपभोक्ताओं द्वारा सेल्यूलर फोन करने पर उनसे 38 पैसे प्रति मिनट की दर से समापन प्रभार (टर्मिनेशन चार्जेज) वसूलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 1.4.2003 से डब्ल्यूएलएल तथा बुनियादी उपभोक्ता द्वारा सेल्यूलर नेटवर्क में की गई कॉलों के लिए बुनियादी सेवा प्रचालकों द्वारा सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रचालकों को मैट्रो तथा दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्रों में देय टर्मिनेशन प्रभार क्रमश: 30 पैसे प्रति मिनट और 40 पैसे प्रति मिनट की दर पर निर्धारित किए हैं।

नाल्को का विनिवेश

349. **श्री अनन्त नायक:**
श्री राधा मोहन सिंह:
श्री रामदास रूपला गावीत:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार, नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नाल्को) में विनिवेश पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) नाल्को में विनिवेश से कितनी धनराशि जुटाए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) सरकार ने नाल्को की 30 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश शेयरों के सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से करने का निर्णय लिया है, जिसमें से 10 प्रतिशत घरेलू बाजार और 20 प्रतिशत ए.डी.आर. निर्गम के माध्यम से की जाएगी, जिसके तुरन्त बाद 29.15 प्रतिशत इक्विटी अनुकूल साझीदार को बेची जाएगी।

(ग) नाल्को की अनुकूल बिक्री के लिए 15 रुचि की अभिव्यक्तियां प्राप्त हुई थी, जिनमें से 14 को अहर्ताप्राप्त इच्छुक पार्टियों के रूप में संक्षिप्त सूचीबद्ध कर लिया गया है।

(घ) विनिवेश के माध्यम से जुटाई जाने वाली सम्भावित राशि, विनिवेश के समय, कम्पनी के कार्य-निष्पादन, प्रतिस्पर्द्धा के स्तर और अन्य कारकों पर निर्भर करता है। विश्वसनीय तौर पर प्राप्य राशि का आंकलन करना कठिन है।

भारतीय राजदूतावासों और उच्चायोगों के लिए भवन

350. **श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उन देशों में भारतीय राजदूतावासों और उच्चायोगों के कार्यालयों के लिए स्वयं अपने भवनों के निर्माण की कोई योजना बना रही है जहां इस समय कार्यालय किराए पर लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके ब्यौरे क्या हैं और उन स्थानों की सूची प्रदान करें जहां सरकार ने इन निर्माण प्रयोजनों के लिए भूमि की खरीद की थी; और

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में इस प्रकार के निर्माण प्रयोजनों के लिए आवंटित कुल राशि क्या थी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा अंबूजा (नाईजीरिया), ढ़ाका (बंगलादेश) और वारसॉ (पोलैण्ड) में चांसरियों के निर्माण हेतु भूमि की खरीद की गई थी। अंबूजा और ढाका के मामले में निर्माण परियोजनाओं के लिए वास्तुशिल्पकारों का निर्धारण कर लिया गया है और वारसा के मामले में चुने हुए वास्तुशिल्पकार को अनुबंधित किया जा रहा है।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नलिखित बजट अनुदान आवंटन किए गए:-

(i)	1998-1999	Rs. 100 करोड़ रुपये
(ii)	1999-2000	Rs. 100 करोड़ रुपये
(iii)	2000-2001	Rs. 100 करोड़ रुपये
(iv)	2001-2002	Rs. 94.20 करोड़ रुपये
(v)	2002-2003	Rs. 103.79 करोड़ रुपये

कझकूटम से चलिंकल तक एक्सप्रेस राजमार्ग

351. **श्री टी. गोविन्दन:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से राज्य में दुर्घटनाओं से बचने और रेल समपार पर भीड़ से बचने के लिए केरल के उत्तर से दक्षिण के 507 किलोमीटर को जोड़ने वाले तिरुअनंतपुरम जिले में कझकूटम से लेकर कासरागोड जिले के चलिंकल के बीच एक्सप्रेस राजमार्ग शुरू करने की कोई योजना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी]: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर पुल

352. **श्री एम.के. सुब्बा:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर चौकीघाट में प्रस्तावित पुल हेतु किसी विशिष्ट एजेंसी द्वारा कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तत्संबंधी अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) इस परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी]: (क) और (ख) प्रारंभ में चौकीघाट में रा.रा.-52 पर प्रस्तावित पुल के लिए सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, पुणे द्वारा तकनीकी-आर्थिक प्रारंभिक अध्ययन किया गया था। तथापि, नदी का अपना मार्ग बदल लेने के कारण, पुल के निर्माण के लिए स्कीम को अंतिम रूप देने के लिए एक नया मॉडल अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) इन ब्यौरों को बता पाना अभी संभव नहीं है क्योंकि पुल का निर्माण, अध्ययन के परिणाम पर निर्भर करेगा।

भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का परमाणु विकल्पों संबंधी रवैया

353. **श्री रामजीवन सिंह:**
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के परमाणु विकल्प अपनाए जाने के संबंध में पाकिस्तान के राष्ट्रपति के हाल ही के वक्तव्य की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारत के विरुद्ध परमाणु विकल्प अपनाए जाने के पक्ष में पाकिस्तान द्वारा खुली स्वीकृति के मद्देनजर सरकार ने इस संबंध में अपनी नीति की समीक्षा के प्रश्न पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) समाचार माध्यमों की रिपोर्टों के अनुसार, कराची में वायु सेना की एक बैठक को सम्बोधित करते हुए पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कहा "मैंने, पाकिस्तान आए प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय नेता के माध्यम से (भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को) वैयक्तिक रूप से ये संदेश भिजवाए थे कि भारतीय सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा अथवा नियंत्रण रेखा के पार एक कदम भी रखा

तो उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान उनके साथ पारम्परिक लड़ाई लड़ेगा।''

पाकिस्तानी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने बाद में यह माना कि अपारंपरिक युद्ध की बात परमाणु युद्ध का संदेश देने के लिए नहीं की गई थी।

सरकार, भारत के सुरक्षा वातावरण को प्रभावित करने वाली समस्त घटनाओं की समीक्षा सतत रूप से करती है और देश की सुरक्षा के हित में सभी जरूरी उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-77

354. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पटना-हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनवर्षा (राष्ट्रीय राजमार्ग-77) पर कुछ स्थानों पर फिलैंक्स, सड़क और कई पुल जीर्ण-क्षीर्ण दशा में है;

(ख) यदि हां, तो क्या सड़क की स्थिति राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिलने के बाद और बदतर हुई है;

(ग) इस राष्ट्रीय राजमार्ग विनिर्देशन और इसे चार लेनों में परिवर्तित करने के लिए कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है तथा आज की तिथि के अनुसार कितनी राशि खर्च की गई है;

(घ) केंद्र सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के बाद इस राजमार्ग के विकास हेतु कितनी राशि व्यय की गई है अथवा स्वीकृत की गई है;

(ङ) तत्संबंधी वर्षवार आवंटन और व्यय का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस सड़क का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास मार्ग प्राधिकरण द्वारा विकास/मरम्मत की जानी है; और

(छ) यदि नहीं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग-77 को विनिर्देशन के अनुसार तैयार करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी]: (क) पटना-हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनवर्षा रा.रा. 77 पर कुछ खंडों में किनारे (शोल्डर्स) धंस गए हैं, सड़कों के कतिपय खंडों में सुधार की आवश्यकता है और कुछ पुलों को पुनरुद्धार की आवश्यकता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) चार लेन सहित संपूर्ण सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग मानकों के अनुरूप बनाने के लिए अपेक्षित सुधार कार्य के लिए विस्तृत आकलन अभी तैयार किए जाने हैं। सुधार के लिए अपेक्षित राशि के साथ-साथ चरणबद्ध रूप में व्यय की राशि बता पाना अभी संभव नहीं है।

(ङ) वर्ष 1999 में इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किए जाने के बाद, 1999-2000 के दौरान 5.13 करोड़ रु. 2000-01 के दौरान 7.05 करोड़ रु. और 2001-02 के दौरान 2.68 करोड़ रु. इस रा.रा. के सुधार के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

(च) जी नहीं।

(छ) निधि की उपलब्धता और अखिल भारतीय स्तर पर कार्यों की परस्पर प्राथमिकता के आधार पर इस सड़क का रा.रा. मानकों के अनुरूप सुधार चरणबद्ध रूप में किया जाएगा।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों को आबंटन

355. श्री संतोष मोहन देव: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर राज्यों को विभिन्न मंत्रालयों से कितनी राशि आवंटित की गई है और वर्ष 2001-2002 के दौरान इसमें से विभिन्न राज्यों को कितना आवंटन किया गया है; और

(ख) राशि के आवंटन और संवितरण का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में राज्य सड़कों का उन्नयन करना

356. **श्री परसुराम माझी: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा उड़ीसा में बरहामपुर से कोरापुट तक राष्ट्रीय राजमार्ग के तौर पर राज्य सड़कों का उन्नयन करने का प्रस्ताव उनके मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी]: (क) से (ग) उड़ीसा सरकार से बरहामपुर से कोरापुट राज्यीय सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नत करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए संशोधित मानदंडों के आधार पर समीक्षा के लिए यह प्रस्ताव जून, 2002 उन्हें वापस कर दिया गया था। समीक्षा के बाद कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

गांवों में टेलीफोन सेवाएं

357. **श्री नवल किशोर राय:**
डा. सुशील कुमार इंदौरा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी संचालकों को सम्पूर्ण देश में गांवों में टेलीफोन सेवाएं प्रदान करना जरूरी था;

(ख) यदि हां, तो सभी संचालकों के संबंध में अलग-अलग निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन लक्ष्यों को कब तक प्राप्त किया जाना था;

(घ) क्या लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि को बढ़ा दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो लक्ष्य प्राप्त करने की संशोधित/बढ़ाई गई तिथि क्या है;

(च) दिसंबर, 2002 तक प्रत्येक निजी संचालक द्वारा कितने गांवों को टेलीफोन सेवाएं प्रदान की गई हैं; और

(छ) 2004 के अंत तक कितने गांवों को कार्यशील और प्रभावी दूरसंचार प्रणाली मिलने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) छ: निजी बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रचालकों को मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित), महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पंजाब के सेवा क्षेत्रों से संबंधित गांवों में टेलीफोन सेवा प्रदान करना अपेक्षित था।

(ख) और (ग) उपरोक्त प्रचालकों के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की तिथियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

प्रचालकों के नाम	सेवा क्षेत्र का नाम	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या जिन्हें प्रभावी तिथि के प्रथम 3 वर्षों के दौरान उपलब्ध कराया जाना है	लक्ष्य तिथि
मै. भारती टेलीनेट लि.	मध्य प्रदेश	16,500	30.09.2000
मै. टाटा टेलीसर्विसेज लि.	आंध्र प्रदेश	9,635	30.09.1998
मै. ह्यूजेज टेलीकॉम लि.	महाराष्ट्र	25,760	30.09.1999
मै. रिलाएन्स टेलीकॉम लि.	गुजरात	8,635	30.09.1998
मै. श्याम टेलीलिंक लि.	राजस्थान	31,834	4.3.2001
मै. एचसीएल इन्फोटेल लि.	पंजाब	5,442	30.09.1998

(घ) जी, हां।

(ङ) निजी बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रचालकों को 31.3.2003 तक अपने रॉल-आउट दायित्वों को पूरा करने के लिए कहा गया है।

(च) ब्यौरा निम्नानुसार है:-

प्रचालकों के नाम	सेवा क्षेत्र का नाम	उन गांवों की संख्या जिन्हें 31.12.2002* तक टेलीफोन सेवा प्रदान की गई
मै. भारती टेलीनेट लि.	मध्य प्रदेश	348
मै. टाटा टेलीसर्विसेज लि.	आंध्र प्रदेश	1,314
मै. ह्यूजेज टेलीकॉम लि.	महाराष्ट्र	1,140
मै. रिलाएन्स टेलीकॉम लि.	गुजरात	2,894
मै. श्याम टेलीलिंक लि.	राजस्थान	693
मै. एचसीएल इन्फोटेल लि.	पंजाब	734

*निजी बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रचालकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार।

(छ) निजी बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रचालकों को 31.3.2003 तक अपने रॉल आउट दायित्वों को पूरा करने के लिए कहा गया हैं।

राष्ट्रीय समविकास योजना

358. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने हेतु राष्ट्रीय समविकास योजना प्रारम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2002-2003 के दौरान राज्य-वार कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(घ) क्या सरकार ने क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने हेतु कोई समय सीमा तय की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) विकास और सुधार सुविधा अर्थात् राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई) चालू वर्ष में ही शुरू की गई है तथा इसके तीन घटक हैं जैसे (1) उड़ीसा के केबीके जिलों के लिए विशेष योजना (2) बिहार के लिए विशेष योजना, तथा (3) पिछड़े जिले पहल।

चालू वर्ष 2002-03 में उड़ीसा के केबीके जिलों के लिए विशेष योजना हेतु 100 करोड़ रुपये का आबंटन तथा बिहार के लिए विशेष योजना हेतु 200-300 करोड़ रुपये का आबंटन हुआ है। तीसरा घटक अर्थात् पिछड़े जिले पहल को चालू वर्ष में प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। इस घटक के अंतर्गत 12 राज्यों के 25 जिलों का चयन किया गया है जिसके लिए राज्यों को प्रत्येक जिले के लिए 15 करोड़ रुपये का आबंटन किया जा रहा है। कवर किए गए राज्यों के नाम, जिलों की संख्या तथा आवंटित राशि दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) से (च) क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना एक सतत् प्रक्रिया है तथा इसके लिए किसी समय-सीमा का निर्धारण करना उचित नहीं होगा।

विवरण

राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई) के पिछड़े जिले पहल के अन्तर्गत कवर किए गए राज्यों के नाम, जिलों की संख्या तथा आवंटित राशि

क्र.सं.	राज्य का नाम	कवर किए गए जिलों की संख्या	आवंटित राशि (रुपये करोड़ में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2	30.00
2.	छत्तीसगढ़	2	30.00
3.	गुजरात	1	15.00

1	2	3	4
4.	झारखंड	3	45.00
5.	कर्नाटक	1	15.00
6.	केरल	1	15.00
7.	मध्य प्रदेश	3	45.00
8.	महाराष्ट्र	2	30.00
9.	राजस्थान	2	30.00
10.	तमिलनाडु	1	15.00
11.	उत्तर प्रदेश	5	75.00
12.	पश्चिम बंगाल	2	30.00

पुराने उपकरण

359. **श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अमेरिका से खरीदे गए पुराने उपकरणों से भारत में लोगों का इलाज करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि तक अमेरिका से भारत में ऐसे कितने उपकरण आ चुके हैं;

(ग) क्या इनका उपयोग किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इनके उपयोग को तत्काल बंद करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पद

360. **श्री रामदास आठवले: क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कुछ पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उक्त विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति की गयी है और नई नियुक्तियां की गयी है;

(घ) यदि हां, उक्त अवधि के दौरान और चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि तक विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत की गयी नियुक्तियों का वर्षवार, श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की भर्ती और पदोन्नति में निर्धारित नियमों का पालन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) विदेश मंत्रालय के विभिन्न विभागों में भिन्न-भिन्न वर्गों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कुछ पद रिक्त पड़े हुए हैं। विदेश मंत्रालय के संबंध में ब्यौरे निम्नानुसार है;

समूह	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
"क"	शून्य	8	8
"ख"	शून्य	शून्य	शून्य
"ग"	शून्य	7	7
"घ"	शून्य	शून्य	शून्य

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और केंद्रीय पासपोर्ट संगठन के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) जी, हां। विदेश मंत्रालय के संबंध में ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

समूह	2000-2001				2001-2002				2002-2003			
	प्रोन्नति		सीधी भर्ती		प्रोन्नति		सीधी भर्ती		प्रोन्नति		सीधी भर्ती	
	अनु.जा.	अनु.जन. जा.	अनु.जा.	अनु.जन. जा.	अनु.जा.	अनु.जन. जा.	अनु.जा.	अनु.जन. जा.	अनु.जा.	अनु.जन. जा.	अनु.जा.	अनु.जन. जा.
"क"	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	2	शून्य	शून्य	शून्य	2
"ख"	शून्य	8	1	1	3	6	शून्य	3	5	24	शून्य	7
"ग"	7	1	1	शून्य	2	1	शून्य	शून्य	6	3	1	शून्य
"घ"	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ओर केंद्रीय पासपोर्ट संगठन के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) जी, हां मंत्रालय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती और प्रोन्नति के संबंध में निर्धारित नियमों का अनुपालन कर रहा है;

(च) प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग

361. **श्री शिवाजी माने:**
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रुपये से कम प्रति व्यक्ति मासिक व्यय करने वाले व्यक्तियों की और शहरी क्षेत्रों में 56.64 रुपये से कम प्रति व्यक्ति मासिक व्यय करने वाले व्यक्तियों को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग के रूप में गिना जाता है; और

(ख) यदि हां, तो गरीबी रेखा से नीचे के स्तर का निर्धारण करने के लिए प्रति व्यक्ति व्यय को मानदंड बनाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या अन्य देशों में गरीबी का निर्धारण प्रति व्यक्ति व्यय के बजाए पर प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) वर्ष 1973-74 के मूल्यों पर राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रु. और शहरी क्षेत्रों में 56.84 रु. मासिक प्रतिव्यक्ति व्यय को गरीबी रेखाएं माना जाता है। बाद के वर्षों में मूल्य वृद्धि के कारण इन गरीबी रेखाओं को अद्यतन किया जाता है। वर्ष 1999-2000 में इन गरीबी रेखाओं को धनराशि के रूप में अंकित करने पर ग्रामीण क्षेत्रों में 327.56 रु. और शहरी क्षेत्रों में 454.11 रु. मासिक प्रतिव्यक्ति उपभोग व्यय था। अत: वर्ष 1999-2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में 327.56 रु. और शहरी क्षेत्रों में 454.11 रु. मासिक प्रतिव्यक्ति व्यय करने वाले व्यक्तियों को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के रूप में गिना जाता है।

(ख) योजना आयोग ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के स्तर का सही निर्धारण करने के लिए प्रतिव्यक्ति उपयोग व्यय को मानदंड के रूप में दो कारणों से अपनाया है। पहला, व्यय आंकड़े लोगों के वास्तविक जीवन स्तर को अधिक यथार्थ रूप से दर्शाते हैं जबकि आय आंकड़े लोगों के संभाव्य जीवन स्तर से अधिक सम्बन्धित हैं। दूसरे, व्यय आंकड़े आय आंकड़ों से अधिक विश्वसनीय समझे जाते हैं।

(ग) और (घ) अधिकांश विकासशील देश गरीबी निर्धारण हेतु प्रतिव्यक्ति व्यय के मानदंड का अनुसरण करते हैं।

[अनुवाद]

सड़क दुर्घटनाएं

362. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सड़क दुर्घटनाओं की सामाजिक लागत सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से ज्यादा है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनायें कम करने के लिए कोई नयी योजना चलायी गयी है;

(ग) क्या सुविधाएं इसलिए प्रदान नहीं की जा रही हैं कि धन नहीं है और जिनके कारण दुर्घटना दर कम नहीं हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी]: (क) वर्ष 2001 में योजना आयोग द्वारा गठित सड़क चोट निवारण एवं नियंत्रण कार्यदल की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत में सड़क यातायात दुर्घटना की सामाजिक लागत सकल घरेलू उत्पाद की 3% है।

(ख) नौवीं योजना के दौरान कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न सड़क सुरक्षा कार्यक्रम दसवीं योजना में भी यथा आवश्यक उपयुक्त संशोधनों के साथ चल रहे हैं। ये कार्यक्रम इस प्रकार हैं:–

(1) भारी मोटर वाहनों के चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण का प्रावधान।

(2) श्रव्य-दृश्य-पत्र-पत्रिका के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरुकता संबंधी प्रचार उपाय।

(3) सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता।

(4) चालक प्रशिक्षण में सिमुलेटरों के प्रयोग को प्रोत्साहन।

(5) सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वैच्छिक संगठनों और व्यक्तियों के लिंए राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत।

(6) स्कूली बच्चों में जागरुकता के लिए सड़क सुरक्षा विषय पर अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करना।

(7) परिवहन वाहनों के लिए उपयुक्तता मानक कठोर बनाना।

(8) सड़कों को चौड़ा करना/सुधारना।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

निजी कम्पनियों द्वारा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन

363. श्री अजय चक्रवर्ती:
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी दूरसंचार आपरेटरों ने गांवों में नियमित और दुरुस्त फोन सेवा प्रदान करने की शर्त समाप्त करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस शर्त को समाप्त करने अथवा इसमें कुछ ढिलाई देने को तैयार हो गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(घ) निजी दूरसंचार प्रचालकों के संविदात्मक दायित्वों को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पूर्वोत्तर के लिए प्रधान मंत्री का पैकेज

364. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री का पैकेज जो पूर्वोत्तर की सामाजिक-आर्थिक विकास की दसवीं योजना में शामिल है को पुनरीक्षित कर उसे जुटाया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षित रणनीति और लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) असम के लिए इसके अन्तर्गत कितना आवंटन किया गया है और कितना लक्ष्य रखा गया है?

लघु उद्योग मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) भारत के माननीय प्रधान मंत्री जी ने दिनांक 22 जनवरी, 2000 को शिलांग में पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक कार्यसूची की घोषणा की थी। कार्यसूची में निम्नलिखित से सम्बन्धित 28 कार्यक्रम/स्कीमें शामिल

हैं; विद्युत क्षेत्र का विकास, सीमा व्यापार, बागवानी, ग्रामीण आधार-भूत संरचना, सड़क और वायु सम्पर्क, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवायें, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सूचना प्रौद्योगिकी, सीमा घेराबंदी और पुलिस आधार भूत संरचना आदि का उन्नयन। पैकेज में घोषित कार्यक्रम/स्कीमों की सूची का पंचवर्षीय योजना के आधार पर पुनरीक्षण नहीं किया जाता। इसके ब्यौरे प्रधान मंत्री कार्यालय वेबसाइट www.pmindia.nic.in पर उपलब्ध हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रधान मंत्री जी के पैकेज में पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विशिष्ट परियोजनाओं/कार्यक्रम/स्कीमों का उल्लेख है न किसी एक राज्य के लिए आवंटन अथवा लक्ष्यों के सन्दर्भ में है।

इंटर कनेक्ट प्रभार

365. श्री जे.एस. बराड़: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी बुनियादी आपरेटरों का विचार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण और सरकार से इंटर कनेक्ट प्रभार लगाने के बारे में अनुरोध करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

रोटरी कैंसर अस्पताल

366. श्री सुबोध राय: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रोटरी कैंसर अस्पताल में लम्बी प्रतीक्षा सूची के कारण अनेक रोगी मर गए जैसा कि 23 अक्टूबर, 2002 के राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले का तथ्य क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) भारतीय रोटरी कैंसर अस्पताल (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार ऐसा कहना सही नहीं है कि उपचार के लिए लंबी प्रतीक्षा सूची होने के कारण बहुत से रोगी मर गए। बहिरंग रोगी विभाग में रोगियों को पंजीकृत करने में भी कोई विलंब नहीं होता है तथा नियत समय के भीतर आने वाले सभी रोगियों को पंजीकृत किया जाता है। वर्ष 1998-99 से 2001-02 तक की अवधि, अर्थात् उस अवधि के दौरान भी जब निर्माण कार्य चल रहा था, के आंकड़ों के अनुसार, अंतरंग रोगियों की संख्या, किए गए शल्यक आपरेशनों, की गई चिकित्सीय आंकोलाजी संबंधी प्रक्रियाओं तथा की गई विकिरण विज्ञानीय जांचों की संख्या (ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं) में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

विवरण

रोटरी कैंसर अस्पताल

	1998-99	2001-02
बहिरंग रोगी विभाग के रोगी	43,099	49,965
अंतरंग रोगी	7,009	11,229
कीमोथिरेपी करा रहे कुल रोगी	10,433	15,155
शल्यक आपरेशन		
(क) बड़े	283	375
(ख) छोटे	338	1,161
चिकित्सीय आंकोलाजी प्रक्रियाएं (अर्थात् बी एम बायोप्सी, श्वास एसपिरेशन इत्यादि)	1,049	2,111
विकिरण विज्ञानी जांचें	9,259	14,079

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग के रख-रखाव पर वार्षिक व्यय

367. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारक द्वारा देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव हेतु आवश्यक वार्षिक व्यय का राज्य-वार अनुमान लगाया गया है; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव हेतु औसत कितनी धनराशि आवंटित और खर्च की गई?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी]: (क) जी हां।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए आबंटित एवं व्यय की गई धनराशि इस प्रकार है:-

(करोड़ रु.)

वर्ष	आबंटन	व्यय
2000-2001	702.50	685.48
2001-2002	725.00	677.36

[हिन्दी]

गांवों में टेलीफोन सुविधाएं

368. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:**
श्री बी.के. पार्थसारथी:
श्री गंता श्रीनिवास राव:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान और आंध्र प्रदेश के सभी गांवों को टेलीफोन सुविधाएं दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो उक्त राज्यों में, जिला-वार कितने गांवों में टेलीफोन सुविधाएं नहीं हैं;

(ग) क्या दोनों राज्यों के प्रत्येक गांव में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) राजस्थान के टेलीफोन सुविधा से रहित गांवों की जिला-वार संख्या वाला विवरण संलग्न है। तथापि, जहां तक आंध्र प्रदेश का संबंध है, यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) मैसर्स श्याम टेलीलिंक लिमिटेड और मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड को क्रमशः राजस्थान और आंध्र प्रदेश के टेलीफोन सुविधा रहित शेष गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने हेतु 31.3.2003 तक का समय दिया गया है।

विवरण

राजस्थान के टेलीफोन सुविधा रहित गांवों की जिला-वार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	1991 की जनगणना के अनुसार टेलीफोन सुविधा रहित गांवों की संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	161
2.	अलवर	1166
3.	बांसबाड़ा	652
4.	बाड़मेर	624
5.	भरतपुर	457
6.	भीलवाड़ा	524
7.	बीकानेर	147
8.	बूंदी	410
9.	चितौड़गढ़	1348
10.	चूरू	56
11.	धौलपुर	345
12.	डुंगरपुर	316
13.	गंगानगर	3404
14.	जयपुर	1598
15.	जैसलमेर	248
16.	जालौर	124
17.	झालावाड़	775
18.	झुनझुनू	100
19.	जोधपुर	174
20.	कोटा	102
21.	नागौर	314

1	2	3
22.	पाली	242
23.	संवाई माधोपुर	682
24.	सिकर	176
25.	सिरोही	86
26.	टोंक	392
27.	उदयपुर	1088
	जोड़	15711

[अनुवाद]

केरल में एक्सप्रेस राजमार्ग

369. श्री पी.सी. थामसः क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर केरल में उन एक्सप्रेस राजमार्गों की वर्तमान स्थिति क्या है जिनका नई योजना के तहत निर्माण किया गया है;

(ख) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा जहां एक्सप्रेस राजमार्ग नहीं हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी]: (क) सरकार ने गुजरात में केवल अहमदाबाद-वड़ोदरा एक्सप्रेसवे की योजना बनाई और निर्माण किया। इस एक्सप्रेसवे के 93.302 कि.मी. में से, 43.40 कि.मी. (फेस-I) का अहमदाबाद-नडियाद खंड हाल ही में यातायात के लिए खोला गया है। नडियाड-वड़ोदरा खंड (फेस-II) की शेष लंबाई का कार्य चल रहा है। फिलहाल, केरल में किसी एक्सप्रेसवे के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) अहमदाबाद-वड़ोदरा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए कुल अनुमोदित लागत 682.19 करोड़ रु. है।

(ग) फिलहाल केवल गुजरात में एक एक्सप्रेसवे है जिसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किया है।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति

370. श्री अकबर अली खांदोकरः क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब स्थिति के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों के उचित रख-रखाव हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव संसाधनों की कमी के कारण शुरू नहीं हो सका; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी]: (क) और (ख) पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की 2007 कि.मी. की कुल लंबाई में से, गत दो वर्षों के दौरान 900 कि.मी. लंबाई की सड़क गुणता में सुधार किया गया है। 771 कि.मी. लंबाई को एनएचडीपी के अंतर्गत चार लेन का बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया है।

(ग) और (घ) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए 39.58 करोड़ रु. के मुकाबले, चालू वर्ष के दौरान 15.09 करोड़ रु. उपलब्ध कराए जा सके। राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों के अंदर यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखा जा रहा है।

सेल्यूलर फोन की मासिक दर में कमी

371. श्री राममूर्ति सिंह वर्माः क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय और विदेशी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण सेलुलर फोनों की मासिक दर और इनकमिंग और आउटगोइंग कालों के शुल्क में बारंबार कमी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा दिये गए बुनियादी (लैंड लाइन) कनेक्शनों पर कालों की मासिक दर और शुल्क को कम करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) के लिए लाइसेंस केवल पंजीकृत भारतीय कंपनियों को दिए गए हैं न कि विदेशी कम्पनियों को। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) भारत में दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। तीसरे सेल्यूलर आपरेटर के रूप में भारत संचार निगम लिटिमेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के प्रवेश तथा कुछ सेवा क्षेत्रों में चौथे सेल्यूलर आपरेटर के प्रवेश से विगत हाल में बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा के कारण सीएमटीएस के लिए टैरिफ में निरन्तर गिरावट का रुझान देखने को मिला है। इसके अलावा, दूरसंचार के वर्तमान स्पर्द्धात्मक परिदृश्य में, टैरिफ में संशोधन एक सतत कार्य है।

(ख) और (ग) मासिक किराये और कॉल प्रभारों में इस समय किसी कटौती पर विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि स्थिर टेलीफोनों के लिए मौजूदा किराया प्रभार टेलीफोन प्रदान करने की लागत से कम है। बीएसएनएन को 22.1.03 से लैंड-लाइन कनेक्शनों पर संक्षिप्त डायलिंग, कॉल अंतरण/फॉरवार्डिंग, हॉटलाइन, तीन पक्षों के बीच कन्फ्रेंसिंग और कॉलिंग लाइन आइडेन्टीफिकेशन सुविधा जैसी सभी फोन प्लस सेवाएं निःशुल्क प्रदान की है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 52

372. **श्री एम.के. सुब्बा:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर के सीमावर्ती क्षेत्रों में एनएच-52 की दशा में सुधार कर उसे हर मौसम में चलने लायक बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान इसके रख-रखाव हेतु कितना वार्षिक आवंटन किया गया और उक्त अवधि के दौरान इस पर कितना व्यय किया गया?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी]: (क) राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा रा.रा. 52 का पर्याप्त अनुरक्षण न किए जाने के कारण इसे मई, 2002 में सीमा सड़क संगठन को सौंप दिया गया। उस समय वर्षा ऋतु पहले से ही चालू थी। पूलों और सड़क की सतह की तुरंत मरम्मत की गई है। समराजन में एक बांध का निर्माण करके संपर्क मार्ग को भी बहाल कर दिया गया है। सीमा सड़क संगठन अब सड़क गुणता में सुधार करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। रा.रा. 52 अब यातायात योग्य स्थिति में है।

(ख)

(लाख रु.)

वर्ष	अनुरक्षण हेतु आबंटन	व्यय
2001-2002	90.10	90.10
2002-2003	386.00	190.00 (अब तक)

[हिन्दी]

पीएमजीवाई के अंतर्गत निधियों का आवंटन

373. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि खर्च किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत किन-किन मदों के अंतर्गत धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न मदों हेतु आवंटन का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रत्येक राज्य निर्धारित समय-सीमा के अंदर धनराशि का उपयोग कर रहा है;

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त योजना के अन्तर्गत खर्च की गई धनराशि का राज्य-वार और वर्ष-वार शीर्षवार ब्यौरा क्या है;

(च) जिन राज्यों ने निर्धारित समय-सीमा के अंदर अपनी धनराशि खर्च नहीं की है, सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(छ) प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत किस प्रकार की धनराशि प्राप्त हुई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) के लिए प्रतिवर्ष 2800 करोड़ रुपये की राशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) पीएमजीवाई के जिन छः घटकों पर निधियां खर्च की जानी हैं, वे हैं-ग्रामीण पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण आश्रय, पोषाहार तथा ग्राम-विद्युतीकरण।

(ग) योजना आयोग पीएमजीवाई के लिए कार्यक्रमों हेतु राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) समग्र रूप से आवंटित करता है। तथापि, राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर उनके घटक-वार आवंटन करने की छूट है। वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान पीएमजीवाई के लिए राज्यवार आवंटन का ब्यौरा क्रमशः विवरण-I, II और III पर दिया गया है।

(घ) से (च) अधिकांश राज्यों ने कार्यक्रमों के लिए आवंटित निधियों का उपयोग निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत कर लिया है। तथापि, कुछ राज्य विभिन्न कारणों से कार्यक्रम के कतिपय घटकों के लिए निधियों का उपयोग निर्धारित समय-सीमा में नहीं कर सके। ऐसे मामलों में, इन राज्यों को पीएमजीवाई के इन विशिष्ट घटकों के लिए एसीए की दूसरी किस्त जारी नहीं की गई। वर्ष 2001-02 के दौरान पीएमजीवाई के लिए विभिन्न घटकों के अंतर्गत आवंटित एवं जारी की गई निधियों का राज्यवार तथा वर्ष 2000-01 के दौरान जारी राज्य-वार और घटक-वार निधियों का विवरण क्रमशः विवरण-IV और V पर दिया गया है।

(छ) राज्यों को पीएमजीवाई के अंतर्गत जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) में ऋण और अनुदान दोनों घटक शामिल हैं। विशेष श्रेणी राज्यों के लिए यह 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण के रूप में जबकि गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के लिए यह 70 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में है।

विवरण-I

पीएमजीवाई 2000-01 के लिए एसीए का आवंटन

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	एसीए 2000-01
1	2	3
	गैर-विशेष श्रेणी राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	14206.00
2.	बिहार	28725.00
3.	गोवा	78.00
4.	गुजरात	6479.00
5.	हरियाणा	1678.00
6.	कर्नाटक	7513.00
7.	केरल	6908.00
8.	मध्य प्रदेश	11377.00
9.	महाराष्ट्र	9913.00
10.	उड़ीसा	9855.00
11.	पंजाब	4040.00
12.	राजस्थान	9640.00
13.	तमिलनाडु	10479.00
14.	उत्तर प्रदेश	34891.00
15.	पश्चिम बंगाल	16782.00
	उप जोड़	172564.00
	विशेष श्रेणी राज्य	
1.	अरुणाचल प्रदेश	6817.00
2.	असम	17957.00
3.	हिमाचल प्रदेश	7061.00
4.	जम्मू और कश्मीर	17158.00
5.	मणिपुर	4856.00
6.	मेघालय	4059.00
7.	मिजोरम	4041.00
8.	नागालैंड	4113.00
9.	सिक्किम	2811.00
10.	त्रिपुरा	5083.00
	उप जोड़	73956.00
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1105.00
2.	पांडिचेरी	477.00
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1027.00
4.	चंडीगढ़	456.00
5.	दादरा और नगर हवेली	132.00

1	2	3
6.	लक्षद्वीप	177.00
7.	दमन और दीव	106.00
	उप जोड़	3480.00
	कुल योग	250000.00

विवरण-II

पीएमजीवाई 2001-02 के लिए एसीए का आवंटन

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	एसीए 2001-02
1	2	3
	गैर-विशेष श्रेणी राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	15911.00
2.	बिहार	24579.00
3.	छत्तीसगढ़	3517.00
4.	गोवा	87.00
5.	गुजरात	7256.00
6.	हरियाणा	1879.00
7.	झारखंड	7592.00
8.	कर्नाटक	8415.00
9.	केरल	7737.00
10.	मध्य प्रदेश	9225.00
11.	महाराष्ट्र	11103.00
12.	उड़ीसा	11038.00
13.	पंजाब	4525.00
14.	राजस्थान	10797.00
15.	तमिलनाडु	11736.00
16.	उत्तर प्रदेश	37671.00
17.	उत्तरांचल	3907.00
18.	पश्चिम बंगाल	18796.00
	उप जोड़	195771.00
	विशेष श्रेणी राज्य	
1.	अरुणाचल प्रदेश	6817.00
2.	असम	20112.00
3.	हिमाचल प्रदेश	7908.00
4.	जम्मू और कश्मीर	19217.00
5.	मणिपुर	5439.00
6.	मेघालय	4546.00
7.	मिजोरम	5041.00
8.	नागालैंड	4526.00
9.	सिक्किम	3796.00
10.	त्रिपुरा	7084.00
	उप जोड़	84486.00
	कुल योग	280257.00

विवरण-III

पीएमजीवाई 2002-03 के लिए एसीए का आवंटन

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	एसीए 2002-03
1	2	3
	गैर-विशेष श्रेणी राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	15644.00
2.	बिहार	24173.00
3.	छत्तीसगढ़	3435.00
4.	गोवा	72.00

1	2	3
5.	गुजरात	7122.00
6.	हरियाणा	1834.00
7.	झारखंड	7446.00
8.	कर्नाटक	8273.00
9.	केरल	7608.00
10.	मध्य प्रदेश	8500.00
11.	महाराष्ट्र	10917.00
12.	उड़ीसा	10863.00
13.	पंजाब	4442.00
14.	राजस्थान	10611.00
15.	तमिलनाडु	11547.00
16.	उत्तर प्रदेश	37087.00
17.	पश्चिम बंगाल	18490.00
	उप जोड़	188064.00
	विशेष श्रेणी राज्य	
1.	अरुणाचल प्रदेश	6500.00
2.	असम	19000.00
3.	हिमाचल प्रदेश	7000.00
4.	जम्मू और कश्मीर	18000.00
5.	मणिपुर	4800.00
6.	मेघालय	4112.00
7.	मिजोरम	4300.00
8.	नागालैंड	4526.00
9.	सिक्किम	3000.00
10.	त्रिपुरा	5000.00
11.	उत्तरांचल	7000.00
	उप जोड़	83238.00
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	रा. रा. क्षेत्र दिल्ली	1078.00
2.	पांडिचेरी	465.00
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1002.00
4.	चंडीगढ़	442.00
5.	दादर और नगर हवेली	128.00
6.	लक्षद्वीप	172.00
7.	दमन और दीव	111.00
	उप जोड़	3398.00
	कुल योग	274700.00

विवरण-IV

वर्ष 2001-02 के लिए पीएमजीवाई के अंतर्गत विभिन्न घटकों के लिए राज्यवार कुल आवंटन और जारी की गई निधियां

(रुपये लाख में)

		पेयजल		प्राथमिक स्वास्थ्य		प्राथमिक शिक्षा		आश्रय		विद्युतीकरण		पोषाहार		कुल	
		आवंटन	जारी की गई	आवंटन	जारी की गई	आवंटन	जारी की गई	आवंटन	जारी की गई	आवंटन	जारी की गई	आवंटन	जारी की गई	आवंटन	जारी की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	2841.20	2841.20	2841.20	2841.20	2841.20	1420.60	2841.20	2841.20	1705.00	1705.00	2841.20	2841.20	15911.00	14490.40
2.	अरुणाचल प्रदेश*	1315.00	1315.00	1201.00	1201.00	1707.00	1707.00	764.00	382.00	684.00	684.00	1146.00	1146.00	6817.00	6435.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.	असम	3051.00	3051.00	4011.00	4011.00	2011.00	2011.00	2011.00	2011.00	6011.00	6011.00	3017.00	3017.00	20112.00	20112.00
4.	बिहार	2457.90	1228.50	2457.90	—	4915.80	2457.90	8602.65	4301.32	2457.90	2457.90	3686.85	3686.85	24579.00	14132.47
5.	छत्तीसगढ़	881.20	440.60	351.70	351.70	351.70	351.70	351.70	351.70	851.70	851.70	729.00	729.00	3517.00	3076.40
6.	गोवा	29.85	29.85	11.70	11.70	11.70	11.70	11.70	5.85	9.00	4.50	13.05	13.05	87.00	76.65
7.	गुजरात@	3265.20	3265.20	725.60	—	725.60	725.60	725.60	362.80	725.60	362.80	1088.40	—	7256.00	4716.40
8.	हरियाणा	471.20	471.20	398.45	398.45	351.70	351.70	187.90	187.90	187.90	187.90	281.85	281.85	1879.00	1879.00
9.	हिमाचल प्रदेश@	3650.00	3650.00	1596.40	1596.40	1581.60	1581.60	0.00	—	100.00	100.00	980.00	980.00	7908.00	7908.00
10.	जम्मू और कश्मीर	7167.00	7167.00	4164.00	4164.00	4164.00	—	450.00	—	1922.00	1922.00	1350.00	1350.00	19217.00	14603.00
11.	झारखंड	759.20	379.60	759.20	759.20	759.20	—	3416.40	379.60	759.20	379.60	1138.80	—	7592.00	1898.00
12.	कर्नाटक	1127.00	1127.00	1300.00	1300.00	1500.00	750.00	1500.00	1500.00	841.00	841.00	2147.00	2147.00	8415.00	7665.00
13.	केरल	3426.00	3426.00	800.00	800.00	775.00	775.00	800.00	400.00	775.00	594.50	1161.00	1161.00	7737.00	7156.50
14.	मध्य प्रदेश	1460.62	1460.62	1460.62	1460.82	1460.62	—	1460.62	730.31	1460.82	1460.82	1921.90	1921.90	9225.00	7034.07
15.	महाराष्ट्र	3105.07	1552.58	1344.42	1344.42	1663.13	831.56	1110.30	555.15	1901.08	1901.08	1979.00	1979.00	11103.00	8163.79
16.	मणिपुर	1473.15	736.57	900.00	900.00	1100.00	550.00	550.00	—	600.00	600.00	815.85	815.85	5439.00	3602.422
17.	मेघालय	954.60	954.60	854.90	854.90	1000.00	1000.00	454.60	454.60	600.00	600.00	681.90	681.90	4546.00	4546.00
18.	मिजोरम	1500.00	1500.00	1054.15	1054.23	655.70	327.85	606.15	606.15	598.00	598.00	627.00	627.00	5041.00	4713.23
19.	नागालैंड	1923.60	1923.60	565.60	565.60	452.60	452.60	452.60	230.35	452.60	452.60	679.00	679.00	4526.00	4303.75
20.	उड़ीसा	2003.80	2003.80	1103.80	1103.80	3467.10	3467.10	1103.80	1103.80	1703.80	1703.80	1665.70	1655.70	11038.00	11038.00
21.	पंजाब	1000.50	1000.50	452.50	452.50	452.50	452.50	452.50	226.25	1488.25	1488.25	678.75	678.75	4525.00	4298.75
22.	राजस्थान@	1620.00	1620.00	1646.00	1646.00	1446.00	1446.00	1446.00	1446.00	1080.00	1080.00	3559.00	3559.00	10797.00	10797.00
23.	सिक्किम	978.00	978.00	650.00	650.00	650.00	650.00	950.00	950.00	0.00	0.00	570.00	570.00	3798.00	3798.00
24.	तमिलनाडु	1500.00	1500.00	2173.60	2173.70	2905.64	2905.64	2222.76	2222.76	1173.60	1173.60	1760.40	1760.40	11736.00	11736.00
25.	त्रिपुरा	920.79	920.79	800.00	800.00	1027.00	1027.00	2124.90	2124.90	850.00	850.00	1361.31	1361.31	7084.00	7084.00
26.	उत्तरांचल	781.40	781.40	390.70	390.80	781.40	781.40	390.70	70.35	976.75	976.75	586.05	586.05	3907.00	3586.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27.	उत्तर प्रदेश	7534.00	7534.00	5651.00	5651.00	5651.00	5651.00	3767.00	3767.00	9417.00	9417.00	5651.00	5651.00	37671.00	37671.00
28.	पश्चिम बंगाल	5403.00	5403.00	2518.00	2518.00	3355.00	3355.00	1880.00	940.00	2820.00	2820.00	2820.00	2820.00	18796.00	17856.00
	योग	62600.28	58261.61	42183.44	39000.02	47763.19	35041.45	40364.08	28150.99	42151.00	41223.00	44927.01	42699.81	280259.00	244377.48

*आवंटन संशोधित किये गये हैं।

टिप्पणी-वर्ष 2001-02 के दौरान पीएमजीवाई के अंतर्गत राज्यों और सं.रा.क्षे. के लिए वास्तविक आवंटन 2800.00 करोड़ रुपये था जिसमें से 2761.02 करोड़ रुपये राज्यों के लिए था।

@गुजरात को ग्रामीण आवास के लिए 10.00 करोड़ रुपये अतिरिक्त जारी किए गए।

*राजस्थान को पोषाहार के लिए 11.35 करोड़ रुपये अतिरिक्त जारी किए गए।

*हिमाचल प्रदेश को 4.3971 करोड़ रुपये का बकाया जारी किये गये।

*पीएमजीवाई के अंतर्गत उपरोक्त अतिरिक्त राशि सहित राज्यों को जारी कुल एसीए 246952.19 लाख रुपये तक अधिक है।

विवरण-V

वर्ष 2001-02 के लिए पीएमजीवाई के विभिन्न घटकों के अंतर्गत जारी निधियां

क्र. सं.	राज्य	प्राथमिक शिक्षा	पोषाहार	प्राथमिक स्वास्थ्य	ग्रामीण पेयजल	ग्रामीण आवास	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2840.90	1065.45	2841.90	2840.90	1065.4	10654.6
2.	अरुणाचल प्रदेश	511.28	1022.56	1022.56	2550.00	511.28	5617.68
3.	असम	1346.78	2693.56	2693.56	1346.78	1346.78	9427.46
4.	बिहार	2154.37	2154.37	2154.37	2154.47	3291.90	11909.38
5.	छत्तीसगढ़	471.00	471.00	471.00	471.00	471.00	2355.00
6.	गोवा	11.70	11.70	11.70	5.85	11.70	52.65
7.	गुजरात	971.84	485.92	485.92	2590.84	485.92	5020.44
8.	हरियाणा	125.84	390.55	251.70	471.20	251.70	1491.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1710.01	529.58	1334.15	3077.00	0.00	6650.74
10.	जम्मू और कश्मीर	1286.85	1286.85	1286.85	1286.85	1286.85	6434.25
11.	झारखंड	1016.85	1016.85	1016.85	1016.85	1016.85	5084.25
12.	कर्नाटक	1126.95	3004.95	1126.94	1127.00	563.47	6949.31
13.	केरल	1040.00	1036.20	1036.20	518.10	518.10	4148.60

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मध्य प्रदेश	853.27	3406.54	1235.55	1803.55	853.27	8152.00
15.	महाराष्ट्र	743.47	1486.95	1486.94	2414.00	1486.95	7168.31
16.	मणिपुर	364.20	728.40	728.40	364.20	364.20	2549.40
17.	मेघालय	1000.00	608.85	608.86	1000.00	608.86	3826.57
18.	मिजोरम	303.08	790.15	303.08	1006.00	606.15	3008.46
19.	नागालैंड	616.96	962.00	616.96	1322.01	616.95	4134.38
20.	उड़ीसा	1478.26	739.13	1478.26	2478.25	1478.25	7652.15
21.	पंजाब	303.00	909.00	606.00	1616.00	606.00	4040.00
22.	राजस्थान	2705.00	1446.00	1446.00	2158.00	1446.00	9201.00
23.	सिक्किम	600.01	210.83	421.65	600.00	210.83	2043.32
24.	तमिलनाडु	3018.45	785.92	1571.84	1571.85	2330.85	9278.91
25.	त्रिपुरा	762.44	762.45	762.44	2033.22	762.45	5083.00
26.	उत्तरांचल	8597.14	4718.81	8526.25	6727.00	5045.25	33614.45
27.	उत्तर प्रदेश	188.40	188.40	188.40	188.40	188.40	942.00
28.	पश्चिम बंगाल	3355.00	2517.30	2517.30	5874.00	1258.65	15522.25
	योग	39503.06	35430.27	38231.63	50613.22	28684.06	192462.24

आरक्षित रिक्तियां

374. **श्री रामदास आठवले:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों और उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत कुछ पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन विभागों और उपक्रमों में कार्यरत कुछ कर्मचारियों को प्रोन्नत किया गया है और नई नियुक्तियां की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत की गई नियुक्तियों का वर्षवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती और उनकी प्रोन्नति के मामले में निर्धारित नियमों का पालन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी]: (क) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन कोई विभाग और उपक्रम नहीं है।

(ख) से (च) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल में सड़कों का विकास

375. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी वित्तीय संस्थानों (विश्व बैंक के अलावा) ने आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल में सड़कों के विकास के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त राज्यों में इस सहायता से शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन राज्यों में सड़क संबंधी आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी]: (क) विदेशी वित्तीय संस्थाओं (विश्व बैंक से भिन्न) ने केवल आंध्र प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी है न कि उत्तरांचल राज्य की सड़कों के विकास के लिए।

(ख) और (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, पत्तन संपर्क तथा अन्य परियोजनाओं के अंतर्गत 1860 कि.मी. लंबे राजमार्गों को विकसित कर रहा है जो आंध्र प्रदेश से गुजरते हैं।

विवरण

आंध्र प्रदेश में विश्व बैंक से भिन्न विदेशी संस्थाओं से प्राप्त सहायता से शुरू की गई परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र.सं.	खंड	रा.रा.	लंबाई (कि.मी.)	लागत (करोड़ रु.)	वित्तपोषण	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	नंदीगाम-विजयवाड़ा	9	48	88.60	एशियाई विकास बैंक	पूरा हो चुका है
2.	इलरू-विजयवाड़ा	5	72	370.00	एशियाई विकास बैंक	पूरा हो चुका है
3.	विजय-चिल्कालूरीपेट पैकेज-I	5	25	60.16	जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोआपरेशन	पूरा. हो चुका है
4.	विजयवाड़ा-चिल्कालूरीपेट पैकेज-II	5	32	59.43	जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोआपरेशन	पूरा हो चुका है
5.	विजयवाड़ा-चिल्कालूरीपेट पैकेज-III	5	23.78	55.19	जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोआपरेशन	पूरा हो चुका है
6.	विजयवाड़ा-चिल्कालूरीपेट पैकेज-IV	5	2.88	52.80	जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोआपरेशन	पूरा हो चुका है
7.	रा.रा. 5 के विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड के 358/0 से 395/875 कि.मी. तक और	5	46.33	118.10	एशियाई विकास बैंक	पूरा हो चुका है

1	2	3	4	5	6	7
	विशाखापत्तनम खंड के 0/0 से 2/837 कि.मी. तक विद्यमान दो लेन वाले मार्ग को चार लेन का बनाना और सुदृढ़ीकरण करना तथा अंकापल्ली बाइपास का सुदृढ़ीकरण					
8.	हैदराबाद-करीमनगर-रामागुंडम सड़क की मरम्मत एवं सुधार।	राज्यीय सड़क	225.00	144	एशियाई विकास बैंक	पूरो हो चुका है
9.	काकीनाडा-राजानगरम का सुधार	राज्यीय सड़क	54.00	58.50	एशियाई विकास बैंक	पूरो हो चुका है

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2001-02 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरूवनंतपुरम का वर्ष 2001-02 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6962/2003]

(3)(एक) सेंट्रल काउंसिल आफ इंडियन मेडीसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल आफ इंडियन मेडीसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6963/2003]

(5)(एक) इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आफ पापुलेशन साइंसेज, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आफ पापुलेशन साइंसेज, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6964/2003]

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया): अध्यक्ष महोदय, मैं नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं

और तेरहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:

नौवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या 32 सातवां सत्र, 1991

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6965/2003]

दसवीं लोक सभा

2. विवरण संख्या 40 दूसरा सत्र, 1991

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6966/2003]

3. विवरण संख्या 7 पांचवां सत्र, 1992

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6967/2003]

ग्यारहवीं लोक सभा

4. विवरण संख्या 30 दूसरा सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6968/2003]

5. विवरण संख्या 28 तीसरा सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6969/2003]

6. विवरण संख्या 28 चौथा सत्र, 1997

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6970/2003]

7. विवरण संख्या 25 पांचवां सत्र, 1997

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6971/2003]

बारहवीं लोक सभा

8. विवरण संख्या 28 दूसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6972/2003]

9. विवरण संख्या 22 तीसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6973/2003]

10. विवरण संख्या 22 चौथा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6974/2003]

तेरहवीं लोक सभा

11. विवरण संख्या 20 दूसरा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6975/2003]

12. विवरण संख्या 20 तीसरा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6976/2003]

13. विवरण संख्या 16 चौथा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6977/2003]

14. विवरण संख्या 14 पांचवां सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6978/2003]

15. विवरण संख्या 13 छठा सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6979/2003]

16. विवरण संख्या 11 सातवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6980/2003]

17. विवरण संख्या 8 आठवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6981/2003]

18. विवरण संख्या 6 नौवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6982/2003]

19. विवरण संख्या 3 दसवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6983/2003]

20. विवरण संख्या 1 ग्यारहवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6984/2003]

अपराह्न 12.01 बजे

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

(एक) बासठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, मैं महापत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक, 2001 के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के बासठवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(दो) साक्ष्य

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, मैं महापत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक, 2001 के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य के रिकार्ड की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन 'दि कश्मीर टाइम्स' के पत्रकार की गिरफ्तारी और बाद में उन्हें छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं। 19 जून को कश्मीर टाइम्स के संवाददाता इफ्तिखार गिलानी को सरकार ने गिरफ्तार किया था और यह गिरफ्तारी गोपनीयता कानून के तहत की गई थी। उनके ऊपर यह आरोप था कि वह सेना की खुफियागिरी कर रहे हैं और उसी के तहत इनको बंदी बनाया गया था। 7 महीने तक इफ्तिखार गिलानी जेल में रहे और छः बार उनकी जमानत अर्जी खारिज हुई। इस सरकार का गृह मंत्रालय यह आरोप लगाता रहा कि उनके खिलाफ गम्भीर आरोप हैं और उसने बार-बार उस जमानत का भी विरोध किया था। गिलानी पर सेना से संबंधित गोपनीय दस्तावेज रखने का आरोप था लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब रक्षा मंत्रालय से इस बारे में जानकारी मांगी गई तो सैनिक गुप्तचर विभाग के महानिदेशक श्री ओ.एस. लोचाव ने अपनी राय में कहा कि हुर्रियत कान्फ्रेंस नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद इफ्तिखार गिलानी के पास से बरामद दस्तावेज वर्गीकृत श्रेणी के नहीं हैं। इसका मतलब उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए, वे अर्थहीन थे। संसद में और उसके बाहर पत्रकारों ने इस बात का विरोध किया कि गिलानी को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। संसद में सांसदों ने कहा कि गिरफ्तार इफ्तिखार गिलानी के खिलाफ कोई आरोप नहीं बनते। उस बीच उनके परिवार को परेशान किया गया। उनको सात महीने तक जेल में रखा गया और यातनाएं दी गईं। आईबी ने कहा कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि वह आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं और सेना की खुफियागिरी कर रहे हैं। उनके ऊपर बहुत गम्भीर आरोप लगाए गए। सात महीने तक किसी भी आदमी को जिस के खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं, उनके बारे में बाद में सरकार कोर्ट से प्रार्थना करती है। जहां एक ओर सरकार ने बार-बार इफ्तिखार गिलानी की जमानत की अर्जी खारिज करने के लिए आग्रह किया, वहीं सरकार बाद में मजिस्ट्रेट के सामने कहती है कि हमारे पास इसके कोई ठोस सबूत नहीं हैं, पुख्ता सबूत नहीं हैं। इस तरह से किसी भी बेगुनाह को जेल में बंद करना ठीक नहीं है। गिलानी के परिवार को इसका मुआवजा दिया जाना चाहिए और उन अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने गिलानी के खिलाफ बगैर किसी आधार के आरोप लगाए। उन्हें जान-बूझकर परेशान करने का काम किया गया है। यह बहुत ही गंभीर मामला है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इफ्तिखार गिलानी के परिवार के लोगों को मुआवजा दिया जाये और जिन लोगों ने गलत बयान दिया है या गलत तथ्य प्रस्तुत किये हैं या जिन लोगों ने सही तथ्यों को छिपाया है, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री सुबोध राय (भागलपुर): अध्यक्ष जी, व्यापक फसल बीमा योजना के अभाव में हमारे किसान हर प्राकृतिक आपदा के भीषण संकट के शिकार हो रहे हैं। अभी हाल ही में बिहार में ओलावृष्टि, लगातार बाढ़, सुखाड़ और दूसरे राज्यों में लगातार ओलावृष्टि के कारण किसान भारी तबाही के शिकार हुये हैं। इन सबके चलते सारी फसलें—मकई, गेहूं, सब्जी, तिलहन, दलहन और उसके साथ जो आम की फसल है, उसकी भारी तबाही हुई है। दर्जनों लोग मारे गये हैं, हजारों घर बर्बाद हुये हैं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में भारी तबाही हुई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि वे राष्ट्रीय आपदा कोष से इन किसानों को मदद पहुंचायें और तत्काल व्यापक फसल बीमा योजना लागू करायें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं। बिहार में प्राकृतिक आपदा से किसानों की भारी तबाही हुई है। ओला पड़ा है। ठंड पड़ी है, इससे सारी फसलें मारी गई हैं। इसलिये वहां व्यापक कृषि बीमा योजना लागू होनी चाहिये। भारत सरकार को वहां एक टीम भेजनी चाहिये जो जांच-पड़ताल करे ताकि किसानों को राहत मिल सके।

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा): अध्यक्ष महोदय, बिहार में रक्षक ही भक्षक बने हुये हैं। सरकार की अव्यवस्था के कारण...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम): आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री यहां आए और 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के लिए चावल ले गए। केन्द्र के यह कहने के बावजूद कि मंडल को एक यूनिट के रूप में विचार किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार ने किसानों को फसल बीमा करने की पहल नहीं की है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आजादः अध्यक्ष महोदय, इनको बैठाइये।

अध्यक्ष महोदयः मैं उन्हें बैठाने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री कीर्ति झा आजादः अध्यक्ष महोदय, बिहार में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है...*(व्यवधान)* ये लोग आपके सामने किसान की बात करते हैं। बिहार में किसान को न ट्यूबवैल, न बिजली, न बीज और न खाद मिल रहा है और ये लोग किसानों की बात कर रहे हैं। जो लोग बाढ़ से तबाह हुये और सरकार से मदद मांगने आये, उन्हें पुलिस प्रशासन ने गोलियां चलाकर भून दिया। वहां की महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है। पिछले वर्ग के लोग मारे जा रहे हैं। अभी दो दिन पहले बाढ़ में जातीय हिंसा में पांच लोग मारे गये। पिछले वर्ष कुछ लोगों को गोलियां से भून दिया गया। नये डी.जी.पी. आये तो उन्होंने कहा कि क्राइम को खत्म करने की उनकी प्राथमिकता रहेगी लेकिन खेद की बात है कि पिछले पांच दिनों में 23 हत्यायें हो चुकी हैं। बिहार में जो लोग इस तरह का अन्याय और अत्याचार करते हैं, पुलिस में बैठे हुये लोग इन्हें संरक्षण देते हैं। अभी कुछ समय पूर्व एक पत्रकार का अपहरण हुआ। इसके विरोध में पत्रकार बन्धुओं ने तीन दिन तक सड़कों पर आकर शोर मचाया और हड़ताल भी की। इस हड़ताल के फलस्वरूप वहां पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि 3 दिन के अंदर पत्रकार को आपके सामने ला देंगे लेकिन वह पत्रकार ढाई घंटे में ही मिल गया। पुलिस जिसे तीन दिन में नहीं कर पायी, वह ढाई घंटे ने ढूंढ लिया गया। इस प्रकार वहां...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, कुछ राज्यो में महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हैं और कानून एवं व्यवस्था की गंभीर घटनाएं घटित हो रही हैं। क्या इन पर सभा में रोज चर्चा की जानी चाहिए? यह सभा विभिन्न राज्यों की सभा बनती जा रही है। इसकी अनुमति कैसे दी जाए? प्रतिदिन ऐसी बातें उठाई जा रही हैं। प्रतिदिन राज्य के मामले एवं कानून एवं व्यवस्था के मामले उठाए जा रहे हैं।

श्री कीर्तिं झा आजादः ...*(व्यवधान)* मुझे श्री सोमनाथ चटर्जी की बात समझ में नहीं आ रही है...*(व्यवधान)* संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत लोगों को दिए गए अधिकार, अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकार और अनुसूचित जातियों और जनजातियों को दिए गए अधिकारों का हनन हो रहा है...*(व्यवधान)* वह किसी को बोलने से कैसे रोक सकते हैं?...*(व्यवधान)* वे यह बात अच्छी तरह जानते हैं। वे वरिष्ठ संसद सदस्य हैं...*(व्यवधान)* मुझे नहीं मालूम कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ संसद सदस्य का पुरस्कार कैसे मिला जिसके लिए वह योग्य नहीं हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

जिस प्रकार बिहार के अंदर पिछले 11 वर्षों में 12 से 22 हजार अल्पसंख्यक महिलाओं के बच्चों का अपहरण हुआ और वे मारे गये, बिहार सरकार इसका जवाब तो देगी। उनका क्या होगा। जिस प्रकार बिहार में फर्जी मुठभेड़ों में पुलिस द्वारा बेकसूर लोगों को मारा जाता है। यहां तक कि मिलिट्री के लोग जो अपने घर जाने के लिए बैंक से बाहर निकल रहे थे, उन्हें सरेआम गोली से मार दिया गया।...*(व्यवधान)* इस प्रकार से जो राक्षस राज बिहार में चल रहा है, उसमें केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। इसके अलावा वहां दूसरा विकल्प नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं इस पर सरकार की ओर से कुछ आना चाहिए। मैंने इस पर नियम 193 के तहत डिस्कशन हेतु नोटिस दिया हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है कि बिहार की गंभीर स्थिति पर नियम 193 के तहत डिस्कशन कराया जाए और बिहार सरकार के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जीः महोदय, यह अत्यंत बुरी बात है। हम इसका विरोध करते हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक): अध्यक्ष महोदय, नासिक मेरा निर्वाचन क्षेत्र है...

अध्यक्ष महोदयः ढिकले जी, आप एक मिनट बैठिये।

श्री उत्तमराव ढिकलेः अध्यक्ष महोदय, नासिक शहर मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। नासिक शहर दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसे दक्षिण काशी भी कहा जाता है। नासिक में वर्ष 2003-2004 में कुम्भ मेला लगने जा रहा है। जिसमें लाखों की तादाद में साधु-संत और यात्री आने वाले हैं। इसीलिए महाराष्ट्र शासन ने केन्द्र सरकार के पास नेशनल हाइवे नम्बर-तीन और 50 के बारे में चार लेनिंग हाइवे के प्रस्ताव भेजे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री सोमनाथ चटर्जी, आपने सही सवाल उठाया है। पहली बात हो यह है कि 'शून्य काल' के बारे में कोई नियम नहीं है। दूसरे मैंने यह कहते हुए वक्तव्य दिया है कि 'शून्य काल' में लोक महत्व की बातें उठाई जानी चाहिएं। तीसरे किसी बात की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और एक ही बात बार-बार नहीं उठायी जाए। इन सबके बावजूद ऐसा हो रहा है। सूची का अवलोकन करने पर पता चलता है कि केवल पांच सदस्यों के

निवेदन को आज 'शन्यू काल' में अनुमति दी जा सकती है। इस तरह हम उन 25-30 माननीय सदस्यों को अधिकार से वंचित करेंगे जो 'शून्य काल' के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्रों अथवा राज्यों के मुद्दे उठाना चाहते हैं। इसलिए, हम सदैव उदार रहे हैं। यदि पूरी सभा सहमत हो तो मुझे राष्ट्रीय महत्व के निवेदनों को ही अनुमति देने पर कोई एतराज नहीं है और कल से राज्यों से संबंधित किसी निवेदन को अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि सभा की सर्वानुमति हो तो मुझे ऐसा करने में खुशी होगी।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, मेरा आपसे यही अनुरोध है। हम देख रहे हैं कि कुछ समय से कतिपय मुद्दों को उठाने के प्रयास किए गए हैं। दलितों, महिलाओं से संबंधित कुछ गंभीर मुद्दे उठाए जाएं तो बात समझ में आती है। हम इस प्रकार के मुद्दे उठाने के मामले में पहले से ही उदारता दिखाते रहे हैं। हमने कभी इस बारे में आपत्ति नहीं की। लेकिन प्रतिदिन एक या दूसरे राज्य की कानून एवं व्यवस्था से संबंधित मुद्दे यहां उठाए जा रहे हैं। फिर यह सिलसिला कब रुकेगा?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अरुण कुमार (जहानाबाद): अध्यक्ष महोदय, बिहार का बहुत गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)* इन्हें बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): सर, बिहार में एक दिन में 23 हत्याएं हुई हैं। वहां क्या ला एंड आर्डर है...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, बिहार की बहुत गंभीर स्थिति है। वहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है...*(व्यवधान)* वहां फेक एनकाउंटर में बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है और बिहार सरकार कहती है कि हमने अपराधियों को मारा है।...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद: चटर्जी साहब, आप इतने सीनियर लीडर हैं और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। बिहार की स्थिति बहुत गंभीर है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं यहां बताना चाहता हूं कि यहां इस प्रकार के मुद्दे उठाकर यह लोक सभा की गरिमा नहीं बढ़ा रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए। मेरे पास इसका यही समाधान है कि इस मुद्दे पर नेताओं की बैठक में विचार किया जाए। मैं इस पर नेताओं की बैठक में विचार करूंगा। वहां हम चर्चा करेंगे और किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। फिलहाल श्री उत्तम राव ढिकले बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इस मामले को नेताओं की बैठक में रखूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैं नेताओं की बैठक में इस विषय को डिस्कस करूंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री उत्तमराव ढिकले की बात के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री उत्तमराव ढिकले: इन प्रस्तावों को केन्द्र सरकार ने अभी तक मान्यता नहीं दी है। नेशनल हाइवे नंबर-तीन का चार लेनिंग का जो प्रस्ताव मान्यता के लिए भेजा गया है वह कुल 60 किलोमीटर की दूरी का है। यह विलेज गोंदे से शुरू होकर विलेज पिम्पलगांव बसवंत तक जाता है। इस चार लेनिंग हाइवे के कांट्रैक्टर की प्रीक्वालिफिकेशन रिपोर्ट भी महाराष्ट्र शासन ने केन्द्र सरकार के पास 11 अक्तूबर, 2001 को भेज दी है और ड्राफ्ट बिड डाकूमैन्ट भी भेजे हैं।

दूसरा चार लेनिंग प्रस्ताव हाइवे नम्बर 50 का है, जो नासिक से सिन्नर गांव तक है। इसकी भी प्रीक्वालिफिकेशन रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिड डाकूमैन्ट भेज दिये गये हैं। इन दोनों हाइवेज का काम बी.ओ.टी. के माध्यम से होने वाला है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि इन दोनों प्रस्तावों को तुरंत मान्यता देने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति अत्यंत गंभीर और चिंताजनक है। हाल

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री के. येरननायडू]

ही में, केंद्र के एक दल ने आंध्र प्रदेश राज्य का दौरा किया और सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने सूखा राहत के संबंध में 2.373 करोड़ रुपए मंजूर किए जाने और 20 लाख मीट्रिक टन चावल जारी करने हेतु एक ज्ञापन दिया है।

हाल ही में, मुझे समाचार-पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि केंद्र सरकार ने राजस्थान राज्य के सूखा राहत के लिए 3000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मेरा यह कहना है कि वह विवेकपूर्ण रूप से होना चाहिए।

महोदय, आंध्र प्रदेश राज्य में किसी वर्ष की औसत वर्षा से 46 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। अत: किसी राज्य की आर्थिक स्थिति और विद्यमान आर्थिक स्थिति के अनुसार सूखा सहायता विवेकपूर्ण ढंग से दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को प्रत्येक राज्य में सूखे की स्थिति की गंभीरता की समीक्षा करनी चाहिए और इन्हें तदनुसार सहायता जारी की जानी चाहिए। इसमें राजस्थान अथवा आंध्र प्रदेश अथवा पश्चिम बंगाल कोई भी राज्य हो सकता है, लेकिन यह विवेकपूर्ण रूप में किया जाना चाहिए। आपदा सहायता कोष भी इसी राज्यों को धन देने हेतु पर्याप्त नहीं है।

हाल ही में, हजारों मुसलमानों ने वर्षा हेतु प्रार्थना की है। आंध्र प्रदेश में यह स्थिति व्याप्त है। अत: आंध्र प्रदेश से लोगों के उत्प्रवास को रोकने और पेयजल उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार तत्काल धनराशि मंजूर करे और काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत चावल जारी करे। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप भारत सरकार से इस दिशा में अनुरोध करें और बगैर किसी विलंब के आंध्र प्रदेश सरकार को सभी प्रकार का सहयोग दें...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि...

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती रेणूका चौधरी आप इसके लिए नोटिस दीजिए। परन्तु आप कभी नोटिस नहीं देती हैं आप इस सभा की एक वरिष्ठ सदस्य हैं और नियमों को अच्छी तरह जानती हैं।

श्रीमती रेणूका चौधरी: महोदय, यह वरिष्ठ अथवा कनिष्ठ होने का प्रश्न नहीं है। मैं चाहती हूं कि आंध्र प्रदेश के किसानों को न्याय मिले। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के 921 मंडलों को सूखा प्रभावित घोषित किया है। सरकार ने मंडल को एक पूर्ण इकाई के रूप में माना है लेकिन इन्होंने काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत दिए गए चावल का उचित उपयोग नहीं किया है।

महोदय, सरकार ने आंध्र प्रदेश में किसी किसान को फसल बीमा योजना का लाभ भी नहीं दिया है क्योंकि राज्य सरकार को इसमें अपना हिस्सा देना पड़ता जो कि नहीं दिया गया है। मैं यह भी चाहती हूं कि आंध्र प्रदेश को पानी जारी किया जाये और हम राज्य को सूखा सहायता के लिए धनराशि आबंटित करवाना चाहते हैं लेकिन राज्य सरकार द्वारा काम के बदले अनाज योजना का उचित क्रियान्वयन नहीं किया गया है। समाचार-पत्रों में प्रकाशित ऐसे पर्याप्त साक्ष्य हैं जिसमें यह कहा गया है कि काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत आबंटित चावल का कतिपय ठीकेदारों द्वारा दुरूपयोग किया जा रहा है। इसका दुरुपयोग किया जा रहा है और फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी किसानों को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र सरकार को सूखा राहत के लिए तमिलनाडु हेतु 2,900 करोड़ रुपए का पैकेज प्रस्ताव मंजूरी हेतु भेजा है और राज्य द्वारा काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत 7 लाख टन चावल जारी करने का अनुरोध भी किया है। केंद्रीय दल द्वारा तमिलनाडु के सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया गया। उन्होंने मुख्य मंत्री से भेंट की और उन्होंने केंद्रीय दल को तमिलनाडु के लोगों को हो रही कठिनाईयों से अवगत कराया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन, आप सभापति तालिका में हैं और नियमों से अच्छी तरह से अवगत हैं।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तमिलनाडु सरकार द्वारा किए गए अनुरोध के अनुरूप तत्काल सूखा राहत पैकेज मंजूर करे...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में एक राष्ट्रीय महत्व का मामला लाना चाहता हूं। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी मातृभाषा में, चाहे वह अपने अथवा किसी आम राज्य में रह रहा हो, अध्ययन करने का अधिकार है।

महोदय, बंगला भाषा हमारे देश की द्वितीय सर्वाधिक प्रमुख भाषा है। हाल ही में, झारखंड सरकार ने वहां के बंगला माध्यम वाले स्कूलों में बंगला भाषा से शिक्षा देना बंद कर दिया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने इसी प्रकार का कदम उठाया है। इसके परिणामस्वरूप लाखों बंगला भाषी लोग अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो गए हैं। अत: भारत सरकार एक ऐसा अधिनियम बनाए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी अन्य नागरिकों सहित बंगलाभाषी व्यक्ति अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकें, चाहे वे किसी राज्य में रहते हों...*(व्यवधान)* मैं यह भी मांग करता हूं कि एनसीईआरटी की सभी पुस्तकें देश की सभी भाषाओं में प्रकाशित की जाएं...*(व्यवधान)* महोदय, मैं

इसमें आपका हस्तक्षेप चाहता हूं क्योंकि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे सहमत हूं कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आप कृपया बैठ जाएं। अब श्री प्रभुनाथ सिंह बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ जी, मैं कितनी बार आपका नाम पुकार रहा हूं, आप मेरी तरफ देखते ही नहीं हैं। आपका विषय है—फरीदाबाद में औद्योगिक श्रमिकों को हो रही कठिनाइयां।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा तो हमने सोचा कि लिस्ट में से नाम ही कट गया क्योंकि क्वैश्चन आवर में गड़बड़ हो गई थी। इसलिए हम नहीं समझ पाए।

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में फरीदाबाद एक औद्योगिक नगर है जहां एक लाख से ज्यादा लोग झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं। कुछ तो स्थानीय लोग हैं और कुछ देश के दूसरे कोनों से आए हुए लोग हैं। वहां की सरकार उन लोगों की झुग्गी-झोपड़ियों को उखाड़कर फेंक रही है। 9 अक्तूबर, 2002 को पुलिस और बुल्डोजर लगाकर झोपड़ियां तोड़ी गईं जिससे लोगों में बड़ा आक्रोश है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह हरियाणा सरकार से बात कर के जो वहां झुग्गी-झोपड़ियों में प्रदेश के और प्रदेश के बाहर के लोग रह रहे हैं और जिनके आश्रितों की संख्या 5 से 10 लाख के बीच में अनुमानित है, उनके प्रवास के लिए व्यवस्था करे और जब तक उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो जाये तब तक उन झुग्गी-झोपड़ियों को न उखाड़ा जाए। उनके पुनर्वास की कोई न कोई व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए।

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय को उठाने जा रहा हूं। मेरे क्षेत्र में इटावा और औरैया दो जनपद पड़ते हैं जिनमें सूखे की भयंकर स्थिति के कारण जमीन के जल का स्तर बहुत नीचे चला गया है। वहां पहाड़ी इलाका भी है। सूखे के कारण जलस्तर के अत्यन्त नीचे चले जो से वहां किसान बहुत परेशान हैं। जो प्राइवेट ट्यूबवैल्स थे उनसे पानी आना बन्द हो गया है। जो वहां हैंड पम्प हैं उनसे भी पानी नहीं आ रहा है। इसके कारण किसान सिंचाई में बहुत कठिनाई महसूस कर रहे हैं। जल एवं सिंचाई के अभाव में उनकी जमीन बिल्कुल सूख गई है। मनुष्य और जानवरों को भी पीने का पानी नहीं मिल रहा है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार प्रधान मंत्री राहत कोष से मेरे क्षेत्र में 100 सरकारी ट्यूबवैल खुदवाए और 1000 हैंडपम्प लगवाने की व्यवस्था करे।

[अनुवाद]

श्री विनय कुमार सोराके (उदुपी): अध्यक्ष महोदय, प्रचालनात्मक और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने के लक्ष्य से हाल ही में सृजित नए रेल जोनों से मेरे क्षेत्र के लोगों में विशेषकर तटीय दक्षिण कन्नड़ के लोगों का दक्षिण रेलवे के मैसूर डिवीजन का नव सृजित दक्षिण-पश्चिम रेलवे, जिसका जोनल मुख्यालय हुबली होगा, में विलय होने से अधिक आशा का संचार हुआ है।

फिर भी आश्चर्य की बात है कि कनकंडी स्टेशन (मंगलौर) को दक्षिण रेलवे के पालघाट डिवीजन के अधिकार क्षेत्र में ही रखा गया है। हुबली के कर्नाटक में होने के कारण यह भौगोलिक और भाषाई दृष्टि से उचित होगा यदि कनकंडी को नवसृजित दक्षिण पश्चिम रेलवे के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया जाए। संचार और सहज संपर्क इस संबंध में ऐसे अन्य कारक हैं जिसके आधार पर मंगलौर (कनकंडी) को तत्काल दक्षिण-पश्चिम रेलवे में शामिल किया जा सकता है।

मैं माननीय रेल मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया मेरे क्षेत्र के लोगों की इस उचित मांग को अपने रेल बजट भाषण, 2003 में उचित रूप से उल्लेख करते हुए स्वीकार करें।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, देश भर के किसान तबाह हैं, लेकिन बिहार के किसानों की तबाही सबसे अधिक है और वह इसलिए कि प्राकृतिक आपदा की मार तो उनके ऊपर है ही, लेकिन उसके साथ-साथ केन्द्र सरकार की मार भी उनके ऊपर पड़ रही है। केन्द्र सरकार ने कहा था कि एफ.सी.आई. की तरफ से 100 क्रय केन्द्र बिहार में धान एवं चावल की खरीद हेतु खोले जाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ हजार टन का ही प्रक्योरमेंट हुआ है जब कि बिहार में 1 करोड़ 23 लाख टन धान की पैदावार हुई है। इसके कारण बिहार में अनाज सरप्लस है, लेकिन प्रक्योरमेंट में बहुत कोताही हो रही है। एफ.सी.आई. की तरफ से कभी गोदाम भर गए हैं, कभी बैंक का खाता नहीं खुला है और अभी तराजू उपलब्ध नहीं है, इस प्रकार बहुत कोताही बरती जा रही है। इसके कारण किसान मंडियों से लौट रहे हैं।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

अध्यक्ष महोदय, बिहार के किसानों ने कमर-तोड़ मेहनत कर धान एवं अन्य अनाजों का उत्पादन किया, लेकिन एफ.सी.आई. उनकी धान की खरीद नहीं कर रहा है जिसके कारण किसानों को अपनी धान औने-पौने दामों पर बेचनी पड़ रही है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार सदन को बताए कि बिहार में किस-किस क्रय केन्द्र में कितना-कितना अनाज खरीदा गया और जहां कम खरीदा गया वहां ज्यादा खरीदने की व्यवस्था करे ताकि किसानों को सपोर्ट प्राइस मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, सेनगुप्ता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अनाज की खरीद में कुछ राज्यों की उपेक्षा होती है। अत: मैं भारत सरकार से इस बारे में सदन में एक वक्तव्य दिए जाने की मांग करता हूं जिससे किसी राज्य की उपेक्षा न हो और सभी किसानों का अनाज खरीदा जाए जिससे उन्हें सहूलियत मिल सके और उन्हें अपने धान एवं चावल की सही कीमत मिल सके और सेनगुप्ता कमेटी की सिफारिशों को तत्काल लागू किया जाए।

[अनुवाद]

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद): अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने भारत-बंग्लादेश सीमा पर बंग्लादेश से घुसपैठ रोकने हेतु बाड़ लगाने के कार्य हेतु निर्माण कार्य की मंजूरी प्रदान कर दी है। यह बहुत ही आवश्यक है और मैं इस निर्णय से सहमत हूं।

मेरे राज्य विशेषरूप से मेरे संसदीय क्षेत्र में बाड़ लगाए जाने के कारण आम लोगों की समस्याएं हो रही हैं क्योंकि इसका दुरूपयोग हो रहा है। किसानों को अपने खेतों में कार्य करने से मना किया जाता है। खेती कार्य हेतु अनुचित समय की घोषणा की जाती है जब कि यह कार्य उचित नहीं है। किसान अपने खेतों तक पहुंचने हेतु कई मीलों तक चलने हेतु बाध्य होते हैं क्योंकि वहां पर्याप्त द्वार नहीं हैं। आम व्यक्तियों के प्रति अर्द्धसैनिक बलों के कठोर रवैये से स्थिति और बदतर हो गई है। इस क्षेत्र में फसल कटाई प्रणाली भी बाधित हुई है। यहां केवल कृषि योग्य भूमि ही नहीं बल्कि आबादी वाले गांव भी हैं। उन्हें अपने जीवन यापन में कठिनाई हो रही है। उन्हें, विद्यालय, बाजार और अस्पताल जाने में समस्याओं का समाना करना पड़ रहा है। बाड़ वाले क्षेत्र के दूसरी तरफ बंग्लादेश की तरफ हमारे देश की 150 गज भूमि है जहां आम लोग रहे हैं और वे पश्चिम बंगाल के उस विशेष क्षेत्र और देश के अन्य भागों में कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

अत: मैं सरकार से इन समस्याओं का समाधान करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: जाधव जी, मैंने तीन बार आपका नाम लिया है, आप खड़े क्यों नहीं होते?

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में और सदन के बाहर बहुत दिनों से मांग कर रहा हूं कि हमारा जो इस देश का हलधर किसान है उसके ऊपर डाक टिकट जारी करना चाहिए। धीरूभाई अम्बानी के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया, इसका मैं विरोध नहीं करता। हमारे देश के 70-80 फीसदी किसान आंधी और धूप में काम करके हमारा पालन-पोषण करते हैं, उसके ऊपर एक डाक टिकट जारी करना चाहिए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से विनती करता हूं, मैं कंसलटेटिव कमेटी का सदस्य भी हूं, मैंने प्रमोद महाजन जी से भी मांग की थी कि इनके ऊपर एक डाक टिकट जारी करें, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ। इसलिए मैं आपके माध्यम से पुन: मांग करता हूं कि भारत सरकार को जल्दी से जल्दी इनके ऊपर डाक टिकट जारी करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): रिलायंस पर सरकार चल रही है तो धीरूभाई का नहीं होगा तो किस का होगा। किसान का क्यों होगा।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, जनवरी और फरवरी महीने में मुंबई, पुणे, दिल्ली, राजकोट और पूरे देशभर में केबल आपरेटर्स ने पर-हाउस सौ रुपया प्राइस हाइक किया है। मैं आपके क्षेत्र में गया था, आपकी अनुमति लिए बगैर, वहां के ग्राहक संगठन कंज्यूमर आर्गनाइजेशन ने खुद ही एक एक्शन कमेटी बनाई। जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो वहां के केबल आपरेटर्स, एमएसओ और पे चैनल, इन तीनों ने मिलीभगत करके लगभग मुंबई में 50,000 लोगों के केबल कनेशन इल्लिगल काट दिए। मुंबई की पुलिस, वहां के कलेक्टर और एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। कंज्यूमर्स का प्रोटेक्शन होना चाहिए।

महोदय, मैं यहां यह प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं कि मुंबई में 20 लाख केबल ग्राहक हैं, उनमें से 20 लाख लोग 30 रुपए सर्विस एवं एंटरटेनमेंट टैक्स महीने का इकट्ठा करते हैं, लेकिन खाली चार लाख लोगों का भरते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्तना करना चाहूंगा कि ग्राहकों की राक्षा होनी चाहिए और इन लोगों को जो केबल कनैक्शन दिए गए हैं उन्हें वापस मिलने चाहिए। सरकार को इस संबंध में दखल देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): यह मामला जटिल है। चैनल वाले जो माफियागिरी कर रहे हैं, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर कोई रास्ता निकालना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, आपने एचपीसीएल और बीपीसीएल जैसे लाभ अर्जित करने वाली प्रमुख कंपनियों का विनिवेश किए जाने के संबंध में चर्चा कराए जाने की अनुमति दी थी। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रबंधन के शीर्ष अधिकारियों सहित श्रमिक और कर्मचारी बगैर किसी राजनीतिक संबद्धता के विनिवेश का विरोध कर रहे हैं।

सरकार के इस निर्णय का विरोध करने हेतु सभी मजदूर संघ एकजुट हैं। अत: सरकार को इस दिशा में आगे कोई और कदम नहीं उठाना चाहिए। संसद द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय लिए जाने तक सरकार को आगे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इनका राष्ट्रीयकरण संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। अन्य दूसरे लोगों की चाहे जो भी व्याख्या हो संसद की अनदेखी नहीं की जा सकती है। इस संप्रभु और सम्माननीय सभा वाली संस्था के अधिकारों का इस प्रकार हनन किए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कार्यपालिका भी उत्तरदायी है। सरकार में कोई सर्वसम्मति नहीं है। सरकार के सहयोगी दलों के बीच भी कोई एक मत नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार को संसद द्वारा कोई अंतिम निर्णय लिए जाने तक आगे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। चूंकि आपने पहले ही इस संबंध में बता दिया है मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। लेकिन भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है। विनिवेश के बाद गैर-सरकारी एकाधिकार का युग आयेगा। ये सभी प्रमुख मुद्दे हैं। इस संसद द्वारा कोई अंतिम निर्णय लिए जाने तक सरकार द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको भी इस मुद्दे में शामिल होने की अनुमति दी जाती है।

...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार: महान्यायधिवक्ता कोई प्राधिकारी नहीं हैं। वे अपनी राय दे सकते हैं और हम इससे असहमत हो सकते हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष जी, हम इस बात का समर्थन करते हैं। हम लोगों ने डिसइन्वेस्टमेंट का विरोध किया है, वहां के कर्मचारियों ने इसका विरोध किया है। कर्मचारियों की भावना को ध्यान में रखना चाहिए, वे स्ट्राइक पर जाने वाले हैं। यहां बसुदेव आचार्य जी ने यह मामला उठाया था।...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: हम लोग इनकी बात का पूरा समर्थन करते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि मेरे कहने का कोई असर इस सरकार के ऊपर नहीं होगा, लेकिन फिर भी यह मामला अत्यन्त गम्भीर है। न केवल विरोध पक्ष के लोग, बल्कि सरकारी पक्ष के लोग भी इस राय के हैं कि इस तरह से हमारे उद्योगों को नहीं बेचा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने इसे राष्ट्रीय सम्मान की बात बना रखा है। मुझे नहीं मालूम कि उसे बेचकर ये क्या पाने वाले हैं, सिवा इसके कि कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को और कुछ इस देश की बड़ी कम्पनियों को खुश करना चाहते हैं। इससे न मजदूरों का भला है, न किसानों का भला है, न उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का भला है। भला केवल चन्द लोगों का होने वाला है और सरकार इस तरह बात कर रही है, जैसे राष्ट्रीय सम्मान के लिए यह काम जरूरी है। इन्होंने कहा था कि हम 12 हजार करोड़ रुपये इकट्ठा करेंगे। तीन हजार करोड़ रुपये अब तक इकट्ठे हुए हैं। अगले पांच वर्षों में, 10 वर्षों में या कितने वर्षों में 70 हजार करोड़ रुपये की मिल्कियत ये बेचना चाहते हैं। सरकार को कभी यह भी हिसाब देना चाहिए कि अगर यही उद्योग फिर से लगाने पड़े तो क्या 70 हजार करोड़ रुपये में लगा सकते हैं। अगर खाद के कारखाने बेच दिये गये, मान लीजिए कि दूसरे देश खाद देना बन्द कर दें तो हमारी हरित क्रान्ति का क्या होगा, हमारे किसानों का क्या होगा। हमारे तेल के कारखानों को ये बेचने जा रहे हैं, हमारे जितने एयरपोर्ट्स हैं, उनको बेचने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपकी भी इसमें एक राय है, मैं आपकी राय नहीं देना चाहता, लेकिन अगर इस सरकार के ऊपर नैतिक असर आप डाल सकें और खास तौर से उनके ऊपर, जो इस देश के लिए जिम्मेदार हैं, तो देश के भविष्य के लिए यह एक अच्छी बात होगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री जयपाल रेड्डी, मैं समझता हूं कि आप भी उसी मुद्दे पर बोलना चाहते हैं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): जी हां, महोदय।

महोदय, मैं श्री चन्द्रशेखर द्वारा व्यक्त किये गए विचारों का पूरी तरह समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं यह महज कानूनी प्रश्न नहीं है। महान्यायवादी द्वारा दी गई राय को कानूनी कहा जा सकता है हममें से कुछ सदस्यों को महान्यायवादी द्वारा दी गई राय की कानूनी वैधता के बारे में सन्देह है क्योंकि देश के कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने महान्यायवादी द्वारा दी गई सलाह के पीछे दी गई

[श्री एस. जयपाल रेड्डी]

वैधता पर प्रश्नचिह्न लगाया है। अत: हमारा सुविचारित मत है कि महान्यायवादी से अनुरोध किया जाए कि वह सदन में आएं और हमें बताएँ कि उनका सरकार को ऐसी राय देने के पीछे क्या आधार था।

कानूनी आशय के अलावा भी कई मौलिक मुद्दे हैं। एचपीसीएल और बीपीसीएल को कई दशकों में विशाल लागत पर बनाया गया है आपके लिए उसे खंडित करने और उसे हताशा में बेचने में बहुत आसान होगा। मैं नहीं समझता कि सरकार को अविवेकपूर्ण कार्य करने चाहिए। जिसे लोग करने में डरते हैं। अत: हमारी राय है कि इस मुद्दे पर न केवल इस सभा में चर्चा की जानी चाहिए बल्कि सरकार को भी इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। वस्तुतः सरकार को पूरी प्रक्रिया की पुनरीक्षा करनी चाहिए। हम उन क्षेत्रों में विनिवेश करने के पक्ष में हैं जो संवेदनशील नहीं हैं और उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के पक्ष में हैं जो हानि उठा रही है...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: महोदय, हमने प्रश्न काल में इस पर चर्चा की है और आपने इस पर व्यापक चर्चा करवाने का वायदा भी किया है। अत: हम इस मुद्दे पर पुन: क्यों चर्चा कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, मुझे एक ही बात कहनी है कि मंत्रिपरिषद के कुछ सदस्यों ने सार्वजनिक रूप से इसका विरोध किया था। अब किस परिस्थिति में उन्होंने इसका समर्थन किया, यह उनको इस सदन में आकर एक्सप्लेन करना चाहिए। क्या वे अपना स्थान मंत्रिमंडल में गंवाना नहीं चाहते या और कोई कारण है?...*(व्यवधान)* किस कारण से उन्होंने इसका समर्थन किया, वह भी वे स्पष्ट करें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जैसा कि श्री किरीट सोमैया जी ने अभी कहा कि क्वश्चन आवर में इस विषय पर 40 मिनट तक चर्चा हुई है। श्री चन्द्रशेखर जी इस विषय पर बोलना चाहते थे तो मैंने उनको बोलने की इजाजत दी। इसी तरह श्री जयपाल रेड्डी को भी मैंने बोलने का मौका दिया। लेकिन मैं इस विषय को चर्चा के लिए ओपन नहीं कर सकता। वैसे भी इस विषय पर चर्चा होने वाली है। जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसे एग्री करेगी तब चर्चा होगी। उस समय आप बोल सकते हैं। अभी मैं किसी को भी इस विषय पर बोलने के लिए इजाजत नहीं दे सकता।

...*(व्यवधान)*

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र मनमाड जिला नासिक, महाराष्ट्र में फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया का एशिया खंड में बहुत बड़ा डिपो है। इस डिपो में 400 से अधिक पद खाली पड़े हैं। जबकि अनुकम्पा के आधार पर 35 पद भरे जाने चाहिए लेकिन वह भी नहीं भरे गए हैं। भारी उद्योग मंत्रालय ने जैसे स्पेशल स्टेशनरी कार्पोरेशन में सी क्लास के कर्मचारियों को एलाउंस दिया है वैसे इस डिपो में नहीं दिया जाता। फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया के एक्ट 1967 के सैक्शन 12ए में संशोधन होना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से खाद्य मंत्री जी से अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं अपनी बारी का बेसब्री से इन्तजार कर रहा हूं लेकिन आप सभी अन्य माननीय सदस्यों को अनुमति दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका नाम मैं पुकारने ही वाला हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं वह शख्स हूं जो बिना किसी कारण के हस्तक्षेप नहीं करता लेकिन आजकल मैं सब कुछ गवां रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, आप संसद के बहुत अच्छे सदस्य हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं केरल राज्य और पूरे देश के संबंध में भी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं।

भारत सरकार और विश्व व्यापार संगठन के बीच एक समझौता हुआ है जिसके परिणामस्वरूप गम्भीर कदम उठाए गए हैं कि नारियल और रबड़ के मूल्य में गिरावट आई है। केरल में यह फसल उगाने वाले सभी उत्पादन इससे पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। चाय, बड़ी इलायची, काली मिर्च और अन्य ऐसी फसलों के मूल्यों में भारी कमी हुई है। नारियल और रबड़ जैसी फसलों का उत्पादन करने वाले काफी किसान भूखे मर रहे हैं। हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। केरल राज्य आजकल इस गम्भीर स्थिति का सामना कर रहा है। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद केन्द्र सरकार ने ना तो कोई कदम उठाए हैं अथवा कदम उठाने आरम्भ भी नहीं किये हैं। हमने किसानों की दशा सुधारने के लिए कदम उठाने के लिए भारत सरकार को कई अभ्यावेदन दिये हैं लेकिन कुछ भी नहीं किया गया है। भारत सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के साथ किये गए समझौते में कुछ संशोधन करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है। ऐसा भी नहीं किया गया है। अत: स्थिति अत्यन्त बदतर हो गई है। राज्य सरकार अथवा संघ सरकार से कोई राज

सहायता अथवा सहायता नहीं दी गई है। राज्य सरकार किसानों का उद्धार करने के लिए मदद नहीं दे रही है और वह कोई कार्यवाही भी नहीं कर रही है। नारियल का उत्पादन करने वाले किसान भूखों मर रहे हैं। इसी प्रकार केन्द्र सरकार भी किसानों का उद्धार करने के लिए आगे नहीं आ रही है। अत: अब किसानों ने सचिवालय और जिला मुख्यालयों के समक्ष 101 घन्टे का निरंतर 'धरना' देने का निर्णय लिया है। यह ऐतिहासिक आन्दोलन होगा। लाखों किसान 24 मार्च को होने वाले 'धरने' में भाग लेने जा रहे हैं। मैं भी इस 'धरने' में भाग लेने जा रहा हूं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। अत: मैं केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे इस संबंध में अविलम्ब कदम उठाएं और केरल के किसानों की सहायता करें...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी: यह भारतीय यूनिट ट्रस्ट के भी शेयर धारक हैं। हमारे किसानों के विरुद्ध भेदभाव किया जा रहा है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामनरेश त्रिपाठी (सिवनी): अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के अनेक हिस्सों में पाले और ओले से फसलें नष्ट हो गईं विशेष रूप से जबलपुर, नरसिंहपुर और सिवनी जिलों में पाले और ओले से सौ प्रतिशत फसलें नष्ट हुई हैं। बुजुर्ग बताते हैं कि पचास सालों में ऐसा पाला कभी नहीं पड़ा। दोपहर बारह बजे तक बर्फ की तह जमी रही, फलें दुर्गंध मारने लगीं। उन्हीं जिलों में फिर ओले गिरने प्रारंभ हुए। लगभग हर हफ्ते मौसम बिगड़ता है और ओले गिरते हैं। ओले इतने बडे-बड़े और अधिक मात्रा में गिरे कि दो दिन तक गले नहीं। किसानों ने बोरों में ओले भर कर और बैलगाड़ी में रख कर तहसील और जिला कार्यालय में दूसरे दिन प्रस्तुत किए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा किसानों के नुकसान के आकलन में कोताही बरती जा रही है, भेदभाव बरता जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। 'अंधा बांटे रेवड़ी चीन्ह-चीन्ह के दे', यह कहावत वहां चरितार्थ हो रही है।

मेरा भारत सरकार से आग्रह है, कृपया प्राकृतिक आपदा कोष से सहायता प्रदान करें। ठीक ढंग से आकलन हो, किसानों को ठीक ढंग से राहत मिले, भारत सरकार ऐसी व्यवस्था करे। जिन गांवों में किसानों की सौ प्रतिशत फसलें नष्ट हो गई, वहां ग्रीष्मकालीन खाद और बीज का मुफ्त वितरण होना चाहिए, बिजली की आपूर्ति भी सुनिश्चित होनी चाहिए क्योंकि ग्रीष्मकालीन फसलें बगैर बिजली, पानी के पैदा नहीं हो सकतीं। राहत कार्य प्रारंभ होना चाहिए। किसानों के ऋण का ब्याज माफ होना चाहिए, बिजली का बिल माफ होना चाहिए वसूली रुकनी चाहिए। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि वह इसमें हस्तक्षेप करे।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, मुझे कल से आपका संरक्षण नहीं मिल रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, देश के विभिन्न भागों में अल्पमत विरोधी भावनाओं को भड़काने वाले और साम्प्रदायिक वातावरण को कुलषित करने की बढ़ती घटनाओं के विरुद्ध सुदृढ़ सतर्कता और कठोर कार्यवाही करने की आवश्यकता है। विशेषकर जब विधान सभाओं के चुनाव निकट हैं विषाक्त भावावेग और भाषण उनकी भावनाओं को भड़काते हैं अयोध्या मुद्दे को खुलेआम ललकारना और गम्भीर परिणामों को बार-बार दोहराया जाना जारी है। राजस्थान में बड़ी मात्रा में त्रिशूल के वितरण की रिपोर्ट आई है। पिछले 35 दिनों में 2,600 से भी अधिक त्रिशूलों का वितरण किया गया था। यह पहले वितरित किये गये त्रिशूलों के अलावा है। स्थिति गम्भीर है क्योंकि त्रिशूल के साथ सज्जित लोगों के अभियान के साथ-साथ साम्प्रदायिक घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। इस बात की पुष्टि गुजरात अनुभव द्वारा हुई है। आपको स्मरण होगा कि गुजरात के क्षेत्रों में जहां त्रिशूल बांटे गए थे, में भयंकर और भारी संख्या में हत्याएं हुई हैं अत: देश में विभिन्न विधानसभाओं में होने वाले चुनावों के समय इस प्रकार की खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो रही है।

पुन: राजस्थान में जाखन गांव (जोधपुर) में मुसलमानों का बहिष्कार देखा जा सकता है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन इन बातों में हमारे देश में साम्प्रदायिक सौहार्द्र को खतरा है।

इसके बाद, मध्य प्रदेश की स्थिति भी तनावपूर्ण है। अयोध्या जैसी स्थिति धार में भोजशाला-कमल मौला मस्जिद में घुसने के प्रश्न के साथ जोड़ी जा रही है। यह भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है। आन्दोलन किया गया था और पथर मुक्त रूप से फैंके गए थे हमारी सरकार इन घटनाओं और हमारे देश की शान्ति और सौहार्द्र को खतरा पहुंचाने वाली घटनाओं को अनदेखा नहीं कर सकती।...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया): यह चर्चा का विषय है यह मुद्दा शून्य काल में किस प्रकार उठाया जा सकता है? मैं इस पर आपका निर्णय चाहता हूं। जब इसमें अविलम्ब मामला अन्तर्ग्रस्त नहीं है तो इसे किस प्रकार यहां उठाया जा रहा है? हमें पूरे इतिहास के बारे में बताया जा रहा है। यही चीजें वातावरण को दूषित करती हैं यह वातावरण को दूषित करने का स्पष्ट मामला है। यहां जो मुद्दा उठाया जा रहा है वह किस प्रकार लोक महत्व का मामला है?...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला: 'परिवार' सत्तारूढ़ गठबन्धन का सबसे बड़ा भाग है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे खुला लाइसेंस मिल गया है...*(व्यवधान)*

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): इन्होंने त्रिशूल के बारे में जिक्र किया है। त्रिशूल हिन्दुत्व का प्रतीक है और इसमें कुछ गलत नहीं है। इन्होंने त्रिशूल शब्द का प्रयोग कई बार किया है। पंजाबियों को विशेषकर खालसों को कृपाण रखने की अनुमति है। माननीय सदस्य श्री मान कृपाण के साथ आते थे। इसी प्रकार हिन्दूओं को त्रिशूल रखने की अनुमति क्यों नहीं है? इसमें कुछ गलत नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इनके भाषण में जो भी आपत्तिजनक शब्द होंगे, उन्हें देखने के बाद मैं उन्हें कार्यवाही-वृत्तान्त में से हटा दूंगा।

श्री जी.एम. बनातवाला: देश में शान्ति और सामंजस्य खतरनाक तत्वों द्वारा विध्वस्त नहीं किया जाए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इन गतिविधियों को गम्भीरता से देखे और शान्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए ताकि हमारे देश में साम्प्रदायिक सद्‌भावना बनाई जा सके।

अध्यक्ष महोदय: सदन में भी शान्ति बनाए रखिए।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष जी, देश की आजादी के बाद और आजादी के पहले भी महात्मा गांधी द्वारा बताये गये रास्त पर अन्याय, अत्याचार और प्रशासनिक जुल्म के खिलाफ जगह-जगह विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न संगठन धरना और प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। इधर एक नयी स्थिति पैदा हुई है कि जब जनता अपने हक की हिफाजत के लिए धरना और प्रदर्शन के माध्यम से सड़कों पर उतर रही है तो विभिन्न राज्यों में यह देखने में आ रहा है कि कुछेक राज्य सरकारें अपना आपा खो रही हैं और निरीह जनता के ऊपर लाठी और गोलियां बरसाने का काम कर रही हैं। अभी पिछले दिनों, पिछले सत्र में उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में मुंडरेवा में जब पुलिस की गोली से तीन लोग मौत के घाट उतारे गये थे तो इसी सदन के अंदर राज्य सरकार ने जो गलत तथ्य प्रस्तुत किए और उन गलत तथ्यों के आधार पर भारत सरकार ने भी गलत तथ्य प्रस्तुत किए और मात्र एक आदमी के मारे जाने की घटना का उल्लेख किया। अभी बस्ती के मुंडेरवा जनपद में इंसानों के खून से धरती सूखी भी नहीं थी कि 19 दिसम्बर को मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कालेज के छात्र संघ के अध्यक्ष श्री संतोष जायसवाल की दिन-दहाड़े निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई और जब 20 तारीख को उनकी लाश उनके दरवाजे पर आयी तो हजारों की संख्या में जनसमूह वहां उमड़ा तो उस जनसमूह को सबक सिखाने के लिए महाराजगंज जनपद की क्रूर पुलिस ने और उनकी अधिकारियों ने जनता के ऊपर गोलियां चलाने का काम किया और तीन लोग फिर पुलिस की गोली से मौत के घाट उतार दिये गये। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अखिलेश जी, अब समाप्त करिए। दो मिनट में अपनी बात कहनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष जी, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। इसमें सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यह है कि मुंडेरवा की घटना में उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री जी ने समाजवादी पार्टी का हाथ बताया और महाराजगंज की घटना में उनके राज्य मंत्री ने समाजवादी पार्टी का हाथ होने की बात कही। हमने उनकी चुनौती को स्वीकार किया और धरनों और प्रदर्शन के माध्यम से राज्य सरकार से और भारत सरकार से यह मांग की कि आप सम्पूर्ण घटना की सीबीआई से जांच कराएं और इस घटना के अंदर जो लोग भी दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन आज भी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रमेश चेन्नितला जी, आप बोलिए। आपकी बात रिकार्ड में जाएगी।

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप जो कुछ बोलना चाहते हैं, आपको दो मिनट में बोलना है, और आपको दो मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिए।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अत्यन्त ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं जिस पर केरल, लक्षद्वीप और देश के अन्य भागों के लोगों में रोष है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: रमेश जी, आप बोलते रहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: .आप भाषण तो अच्छा करते हैं, लेकिन कितना समय लेते हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस मुद्दे को उठाने जा रहा हूं उस पर केरल, लक्षद्वीप और दक्षिण भारत के अन्य भागों के लोगों में रोष है। यह बीएसएनएल टेलीफोनों के 'सिम' कार्डों की अनुपलब्धता के संबंध में है। केरल में, 70 हजार लोगों को बीएसएनएल का प्रीपेड 'सिम' कार्ड दिया गया था। बीएसएनएल के आंकड़ों के अनुसार केरल में 2 लाख लोग 'सिम' कार्ड की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लक्षद्वीप का पूरा क्षेत्र और भारत में अन्य दक्षिणवर्ती भाग बीएसएनएल 'सिम' कार्ड के दायरे में ही नहीं आते हैं। तमिलनाडु के लोग यही मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि निजी मोबाइल टेलीफोन आपरेटरों को मदद पहुंचाने के लिए यह षडयंत्र है।

लोग बीएसएनएल 'सिम' कार्डों की मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीएसएनएल का दायरा बड़ा है, यह सस्ता है और अधिक क्षेत्रों के लोग यह कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि लोग बीएसएनएल 'सिम' कार्डों पर जोर दे रहे हैं। तथापि, बीएसएनएल प्राधिकारी और अन्य उत्तरदायी अधिकारी उन लोगों को, जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है को अधिक 'सिम' कार्ड जारी करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं कर रहे हैं।

इसलिए, महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह यह देखें कि सरकार लोगों को अधिक बीएसएनएल 'सिम' कार्ड उपलब्ध कराने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए।

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो नया जोन बना है, उसके बाद अजमेर में पिछले 50 वर्षों से पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत जो हजारों कर्मचारी ट्रैफिक एकाउंट्स और कम्पाइलेशन के दफ्तर में काम कर रहे थे, मुम्बई मुख्यालय के रूप में, उनको पहले सरकार ने आश्वासन दिया था कि भले नया रेलवे जोन बने, यहीं पर ट्रैफिक एकाउंट्स और कम्पाइलेशन का मुख्यालय स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन वहां कार्यरत कर्मचारियों को मुम्बई स्थानांतरित करने के आदेश दे दिए गए हैं। अजमेर में रहने वाले हजारों कर्मचारी जो अभी तक इतने वर्षों से वहीं काम कर रहे थे, मुम्बई में जाएंगे तो कहां उनके रहने की व्यवस्था होगी, कहां उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था होगी और कहां महानगरीय वातावरण में वे अपने को ढाल पाएंगे। इस तरह से उनके सामने बड़ी भारी कठिनाई पैदा हो जाएगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहता हूं, जैसा रेल मंत्री जी ने नए रेलवे जोन बनाते समय आश्वासन दिया था कि जो कर्मचारी जहां है, उसको वहीं पर एडजस्ट किया जाएगा और स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, उस आश्वासन की पालना होनी चाहिए। उत्तर-पश्चिमी रिलवे का मुख्यालय बनने के बाद यातायात लेखा और संकलन का जो रेलवे का मुख्यालय है, वह अजमेर में ही कार्य करते रहना चाहिए और जो नार्थ-वैस्ट रेलवे का मुख्यालय था, वह अजमेर में ही रहे। जिन्होंने विकल्प दिया है, वे ही मुम्बई जाएं, लेकिन बाकी लोगों को वहीं पर एडजस्ट किया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर अजमेर में हजारों की संख्या में रेलवे कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। वे सत्याग्रह कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं और भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वे कर्मचारी अजमेर में काम करते थे, उनको वहीं रहने दें और वहीं काम करने दें।

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट): अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस देश की आबादी का 70 प्रतिशत हिस्सा जो किसान हैं, उनकी समस्या को उठाने का मौका दिया। भारत सरकार ने पहली अप्रैल से गेहूं की खरीद का ऐलान किया है। जो ऐलान की गई कीमत है, वह 620 रुपए प्रति क्विंटल है, जो पिछले वर्ष की थी, उसका ऐलान किया गया है। मैं पहली बात यह कहना चाहता हूं कि 1970-71 को बेस ईयर मानकर एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के पास जो यूनिवर्सिटीज की रिपोर्ट आई है, वह कम से कम 885 रुपए प्रति क्विंटल है, जिससे किसानों की पूर्ति होती है, अगर यह मिनीमम सपोर्ट प्राइस उसे मिल जाए। मुझे लगता है कि सरकार ने किसान विरोधी केलकर समिति की रिपोर्ट को पहले से ही लागू करना शुरू कर दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा तय यह कीमत बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि पंजाब के पास जो सबसे ज्यादा सेंट्रल पूल में योगदान है, 11500 करोड़ रुपए का स्टाक है, यानी 175 लाख टन अनाज हमारे गोदामों में पड़ा सड़ रहा है। हमारी शिकायत यह है कि किसानों को न तो रेलवे से उचित रेट मिल रहा है न एफसीआई से ठीक रेट मिल रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया सुषमा जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पंजाब का 5 हजार करोड़ रुपया एफसीआई के ऊपर पेंडिंग है। किसानों को न उचित रेट मिल रहा है न रिलीजिंग आर्डर मिल रहा है। पंजाब डूब रहा है और किसानों की फसल का स्टाक क्लीयर नहीं होता। लगभग 95 प्रतिशत स्टाक गोदामों के बाहर पड़ा हुआ है। भारत सरकार को इस ओर तुरंत कदम उठाने चाहिए।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): महोदय, मैं खाड़ी देशों में भारतीय राष्ट्रिकों को प्रभावित करने वाले एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। ईराक में

[श्री के. फ्रांसिस जार्ज]

विद्यमान युद्ध स्थिति के कारण कुवैत सहित पड़ोसी देशों में भारतीय राष्ट्रिकों और उनके बच्चे जो सीबीएसई परीक्षा में बैठना चाहते हैं अत्यन्त ही मुश्किल स्थिति में हैं।

महोदय, मार्च के पहले सप्ताह में सीबीएसई परीक्षाएं शुरू होती हैं और बोर्ड ने यह निर्णय नहीं लिया है कि क्या ये परीक्षाएं कुवैत और अन्य खाड़ी देशों में ली जाएं या नहीं। यदि तुरन्त निर्णय नहीं लिया जाता है तो इन छात्रों के लिए संबंधित राज्यों में वैकल्पिक व्यवस्था कर पाना संभव नहीं होगा। कुवैत में हमारे दूतावास को सीबीएसई बोर्ड के निर्णय की प्रतीक्षा है।

महोदय, अब मार्च का पहला सप्ताह बहुत दूर नहीं है। कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड कुवैत और खाड़ी देशों में भारतीय राष्ट्रिकों के बच्चों के भविष्य के बारे में निर्णय करने के संबंध में सो रही है।

मेरा भारत सरकार से सुझाव और अनुरोध है कि या तो उन देशों में परीक्षा लेने के लिए सीबीएसई को तुरन्त निर्देश दिया जाए अथवा भारत में इन छात्रों के संबंधित राज्यों में कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। इसलिए, तत्काल निर्णय लिया जाना चाहिए।

मैं भारत सरकार से फिर अनुरोध करता हूं कि वह सीबीएसई को शीघ्रातिशीघ्र इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेने के लिए निदेश दे।

अपराह्न 12.57 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

छियालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का छियालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 1.45 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.57½ बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 1.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.48 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 1.48 बजे पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए***]**

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे।

[हिन्दी]

(एक) राजस्थान में अजमेर में एक हवाई अड्डे का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर): महोदय, अजमेर अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का ऐतिहासिक नगर है। यह नगर साम्प्रदायिक सौहार्दता का आदर्श केन्द्र है। यहीं पर विश्व प्रसिद्ध गरीब नवाज ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तथा पास ही ब्रह्मा जी के पवित्र मन्दिर और पवित्र सरोवर को धारण किए हुए तीर्थराज पुष्कर है। शिक्षा, पर्यटन, सैनिक महत्व आदि की दृष्टि से भी यह नगर महत्वपूर्ण है। यहां पर देश-विदेश से निरन्तर तथा बड़े-बड़े मेलों और उर्सों पर लाखों लोग आकर पुण्य प्राप्त करते हैं। राजस्थान के बीचोंबीच स्थित 1956 तक केन्द्र शासित प्रदेश रहने वाला, स्वाधीनता संग्राम के सैनानियों की कर्मस्थली रहने वाला यह नगर अभी तक देश के हवाई यातायात के नक्शे पर स्थान नहीं बनाया पाया है। बड़े-बड़े नेताओं, मंत्रियों ने अजमेर आगमन पर हवाई अड्डा बनाने की आवश्यकता महसूस करते हुए शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया परन्तु परिणाम कुछ भी नहीं निकला।

अत: भारत सरकार से विशेष अनुरोध है कि अजमेर की विशिष्ट स्थिति को दृष्टिगत रखकर वहां निर्धारित उपयुक्त जमीन खुद खरीद कर विमानपत्तन बनाने की कार्रवाई शीघ्र करावें।

(दो) बिहार में अरेराज से होकर हाजीपुर और सुगोली के बीच रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी): महोदय, जनतन्त्र की जननी वैशाली केसरिया स्थित भगवान बुद्ध का सबसे ऊंचा स्तूप अरेराज का विख्यात सुमेश्वर धाम, भारत-नेपाल संधी स्थल सुगोली यानी हाजीपुर-अरेराज-सुगोली रेल मार्ग की मांग वर्षों पुरानी मांग है। यह मार्ग ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से देश का बहुत ही

महत्वपूर्ण मार्ग है। यह मार्ग सीधे गेट-वे-आफ नेपाल की ओर जाता है। अंग्रेजों के समय से इसे रेल मार्ग बनाने की मांग उठती रही है।

अत: मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि हाजीपुर-अरेराज-सुगोली रेल मार्ग के निर्माण की शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के आदेश पारित करने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

(तीन) केबल आपरेटरों द्वारा वसूल किए जाने वाले प्रभार में अत्यधिक वृद्धि पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): केबल आपरेटरों द्वारा पे-चैनलों के लिए वसूल किए जाने वाले टैरिफ में अत्यधिक वृद्धि की ओर सूचना और प्रसारण मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। पिछले 14 महीनों में इन दरों को 100 रु. से बढ़ाकर 350 रु. प्रतिमाह कर दिया गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएं।

[हिन्दी]

(चार) सैनिक डेयरी फार्म और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की डेयरी में नवजात पशुओं की बेहतर देख-रेख सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर): अध्यक्ष महोदय, मिलिट्री डेयरी फार्म एवं जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की डेयरियों में नवजात बछड़ों को जंगल में छोड़ दिया जाता है। छोटे से प्यारे नवजात बछड़ों को जंगल के मांसाहारी चूहे, सियार, लोमड़ियां, चील, गिद्ध, कौवों द्वारा मौते के मुंह में भेज दिया जाता है। यह क्रूरतम निर्ममता है। इसी प्रकार अनुवांशिक एवं अन्य बीमारीग्रस्त गायों को भी अपनी जिम्मेदारियों से बच कर पीड़ादायक मौत की ओर धकेला जाता है। इससे बचने के लिये अतिशीघ्र प्रयास होना चाहिए। अच्छी दुधारू नस्ल के इन बछड़ों का पालन-पोषण कर गौवंश के नस्ल सुधार में दूर-दराज के गांवों में इनका उपयोग किया जा सकता है। बीमार, अशक्त गायों को सार्वजनिक न्यासों की गौशाला में भेजा ही जाए। साथ ही उनके आहार के लिए शासकीय चारागारों में उगाया हुआ चारा भी भेजा जाना चाहिए। जबलपुर में दयोदय पशु संवर्धन एवं पर्यावरण केन्द्र इस दिशा में सक्रियता के साथ कार्य कर रहा है।

अत: मेरा अनुरोध है कि इस सार्वजनिक ट्रस्ट को सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

[अनुवाद]

(पांच) महाराष्ट्र में बल्हारशाह रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस तथा चन्द्रपुर रेलवे स्टेशन पर अन्य नान-सुपरफास्ट रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर): बंगलौर और हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 2429-2430, बंगलौर राजधानी एक्सप्रेस तथा चेन्नई और हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 2433-2434 चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस का बल्हारशाह रेलवे स्टेशन पर नियमित ठहराव नहीं है अपितु, उनका वहां तकनीकी हाल्ट मात्र है। सवारियां जो इन रेलगाड़ियों से यात्रा करना चाहती हैं को सिकन्दराबाद/विजयवाड़ा से/तक टिकट खरीदना पड़ता है। इसी प्रकार बड़ी संख्या में रेलगाड़ियां सेन्ट्रल रेलवे के नागपुर-बल्हारशाह खंड के चन्द्रपुर रेलवे स्टेशन पर नहीं ठहरती हैं जबकि चन्द्रपुर जिला मुख्यालय है और वहां बड़े उद्योग, सुपर ताप विद्युत संयंत्र, सीमेन्ट संयंत्र हैं। यह अनुरोध है कि सरकार इस यात्री सुविधा वर्ष में राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को बल्हारशाह रेलवे स्टेशन पर नियमित ठहराव और चन्द्रपुर रेलवे स्टेशन पर कम से कम नान सुपरफास्ट रेलगाड़ियों को ठहराव देने की संभावनाओं का पता लगाए।

(छह) उड़ीसा में तालचेर-बिमलगढ़ रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू किए जाने तथा वर्ष 2003-2004 के बजट में इस रेल लाइन के निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): उड़ीसा की सरकार और उड़ीसा की जनता 40 वर्षों से भी अधिक समय से ही तालचेर बिमलगढ़ रेल लाइन के निर्माण की मांग कर रही है। कई बार सर्वेक्षण किया गया। रेलवे मंत्रालय द्वारा 2000-01 के दौरान किए गए नवीनतम सर्वेक्षण में तालचेर-बिमलगढ़ रेल लाइन को 154 कि.मी. लम्बा बताया है। इस पर 606.60 करोड़ रु. की निर्माण लागत आएगी और 10.18 प्रतिशत प्रतिलाभ दर प्राप्त होगा, यह लाइन पिछड़े जनजातीय क्षेत्र और वन एवं खनिज स्रोतों से संपन्न क्षेत्र से होकर गुजरती है और वाणिज्यिक दृष्टि से यह अत्यन्त ही लाभप्रद होगा। मैं सरकार और रेल मंत्री से इस रेल लाइन का निर्माण शीघ्र शुरू करने तथा इसे 2003-04 के बजट में अवश्य शामिल करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(सात) यमुना-सतलुज सम्पर्क नहर परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान यमुना-सतलुज लिंक नहर परियोजना की ओर दिलाना चाहता हूं। यह परियोजना गत लगभग दो दशकों से प्रारम्भ है किन्तु अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या देश का एक भाग सम्पन्न और समृद्ध बन जाये और दूसरा राज्य कंगाली के कगार पर आकर खड़ा हो जाये तो देश के इस विकास को उचित समझा जा सकता है। पानी की कमी का नाम देकर इस परियोजना के निर्माण को रोक दिया गया है। पानी की यदि कमी होगी तो सारा देश मिलकर इस चुनौती को स्वीकार करेगा और यदि जल की बहुतायत है तो उसे भी सारा देश सम्भालेगा। अभी उच्चतम न्यायालय ने निर्देश देकर परियोजना के निर्माण की तकनीकी खामियों को दूर कर दिया है और केन्द्र सरकार के लिये रास्ता साफ कर दिया है कि वह इसके निर्माण को अविलम्ब पूरा करे।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस परियोजना के निर्माण को शीघ्र पूरा किया जाये।

[अनुवाद]

(आठ) दक्षिण-पूर्व रेलवे में खड़गपुर और पंसकुरा के बीच तीसरी रेल लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर): दक्षिण-पूर्व रेलवे में खड़गपुर और पंसकुरा के बीच तीसरी लाइन बिछाए जाने के लिए लम्बे समय से मांग की जा रही है। दक्षिण-पूर्व रेलवे में हावड़ा-खड़गपुर खंड भारतीय रेल का सबसे व्यस्ततम मार्ग है। यह वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हावड़ा से पंसकुरा तक तीसरी लाइन थी। किंतु, खड़गपुर और पंसकुरा के बीच कोई तीसरी लाइन नहीं है। इसलिए प्रतिदिन अधिकांश रेलगाड़ियां तीसरी लाइन नहीं होने के कारण विलम्ब से चल रही हैं। भारत के दक्षिणी जोन और पश्चिमी जोन से आने वाली सैंकड़ों एक्सप्रेस, पैसेंजर और मालगाड़ियां इन अप और डाउन लाइनों पर विलम्ब से चल रही हैं। खड़गपुर रेलवे जंक्शन देश के सबसे बड़े जंक्शनों में से एक हैं। विश्व का सबसे लम्बा प्लेटफार्म खड़गपुर स्टेशन पर है। मेरा माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि लोगों की लम्बे समय से की जा रही इस मांग को यथाशीघ्र पूरा किया जाए।

[हिन्दी]

(नौ) महाराष्ट्र में बिजली की भारी कमी को पूरा करने के लिए राज्य में और अधिक विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में बिजली संकट बहुत उभर आया है। बिजली बहुत महंगी हो गई है। समय पर बिजली की उपलब्धता नहीं होने की वजह से किसान लोग बहुत परेशान हैं। सामान्य लोग भी बिजली की अनियमितता से बहुत चिन्तित हैं।

महाराष्ट्र में बिजली के इस महासंकट को देखते हुये नए पावर प्लांट लगाना बहुत जरूरी है।

मेरी आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री से विनती है कि महाराष्ट्र में जल्द से जल्द नये पावर प्लांट लगाये जायें।

(दस) हरियाणा के महेन्द्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल खोले जाने की आवश्यकता

डा. (श्रीमती) सुधा यादव (महेन्द्रगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) एक सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और इस क्षेत्र के लाखों नौजवान सेना में भर्ती हैं तथा एक लाख से अधिक इस क्षेत्र में सेवानिवृत्त सेना अधिकारी और सैनिक हैं। लेकिन इन सैनिकों के बच्चों के लिये इस क्षेत्र में कोई भी सैनिक स्कूल नहीं है, जिसके कारण यहां के सैनिकों के बच्चों को उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। वर्ष 1983 में तत्कालीन रक्षा मंत्री जी ने इस क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई जबकि सैनिक स्कूल खोलने के लिये क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत ने 300 एकड़ भूमि भी देने का प्रस्ताव कर दिया था। यहां के सैनिक तथा भूतपूर्व सैनिक स्कूल खोलने की लगातार मांग करते आ रहे हैं और मैंने भी इस संबंध में काफी प्रयास किये हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है।

अत: मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहती हूं कि महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) सैनिक बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते इस क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल खोलने के लिये उचित कार्यवाही के आदेश पारित करने का कष्ट करें।

अपराह्न 1.58 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

संयुक्त राज्य अमरीका और इराक के बीच बढ़ते तनाव के कारण अन्तर्राष्ट्रीय शांति को खतरा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे। यह चर्चा श्री नवल किशोर राय द्वारा शुरू की जाएगी। चूंकि वे सभा में उपस्थित नहीं हैं, अत: मैं उनके बाद के वक्ता श्री रामजी लाल सुमन को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं। लेकिन मैं

सदस्यगणों को यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार यह चर्चा दो घंटे की होगी। चूंकि माननीय विदेश मंत्री विदेश गए हुए हैं इसीलिए भूतपूर्व विदेश मंत्री ने उत्तर देने की बात स्वीकार कर ली है। अतः हम उन्हें चर्चा समाप्त होने के तत्काल बाद बुलायेंगे। वे इससे पहले भी सदन में आकर बैठ सकते हैं।

अपराह्न 2.00 बजे

लेकिन मैं चाहता हूं कि दो घंटे की चर्चा के उपरांत हम इस पर उत्तर सुनेंगे।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): यह एक महत्वपूर्ण चर्चा है और जहां तक कार्य मंत्रणा समिति इसके लिए समय नियत करने का प्रश्न है, हमने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था और इस पर चर्चा भी नहीं की थी। दो घंटे पर्याप्त होंगे। लेकिन यदि यह समय पर्याप्त नहीं होगा तब हम इसे कुछ और बढ़ा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: हम जहां तक संभव हो सके दो घंटे में पूरा करने का प्रयास करेंगे।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, कोई खास बात ही हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो दो घंटे काफी हैं।

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए मैंने कहा है कि यदि हो सके तो दो घंटे में पूरा करेंगे।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: इसमें पोलिटिकल पार्टीज का और कंट्री का यूनैनीमस ओपीनियन है, कोई डिफरैन्स आफ ओपीनियन नहीं है।

[अनुवाद]

मतांतर केवल हमारे विचारों को व्यक्त करने के संबंध में है। अतः दो घंटे पर्याप्त होंगे।

अध्यक्ष महोदय: हम इसे दो घंटे में पूरा करने का प्रयास करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जिससे सारी दुनिया चिंतित है, बहस प्रारम्भ करने का आपने मुझे असर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह सोचा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का लोकतंत्रीकरण हो और यह प्रयास किया जाए कि यदि कहीं विवाद हो तो उसका हल बातचीत के जरिये निकाला जाए। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं स्वयं यह मानता हूं कि अगर हमारी नियत साफ हो तो दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल न निकाला जा सके।

आज अमरीका इराक पर हमला करने के लिए उतावला है। हम युद्ध के परिणामों को जानते हैं। युद्ध तबाही और बरबादी देता है। युद्ध से किसी का हित नहीं होता, अहित ही होता है। जिस देश के विरुद्ध युद्ध होता है, वहां की जनता को उसके परिणाम भोगने पड़ते हैं। लिहाजा पूरी दुनिया में जितनी लोकतांत्रिक शक्तियां हैं, जितने अमनपसंद लोग हैं, उनका यह दायित्व है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में युद्ध न हो, इसका प्रयास हम लोगों को भी करना चाहिए।

हिन्दुस्तान गांधी जी का देश है और हम अहिंसा के पुजारी हैं। हमारा यह दायित्व और धर्म है कि इराक पर हमला न हो। दुनिया के किसी देश पर कोई दूसरा देश हमला न करे। इसलिए इसका हम न सिर्फ विरोध करें, बल्कि उसमें सार्थक पहल करें, हस्तक्षेप करें और अगुवाई करे। इसलिए मैं आपकी मार्फत यही कहना चाहूंगा कि आज जो अमरीका की दादागिरी है, जो रवैया है, अमरीका जो इराक में करना चाहता है, उसमें भारत को सार्थक पहल करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि खाड़ी का मामला या इराक का मामला इराक तक सीमित नहीं है। खाड़ी में हिन्दुस्तान के भी तीस लाख लोग रहते हैं। लिहाजा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर अगर वहां तनाव पैदा होता है तो उसका शिकार हमें भी बनना पड़ेगा। जहां तक देश के प्रधान मंत्री जी का सवाल है, उनका हम बड़ा सम्मान करते हैं। उनका और सरकार का दृष्टिकोण साफ है कि इराक का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ तय करेगा। दूसरी तरफ अमरीका का दृष्टिकोण यह है कि अगर संयुक्त राष्ट्र हमें सहयोग नहीं करेगा तो भी हम इराक पर हमला कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो हिन्दुस्ताम पहला देश था जिसने बिना किसी शर्त के अमेरिका का साथ दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि विश्व में जनमत अमेरिका के पक्ष में बना। हमारा फर्ज बनता है, धर्म बनता है कि हम भी अमेरिका पर दबाव डालें और यही प्रयास आज हम लोगों को करना चाहिए। अफगानिस्तान में कौन शासक था, कौन राजा था, कौन प्रधान मंत्री था, कौन राष्ट्रपति था। वह एक अलग सवाल है। लेकिन जब कोई युद्ध होता है तो परिणाम वहां की जनता को भुगतना पड़ता है और उसके परिणाम बड़े दुखदायी होते हैं। मैं समझता हूं कि अगर युद्ध होता है तो इसी तरह की पुनरावृत्ति इराक में होगी।

[श्री रामजीलाल सुमन]

अध्यक्ष महोदय, सही मायनों में झगड़ा हथियारों का नहीं है, अणु बम या परमाणु बम का नहीं है। सही मायनों में अमेरिका की नीयत इराक के तेल भंडारों पर कब्जा करने की है। इसी दृष्टि से ये सब काम किया जा रहा है। इराक के खिलाफ सुरक्षा परिषद् में प्रस्ताव 1441 आया कि इसके पास परमाणु हथियारों की जखीरा है। संयुक्त राष्ट्र में पांच सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य हैं और दस अस्थायी सदस्य हैं। सभी 15 देशों ने इस पर सहमति जताई कि इसकी जांच होनी चाहिए और एक्सपर्ट हैन्स ब्लिक्स को जांच करने के लिए कहा गया। जब उन्होंने जांच की तो जांच के बाद उन्होंने बताया कि हमें इराक में कुछ नहीं मिला। इसके बाद भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। ब्रिटेन, बेल्जियम और इटली को छोड़कर मैं नहीं समझता कि दुनिया का कोई देश अमेरिकी की इस दादागिरी के हक में है। जर्मनी, फ्रांस और रूस, ये सभी लोग युद्ध के विरोधी हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान साहब ने एक बार नहीं, अनेक बार कहा है कि युद्ध किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। हैन्स ब्लिक्स की जो रिपोर्ट है, उस पर हमें विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कतरन है। दुनिया के नोबल पुरस्कार विजेताओं ने संयुक्त रूप से अपील की है दुनिया से कि अमेरिका जो इराक पर हमला करना चाहता है, उसका हर कीमत पर विरोध होना चाहिए। यह बात सही है कि सुरक्षा परिषद् में अमेरिका की दादागिरी थी। लेकिन इस सवाल पर सुरक्षा परिषद् में भी अमेरिका अकेला पड़ गया। अमेरिका इराक पर हमला करना चाहता है। वियतनाम युद्ध के बाद, युद्ध के संबंध में अमेरिका का इतना विरोध दुनिया में कभी नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कार्यालय न्यूयार्क में है, उसी के पड़ोस में ढाई लाख लोगों ने प्रदर्शन किया और युद्ध विरोधी नारे लगाए। शिकागो में विरोध हुआ। यूरोप, बेल्जियम, ब्रिटेन में लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया। लंदन की सड़कों पर पांच लाख लोगों ने प्रदर्शन किया। इटली की राजधानी रोम में दस लाख लोगों ने मिलकर प्रदर्शन किया।

अध्यक्ष महोदय, अब तक कुल मिलाकर जो विरोध-प्रदर्शन हुए हैं, वे 600 शहरों के लगभग 60 लाख लोगों ने किए हैं और अमेरिका को इराक पर हमला नहीं करना चाहिए, इस प्रकार के नारे भी लगाए गए हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार अमरीका के 60 फीसदी लोग युद्ध नहीं चाहते। अमरीका के लोग भी युद्ध के खिलाफ हैं और उन्होंने नारा लगाया है कि बुश को हटाओ, बम नहीं गिराओ। पूरा विश्व जनमत इस लड़ाई के खिलाफ है। भाई दिग्विजय सिंह जी यहां बैठे हैं। वे विदेश राज्य मंत्री हैं। वे अभी पिछले आठ महीने में दो बार इराक हो आए हैं।

इराक हमारा दोस्त है। इराक का उदारवादी दृष्टिकोण है। अमरीका अपने को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देख मानता है, लेकिन इराक पर हमला करना चाहता है और हमें रोज सबक सिखाता है कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान को आपस में मिल बैठ कर बात करनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तरी कोरिया के बारे में अमरीका का क्या दृष्टिकोण है। अमरीका हर काम अपनी सुविधा के अनुसार करना चाहता है।

महोदय, आज संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थिति है वह ठीक नहीं है क्योंकि जैसा मैंने पहले निवेदन किया, अमरीका ने कह दिया कि उसे संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई परवाह नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारी क्या स्थिति है, हमें इस तरह भी देखना चाहिए। हम संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में से हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण में मार्शल टीटो के साथ-साथ पं. जवाहर लाल नेहरू का भी बड़ा भारी योगदान रहा है। हमने बार-बार गुहार की, बार-बार प्रार्थना की है कि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थाई सदस्य बनाया जाए, लेकिन हम अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य नहीं बन पाए। हम सात बार संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य रहे, लेकिन पिछले बार वर्ष 1996 में हम जापान से अस्थाई सदस्यता में भी हार गए। दुर्भाग्य की बात यह है कि अब हम सुरक्षा परिषद् के अस्थायी सदस्य भी नहीं हैं, लेकिन आगे आने वाले दो वर्षों के लिए पाकिस्तान सुरक्षा परिषद् का अस्थायी सदस्य बन गया है। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रभावी भूमिका, जो प्रभावी रोल होना चाहिए, वह नहीं है।

महोदय, खुशी की बात है कि फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भी आज अमरीका के विरोध में खड़े हो गए हैं, लेकिन सब से दुखद पहलू यह है कि सुरक्षा परिषद् की वीटो पावर का अधिकार है और भारत को हर कीमत पर इराक पर युद्ध करने के अमरीका के प्रयास का विरोध करना चाहिए। पांच महाशक्तियों में से कोई भी एक महाशक्ति यदि किसी सवाल पर वीटो कर दे, तो कितना भी गम्भीर मामला हो, उसको टाला जा सकता है। दुनिया के तमाम देशों ने इराक पर अमरीकी हमले का विरोध किया है और जहां तक मुझे जानकारी है, फ्रांस की संसद ने तो प्रस्ताव भी पास किया है। सही मायने में जो अब दस्तावेज प्रकाश में आए हैं उनसे लग रहा है और एक समाचार-पत्र वाशिंगटन पोस्ट में छपा है, उसके मुताबिक 1980 के दशक में स्वयं अमरीका ने ही इराक को इन हथियारों को बनाने और प्रोत्साहित करने में मदद की थी। दिनांक 20 दिसम्बर, 1983 को डोनाल्ड रम्सफैल्ड, जो इस समय अमरीका के डिफेंस सैक्रेटी हैं, सही नाम क्या है, इस बारे में दिग्विजय सिंह जी जानते होंगे क्योंकि वे बगदाद गए थे और 90 मिनट तक बातचीत की थी।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर सवाल है। जैसा मैंने पहले विनम्रता के साथ निवेदन किया कि युद्ध तबाही एवं बर्बादी देता

है। दुनिया के जिन हिस्सों में तनाव है, उस तनाव को दूर करने के लिए भारत को अहम् भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। पाकिस्तान के साथ हमारी जो समस्या है, मैं समझता हूं कि वह समस्या इराक से ज्यादा गंभीर है। हमें हर बार यह समझाया एवं बुझाया जाता है कि अमेरिका कोई मध्यस्थता नहीं करेगा, अमेरिका का कोई रोल नहीं है। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान को आपस में बैठ कर बात करनी चाहिए। जब यह सबक हमें अमेरिका सिखा सकता है तो हम अमेरिका से ही क्यों नहीं कह सकते कि दुनिया की कौन सी ऐसी समस्या है जो बातचीत के जरिए हल न हो सके, बशर्ते हमारी नीयत साफ हो। हमारे साथ अमेरिका और पाकिस्तान का क्या रिश्ता है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। वित्त मंत्री जी यहां तशरीफ रखे हुए हैं। आपका जो 2004 का बजट बनने वाला है, संभवत: अमेरिका ने भारत को 53.25 मिलियन डालर और पाकिस्तान को 326.25 मिलियन डालर देने की बात कही है। इसका मतलब यह है कि उसे हिन्दुस्तान की तुलना में पाकिस्तान के साथ ज्यादा हमदर्दी है।

महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं, यहां किसी पार्टी का सवाल नहीं है। यह संसद पूरे देश के सभी वर्गों और धर्मों का प्रतिनिधित्व करती है। मैं सत्तारूढ़ दल के लोगों से बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि उनके जो सहयोगी एवं मित्र हैं, वे इराक के सवाल पर, हमले के सवाल पर यह बयान भी देते हैं कि भारत सरकार को अमेरिका का समर्थन करना चाहिए। वे समाज का कोई भला नहीं कर रहे हैं। अभी प्रवीण तोगड़िया जी का बयान छपा। मल्होत्रा जी, आप क्यों हाथ हिला रहे हैं। ...*(व्यवधान)* आप पढ़े-लिखे हैं, लेकिन मैं भी थोड़ा-बहुत जानता हूं। आपका काम सरकार को बचाने का है। आप सरकार को बाद में बचा लेना। एक बार नहीं बल्कि अनेक बार बयान छपा कि भारत को अमेरिका का साथ देना चाहिए। अगर इराक पर युद्ध होता है तो मैं समझता हूं कि ये सब ठीक नहीं है। विजय कुमार मल्होत्रा जी, यह आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। अखबार आप भी पढ़ते हैं और मैं भी थोड़ी-बहुत जानकारी रखता हूं। आप जब अपनी बात कहें तो निश्चित रूप से इन सवालों पर चर्चा करिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत एक ही विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं, पूरे सदन की तरफ से यह भावना जानी चाहिए कि अमेरिका की जो खलीफागिरी, दादागिरी है, वह इराक पर हमला करना चाहता है और हमला ही नहीं करना चाहता है बल्कि डेढ़ लाख फौजें वहां इनकी तैनात हैं, उसके जो मित्र देश हैं, उनकी फौजें वहां तैनात हैं, अमेरिका का जो इरादा है, इनके उस इरादे की हम सिर्फ आलोचना नहीं करते, भारतीय संसद को प्रस्ताव पास करना चाहिए। महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं, आपकी तरफ से यह प्रस्ताव आना चाहिए कि अमेरिका का जो रवैया है, हम उसकी आलोचना करते हैं और किसी भी कीमत पर अमेरिका को इराक पर हमला नहीं करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि सदन में सब लोगों की भावना इसी के अनुकूल होगी। अगर इस तरह का संदेश भारत की संसद के मार्फत हम दुनिया को दे सकें तो मैं समझता हूं कि आपकी बड़ी कृपा होगी। मुझे यही निवेदन करना था।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, इस समय सदन जिस विषय पर चर्चा कर रहा है, यह विषय बहुत ही महत्व का है। संसार में युद्ध की विभीषिका इस समय छाई हुई है और सारा विश्व इस बात से त्रस्त है कि क्या आने वाले दिनों में कोई युद्ध होगा। निश्चित रूप से भारत युद्ध के खिलाफ है। चाहे कैसा भी युद्ध हो और कहीं पर भी हो, जब तक कि उसमें कोई अनिवार्यता न हो जाए। युद्ध की विभीषिका से सारा विश्व परिचित है। जितने युद्ध होते हैं, उनमें हजारों लोग मरते हैं, स्त्रियां विधवा होती हैं और बच्चे अपाहिज एवं अनाथ हो जाते हैं। खेत एवं खलियान उजड़ जाते हैं। ऐसे में युद्ध से बचना हरेक का काम है। हम भी निश्चित तौर पर चाहते हैं कि किसी तरह से भी युद्ध टालना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। यह जो बात कही जा रही है कि इराक के पास मास डिस्ट्रक्शन के हथियार हैं, कैमिकल वैपंस हैं, इस प्रकार की चीजें उसके पास हैं, जिनके आधार पर युद्ध की बात की जा रही है, अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वैपन इंस्पैक्टर्स ने भी यह बात आकर कही है कि ऐसे कोई हथियार वहां पर हैं, इसकी कोई जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं हुई। ऐसे हालात में जबकि इस प्रकार के कोई सबूत भी नहीं हैं, कोई ऐसी बात नहीं है और कुछ है भी, उसका भी अगर डिसआर्मामेंट करना है, इराक के इन हथियारों को नष्ट भी करना है तो वह संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से होना चाहिए। किसी एक देश को ऐसा कोई अधिकार नहीं मिल जाता कि वह इस प्रकार की बातों को लेकर अपने आप सारे विश्व का दरोगा बन जाये या सारे विश्व का सम्राट बन जाये। सारी दुनिया का केवलमात्र वही एक नेता है, ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है।

हम चाहते हैं कि अगर कोई केमिकल वैपंस हैं या दूसरे वैपंस हैं तो उनको नष्ट किया जाना चाहिए। उसके लिए भी विश्व जनमत तैयार हो और इसका कोई सबूत मिल जाये तो इस बात को देखा जाये। हम इस बात से भी सहमत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध रहना चाहिए। अलकायदा, बिन लादेन ने जो कुछ किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई विश्व में सब को मिलकर करनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ एक युद्ध चल रहा है, परन्तु आतंकवाद के युद्ध में अगर अमेरिका ईमानदार है और अमेरिका की ईमानदारी है कि वह आतंकवाद के खिलाफ युद्ध करना चाहता है तो उसे अपना टार्गेट, अपना निशाना इराक के बजाय पाकिस्तान

[डा. विजय कुमार मल्होत्रा]
को बनाना चाहिए। इराक को उन्होंने इस समय अपना निशाना बनाया हुआ है, जिसके यहां कोई सबूत नहीं मिल रहा है, परन्तु पाकिस्तान के सबूत तो जगजाहिर हैं। सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। जितने पाकिस्तान में अफगानिस्तान से अलकायदा के लोग भागकर आये, जितने तालिबान आये, सब पाकिस्तान में शरण लेकर बैठे हुए हैं। जितने लोगों को आबूधाबी में छोड़ा गया, वे सब आकर पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं। पाकिस्तान ने जिको पकड़ा था, उनको रिहा कर दिया है। पाकिस्तान हिन्दुस्तान के खिलाफ क्रास बोर्डर टैररिज्म में जो कुछ कर रहा है, उसके बारे में सदन में अनेक बार चिन्ता प्रकट की गई है। मैं सहमत हूं, अभी जो बात कही गई कि अमेरिका ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन बना रखा है, 326 मिलियन डालर की उसे सहायता दे रहा है। यह रुपया पाकिस्तान के पास जाता है तो वह क्रास बोर्डर टैररिज्म पर खर्च होता है, वह आतंकवाद को बढ़ाने में खर्च होता है, वह दुनिया में आतंकवाद फैलाने में खर्च होता है, वह अलकायदा और बिन लादेन की मदद के लिए खर्च होता है। वहां पर बैठी हुई ये ताकतें जो इस समय कर रही हैं, अमेरिका उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा।

बंगलादेश का एक नया केन्द्र बन गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने भी उसके बारे में बड़ी चिन्ता प्रकट की है, आसपास के लोगों ने भी चिन्ता प्रकट की है कि बंगलादेश एक नया सैण्टर बनता जा रहा है। अमेरिका को इसकी कोई चिन्ता नहीं है। अमेरिका दुनिया भर में अगर आतंकवाद खत्म करना चाहता है तो जो सममुच में आतंकवाद भड़का रहे हैं, उसके बारे में भी उसे चिन्ता करनी चाहिए। अमेरिका को यू.एन.ओ. को भी देखना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ को देखना चाहिए, उन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। यूरोप के अधिकांश देश उसे कह रहे हैं और उस समय जब यह कह दिया गया है कि कोई हथियार है ही नहीं, वहां हथियार नहीं पाये गये तो और समय दिया जाये। वहां इंस्पैक्टर्स देखें और हथियार मिल जायें तो सारी दुनिया मिलकर उन हथियारों को नष्ट करने के लिए प्रयास करे। डैमोक्रेटिक रिलेशंस से भी इस दिशा में कोशिश की जा सकती है, और तरीके अपनाये जा सकते हैं।

हमारे तो बहुत से आर्थिक हित भी इससे जुड़े हुए हैं। आज पैट्रोल एकदम से महंगा होता जा रहा है। अमेरिका इराक पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए या अपनी जिद पूरी करने के लिए उस पर हमला कर दे और यह दिखाये कि उसने इराक के ऊपर दो महीने, चार महीने के लिए कब्जा कर लिया तो उसका क्या असर होगा। हमारे लाखों लोग कुवैत में फंसे हुए हैं, हमारे लाखों लोग सउदी अरब में हैं, और जगह पर हैं, उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ती है, हमारे आर्थिक हित खतरे में पड़ते हैं। हमारे इराक से भी बहुत से आर्थिक हित जुड़े हुए हैं और इराक ने बहुत समय तक भारत की सहायता की है।

मैं कहना चाहता हूं कि यह कोई सिविलाइजेशन कान्फ्लिक्ट नहीं है। हम इसे बिल्कुल सिविलाइजेशन कान्फ्लिक्ट नहीं मानते, क्योंकि पहले भी जब अमरीका इराक का युद्ध हुआ था तो कई मुस्लिम देश अमरीका के साथ मिलकर लड़े थे। उस समय अमरीका और उन्होंने मिलकर कुवैत पर हमला कर दिया था। इस समय कोई सिविलाइजेशन कान्फ्लिक्ट है, कोई सभ्यताओं का संघर्ष हो रहा है या कोई मजहबों की लड़ाई हो रही है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इस कारण इसे ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। सारे विश्व के जनमत को देखकर इस समय वहां युद्ध नहीं होना चाहिए। अगर कोई हथियार हैं तो उनके लिए समय दिया जाये, उसे देखा जाये। इसके साथ-साथ केमिकल वैपन्स या मास डैस्ट्रक्ट्रशन वैपन्स को खत्म करने के लिए विश्व जनमत तैयार करें। अमरीका अगर सचमुच आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहता है तो पाकिस्तान के ऊपर वह अपना निशाना साधे, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): माननीय अध्यक्ष महोदय, विदेश राज्य मंत्री माननीय श्री दिग्विजय सिंह और उनके वरिष्ठ सहयोगियों द्वारा साऊथ ब्लाक में कार्यभार संभालने के पश्चात् से ही विदेश नीति में वे सभी खामियां पुनः उत्पन्न होने लगी हैं जिसे उनके पूर्व मंत्री ने ठीक करने का प्रयास किया था? मैं पूरी निष्पक्षता से यह कह रहा हूं कि वित्त मंत्रालय में श्री यशवंत सिन्हा द्वारा की गई अत्यधिक त्रुटियों को दूर करने का कार्य श्री जसवंत सिंह ने शुरू कर दिया है। शायद वास्तविक कमी प्रधान मंत्री जी द्वारा उन्हें गलत मंत्रालयों में नियुक्त करने का निर्णय है। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि अतीत की कमियां इस चर्चा में पुनः दोहरायी जायेंगी अतः मैं श्री दिग्विजय सिंह से अनुरोध करता हूं कि वे अपने वरिष्ठ सहयोगी को नियंत्रण में रहने की सलाह दें और सुनिश्चित करें कि उनके और श्री यशवंत सिन्हा द्वारा निर्धारित की जा रही भारत की विदेश नीति बिना उन त्रुटियों के चलाई जायेगी जो श्री जसवंत सिंह की कार्यावधि में व्याप्त थी।

मैं विशेषरूप से इस बात पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि श्री जसवंत सिंह द्वारा विदेश मंत्रालय छोड़ने के पश्चात् हमारे पास संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि द्वारा इराक के बारे में दिया गया एक अत्यंत महत्वपूर्ण बयान आया है। यह बयान सुरक्षा परिषद् में 17 अक्तूबर, 2002 को दिया गया। मैं नहीं समझता हूं कि इस बयान को और बेहतर किए जाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि यह विदेश नीति विशेषकर निर्मुक्त सदस्यों के संबंध में एक राष्ट्रीय सर्वसम्मति का आधार प्रदान करती है जो मैं खेदपूर्वक कहना चाहूंगा, वर्ष 1998 से 2002-03 तक विलुप्त रही है। अतः हमारी आशा थी कि सत्तापक्ष उन्हें हुए इस

नवीन ज्ञान के आधार पर पूरे देश की भावना कुआलालंपुर में प्रकट करेगा बजाए इसके कि केवल भारत सरकार के विचार ही स्पष्ट किए जाएं। मैं नहीं जानता कि राष्ट्रीय सर्वसम्मति की दिशा में ऐसा करने के लिए उन्हें किन कारकों ने रोका चूंकि विदेश नीति के संबंध में तो इस सभा में पारम्परिक रूप से सर्वसम्मति ही रही है और इस संबंध में किसी किस्म का टकराव तो कभी हुआ ही नहीं।

मुझे लगता है कि श्री बी.के. नांबियार द्वारा अक्तूबर, 2002 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में दिए गए बयान में अधिकांशतः उन बातों का समावेश था जिसकी आवश्यकता संसद में एक सर्वसम्मत विचार तैयार करने हेतु होती है, और अगर ऐसा किया गया होता तो यह बात कुआलालंपुर सम्मेलन कक्ष में भी सुनने को मिलती। लेकिन चूंकि सरकार यह करने की इच्छुक नहीं है, हम इतना ही कह सकते हैं कि श्री दिग्विजय सिंह अपने दाहिने ओर बैठे सज्जन की अनदेखी करते हुए उनके प्रतिपक्ष में बैठे हुए लोगों की बात ध्यानपूर्वक सुनें जिससे शायद वे इस देश को एक महान देश बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।

वर्ष 1998 और 2003 के बीच की त्रासदी यह है कि विदेश नीति के क्षेत्र में जिस देश के विचार विश्व की विभिन्न परिषदों में अत्यधिक सम्मान के साथ सुने जाते थे अब वह पिछलग्गू की श्रेणी में खड़ा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी के घुटनों को शल्यक्रिया द्वारा ठीक कर दिया गया है लेकिन सरकार के घुटने खराब हैं और वह लड़खड़ा रही है।

हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि विदेश नीति हमारी आंतरिक संप्रभुता की बाहरी अभिव्यक्ति है। जब तक हमारे पास साहस नहीं होगा और जब तक हमारे पास यह विश्वास नहीं होगा कि हम अपनी पूरी आवाज के साथ स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय मामलों में क्या कहना चाहते हैं, हमारी आवाज नहीं सुनी जायेगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास भारी सैन्य शक्ति नहीं है, हम आर्थिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली देश नहीं हैं, हमारे देश का अत्यधिक राजनीतिक प्रभाव नहीं है। हमारा देश एक ऐसा देश है, एक ऐसी सभ्यता है जिसने समय-समय पर विश्व को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नैतिकता का पाठ पढ़ाया है।

वर्ष 1946 में जब हम स्वतंत्र भी नहीं हुए थे, उस वक्त हमारे विदेश मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने निर्गुट की वकालत की और एक ऐसा समय आया जब निर्गुट नीति कमोबेश रूप में विश्व की विदेश नीति बनी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वर्ष 1947 और 1961 के बीच हमारा देश विश्व के दो विपरीत विचारधारा वाले ब्लाकों में अपना विचार रखने वाला एकमात्र देश था। गुट निरपेक्ष आंदोलन में वर्ष 1947 से 1956 तक एक सदस्य था। नौ वर्ष पश्चात् ही पांच अन्य देश ब्रुनेई में एकत्र हुए जिसकी परिणति आगे चलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में हुई। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के 14 वर्ष और गुट निरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांतों के प्रतिपादन के 16 वर्ष पश्चात् अर्थात् वर्ष 1961 में बेलग्रेड में हुआ।

इस अवधि के दौरान, जब हम विश्व में वास्तव में अकेले थे तो हमारी बातों को विश्व में तवज्जो दी जाती थी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोरिया प्रायद्वीप में चल रहा युद्ध तभी समाप्त किया जा सका था जब भारत को न्यूट्रल नेशन्स रिपेट्रिएशन कमीशन की चेयरमैनशिप स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया गया था और भारत-चीन युद्ध तभी समाप्त किया जा सका था जब भारत को इंडोचीन ने तीन देशों में इण्टरनेशनल कन्ट्रोल एण्ड सुपरविजन कमीशन का अध्यक्ष पद स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया गया था। हमारा विश्व में सम्मान था क्योंकि हमारा सभी से एक जैसा व्यवहार था अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में नैतिकता ही हमारा मुख्य आधार रही है। यदि हम विश्व में मात्र दूसरे दर्जे की शक्ति बनकर रहना चाहते हैं तो हमें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपनी बात कहनी होगी दूसरे लोगों द्वारा कही गई बातों को दोहराना नहीं होगा। बड़ी शक्तियों से डरना नहीं होगा। यदि हम विश्व में अपनी बात कहते है तो यह हमारी विदेश नीति की स्वतन्त्रता होगी जो कि हमारी आन्तरिक प्रभुसत्ता की बाह्य अभिव्यक्ति होगी। इस संदर्भ में यदि हम वाशिंगटन के आदेश पर साउथ ब्लाक में अपनी विदेश नीति बनाते हैं तो हम स्वतंत्र देश नहीं हो सकते। हमारे सामने यही मुद्दा है। पिछले दस वर्षों से हमारी विदेश नीति अस्पष्ट है। मैं विशेषरूप से 10 वर्ष कह रहा हूं क्योंकि मैं नहीं समझता यह कोई दलगत मुद्दा है। यह स्थिति दस वर्ष से कुछ पहले की है जब सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और वह विश्व मंच में कमजोर पड़ता जा रहा था। अतः चूंकि गुट-निरपेक्ष शब्द एक ब्लाक अथवा दूसरे ब्लाक से न जुड़ने का ही नाम था तो पिछले दशक से भारत में हमारे विदेश नीति निर्माता जिस समस्या का सामना कर रहे हैं वह यह है कि हम इस अनिर्पेक्ष विश्व में गुट निर्पेक्ष किस प्रकार बने रह सकते हैं। इसे तो नैतिक धर्मसंकट की स्थिति ही कह सकते हैं। और चूंकि हम इसका समाधान करने में एक राष्ट्र के रूप में सफल नहीं हुए हैं और क्योंकि गुट निरपेक्ष आन्दोलन इस मौलिक मुद्दे पर अपनी पकड़ एक आंदोलन के रूप में नहीं बना पाया है इसलिए गुट निरपेक्ष की आवाज और गुट निरपेक्ष आन्दोलन के जन्मदाता के रूप में भारत की आवाज इतनी कमजोर पड़ चुकी है कि विश्व मामलों में उसका कोई महत्व नहीं रह गया है। लेकिन हम एक नए ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं और विदेश मंत्रालय के पास अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अभी-अभी उभरे नये अवसर का लाभ उठाने का बेहतर मौका है।

[श्री मणिशंकर अय्यर]

महोदय, मैं आपका और इस सदन का ध्यान 'द इंडियन एक्सप्रेस' में पुन:प्रकाशित एक अत्यन्त रोचक लेख की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं जो कुछ दिन पूर्व ही एक भारतीय द्वारा जो अब अमरीकी नागरिक बन गया है और जिन्हें संयुक्त राज्य अमरीका में विदेश नीति के गुरू के रूप में समझा जाता है क्योंकि वह प्रसिद्ध विदेश नीति जर्नल के सम्पादक हैं। वे हमारे जाने-माने सहयोगी श्री रफिक जकारिया के पुत्र हैं और उनका नाम फरीद जकारिया है। फरीद जकारिया ने रोचक लेख में बताया है कि पश्चिम की अवधारणा हवाई धारणा है जिसका इतिहास में कोई आधार नहीं हैं।

पश्चिम विचारधारा का प्रार्दुभाव पूर्व विचाराधारा के प्रतिरोध में हुआ है। अन्यथा पश्चिमी इतिहास के हजारों सालों में पश्चिमी देश आपसी झगड़ों में ही उलझे रहे हैं। अत: ऐतिहासिक और सभ्यता के रूप में पश्चिमी स्थिति भी ऐसी ही अर्थात् पतन की है। यह शीत युद्ध के कारण विद्यमान थी। अब क्योंकि शीतयुद्ध समाप्त हो गया है और लोगों ने यह समझना शुरू कर दिया है कि यह किस सीमा तक समाप्त हुआ है और पश्चिम अपने पारम्परिक आपसी मदभेदों की ओर लौट रहा है। और हमें यह तभी दिखाई पड़ा जब यह घटित हुआ कि पश्चिम के अधिकांश देश एक तरफ हैं और अमरीका व इंगलैंड दूसरी तरफ हैं। लंदन-वाशिंगटन धुरी एक ओर है और दूसरी ओर पेरिस-बर्लिन धुरी है। पश्चिम यूरोप ने अपनी काफी पहले खोई हुई आवाज पुन: प्राप्त कर ली है। पुराने यूरोप ने अपने आप को पुन:स्थापित कर लिया है और एक नया यूरोप है जो आर्थिक रूप से वाशिंगटन पर निर्भर है लेकिन अन्यथा उसकी पश्चिम में अपनी पहचान है उनका पुनरुत्थान हुआ है उनमें जान स्टूअर्ड मिल, विल्सन चार्चिल की आवाज है और वे प्रजातन्त्र के लिए लड़े हैं और दबाव में मुक्ति मिली है और यूरोप में पुन: शान्ति की बहाली हुई है।

गुट निरपेक्ष आन्दोलन के स्थापना वर्षों के दौरान यूरोप पश्चिमी देशों का एक अभिन्न अंग था। आज यूरोप ने अपनी शक्ति स्थापित करनी शुरू की है और हमें गुट निरपेक्ष देशों और इस उभरते हुए यूरोपीय संघ के बीच यह अस्तित्व कायम करना होगा। उन्हें हमारी संख्या की आवश्यकता है। हमारी संख्या 114 है और हमें उनकी जाति, राजनीति और अर्थव्यवस्था के कारणों से उनकी आवश्यकता है। वाशिंगटन यूरोप की बात को ध्यान से सुनता है और एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका को कम महत्व देता है। ऐसी परिस्थिति में श्री दिग्विजय सिंह और उनके सहयोगियों के पास ऐसा ऐतिहासिक अवसर आया है कि वे इराक की चुनौतियों को इस तरह बदल दें कि हमारे विदेश संबंध ऐसे बन जाएं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आवाज को एक बार पुन: तवज्जो की जा सके। किन्तु यह ऐसा मौका नहीं है जो बार-बार आता हो। मैं समझता हूं कि वे शैक्सपीयर पर ही थे जिन्होंने 'हेमलेट' में कहा था कि ''मनुष्य अपने कार्य के बल पर महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लेता है और यदि वह इसमें विफल रहता है तो उसका अस्तित्व धूमिल हो जाता है।

महोदय, अब गुट निरपेक्ष सम्मेलन होने वाला है। मात्र तीन दिनों के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उपस्थित होंगे। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का विधिवत सम्मेलन होगा जिसमें 114 देश भाग लेंगे जिनमें से 113 देश श्री अटल बिहारी वाजपेयी की आवाज इस देश जिसने गुट निरपेक्ष आन्दोलन की स्थापना की थी, की आवाज के रूप में सुनेंगे। क्या वह इस अवसर का लाभ उठा पाएंगे। यह प्रश्न हमारे देश के पुरुष और महिलाएं एक दूसरे से पूछ रहे हैं और यदि इस समय हमने अपना मुंह बंद कर दिया और यदि हम गलत सोचने लगेंगे कि हमारे विचारों को वाशिंगटन अथवा लंदन गलत साबित कर देगा, तो नि:संदेह हम इस अवसर को गंवा देंगे। हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं और मैं समझता हूं कि सरकार यह समझ नहीं पा रही है कि यह चौराहा कितना महत्वपूर्ण है और सरकार दलगत भावना से यह कह देती है कि जो पांच साल पहले सत्ता में आए थे, वे गुट निरपेक्ष आन्दोलन के बारे में हमसे अधिक जानते हैं जबकि हमने इस देश को आजादी दिलवाई, गुट निरपेक्ष की विचारधारा का सृजन किया और इसे एक आन्दोलन का रूप दिया। उनमें इतना साहस नहीं है कि वे इस विजारधारा को समझें और अन्य देशों के साथ हाथ मिलाएं तथा पूरे विश्व को बताएं कि हमारी संसद को क्या कहना है। यह गहन मनोवैज्ञानिक अनुभूति है जो हीन भावना को दर्शाती है जो 1996 से साऊथ ब्लाक में प्रतिबिम्बित होनी शुरू हो गई थी।

हमें क्या करना चाहिए? हमें यह समझने की जरूरत है कि गुट निरपेक्षता के सिद्धांत का आधार केन्द्र बिन्दु यू एन चार्टर के समर्थन में है और संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों के समाधान का एक मात्र मंच मान रहा है। ऐसा नहीं है कि हम संयुक्त राष्ट्र की संरचना से संतुष्ट हैं। संभवत: जब हम संयुक्त राष्ट्र के गठन और उसके द्वारा सुरक्षा परिषद को दी गई शक्तियों को देखते हैं और संयुक्त राष्ट्र की महा सभा को नजरअंदाज करते हैं और जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को जो विशेष वीटो शक्तियां दी गई हैं, जोकि दूसरे विश्व युद्ध जो 57 वर्ष पूर्व समाप्त हुआ था, में अचानक एक ओर हो गए थे, को देखते हैं तो सच्चाई यह है कि यू.एन. चार्टर लगभग भारत के संविधान से मिलता-जुलता है जिसमें संशोधन करने के लिए प्रावधान है। यदि भारत के संविधान में 50 वर्षों में लगभग 100 बार संशोधन किया जा सकता है तो यू एन चार्टर को और अधिक लोकतांत्रिक संगठन बनाने के लिए उसमें संशोधन किये जाने की भी सम्भावना है।

अपराह्न 2.41 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

मैं संयुक्त राष्ट्र की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं बल्कि यह कह रहा हूं कि एक अवधारणा के रूप में यह विश्व शान्ति के लिए महत्वहीन है। पश्चिमी देशों का इतिहास काफी लम्बे समय से यह रहा है कि वे देश संयुक्त राष्ट्र को नजरअन्दाज करते रहे हैं जो उनके हितों के अनुकूल नहीं होता है जब फिलस्तीन का मुद्दा आया, फिलस्तीन का गठन हुआ, फिलस्तीन का विभाजन हुआ और इजरायल के निर्माण का प्रश्न उठा तो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमरीका ने एक होकर भारत की आवाज को दबाया जिसे भारत 1947 में भुगत चुका था: ''इस उपमहाद्वीप पर विभाजन की त्रासदी हुई है। कृपया फिलस्तीन में विभाजन की त्रासदी को पुन: मत दोहराइए क्योंकि एकता बनाए रखने के लिए आप विभाजन नहीं कर सकते।''

साम्राज्यवादी राज्य साइप्रस में भी वही करना चाहते थे। उन्होंने आयरलैण्ड में भी लम्बे समय तक यही किया है। किसी भी समस्या का हल विभाजन नहीं है यह भारत ही था जिसने 1947 में उस समय कहा था: ''पूरे पश्चिम एशिया में शान्ति बनाए रखने का एकमात्र हल फिलस्तीन, इजराइल संघीय राज्य का निर्माण करना है जहां फिलस्तीन और इजराइली क्षेत्रों को स्वायत्तता होगी लेकिन उस विशेष राज्य में व्यापक राष्ट्रीय मुद्दों के दृष्टिगत प्रजातान्त्रिक रूप से निर्वाचित फिलस्तीन इजराइल सरकार भी हो।''

हम मुद्दे पर नहीं थे हमने अपनी बात छोड़ दी। जब वर्ष 1950 में कोरियाई युद्ध शुरू होने वाला था। अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र से सोवियत संघ की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर शांति प्रस्ताव पर सहमति को पारित कराया और इसके अंतर्गत कोरिया में कार्य किया। लेकिन एक बार उनके द्वारा ऐसा किए जाने के पश्चात् सोवियत संघ अपनी वापसी के पश्चात् से 1950 के शांति प्रस्ताव पर सहमति पर कभी सहमत नहीं हुआ। अत: वियतनाम का पुरा युद्ध संयुक्त राष्ट्र की अनदेखी करके लड़ा गया। हम बारंबार यह पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र की अनदेखी की जा रही है। लेकिन यह अफगानिस्तान के संबंध में दोनों पक्षों के लिए भी सच था।

इन परिस्थितियों में शांति की एक ऐसी आवाज की आवश्यकता है जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों पर आधारित हो। यह शांति की आवाज गुट निरपेक्ष आंदोलन है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने नई दिल्ली में वर्ष 1983 में गुट निरपेक्ष आंदोलन के सम्मेलन का अध्यक्ष चुने जाने के अवसर पर गुट निरपेक्ष आंदोलन को विश्व का सबसे बड़ा शांति आंदोलन बताया था। क्या हम आज यह कह सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन-विश्व का सबसे बड़ा शांति आंदोलन है। अब यह महसूस होता है कि इसकी बैठकें यह निश्चित करने के लिए बुलाई जाती हैं कि इसकी अगली बैठक कब होगी! इस आंदोलन को पुनर्जीवित किया जाने की आवश्यकता है और इसके केवल दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि भारत के प्रधान मंत्री, संयुक्त राष्ट्र को डराने, धमकाने अथवा इस प्रकार का व्यवहार करने कि यदि आप हमारी इच्छा नहीं मानेंगे तब हम भी आपकी परवाह नहीं करते, अपने शांति की आवाज को पूरे बुलंदी के साथ उठाएं। इस समय यदि हमने अपनी आवाज को कुआलालंपुर में पूरी गूंज और स्पष्ट रूप से नहीं उठाया, गुट निरपेक्ष आंदोलन अपने उन उद्देश्यों जिसके लिए इसका सृजन किया गया था, के प्रति खरा नहीं उतरेगा।

साथ ही साथ यह आंदोलन हमारे लिए यूरोप से संपर्क करने का माध्यम है क्योंकि यूरोप एशिया का उसी प्रकार पश्चिमी प्रायद्वीप है जैसे कि दक्षिणी एशिया का दक्षिणी प्रायद्वीप है। हम यूरोप से जुड़े हुए हैं। हम भौगोलिक रूप से इससे जुड़े हुए हैं। वहां हम पाते हैं कि एक नई आवाज उभर रही है। फिर भी कुछ दिन पूर्व फ्रांस के प्रधान मंत्री जब भारत आये थे पश्चिमी यूरोप में फ्रांस के नेतृत्व में हो रहे उस ऐतिहासिक प्रस्ताव पर इराक और संयुक्त राष्ट्र के बारे में कुछ आमंत्रित शब्दों के अतिरिक्त कोई ध्यान नहीं दिया गया और शांति की आवाज उठाने हेतु नई दिल्ली और पेरिस के बीच एक नए सहयोग का कोई संकेत नहीं मिला।

मैं इसीलिए निराश हूं हालांकि माननीय श्री दिग्विजय सिंह ने अपने स्थायी प्रतिनिधि को अक्तूबर, 2002 में सही निदेश दिया था कि क्या फरवरी 2003 में वे संयुक्त राष्ट्र की गरिमा को वर्तमान में किए जा रहे प्रयासों के विरुद्ध शांति के पक्ष में स्पष्ट आवाज उठाने के प्रधान मंत्री को इसी प्रकार की सलाह देंगे। मैंने ''निर्लज्ज'' शब्द का उपयोग जानबूझकर किया है। वाशिंगटन से जिस प्रकार के भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, अमरीकी प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र में जिस प्रकार धमकी भरा रवैया अपनाया जा रहा है वह सभ्य व्यवहार में पूरी तरह अस्वीकार्य है।

महोदय, यह सच है कि हम एक विकासशील देश हैं और यह भी सच है कि अमरीका की सभ्यता विकसित हो रही है। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि अमरीका को इसे प्राचीन देश की आवाज जो शांति की है और जिसे बगैर किसी आडंबर के आधारित किया गया है को सुननी पड़ेगी। मुझे आशंका है कि विद्यमान सरकार वाशिंगटन से प्राप्त हैंडआउट्स से इतना प्रभावित है जिससे कि यह अपनी शक्तियां रोक सके और हमारे पास ऐसी सरकार नहीं है जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भावना को जारी रखने हेतु आवश्यक इच्छाशक्ति उपलब्ध करा सके जिससे कि गुट

[श्री मणिशंकर अय्यर]
निरपेक्ष आंदोलन पुन: उभर कर सामने आये और पश्चिम यूरोप का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत और निर्गुट आंदोलन के मित्र के रूप में बन रहे नए समीकरण का लाभ उठाया जा सके।

अब सरकार के पास इस इच्छा शक्ति का अभाव है लेकिन देश और संसद के पास इस इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है। हम बिना भय के अपनी आवाज उठाना जानते हैं। हमने इसे गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उठाया था। उन्होंने विश्व इतिहास में सर्वाधिक शक्तिशाली सैन्य शक्ति वाले साम्राज्य से मुकाबला किया था। यह साम्राज्य चंगेज खां अथवा तैमूर लंग से भी अधिक शक्तिशाली था। यह साम्राज्य हूण से अथवा मानव समाज को ज्ञात किसी अन्य साम्राज्य से भी अधिक शक्तिशाली था और गांधीजी ने अपनी एक आवाज में कहा, 'तुम्हारा कोई भी लक्ष्य मेरा नहीं है, तुम्हारा कोई भी साधन मेरा नहीं है और मैं तुम्हारे सैन्य शक्ति का उत्तर मेरे सैन्य बल के एक मात्र शस्त्र अर्थात् नैतिकता के बल से दूंगा।' हमने स्वतंत्रता संग्राम के इन मूल्यों को गुट निरपेक्ष दर्शन में शामिल किया जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारी विदेश नीति का आधार बनी।

गुट निरपेक्ष आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अहिंसा और सच्चाई का विस्तार है और हम जब तक इन सिद्धांतों पर दृढ़ रहेंगे हमारी आवाज आदर के साथ सुनी जायेगी। यह तभी हुआ कि हम इन सिद्धांतों से भटक गए और हमारी आवाज नहीं सुनी जाने लगी। लेकिन निश्चित रूप से यह सच है कि जब भी हमें अपनी आवाज को दूसरे की आवाज से दबा दिया अपने हितों की दूसरों के हितों के मुकाबले उपेक्षा की अन्य लोगों के सम्मुख अपनी क्षमता के आधार पर लाभकारी स्थिति में लाने की उपेक्षा की हमारा प्रभाव कम हुआ। हम दूसरी पंक्ति के दल के रूप में अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकते हैं। हम द्वितीय पंक्ति वाले देश के रूप में अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकते हैं। हमें हर समय अपनी कुछ विशिष्टताएं संचित करनी होंगी, बड़ी शक्तियों की हमारे लक्ष्यों और साधनों में तुलना में लगभग असमानता रखनी होगी क्योंकि यदि हम समानता रखेंगे तब हमारे लक्ष्यों की उनके लक्ष्यों की तुलना में था तो अनदेखी की जायेगी अथवा उनके साधन हमसे बेहतर होंगे।

विदेश नीति में इस विषमता को स्थापित करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता बाद में गुट निनरपेक्ष आंदोलन के रूप में जानी गई। इसीलिए इसका प्रभाव एक देश अर्थात् भारत से बढ़कर मलेशिया में एकत्र हो रहे 114 देशों तक विस्तृत हुआ? हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी के पास इस व्यापक ऐतिहासिक जिम्मेवारी को ध्यान में रखते हुए, हम उन्हें शुभकामना देते हैं लेकिन हम आश्वस्त नहीं हैं क्योंकि एनडीए गठबंधन की सरकार द्वारा कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है जिससे यह उम्मीद बढ़ सके कि माननीय प्रधान मंत्री जी इस ऐतिहासिक अवसर पर अग्रणी भूमिका निभायेंगे। हमें इस बात की निराशा है कि हमने सत्ता पक्ष से सहयोग करने की जो बात कही थी उसे उनके द्वारा कारण बताए बिना ही अस्वीकार कर दिया गया। इसमें हमारी क्षति नहीं है। उन्हें भी लाभ नहीं मिला है। यह क्षति पूरे देश की है और इसका लाभ युद्ध के इच्छुक लोगों को मिला है जो वास्तविक विश्व को समझने में अक्षम हैं, जिनकी अपनी प्रभुता बढ़ाने की कमी न पूरी हो सकने वाली लोलुपता न केवल इराक बल्कि पूरे विश्व के लोगों को खतरे में डाल रही है।

उन्होंने अर्थात् विश्व की सर्वाधिक बड़ी सैन्य शक्ति द्वारा अफगानिस्तान पर हमला किया गया जो विश्व का सबसे कमजोर देश है और इस पर आसमान से घमासान बमबारी की गई। वे असंख्य जानवर और हजारों अफगानी लोगों की हत्या करने में सफल रहे लेकिन उनका लक्ष्य ओसामा बिन लादेन बच निकला। वर्ष 1991 में हमने यही देखा था। उनके द्वारा बगदाद पर बमबारी की गई लेकिन उनके पास पैदल सेना से हमला करने का साहस नहीं था। क्योंकि वे इतिहास से जानते थे कि बगदाद को तुर्की साम्राज्य से अमरीकीयों द्वारा नहीं बल्कि भारतीय सेना ने मुक्त कराया था। इसीलिए बगदाद शहर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग, जहां मुझे 1976 से 1978 तक दो वर्ष के लिए तैनात होने का गौरव मिला था, का नाम आज भी ''अरसात अल इंडिया'' अर्थात् इंडियन कैंप कहलाता है। बगदाद को हमने ही कैप्टन डाउन्सन के नेतृत्व में बसरा से बगदाद जाकर और इसमें कई सैनिकों की कुर्बानी देकर मुक्त कराया था।

मैं नहीं जानता हूं कि सत्ता पक्ष को इसकी जानकारी है अथवा नहीं। महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि वर्ष 1919 से 1932 के बीच इराक पर ब्रिटिश अधिशेष की अवधि में इराक पर बम्बई प्रेजीडेंसी के एक जिले के रूप में बम्बई से शासन किया गया था। इराक से हमारी इतनी निकटता है। मैं सरकारों की बात नहीं बल्कि लोगों की सभ्यता की बात कर रहा हूं। इराक और भारत एक दूसरे से सदियों से जुड़े हुए हैं। अत: इराक पर कोई हमला, जो अनुचित और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अधिशेष प्राप्त नहीं है हमारे ऊपर हमला होने के बराबर है। इस प्रकार की घुसपैठ की कार्यवाही हो रही है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसी कारण से अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इस प्रकार की बातें भविष्य में घटित होने वाली हैं। उनकी आवाज उनकी मृत्यु के 20 वर्षों के पश्चात् ईश्वर की वाणी प्रतीत होती है क्योंकि जब उन्होंने ऐसा किया था लोगों को आश्चर्य हुआ कि इसका अर्थ क्या है। हमने विदेश मंत्रालय में इन शब्दों का इसका पूरा अर्थ जाने बगैर उपयोग किया था। अब आज हम यह जान पाये हैं कि घुसपैठ की कार्यवाही का अर्थ क्या है।

यदि इसी स्तर पर निरीक्षण किया जाएगा तो भारत द्वारा 15 वर्ष पहले किया गया प्रस्ताव जो कि संतोषजनक निरीक्षण राज पर आधारित है, संयुक्त राष्ट्र के एजेन्डे में सबसे ऊपर होना चाहिए और यह है 9 जून 1988 को संयुक्त राष्ट्र में श्री राजीव गांधी द्वारा प्रस्तुत परमाणु हथियार मुक्त और अहिंसक व्यवस्था हेतु कार्य योजना। अब इसी विचार के आधार पर सारे निरीक्षण किए जा रहे हैं। उस समय अमेरिका ने कहा, ''इस प्रकार का निरीक्षण नहीं हो सकता। अत: हम आपकी कार्य योजना को अस्वीकार करते हैं। आज उन्होंने बताई गई निरीक्षण व्यवस्था की सभी प्रकार की शुरूआत कर दी है लेकिन निरस्त्रीकरण के लिए कुछ नहीं किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका वह देश है जिसके पास शस्त्रों का भण्डार है लेकिन उसका कोई शत्रु नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास शेष विश्व से भी अधिक जन संहारक हथियार हैं। यह नीति इतनी अविवेकपूर्ण है कि वह विश्व को 17 बार नष्ट करने की क्षमता रखता है।

अब उसने रूस के साथ समझौता या कई समझौते किए हैं जिसके परिणामस्वरूप वे विश्व को तीन बार नष्ट कर सकते हैं। कोई एकदम उन्मत्त मानव जाति भी नहीं चाहेगी कि विश्व को एक बार भी बर्बाद करे और हम ऐसे देश के सामने घुटने टेक रहे हैं जो अपनी दादागिरी जमाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप को बिगाड़ रहे हैं।

मैं सभा को एक ऐतिहासिक बात की याद दिलाता हूं। 1930 में बैनिटो मुसोलिनी ने 'लीग आफ नेशन्स' की अवहेलना की, परिणामस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इस शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका मुसोलिनी की नकल कर रहा है। वह संयुक्त राष्ट्र की अवहेलना कर रहा है। उस समय 'लीग आफ नेशन्स' थी अब इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ है; परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि 1930 में जन संहार के जो हथियार थे वे आज उपलब्ध जन संहारक हथियारों की तुलना में कुछ नहीं थे।

यह बहुत अच्छी बात है कि श्री विजय कुमार मल्होत्रा ने आतंकवाद को उस मुद्दे से जोड़ा है जिस पर अभी चर्चा हुई हैं लेकिन इस मामले की सच्चाई यह है कि जो अमेरिका से परेशान हैं जिनके पास उसकी बराबरी करने को हथियार नहीं हैं, महात्मा गांधी को पसन्द करेंगे, ऐसा साधन चुनें जो हथियार से अलग प्रकार का हो। गांधी ने अहिंसा का मार्ग चुना और आतंकवादियों ने हिंसा का हथियार चुना है।

ओसामा बिन लादेन चाहे आप उसे पसंद करें या न करें, ने कहा है कि वह अत्याचारी का खात्मा कर देगा। उन्हें जिस अत्याचारी या महाशक्ति के लिए इगल शब्द का उल्लेख किया है वह अमेरिका का प्रतीक है। लेकिन वह महाशक्ति के चंगुल में क्यों आना चाहता है? विश्व व्यापार केन्द्र पर हमले में केवल अमेरिका के नागरिक ही नहीं बल्कि भारत के नागरिक भी मारे गये इसी प्रकार विश्व आतंकवाद से केवल अमेरिका का ही विनाश नहीं होगा बल्कि हमारा भी विनाश होगा।

श्री जार्ज डब्ल्यू बुश III—यह उनका पूरा नाम है- को यह बात शोभा नहीं देती कि हमसे पूछे बगैर हमारी तरफ से युद्ध करने का निर्णय कर लिया। हम युद्ध नहीं चाहते। युद्ध की स्थिति नहीं है। युद्ध का कोई कारण नहीं है। एक ही पक्ष युद्ध करना चाहता है, एक ही पक्ष को युद्ध करने की जल्दी है। जो भी हो इन सशस्त्र जलपोत सैन्य बेड़ों और हवाई जहाज के बेड़ों को हिन्द महासागर में तैनात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मैं विदेश सेवा में था, हमें आशा थी कि हिन्द महासागर शान्तिपूर्ण क्षेत्र होगा लेकिन आज इस प्रकार की बात केवल मजाक लगती है। हिन्द महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर है और उस क्षेत्र में वे जमे हुए हैं। हमें अपनी रक्षा करनी है। हमें अपने को बचाने का अवसर है। यूरोप में हमारे मित्र हैं जो विश्व को बचाने में हमारी मदद करेंगे लेकिन हमारी सरकार के विचार स्पष्ट नहीं हैं।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे लिए निर्णय की घड़ी है। व्यक्ति, परिवार और राष्ट्र के मामले में ऐसी स्थिति आती है जब स्थिति को स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है। यदि हम इसे समझ नहीं पाते हैं और संशय, उलझन, अवसर-वादिता और घरेलू आवश्यकताओं के अनुसार बदलती परिस्थितियों में ही फंसे रहेंगे तो इससे परेशानियां आएंगी। यह इतिहास से लिया गया सबक है। लेकिन मेरा आरोप है कि यह सरकार इसी प्रकार की उलझन और अनिर्णय की स्थिति में फंसी है। कल भी ऐसा ही हुआ। माननीय प्रधानमंत्री ने भाजपा संसद सदस्यों को संबोधित करते हुये कतिपय बातें कहीं और उसे बदला जाना है। उसमें परिवर्तन किया जाना है।

अमेरिकी कार्रवाई योजना की भूमिका बहुत पहले तैयार की गई थी। 12 दिसम्बर, 2001 को यह भूमिका तैयार की गई। उस समय अमरीकी प्रशासन के अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकारी ने कहा, हमें यह अवसर नहीं खोना चाहिए; हमें इस अवसर का उपयोग करना चाहिए। यह कार्य योजना विश्व व्यापार केन्द्र पर हमले के अगले दिन इराक पर आक्रमण करने की थी।

अपराह्न 3.00 बजे

ओसामा बिन लादेन का जो आडियो टेप दिखाया जा रहा है उसे भी इसी बात से संबंध है। विश्व के किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है। ओसामा बिन लादेन

[श्री रूपचन्द पाल]

सदैव सद्दाम के खिलाफ रहा है। उन्होंने साक्ष्य बनाने का प्रयास किया था। वे झूठ में संलिप्त हैं। उन्होंने कठपुतली खड़ा करने का प्रयास किया है। उन्होंने सात बार सेना के माध्यम से सत्ता हथियाने की कोशिश की है लेकिन वे इराक की जनता का दिल नहीं जीत सके। वे विश्व जनमत को यह विश्वास नहीं दिला सके कि इराक के विरुद्ध मामला बनता है। अमरीकी प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा है कि हम भारतीय अधिकारियों से मिले हैं और हमने उन्हें विश्वास में लिया है। अमरीकी विभाग के रिचर्ड हस—राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के सदस्य ने खाड़ी युद्ध के समय कहा है जिसे मैं उद्धृत करता हूं:

"अमरीका इराक पर सैन्य आक्रमण में भारत क सहयोग मांगेगा। भारत एक स्वाभाविक भागीदार और सहयोगी है।"

क्या भारत ने विरोध किया है। क्या भारत सरकार ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि वह सैन्य कार्रवाई का विरोध करेगा, वह इराक के विरुद्ध युद्ध की इन तैयारियों का विरोध करता है? भारत ने इस बात पर कभी भी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है कि वह युद्ध का विरोध करती है। सिद्धान्त एवं व्यावहारिकता में विवेक सम्मत तालमेल की बात कही गई है। इतिहास के इस भाग पर सिद्धान्त महत्वपूर्ण हो जाता है।

अब मैं राष्ट्रपति के अभिवादन जो कि उन्होंने संसद में 17 फरवरी, 2003 को दिया के भाषण से उद्धरण देता हूं।

"हम इस अप्रिय स्थिति के प्रति पूरे विश्व के साथ चिन्ता व्यक्त करते हैं..."

ऐसा तो वियतनाम युद्ध के समय भी नहीं हुआ है। विश्व के 20 मिलियन लोगों में से हाइड पार्क, ग्रेट ब्रिटेन, अमरीका, एशिया के देशों, अफ्रीका के देशों और लैटिन अमेरिकी देशों आदि से केवल दो मिलियन लोग एकत्रित हुए। इस अप्रिय स्थिति में हम पूरे विश्व की चिन्ता के साथ हैं। क्या कोई इस प्रकार की स्थिति से जिससे युद्ध की तैयारी चल रही है और प्रत्येक तैयारी इराक पर आक्रमण करने के लिए की जा रही है? ऐसा क्यों है? क्या इराक के खिलाफ आक्रमण का कोई मामला है? क्या ऐसा सद्दाम हुसैन के तानाशाह होने की वजह से है? क्या ऐसा इसलिए है कि वह प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं करते हैं? तथापि, क्या हमारे एक पड़ोसी देश का प्रजातंत्र में विश्वास है? अनेक ऐसे तानाशाह हैं जो नित अमेरिका की शरण में रहते हैं। अनेक तानाशाह उसके मित्र हैं और उसने सद्दाम हुसैन को तानाशाह के रूप में चुन लिया है। क्या ऐसा उनके द्वारा संकल्प 1441 का पालन न करने के कारण है? आपसे किसने कहा! आपने फाइल बना ली है। आपने संयुक्त राष्ट्र निरीक्षकों को दस्तावेज के दिए हैं और वे वापस चले आए हैं। वे क्या कहते हैं? आज तक इराक में जनसंहार के हथियारों का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। आज तक वहां परमाणु कार्यक्रम का कोई प्रमाण नहीं मिला है। 12 वर्ष तक के कठोर प्रतिबन्ध के बाद आप कल्पना करें कि ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। इस शासन पर कई मिलियन लोगों को केवल भोजन के लिए निर्भर रहना होता है। दवा के अभाव के कारण 5 मिलियन बच्चे या तो मर गए अथवा अमानवीय कष्टों को सह रहे हैं। इन 12 वर्षों में कम से कम 15 लाख लोग मर चुके हैं।

संयुक्त राष्ट्र आकस्मिक योजना निर्माताओं द्वारा तैयार किए गए अनुमान के अनुसार यदि यह युद्ध होता है तो और 10 मिलियन लोगों की दुर्दशा होगी। यह क्या होने जा रहा है? ईराक में क्या रह जाएगा? उनकी आधारभूत संरचना-विद्युत केन्द्र, विद्युत आयल फील्ड और सब कुछ बर्बाद हो गया है और 200 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य की संपत्तियां पहले ही बर्बाद हो चुकी हैं। यह सब किसलिए? ईराक के विरुद्ध कोई मामला नहीं है और यू एस ए जो दलीलें दे रहा है वे उसके अब तक के मित्रों-यूरोपियन संघ, नाटो सदस्यों, को स्वीकार्य नहीं है। अमेरिका के अंदर भी इन सभी चीजों के विरुद्ध जबर्दस्त विरोध है। विश्व के विभिन्न भागों में कई मिलियन लोग, जिनकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, शांति का आह्वान कर रहे हैं। हमारी भारतीय संसद का इस महत्वपूर्ण समय में स्पष्ट रूप से बोलने का कर्त्तव्य है कि हम इस सैनिक तैयारी, पश्चिम एशिया, खाड़ी क्षेत्र के राजनीतिक भूगोल को फिर से निर्धारित करने के लिए ईराक की प्रभुता पर आक्रमण की तैयारी का विरोध करते हैं। ईराक पर यह आक्रमण कुछ भिन्न तरह का है। इससे एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों में भारी परिवर्तन होगा और यह विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में बड़ा परिवर्तन करेगा। क्या संयुक्त राष्ट्र अप्रासंगिक रह जाएगा? क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् को अप्रासंगिक बनने दिया जा सकता है। विगत के युद्धों के हृदयविदारक अनुभवों पर मानव सभ्यता के अंग के रूप में सोपान-दर-सोपान कर बनाई गई संस्थाएं छिन्न-भिन्न हो जाएंगी और सिर्फ अमेरिका का हित साधन होगा।

श्री कालिन पावेल ने 23 जनवरी को सार्वजनिक रूप से कहा है कि जब तक उनका उद्देश्य पूरा होगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के सदस्यों, यूरोपीय संघ और अन्य देशों के बड़ी संख्या में लोगों की आवाज और जनमत पर ध्यान दिए बिना वह जो भी उचित समझेंगे, वैसा ही करेंगे। वे उनकी परवाह नहीं करते हैं। संयुक्त राज्य में जनसंहार के हथियारों का जखीरा है और वह कहता है कि वह गैर-परमाणु देशों के विरुद्ध भी परमाणु हथियारों के प्रयोग से नहीं हिचकेगा।

यदि यह सब जारी रहता है तो इस स्थिति में क्या हम अपने राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं, क्या यह संसद विश्व की जनता

के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं कि हम यह कहें कि हमारी साम्राज्यवाद विरोधी शानदार विरासत है जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम था? हमारी विदेश नीति दशकों से राष्ट्रीय सहमति पर आधारित रही है जो विश्व की समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर देता है। युद्ध और शांति के बीच इस समय ऐसा कोई चयन नहीं हो सकता और क्या हमें नहीं करना चाहिए तथा मुक्त रूप से युद्ध का समर्थन करने से बचना चाहिए। यह संदेह है कि यह सरकार गुप्तरूप से सैन्य कार्रवाई, ईराक पर आक्रमण के समर्थन के लिए स्वयं को तैयार कर रही है। सरकार का राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व है कि वह स्पष्ट रूप से बताए कि हम इसका विरोध करते हैं। आज तब उन्होंने नहीं कहा है कि वे ईराक पर सैन्य आक्रमण, इराक की संप्रभुता पर प्रस्तावित आक्रमण, व्यवस्था परिवर्तन के इस प्रयास का विरोध करते हैं। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? देश की सम्प्रभु शक्ति उस देश के लोग ही देश का भाग्य निर्धारण करेंगे।

कुछ नई अभिव्यक्तियां जैसे 'भौतिक अतिक्रमण' सामने आ रही हैं। जब इजरायल संयुक्त राष्ट्र के किसी भी प्रस्ताव की परवाह नहीं करता है तो कोई बात नहीं। जब हमारे मित्र उनकी उपेक्षा करते हैं और फिर संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी प्रस्तावों का कोई मायने नहीं। प्रस्ताव सं. 1441 को लीजिए। वे कहते हैं कि वे सभी 12,000 पृष्ठों का संपादन करेंगे। उन्हें किसने यह प्राधिकार दिया है?

संयुक्त राज्य सूचना देगा और उनकी अपनी एजेन्सी को देनी भी चाहिए। किंतु हम पाते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया है वह हास्यास्पद है, इंगलैंड के प्रधान मंत्री ने डॉजियर के रूप में निरीक्षकों को जो दिया था वह हास्यास्पद है। कुछ लेखों से कुछ पुराने दस्तावेज लिए गए थे। इन्हें व्यवस्थित और पुनः व्यवस्थित किया गया और दस्तावेज के रूप में रखा गया।

ऐसी स्थिति में इस संसद की क्या भूमिका होनी चाहिए? मैं सत्यनिष्ठा के साथ इस सरकार के साथ दलील देता हूं। हम विगत कुछ दिनों से एक स्वर में साम्राज्यवाद विरोधी और चौधराहट विरोधी अपनी शानदार विरासत के अनुरूप, हमारी स्वतंत्रता संग्राम की भावना और निर्गुट आंदोलन की भावना के अनुरूप हमें स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि यह संसद, यह देश, यह राष्ट्र ईराक पर ऐसे सैनिक आक्रमण जैसा कि यूएस-यूके गठबंधन द्वारा कोशिश की जा रही है, के विरुद्ध है।

यह लड़ाई सिर्फ तेल के लिए है, तेल पर आधिपत्य को लेकर है। यह सैन्य आक्रमण ईराक में समाप्त नहीं होगा। वहां बुराई की धुरी है। अफगानिस्तान ग्रिड के अंदर है। वहां कठपुतली सरकार स्थापित की गई है और दूसरी कठपुतली सरकार अथवा अधिरोपित सरकार थोपने की कोशिश है जिसकी बागडोर कुछ पूर्व अपराधियों के हाथ में होगी। क्या होगा? सद्दाम हुसैन नासिर के बाद अरब राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह अकेले व्यक्ति हैं जो ईराक को एक रख सके। यू एस ए ने ईरान के विरुद्ध ईराक का प्रयोग किया और उन्हें प्रोत्साहित किया जैसा कि उन्होंने अफगानिस्तान के मामले में किया। ओसामा बिन लादेन को उन्होंने पैदा किया। अब वे आतंकवाद से लड़ने के नाम पर यह कहते हैं।

वी एच पी के अन्तर्राष्ट्रीय के नेता श्री प्रवीण तोगड़िया कहते हैं कि: ''हम ईराक पर सैनिक आक्रमण में अमेरिका का समर्थन करेंगे'' क्यों? क्योंकि यह मुस्लिम देश पर आक्रमण है। सरकार को स्पष्ट रूप से कहना चाहिये कि श्री प्रवीण तोगड़िया ने जो कुछ कहा है वह सरकार का विचार नहीं है।

मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि ऐसी स्थिति जिसमें नई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना का प्रस्ताव है, जब राजनीति भूगोल के पुनर्निर्धारण, जब ईराक के तेल संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण और क्षेत्र को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, हमें अपने वक्तव्यों में सावधान रहना चाहिए। ईराक एक ऐसा देश है जो हमारा काफी पुराना मित्र है, सिर्फ यही नहीं कि यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यह कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन करता है, पाकिस्तान के विरुद्ध हमारे पक्ष में रहा है। उन्होंने हमारा समर्थन किया है।

हम तेल आयात पर निर्भर रहे हैं और विश्व मंदी की स्थिति में सैनिक आक्रमण के पश्चात् यदि यह थोड़ा लम्बे समय तक चलता है, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे तेल आयात का क्या होगा? हमारा ईराक में बढ़िया निर्यात बाजार है। खाड़ी क्षेत्र में लगभग 3.5 मिलियन लोग हैं और वहां से विदेशी मुद्रा आ रही है। इस सबका क्या होगा?

हमें खाड़ी युद्ध का अनुभव है। युद्ध केवल कुछ दिनों के लिए हुआ था और पेट्रोल पर उपकर लगाया गया था। हमें उन दिनों का कटु अनुभव है। इस सरकार की आकस्मिक योजना क्या है? सरकार कुआलालंपुर में क्या भूमिका निभाने जा रही है? जब यह प्रस्ताव रखा गया कि संसद में सर्वसम्मति से संकल्प स्वीकार किया जाए, तो हमें कहा गया कि विदेश मंत्री का हाथ नहीं बांधना चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता होनी चाहिए। कतिपय सिद्धांत हैं जो निर्गुट आंदोलन के आधार हैं। आप उन सिद्धांतों को क्यों नहीं दोहराते कि हम सैनिक आक्रमण के विरुद्ध हैं, हम चौधराहट के विरुद्ध हैं, हम यू एस और यू के की युद्ध योजनाओं के विरुद्ध हैं। यदि हम ऐसे संकल्प को स्वीकार करते हैं तो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा।

[श्री रूपचन्द पाल]

मैं समझता हूं कि इस मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री ने पहले ही माननीय प्रधानमंत्री से परामर्श कर लिया होगा। वे पीछे क्यों हट रहे हैं? क्या यह किसी गुप्त एजेन्डे के कारण है? क्या आप किसी समय गुप्त रूप से यू एस के दबाव के सामने समर्पण कर देंगे जब आपको कुछ लालच दिया जाएगा, जैसा कि कुछ अन्य मामलों में हुआ है? सत्तारूढ़ पक्ष, सरकार का राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व है कि वह स्पष्ट रूप से बताए कि जब विदेश मंत्री से यू एस के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की तो क्या हुआ वहां क्या बातचीत हुई? उन्होंने क्या कहा और हमने क्या कहा? क्या उन्होंने कहा, "आप स्वाभाविक मित्र हैं, हम सैनिक आक्रमण के लिए आपके सहयोग की आशा करते हैं।" आज तक, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है।

मैं अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा किंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि ईराक के संबंध में जो कुछ हो रहा है, उसके परिणामस्वरूप, न सिर्फ अरब देशों में कट्टरवाद बढ़ेगा अपितु प्रतिक्रिया स्वरूप पाकिस्तान में भी बढ़ेगा और इसका हम पर भी प्रभाव पड़ेगा। उप महाद्वीप में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान और अन्य स्थानों में लगभग 500 मिलियन मुस्लिम लोग हैं। ऐसी स्थिति में, जब भारतीय समाज को साम्प्रदायिकता के आधार पर बांटने की गहरी साजिश हैं जब प्रवीण तोगड़िया जैसे लोग कहते हैं कि चूंकि यह इस्लामिक देश पर आक्रमण है, हमें अमेरिका का समर्थन करना चाहिए, फिर सार्क देशों के साथ हमारे संबंध का क्या होगा? निर्गुट आंदोलन में हमारी स्थिति क्या होगी? इस सरकार में खड़ा होने और दृढ़तापूर्वक यह कहने, कि हमारा पक्ष यह है, ऐसा कहने की शक्ति ही नहीं है। इसकी बजाय हमें यू एस की युद्ध तैयारियों का विरोध करना चाहिए। वे हमारी विदेश नीति की पूरी बुनियाद को बर्बाद कर रहे हैं जो कि दशकों में तैयार हुआ है। यह सदैव ही राष्ट्रीय सर्वसम्मति पर बना है।

साम्राज्यवाद का विरोध हमारी विदेश नीति का मुख्य तत्व रहा है। अब यह सरकार अमरीकी इच्छाओं और उनकी कार्यवाही योजना के सामने घुटने टेककर स्वयं को उनका पिछलग्गू बना रही है। इससे हम विश्व में अन्य देशों के साथ-साथ एशिया, अफ्रीका और यूरोप में अपने मित्रों को खोते जा रहे हैं। यही समय है जब हमें खड़े होकर कहना चाहिए कि हम युद्ध का विरोध करते हैं और हम उनके स्वार्थ के लिए साधन बनने के लिए तैयार नहीं हैं। विश्व में सभी लोगों को शान्तिपूर्वक रहने का अधिकार है और यदि कोई समस्या है भी तो उसको राजनायिक तरीके से हल किया जाए और बातचीत के द्वारा शान्तिपूर्वक हल खोजा जाए। संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद् जैसी समुचित संस्थाओं और हमारी संसद को इसके लिए अपना-अपना योगदान करना चाहिए।

मेरा विश्वास है कि हमें भारत को अमरीका-इंगलैण्ड की गुटबाजी से दूर रखने के लिए सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित करना चाहिए। जिसने तेल भण्डारों पर कब्जा करने के लिए और खाड़ी क्षेत्र में अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए इराक पर हमला किया है और वे वहां अमरीकी प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं और दुनिया को अपने इशारे पर चलाना चाहते हैं जो कि अमरीका और उसके सहयोगियों के आदेश पर किया जाएगा।

महोदय, 1941 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व ही अत्यन्त महत्वपूर्ण बात कही थी जब वह चल रहे युद्ध की स्थिति पर उत्तेजित थे। वे लोग, जिन्होंने सत्यजीत राय की गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर पर बनी डाक्यूमेंट्री देखी है उसको इसके बारे में मालूम होगा अन्यथा वे काफी शान्त स्वभाव के व्यक्ति थे लेकिन युद्ध की स्थिति पर काफी उत्तेजित हो गए थे। अपने कमरे के एक छोर से दूसरे छोर तक घूमते हुए उन्होंने कहा था "मानवता पर विश्वास खो देना पाप है। शक्तिशाली और ताकतवर व्यक्ति इतिहास की प्रक्रिया को बदलने का प्रयास कर सकता है लेकिन साधारण व्यक्ति ही अन्तत: इतिहास की धारा बदलने में समर्थ होता है।" हमें इसमें विश्वास नहीं खोना चाहिए।

यह युद्ध की अवधि के दौरान टैगोर द्वारा लिखे गए उल्लेखनीय लेखों में से एक है। यह सभ्यता पर संकट का प्रश्न नहीं है जैसाकि कुछ सिद्धान्तवादियों द्वारा उठाया गया है। ऐसी स्थिति में हमें मानव सभ्यता को सुदृढ़ बनाने के लिए, मानव सभ्यता की रक्षा करने के लिए जिसे विश्व के देशों ने मिलकर बनाया है- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अधीन अधिकारों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् और मानव सभ्यता से जुड़े सभी मूल्यों की रक्षा करने के लिए योगदान करना चाहिए। इस समय हमें युद्ध से इन्कार करना चाहिए। हमें अमरीका द्वारा थोपे गए युद्ध को सर्वसम्मति से 'नकारना' चाहिए। हमें विश्व को बताना चाहिए कि इराक को एक अन्य महान शक्ति द्वारा अर्थात् विश्व के शक्तिशाली जनमत द्वारा बनाया जाना चाहिए। हमें उस आवाज में शामिल होना चाहिए। भारतीय संसद को शान्ति के पक्ष में और युद्ध के विरोध में आवाज उठानी चाहिए।

डा. बी.बी. रमैया (एलुरू): उपाध्यक्ष महोदय, आज हम इराक पर युद्ध के खतरे के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। पूरे विश्व का ध्यान इस विशेष मुद्दे पर टिका हुआ है। माननीय प्रधान मंत्री श्री वाजपेयी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भारत इस युद्ध का बिरोध करता है क्योंकि आरम्भ से ही हम अहिंसा के समर्थक है और हम गुट निरपेक्ष आन्दोलन के संस्थापकों में से भी एक हैं।

जैसाकि कुछ माननीय सदस्यों ने बताया है और मुझे विश्वास है कि हमारे प्रधान मंत्री कुआलालंपुर में होने वाले आगामी गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सम्मेलन में हमारे इस रुख को स्पष्ट करेंगे

और यह प्रयास करेंगे कि युद्ध को प्रोत्साहन न मिले। हम सभी को ज्ञात है कि 1990 में क्या हुआ था जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर आक्रमण किया था। उन्होंने सहायता मांगी थी, उस समय संयुक्त राष्ट्र ने यह सोचकर उनको सहायता दी थी कि शायद वे आक्रमण का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन आज मुद्दा बिल्कुल अलग है। युद्ध के पश्चात् क्या हुआ था जैसा कि श्री रूपचन्द पाल ने बताया है कि लाखों लोगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था। आज भी अधिकांश बच्चे अन्न और औषधियों के अभाव में जी रहे हैं। इराक पर लगाए गए प्रतिबंधों के प्रभाव काफी गम्भीर है जिनसे नागरिकों के जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

आज यह महसूस किया जा रहा है कि उसके पास कुछ विनाशकारी विचार मौजूद हैं। संयुक्त राष्ट्र ने एक शर्त रखी है कि इराक के अन्तर्राष्ट्रीय हथियार निरीक्षक दल द्वारा विनाशकारी हथियारों की तलाशी ली जाए। सद्दाम हुसैन इस पर सहमत थे। संयुक्त राष्ट्र के हथियार निरीक्षक दल ने हर सम्भव तलाशी ली लेकिन उन्हें वहां कोई विनाशकारी हथियार नहीं मिल सका। वे अधिक जानकारी चाहते थे सद्दाम हुसैन ने और निगरानी करने के लिए उन्हें अनुमति प्रदान की। इसलिए मैं समझता हूं कि संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद् की अनुमति के बिना इराक पर किसी प्रकार का आक्रमण अनुचित है।

हमारा देश युद्ध का भरपूर विरोध करता है पूरा विश्व इसके खिलाफ है। न केवल संयुक्त राज्य अमरीका में बल्कि विश्वभर में युद्ध के विरोध में आवाजें उठ रही हैं। ऐसी गम्भीर परिस्थितियों में मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार उचित दिशा में सकारात्मक कदम अवश्य उठाएगी।

हम सभी को मालूम है कि कुछ दिन पूर्व ही मुख्य हथियार निरीक्षक हैंस ब्लिक्स ने कहा था कि उन्हें ऐसे कोई शस्त्र नहीं मिले हैं जिससे यह पता चले कि इराक के पास विनाशकारी हथियार हैं। उन्हें इराक में हर कहीं जाने की छूट दी गई थी। वह निरीक्षण के लिए जिस स्थान में भी जाना चाहते थे जा सकते थे। ऐसी परिस्थितियों के अधीन संयुक्त राष्ट्र अथवा सुरक्षा परिषद् की अनुमति के बिना इराक पर किसी देश द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही वांछनीय नहीं है।

मुझे विश्वास है कि हमारी संसद और हमारी सरकार ऐसी किसी भी पहल का नि:संदेह समर्थन करेगी जिससे इराक युद्ध को टाला जा सके।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत अहम इश्यू है, जिस पर हम लोग बहस कर रहे हैं। न सिर्फ हमारा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया इंतजार कर रही है और देख रही है कि इराक का इस मामले के अंदर क्या होगा। हिन्दुस्तान के पूरी दुनिया के अंदर बहुत से दोस्त हैं, लेकिन अगर पिछले 50 साल के अंदर हम देखें तो हिन्दुस्तान के जो सबसे करीबी दोस्त रहे हैं, इराक उनमें से एक है। अगर हिन्दुस्तान के साथ सबसे ज्यादा दोस्ती इंटरनेशनली किसी ने निभाई है तो वह इराक ने निभाई है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमर्जैंसी लगाई थी और दुनिया के बहुत से मुमालिक अंगुली उठाने लगे थे, खासतौर से पाकिस्तान, तब भी इराक हिन्दुस्तान के साथ खड़ा था। आज इराक एक परेशानी के अंदर है लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं, जितने मेम्बर्स ने कहा कि युनेनिमसली रेजोल्यूशन होना चाहिए, यकीनन युनेनीमस रेजोल्यूशन होना ही चाहिए। अमेरिका का एटीच्यूड क्या है, आज वह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। रूस के बिखर जाने के बाद दुनिया की ताकत का तवाजुम बिखर गया है। मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट का कोई रेजोल्यूशन गवर्नमेंट आफ फ्रांस का एतजाज दुनिया के करोड़ों लोग, जो सड़कों पर निकल आए, जिन्होंने अमेरिका के खिलाफ आवाज बुलंद की, वह तमाम आवाजें अमेरिका को इराक पर हमला करने से बाज नहीं रखेंगी। यह हमारी मोरल जिम्मेदारी है कि हम इन हालात के अंदर दुनिया को बहुत सफाई के साथ बता दें कि हिन्दुस्तान इस माहौल और झगड़े के अंदर अपनी क्या राय रखता है। हमें वाजेह तौर पर दुनिया से करना चाहिए न कि सिर्फ इराक, बल्कि इस तरीके का वाक्या किसी भी मुल्क के साथ अगर कोई भी मुल्क करेगा तो हिन्दुस्तान उसका साथ नहीं देगा।

महोदय, आज अमेरिका इराक पर क्यों अटेक करना चाहता है, कौन सी वजुहात है। क्या इराक के पास खतरनाक किस्म के हथियार हैं, अमेरिका के पास नहीं हैं। क्या दुनिया के दूसरे मुल्कों के पास नहीं हैं। वे कौन सी वजह है? युनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन है कि इराक की तलाशी ली जाए। किसी भी कंट्री के लिए इससे ह्यूमिलिएशन नहीं हो सकता है, लेकिन वह एक कमजोर मुल्क है, वह यह भी बर्दास्त करने को तैयार है। युनाइटेड नेशंस के इंस्पेक्टर्स इराक के अंदर मौजूद हैं, वे एक-एक घर की तलाशी ले रहे हैं लेकिन आज तक कुछ नहीं निकला। दिग्विजय सिंह जी, आप और हम इराक गए थे, वहां हमने वह बंकर देखा। जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था तो उस बंकर के अंदर 500 औरतें और मासूम बच्चे थे। जिनके मर्द अमेरिका से लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें उन बंकरों में रखा गया था और अमेरिका ने जिन मिसाइल्स को छोड़ा था, उन बंकरों के चारों तरफ दीवारों पर हमने इंसानी गोश्त के निशानात देखे। हमने उन दीवारों पर वह चिपका हुआ गोश्त देखा। किस टेरेरिज्म की बात की जाती है, कौन सी कंट्री में टेरेरिज्म है, अमेरिका से बड़ा टेरेरिस्ट दुनिया के अंदर कोई दूसरा नहीं है। अगर इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा

[श्री राशिद अलवी]

टेरेरिज्म कोई पैदा कर रहा है तो वह अमेरिका कर रहा है और यह लड़ाई सिर्फ इज्जत की नहीं है बल्कि यह लड़ाई दुनिया के अंदर हुकूमत करने की है। कल ही किसी ने कहा कि जब मैं बुश की तरफ देखता हूं तो मुझे हिटलर का चेहरा नजर आता है, उसने यह बात बहुत सही कही। मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरी दुनिया के अंदर 77 बैरल एक दिन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अन्दर ब्रिटिश पैट्रोलियम इनर्जी इन्फोर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अमेरिका 1.7 मिलियन बैरल्स सऊदी अरब से इम्पोर्ट करता है। नाइजीरिया से 8.84 लाख बैरल करता है, 1.5 मिलियन बैरल वेनेजुएला से करता है, 2.5 लाख बैरल कुवैत से इम्पोर्ट करता है, 2.78 लाख बैरल अल्जीरिया से करता है, 77 हजार पर डे कनाडा से करता है और खुद 7.95 लाख बैरल तेल पैदा करता है। यह तेल का अथाह स्टोर किस लिए किया जा रहा है। इराक के साथ वार होगी तो यह तेल पूरी दुनिया को महंगी कीमत पर अमेरिका बेचने का काम करेगा, दुनिया को तबाह करने का काम करेगा।

मैं सरकार को मशविरा देना चाहता हूं कि सफाई के साथ हमें आगे आना चाहिए। हमारे जबानी जमाखर्च से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। हिन्दुस्तान को लौंग टर्म प्लानिंग सोचनी चाहिए। मैं आपसे सिर्फ एक एम.पी. की हैसियत से नहीं, हिन्दुस्तान के एक नागरिक की हैसियत से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, बहुत सारे दोस्तों ने तोगड़िया और बहुत सारे लोगों के नाम लिए, मैं उनके नाम भी नहीं लेना चाहता। मैं तो अर्ज करना चाहता हूं कि इन जैसे लोगों को साइकैट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, ये कमेण्ट करने के काबिल लोग नहीं हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर चाहे हिन्दू कम्युनलिस्ट हो, चाहे मुस्लिम कम्युनलिस्ट हो, चाहे हिन्दुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान के बीच में तनाव पैदा करने वाले लोग हैं, मेरा मशविरा है कि उनकी सिक्योरिटी विथड्रा कर लीजिए और उन्हें इजाजत दीजिए कि जो बोलना चाहें, बोलें। ब्लैक कैट के बीच खड़े होकर आप लोगों को गाली दे सकते हैं, लेकिन ब्लैक कैट को हटा दीजिए, जनता अपने आप समझ लेगी। वे तमाम लोग, जो इस मुल्क के अन्दर नफरतों की आंधी पैदा कर देना चाहते हैं, उनकी सिक्योरिटी आप विथड्रा कर लीजिए और उन्हें इजाजत दीजिए कि जो बोलना चाहें, आप बोल लीजिए। इस देश के अन्दर जो ताकतें कम्युनलिज्म पैदा करना चाहती हैं, उन्हें बंद कीजिए और इस मुल्क को मजबूत करने का काम कीजिए। अमेरिका को अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो सिर्फ एक रास्ता है।

आज पूरी दुनिया के अन्दर अमेरिका के मुकाबले पर कोई दूसरी ताकत नहीं है। रूस खत्म हो चुका है। हिन्दुस्तान के अन्दर वह ताकत है कि वह आज मेहनत करे। अगर आप मंदिर और मस्जिद के किस्से को बन्द कर दें, अगर छोटे-छोटे फायदे के लिए हिन्दू-मुसलमान की लड़ाई लड़ाना बन्द कर दे तो अमेरिका के मुकाबले पर आप खड़े हो सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। अमेरिका की बेहूदगी का जवाब सिर्फ एक है कि आज पार्लियामेंट के अंदर यूनानिमसली रैजोल्यूशन पास होना चाहिए और तय करना चाहिए कि इन तमाम बातों को खत्म करके हिन्दुस्तान को एक मजबूत मुल्क बनाएंगे। इतना मजबूत मुल्क कि अमेरिका का जवाब हम दे सकें।

आज यूनाइटिड नेशंस अमेरिका का खिलौना बना हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसकी भी यूनाइटिड नेशंस से इत्तला मंगानी चाहिए कि दुनिया के कितने मुल्कों के बारे में रैजोल्यूशन आपने पास किये, उन्हें किस मुल्क ने इम्प्लीमेंट किया, किस मुल्क ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। यासेर अराफात को इस्राइल ने उसी के मुल्क में उसी के घर के अन्दर हाउस अरैस्ट कर दिया। यूनाइटिड नेशंस खामोश बैठा रहा, अमेरिका खामोश बैठा रहा। दुनिया के तमाम मुल्क जुबान नहीं खोलते थे। एक मुल्क के हैड आफ दि स्टेट को इस्राइल ने बन्द कर दिया, कोई बोलने वाला नहीं था। अफगानिस्तान के अन्दर बिन लादेन के नाम पर अमेरिका ने अफगानिस्तान को तबाह करने का काम किया। उसमें हमने भी मदद की, बदकिस्मती की बात है। हिन्दुस्तान ने कहा कि हमारी जमीन भी ले लो, हमारा आसमान भी ले लो। मैं दूसरे मुल्कों की या पाकिस्तान की बात नहीं करना चाहता, वे जो चाहे करें, लेकिन हमें अपने बारे में सोचना पड़ेगा और जो काम आज अमेरिका इराक के साथ कर रहा है, कल को वह किसी के साथ भी कर सकता है। इन तमाम बातों का सिर्फ एक हल है और वह हल है, जो मैंने बताया। मैं लम्बी बात नहीं करना चाहता, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। दुनिया के अंदर इराक के इस वाक्ये से हमें सबक लेना चाहिए क्योंकि अभी भी वक्त है। ये दुनिया कमजोर आदमी को जिंदा देखना नहीं चाहती। ये दुनिया कमजोर आदमी की, कमजोर मुल्क की इज्जत नहीं करती। ये दुनिया सिर्फ ताकत की जुबान जानती है। अगर हिन्दुस्तान ताकतवर होगा तो हम छोटे मुल्कों की इज्जत को बचा सकते हैं।

आज सारे अरब वर्ल्ड में बेइंतहा दौलत है। हिन्दुस्तान अगर अपनी फारेन पालिसी थोड़ी सी बदलें तो उन तमाम कंट्रीज को दुनिया के अंदर लीड कर सकता है और एक बड़ी ताकत बन सकता है। आज सऊदी अरेबिया अपनी तमाम जगह अमरीका को देने के लिए तैयार है। टर्की अपने अड्डे अमरीका को देने के लिए तैयार है। वह इसलिए देने को तैयार नहीं है कि वह अमरीका से मोहब्बत करता है बल्कि वह अमरीका से खौफजदा है, अमरीका से डरता है। अगर हिन्दुस्तान के पास ताकत होगी तो आप उन सबको अपने साथ लेकर चल सकते हैं। इससे दुनिया के अंदर एक बड़ी ताकत पैदा होगी। अल्लाह मा इकबाल का एक शेर है:-

तकदीर के काजी का यह फतवा है अजल से।
है जुर्मे जइफी की सजा मर्गे मफाजात ।।

यह फैसला है खुदा का कि जो इंसान कमजोर होगा, जो मुल्क कमजोर होगा, जो कौम कमजोर होगी, मौत उसका मुकद्दर बन जायेगी। इसलिए इस दुनिया में इज्जत के साथ रहना है तो हमें ताकत हासिल करनी पड़ेगी। मेरा इस सरकार से आखिर में यही मशविरा है कि इराक के मामले में हमें एक रेज्योलूशन पास करना चाहिए और अब तक जो कुछ होता चला जा रहा है, उसको खत्म करके इस मुल्क को ताकतवर बनाने की कोशिश करनी चाहिए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के बारे में कहा गया है कि—

अरुणमहमधुमय देश हमारा,

जहां पहुंच अनजान क्षितिज को

मिलता एक सहारा।

आज नहीं सदियों से हमारा देश विश्वशांति का हमेशा से उपासक रहा है। विश्व के कितने ही लोग, कितनी ही कौमों के लोग कितनी ही विचारधारा के लोग इस देश के अंदर आये। जिसके बारे में कहा जाता है कि "सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तां हमारा। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गये जहां से मगर अब भी बाकी है नामो-निशां हमारा।"

जिस देश के बारे में ऐसा कहा जाता है, उस देश के संबंध में अगर कोई व्यक्ति, हमारे मणि शंकर अय्यर जैसी मानसिकता वाले व्यक्ति खड़े होकर हमें शांति पाठ की दुहाई देने की कोशिश करें और वह अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय देते हुए प्रधानमंत्री जी के कमजोर घुटनों की बात कहकर कि इस सरकार के घुटने ही आपस में लड़ रहे हैं, इस प्रकार की ओछी बात कहकर उन्होंने जिस मानसिकता का परिचय दिया है, हम उसकी निंदा करते हैं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 50 साल के शासन के अंदर 45 साल तक कांग्रेस का शासन रहा। कांग्रेस के शासन के अंदर इतनी बुराइयां पैदा हुईं, इतनी कमजोरियां पैदा हुईं, देश को इतना खोखला और कमजोर कर दिया कि उन बुराइयों से मुक्ति बनाने के लिए हमारी सरकार, एन.डी.ए. की सरकार ने पूरा प्रयास किया।...*(व्यवधान)* हमारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने पूरा प्रयास किया।...*(व्यवधान)* अब यह घुटनों के बल पर खड़े होकर पूरी ताकत के साथ दुनिया के सामने एक ताकत बनकर खड़ी है।...*(व्यवधान)* हमने परमाणु परीक्षण करके और अमरीका की धौंस में न आकर दुनिया को बता दिया कि हिन्दुस्तान कभी किसी के पराधीन नहीं रह सकता।...*(व्यवधान)* हमारे साम्यवादी मित्र हमें शांति पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उनसे भी शांति का पाठ सीखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये वही लोग हैं जो पहले एक खेमे का हमेशा समर्थन करते थे। अगर रूस के अंदर...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): यह इराक पर चर्चा है हम नहीं चाहते कि सदन अथवा राष्ट्र में इस बारे में मतभेद हो। हम सरकार के हाथ मजबूत करना चाहते हैं। अतः सत्ता दल के मंत्री को अपने सदस्यों को नियंत्रित करने दीजिए।...*(व्यवधान)* वह इस चर्चा को दलगत राजनीति का स्वरूप देने का प्रयास क्यों कर रहे हैं?

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावतः उन्होंने जो बात कही, उसी का मैं जवाब दे रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (बड़ोदरा): आपकी ओर से भी नियंत्रण होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावतः वह बात कभी भी शोभाजनक नहीं हो सकती।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः यह चर्चा अत्यन्त सौहार्द्रपूर्ण तरीके से चल रही है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावतः उपाध्यक्ष महोदय, हम यह कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने अनेक बार स्पष्ट कर दिया कि विश्व के अंदर कहीं भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। न अमरीका की इराक के साथ लड़ाई होनी चाहिए और न, उन्होंने तो यहां तक कहा कि भारत की पाकिस्तान के साथ भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हम लोग ऐसी विश्व शान्ति के पोषक रहे हैं। दुनिया में यू.एन.ओ. कमजोर नहीं होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ शक्तिशाली बनना चाहिए, यह बात प्रधानमंत्री जी ने कई बार कही है और हमारे मित्र बार-बार कह रहे हैं कि...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): ऐसी बात इधर से भी नहीं होनी चाहिए और उधर से भी नहीं होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको भी बोलने का चांस दे दूंगा।

...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत: इराक हमारा मित्र देश है। इराक के ऊपर अमरीका के हमले को कभी समर्थन देने का सवाल नहीं होता। हम कहना चाहते हैं कि एन.डी.ए. की सरकार न अमरीका परस्त है, न रूस परस्त है, एन.डी.ए. की सरकार भारत परस्त है और भारत के हितों को सर्वोपरि मान कर वह हमेशा विश्व के अंदर शान्ति स्थापित करने का पुरजोर प्रयास करेगी, इसमें किसी को तनिक मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। हमारे साम्यवादी मित्रों ने बार-बार किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर अपनी बात कही। व्यक्ति विशेष ने अपनी बात कही होगी लेकिन वे दूसरी बात क्यों भूल गए कि वे जिस विचारधारा के मानने वाले हैं, उसी विचारधारा के जनक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने कहा कि भारत को अमरीका की भर्त्सना करनी चाहिए, अमरीका का साथ किसी भी स्थिति में नहीं देना चाहिए, अमरीका इराक पर हमला नहीं करे, भारत को इस बात का प्रयास करना चाहिए। यह उन्हीं तोगड़िया जी की विचारधारा के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने कहा। इस बात को नहीं कहा गया और तोगड़िया जी की बात को बार-बार दोहरा रहे हैं कि उन्होंने यह कहा। यह व्यक्ति विशेष की बात हो सकती है, भारत सरकार की बात नहीं हो सकती। भारत सरकार हमेशा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धान्त को मानने वाली है, गुटनिरपेक्षता की नीति के अंदर विश्वास करने वाली है। एन.डी.ए. की सरकार उस नीति के ऊपर चल रही है और उस नीति को हरगिज आंच नहीं आने देगी, इतना हम एन.डी.ए. की ओर से देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं।

अमरीका दादागिरी करना चाहता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि अमरीका युद्ध के उन्माद के अंदर अंधा हो गया है और वह इराक को धौंस पट्टी में लेकर कभी कहता है कि वहां रासायनिक हथियारों का निर्माण हो रहा है। उसने यू.एन.ओ. से प्रस्ताव पास करवा कर वहां जांच करने के लिए इंस्पैक्टर भेज दिए। उन्होंने देखा कि जांच की रिपोर्ट में कुछ न कुछ तो आएगा लेकिन जब जांच की रिपोर्ट हंस ब्लिक्स ने प्रस्तुत की तो उसके अंदर आया कि वहां इस प्रकार के रासायनिक या विध्वंसक हथियारों का निर्माण नहीं हो रहा है, हमें ऐसा कुछ नहीं मिला तो अमरीका एकदम क्या बहाना ढूंढे।

मुझे बचपन की 'भेड़िया और मेमना' एक कहानी याद आ रही है। एक मेमना था जो पानी पी रहा था। नदी का पानी ऊपर से बह कर आ रहा था लेकिन एक भेड़िए के मन में आया कि उस मेमने का शिकार कैसे किया जाए। उसने कहा कि तुम पानी गंदा क्यों कर रहे हो। मेमने ने कहा महाराज, पानी तो ऊपर से आ रहा है, मैं पानी कहां गंदा कर रहा हू। उसने कहा कि नहीं, तुम्हारे पूर्वजों ने गंदा किया होगा, ऐसा कह कर उसने उस मेमने को मार डाला। मैं समझता हूं कि आज अमरीका उसी भेड़िए की प्रवृत्ति का शिकार होकर इराक जैसे राष्ट्र को अपनी ताकत के बल पर दबाना चाहता है और सारे विश्व को युद्ध के अंदर झोंकना चाहता है। लेकिन अमरीका की जनता ने वहीं के नगरों के अंदर लाखों की संख्या में प्रदर्शन करके, यूरोपियन मित्रों के देशों में भी यूरोपियन जनता ने लाखों की संख्या में लंदन में प्रदर्शन करके, रोम के अंदर प्रदर्शन करके या अन्य नगरों में प्रदर्शन करके यह जता दिया कि हम शान्ति चाहते है, हम शान्ति चाहते हैं, हम युद्ध हरगिज नहीं चाहते। इसलिए भारत हमेशा इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि मध्य पूर्व में किसी प्रकार का युद्ध नहीं छिड़े। वहां हथियारों के बारे में जो रिपोर्ट मिली है, रिपोर्ट देने वालों ने थोड़ा अधकचरा कह दिया कि वहां ऐसे अधूरे हथियारों का पता लगा है जिनके बारे में और जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है अथवा यह कहा कि विशेष प्रकार की विषैली गैस और ऐन्थ्रैक्स के बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त करनी है। मैं समझता हूं कि भारत को इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि वे एक बार पुनः हथियार निरीक्षकों को अवसर दे, यू.एन.ओ. के माध्यम से भेजे और वह वस्तुस्थिति की जानकारी करके वापिस विश्व को दे। लेकिन यह कोई बहाना नहीं होना चाहिए, युद्ध सरकार का अंतिम विकल्प होना चाहिए। हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, विश्व में शान्ति होनी चाहिए। हम शान्ति के उपासक थे, हैं और रहेंगे। दुनिया के केवल तीन देश हैं जो अमरीका की हां में हां मिला रहे हैं-एक इंग्लैंड है जो हमेशा साम्राज्यवादी मनोवृत्ति का शिकार रहा, दूसरा बेल्जियम और तीसरा इटली है। इन तीन देशों ने साथ दिया। इसके अलावा बाकी जो देश हैं, चाहे फ्रांस हो या रूस हो या जर्मनी हो और चाहे चीन हो, जिनके पास भी वीटो पावर है, उन तीनों देशों ने भी अमेरिका को इस बात के लिए रोकने का पुरजोर प्रयास किया है और वे चाहते हैं कि अमेरिका इस बारे में पुनर्विचार करे और ईराक के ऊपर हमला नहीं करे। हम चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ शक्तिशाली बने और वह किसी दुनिया की ताकतों का खिलौना नहीं बने। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ मिट गया तो दुनिया की जैसी भी पंचायत है और अगर वह पंचायत एक बार कमजोर हो गई तो दुनिया में फिर शांति स्थापित कराने के लिए बिचौलिए का काम, शांति स्थापित करने का काम फिर कौन करेगा? इसलिए भारत इस बात के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है कि यूएनओ ताकतवर बने। जो भी कार्यवाही हो, यूएनओ के माध्यम से हो और शांति स्थापित करने की बात को प्रमुखता मिले और विश्व की सुरक्षा परिषद के अंदर जो वीटो पावर जिन लोगों के हाथ में है, वे शक्तियां इस बात का निरन्तर प्रयास करें कि

अमेरिका को दादागिरी करने और ईराक के ऊपर हमला करने का और वहां के कुंओं में पाये जाने वाले पैट्रोल को देखकर जो अमेरिका साम्राज्यवादी मनोवृत्ति का खेल खेलना चाहता है, उसे रोकने का निरन्तर प्रयास करें। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार हमेशा गुटनिरपेक्षता की नीति में विश्वास करती रही है और भारत के हितों को सर्वोपरि मानकर अपने मित्र राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, मित्र राष्ट्र की जनता को शांति का संदेश देने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहेगी।

एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से 1919 में लीग आफ नेशन्स की स्थापना हुई थी लेकिन जो कमजोर बनी और कमजोर बनने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद 24 अक्तूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। आज उसका अस्तित्व एक प्रकार से खतरे में है। हालांकि काफी अन्नान साहब जो यूएनओ के महासचिव हैं, वह बहुत प्रयास कर रहे हैं और दुनिया की सारी ताकतें भी पूरा प्रयास कर रही हैं लेकिन अमेरिका कोई न कोई बहाना खोजकर हमला करने लग जाता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में आतंकवाद को मिटाने के नाम पर, तालीबानों से निपटने के नाम पर, वहां पर आतंकवादी ताकतों को नष्ट करने के लिए अफगानिस्तान की जनता को मुक्त करने के लिए जो भी प्रयास किए हों, उसमें हमने समर्थन किया था लेकिन ईराक के मामले में अमेरिका की इस प्रकार की दादागिरी की प्रवृत्ति का हम कभी भी समर्थन नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इस हाउस के अंदर बिना किसी देश की निंदा किए हुए यह संदेश जाना जाना चाहिए कि हम विश्व के अंदर शांति चाहते हैं। शांति संबंधी प्रस्ताव पारित होना चाहिए और यूएनओ सशक्त बने और सशक्त बनकर संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से इन शांति प्रयासों को और भी बढ़ावा मिले। जहां तक हथियारों की जांच का जो मामला है, दुबारा हथियारों का एक निरीक्षक दल मार्च में फिर से भेजा जाए जो और रिपोर्ट लेकर आ जाए। जब सद्दाम हुसैन ने घोषणा कर दी है कि हम दुनिया के लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आगे हम किसी भी प्रकार के आणविक या रासायनिक या विध्वंस हथियारों का निर्माण करने की नीति को त्यागने हैं और कभी नहीं बनाएंगे। जब ऐसा विश्वास दिलाया है तो हम समझते हैं कि उनकी बातों पर विश्व जनमत को भी विश्वास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जो 193 के अंदर जो बहस हो रही है, इस संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम हमेशा शांति के उपासक रहे हैं और हमारे मित्र राष्ट्र के लिए या दुनिया के अंदर कोई भी कितना भी शक्तिशाली राष्ट्र क्यों न हो, उसकी शक्ति उसके स्थान पर होगी। उसकी सही नीतियों का हम समर्थन करेंगे और गलत नीतियों का हम हमेशा विरोध करते रहेंगे और उसकी युद्धोन्माद वाली प्रवृत्ति को हम कभी भी समर्थन नहीं दे सकते। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो मुझे यहां बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): उपाध्यक्ष महोदय, आज कल हम चारों ओर आतंकवाद के बारे में सुन रहे है। कोई भी चर्चा कोई भी वाद-विवाद बिना आतंकवाद का नाम लिए पूरा नहीं होता। आप किसी को भी आतंकवादी बना सकते हैं आप किसी को भी भर्त्सना कर सकते है आप किसी भी कार्यवाही को आतंकवादी प्रायोजित कार्यवाही में अथवा आतंकवादी गतिविधियों को सहायता देने वाले गुट में परिवर्तित कर सकते है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए यह नया मन्त्र है। किसी सदस्य ने पिछले 50 वर्षों में कांग्रेस सरकार की कमजोरियों के बारे में बताया।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): आपको कोई नहीं कहना चाहिए बल्कि 'एक माननीय सदस्य' कहना चाहिए।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: ठीक है एक माननीय सदस्य ने यह कहा था। उन्होंने मेरी बात को ठीक किया।

उपाध्यक्ष महोदय, कृपया उन्हें कहे कि वह बीच में व्यवधान उत्पन्न न करें। मेरे दल के अलावा ऐसी कौन सा दल है जो आतंकवाद की टीम को इससे बेहतर संबंध करेगी। जिसने आतंकवाद के कारण तीन नेताओं को खोया है? हमने इन वर्षों में इसका मूल्य चुकाया है। कृपया ऐसा मत करिए कि कांग्रेस सरकार कमजोर रही है। हमने बंगलादेश युद्ध के दौरान भारतीय समुद्र में 'सातवें बेड़े' की चेतावनी का मुकाबला दिया था और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हार नहीं मानी। यह हर प्रकार की चेतावनियों का सामना करने के लिए तैयार थी और तब तक लड़ाई जारी रखने के लिए भी तैयार थी जब तक हम विजयी न हो जाए। इसलिए मैं इस बारे में किसी से शिक्षा नहीं लेनी चाहती और जैसाकि पहले भी कहा गया है कि हम नहीं चाहते कि सरकार और विपक्ष में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मतभेद हो। हम सभी विश्व में होने वाली घटनाओं के संबंध में चिन्तित है और चाहते हैं कि इन चुनौतियों का जिसे न केवल हम बल्कि हमारे पड़ोसी देश भी केरल राज्य विश्व भर के देश भी झेल रहे हैं का शान्तिपूर्वक हल निकाला जाए।

दशकों से हम भारतवासियों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरे के बारे में आवाज उठाई है। प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में भारत ने आतंकवाद के खतरे के प्रति विश्व समुदाय का ध्यान आकृष्ट किया है। किंतु, हमसे 'धीरे चलने को कहा गया; ये आत्म-निर्णय के लिए लड़ाइयां हैं, वे स्वतंत्रता की लड़ाइयां हैं लोगों से बात कीजिए; मोल-तोल कीजिए, समाधान निकालिए, आखिरकार, आपको

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा]

इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए, किन्तु न्यूयार्क में एक-एक हमला जिसमें न सिर्फ अमरीकी मारे गए अपितु सभी राष्ट्रों के लोग इस हमले में मारे गए और अचानक यह आतंकवाद के विरुद्ध विश्व युद्ध बन जाता है। क्या ऐसा इसलिए कि पिछले कई वर्षों में भारत सहित विश्व के अन्य भागों में जो हजारों लोग मारे गए वे महत्वपूर्ण नहीं थे? क्या ऐसा इसलिए कि पहले जो मारे गए उनका रंग शायद श्वेत नहीं था? किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। किंतु दूसरे देश के तीन हजार लोग मारे गए और एक खास देश के आंतरिक भाग पर हमला किया गया था और तब इसने आतंकवाद पर हमले की घोषणा की और विश्व को कहा गया, आप या तो हमारे साथ हैं, या हमारे विरुद्ध हैं; आप गठबंधन में शामिल होइये, अन्यथा आप आतंकवाद पर हमला के विरुद्ध है।

उसके बाद क्या हुआ? आप और हम हमला के साक्षी रहे हैं, मैं अफगानिस्तान पर बमबारी, कब्जा और शासन का उखाड़ फेंकना कहता हूं। मैं किसी भी शासन का बचाव नहीं कर रहा हूं। कृपया मुझे गलत नहीं समझें। मैं कहीं भी किसी भी दमनात्मक शासन का समर्थन नहीं करता हूं। किंतु जिस तरह से वे देश में घुसे, लोगों पर बम बरसाए जिसमें हजारों नागरिक मारे गए, हजारों भाग गए हैं अथवा क्यूबा और विश्व के अन्य भागों में कैम्पों में जानवरों की भांति पिंजड़े में डालकर ले जाया गया। हमने पूरे विश्व में दिखलाए गए तस्वीरों को देखा है। क्या लोकतंत्र अथवा अन्तर्राष्ट्रीय कानून का यही अर्थ है? अथवा मैं पूछता हूं, क्या यह विश्व का अर्थ है जिसमें उन लोगों द्वारा अपेक्षा की जाती है कि वे लोग जिनके पास सभी शक्तियां और हथियार हैं उनसे कमजोर लोगों को वे न्याय देंगे। अन्याय से हिंसा बढ़ती है और जब तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में न्याय की स्थापना नहीं होती हैं, विश्व में कभी भी शांति नहीं होगी? मैं आज बेहिचक यह कहना चाहता हूं।

संयुक्त राज्य में 11 सितम्बर की घटना के बाद, हमने देखा है कि क्या हो रहा है। एशिया को लक्ष्य बनाया गया है, अल्पसंख्यकों को लक्ष्य बनाया गया है, सभी प्रकार के दमनात्मक कानून और व्यवस्था बनाए जा रहे हैं, और प्रत्येक लोग जो किसी खास समुदाय से है, खास देश के हैं को देश से निकाला जा रहा है अथवा संदिग्ध आतंकवादी के रूप में चिन्हित किया जा रहा है अथवा आतंकवादी के साथ संबंध रखने वाला कहा जा रहा है। भय की मनोदया-यदि मैं कहूं-संदेह की नई विश्व व्यवस्था में तथा एक को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने से पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के अन्य भागों में आज अधिक से अधिक तनाव पैदा हो रहा है। और अभी भी उनके सब कुछ करने के बाद भी विश्व के अनेक भागों में अभी भी अल कायदा मौजूद है। अभी भी माना जा रहा है कि बिन लादेन जीवित है और अपने संदेश भेज रहा है। अन्य नेता जिन्हें वह बम बरसा कर मार देना चाहते थे भागने में सफल रहे। और अफगानिस्तान तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों को ध्वस्त करने और निर्दोष लोगों को बेघरबार करने के अलावा उनकी उपलब्धि क्या रही है? और अब, ऐसा करके उन्होंने सद्दाम की ओर ध्यान दिया है? ठीक है, हम अफगानिस्तान के साथ समाप्त करते हैं, वे नहीं।

हमें इस बिन्दु पर बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए अमरीकी सेना आज भी पूरे अफगानिस्तान में जमीनी लड़ाई में लगी है। रूसियों ने अफगानिस्तान के जनजातियों पर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया, उन्होंने इसका मूल्य चुकाया और वापस लौट गए। यह कहा जाता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत राष्ट्रपति को, जब वह भारत आए थे यह सलाह दी थी कि अफगानिस्तान के मामले में नहीं फंसे क्योंकि ब्रिटिश भी और सदियों से कोई भी अफगान जनजातियों पर आधिपत्य नहीं बना पाया था। अब अमरीकी गए हैं। हम देखते हैं क्या होता है। हमने सोचा कि वियतनाम युद्ध से उन्होंने सबक ले लिया है, परन्तु अब भी ऐसा लगता है कि और विश्व के इस भाग में उन्हें अभी भी सबक लेना है और अब, सद्दाम हुसैन की बारी है। उन्होंने सोचा, "हम बिन लादेन को नहीं पकड़ सके, हम सद्दाम हुसैन को पकड़ लेंगे और इसलिए आपको सद्दाम पर अवश्य हमला करना चाहिए। आपको ईराक पर जरूर हमला करना चाहिए आपको ईराक पर बमबारी करना चाहिए, आपको ईराक पर कब्जा करना चाहिए आपको ईराक पर नियंत्रण करना चाहिए और आपको अपने अनुकूल तथा मित्रवत शासन व्यवस्था देना चाहिए जो आपको मध्य पूर्व के तेल संसाधनों पर नियंत्रण करने में मदद करेगा।" यह पूरी योजना है। हमें इस पर सरलता से और ईमानदारी से देखना चाहिए।

जैसा कि कहा जा चुका है, इसका कोई महत्व नहीं कि वे क्या विनष्ट करते हैं। "अमरीकी गरूड़ को झपट्टा मारना चाहिए और अपना शिकार पकड़ना चाहिए।" यही युद्धघोष है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने युद्ध योजना का समर्थन करने से इंकार कर दिया है। हथियार निरीक्षकों ने और अधिक समय मांगा और इसने अपने हाल के रिपोर्ट में बिल्कुल स्पष्ट कहा है। यहां यह मेरे पास है और मैं यह दिखलाने के लिए कि उन्हें वहां जनसंहार का कोई भी हथियार नहीं मिला है, यह उद्धरण देता हूं। यह प्रतिवेदन है और इससे यह उद्धृत करता हूं:

"यद्यपि कि संयुक्त राज्य और यू के ने युद्ध के लिए प्राधिकृत करने वाले दूसरे प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए विलम्ब के दूसरे प्रस्ताव को इस्तेमाल करने की आशा की थी, इसका बिल्कुल विपरीत परिणाम निकला। गार्डियन में छपा है" फ्रांसीसी और रूसी विदेशी मंत्रियों की कल (थुरर्वार) परिषद् के चैम्बर में अत्यन्त ही दुर्लभ प्रशंसा की गई जब उन्होंने निरीक्षकों के लिए अधिक समय मांगा, जो कि कालिन पावेल, यूएस सेक्रेटरी आफ स्टेट के मन्द

स्वर और संवेदनशील दबाव का समय समाप्त हो चुका है, निष्ठुर शांति के बिल्कुल उलटा है।

"संयुक्त राष्ट्र को एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट में मुख्य निरीक्षक हैन्स ब्लिक्स ने ईराक को एक मिली जुली समीक्षा दी-यद्यपि कि आज का मूल्यांकन जनवरी के मूल्यांकन की अपेक्षा काफी कम कड़ा था। उन्होंने पुन: ईराक के एन्थरैक्स और 'नर्व एजेन्ट वी एक्स' के भण्डार, इसकी लम्बी दूरी तक मार करने वाले मिसाइलों के बारे में प्रश्न उठाया, किन्तु कालिन पावेल द्वारा सुरक्षा परिषद् में प्रस्तुत किए गए दो उपग्रह चित्रों पर भी आघात किया। पावेल ने तर्क दिया था कि इन चित्रों से पता चलता है कि ईराकी निरीक्षकों से बचने के लिए अपने हथियार कतिपय स्थानों से हटा रहे हैं। उन्होंने कहा, किसी स्थान पर युद्ध सामग्रियों की तथाकथित संचालन संभावित निरीक्षण के अनुमान में प्रतिबंधित युद्ध सामग्रियों के संचलन की भांति की नियमित कार्यवाही हो सकती है।"

यूएस निरीक्षकों की रिपोर्टों ने यूएस और यूके के अनेक अपुष्ट रिपोर्टों जिस पर वे विश्व का विश्वास जीतने का प्रयास कर रहे थे की पुष्टि नहीं की। और अब उनके सामने यह है। किंतु जार्ज बुश क्या कहते हैं? मैं उनके वक्तव्य उधृत करता हूं:

> "यदि आप शांति बनाए रखना चाहते हैं, आपको बल प्रयोग का प्राधिकार है," बुश ने कहा, उन्होंने और आगे कहा, "यदि संयुक्त राष्ट्र इस समस्या से नहीं निपटा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और हमारे कुछ मित्र ऐसा करेंगे।"

अपराह्न 4.00 बजे

दूसरे शब्दों में, यह संयुक्त राष्ट्र को चुनौती है। हम चाहते हैं कि आप वह करें जो हम कहते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, हम किसी भी तरह से ऐसा करेंगे। क्या यह अंतर्राष्ट्रीय कानून अथवा विधि का शासन है। क्या यही हम विश्व में तथाकथित सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र, जो वह दावा करते हैं, से अपेक्षा करते हैं? यह काहा जाता है कि 91 महीनों किए गए 6,000 निरीक्षणों में से सिर्फ 100 मामलों में ही निरीक्षकों और ईराकियों में मतभेद है। 6000 निरीक्षणों में से। इसके बाद भी हमें यह कहा जा रहा है कि निरीक्षण के लिए की गई प्रतिबद्धताओं का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। इन दो देशों के द्वारा, न कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव द्वारा ईराक के साठ प्रतिशत क्षेत्र को 'उड़ान रहित क्षेत्र' घोषित कर दिया गया है। कोई भी ईराकी जहाज नहीं उड़ सकता है। कोई भी उसके ऊपर नहीं उड़ सकता है। सिर्फ यू एस और ब्रिटिश बमवर्षक तथा यु-2 विमान निगरानी के लिए उड़ सकते हैं। दूसरे सबके लिए यह बंद है। ये कुछ तथ्य हैं जो हमारे सामने हैं।

नि:संदेह, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, यूएस दबाव में और संभव: इस नारे में या तो आप हमारे साथ हैं अथवा आप हमारे विरुद्ध हैं इसलिए गठबंधन में शामिल हों गये, के प्रभाव में छोटे पूडल की भांति राष्ट्रपति के गोद में बैठ गए और अपने स्वामी द्वारा बजाई गई धुन पर नाचने लगा। इजरायल संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का उल्लंघन करता रहा है और फिलीस्तीन के खिलाफ अपनी आक्रामक कार्रवाई कर रहा है किंतु, कोई भी कुछ नहीं कहता। अरब शांतिपूर्वक समाधान निकालना चाहते हैं, किंतु उनकी अपनी सीमाएं हैं। सौभाग्यवश विश्व के लिए यूरोपिय संसद और यूरोपियन संघ के खतरे की घंटी बजा दी है। फ्रांस ने दृढ़तापूर्वक और स्पष्ट रूप से साथ देने से मना कर दिया और जर्मनी ने अपनी आपत्तियों के बारे में शांति से काफी कुछ कहा है।

किंतु श्री जसवन्त सिंह के पिछले कई वर्षों के कूटनीतिक संतुलन स्थापित करने के सभी प्रयास, सरकार के संतुलन स्थापित करने के प्रयासों के बाद समय-समय पर इसके ध्यान और मौन की अवधियों के बाद, इसके आरोपों और पाकिस्तान को संलिप्तता के प्रभाव के बाद भी पाकिस्तान की निंदा नहीं की गई। यद्यपि कि पाकिस्तान के विरुद्ध यूएस ने समय-समय पर कुछ कहा है, अभी भी वह सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं कि आतंकवाद के विरुद्ध वह उनका रणनीतिक साझीदार है। इसलिए वे बने हुए हैं, उनका परमाणु अधिष्ठापना है और उनका अपना कैम्प है। वे अपनी इच्छानुसार सब कुछ करते हैं लेकिन अमरीका उन्हें अथवा उत्तर कोरिया को किसी प्रकार परेशान नहीं करेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके लिए आज आतंकवाद के लिए अफगानिस्तान के बाद केवल सद्दाम और इराक जिम्मेवार है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमारी क्या स्थिति है? हमने दक्षेस को क्यों रोका हुआ है। हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भर्त्सना क्यों की है? हम संयुक्त राष्ट्र में बारंबार क्यों चुप रहे हैं। एक समय भारत की आवाज आदर के साथ उन लोगों द्वारा सुनी जाती थी जिन्हें कोई रूख अपनाना होता था? वे जानना चाहते थे कि भारत को क्या कहना है ताकि वे इसका इसी प्रकार अनुसरण कर सकें। लेकिन आज हम अपनी आवाज उठाने में भयभीत हैं।

वास्तव में सरकार कई प्रकार का विचार प्रकट कर रही है। कुछ लोगों ने कतिपय वक्ताओं को उद्धृत किया है। मैं ऐसे लोगों को उतना महत्व नहीं देता हूं जो केवल डींग मारते हैं। लेकिन किसी ने कहा है कि युद्ध का समर्थन किया जाए, कतिपय अन्य का विचार था कि "युद्ध का समर्थन नहीं किया जाए, कतिपय अन्य ने कहा कि युद्ध पर हमारा कोई दृष्टिकोण नहीं है", और कुछ लोगों ने कहा कि हमारे हित इराक से अधिक महत्वपूर्ण हैं। हमारे समक्ष सरकार की तरफ से इतने विभिन्नता वाले विचार क्यों आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि देश और संसद को यह जानने का अधिकार है कि उनका दृष्टिकोण क्या है और उनकी क्या करने की इच्छा है।

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा]

इराक भारत का कठिन परिस्थितियों में भी मित्र रहा है। हमारे बीच, जैसाकि पहले ही बताया जा चुका है और मैं इसे दुहराने नहीं जा रही हूं इराक और भारत के लोगों के बीच मैत्री के पुराने संबंध हैं। मैं किसी शासनकाल की वकालत नहीं कर रही हूं। किसी राज्य को चलाने में कतिपय सीमाएं रही होंगी। कुछ गल्तियां हुई होंगी। मैं इसे माफ नहीं कर रही हूं। मेरा मुद्दा यह है कि क्या किसी दूसरी शक्ति को इसे बदलने का अधिकार है क्योंकि यह उस शक्ति के इच्छानुकूल नहीं है। मैं यह प्रश्न करती हूं। इसका निर्णय कौन करता है। क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुप रह सकता है। क्या भारत एक मूक दर्शक बना रह सकता है?

एक दिन जब मैं विमानपत्तन पर थी मेरा परिचय एक अमरीकी आचार्य से हुआ जो आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु सुरक्षा में भारत-इजराइल-अमरीकी सहयोग पर एक संगोष्ठी पर भाग लेने भारत आये थे। अत: मैंने उसकी ओर देखते हुए पूछा कि इस प्रकार की संगोष्ठी में वे क्या बना रहे हैं। उन्होंने, कहा, अब हमें आतंकवाद से मुकाबला करना होगा। मैंने कहा कि अमरीकी लोगों को आतंकवाद का मुकाबला करने के संबंध में कहने का कोई हक नहीं है। मैंने उनसे आगे कहा कि वे विश्व भर की आतंकवादी गतिविधियों हेतु या तो इसमें शामिल होकर अथवा इससे संबंधित कार्य करके जिम्मेवार हैं। मैंने उनसे पूछा, "आप हमें क्या बताना चाहते हैं।" अत: वे अत्यंत खिन्न हो गए। उन्होंने कहा कि आप भूल गए हैं कि हमने एशिया को जापानियों से मुक्त कराया। हमने यूरोप को नाजियो से मुक्त कराया। हमने अफगानिस्तान को तालिबानियों इत्यादि से मुक्त कराया। उन्होंने आगे कहा कि हमे कुवैत को इराकियों से मुक्त कराया। इसके बाद मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि कब तक आप समझते हैं कि आपको पाकिस्तान और कश्मीर को भारत से मुक्त कराना है? क्या यह भी आपकी कार्यसूची में है? आप विश्व को मुक्त कराना चाहते है। आप विश्व को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इसके लिए अच्छा क्या हैं। मैंने उनसे आगे यह भी कहा कि वे सबसे पहले अपनी अर्न्तात्मा की तलाश करें और देखें कि विश्व की आज जो स्थिति है वह क्यों है? जैसाकि मैंने पहले ही कहा है विश्व के अनेक भागों में किया गया अन्याय हमेशा के लिए लोगों की प्रतिक्रिया के बिना जारी नहीं रहेगा। छोटे देश है और वे अकेले युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। वे आतंकवाद का सहारा लेंगे और अपना जीवन न्यौछावर कर देंगे ताकि वे भी अन्य लोगों की पंक्ति में शामिल हो सकें।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति का हाल का वक्तव्य भी अत्यधिक चौंकाने वाला है। राष्ट्रपति मुर्शरफ जिन्हें एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में माना जाता है ने खुले आम कहा यह संभव है कि सद्दाम के बाद हम अगले शिकार होंगे। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति की ओर से दिया गया यह बयान स्वत: स्पष्ट है।

विश्व भर में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने लंदन, पेरिस, मेड्रिड, रोम, न्यूयार्क और कैर्लिफोनिया में प्रदर्शन किए हैं। किसी भी देश अथवा शहर का नाम ले लें। वे लाखों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं कि 'युद्ध' नहीं हो और इराक पर हमला न किया जाए। वास्तव यूरोप से कई बसों में भरकर स्वयंसेवी इराक गए हैं ताकि इराक के लोगों को अपनी सेनाओं से युद्ध के दौरान कवच बनकर बचाया जा सके। उनका कहना है कि इराक के लोगों को हानि पहुंचाने से पूर्व वे अपने प्राण दे देंगे। विश्वभर में इस प्रकार की भावना व्याप्त है। शायद भारत में प्रमुख पृष्ठ पर प्रकाशित एक बैनर सर्वाधिक रूचिकर था जिसमें यह कहा गया था हमारे पास व्हाइट हाउस में एक खाली हथियार है।" मैं समझता हूं कि यह अपने आप में स्थिति स्पष्ट करता है। यह मैं नहीं बल्कि अमरीकी व्यक्तियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के समक्ष प्रदर्शन के दौरान कहा गया है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगी कि यह सभ्यता की लड़ाई अथवा धार्मिक लड़ाई नहीं है। यह तेल पर कब्जे की लड़ाई है और इस देश द्वारा मध्य-पूर्व के तेल क्षेत्रों का नियंत्रण रखने से संबंधित लड़ाई है।

मैं ब्रिटेन के द आब्जर्वर में प्रकाशित समाचार को उद्धृत करना चाहती हूं जिसमें यह कहा गया है और मैं उद्धृत करती हूं: "अमरीका की जर्मनी से इसकी सभी सेनाओं को वापिस करने, बेस बंद करने और दोनों देशों के मध्य दशकों से सैन्य और औद्योगिक सहयोग को बंद करने की योजना है।

ऐसा उनके द्वारा इराक युद्ध का विरोध किए जाने के कारण है।" इसमें आगे कहा गया है और मैं उद्धृत करती हूं।

"रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफील्ड के आदेश पर गत सप्ताह पेंटागन अधिकारियों और सैन्य प्रमुखों के मध्य चर्चा की गई योजना का स्वरूप जर्मनी की अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाना है जिससे यह देश एक उदाहरण बन सके जिसे अमरीकी युद्ध सलाहकार विश्वासघात मानते हैं।

महोदय, यदि आप बात नहीं मानेंगे आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। आज यह ब्लैकमेल करने का नवीनतम तरीका है। युद्ध पश्चिमी देशों की सैन्य और आर्थिक स्थिति को पुनर्गठित करने का एक तरीका भी है। यदि युद्ध नहीं होगा, उस देश में कोई आर्थिक विकास नहीं होगा अत: युद्ध की स्थिति तैयार करने और इसे जारी रखने में उनका अपना हित है।

मैं सभा के सभी लोगों की ओर से अनुरोध करती हूं, और मैं समझती हूं कि इसकी आवश्यकता है कि हम भारत के लोगों

की ओर से एक संकल्प लाये और इस सभा के माध्यम से स्पष्ट रूप से यह कहे कि हम भारत के लोगों के प्रतिनिधि है और भारत के लोगों की आवाज है, और उसका मत है "इराक के खिलाफ युद्ध न हो।"

अपराह्न 4.11 बजे

[**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन* **हुए**]

मैं समझती हूं कि इस समय हमें साथ खड़े होने और अपनी आवाज को पहुंचाने उसे गिनाने की आवश्यकता है- और इसे महत्व दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इस संकट के समय विश्व को यह करने का जिनमें साहस है यह संसद इराक अथवा किसी अन्य देश के विरुद्ध युद्ध का समर्थन नहीं करेगा क्योंकि आज जो कुछ भी किसी दूसरे देश के साथ हो रहा है कल हमारे विरुद्ध भी हो सकता है।

अतः मैं सरकार और उसके विवेक से अपील करती हूं कि प्रधान मंत्री के गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भाग लेने जाने से पूर्व उन्हें इस सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित इस संकल्प को भी ले जाना चाहिए जिसमें यह कहा गया है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं हम क्या चाहते हैं और हमें विश्व को क्या कहना है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, आज इराक के सवाल पर दुनिया भर की नजरें लगी हुई हैं और देखा जा रहा है कि वहां अमरीका अपनी दादागिरी कर रहा है और यू.एन.ओ. को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा माना जाता था कि अमरीका डैमोक्रैटिक कंट्री है, विश्व के देशों की पब्लिक ओपीनियन का ख्याल रखेगा और उसे रखना भी चाहिये। लेकिन हम इसका उलटा देख रहे हैं कि आज दुनिया भर में सवाल इस बात का है और पब्लिक ओपीनियन उभर कर सामने आ रही है कि अमरीका इराक पर हमला करने के लिये किस कदर बहाना निकालना चाह रहा है। इस बात का विरोध न केवल हिन्दुस्तान में बल्कि विश्व के कई देशों में हुआ है। जब आतंकवाद हुआ, उसके खिलाफ दुनिया के लोगों की ओपीनियन तैयार हुई थी। अमरीका आतंकवाद से पीड़ित हुआ तो उसे लगा कि आतंकवाद क्या चीज है। जब अमरीका आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हुआ तो दुनिया के लोगों का जनमत तैयार हुआ कि आतंकवाद समाप्त किया जाना चाहिये, यह न केवल मानवता के लिये बल्कि सभ्य समाज के लिये कलंक है। आज देखा जा रहा है कि अमरीका उस जन-समर्थन का दुरूपयोग करना चाहता है। उस जन-समर्थन से उसे लगा कि उसे हर जायज-नाजायज बात पर समर्थन मिलेगा। लेकिन, ऐसा नहीं है। अभी-अभी अमरीका का बयान आया कि दुनिया का जन समर्थन उसका साथ दे या न दे, वह अपनी हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है- क्या ऐसी दादागिरी चलेगी?

सभापति महोदय, दुनिया के देशों में जमीन के हिसाब से हम 2.4 प्रतिशत हैं लेकिन आबादी के हिसाब से 16 प्रतिशत हैं और हम छठा मुल्क हैं। आज हिन्दुस्तान को अपनी विल पावर दिखानी चाहिये कि हम दुनिया का छठा देश हैं और हमारी विरासत के अनुसार भगवान बुद्ध ने शान्ति की दीक्षा दी थी, भगवान महावीर, महात्मा गांधी और पं. जवाहर लाल नेहरू ने अंहिसा का संदेश दुनिया को दिया था। इसे मद्देनजर रखते हुये, हिन्दुस्तान को ऐसा वातावरण बनाना चाहिये था, उसका नेतृत्व करना चाहिये था, एक ऐसी विल पावर दिखानी चाहिये थी लेकिन हम सरकार का व्यवहार अमरीकी पिट्ठू की तरह देख रहे हैं। यदि दुनिया में कुछ गलत होगा तो हिन्दुस्तान को आगे आकर उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इसके लिए डिप्लोमैसी की जरूरत है। इसमें कूटनीतिक तरकीब के हिसाब से जनमत बनाया जाना चाहिए और दुनिया भर में जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों की विचारधारा को मोबीलाइज करने के लिए हिंदुस्तान को अपनी कूटनीति प्रयोग करनी चाहिए ताकि किसी भी हिसाब से अमरीका की दादागिरी न चले या दुनिया में कहीं भी जोर-जुल्म हो तो हिंदुस्तान को उसके खिलाफ आगे आना चाहिए।

सभापति महोदय, अन्नान साहब, यू.एन.ओ. के महासचिव हैं। वह प्रयत्न करते रहे हैं। इराक में जांच-पड़ताल के लिए इंस्पैक्टर भेजे गये हैं। लेकिन अमरीका अपने पास सबसे ज्यादा अणुबम और घातक हथियार रखे हुए हैं और वह इराक में इंस्पैक्टर भेज रहे हैं कि इराक अपने यहां क्या-क्या रखे हुए है। उन्हें इराक में कुछ नहीं मिला, फिर भी इराक पर हमला करने की साजिश हो रही है, हमला करने का बहाना बनाया जा रहा है। फिर संवाद भी दिया जा रहा है कि यदि सद्दाम हुसैन हट जाएं तो हम हमला नहीं करेंगे। दुनिया के किसी भी मुल्क को दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। वहां की जनता जिसे चाहेगी, उसे चुनेगी। हर देश अपने देश के प्रधान को चुनने के लिए आजाद है। यहां से खबर होती है और संवाद दिया जाता है कि सद्दाम हुसैन हट जाएं तो हम हमला नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि इसका हल यू.एन.ओ. में बातचीत के द्वारा होना चाहिए। हम लोग उससे अलग नहीं रह सकते। हिंदुस्तान के लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं। किसी देश पर कोई देश हमला करेगा तो उससे हिंदुस्तान भी प्रभावित होगा। अमरीका अब आतंकवादी लादेन को नहीं खोज रहा है। लोग कहते हैं कि लादेन पाकिस्तान में डेरा डाले हुए है। पाकिस्तान आतंकवादियों को सहारा दे रहा है, मदद कर रहा है, पनाह दे रहा है। इस मामले में उसका दोहरा मापदंड है। एक तरफ वह दुनिया को बतायें कि हम आतंकवाद के

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए सब लोग हमारा समर्थन करिये, उसी जगह अमरीका दोहरा मापदंड अख्तियार कर रहा है और पाकिस्तान को हमसे ज्यादा मदद दे रहा है। इसलिए दुनिया में उसका भंडाफोड़ करने की जरूरत है। सरकार को इसके लिए आगे आना चाहिए। इसलिए यह सर्वोच्च सदन, जो दुनिया के छठे हिस्से की प्रतिनिधि संस्था है, यहां से एकमत से संदेश जाना चाहिए कि किसी भी हालत में जो भी विवाद है, वह बातचीत के द्वारा हल किया जाए। यू.एन.ओ. को अंडरमाइन न किया जाए बल्कि यू.एन.ओ. के साथ बातचीत करके सारे मामले को हल किया जाना चाहिए। यदि फिर भी अमरीका उस पर हमला करे तो हम लोग उसके खिलाफ हैं। हिंदुस्तान को उसका नेतृत्व करना चाहिए।

सभापति महोदय: आप संक्षेप में अपनी बात समाप्त करें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं संक्षेप में ही समाप्त कर रहा हूं। यहां विदेश मंत्री नहीं हैं, राज्य मंत्री हैं।...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य: वह भी बिहार से हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: बिना बिहार के सदन नहीं चल सकता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी बिहार की जरूरत पड़ेगी। बिहार के बिना कोई काम नहीं चल सकता।

सभापति महोदय: अब आप समाप्त करिये। ब्रह्मानंद मंडल जी, आप बोलना शुरू करिये।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: बिहार में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान हासिल हुआ था। यहां भी बिहार से वक्ता है और आसन पर भी बिहार से ही सभापति जी आसीन हैं। बिहार मूकदर्शक नहीं रह सकता। बिहार में भगवान महावीर का जन्म हुआ और भगवान महावीर ने सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। मोहनदास करमचंद गांधी ने बिहार आंदोलन किया। इस सबका गौरव बिहार को प्राप्त है।

सभापति महोदय: ब्रह्मानंद मंडल जी, आप शुरू करिये।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: इसलिए हम भारत सरकार को सलाह देते हैं, यहां माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, वह अपनी तरकीब का प्रयोग करें और एक रिजोल्यूशन के द्वारा यहां से संदेश जाना चाहिए कि अमरीका किसी भी हालत में इराक पर हमला न करे। बातचीत के द्वारा मसले का हल किया जाए। यू.एन.ओ. की अवमानना न हो और अमरीका की दादागिरी बंद हो। अमरीका के दोहरे मापदंड का पर्दाफाश हो।

सभापति महोदय: आपकी कोई बात रिकार्ड पर नहीं जायेगी।

...*(व्यवधान)* *

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री ब्रह्मानंद मंडल (मुंगेर): अध्यक्ष महोदय, नियम 193 के अधीन होने वाली चर्चा में आपने मुझे अपनी बात कहने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज इराक पर अमेरिकी हमले की जो तैयारी हुई है, उससे संबंधित विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं।

हम जानते हैं कि पूरी दुनिया के अधिकतर देश, दो-तीन देशों को छोड़कर, इस युद्ध के खिलाफ हैं। हम यह भी जानते हैं कि दुनिया के 600 से अधिक शहरों में 60 लाख से अधिक लोगों ने सड़कों पर आकर इस बात का इजहार किया है कि युद्ध नहीं चाहिए, इराक पर हमला नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से जो भी हथियार संबंधी इराक के खिलाफ आरोप लगाये जाते हैं, उनका हल होना चाहिए। हम यह भी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के हथियार निरीक्षकों ने इराक में जाकर जितने भी दस्तावेज और जहां कहीं भी हथियार के जखीरे हैं, उनकी जांच करने का काम किया है, लेकिन न तो उन्हें कोई साक्ष्य मिला, न कोई प्रमाण मिला, न आपत्तिजनक बातें पाई गई हैं। इसके बावजूद भी अमेरिका का कहना है कि इराक ऐसी जगह है जहां से आतंकवाद पैदा होता है। अमेरिका को इससे खतरा है और इसलिए सद्दाम हुसैन को वहां से हट जाना चाहिए, इराक छोड़कर चले जाना चाहिए, सत्ता में नहीं रहना चाहिए और अगर रहता है तो हमला किया जाएगा।

कहा जाता है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जनतांत्रिक देश है लेकिन वही अमेरिका आज दुनिया के तमाम देशों की सरकारों की आवाज को क्यों नहीं सुन रहा है? इसलिए अमेरिका अपना हित जिस चीज में देखता है, उसमें वह कोई समझौता नहीं करता है। इतिहास गवाह है कि जहीं भी, जिस भी जगह दुनिया के जिस भी कोने में अमेरिकी हित रहा है, अमेरिका ने वहां अपना बल प्रयोग किया। आतंकवाद का केन्द्र पैदा करने का काम दुनिया के हर कोने में अगर किसी एक देश ने किया है तो अमेरिका ने किया है। जब उससे भी काम नहीं चलता, तब वह सीधे अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है।

सभापति महोदय, भारत सरकार और भारत के माननीय प्रधान मंत्री जी ने, अमरीका इराक पर हमले की जो तैयारी कर रहा है, उसका विरोध किया है, लेकिन इतने से ही काम नहीं चलेगा। हम लोग जानते हैं कि आज दुनिया मंदी के दौरान से गुजर रही है। इसलिए हमें यह भी देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमरीकी अर्थ-व्यवस्था में जो मंदी है उसे दूर करने के लिए सारी चालें चलने के बावजूद वह सफल नहीं हो रहा है, इसीलिए युद्ध करना चाहता है। तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। दुनिया में सबसे अधिक तेल बेचने वाला अमरीका है और दुनिया के हर देश को

तेल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहे हैं। इससे दुनिया के हर देश को परेशानी हो रही है। तेल का अधिकांश धन अमरीका को ही मिल रहा है।

सभापति महोदयः माननीय सदस्य, ब्रह्मानन्द मंडल जी, कृपया अब समाप्त कीजिए। इस विषय पर बहस का समय केवल चार बजे तक था और माननीय सदस्यों को भी अपनी बात कहनी है, इसलिए इसका समय बढ़ा दिया गया है। मेरा निवेदन है कि आप कृपया दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री ब्रह्मानन्द मंडलः सभापति जी, अभी तो मैंने शुरू ही किया है। मैं कहना चाहता हूं कि अमरीका संयुक्त राष्ट्र संघ को भी धमकी दे रहा है और बता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को किस प्रकार से काम करना चाहिए। अमरीकी राष्ट्रपति जिस प्रकार से कहेगा, उसे उसी के अनुसार काम करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी सदस्य देश हैं, उनकी उसे कोई परवाह नहीं है। सुरक्षा परिषद् को कैसे चलना है, कैसे काम करना है, यह भी अमरीकी राष्ट्रपति बताएंगे और जैसा वे कहेंगे, उसके अनुसार ही उसे चलना है। आज पूरे विश्व में ऐसी स्थिति हो गई है कि अमरीका अपनी ताकत के बल पर हम समस्या को हल करना चाहता है। ताकत के नशे में वह पागल है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने देश में पागल का क्या मतलब होता है और वह कब क्या कर देगा, यह कहना मुश्किल है।

महोदय, भारत का हित किस में है, यह तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है। गुटनिरपेक्ष देशों की चर्चा की गई है। आज 114 गुटनिरपेक्ष देश हैं जिनमें से लगभग 66 देश इस्लामिक हैं। ये देश इस्लाम में विश्वास करने वाले देश हैं। इस्लाम में विश्वास करने वाले 66 देशों की आबादी बहुत है। उनके पास तेल के बहुत बड़े संसाधन हैं, लेकिन वहां पिछड़ापन है, गरीबी है, भुखमरी है। इसलिए ये राष्ट्र कमजोर हैं। हम गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के जन्मदाता हैं। आज इन कमजोर राष्ट्रों का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर विचार करना चाहिए। इन कमजोर 66 इस्लामिक देशों का नेतृत्व भारत को करना चाहिए कि नहीं, अगर भारत इनका नेतृत्व करता है, तो वह भारत के हित में या नहीं, इस पर विचार होना चाहिए या नहीं, इस तरह की नीति बननी चाहिए या नहीं, ये सब विचारणीय विषय हैं। मैं राष्ट्रीय हित एवं अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से कहना चाहता हूं कि हमें अमरीका द्वारा इराक से युद्ध करने का न सिर्फ विरोध करना चाहिए बल्कि हमें कूटनीति इस तरह से चलनी चाहिए जिससे सारे गुटनिरपेक्ष देशों को एक करके अमरीका को बाध्य किया जा सके कि वह किसी भी कीमत पर युद्ध नहीं करे। दूसरी बात आर्थिक है। हमारे देश का आर्थिक हित इसके साथ जुड़ा हुआ है। इराक के साथ जुड़ा हुई है और पूरे मध्य पूर्व में जुड़ा हुआ है।

महोदय, अभी हमारे सीपीएम के एक बंधु कह रहे थे कि 200 मिलियन डालर धन की बर्बादी होगी। मैं उनसे कुछ कहना चाहूंगा कि आपने जहां से भी आंकड़े इकट्ठे किए हैं, गलत अंदाज लगाया है, वह गलत है। उससे हमारी अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब हो जाएगी, हमारी जनता परेशान होगी। इस दृष्टिकोण से भी हमें इस युद्ध का सिर्फ विरोध ही नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस ओर राष्ट्रों को संगठित करना चाहिए कि अमेरिका अगर सारे नियम और कायदे तोड़ कर हमले की तैयारी कर रहा है तो उसे रोकने का काम करना चाहिए...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.31 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

अध्यक्ष महोदयः मंडल जी, अब आप समाप्त करिए।

श्री ब्रह्मानंद मंडलः अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट बोलने का समय और दिया जाए।

अध्यक्ष महोदयः हम आपको दो मिनट का समय और नहीं दे सकते। आपका समय समाप्त हो गया है, अब आप बैठ जाइए। मैं आपको दूसरे रेजोल्यूशन पर बोलने के लिए समय दूंगा।

श्री ब्रह्मानंद मंडलः अध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस समय जो पूरी दुनिया की स्थिति है, दुनिया की राजनीति में हमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करनी चाहिए। इससे भारत की स्थिति पूरी दुनिया में मजबूत होगी। दुनिया एक ध्रुवीय हो गयी है। अमरीका अपने अनुसार दुनिया बनाने जा रहा है। अगर यह बन गया तो सबसे ज्यादा भारत को नुकसान होगा। मैं यही कहना चाहता था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): धन्यवाद, महोदय कोई भी राष्ट्र हित लोगों ने हित से बढ़कर नहीं हैं। अमरीका और इंग्लैण्ड के लोग भी युद्ध के खिलाफ है लेकिन अमरीका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इराक के खिलाफ युद्ध करने के लिए आतुर है।

अमरीका संयुक्त राष्ट्र की अनुमति से युद्ध करना चाहता है लेकिन यह अब स्पष्ट हो गया है कि वह संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के बिना भी युद्ध कर सकता है। अमरीका से संबंधित किसी भी चीज उनके लिए विश्व की चिन्ता का विषय है लेकिन किसी अन्य चीज से उसका कोई लेना देना नहीं है।

[श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम]

हमारा देश पहला देश था जिसने संयुक्त राज्य पर 11 सितम्बर 2001 को हुए आक्रमण की भर्त्सना की थी और संयुक्त राज्य के पक्ष का समर्थन किया था। अब भी हमारा देश ही पहला देश होगा जिसने इराक पर अमरीकी कार्यवाही का विरोध किया होगा।

हमारी संसद, जो हमारी प्रजातंत्र का उच्चतम प्रतीक है उस पर आतंकवादियों द्वारा धावा बोला गया था। उसके बाद भी हमने पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं किया। यह हमारी महानता है और यह हमारी गांधी विचारधारा पर विश्वास को दर्शाता है। भारत जैसे शान्ति प्रिय देशों को अमरीका जैसी बड़ी ताकतों को इराक पर आक्रमण करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

इराक ने संयुक्त राज्य निरीक्षकों के साथ बहुत सहयोग किया है मैं यह जानना चाहता हूं क्या अमरीका अपने शस्त्रों का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षकों को इसी प्रकार अनुमति देगा।

अपने दल, डी.एम.के. की ओर से कहना चाहता हूं कि जैसाकि हमारे नेता डा. कार्लीगर ने कहा है कि इस मामले को संयुक्त राष्ट्र परिषद् द्वारा जारी किये गए दिशानिर्देशों के आधार पर हल किया जाना चाहिए। मैं इस संकल्प का तहेदिल से समर्थन करता हूं ताकि हमारी संसद द्वारा विश्व में शान्ति बहाल करने के लिए युद्ध के खिलाफ सर्वसम्मति से यह संकल्प पारित किया जा सके।

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, उन्होंने संकल्प के लिए अनुमति नहीं दी है। आपने जो कुछ भी कहा है वह सही है। आइए, आप हमारे साथ शामिल हो जाइए। उन्होंने संकल्प की अनुमति नहीं दी है।

अध्यक्ष महोदय: श्री पी.एच. पांडियन, मैं आपको तीन मिनट का समय दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय क्या यह मात्र तीन मिनट दी है? हमें स्थानीय मुद्दों के लिए भी दस मिनट की आवश्यकता होती है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके पहले बोलने वाले वक्ता ने मात्र दो मिनट लिए है।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, संयुक्त राज्य अमरीका और इराक के बीच तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय शान्ति को खतरे के संबंध में चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए मैं अपना धन्यवाद करता हूं।

महोदय, भारत उस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले तेल पर भारत सर्वाधिक निर्भर करता है। भारत का 60 प्रतिशत से भी अधिक कच्चा तेल खाड़ी से ही आयात किया जाता है। मुझे किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है। भारत का खाड़ी देशों को किया जाने वाला निर्यात 2001-02 में 3.7 बिलियन डालर आंका गया था।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि तानाशाही के बीच में भी भिन्नता होती है। मेरी मुशर्रफ के बारे में और राय है और मैं सद्दाम हुसैन को दूसरे तरीके में देखता हूं। सद्दाम हुसैन का शासन जनरल मुशर्रफ के शासन में अलग है। उनका धर्मनिरपेक्षता में विश्वास है धर्मनिरपेक्षता वहां है। उस देश में शिक्षा नि:शुल्क है। वही सस्ता भोजन दिया जाता है अत: मैं मुशर्रफ और सद्दाम हुसैन को अलग-अलग नजरिए में देखता हूं। वहां स्वास्थ्य सेवाएं नि:शुल्क है। इस तथ्य से आंखे नहीं मूंदी जा सकती है। वहां अच्छा प्रजातांत्रिक प्रशासन है। यद्यपि सद्दाम हुसैन एक तानाशाह की तरह है लेकिन उनका शासन करने का तरीका बिल्कुल भिन्न है। विश्व का पहला प्रजातंत्र अमरीका है लेकिन इसी ने ही युद्ध घोषित किया है।

महोदय, अमरीका में सितम्बर की घटना के पश्चात् श्री बुश ने कहा था कि वह ओसामा बिन लादेन को फांसी लगा देंगे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अत: उनके दावे खोखले साबित हुए हैं।

जहां तक हमारा संबंध है हम एक सभ्य राष्ट्र है। हमारा बातचीत में विश्वास है हम वार्ता में विश्वास करते है और हमारा संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी में भी विश्वास है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों संयुक्त राज्य अमरीका में संसद के दोनों सदनों में और इराक में भी स्वीकृत किया गया है। यद्यपि हम उस संकल्प पर चर्चा नहीं कर रहे है फिर भी हम संसद में इस मामले की विषयवस्तु पर चर्चा कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आम सहमति होनी चाहिए क्योंकि यह विश्वव्यापी मुद्दा है। विश्व में कोई विश्वव्यापी सरकार अथवा कोई विश्वव्यापी संसद नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के सिवाय किसी अन्य विश्वव्यापी संस्था का नियंत्रण नहीं है। इसलिए हमें संयुक्त राष्ट्र के हाथ मजबूत करने चाहिए। उन्होंने निरीक्षण के पश्चात् रिपोर्ट प्रस्तुत की है। हमें उससे संबंधित सभी परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए। सरकार और विपक्ष को इस पर एकमत होकर विचार करना चाहिए। इस मुद्दे पर भिन्न मत नहीं होने चाहिए। विश्व में कोई एक ध्रुवीय ताकत नहीं हैं। विश्व में भिन्न-भिन्न सरकारे हैं, भिन्न राज्य और भिन्न देश है। प्रत्येक देश अपना नेता स्वयं चुनता है। कोई दूसरा देश किसी अन्य देश से नहीं कहता कि वह किसी अन्य नेता को चुने। अमरीका ऐसा नहीं कह सकता कि आप इस आदमी को प्रधान मंत्री के रूप में निर्वाचित करें। यह तो प्रत्येक देश का प्रजातांत्रिक अधिकार है...*(व्यवधान)*

सद्दाम हुसैन का कुवैत पर आक्रमण गलत है। प्रत्येक व्यक्ति इससे सहमत है। दोनों पक्षों की कुछ गल्तियां हैं...*(व्यवधान)* कृपया मेरी बात सुनिए...*(व्यवधान)* हम इस संसद में है। हम कांग्रेस दल से संबंधित है। आप भारतीय जनता पार्टी से है। आप भारतीय जनता पार्टी के विकल्प है और वह आपके विकल्प है। हम दोनों के बीच में हैं...*(व्यवधान)* लेकिन हम सिद्धान्तों पर समझौता नहीं कर सकते। भारत के अपने सिद्धांत है अहिंसा की नीति अथवा युद्ध न करने की नीति है। हमने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध तक नहीं छेड़ा जबकि जनरल मुशर्रफ की राक्षसी नीति युद्ध छेड़ने हेतु अपने आप में पर्याप्त कारण थी। राजनीतिक स्तर की बातचीत में उनके व्यवहार के बेहतर परिणाम नहीं निकले। जब हमने पाकिस्तान को माफ कर दिया है और जब हमने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध नहीं किया है तो हम इराक के विरुद्ध अमरीका के युद्ध की घोषणा का किस प्रकार समर्थन कर सकते है। हमें अपनी संसद भवन के आक्रमण की घटना के पश्चात् तत्काल ही युद्ध छेड़ देना चाहिए था। लेकिन युद्ध एक असभ्य रास्ता है और यह पूरे विश्व को अस्थिर कर देता है।

लेकिन कुछ देश है जो अमरीका द्वारा युद्ध की घोषणा करने के विरुद्ध है। वाशिंगटन से सेंट फ्रांसिस्को, जापान में पेरिस, बैरूत से बयोनिस आयर्स और लन्दन से मास्को और दमास्कस तक इसका भारी विरोध किया गया है। अत: इसका विश्वव्यापी विरोध हुआ है लेकिन राष्ट्रपति जार्ज बुश और सद्दाम हुसैन के बीच विचारों की लड़ाई है।

महोदय, मैं तो कहूंगा कि अब समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र संकल्प का अनुपालन किया जाए, संयुक्त राष्ट्र संकल्प का सम्मान किया जाए। यद्यपि संयुक्त राज्य अमरीका पिछले वर्षों के दौरान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं था - यद्यपि संयुक्त राष्ट्र का भवन न्यूयार्क में स्थित था लेकिन उसने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बनने की परवाह नहीं की - अब उनका दादागिरी वाला रवैया पूर्ण शान्तिपूर्वक वातावरण को खराब कर रहा है।

हम शान्ति के पुजारी है हम युद्ध के खिलाफ है लेकिन परिस्थितियों की मांग है कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की जाए न कि इराक के खिलाफ।

अध्यक्ष महोदय: अब श्री भर्तृहरि महताब बोलेंगे। आपको भी तीन मिनट दिये जाते है अत: आप जल्दी आरम्भ कीजिए।

श्री पी.एच. पांडियन: यह बड़ा मुद्दा है स्थानीय मामलों के लिए हम दो घंटे अथवा तीन घंटे तक चर्चा करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं जानता हूं लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां भी है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): माननीय अध्यक्ष महोदय, इराक पर युद्ध के काले बादल उमड़ने के साथ-साथ भारत की विदेश नीति के विकल्पों को इस नए और जटिल परिस्थितियों में उभरते विश्व के परिदृश्य के साथ इसकी अपनी इच्छा शक्ति के मद्देनजर भी आंका जा रहा है।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रभाव विश्व में कई वर्ष पूर्व समाप्त हो चुका है और हालांकि यह आंदोलन सैद्धांतिक रूप से अस्तित्व में है इसके भविष्य का आकलन इसके संस्थापक दो सदस्य देशों की कठिनाइयों से किया जा सकता है। यूगोस्लाविया का विखंडन हो चुका है और इसका नाम समाप्त हो गया है और मित्र देश अमरीका द्वारा प्रतिवर्ष दी जा रही 2 बिलियन अमरीकी डालर की सैन्य और आर्थिक सहायता पर निर्भर है। पश्चिम एशिया में मतभेद है और यह पश्चिम की शक्तियों विशेषकर अमरीका से संरक्षण हेतु सहायता ले रहा है।

ऐसे समय मैं माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा दो दिन पूर्व दिए गए अभिभाषण के पैरा 71 को उद्धृत करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि:

> "इराक से संबंधित दुखद स्थिति पर सम्पूर्ण विश्व की चिंता में हम भी शामिल हैं। उस क्षेत्र की शांति, स्थायित्व व सुरक्षा में हमारी गहरी रुचि है। हम आशा करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जरिए प्रकट की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बुद्धिमत्ता से इस मामले का ऐसा शांतिपूर्ण समाधान कर लिया जाएगा जो मानवता के लिए हितकर होगा।"

इस समय मैं आज उत्पन्न स्थिति के केवल दो अथवा तीन पहलूओं की ही बात करूंगा। वास्तव में 9/11 के पश्चात का विश्व, जैसाकि इसे बारंबार उद्धृत किया जाता है अरब में कई देशों के लिए अप्रीतिकर स्थल बन गया है। सितम्बर, 2001 के अमरीका पर आतंकवादी हमले के भयानक अनुभव की नव रूढ़िवादी गणराज्य प्रशासन द्वारा एक नई विश्व व्यवस्था क़ायम करने के रूप में उपयोग किया गया है।

अमरीकीयों द्वारा इसे नहीं भुलाया जा सकता है कि अधिकांश अपहरणकर्त्ताओं द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमला करने हेतु यात्री विमान का मिसाइल के रूप में उपयोग किया गया। वे सऊदी अरब के हो। लगभग रातोंरात ही अमरीका के सऊदी अरब के शासकों के साथ दशकों से बहाल मधुर संबंध पर प्रश्न चिन्ह लग गया। यदि नई अमरीकी नीति का उद्घोषित लक्ष्य क्षेत्र में लोकतांत्रिक लाने का है, तो यह यदि पाखंड नहीं है तो अवास्तविक है।

सच्चाई यह है कि आज पश्चिम एशिया की स्थिति विस्फोटक और अस्थिर है। इजराइल फिलिस्तीन टकराव, जिसमें छद्म रूप

[श्री भर्तृहरि महताब]
से इजराइल के प्रति अमरीका का सहयोग है का विष खतरनाक रूप से बढ़ता जा रहा है।

भारत को पश्चिम एशिया विशेषकर फारस की खाड़ी के देशों के साथ सामान्य और विशेष हित जुड़े हुए हैं। व्यापक रूप में नई दिल्ली को किसी राज्य के विरुद्ध पहले ही आक्रमण करने के अमरीकी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करनां चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं यह बताना चाहूंगा कि आप इस क्षेत्र में अमरीका हस्तक्षेप अस्थिरता के दौर की शुरूआत है, तो नई दिल्ली की समस्याओं में वृद्धि होगी। इस परिवर्तनशील विश्व में भारत की विदेश नीति को बढ़ावा देने में लोकनीयता निश्चित रूप से हमारा सिद्धांत होना चाहिए।

हाल ही में हमने यह भी देखा है कि चीन, रूस और फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव सं. 1441 का सद्दाम हुसैन द्वारा कथित रूप से उल्लंघन किए जाने के संबंध में जनरल पावेल द्वारा दिये गए भावुक वक्तव्य के बावजूद भी किस प्रकार स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे युद्ध नहीं चाहते हैं। यह एक खुला सच है कि इराक पर आक्रमण विनाश को आमंत्रण देना है। जैसाकि मलेशिया के प्रधान मंत्री डा. महातिर मुहम्मद और अन्य ने चेतावनी देते हुए कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय 'जेहाद' की लौ प्रज्जवलित हो सकती है।

बदले की भावना की गूंज-जिनजियांग से फिलीपिन्स, चेचेन्या और फिलीस्तीन और बाली और मोम्बासा जैसे कई बम कांड के रूप में गूंज सकती है।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री अजय चक्रवर्ती को आमंत्रित करता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अमरीकी योजना में नाटो की 'शांति बहाल' करने का कार्य सौंपा गया है और संयुक्त राष्ट्र नीति नहीं बनायेगा बल्कि अमरीकी शक्तियों के बिजली होने पर अपने दायित्वों का निर्वाह करेगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री महताब, कृपया अध्यक्षपीठ से सहयोग करें।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मैं अपना भाषण एक वाक्य देकर समाप्त करता हूं। भारत के विकल्प निश्चित रूप से अधिक सीमित है लेकिन यह विभिन्न अवसरों हेतु विभिन्न सहयोगियों का चयन करने हेतु वाशिंगटन की नकल कर सकता है।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यगण से अनुरोध करता हूं कि वे दलगत भावना से उपर उठकर युद्ध की बात करने वालों और अमरीका और ब्रिटेन द्वारा इराक के विरुद्ध अपनाये गए आक्रामक रवैये के विरुद्ध सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करे। इस भारतीय संसद द्वारा विश्वभर में युद्ध के विरुद्ध और शांति के पक्ष में भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पारित किया जाना चाहिए।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से मैं माननीय सदस्यों को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि भारत विश्व में शांति आंदोलन में अग्रणी था। उस समय हमारे तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने तीसरे विश्व के सभी देशों को एक जुट करके शांति के पक्ष में जोड़ने की पहल की। वे गुट निरपेक्ष आंदोलन के एक संस्थापक सदस्य भी थे।

जब मैं विद्यालय का एक छात्र था, अपने बाल्यकाल में, मुझे याद है कि इंग्लैंड और फ्रांस ने मिस्र पर संयुक्त रूप से हमला किया था। उस समय, पंडित नेहरू के नेतृत्व में हमारा पूरा देश ब्रिटेन और फ्रांस के विरुद्ध एकजुट था। उन्होंने तत्कालीन सोवियत संघ के नेता निकिता खुसचेव के साथ चर्चा शुरू की थी ताकि सोवियत संघ मिस्र की मदद हेतु सामने आये।

मैं खेदपूर्वक यह कह रहा हूं कि यह सरकार एक सर्वसम्मति प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकार करने से बच रही है। दूसरे सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सदस्यों से यह कहा है कि वे संसद में सर्वसम्मति प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकार करने के विरुद्ध नहीं हैं। हमारा देश विश्व में शांति आंदोलन में अग्रणी था, हमारा देश गुट निरपेक्ष आंदोलन में अग्रणी था लेकिन मैं खेदपूर्वक कह रहा हूं कि वर्तमान सरकार अमरीका के विरुद्ध साहसिक रवैया दिखाने के प्रति इच्छुक नहीं है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह हमारे देशवासियों की भावनाओं पर ध्यान दे और प्राचीन शांति की परंपरा को स्वीकारे। सरकार को मानवता और विश्व को बर्बाद करने वाले अमरीका और ब्रिटेन के युद्ध भड़काने वाले रवैये के विरुद्ध अपनी स्पष्ट आवाज उठानी चाहिए और इसकी निंदा करनी चाहिए।

आपको याद होगा कि इस महीने की 15 तारीख को विश्व के अनेक स्थानों पर युद्ध के विरोध में शांति जुलूस निकाले गए। पूरा विश्व शांति के पक्ष में और युद्ध के विरोध में सड़कों पर निकल आया। टोली ब्लेयर के देश में जो जार्ज डब्ल्यू बूश का सबसे बड़ा चापलूस है, लंदन शहर में दो बिलियन लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने शांति के पक्ष में तथा युद्ध के विरोध में जुलूस निकाला।

सुरक्षा परिषद् में स्पेन ने अमेरिका का समर्थन किया। तथापि, स्पेन की राजधानी में मैड्रिड शहर में तीन मिलियन लोग सड़कों

पर इकट्ठे हुए और युद्ध के विरुद्ध तथा शांति के पक्ष में जुलूस निकाला। न सिर्फ लंदन और मैड्रिड में न्यूयार्क में रोम में हमारे देश सहित विश्व में सब जगह हजारों लाखों लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने शांति रैलियां निकालकर युद्ध का विरोध किया इन सबको देखते हुए हमारी सरकार को अमेरिका के विरुद्ध निर्भीकता से अपनी बात कहनी चाहिए।

मिस्टर जार्ज डब्ल्यू बुश ने कहा, ''मैं सद्दाम हुसैन को निरस्त्र करूंगा।'' सद्दाम हुसैन को निरस्त्र करने वाले मिस्टर बुश कौन हैं? जनसंहार के सर्वाधिक हथियार अमेरिका में है। विश्व में शांति के लिए पहले किसे निरस्त्र करना चाहिए? मेरा विश्वास है कि जब तक अमेरिका के पास जनसंहार के ये हथियार हैं, विश्व में शांति की स्थापना नहीं की जा सकती है। मिस्टर जार्ज डब्ल्यू बुश ने कहा कि वह मिस्टर सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा देंगे। इराक के लोग निर्णय करेंगे कि उनका नेता कौन होगा। इजरायल मिस्टर यासर अराफात को नहीं हटा सकता है। फिलिस्तीन के लोग यह निर्णय करेंगे कि फिलिस्तीन का नेता कौन होगा। जन भावनाओं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की उपेक्षा करके अमेरिका एक पक्षीय रूप से इराक पर आक्रमण करने का निर्णय करने का प्रयास कर रहा है। मुझे आशा और विश्वास है कि यदि वह इराक पर हमला करता है, तो अमेरिका में भी वही होगा। वियतनाम में क्या हुआ था। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पहल करे और शांति के लिए तथा युद्ध विरोधी संकल्प स्वीकार करें जिससे विश्व को संदेश जाएगा। अंततः, अमेरिका और ब्रिटेन के हमलावरों के विरुद्ध मैं कहता हूं 'इराक के लोगों को नहीं छुओ, इराक को हाथ मत लगाो।'

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर): महोदय, मैं सामान्यतः संक्षेप में बोलती हूं, किंतु ऐसे विषय पर संक्षेप में बोलना कठिन है। तथापि, मैं यथासंभव कोशिश करूंगी।

आज अत्यन्त ही संकटपूर्ण समय में इराक पर चर्चा हो रही है जबकि पूरा विश्व युद्ध और शांति के बीच अनिश्चितता की स्थिति में है।

महोदय, नवम्बर में जब सुरक्षा परिषद् में इराक प्रस्ताव पास हुआ था, मैं उस वक्त वहां मौजूद थी। इसे अब एस.सी.आर. 1441 के नाम से जाना चाता है। मैंने पन्द्रह हाथ उठते देखा और एक घंटा बजा उसी समय भाषण का वहीं निर्णय हो गया। यह एक विशेष अनुभव था। उस दिन कोई आवाज विरोध में नहीं उठी। यद्यपि विभिन्न देशों द्वारा इस प्रस्ताव की व्याख्या अलग-अलग ढंग से की गई, हमने इसके बाद दिए गए सभी भाषणों को सुना। यूएस और यूके एक स्तर में बोले। फ्रांस ने बिल्कुल अलग ही ढंग से इसकी व्याख्या की। एक तरह से हमने राहत महसूस की थी कि कम से कम संयुक्त राज्य को संयुक्त राष्ट्र में लाया गया था और वे एकतरफा रूप से कुछ नहीं कर रहे थे। वही एक राहत थी जिसके लिए हम उस दिन आभारी थे।

तथापि, इराक से कहा गया था कि यह इराक के लिए निरस्त्रीकरण हेतु अंतिम अवसर है और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

उसके बाद का इतिहास हम सब जानते हैं। निरीक्षण जारी है, प्रतिदिन रिपोर्ट दी जा रही है, और मुख्य हथियार निरीक्षक तथा परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रतिनिधि ने भी कहा है कि उन्हें अभी तक जनसंहार का कोई हथियार नहीं मिला है।

संयुक्त राष्ट्र का अधिवेशन पुनः चल रहा है। फ्रांस से विवेक पूर्ण आवाज सुनना सुखद है। जर्मनी और रूस सहित अन्य यूरोपीय देशों ने युद्ध का जोरदार विरोध किया है। यह देखना अत्यन्त ही सुखद है। किंतु इससे भी अधिक सुखद यह देखना था कि लोग लंदन, न्यूयार्क और अन्य शहरों में शांति के पक्ष में तथा युद्ध के विरोध में जुलूस निकाल रहे थे। इससे मानवता में हमारा विश्वास एक बार फिर कायम होता है कि अभी भी सब कुछ नहीं खोया है।

महोदय, मैं विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति में विदेश से आने वाले कई शिष्टमंडलों से मिलती रहती हूं, और मुझे सुखद आश्चर्य होता है कि उनमें से अधिकांश युद्ध के विरुद्ध थे यद्यपि कि उनके देश की सरकार एक तरफा रूप से युद्ध के पक्ष में थी। उदाहरण के लिए हाल ही में हमारी लेबर पार्टी के संसद सदस्यों के साथ यहां बातचीत हुई थी। मुझे यह जानकर घोर आश्चर्य हुआ कि लेबर पार्टी के सभी संसद सदस्य शांति के पक्ष में और युद्ध के विरुद्ध थे और उन्होंने अपने प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर के विचारों का समर्थन नहीं किया। मेरे लिए उनके साथ बात करना सुखद आश्चर्य था। उस समय हम भारतीयों की तुलना में उनके विचार अधिक स्पष्ट थे।

महोदय, मैं श्री मणिशंकर अय्यर के साथ सहमत हूं कि अचानक ही निर्गुट सम्मेलन अत्यंत ही महत्वपूर्ण बन गया है, जो कि इतनी जल्दी हो रहा है। जब निर्गुट आंदोलन था, वह समय दो ध्रुवीय विश्व था। किंतु हमारा भारत मार्गदर्शकों में से एक था। हमारा अन्य राष्ट्रों पर नैतिक अधिकार था जैसा कि यह उस समय था। किंतु फिर एक ध्रुवीय विश्व बना, और तब सिर्फ एक ही महाशक्ति-अमरीका था।

अब भारत को अपने हितों पर ध्यान देना चाहिए जैसा कि हमने किया, और हम अमरीका के साथ रचनात्मक बातचीत कर रहे थे। हमारे पूर्व विदेश मत्री यहां हैं। वह अमरीका के साथ बातचीत कर रहे थे। मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। हमें हमारे मन में अमेरिकावाद विरोधी भावना नहीं रखनी चहिए जैसा कि दूसरे पक्ष के हमारे कुछ साथियों के मन में है। किंतु इसके साथ ही, हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हम किसी भी अदूरदर्शी विचार अथवा किसी भी खतरनाक निर्णय जो अमरीका लेना चाहता

[श्रीमती कृष्णा बोस]

है का बिना सोचे समझे समर्थन नहीं करेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक ओर अमरीकावाद विरोधी भावना नहीं होनी चाहिए और दूसरी ओर उनकी कार्यवाहियों का बिना सोचे समझे समर्थन नहीं किया जाना चाहिए।

महोदय, श्री मणिशंकर अय्यर ने निर्गुट आंदोलन का उल्लेख किया था। यह कमजोर हो गया है इसमें कोई संदेह नहीं है। लोग पूछ रहे हैं: 'आंदोलन किसके पक्ष में है अथवा किसके विरोध में है?' महोदय, मैं समझती हूं कि हमें इसे नया नाम देना चाहिए इसे बहुपक्षवाद के लिए आंदोलन कहना चाहिए। यही शब्द है जो अब वास्तविक महत्व प्राप्त कर रहा है। 114 देश है। हमारे प्रधान मंत्री वहां जा रहे हैं। यदि हमें भी पुराने यूरोपीय देशों का जो युद्ध के विरुद्ध है, समर्थन मिल जाता है तो यह सचमुच ही जबर्दस्त समर्थन होगा।

सभी अंतर्राष्ट्रीय संकटों, सभी अंतरविरोध मुद्दों के प्रति भारत का बहुपक्षीय रवैया होना चाहिए।

महोदय, मैं समझती हूं कि भारत को अब एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है, अवसर फिर दे सकता है एक समय विश्व के अन्य राष्ट्रों के ऊपर था। भारत को नैतिक नेतृत्व प्राप्त निर्गुट सम्मेलन था। मैं नहीं जानती कि विपक्षी सदस्य माननीय प्रधानमंत्री पर शक क्यों कर रहे हैं कि वह इस अवसर का लाभ उठा पाएंगे या नहीं। मुझे विश्वास है कि वह इस अवसर का लाभ उठा पाएंगे।

महोदय, युद्ध से इस क्षेत्र के लोगों अकथनीय पीड़ा और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज हमारी संसद से, एक दूसरे के विरुद्ध बोलने की बजाए, एक आवाज जानी चाहिए कि हम सभी शांति के समर्थक और युद्ध विरोधी हैं। आज हमसे विश्व को यह संवाद जोरदार रूप से जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं बोल चुकी हूं।

अपराह्न 5.00 बजे

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, 27 जनवरी, 2003 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में संयुक्त राष्ट्र के हथियार निरीक्षकों और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रस्तुत दो रिपोर्टों से अकाट्य निष्कर्ष निकलता है और इस बात का प्रमाण मिलता है कि इराक के विरुद्ध युद्ध का कोई कारण नहीं है। इन रिपोर्टों से यह स्पष्ट होता है कि इराक का स्पष्ट और अधिक सहयोगी रवैया रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि इराक में नरसंहार के हथियारों के होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। इसके अलावा, इराक ने बार-बार निरीक्षक आयोगों के साथ अपने निरन्तर सहयोग का आश्वासन दिया है और यह भी आश्वासन दिया है कि जब भी कहा जाएगा आवश्यक स्पष्टीकरण दिया जाएगा।

इराक ने भारी नरसंहार वाले हथियारों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी एक कानून भी बनाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, समूचा विश्व फ्रांस, रूस, जर्मनी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के अधिकतर देशों का आभारी है कि उन्होंने निरीक्षकों के कार्य के समर्थन और युद्ध के विरोध में स्पष्ट रवैया अपनाया।

महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निन्दनीय है कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका ने यह घोषणा की है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ के समर्थन और स्वीकृति के बिना इराक के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, संयुक्त राष्ट्र अमरीका की दोहरी नीति है। संयुक्त राष्ट्र अमरीका का रवैया देखिए- इजरायल के प्रति पूर्ण समर्थन का रवैया जिसने 500 से अधिक संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्पों का उल्लंघन किया और निश्चय ही उसके पास नरसंहार के हथियार जमा है। दूसरी ओर अमरीका इराक के प्रति व्यग्रतापूर्ण रवैया प्रदर्शित कर रहा है। यहां तक कि विश्व की राय का अनादर करने की हद तक चला गया है। हम जानते हैं कि युद्ध के विरुद्ध विश्व भर में विरोध प्रकट किया जा रहा है। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका में भी विरोध प्रकट किया जा रहा है।

इस संबंध में न केवल संयुक्त राज्य अमरीका में विरोध प्रकट किया जा रहा है बल्कि संयुक्त अमरीका की आसूचना एजेंसी में भी युद्ध करने के लिए व्हाइट हाउस के आदेशों के औचित्य पर संदेह है।

महोदय, मैं इस बात का उल्लेख करूंगा कि दिनांक 9 अक्तूबर, 2002 के 'दि गार्जियन' में निम्न शीर्षक के अंतर्गत एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी: "व्हाइड हाउस एक्सैजिरेटिंग इराक थ्रैट: बुशस् टेलिवाइजड एड्रैस अटेक्टड् बाय यूनाइटिड स्टेट्स' इन्टैलीजैन्स"।

एक बार फिर महोदय, फिलाडेलफिया इन्क्वायर ने अपने 8 अक्तूबर, 2002 के अंक में "आफीशियलस्" प्राइवेट डाउट्स आन इराक वार" शीर्षक के अन्तर्गत एक रिपोर्ट प्रकाशित की।

महोदय, यह बात समझ लेनी चाहिए कि संयुक्त राज्य अमरीका का उद्देश्य न तो आतंकवाद का सामना करना है और न ही नरसंहार के कथित जमा हथियारों का विनाश करना है।

संयुक्त राज्य अमरीका की नीति स्पष्टतया अपने हितों को बढ़ावा देने की है; उसकी लालची निगाहें तेल के कुओं पर टिकी है। अमरीका की नीति अपनी गिरी हुई अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाना है। अमरीका की नीति अमरीकन महाशक्ति के हित में

अरब देशों और तीसरे विश्व के देशों को विभाजित और कमजोर रखने की है। अमरीका यह स्वीकार करवाना चाहता है कि वह महाशक्ति है जिसे आगे बढ़ने का अधिकार प्राप्त है और वह किसी भी देश को सैन्य क्षमता को धराशायी कर सकता है जो कि उसके हितों के विरुद्ध है। अमरीका विश्व की राय का अनादर करके यह मनवाना चाहता है कि वह महाशक्ति है अन्य देशों की सरकारों को हटाने का अधिकार प्राप्त है और यहां तक कि अन्य देशों के नेताओं को भी हटाने का अधिकार है जो अमरीका की दृष्टि में उसके हितों के लिए खतरनाक है।

हाल ही में, अमरीका श्री यासर अराफात को भी गिराना चाहता था। यह स्पष्ट है कि कोई भी देश अमरीका से बड़ा आतंकवादी देश नहीं है। इराक ने बहुत कुछ झेला है। जब उसने सहयोग देने और अधिक सहयोग देने की इच्छा प्रकट की है तो इराक के विरुद्ध प्रतिबंधों को हटाने के संबंध में विचार करना चाहिए। वहां के लोगों ने बहुत कष्ट झेले हैं; अधिकांश बच्चों ने बहुत आपदाएं झेली हैं क्योंकि जीवन रक्षक दवाएं भी वहां उपलब्ध नहीं थी।

भारत ने स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर दिया है कि शान्तिपूर्ण हल निकालना चाहिए। लेकिन मुझे खेद है कि भारत द्वारा महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया है। कृपया यह बात स्पष्ट कर दीजिए कि युद्ध के लिए समर्थन नहीं दिया जा सकता है; युद्ध का कोई कारण नहीं है। भारत की आवाज को गुंजायमान कीजिए: ''कोई युद्ध नहीं'' और इस सभा में इस संबंध में एक संकल्प पारित होने दीजिए।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): कृपया मुझे एक मिनट का समय दें।

अध्यक्ष महोदय: आप अपना भाषण लिखित में दे सकते हैं; इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित कर लिया जाएगा।

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, मैं संसदीय अनुशासन के संबंध में सांसदों के लिए निर्देशिका के खंड 43, की प्रविष्टि 16 के संदर्भ में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहूंगा जिसमें कहा गया है कि माननीय सदस्य को भाषण देने के बाद सभा में ही करना चाहिए।

पिछले पांच वर्षों से मैं देख रहा हूं कि माननीय डाक्टर विजय कुमार मल्होत्रा सभा में भाषण देते ही सभा से चले जाते हैं। मैं पिछले पांच वर्षों से आशा कर रहा हूं कि शायद वह माननीय अध्यक्ष महोदय के निदेशों का पालन करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया उन्हें इस संसदीय अनुशासन का पालन नहीं करने के लिए फटकारें और उन्हें यहां मौजूद रहने का अनुरोध करें। यदि वह मंत्री जी के भाषण के समय यहां उपस्थित रह सकते हैं तो जब मंत्री जी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अन्य माननीय सदस्यों द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है, उस समय वह यहां क्यों नहीं रह सकते हैं।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, आप जानते हैं, इनसे कहीं ज्यादा समय मैं सदन में बैठता हूं। सुबह से यहां बैठा हुआ हूं। इसके अलावा व्हिप के तौर पर किसी माननीय सदस्य को बुलाने के लिए गया होऊंगा। पता नहीं आज यह बात क्यों उठाई जा रही है। इराक के मामले में इस तरह से बात को उठाना ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी: महोदय, मैं केवल कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूं। क्या आप कृपया मुझे एक मिनट का समय देंगे।

अध्यक्ष महोदय: आप अपना भाषण लिखित में दे सकते हैं। उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल कर लिया जाएगा। अब माननीय मंत्री महोदय बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले आप उनके चैम्बर में जा सकते हैं, वह एक अच्छे मंत्री हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब, मंत्री महोदय, आप अपना भाषण आरंभ कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

***श्री जोवाकिम बखला** (अलीपुरद्वारस): अध्यक्ष महोदय, अमेरिका के द्वारा इराक पर आक्रमण करने की वकालत की मैं निन्दा करता हूं। बुश के नेतृत्व में अमेरिका इराक पर आक्रमण करके यह साबित करना चाहता है कि वह एक ध्रुवीय विश्व में अपना दबदबा बढ़ाना नहीं चाहता है बल्कि सद्दाम के जनविनाश के हथियारों को नष्ट करके विश्व में शांति एवं स्थिरता लाना चाहता है। लेकिन मैं यह दलील नहीं मानता-दुनिया के विभिन्न देशों से इसका विरोध हो रहा है।

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

[श्री जोवाकिम बखला]

मेरे विचार से ऐसा लगता है कि अमेरिका सैन्य व्यवहार द्वारा अमेरिकी साम्राज्य की पुनर्रचना करना चाहता है। 19वीं सदी के ब्रिटिश साम्राज्य की तर्ज पर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है जो विश्व के लिए विशेष करके छोटे-छोटे देशों के लिए खतरनाक साबित होगा। 1991 के खाड़ी युद्ध के नुकसान को देखते हुए मुझे लगता है इस युद्ध का विरोध करना चाहिए अन्यथा हमारे देश को एक बहुत बड़े संकट के सम्मुखिन होना पड़ेगा। हमें युद्ध नहीं शांति चाहिए।

***श्री लक्ष्मण सिंह** (राजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई विदेश नीति का विशेषज्ञ नहीं हूं अथवा आपसे एवं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि मेरे भाषण में कोई त्रुटियां हों तो उन्हें क्षमा करें।

सदन, जब शुरू हुआ तो समस्त राजनीतिक दलों की बैठक में मुख्यत: तीन मुद्दे चर्चा के लिए सामने आये।

1. सूखे के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा।
2. अयोध्या में राम मन्दिर निर्माण पर चर्चा।
3. अमेरिका अथवा इराक के संभावित युद्ध पर चर्चा।

प्राथमिकता के आधार पर अमेरिका अथवा इराक के युद्ध पर चर्चा पहले स्वीकार की गई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले इराक और यू.एस.ए. का युद्ध आज से 12 वर्ष पूर्व 1991 में शुरू हुआ। जनवरी 16, 1991 अथवा 1 मार्च, 1991 के बीच यू.एस.ए. द्वारा 88 हजार 500 टन बमों की वर्षा इराक पर की गई, जो हिरोशिमा में गिराये गये बमों की तुलना में साढ़े सात गुना अधिक थे। यू.एस.ए. ने वहां की जनता पर पेयजल स्त्रोतों पर, गैस-पाईप लाईन पर, अस्पतालों पर, स्कूलों पर और लगभग 9 हजार मकानों पर बमबारी करी। जिसमें लगभग 2 लाख से ऊपर आम जनता मारी गई। जब उस समय के यू.एस.ए. के जनरल कालिन पॉवल से पूछा गया कि इराक में कितने लोग मारे गये तो उसका उत्तर था कि मुझे मरने वालों की संख्या में कोई रुचि नहीं है। उनका यह कथन न्यूयार्क टाइम्स की मार्च, 23 के समाचार पत्र में छपा।

इस युद्ध में यू.एस.ए. के केवल 157 लोग मारे गये। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या यह युद्ध दो समान ताकतों का था? हमारे शास्त्रों में लिखा है अथवा चूंकि मैं एक क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय धर्म कहता है कि जो अपने से कमजोर हो उस पर वार नहीं करना चाहिए। अब आप ही बताइये कि हमें इस युद्ध का विरोध करना चाहिये या नहीं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

आज विश्व में स्थिति यह है कि यू.एस.ए. अथवा यू.के. को छोड़कर कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता है। यू.एस.ए. अथवा यू.के. ऐसे देश हैं और इस बात का इतिहास गवाह है कि इन्होंने भारत की कभी राजनीतिक सहायता नहीं की। हमें वो दिन याद करना चाहिए जब स्वर्गीय इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री थीं और यू.एस.ए. ने भारत पर हमला करने हेतु समुद्र मार्ग द्वारा सातवां बेड़ा भेजा था। किन्हीं कारणों से युद्ध टल गया नहीं तो भारत भी अमेरिका से युद्ध करने में पीछे नहीं रहता। दूसरा देश जो युद्ध का समर्थन कर रहा है वह है यू.के.। यह वो देश है जिसने हमारे देश को अढ़ाई सौ वर्ष तक गुलामी की जंजीरों में बांध कर रखा और देश को आजाद कराने में हमारे नेताओं अथवा असंख्य देश में गरीबी है उसका दोष यू.के. को जाता है। मैं समझता हूं कि अगर हम युद्ध का समर्थन करते हैं तो इससे बड़ी भूल और कोई नहीं होगी।

अभी हाल ही में यू.एस.ए. कोई हार्लन वाटस्न 29 अप्रैल, 2002 को भारत आये थे। अखबारों के माध्यम से पता चला कि वो "क्लामेट चेंज नैगोशियेटर" हैं। चूंकि उनकी इस यात्रा को ज्यादा उजागर नहीं किया गया, मन में कई शंकाए उत्पन्न होती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यू.एस.ए. के दबाव में हम क्योटो प्रोटोकाल के खिलाफ जायेंगे, उस दस्तावेज के खिलाफ जिस पर हम दस्तखत कर चुके हैं। युद्ध जब होता है तो इसका विपरीत असर पर्यावरण पर भी पड़ता है और इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए।

अंत में मैं मणिशंकर अय्यर के साथ अपने आप को संबद्ध कर प्रधान मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप नान एलाइड देशों की बैठक में भाग लेने जा रहे हैं, हम आशा करते हैं कि आप वहां भारत का मजबूत पक्ष रखेंगे और युद्ध न हो इसका पक्ष करेंगे, क्योंकि यू.एस.ए. वो देश है, जिसने चुपचाप काश्मीर में आतंकवादियों की मदद की है और हम आशा करते हैं कि आप उस देश का पक्ष कभी नहीं करेंगे, जो काश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देता है। आप गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की बैठक में जाएं तो कविता की इन पंक्तियों को सार्थक करें:-

विजयी विश्व तिरंगा प्यारा,

झण्डा ऊंचा रहे हमारा।

अध्यक्ष महोदय: आठवले जी, आप अच्छे आदमी हैं। प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले जो कुछ भी कह रहे हैं, उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): मैं एक कविता पढ़ता हूं।

"जब ओसामा बिन लादेन बन गया धूर्त,
तब अमेरिका को याद आ गया हमारा बुद्ध
अगर अमेरिका करेगा इराक के साथ युद्ध
तो सारी दुनिया हो जाएगी क्रुद्ध
और अमेरिका के साथ करेगी युद्ध।"

मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि भारत को इस वक्त अमेरिका के साथ नहीं रहना चाहिए। उसे इराक के साथ रहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: भाषण रिकार्ड में न जाए लेकिन कविता रिकार्ड में जा सकती है।

[अनुवाद]

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। इस बात में कोई शंका नहीं है कि सरकार उनके द्वारा व्यक्त विचारों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। मेरे माननीय साथी विदेश मंत्री जो कि दुर्भाग्यवश यहां उपस्थित नही है, को इस संबंध में पूर्णत: अवगत करवाया जाएगा। मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

एक माननीय सदस्य, जिन्होंने यह चर्चा आरम्भ की थी, ने शायद मेरे विरुद्ध अपनी टिप्पणियों को व्यक्तिगत रूप देने का प्रयत्न किया। मैं जानता हूं कि यह एक जाना-माना लक्षण है और किसी व्यक्ति को बोलना बंद न करने की अक्षमता है, इसलिए मैंने उनके द्वारा कही गई बातों पर ध्यान न देना ही उचित समझा। मुझे इस संबंध में भारत सरकार की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई थी। इसे बारम्बार समय-समय पर स्पष्ट किया जाता रहा है। पिछले सत्र में दूसरी सभा में इस विषय पर पूरी चर्चा की गई थी। लेकिन कृपया मुझे इस संबंध में भारत सरकार की स्थिति स्पष्ट करने दीजिए।

सरकार इराक के संबंध में उत्पन्न स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ निरन्तर राजनयिक संबंध बनाए हुए है। सरकार की स्थिति उनके इन सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता को बनाए रखना, सर्वसम्मति से स्वीकृत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का संकल्प 1441 को पूरा करने की सुनिश्चितता की आवश्यकता; युद्ध को रोकने और इराक में मानवीय संकट दूर करने की आवश्यकता; अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने का महत्व; खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में अप्रवासियों की सुरक्षा और कल्याण सहित क्षेत्र में भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी हित, और इराक के साथ परम्परागत रूप से मजबूत आर्थिक संबंध - जो कि उस देश के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप पिछले दशक में कमजोर पड़ गए थे।

8 नवम्बर, 2002 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से संकल्प 1441 को स्वीकृति प्रदान करने के बाद, सरकार ने सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के इस सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय की वैधता को मान्यता देता है।

यह संकल्प संयुक्त राष्ट्र चार्ट के अध्याय-सात के अंतर्गत दिया गया है तथा इराक ने भी इस संकल्प की शर्तों को स्वीकार कर लिया था। सरकार ने आगे कहा कि इराक को इस संकल्प के प्रावधानों का निष्ठापूर्वक पालन करना होगा; और यदि इराक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् संकल्प 1441 का पालन नहीं करता तो सुरक्षा परिषद् को ही यह निर्णय लेना चाहिए कि क्या कार्यवाही की जानी चाहिए; और यदि इराक ने संकल्प के प्रावधानों का पूर्णत: पालन किया तो इराक के विरुद्ध प्रतिबंधों को हटाया जाना चाहिए। सरकार ने यह भी कहा था कि मानवता के हित में यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र द्वारा शान्तिपूर्वक सुलझा लेना चाहिए।

जैसा कि मैंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में इस मुद्दे पर अपनी आरम्भिक टिप्पणी में कहा था, सरकार सुरक्षा परिषद् को हथियारों के निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत भिन्न-भिन्न रिपोर्टों सहित 5 फरवरी, 2003 को अमरीका द्वारा सुरक्षा परिषद् को प्रस्तुत किए गए प्रमाण के तथ्यों जैसी घटनाओं पर नजर रखे हुए है। यू एन एम ओ वी आई सी और आई ए ई ए के प्रमुखों ने 27 जनवरी और 14 फरवरी को अपने सावधानीपूर्वक कहे गए संक्षिप्त और सम्पूर्ण विवरण में परिषद् को सूचित किया है। उनकी रिपोर्टों में उस आवश्यक बात का उल्लेख किया गया है जिसके आधार पर परिषद् अंतर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के संबंध में निर्णय लेगी।

सरकार की नीति यह है कि युद्ध को रोका जाना चाहिए और इस उद्देश्य से इस मुद्दे का शान्तिपूर्वक हल निकालने के लिए सभी संबंधित पक्षों को पूर्णत: सहयोग करना चाहिए। इराक को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के संकल्पों के प्रावधानों का निष्ठापूर्वक पालन करना है। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर आगे की कार्यवाही जहां तक हो सके अंतर्राष्ट्रीय सहमति के आधार पर की जानी चाहिए और सुरक्षा परिषद् को यह निर्णय लेना चाहिए कि आगे क्या कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है।

[श्री जसवंत सिंह]

माननीय अध्यक्ष महोदय हम इस बात का अनुभव कर रहे है और विश्व को भी इस बात का ज्ञान है कि सुरक्षा परिषद् युद्ध और शांति के बीच निर्णय लेने के करीब आ रही है। हम जानते हैं कि इस मुद्दे पर अन्तिम निर्णय लेने से पहले वह उन जटिल परिस्थितियों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी जो कि उनके द्वारा उठाए गए किसी कदम से उत्पन्न हो सकती है।

इसमें ऐसे मुद्दे सम्मिलित है जैसे वहां विनाशक हथियारों के विकास द्वारा उत्पन्न खतरे, राज्य विरोधी लोगों (आतंकवादियों) को उन हथियारों के मिलने का खतरा, चार्टर के अध्याय-सात और इसके संकल्पों के अनुपालन के महत्वपूर्ण प्रश्न के भी अधीन प्रवर्तन कार्यवाही का महत्व और विश्वसनीयता, शस्त्र निरीक्षणों का औचित्य और प्रभाविता और प्रतिबंधों के कारण निरन्तर दबाव आदि। इस क्षेत्र में सैन्य कार्यवाही के तत्काल अस्थिर परिणामों के अलावा परिषद् को अपनी कार्यवाहियों के प्रभाव को भी ध्यान में रखने की अपेक्षा होगी। उस क्षेत्र में शान्ति स्थिरता और सुरक्षा के संदर्भ में उपयोगिता के साथ-साथ विश्व में जनमत को पराकाष्ठावादी बनाने में खतरा है। इसके साथ-साथ भिन्न-भिन्न परिमाण के आदेशों के अन्य सेट जारी करने से लोगों के भारी आन्तरिक प्रस्थापन की सम्भव्यता और शरणार्थियों की आने की संभावना तेल आपूर्ति में बाधा होगी और अचानक झगड़ा होने की संभावना में अन्य ऐसे तत्काल आर्थिक और सामाजिक प्रतिक्रिया हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न है जिसके साधारण जवाब नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये ऐसे प्रश्न है जिन्हें नजर अन्दाज भी नहीं किया जा सकता है। सुरक्षा परिषद् को संयुक्त राष्ट्र का बहुपक्षीय अंग होने के कारण, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है इसे और इस पर कड़ी पहल करने से पहले इन प्रश्नों पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, भारत ने भी लगातार तीन अन्य आवश्यक बातों का अनुपालन किया है:

1. कि युद्ध और संघर्ष सदैव अन्तिम विकल्प होता है- यह पहला विकल्प कभी भी नहीं हो सकता।

2. कि निरीक्षकों को अपने भारी कार्य को पूरा करने के लिए पूर्ण और पूरी तरह मुक्त अवसर दिया जाए लेकिन इसके समान ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् को अनिश्चित काल तक अविलम्ब सक्रिय और बिना शर्त सहयोग सुनिश्चित करने तक इन्तजार करने की अपेक्षा नहीं करती होगी। जो संकल्प 1441 में स्वयं कहा गया है।

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय यह एक गलत बयानी है। यह कहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इस मामले की जानकारी दी जाए। वह अन्तिम निर्णय है और यह किसी प्रकार की इराक को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दी गई अन्तिम चेतावनी अथवा निर्दिष्ट सीमा नहीं है। लेकिन यह वह है जो हो रहा है।

श्री जसवन्त सिंह: मैं बहुत सावधानीपूर्वक सरकार की स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा। मैंने कहा है कि यह सुनिश्चित संरक्षण है और मैं इस पर बार-बार प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

भारत ने इराक के मुद्दे पर चर्चा करते हुए हमेशा बहुपक्षीय मार्ग की प्रधानता को बनाए रखा है। निसन्देह, माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र की महासभा में कहा था कि विश्व को बहुध्रुवी-विश्व की आवश्यकता है।

तीसरी बात जिसपर भारत को और हमेशा से चिन्ता रही है वह इराक में मानवतावादी स्थिति के बारे में हैं। इराक के लोगों ने बहुत बुरी तरह से सहन किया है। दस मिलियन लोग-आदमी, औरत और बच्चे-खाद्य के लिये अन्न कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र तेल पर निर्भर है। यह भारत की सबसे बड़ी चिन्ता का कारण है इसीलिए, अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि यह ऐसे प्रश्न है जिसका साधारण जवाब नहीं है लेकिन यह वे प्रश्न है, जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमें इस चर्चा के रूप में इन प्रश्नों का हल करने का अवसर मिला है।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय इस मामले पर सरकार का पक्ष नहीं बताया गया है। हम जानना चाहते हैं क्या सरकार सैन्य कार्यवाही का विरोध कर रही है अथवा नहीं कर रही है। सरकार का पक्ष क्या है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: सरकार की तरफ से इस सवाल पर लीपापोती की गई है। अमरीका द्वारा सीमा पार से आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले पाकिस्तान को खुला संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। ऐसे समय में इस सवाल पर लीपापोती देश हित में नहीं है।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 5.20 बजे

निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधायी कार्य करेगी। 18 फरवरी, 2003 को श्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार अर्थात्:

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा भारतीय दंड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री जर्नादन रेड्डी।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 5.22 बजे

[अनुवाद]

नियम 193 के अधीन चर्चा

संयुक्त राज्य अमरीका और इराक के बीच बढ़ते तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा

श्री अजय चक्रवर्ती: सरकार की स्थिति क्या है?...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार: महोदय, कृपया इस पर मुझे एक दो स्पष्टीकरण पूछने की अनुमति दीजिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: इराक ने कश्मीर के सवाल पर भारत का खुलकर साथ दिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही अगले मद को ले लिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, इस मुद्दे पर हमने सर्वसम्मत संकल्प के लिए अनुरोध किया था।...*(व्यवधान)* महोदय, कोई व्यक्ति भी कानून के ऊपर नहीं है...*(व्यवधान)* यह इस देश द्वारा अपनाई गई गुटनिरपेक्ष की विदेश नीति से विपथन है...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: मंत्री महोदय चर्चा के दौरान बाहर चले गए है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: मान्यवर, मंत्री जी जवाब देकर सदन से बाहर चले गए जबकि यह इतना गंभीर सवाल है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप जानते हैं कि मैंने अगला आइटम शुरू किया है, इसलिए मंत्री जी गए हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही अगली मद पर चर्चा शुरू की है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मित्रों, आपको मालूम है कि प्रश्न यह है क्या संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाए, जिस पर कार्यमंत्रणा समिति में चर्चा हुई थी।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, इराक को लेकर राजनीति न की जाए तो अच्छा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा जी, मैं उनसे बात कर रहा हूं। सदन में शान्तिपूर्वक इस पर चर्चा हो चुकी है। जैसाकि संकल्प के लिए सर्वसम्मति नहीं है क्या संकल्प को लिया जाए अथवा न लिया जाए और इसलिए यह निर्णय लिया गया था कि इस पर चर्चा कराई जाए। और इस पर चर्चा हो गई है अत: इस संबंध में संकल्प का प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं अगली मद पर चला गया हूं। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार: यह सरकार के दम्भी रवैये को दर्शाता है।

श्री मणिशंकर अय्यर: यह क्यों है कि मंत्री महोदय सभा के मार्फत देश को सूचित करने से बच रहे है जबकि उसी बात को कह आप चैम्बर में निजी तौर पर आपको बता दिये है?

अध्यक्ष महोदय: निजी तौर पर नहीं बताया है मैं इसे आपको बताता हूं इस मुद्दे पर कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा हुई थी। वहां इस पर सर्वसम्मति नहीं थी। अत: अन्ततः इस पर चर्चा हुई और अब यह चर्चा पूरी हुई है।

श्री मणिशंकर अय्यर: मैं इसे स्वीकार करता हूं लेकिन सदन में संकल्प के लिए मांग की गई थी ताकि इस पर सरकार अपना पक्ष रख सके मंत्री जी ने सदन में जो पूछा गया है उस बात को जल्दी-जल्दी निपटा दिया यह सब प्रजातंत्र में नहीं चलेगा। वह सदन में आते है और लिखा-लिखाया वक्तव्य पढ़ देते है। वह इस बात पर ध्यान नहीं देते कि यहां पर क्या बताया गया है। साथ ही साथ उन्होंने यह कहते हुए मेरी वेइज्जती की है कि मि. अय्यर बहुत बोलते हैं। क्या मंत्री जी से इस प्रकार से व्यवहार की अपेक्षा की जाती है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: चर्चा पूरी हो गई है, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह यदि आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप अभी बोलना शुरू नहीं करेंगे तो मैं दूसरे वक्ता को बुलाउंगा।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: अमेरिका सारी दुनिया पर अपना साम्राज्य कायम करना चाहता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री तरित बरण तोपदार: इसके मद्देनजर भारतीय संसद को इंग्लैंड और अमरीका के आक्रमक रवैये के विरुद्ध सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित करना चाहिए। क्या सत्ता दल इससे सहमत है?

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): हमें सर्वसम्मति से एक संकल्प तत्काल स्वीकार करना चाहिए कि हम युद्ध के खिलाफ हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री सुनील खां, कृपया अपनी जगह बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक सदस्य को बोलने दीजिए, मैं सुनने को तैयार हूं। आप वास्तव में क्या कहना चाहते हैं। आप क्यों अनावश्यक रूप से हल्ला कर रहे हैं? मैं नहीं चाहता हूं कि सदस्य सभा में इस प्रकार हल्ला करे। यदि किसी सदस्य को कोई बात कहनी है, वे कह सकते हैं मैं उन्हें बोलने की अनुमति दूंगा। यदि आप अपनी बात कहना चाहते है तो अन्य लोगों को स्थान ग्रहण करने दें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): हमारे देश में इतनी गंभीर समस्याएं हैं, उनको छोड़कर ये इराक पर बात करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री परांजपे कृपया बैठ जाइये।

श्री मणिशंकर अय्यर: हमें सत्ता पक्ष के मुख्य वक्ता द्वारा सूचित किया गया था कि उनके विचार से सभा में इस पर सर्वसम्मति है कि इस अवसर पर क्या कहा जाए।

अध्यक्ष महोदय: श्री परांजपे, कृपया बैठ जाइये। मैंने श्री अय्यर को बोलने की अनुमति दी है। सभा में अनुशासन होना चाहिए। कृपया बैठ जाइये और सभा में इस प्रकार की बातें मत कीजिए। मैंने श्री अय्यर को अनुमति दी है। उन्हें अपनी बात स्पष्ट करने दीजिए! यह क्या हो रहा है।

श्री मणिशंकर अय्यर: सत्ता पक्ष के मुख्य प्रवक्ता ने कहा है कि हमारे बोलने से पूर्व इराक पर अमरीका द्वारा दी जा रही धमकी और दो देशों के बीच बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय तनाव के प्रश्न पर सर्वसम्मति है। उनके इस वक्तव्य कि सभा में सर्वसम्मति है हमने सर्वसम्मति की बातें सभा के समक्ष रखी। मैंने विशेषरूप से अपने दल की ओर से कहा कि भारत के स्थायी प्रतिनिधि द्वारा अक्तूबर 2002 को जो कुछ कहा गया है इसकी विषय वस्तु बने जिसके आधार पर प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करने है। संसद सर्वसम्मति से विचार पारित करके जिसे प्रधानमंत्री को कुआलालंपुर की यात्रा करने से पूर्व व्यक्त किया जाए जिससे कि वे न केवल भारत सरकार बल्कि पूरे भारत की ओर से अपनी बात स्पष्ट रूप से रख सकें।

मैं विदेश मंत्री का भी कार्य भार देख रहे हैं से किसी प्रतिक्रिया की आशा कर रहा था। इस उम्मीद के साथ कि भारत सरकार इस मुद्दे पर सर्वसम्मति प्राप्त प्रस्ताव सभा में क्यों नहीं पारित कराना चाहती है जबकि सत्ता पक्ष द्वारा स्वयं ही कहा गया है कि वे इस मुद्दे पर एकमत है। अत: कोई प्रस्ताव क्यों नहीं पारित कराया जायेगा अथवा इसका अवसर आयेगा मैं कृतार्थ होऊंगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रत्येक सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। मुझे इसका खेद है। सभा इस प्रश्न पर सरकार की ओर से कोई वक्ता प्रतिक्रिया देने हेतु तैयार है।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि कल जब आपके चैम्बर में बात हुई, वहां बात हुई कि हाउस में इराक के मामले में डिफरैंस आफ ओपीनियन है, यह बात बाहर नहीं जाएगी। यहां दो-तीन बातें बिल्कुल

बेसिक, फंडामेंटल हुई कि हिन्दुस्तान चाहता है कि लड़ाई न हो, हिन्दुस्तान चाहता है कि सिक्योरिटी कौंसिल के माध्यम से ही काम हो और सभी देश मिल कर कंसेंस बनाएंगे। हमारा देश चाहता है कि इराक के अंदर अगर कहीं, कोई हथियार हैं, तो सिक्योरिटी कौंसिल के माध्यम से उसको डिस-आर्म किया जाए और इस समय बजाय इसके कि एक तरफा लड़ाई हो, अमरीका को कोशिश करनी चाहिए कि सिक्योरिटी कौंसिल के माध्यम से समस्या का समाधान हो। ये बातें बेसिक तौर पर कांग्रेस पार्टी ने भी रखीं और बाकियों ने भी रखीं। अब उस बात पर यूनेनिमिटी हो रही है। मुझे आश्चर्य है कि सी.पी.एम. के लोगों ने लगता है कि यह तय कर रखा है कि कभी यूनेनिमिटी होने ही नहीं देनी है, यानी यहां पर कोई बात चलने ही नहीं देनी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री पाल, आपको उनकी बात सुननी चाहिए।

श्री रूपचंद पाल: महोदय, मुझे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पाल, कृपया उनकी बात सुने।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सरकार की तरफ से श्रीमती सुषमा स्वराज इस मुद्दे पर रवैया स्पष्ट करेगी।

...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महदोय: कृपया बैठ जाइये। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। वह आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही हैं।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष जी, माननीय सांसद मणिशंकर अय्यर जी ने एक बहुत ही पाइंटेड सवाल रखा है। उन्होंने यह सवाल किया है कि जब हाउस में यूनेनिमिटी है, तो गवर्नमेंट हाउस से एक यूनेनिमस रिजोल्यशन पास क्यों नहीं कराती है। यह एक पाइंटेड सवाल है। मैं इसका जवाब देना चाहूंगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि हमने बी.ए.सी. में एक कार्यक्रम तय किया था। उसमें यह तय हुआ था कि रिजोल्यूशन नहीं, बल्कि डिसकशन हो, लेकिन क्यों? बात सीधी है और इसका सरल जवाब यह है कि डिसकशन में भाव प्रकट होते हैं, लेकिन रिजोल्यूशन में शब्द भी तय किए जाते हैं। जब भारत सरकार के प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाएं, तो उनसे यह अपेक्षा तो जरूर होनी चाहिए कि सदन में देश की जो भावनाएं और भाव प्रकट हुए हैं, वे उस स्पिरिट को लेकर जाएं और वह स्पिरिट वहां रखें, लेकिन...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: लेकिन वह स्पिरिट नहीं ली गई। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: लेकिन वह किन शब्दों में रखें, इसकी थोड़ी-बहुत गुंजाइश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाते समय रहनी चाहिए। क्योंकि जब रिजोल्यूशन हो जाता है, तो सदन का एक मैंडेट हो जाता है। फिर कौमा या फुल स्टाम का अन्तर करने की गुंजाइश भी बचती नहीं है। अब नैम में अगर कोई प्रस्ताव पारित हो जिसके शब्द हमारे सदन के प्रस्ताव से थोड़े से भिन्न हों, तो भी यह होगा कि सदन का मैंडेट आपने समाप्त कर दिया। इसलिए मैं मणिशंकर जी से कहना चाहूंगी कि कोई एतराज नहीं था। केवल मात्र इतनी चीज थी कि थोड़ी गुंजाइश शब्दों के फेर-बदल की दे दी जाए। भाव आपके ही हैं और उन्हीं भावनाओं के अनुरूप सरकार जाएगी, आपकी बात रखेगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब यह प्रश्न समाप्त हो गया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है सभा में इस प्रकार का आचरण नहीं होना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब हम मद सं. 7 पर विचार करेंगे।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 5.36 बजे

निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक-पारित-*जारी*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, माननीय कानून मंत्री जी दोबारा मंत्रिमंडल में आए हैं। ये जब मंत्री पद से हट गए थे, इन्हें निकाल बाहर किया था तो हम लोगों को बहुत खराब लगा था, अब फिर से शामिल किए गए हैं तो अच्छा लगा। आज ये जो प्रोक्सी वोटिंग का विधेयक लाए हैं कि प्रोक्सी से वोटिंग की जाए। इसमें कोई आशंका नहीं, जब हम लोग कालेज में पढ़ते थे तो प्रोक्सी से हाजिरी लगा देते थे तो उस समय बड़ा खराब माना जाता था और छात्र दंडित किए जाते थे। वही चीज हमारे दिमाग में बैठी हुई है कि प्रोक्सो खराब है। प्रोक्सी वोटिंग कानून में रोक थी, लेकिन कानून मंत्री जी इसे ले आए हैं कि प्रोक्सी वोटिंग हो। इसमें भी विधेयक को देखा जाए। अब मिलिट्री देश की रक्षक है। ये हमारे देश की रक्षा करने वाले हैं, हमारे देश का गौरव हैं। आर्मी के लोग देश की रक्षा करते हैं, इन्हें हर सहूलियत दी जाए और सम्मानित रखा जाए। देश का कोई नागरिक ऐसा नहीं है जो यह कह सके कि जो आर्मी में देश की सेवा और रक्षा में लगे हुए हैं उनके सम्मान में कोई कमी की जाए या उन्हें कोई अधिकार न दिया जाए। इसमें कोई विरोध देश के आम लोगों को नहीं है।

महोदय, 20-21 दिन का चुनाव प्रचार पहले होता था उसे कमीशन ने घटा कर 14 दिन किया। 14 दिनों में पोस्टर बैलेट से उन्हें वोट डालने का अधिकार था। इस तरह वोट डालने में देरी हो जाती है, 14 दिन में लोग वोट नहीं डाल पाते, बैलेट नहीं पहुंचता, इसलिए उन्हें प्रोक्सी वोट का अधिकार दिया जाए। इसलिए यह विधेयक लाए हैं। हम लोग देखते हैं कि प्रोक्सी वोटिंग ऐसे ही हो रही है। चुनाव सुधार के लिए कितनी कमेटियां बनीं कि चुनाव सुधार होगा, लेकिन सरकार चुनाव सुधार नहीं, बल्कि चुनाव बिगाडज़ वाला विधेयक ले आई। चुनाव में जहां फेयर एंड पीसफुल इलैक्शन की कल्पना हम लोग करते हैं कि किसी भी हालत में चुनाव साफ-सुथरा होना चाहिए, चूंकि लोकतंत्र, मतलब वोट का राज, लेकिन जब वोट सही ढंग से नहीं होगा तो लोकतंत्र भी मजबूत नहीं होगा, कमजोर होगा। पहले से ही कानून में रोक थी और इसमें भी लोग कहते हैं कि सिक्रेसी भंग होगी तथा गोपनीयता समाप्त होगी। उधर के एक माननीय सदस्य, श्री वी.पी. सिंह ने कहा कि पति-पत्नी में विश्वसनीयता होनी चाहिए, पत्नी के बदले पति और पति के बदले पत्नी वोट डाल दे तो प्रोक्सी में विश्वास की बात है। यह जो वोट में सिक्रेसी और पति तथा पत्नी के बीच में भी सिक्रेसी होती है, यह कानून मंत्री जी को समझना चाहिए। ये सिक्रेसी को भंग करने वाला विधेयक लाएंगे तो कोई मानेगा और ये कहते हैं कि पति एवं पत्नी का विश्वास, तो पति के बदले पत्नी को एलाऊ करेंगे, इस तरह का तर्क सदन में दिया जाता है। पति का पत्नी पर विश्वास के मायने पत्नी के साथ प्रोक्सी हो जाए।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, सदन की स्टैंडिंग कमेटी में आर्मी को राइट टू वोट का सर्वसम्मत प्रस्ताव है और इसमें अनेक उपाय किये जाने चाहिए, जिससे वे वोटिंग राइट से वंचित न हों। अब ये कहते हैं कि टैक्नोलोजी का विस्तार का युग है और 14 दिन में भी इनका पोस्टल मैनेजमेंट चौपट है, यह भी इनका विफलता का सबूत है, जो ये विधेयक लाये हैं कि 14 दिन में पोस्टल बैलेट नहीं पहुंच सकता, इसलिए प्रोक्सी वोटिंग से मिलिट्री के लोगों को अधिकार दिया जाये, आर्मी के लोगों को अधिकार दिया जाये। इसमें कुछ राजनैतिक साजिश लगती है। ये तो भगवान को नहीं छोड़ते तो मिलिट्री के लोगों को राजनीति में घसीटे बिना कैसे छोड़ेंगे। ये चाहते हैं कि लोगों को बतायें, यह दिखायें कि यही मिलिट्री के बड़े भारी सम्मान के पक्षधर हैं और राइट देने वाले हैं और लोग मिलिट्री के राइट के खिलाफ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): तो विरोध क्यों करते हो?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हम प्राक्सी वोट का विरोध करते हैं। जो देश की सेवा कर रहा है, वह प्राक्सी तो कर ही रहा है। आप लोग प्राक्सी के पक्षधर हैं। इसलिए कमेटी ने कहा कि इस पर विचार-विमर्श होना चाहिए और कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए, ताकि आर्मी के लोग, जो सीमा पर रहते हैं, वे वोट के अधिकार से वंचित न हों। उनका मत भी चुनाव में शामिल होना जरूरी है, इसलिए कहा कि तमाम राजनैतिक दलों से विचार-विमर्श किया जाये और प्राक्सी छोड़कर कोई न कोई रास्ता निकाला जाये, ताकि उनको वोट का राइट मिले और वे वोट डाल सकें।

पोलिटिकल पार्टीज के बीच में कन्सेंसस नहीं हुआ। उसके बाद भी सरकार इस विधेयक को लेकर चली आई है। यह समिति की अवमानना और पार्लियामेंटरी डैकोरम की अवहेलना हो रही है। सरकार की वचनबद्धता है कि हम कोई काम करेंगे तो उसमें कन्सेंसस का बड़ा ख्याल रखेंगे। इसमें भी सरकार से सदन को जानना चाहिए कि मिलिट्री के राइट के ऊपर भी मतभेद हो गया या विभाजन हो गया, यह सरकार को प्रयत्न करना चाहिए कि सर्वसम्मत बात हो, लेकिन ये यह दिखाने के लिए आतुर हैं कि

यही मिलिट्री के लोगों के बड़े भारी पक्षधर हैं। अनेक टैक्नोलोजी के उपाय हैं, अब ये विधेयक लाये हैं कि प्राक्सी में कैसे बहाल करेगा, जिस आदमी का परिवार वहीं पर रहता है, वोटिंग के समय पर अपनी कांस्टीट्वेंसी से बाहर है, वह किसे प्राधिकृत करेगा, कैसे प्राधिकृत करेगा, 14 दिन के अन्दर कैसे प्राधिकृत करेगा? ये सारे सवाल इसमें हैं।

बिहार के आदमी देश भर में फैले हुए हैं, वे दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जाते हैं, उसका कौन प्राक्सी होगा? उसका प्राक्सी क्यों नहीं होगा। राइट आफ इक्वेलिटी में भी सरकार को देखना चाहिए, कांस्टीट्यूशन में राइट आफ इक्वेलिटी है, हर एक को बराबर का अधिकार है, जो कोई भी देश में सेवा में बाहर है, उसे भी अधिकार देने का सवाल उठेगा। इसलिए इसमें राजनैतिक बू आती है, इसमें क्षुद्र स्वार्थ है और सरकार ने पूरा माइंड एप्लाई नहीं किया है। अभी जो टैक्नोलोजी है, उसके हिसाब से आर्मी के लोगों को भी वोटिंग राइट मिले, वे इस अधिकार से वंचित न हो सकें, उस तरह का सरकार ने माइंड एप्लाई नहीं किया और प्राक्सी वोटिंग का विधेयक सीधे ही ले आई। इससे चुनाव सुधार नहीं, चुनाव बिगाड़ होगा और प्राक्सी वोटिंग को ये लोग कैसे रोक पाएंगे, यह हम सरकार से जानना चाहते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ चुनाव प्रणाली में सुधार हो, इस पर हम लोगों का जोर है, लेकिन ये चुनाव बिगाड़ वाला विधेयक ले आये, वह भी मिलट्री के नाम पर, यह बहुत खरतनाक बात है, इसलिए मैंने जो सारे सवाल उठाये हैं, माननीय कानून मंत्री जी इनका जवाब दें।

श्री प्रकाश परांजपे: बिहार में प्राक्सी गवर्नमेंट चल रही है, उसमें आपको क्या कहना है?...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: बिहार में जनतंत्र का जन्म हुआ था। दुनिया में पहला जनतंत्र लिच्छवी जनतंत्र था, उसमें वोट का राइट था, इसलिए आप यह बात मत बोलिये।...*(व्यवधान)* बिहार में डेमोक्रेसी का जन्म हुआ इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जनतंत्र को मजबूत करने का काम करें।...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे: बिहार में...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रकाश परांजपे जी आप बैठिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, अब आप बोल सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए विशेषकर सेना में काम कर रहे कार्मिकों को मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए। हमारे संविधान में मताधिकार मूलभूत अधिकार में शामिल है। नागरिकता में मताधिकार और निर्वाचन का अधिकार दोनों श्रमिक है। सेना में काम कर रहे व्यक्तियों और सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्तियों के मामले में एक अधिकार अर्थात् निर्वाचन का अधिकार पहले से ही नहीं दिया गया है। लेकिन मताधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है। कुछ लोगों द्वारा नागरिकता के दूसरे अधिकार का त्याग किया गया है क्योंकि वे सेना अथवा सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। उन्हें निर्वाचन का अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः यह एक अहस्तांतरणीय अधिकार है और मूलभूत अधिकार भी है। मेरा कहना है कि आप इस अधिकार को हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। नागरिकता के अधिकार में ये दोनों अधिकार शामिल है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अहस्तांतरणीय है।

अतः मैं इस संशोधन का इस सामान्य कारण से विरोध करता हूं कि यह हमारे संविधान के मूलभूत अधिकारों के प्रतिकूल है। यह एक बात है और दूसरे एक अन्य महत्वपूर्ण बात जो मुझे कहनी है वह यह कि इसकी गोपनीयता बहाल रखी जाए। माननीय विधि मंत्री उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर रहे थे। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस प्रश्न पर इस प्रकार से विचार नहीं किया था। वहां भ्रष्ट आचरण को समाप्त करने का प्रश्न था। जब भ्रष्ट आचरण को इस प्रकार खुलेआम शामिल किया जाता है सरकार और उच्चतम न्यायालय अन्य बातों के अलावा गोपनीयता पर चर्चा नहीं करती है। उच्चतम न्यायालय ने कभी भी यह विचार प्रकट नहीं किया था कि भ्रष्टाचार के मामले में गोपनीयता नहीं बरती जाए। प्रश्न यह नहीं है। अतः गोपनीयता भी एक मूलभूत मुद्दा। अतः इस विशेष मामले में दो प्रकार का उल्लंघन है, एक जिसका उल्लेख मैंने अभी किया है और दूसरी यह है कि गोपनीयता भी समाप्त हो रही है।

फिर मान लीजिए हम मताधिकार प्राक्सी द्वारा दे रहे हैं। क्या हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा पायेंगे। मैं नहीं समझता हूं कि यह संभव है क्योंकि हमारे यहां यह संभव है कि किसी राजनीतिक मामले में किसी भी पत्नी का विचार अलग हो। किसी विशेष उम्मीदवार को मत देने के संबंध में पति-पत्नी में मतभेद हो

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

सकता है। मान लीजिए पत्नी को प्राक्सी का अधिकार दिया गया है। हम यह कैसे मान सकते हैं कि उनके द्वारा अपने पति/पत्नी के अधिकार का उसी प्रकार उपयोग किया जायेगा क्योंकि सेना में तैनात व्यक्ति अत्यंत दूर है। चुनाव का केंद्र निवार्चन क्षेत्र है। पत्नी मतदान केंद्र पर जाकर उसके मताधिकार का उपयोग कर रही है। हम कैसे यह मान सकते हैं कि वह अपने पति की इच्छा के अनुसार मतदान करेगी। हमने ऐसे अवसर देखे हैं जब पति-पत्नी आपस में एक दूसरे का विरोध करते हैं। यह भी संभव है कि पिता-पुत्र के आपसी विचारों में भी विरोध हो। यह स्वाभाविक है। किसी परिवार के प्रत्येक सदस्य का अपना विचार होगा? हम यह नहीं मान सकते हैं कि किसी की पत्नी मताधिकार का उपयोग वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से करेगी।

अत:, यह संभव नहीं है। हम सशस्त्र बल के कार्मिकों को उनके मताधिकार का प्राक्सी द्वारा उपयोग किए जाने का उचित अवसर उपलब्ध नहीं कराया है। हम इलैक्ट्रानिक युग में जी रहे हैं और हमारे देश में कई प्रकार की वैज्ञानिक प्रगति हुई है। अत: हम इस बारे में कोई न कोई निदान खोज सकते हैं।

महोदय, मैंने आज तक चुनाव प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर भाग लिया है। मैंने पंचायत चुनावों में भाग लिया है, मैंने सात बार राज्य विधान मंडल के चुनाव में भाग लिया है और मैंने लोक सभा चुनाव में तीन बार भाग लिया है। हमारे देश में कई प्रकार की वैज्ञानिक प्रगति हुई है और अब हम इलैक्ट्रानिक मतदान मशीन का उपयोग कर रहे हैं। अत: हम आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं और हम सशस्त्र बलों के कार्मिकों को मताधिकार देने हेतु एक विवेकपूर्ण तरीका अपना सकते हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार विवेक से कार्य करेगी। हम इस विधेयक को सशस्त्र बलों के मताधिकार के तरीकों में कोई अन्य तरीका अपनाकर बाद में पारित कर सकते हैं। अत: मैं माननीय विधि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे सभी दलों के साथ चर्चा करें और इस मामले पर सर्वसम्मति बनाये।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का जिसे सभा के समक्ष इस स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है कड़ा विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: सभा की अनुमति से, मैं सभा की बैठक का समय इस विधेयक पर पूरी चर्चा और मतदान होने तक बढ़ाता हूं।

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर): अध्यक्ष महोदय, निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक 1999 की बहस में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

महोदय, सरकार को पहले इस बात पर सभा को विश्वास में लेना चाहिए कि क्या प्रत्येक व्यक्ति के मतदान का अधिकार स्थानान्तरणीय है या नहीं। आजकल हमारे देश के अधिकांश लोग चुनाव में अपना मत नहीं देते हैं। मतदान एक प्रजातांत्रिक अधिकार है और यह एक मूल अधिकार भी है। यह भारतीय प्रजातंत्र की आत्मा है। यह विधेयक सशस्त्र बलों के कार्मिकों की बहुत दिनों से महसूस की जा रही आवश्यकता है। प्रत्येक को ज्ञात है कि सशस्त्र बलों के कार्मिक हमारे देश का अत्यंत अनुशासित वर्ग है। उन्हें महसूस होना चाहिए कि यह सभा उनकी समस्याओं एवं भावनाओं से अवगत है।

महोदय, मैं महसूस करता हूं कि यदि उन्हें यह अधिकार दिया जाता है तो वे इसका दुरूपयोग नहीं करेंगे। हमारा दल, डीएमके सशस्त्र बलों के कार्मिकों के प्रति सम्मान की भावना रखता है। सशस्त्र बलों के कार्मिकों ने अपनी भावना व्यक्त की है कि दूरदराज एवं सीमा पर तैनात होने के कारण वे देश की चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाते हैं। स्थायी समिति में भी इस बात पर सहमति थी कि सशस्त्र बलों के कार्मिकों को भी अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करने का मौका दिया जाना चाहिए। संसद में भी प्रत्येक दल यह देखने को उत्सुक है कि हमारी सशस्त्र बलों के कार्मिक भी अन्य लोगों की तरह से चुनाव प्रक्रिया में भाग लें।

महोदय, मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि ऐसा समय आ गया है कि हम यह अधिकार न केवल संशस्त्र बलों में सेवा करने वालों को प्रदान करें बल्कि उन लोगों को भी प्रदान करें जो अपने निर्वाचन क्षेत्र से अत्यत्र सेवा कर रहे हैं और उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है। उन्हें भी यह अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे।

महोदय, इस अवसर पर मैं तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। गत $1^1/_2$ वर्षों में तमिलनाडु विधान सभा में चार या पांच उपचुनाव हुए। इन चुनावों में तमिलनाडु के सत्ताधारी दल ने अपनी शक्तियों का दुरूपयोग किया और सरकारी तंत्र का दुरूपयोग किया। साधारण लोगों को स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष तरीके से मत नहीं देने दिया गया। सत्ताधारी दल ने गुंडा तत्वों और पुलिस की मौन सहमति से सभी चुनाव केन्द्रों पर कब्जा कर लिया। इसके अतिरिक्त, सत्ताधारी दल के लोगों ने मतदाता पहचान पत्र भी बिगाड़ दिये...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: अध्यक्ष महोदय, यह ठीक नहीं है। इस प्रकार की टिप्पणी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जानी चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि कुछ आपत्तिजनक होगा तो उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

श्री आदि शंकर: महोदय, स्थानीय निकाय के चुनावों में भी सत्ताधारी दल के लोगों ने इसी प्रकार का कार्य किया और उन्होंने सभी मतगणना केंद्रों पर कब्जा दर लिया। अधिकांश स्थानों पर उपद्रवी तत्वों ने विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं पर हमला किया। इस संबंध में चुनाव आयोग के पास अनेक शिकायतें दर्ज करायी गई हैं...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी बात नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री आदि शंकर: लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चुनाव या उपचुनाव के समय अधिकांश फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची में सम्मिलित कर लिया जाता है। जाली पहचान पत्र बनाए जाते हैं और सरकारी तंत्र का दुरूपयोग किया जाता है। ये कार्य ए आई ए डी एम के द्वारा किए जाते हैं जो कि सत्तारूढ़ दल है...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: अध्यक्ष महोदय, यह अच्छा नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री आदि शंकर: इन्हीं कारणों से सभी क्षेत्रीय, विपक्षी दलों ने संथाकुलम उपचुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है...*(व्यवधान)* डी एम के की तरफ से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत संशोधन विधेयक लाया गया है और इस संशोधन विधेयक के अंतर्गत प्राक्सी वोटिंग का प्रावधान रखा गया है। मैं किसी एक राज्य को दोषारोपित नहीं करता हूं। उत्तर प्रदेश, बिहार सहित बहुत से राज्य हैं जिनमें चुनाव के दौरान ये बातें सुनने को आती हैं कि बूथ कैपचरिंग के द्वारा लोगों की भावनाओं के विपरीत लोग चुनकर संसद और विधान सभाओं में आ रहे हैं। इन प्राक्सी वोटिंग के द्वारा सबसे ज्यादा खतरा बूथ कैपचरिंग करने वाले लोगों के पक्ष में यह बात जाती है।

अपराह्न 5.57 बजे

[**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** *पीठासीन हुए*]

दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि आपने जो प्राक्सी वोटिंग का अधिकार रखा है, इसमें कोई आवश्यक नहीं है कि जो हमारा सैनिक सीमा पर देश के लिए लड़ रहा है, उसकी भी वही सोच हो जो उसकी पत्नी की हो या उसकी पत्नी जो सीमा पर लड़ रही हो, उसके पति की भी वही सोच हो। मैं उदाहरण के तौर पर आपको गाजीपुर जनपद के एक गहमर गांव का उदाहरण देता हूं। गाजीपुर जनपद का गहमर गांव जिसमें प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति सेना के अंतर्गत है। विश्वनाथ सिंह गहमरी इस सदन के बड़े प्रखर सांसद रहे हैं और उन्हें बड़ा घमण्ड था कि जब गहमर का बक्सा खुलेगा तो हमें जीत हासिल होगी लेकिन विश्वनाथ गहमरी को तब धक्का लगा जब गहमर का बक्सा खुला और विश्वनाथ गहमरी को अपने ही गांव के अंदर हार का मुंह देखना पड़ा। मैं यह बात यहां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि निश्चित तौर पर हमारे सैनिकों को सेना में या अन्य जगहों में काम करने वाले लोगों को मताधिकार मिलना चाहिए लेकिन अगर प्राक्सी वोटिंग के द्वारा मतदान कराएंगे तो निश्चित तौर पर उन सैनिकों को या उन कर्मचारियों की भावनाओं का सही तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं हो सकेगा। इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस प्राक्सी वोटिंग के अधिकार को समाप्त करना चाहिए। यह जो संशोधन लाया गया है, यह खतरनाक है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि जब आज टैक्नोलाजी इतनी विकसित हो चुकी है कि आज जब इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीनरी के द्वारा हम राज्यों के अंतर्गत मतदान करा रहे हैं तो जहां भी हमारे लोग हैं, जहां वोटिंग की आवश्यकता है, उनकी वोटिंग करानी चाहिए और अगर आवश्यकता पड़े तो उन स्थलों पर ही उनकी मतगणना कराकर उसकी सूचना रिटर्निंग आफिसर को भेजनी चाहिए लेकिन अगर इस तरीके से अगर प्राक्सी वोटिंग का अधिकार देंगे तो इसका निश्चित रूप से दुरूपयोग होगा। मैं यह भी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि श्री टी.एन. शेषन से लेकर अब तक जितने भी मुख्य चुनाव आयुक्त हुए हैं, उन्होंने समय-समय पर चुनावों में सुधार लाने के लिए जितने भी प्रयास किए, वे प्रयास आज भी नाकामयाब हैं।

आज विधान सभाओं और लोक सभाओं के लिए जो धन की सीमा आपने निर्धारित की है, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि पांच प्रतिशत विधान सभाओं और लोक सभाओं में ही उस

[कुंवर अखिलेश सिंह]

सीमा के अंतर्गत चुनाव होता है वर्ना करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं और पूरी प्रशासनिक मशीनरी मूकदर्शक बनकर बैठी रहती है। आप यह जो प्राक्सी वोटिंग द्वारा मतदान कराने की बात कह रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आपकी यह सोच निर्रथक साबित होगी। आज जब आप धन के प्रभाव को नहीं रोक पा रहे हैं और आज भी इस सदन के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, उनमें से एक तिहाई से ज्यादा लोगों के ऊपर धनपतियों और कुबेरपतियों का प्रभाव है और अगर उस धन को माइनस कर दिया जाए तो मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि आज इस संसद के अंदर भी सुधार आ जाएगा और विधान सभाओं के अंदर भी सुधार आ जाएगा। जब उन स्थितियों में आप बदलाव नहीं ला पा रहे हैं तो इस प्राक्सी वोटिंग का अधिकार देकर आप निश्चित तौर पर और खामियों को पैदा करना चाहते हैं।

सायं 6.00 बजे

इसलिए मेरा फिर एक बार विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि आप इस पर पुनर्विचार करें और इसे प्रवर समिति को सौंप दें तथा सभी दलों की राय लेकर एक आम राय इस पर बनाकर कोई ऐसा रास्ता निकालें, जिससे हमारी सीमा पर काम करने वाले सैनिक अपने मत का प्रयोग कर सकें। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई दूसरा रास्ता तलाश करना होगा, वरना यह जो एक खतरनाक प्रक्रिया आप शुरू कर रहे हैं, यह निश्चित ही लोकतंत्र के लिए अशुभ होगी।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति जी, सेना में काम करने वाले चाहे छोटे स्तर के सिपाही हों या बड़े पदाधिकारी हों, उनको चुनाव के समय अपने मताधिकार का अवसर नहीं मिलता है। वैसे भी डाक से वोट जाता है, आपके क्षेत्र में भी जाता होगा, हमारे यहां भी जाता है। लेकिन उसकी संख्या 50-100 से ज्यादा नहीं होती।

जब जार्ज फर्नांडीज साहब रक्षा मंत्री बने तो वे बराबर सीमा पर जाते थे। उस समय सेना के सिपाहियों और पदाधिकारियों ने उनसे आग्रह किया था कि हम लोग सीमा पर जान की बाजी लगाकर रहते हैं, देश के लिए मर-मिटने के लिए तैयार हैं, युद्ध का समय आता है तो हम अपने सीने पर गोली सहते हैं, लेकिन हम लोगों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इस देश में किसकी सरकार बने, कौन बनाए, उसमें हम अपनी सहभागिता नहीं निभा सकते। फिर एक प्रक्रिया शुरू हुई। बीच के दिनों में कुछ इधर-उधर भी हुआ। हमें मालूम पड़ा कि विधि मंत्रालय ने इस संबंध में चुनाव आयोग को पत्र भेजा था। लेकिन जब चुनाव आयोग से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां इस संबंध में कोई कागज नहीं है। हम जार्ज फर्नांडीज साहब को बधाई देते हैं कि उन्होंने प्रयास करके एक बैठक की, जिसमें कानून मंत्री भी थे, अन्य संबंधित विभागों के मंत्री, पदाधिकारी और चुनाव आयोग के पदाधिकार भी थे। उसको लेकर एक प्रक्रिया शुरू हुई। यह खुशी का दिन है हम इसके लिए कानून मंत्री जी को बधाई देते हैं कि देश की सुरक्षा करने वाले लोग अब अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। अब उनके माध्यम से भी यह तय होगा कि इस देश में किसकी सरकार बने। इस संबंध में उनका विचार भी सामने आएगा।

जहां तक गलत और सही वोटिंग का सवाल है, तो सभापति जी इसे आपसे और हमसे ज्यादा कौन जानता है। गड़बड़ कैसे होती है या नहीं होती है, अगर गड़बड़ नहीं होगी और उसमें भी लाभ बिहार सरकार को होगा। बिहार में पुलिस बक्से में वोट डलवाती है।

सभापति जी, आप विद्वान आदमी हैं। आपकी विद्वता पर हम जैसे लोगों को गर्व है। लेकिन लगता है कभी-कभी आप सिखाई बातों को बोल जाते हैं, अपनी बात नहीं कहते हैं। आप कहते हैं कि देश के कोने-कोने में काम करने वाले मजदूरों को भी अधिकार देना चाहिए। एक तरफ सीमा पर गोली खाने वालों से आप मजदूरों की तुलना कर रहे हैं। लगता है आपको किसी ने सिखाया है। जब आप सेंट्रल हाल में बैठे हुए थे, किसी ने आपको समझाया था इसलिए आपने ऐसी बात कही।

सभापति महोदय: आसन के प्रति कोई आक्षेप न हो। आप उधर करके बोलें।

श्री प्रभुनाथ सिंह: जहां पर पति और पत्नी के विश्वास का सवाल है। गांवों में आज भी पति और पत्नी में विश्वास बरकरार है। हो सकता है शहरों में यह दो-चार प्रतिशत इधर-उधर हो। लेकिन शहरों में भी ज्यादा ऐसे परिवार हैं, जहां पति और पत्नी के विचार मिलते हैं। जब इनमें एक-दूसरे के प्रति विश्वास नहीं रहता, तो संबंध गड़बड़ा जाते हैं। इसलिए विश्वास मजबूत होता है, तभी रिश्ते का निर्वाह होता है। मैं कानून मंत्री जी से कहूंगा कि जहां अगर पत्नी न हो तो कोई निकटतम संबंधी हो, उसको यह अधिकार देना चाहिए, ताकि सेना के लोगों का मतदान हो सके। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए।

सभापति महोदय: बिहार में जुगल किशोर सिंह समाजवादी पार्टी के थे और श्रीमती रामदुलारी सिन्हा कांग्रेस पार्टी की सदस्या होकर मंत्री थीं।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: चेयर पर होकर ऐसा न बोलें।

सभापति महोदय: आसन को निष्पक्षता माननीय सदस्य से नहीं सीखनी है। मैंने केवल सूचना दी है और माननीय सदस्य को सूचना देने का अधिकार आसन का है। साथ ही यह भी अधिकार है कि माननीय सदस्य को सही जानकारी दी जाए।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): क्या संसदीय कार्य मंत्री मुझे बताएंगी कि श्री स्वराज कहां है? क्या वह उन्हीं के दल में हैं या किसी अन्य दल में?

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): पार्टी में होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर स्वराज जी यह कहें कि मेरी तरफ से वोट फलां जगह पर डालकर आना तो निश्चित तौर पर उनकी बात को सिरे चढ़ाते हुए वोट वहीं डालूंगी। अलग दल में होने के कोई मायने नहीं हैं, विश्वास के मायने हैं और साथ ही यह भी कि उनकी बात को सिरे चढ़ाना है या नहीं चढ़ाना है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: विश्वास बिहार में देखा जा सकता है। बिहार के राज्य सभा के एक सांसद हैं जिनकी पत्नी बिहार की मुख्यमंत्री रावड़ी जी हैं। वे आंख के इशारे से कहते हैं कि इस कागज पर दस्तखत कर दो, रावड़ी जी कर दिया करती हैं। ...*(व्यवधान)* इसलिए आप यह नहीं कर सकते हैं कि पति-पत्नी में विश्वास नहीं होता। पति और पत्नी का रिश्ता विश्वास पर चलता है। इसी विश्वास के चलते हम इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हैं और मैं सरकार से कहूंगा कि इस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाए कि पत्नी के अलावा भी दूसरा कोई वोट डाल सके। रक्षा मंत्री माननीय जार्ज फर्नान्डीज जी और कानून मंत्री माननीय जेटली साहब को मैं इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने लाखों सैनिकों की भावनाओं का आदर और सम्मान किया है और इस बिल से सैनिकों को मतदान देने का अवसर मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): महोदय, मैं निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 का निम्न आधारों पर समर्थन करता हूं। पूर्व में इसे वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व विधि मंत्री श्री राम जेठमलानी द्वारा पेश किया गया था और अब इसे वर्तमान विधि मंत्री द्वारा पेश किया जा रहा है। जो एक वरिष्ठ वकील हैं। प्राक्सी वोटिंग से विश्व अपरिचित नहीं है। पूरा सभ्य संसार इससे परिचित है। अमरीका में प्राक्सी वोटिंग है। विकलांग और अन्य लोग जिनमें कोई अंग विकृति है मतदान केन्द्र पर उनका प्रतिनिधित्व किसी प्राक्सी द्वारा किया जा सकता है। इसी प्रकार प्राक्सी वोटिंग विश्व के सर्वाधिक औद्योगिकृत देश जापान, बेल्जियम और कुछ अन्य देशों में भी चल रही है। अत: मतदान एक संवैधानिक अधिकार है। चुनाव लड़ना कानूनी अधिकार है। श्री वरकला राधाकृष्णन ने कहा है कि चुना जाना एक मौलिक अधिकार है। किसी को चुना जाने का अधिकार नहीं मिला है। यह निर्णय लोगों को लेना है। लेकिन आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैंने यही कहा था।

श्री पी.एच. पांडियन: अत: पूरा विधेयक दोषपूर्ण नहीं है। यह वर्तमान परिस्थितियों के पूर्णत: अनुकूल है। यह पूर्णत: कानूनी है। यह संवैधानिक है। इसे किसी भी न्यायालय में कानून के समक्ष रखा जा सकता है क्योंकि उन्होंने कहा है यह अनुच्छेद 14 को प्रभावित करेगा। यह ऐसा नहीं है।

सैन्य कर्मियों को मतदान का अधिकार देने से उनकी पत्नी उनके इच्छाओं के अनुरूप मतदान करेगी। इन वर्षों में सीमा पर तैनात सैन्य कर्मी मतदान नहीं कर सके। अब वे मत देने के संवैधानिक अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। अत: इस समय भारत सरकार ने सैन्य कर्मियों को संवैधानिक अधिकार दिया है। अत: मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं क्योंकि भूतपूर्व विधि मंत्री श्री राम जेठमलानी और वर्तमान विधिमंत्री श्री अरुण जेटली बिना किसी विधि संबंधी दोष के यह विधेयक लाए है।

इसमें विधि संबंधी दोष नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि अमरीका और अन्य देशों में इसकी जांच की गई है। यह यहां भी जांच पर खरा उतरेगा क्योंकि हमारे न्यायालय विदेश में लिए गए निर्णयों का अनुकरण करेंगे। पूरा विधेयक कानूनी रूप में है।

मैं इस विधेयक का समर्थन सशस्त्र बलों के हित में करता हूं जो अपना जीवन बलिदान करते हैं। उन्हें यह अधिकार बलों में सेवा करने के लिए दिया जाता है। हमने यह निर्णय अपने दल

[श्री पी.एच. पांडियन]

की महासचिव और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री डा. जयललिता की अध्यक्षता में संसदीय दल में पूरा विचार विमर्श करने के बाद लिया। हमने विचार विमर्श किया क्योंकि मैं स्थायी समिति का एक सदस्य था। स्थायी समिति में हमारे विचार भिन्न थे। इसीलिए इसे यहां भेजा गया। स्थायी समिति के कुछ सदस्यों के विचार अलग थे उनका कहना था कि वह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि इसका दुरूपयोग हो सकता है और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि इसे वर्तमान रूप में ही पारित किया जाना चाहिए। इसलिए अपने दल की बैठक में हमने यह निर्णय लिया। ए आई ए डी एम के पार्टी ने संसदीय दल, विधानमंडल दल और प्रत्येक को विश्वास में लिया क्योंकि वेल्लोर, तिरूनेलवेली एवं तमिलनाडु के कुछ अन्य भागों में सशस्त्र बल कार्मिकों और भूतपूर्व कर्मचारियों की काफी तादाद है। तमिलनाडु में अनेक स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। अनेक स्वतंत्रता सेनानी जैसे बांचीनाथन, वीओ चिदम्बरम पिल्लै और सुब्रह्मण्यम भारती तमिलनाडु के ही थे। अत: हमारे अंदर देश भक्ति है और हम यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिए विधि मंत्री को अपना समर्थन दे रहे है। मैं ए आई ए डी एम के की तरफ से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): महोदय, इस सभा में भारतीय सशस्त्र बलों के संबंध में जो भ्रांत धारणा है उसको दूर करना चाहता हूं।

सत्ता पक्ष ने यह पूछने का प्रयास किया, "यदि यह विधेयक पारित नहीं किया गया तो सशस्त्र बलों के मन में विपक्ष के प्रति क्या धारणा बनेगी?" यह स्पष्ट रूप से भावना पैदा करके दिग्भ्रमित करना है। मेरे विचार से जहां तक सशस्त्र बलों का संबंध है इस संबंध में विपक्ष के मन में भी उतनी ही लोक कल्याणकारी भावना है जितनी की सत्ता पक्ष में।

दूसरे सौभाग्य की बात है कि भारत की सेना में लोग स्वैच्छिक रूप से भर्ती हुए हैं। यह ऐसी सेना नहीं है जिसमें लोगों को जबरदस्ती भर्ती किया जाता है। यदि हमारे सैनिक सियाचिन, बामडील्ला या पूर्वोत्तर में लड़ रहे हैं तो वे अपनी इच्छा से गए हैं। उन ऊंचाइयों पर जाने को उन्हें किसी ने बाध्य नहीं किया है।

उग्रवाद की शुरूआत के कारण हम सभी मोर्चे पर डटे हुए सैनिकों की भांति हो गए हैं। हाल ही में हमारी संसद पर आक्रमण किया गया। यदि उग्रवादी संसद में प्रवेश कर जाते तो क्या समझते हैं कोई अपने को बलिदान करता या गोली खाता? हमें उग्रवादी दबोच लेते। यदि संसद हमें कहे कि एक संसद सदस्य के रूप में अपने देश की रक्षा करने हमें सीमा पर जाना है तो हम जाएंगे और हम यह कार्य इच्छा से करेंगे। लेकिन भावनात्मक आधार पर ब्लैक मेल करने का क्या तुक है कि यदि हम इस विधेयक के पक्ष में मत नहीं देंगे तो सशस्त्र बलों में क्या संदेश जाएगा? मेरा दल और मैं इस सिद्धान्त को एकदम खारिज करते हैं क्योंकि सशस्त्र बलों को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दायरे में नहीं लाया गया है। मुझे इसमें कोई औचित्य नहीं दिखाई देता कि भारत के संविधान में समानता की बात कही गई है तो किसी को विशेष स्तर क्यों दिया जाना चाहिए।

अत: मेरे दल का मत है कि सशस्त्र बलों को मत देने का अधिकार है। हम उस पर कायम हैं। लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो एक आम नागरिक को नहीं मिलता।

महोदय, बिहार के एक माननीय संसद सदस्य ने आपके वक्तव्य को चुनौती दी है कि आप चाहते हैं कि बिहारी श्रमिकों को प्राक्सी वोटिंग का अधिकार मिले। अब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब में बिहारी श्रमिकों को किसी अन्य व्यक्ति की तरह ही मारा गया है। इसलिए, यदि आपका यह कहना है कि बिहारी श्रमिकों को मताधिकार मिलना चाहिए तब उन्हें वोट डालने का अधिकार ही क्यों नहीं मिलना चाहिए? वे लोग भी उन सभी समस्याओं का सामना करते हैं, जिन समस्याओं का सामना सेनाएं सीमा पर करती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह तर्क इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा केवल इसीलिए कि वे भारत की ऊंची पहाड़ियों पर काम कर रहे है और वे खतरनाक क्षेत्र में विशेष परिस्थितियों में कार्य कर रहे है उनको विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए।

मुझे नहीं लगता कि न्यायपालिका अथवा राष्ट्रपति सम्प्रभु संसद में चर्चा करने के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हम यहां पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते है और यहां तक कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर भी महाभियोग लगा सकते है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि सेना के बारे में चर्चा करना वर्जित है और हमें उनको विशेष अधिकार देने चाहिए।

मैं और मेरा दल भारत में कुछ विशेष और असाधारण करने की नई अवधारणा के एकदम विरुद्ध है। ऐसा आपातकाल में भी हुआ था जब आप सरकारी तंत्र और सरकार की आलोचना नहीं कर सकते थी और यदि आपने ऐसा किया होता तो आप निश्चित तौर पर जेल भेज दिए जाते। इसलिए किसी के लिए भी विशेष स्तर की यह अवधारणा को मैं इसके स्वरूप को पूरी तरह से

स्पष्ट कर दिया है और इसे खारिज करता हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई इस प्रकार का कार्य हो।

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): सभापति महोदय, मैं उन सम्माननीय सदस्यों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने इस विधेयक पर अपनी विस्तृत राय जाहिर की। जैसा कि इस विधेयक के पुर:स्थापन के समय अपनी खुली टिप्पणी के मैंने कहा था के स्थायी समिति तक में संभवतया दो राय थी इसका क्या कारण है कि स्थायी समिति में दो राय है। राय पर एक वर्ग प्रक्रियात्मक एवं तार्किक परेशानी के कारण है। वास्तव में हमारे सैन्य बलों के काफी बड़ी संख्या में लोग मतदान के दिन अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर पाते। वास्तव में अनेक श्रेणी के लोग अपनी ड्यूटी के कारण मतदान के दिन अपने संसदीय क्षेत्रों से बाहर सार्वजनिक ड्यूटी पर तैनात रहते है जो अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाते है। लोगों की कई श्रेणियां है जो मतदान के दिन कर्त्तव्य पालन के कारण अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर जाते हैं। इसमें कुछ अन्य श्रेणियों के बारे में भी बताया गया है और मैं उन पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन सुरक्षा बलों और वे जो इसमें शामिल है वह लगभग 15 लाख लोग है जो दूर दराज क्षेत्रों में रह रहे है। इसमें तार्किक कठिनाईयां हैं कि लोक सभा चुनाव में 540 रिटार्निंग आफिसर सेना मुख्यालय या नौ सेना मुख्यालयों को मतदान पत्र भेजेंगे जहां उनकी छंटाई होगी आर उसके बाद यह पता लगाया जाएगा कि कोई जवान या अधिकारी विशेष कहां तैनात किया गया है तत्पश्चात् वे उसे उसके क्षेत्रीय जोन बेस में भेजेंगे और वह उसे सीमा पर भेजा जाएगा जहां वह तैनात किया गया है। इसके पश्चात् ही वे अपने मतदान का उपयोग कर सकेगा और उसे डाक द्वारा रिटार्निंग आफिसर को भेजता है जिसके परिणामस्वरूप बहुत कम प्रतिशत मतदान चुनाव खत्म होने के बाद वापस आते है। हालांकि मतदान दिवस और मतगणना के बीच अन्तराल होता है फिर भी कई मत वापस नहीं आते।

अब लोक सभा के चुनाव तीन सप्ताह तक चलते रहते है अत: पहले चरण के मतदान में भेजे गए मत पत्रों की संख्या अधिक नहीं होती इसीलिए हमारे सशस्त्र बलों के बहुत सारे लोग इन प्रक्रियात्मक कठिनाईयों के कारण मतदान करने से वंचित रह जाते है। वैकल्पिक मत यह था कि इसे बाद में अन्तिम रूप दिया जाएगा क्योंकि यह तो मात्र समर्थनकारी विधेयक है। चुनावों की आचार संहिता के नियमों को चुनाव आयोग के परामर्श से संशोधित किया जाना चाहिए यह आवश्यक नहीं कि पत्नी ही हो यह पत्ति, पिता अथवा कोई अन्य वयस्क बच्चा भी हो सकता है उन नियमों को चुनाव आयोग के साथ परामर्श करके तैयार किये जाए कि कौन प्रोक्सी मत का अधिकारी होगा और उन प्राधिकार प्रक्रियाओं को नियमों के अंतर्गत अन्तिम रूप दिया जाएगा ताकि उन्हें अतिरिक्त विकल्प दिया जाए।

इस विधेयक के पारित होने के पश्चात् सशस्त्र बलों के कार्मिकों के पास तीन विकल्प होंगे। यदि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के आस-पास ही है तो वह निर्वाचन केन्द्र में जा सकते है उसके साथ उनके पास डाक द्वारा मत भेजने का विकल्प भी होगा। तीसरा विकल्प यह होगा कि वह प्राधिकृत व्यक्तियों में से किसी एक को प्रोक्सी के द्वारा मतदान करने के लिए नियुक्त कर सकता है। इस विधेयक का विरोध करने वालो द्वारा यह आशंका भी व्यक्त की गई थी कि यदि आपको अपनी पत्नी में विश्वास नहीं है क्योंकि उसको राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त है अथवा आपके राजनीतिक विचार अपनी पत्नी से नहीं मिलते है। ठीक है यदि ऐसी स्थिति है तो आप अपनी पत्नी को नियुक्त करने के विकल्प का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां वह अपने वयस्क बच्चे अथवा पिता को नियुक्त कर सकते है। यदि उसको किसी में विश्वास नहीं है तो वह उस द्वारा मतदान का प्रयोग करने के विकल्प का उपयोग कर सकता है। यह अनिवार्य विकल्प नहीं है। यह तो उसे दिया गया समर्थनकारी प्रावधान है। जिन्हें प्राधिकृत व्यक्ति पर विश्वास नहीं है उन्हें इस मार्ग का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। वह अभी भी मतदान केन्द्र में जाकर और मतदान करने अथवा डाक द्वारा मतदान करने पहुंचे अथवा न पहुंचने के जोखिम के साथ परम्परा मार्ग के द्वारा अपने अधिकार का उपयोग कर सकता है।

दूसरा तर्क जो दिया गया था वह यह है कि इससे गोपनीयता के सिद्धान्त का उल्लंघन होता है। गोपनीयता का सिद्धान्त प्रत्येक चुनाव में महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं राजनैतिक दलों को जानता हूं जिन्होंने इस विधेयक पर असहमति व्यक्त की है। लेकिन उन्होंने हमारे द्वारा लाए गए अन्य प्रस्तावों का समर्थन किया है। राज्य सभा चुनाव में प्रत्यक्ष मतदान कराइए। सिद्धान्तों में से एक सिद्धान्त जिस पर राज्य सभा चुनाव में प्रत्यक्ष मतदान का सिद्धान्त पाया जा रहा है वह है यदि गोपनीयता से भ्रष्टाचार पनपता है तो पारदर्शिता इसे हटा देती है। सशस्त्र बलों के मामले में गोपनीयता के सिद्धान्त से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि इससे मतदान के अधिकार छिन जाएगा। तत्पश्चात् आपको निर्णय लेना पड़ेगा। एक ओर तो आप गोपनीयता का सिद्धांत रख सकते है और विद्यमान सिद्धान्त जारी रखिए। इसके चलते हमारे सशस्त्र बलों के 90 प्रतिशत कार्मिक मत नहीं दे पाएंगे...*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: मुझे खेद है कि यह हमें यकीन नहीं दिलाता...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे: इसमें अंतर नहीं पड़ता क्या वे विश्वस्त हुए है अथवा नहीं लेकिन बहुमत को यकीन हुआ है...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: महोदय, मैं इस सदन के प्रत्येक सदस्य को यकीन दिलाने में असमर्थ हूं। मैं सर्वसम्मति के गुण से अवगत हूं। हम इस विधेयक पर सर्वसम्मति प्राप्त करने की चेष्टा की है। जब स्थायी समिति ने 13 दिसम्बर 2001 को इस पर अपनी राय व्यक्त की थी, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, हमने उस बैठक में सर्वसम्मति प्राप्त करने की चेष्टा की थी लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। तत्पश्चात् भी हमने राजनीतिक दलों के साथ अनौपचारिक रूप से परामर्श किया। हम सभी को सर्वसम्मति बनाने के लिए सहमत करने में सफल नहीं हुए। लेकिन सर्वसम्मति का अभाव का यह तात्पर्य नहीं है कि हमने निर्णय करने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की है और यह विधानमण्डल उन लोगों के बारे में सोचने की अपनी जिम्मेदारी से वंचित रहा है जो यह महसूस करते है कि चूंकि वह दूरदराज क्षेत्रों में पड़ते है कर्त्तव्य का पालन करने के लिए मतदान के दिन वे अपने निर्वाचन क्षेत्र से दूर थे उन्हें अपने मत देने के अधिकार से वंचित किया जाए क्योंकि जिस प्रक्रिया का हम अनुपालन करते है को खत्म करना चाहिए। अत: सर्वसम्मति अथवा एक मतैक्य नहीं बनती तो मैं समझता हूं कि यह संसदीय प्रजातंत्र को मालूम है कि उस स्थिति में मत देने का अधिकार बना रहेगा। हमने सर्वसम्मति प्राप्त करने का पूरा प्रयास किया है। हमें सर्वसम्मति के गुण का पता है। लेकिन यदि आप उनमें विश्वास करते है तो सर्वसम्मति सिद्धांतों के त्याग के कारण नहीं किया जाएगा।

महोदय, यही एक मामला नहीं है। मैं भ्रष्टाचार के मामले पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी का उल्लेख करता हूं जिसमें लगभग कहा गया है कि गोपनीयता अत्यन्त महत्वपूर्ण नहीं है यदि गोपनीयता से भ्रष्टाचार फैलता है और चुनाव में गलत तरीके का प्रयोग होता है तो उसके बाद उच्चतम न्यायालय भी कहेगा कि पारदर्शिता आने दीजिए।

यहां, हम जो डाक द्वारा मतदान करने की प्रक्रिया द्वारा गोपनीयता का सिद्धान्त अपनाते हैं, उससे मतदान का अधिकार ही छिन रहा है। इसके चलते हमारे सशस्त्र बलों के 90 प्रतिशत कार्मिक मत नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या हमें इसे बारे में सोच में गतिशीलता नहीं अपनानी चाहिए कि विश्व में अन्यत्र लोगों ने इसके बारे में क्या सोचा है? अब मैं कुछ मामलों के बारे मे बताता हूं। अन्य देशों में जो कुछ किया जाता है मैंने उसके बारे में अध्ययन करने के बारे में सोचा है। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार यहां इसका प्रयोग कर रहे हैं। विश्व के उदार प्रजातांत्रिक देशों ने इसका प्रयोग किया है। अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, नीदरलैण्ड, जापान, आइवोरी कोस्ट, फ्रांस, कनाडा और बेल्जियम देशों में जहां आम चुनाव होते है और प्राक्सी वोटिंग का प्रयोग किया है। उन्होंने 'प्राक्सी' शब्द का प्रयोग किया है। हम इसे केवल सशस्त्र बलों तक सीमित रखे रहे हैं जबकि कुछ मामलों में वे प्रयोग की दिशा में हमसे एक कदम आगे निकल गए हैं। कुछ देशों में दृष्टि बाधिता, विकलांग व्यक्ति वोट डालने के लिए प्राक्सी के रूप में किसी को साथ में ले जा सकते हैं।

आज कुछ ऐसा नहीं है कि हम कोई अलग प्रकार का कार्य कर रहे हैं। कल एक माननीय सदस्य ने एक प्रश्न किया था लेकिन सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि हमारा प्रयोग कितना सफल होता है क्योंकि अपने देश में राजनयिक कर्मचारियों के मामले में हम सेना मुख्यालय, क्षेत्रीय मुख्यालयों और इसके बाद सीमा पर तैनात कर्मचारियों की तरह नहीं सोच सकते। दो दिवसीय सेवा है इसके अंतर्गत आप मत दे सकते हैं और अगले दो दिनों में वह राजनयिक बैग से वापस आ जाएगा। हमारे यहां इस प्रकार की समस्या नहीं है। जहां तक राजनयिकों की बात है तो अधिकांश राजनयिकों का अपना परिवार उनके साथ ही रहता है चाहे वे जिस क्षेत्र में तैनात हों। अत: यह समस्या जो विशेषकर सशस्त्र बलों के उन स्टेशनों जहां सैनिक अपना परिवार नहीं रख सकते हैं, से संबंधित है राजनयिकों पर नहीं लागू होती है। कुछ देशों में प्रतिबंध है लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिनका मैंने नाम लिया है वहां राजनयिक कर्मचारियों और विदेश के मिशनों में कार्यरत लोगों को प्राक्सी वोटिंग की अनुमति दी गई है।

ग्रेट ब्रिटेन में तो यहां तक व्यवस्था है कि चुनाव की तारीख को यदि किसी को देश के बाहर जाना है तो वह यात्रा से पहले रिटर्निंग आफिसर के पास जा सकता है और प्राक्सी फार्म लेकर किसी को अधिकृत कर सकता है। यह ऐसा नहीं है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर जबरदस्ती दबाव डाल रहे हैं। अत: मतदाता स्वैच्छिक रूप से निश्चय कर सकता है कि मैं डाक मतपत्र का प्रयोग नहीं करना चाहता मैं स्वयं नहीं जाना चाहता। मैं 2000 कि.मी. दूर हूं, मैं अपने पिता, अपने पुत्र या अपनी पुत्री या अपनी पत्नी को अधिकृत करता हूं और मुझे उन पर विश्वास है कि वे सिद्धांत के अनुसार मतदान करेंगे इसी सिद्धांत के आधार पर प्राक्सी वोटिंग का अधिकार दिया गया है।

अन्य विकल्प है कि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वर्तमान यथास्थिति बनाए रखिए जिसमें 90 प्रतिशत सशस्त्र बल मताधिकार से वंचित हो जाते हैं। अब, इस स्थिति में हमें यह चुना होगा कि दोनों विकल्पों में से किसका चुनाव करें। सरकार और उसे समर्थन देने वालों माननीय सदस्यों को विचार करना है कि उनको मताधिकार से वंचित करने या उन्हें स्वैच्छिक रूप से प्राक्सी नियुक्त करने के विकल्प में से किसे चुना जाए, मेरा मानना है कि शायद दूसरा विकल्प अधिक संतुलित होगा। यह ऐसा प्रयोग है जिसे हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में किया जाना चाहिए विशेषकर इसलिए भी कि सेना के अधिकारी स्वयं स्थायी समिति के सम्मुख उपस्थित हुए हैं। उन्होंने इस मामले की पुरजोर वकालत की है। हमारी सशस्त्र सेनाओं की अत्यंत इच्छा है कि ऐसी कोई प्रणाली हो कि उन्हें मत देने का अधिकार मिले और इसलिए हमने महसूस किया है कि यह प्रणाली सर्वोत्तम होगी।

हमने अन्य विकल्पों पर विचार किया है। इसका विरोध करने वाले सदस्यों को भी कहना है, हम सशस्त्र सेनाओं को यह अधिकार देने का विरोध नहीं करते हैं, इसे और प्रभावी बनाइए लेकिन अन्य विकल्प पर विचार करें। महोदय सर्वदलीय बैठक में, अनौपचारिक विचार विमर्श में और यहां भी सदस्यों ने एक सुझाव दिया, वहीं दूसरा विकल्प है। दूसरा विकल्प ऊपर से तो आएगा नहीं। मानव जाति को ही विकल्प बताना है। अतः बेहतर विकल्प का सुझाव दें। सुझाव दिए गए हैं। क्या आप 14 दिन के समय को 21 दिन से 28 दिन तक बढ़ाने पर सहमत होंगे?

अधिकांश लोक सभा सदस्य महसूस करते हैं कि इससे चुनाव के खर्च एवं परिश्रम में वृद्धि होगी अतः यह सक्षम विकल्प नहीं है। मतदान के बाद दो या तीन सप्ताह तक मतपत्रों के आने की प्रतीक्षा करनी होगी। लोग इसके लिए तैयार नहीं है। प्रथम चरण में सम्पन्न लोक सभा के चुनावों की मतगणना तक तीन सप्ताह की अवधि में प्रतीक्षा करने के बाद भी आने वाले सेना के मतपत्रों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई।

यह सच है कि हम इलेक्ट्रानिक युग में है और इलेक्ट्रानिक क्रांति के युग में हमें कोई ऐसी इलेक्ट्रानिक विधि तलाशनी होगी जिससे मत दिया जाएगा। सारे तर्कों की बात छोड़िए इलेक्ट्रानिक प्रणाली में 'हैकिंग' भी चलती है और 'हैकिंग' होते ही सारी गोपनीयता भंग हो जाएगी; तो ऐसा कैसे संभव हो सकेगा। आपके पास सशस्त्र बलों की एक छोटी सी टुकड़ी एक जहाज पर तैनात हैं, नौसेना के अधिकारी हैं कोई एयर बेस पर है कोई 1000 लोग पर्वतीय सीमा के मोर्चे पर है और 540 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। अतः यदि किसी स्थान पर 10,000 सैन्यकर्मी हैं तो हम 540 इलेक्ट्रानिक मशीने भेजें, 25 अन्यत्र भेजें, ऐसा भी होता है कि 100 किसी अन्य स्थान पर हैं इसलिए ये बल सैकड़ों नहीं हजारों स्थानों पर तैनात हैं। इसलिए प्रत्येक स्थान पर 540 इलेक्ट्रानिक मशीनें भेजी जाए और इस प्रक्रिया से वोट डाला जाए तो शायद यह ऐसा उपचार होगा कि जो कि मौजूदा समस्या से बुरा होगा। इसलिए, साधारणतः सुझाव यह है कि, ''किसी इलेक्ट्रानिक विधि की खोज, या बेहतर प्रणाली की खोज'', और यह कि कोई बेहतर तरीका नहीं सुलझाया जा सकता से समस्या हल नहीं होगी। हमने गत चार वर्षों से प्रयास किया है लेकिन अभी तक कोई बेहतर विकल्प नहीं मिला है।

इसलिए यह नया प्रयोग है जिसे हमें करना चाहिए। यदि यह प्रयोग सफल होगा तो हम निश्चय कर सकेंगे कि इसे और बेहतर कैसे बनाएं। यदि बाद में सुधार की आवश्यकता होगी तो मुझे विश्वास है कि यह सभा वैसे सुधार करेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सभा से आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को स्वीकार किया जाए और इस पर विचार किया जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

''कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा भारतीय दण्ड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए.''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

''कि खंड 2 से 5 विधेयक के अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1

संशोधन किया गया:

संक्षिप्त नाम

पृष्ठ 1, पंक्ति 6–

''1999 के *स्थान* पर ''2003'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (2)

(श्री अरुण जेटली)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

पृष्ठ 1, पंक्ति 1–

''पचासवें'' *के स्थान* पर ''चौवनवें'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (1)

(श्री अरुण जेटली)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री अरुण जेटली: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।''

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब सदन की कार्यवाही 20 फरवरी, 2003 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

सायं 6.33 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 20 फरवरी, 2003/1 फाल्गुन, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.31.3/2003 (एन०)
280

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382
के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।